उत्पादन का 60वां वर्ष

सेल SAIL

1959 से

सेल एक मज़बूत भविष्य की ओर

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

ध्येय पथ

एक सम्मानित विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान बनने के साथ–साथ भारतीय इस्पात व्यवसाय में गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता और उपभोक्ता संतुष्टि के क्षेत्र में अग्रणी रहना।

मूल मत

- हम उपभोक्ताओं के साथ विश्वास एवं पारस्परिक हित पर आधारित चिरस्थायी संबंध बनाते हैं।
- हम अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोच्च नैतिक मानकों को कायम रखते हैं।
- हम एक ऐसी संस्कृति का सृजन और पोषण करते हैं जो नम्य एवं ज्ञानार्जन की समर्थक हो और परिवर्तन के प्रति सहक्रियात्मक हो।
- हम कर्मचारियों को प्रगति एवं पुरस्कार के अवसरों से युक्त चुनौतीपूर्ण रोज़गार पेश करते हैं।
- हम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के अवसर और दायित्व का महत्व समझते हैं।

सेल भिलाई इस्पात संयंत्र – ब्लास्ट फर्नेस #8 – महामाया

सेलम स्टील प्लांट में स्टेनलैस स्टील का 'समृद्धि वृक्ष'।

विषय–सूची

शेयरधारकों को पत्र	02
निदेशक मंडल	06
दस वर्षों का संक्षेप सार	08
बोर्ड का प्रतिवेदन	10
प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट	25
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	32
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	79
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	87
सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	88
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	90
कॉरपोरेट अभिशासन प्रमाण पत्र	96
व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट	97
समेकित वित्तीय विवरण	103
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	155
समेकित वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा की टिप्पणियां	161
वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं समेत सहायक कंपनियों का विवरण (फार्म एओसी–1)	163
वार्षिक विवरणी का उद्धरण (एमजीटी–9)	165
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का ब्यौरा	175
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण	176
सीएसआर के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	182
प्रमुख कार्यपालक	184
नोटिस	185
प्रतिनिधि फार्म	191

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराते हुए मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ।

जनवरी, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित विश्व विकास दृष्टिकोण में उन्नत और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकारात्मक पूर्वानुमान दर्शाया गया है। 2011 के बाद से, 2017 में 3.8 प्रतिशत की वैश्विक विकास दर सबसे तेज़ थी। वित्तीय परिस्थितियों के अभी भी सहायक होने के साथ वैश्विक विकास दर 2018 और 2019 में 3.9 तक पहुंचने की आशा है। उभरते एशिया और यूरोप में निरंतर मजबूत वृद्धि के साथ, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कुल वृद्धि के और आगे बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक द्वारा जारी दीर्घकालिक अनुमानों से यह भी संकेत मिलता है कि लंबी अवधि के पूर्वानुमानों की सुनियोजित डाउनग्रेडिंग की विशेषता वाली कमजोर विकास अपेक्षाओं की दीर्घ अवधि समाप्त हो गई लगती है। विश्व अर्थव्यवस्था के लिए ये स्वस्थ विकास अनुमान, वैश्विक इस्पात उद्योग के लिए भी स्थिर विकास की संभावना को दर्शाते हैं।

विश्व स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) ने अपने अप्रैल 2018 के पूर्वानुमान में कहा है कि वैश्विक स्टील की मांग 2018 में 1,616 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच जाएगी, जिसमें 2017 की

सेल के इस्को स्टील प्लांट स्थित यूनिवर्सल सेक्शन मिल में निर्मित नैरो पैरालल फ्लेंज बीम्स।

तुलना में 1.8% की वृद्धि होगी। यह पूर्वानुमान है कि वैश्विक स्टील की मांग में 0.7% की वृद्धि होगी जो 2019 में 1,627 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। डब्लयूएसए ने आगे कहा है कि 2018 में, उच्च विश्वास, मजबूत निवेश स्तर और कमोडिटी कीमतों में सुधार, विकसित और विकासशील, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक स्तर पर, स्टील की मांग के लिए एक सार्थक चक्र सृजित करने जा रहे हैं।

घरेलू परिदृश्य पर विचार करते हुए, विश्व बैंक ने भारत के लिए इस वर्ष 7.3 प्रतिशत और अगले दो वर्षों के लिए 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है, जिससे यह प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। यह घरेलू इस्पात उद्योग के लिए अच्छा शकुन है। घरेलू इस्पात की खपत में वृद्धि के पीछे, भारत के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के मजबूत विकास का समर्थन प्राप्त है। स्टील गहन क्षेत्रों की बढ़ती हुई गतिविधियों के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान घरेलू तैयार इस्पात की खपत में 7.8% की वृद्धि दर द्वारा इसका समर्थन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 की अंतिम तिमाही में, भारत ने जापान को, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक देश के रूप में, पीछे छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि भारत जल्दी ही चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश होने का स्थायी दावा कर सकता है। ''राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017'' में की गई कल्पना, 2030 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 300 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष, इस विकास प्रक्षेपण के अनुरूप है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹58,297 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल कर लिया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। हालांकि, पिछले वर्ष के शुद्ध बिक्री कारोबार ₹ 43,866 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 56,893 रुपये का शुद्ध बिक्री कारोबार, 30% अधिक था। घाटे को लगभग 83% तक घटा कर, आपकी कंपनी का कर के बाद लाभ (पीएटी) स्टैंडअलोन आधार पर, वित्तीय वर्ष 17 में ₹ (–) 2,833 से कम होकर वित्तीय वर्ष 18 में ₹ (–) 482 करोड़ रह गया है। कर के पश्चात, कंपनी का समेकित लाभ वित्तीय वर्ष 18 में ₹ (–) 281 करोड़ रह गया है जोकि वित्तीय वर्ष 17 में ₹ (–) 2,756 करोड़ था। परिचालनगत लाभप्रदता में सुधार के लिए लगातार रणनीतिक दृष्टिकोण ने वित्तीय वर्ष 18 में ईबीआईटीए को सुधारने में सेल की सहायता की, जोकि वित्तीय वर्ष 17 के मुकाबले काफी बढ़ी है।

वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के पीछे बेहतर उन्नत परिचालन कार्यनिष्पादन है जिसमें बिक्रीयोग्य इस्पात उत्पादन, कॉनकास्ट उत्पादन का अधिक हिस्सा, बेहतर उत्पाद मिश्रण, बीएफ उत्पादकता में सुधार, कोक दर और विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी, विशिष्ट मजदूरी बिल आदि में कमी शामिल है। हालांकि, विभिन्न खनन संबंधी मुद्दों के लिए प्रावधान, औसत कोयले की कीमतों में वृद्धि, स्वदेशी कोयले की कम उपलब्धता के कारण मिश्रण में आयातित कोयले के अधिक उपयोग, खरीदी गई बिजली की औसत दर में वृद्धि और ब्याज तथा मूल्यह्रास लागतों में वृद्धि के कारण बराबर हो गई है।

उत्पादन के मोर्चे पर, वित्तीय वर्ष 2017–18 में नई सुविधाओं के बढ़ाने और भौतिक प्रदर्शन के सभी पिछले रिकॉर्डों को पार करने के माध्यम से कई ऐतिहासिक उपलब्धियां सामने आईं हैं। आपकी कंपनी ने हॉट मैटल का 15.983 मिट्रिक टन, कच्चे इस्पात का 15.021 मिट्रिक टन और बिक्रीयोग्य इस्पात का 14.071 मिट्रिक टन का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन किया है। इसने सतत – कास्ट (सीसी) इस्पात उत्पादन का सबसे बेहतर निष्पादन 12.80 मिट्रिक टन हासिल किया है, जोकि वर्ष 2016–17 में हासिल किए गए 11.77 मिट्रिक टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन से 9% अधिक है। शेष आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं को पूरा करने की ओर बढ़ते हुए भिलाई स्टील प्लांट का नया बीएफ#8 'महामाया' जिसकी हॉट मैटल उत्पादन की वार्षिक क्षमता 2.8 मिट्रिक टन है, को 2 फरवरी, 2018 को आरंभ किया गया है। संयंत्र के एसएमसी–III को भी 31 मार्च, 2018 को, कनवर्टर –1 से पहली हीट देकर आरंभ किया गया है।

सभी संयंत्रों में उत्पादकता और दक्षता सुधारने के लिए आरंभ हुई विभिन्न नई पहलों के कारण प्रत्येक इकाई ने सुधार दर्ज कराया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारतीय रेलवे को रेलों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, इसमें नई यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) का वाणिज्यिक उत्पादन शामिल है जिसमें पिछले वर्ष के 3.17 मिट्रिक टन के रिकार्ड लंबे रेल प्रेषण को मिलाकर (6.49 लाख टन) की तुलना में कुल यूटीएस–90 रेल उत्पादन (9.03 लाख टन) में 39% की वृद्धि हुई है। दुर्गापुर स्टील संयंत्र में व्हील और एक्सेल संयंत्र से छोटी लाइन के व्हील और मध्यम संरचनात्मक मिल (एमएसएम) से उच्च शक्ति संरचनात्मक ई350 ग्रेड को घरेलू तौर पर विकसित किया गया है। दुर्गापुर में 125 वर्ग मिमी बिलेट्स की कास्टिंग और रोलिंग, उत्पादकता में और वृद्धि करेगी। राउरकेला स्टील संयंत्र में, न्यू प्लेट मिल ने वित्तीय वर्ष 18 में 8 लाख टन अधिक रोलिंग करके सीपीएलवाई से 48.1% अधिक वृद्धि दर्ज की है। मिल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 1,27,000 टन सीई मार्क प्लेटों का निर्यात यूरोपीय बाजार को किया है। हॉट स्ट्रिप मिल ने 2017–18 के दौरान एचआर कॉइल्स का 16.8 लाख टन का उत्पादन करके अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि हुई है। निरंतर प्रयासों के साथ, बोकारो स्टील प्लांट ने कॉस्ट स्लैब का उत्पादन 3.276 मिट्रिक टन (पिछला बेहतर : 2.990 मिट्रिक टन) का रिकार्ड उत्पादन किया है, बिक्री के लिए सीआर कॉइल्स का अब तक का रिकार्ड उत्पादन 0.916 मिट्रिक टन है जबकि पिछले वर्ष यह 0.776 मिट्रिक टन था। इसके अलावा, सेल की अद्यतन इकाई अर्थात आईआईएससीओ स्टील संयंत्र (आईएसपी), बर्नपुर ने स्थिरीकरण की दिशा में प्रगति की है और 2018 की चौथी तिमाही में सकारात्मक पीबीटी हासिल किया है। आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 19 में आईएसपी तेजी से प्रगति करना जारी रखेगी और आपकी कंपनी की समग्र लाभप्रदता में समुचित हिस्से का योगदान करेंगी।

आपकी कंपनी की वर्ष के दौरान लौह अयस्क की कुल आवश्यकता कैप्टिव स्रोतों से पूरी की गई। सेल की कैप्टिव खानों ने 26.83 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन किया।

यह बहुत गर्व का विषय है कि आपकी कंपनी देश के विकास में एक भरोसेमंद और मूल्यवान साथी होने की परंपरा को जारी रखे हुए है। वित्तीय वर्ष 18 में, सेल ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसेकि ढोला–सादिया ब्रिज, सरदार सरोवर परियोजना इत्यादि को इस्पात की आपूर्ति करके राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और 'मेक इन इंडिया' आंदोलन के तहत, भारत की विकास कहानी में योगदान दिया है। सेल ने स्वदेश निर्मित एंटी–सबमरीन वारफेयर, (एएसडब्ल्यू), स्टील्थ कार्वेट आईएनएस – किल्टन सहित विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए स्टील की आपूर्ति की है तथा चंद्रयान और मंगलयान मिशनों की प्रतिष्ठित परियोजनाओं के साथ जुड़ा हुआ था।

मार्केटिंग के मोर्चे पर, सेल ने परिभाषित बाजार खंडों को लक्षित करके विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। 2017–18 के दौरान, आपकी कंपनी ने 14.1 मिलियन टन (एमटी) की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री की, जिसमें सीपीएलवाई से 7.4 अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, सेल ने 0.7 मिट्रिक टन स्टील का निर्यात किया, जिसमें सीपीएलवाई से 4% अधिक की वृद्धि हुई। ग्रामीण भारत में इस्पात खपत की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए, आपकी कंपनी ने स्टील के उपयोग पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए 26 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 114 "गांवों की ओर" कार्यशालाओं का आयोजन किया। छोटे उपभोक्ता इसके केंद्र में बने रहे और 0.8 एमटी स्टील को खुदरा विपणन चैनलों के माध्यम से बेचा गया। मूल्यवर्धित स्टील की बिक्री में वृद्धि की रणनीति के हिस्से के रूप में, कंपनी ने बीएसएल कोल्ड रोलिंग मिल#3 के उपभोक्ताओं को अत्यधिक मांग, उच्च मूल्य वाले ऑटो सेगमेंट में आपूर्ति शुरू की। बीएसपी यूनिवर्सल रेल मिल से भारतीय रेलवे को लंबे रेल पैनलों (260 मीटर) की आपूर्ति में, 2017–18 में लगभग 112% की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने 2017–18 में अपने सेवा केंद्रों से विशिष्ट रूप से निर्मित आकार में 50,000 टन स्टील की आपूर्ति भी की, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 53% की वृद्धि दर्शाती है।

बायो विविधता को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए अपर्याप्त परिस्थितिक तंत्र की बहाली और पुनर्वास के महत्व को समझते हुए, आपकी कंपनी उपयुक्त उपाय कर रही है जिसमें खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय बहाली, नया वृक्षारोपण, कार्बन डाई आक्साईड के जैव अधिग्रहण, 4 आर (कमी, पुनः प्रयोग, रीसाइक्लिंग और रिकवरी) के अनुप्रयोग द्वारा अपशिष्टों के उपयोग को बढ़ावा देना, पॉली क्लोरिनेटेड बॉयफेनिल का पर्यावरण अनुकूल

भ्वज डमजंस इमपदह चवनतमक पदजव डपगमत वि ैजममस डमसजपदह ैीवच.प्प ंज ैंपस त्वनतामसं ैजममस च्संदज

निपटान, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि शामिल है। आरंभ से लेकर अब तक सेल ने संयंत्रों और खानों में 20.1 मिलियन से अधिक पौधे लगाए है। वृक्षारोपण पर विशेष बल देने के लिए, वर्ष 2017–18 के दौरान 8.27 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

2016–17 में शुरू किए गए कंपनी भर में कायापलट कार्यक्रम' सेल उदय' के तहत, कच्चे माल, संचालन, बिक्री और विपणन, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक, कार्मिक और मानव संसाधन के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए एक रोडमैप विकसित और नियोजित किया है। इस कार्यक्रम से, वर्ष के दौरान प्रदर्शित प्रमाणित सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट प्रशासन, इसकी दृष्टि और क्रेडिट के द्वारा मजबूत किया जाता है। सेल ने डीपीई दिशानिर्देशों सहित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रकटीकरण और व्यवसाय के संचालन में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतियां तैयार की हैं। अंशधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से, पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जाता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और भागीदार के रूप में राष्ट्र निर्माण में सेल के प्रयास को कई मंचों द्वारा पुरस्कार और प्रशंसा के रूप में पहचाना गया है।

आपकी कंपनी का मानना है कि विश्वास निर्माण से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इससे निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, सेल विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से, सक्रिय और नियमित रूप से सभी हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा है।

अंत में, मैं अपने सभी शेयरधारकों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी अन्य हितधारकों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में आंतरिक और बाहरी रूप से योगदान दिया है। मुझे विशेष रूप से अपने मूल्यवान ग्राहकों, भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं, केंद्रीय और राज्य सरकारों और अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों का धन्यवाद करना है, जिन्होंने हमेशा कंपनी का साथ दिया है और सेल की प्रगति में योगदान किया है। मैं उनसे निरंतर समर्थन और बेहिचक विश्वास की आशा करता हूं जो उन्होंने हमें दिया है।

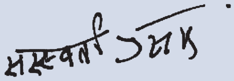

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2018

(सरस्वती प्रसाद, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल (13 अगस्त, 2018 को यथास्थिति)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सरस्वती प्रसाद, आईएएस
विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार,
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यात्मक निदेशक

वित्त
श्री अनिल कुमार चौधरी

परियोजना एवं व्यवसाय योजना
डॉ. जी. विश्वकर्मा

वाणिज्यिक
श्रीमती सोमा मंडल

कार्मिक
श्री अतुल श्रीवास्तव

तकनीकी
श्री हरिनंद राय

सरकारी निदेशक

श्री पुनीत कंसल, आईएएस
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय,
भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अशोक गुप्ता

सी.ए. प्रमोद बिंदल

श्रीमती अंशु वैश्य

डॉ. समर सिंह

श्री निलांजन सान्याल

सीए के.एस. चौहान

प्रो. एन.के. तनेजा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्थायी आमंत्रिती)

राउरकेला इस्पात संयंत्र
श्री अश्विनी कुमार

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
श्री ए.के. रथ

भिलाई इस्पात संयंत्र
श्री एम. रवि

बोकारो इस्पात संयंत्र
श्री पी.के. सिंह

इस्को इस्पात संयंत्र
श्री अनिर्बान दासगुप्ता

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव
श्री एम.सी. जैन

बैंकर्स

एक्सिस बैंक लिमिटेड
इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
एमयूएफजे बैंक
बार्कलेज बैंक पीएलसी
कैनरा बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
ड्यूश बैंक एजी
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
इंडसइंड बैंक लिमिटेड
इंडियन बैंक
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
मिजुहो बैंक लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब और सिंध बैंक
आरबीएल बैंक लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक
सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
सिंडिकेट बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड ओवरसीज बैंक
येस बैंक लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स सिंघी एंड कं.
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स चैटर्जी एंड कं.
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स वी.के. धींगड़ा एंड कं.
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स ए.के. साबत एंड कं.
चार्टर्ड लेखाकार

लागत लेखाकार

मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कं.
लागत लेखाकार

मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

मैसर्स शोम एंड बनर्जी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003
फोनः 24367481, फैक्सः 24367015
इंटरनेटः www.sail.co.in
ईमेलः secy.sail@sailex.com
CIN: L27109DL1973GOI006454

निदेशक मण्डल

श्री सरस्वती प्रसाद

श्री पुनीत कंसल

श्री अनिल कुमार चौधरी

डॉ. जी. विश्वकर्मा

श्रीमती सोमा मंडल

श्री अतुल श्रीवास्तव

श्री हरिनंद राय

प्रो. अशोक गुप्ता

सी.ए. प्रमोद बिंदल

श्रीमती अंशु वैश्य

डॉ. समर सिंह

श्री निलांजन सान्याल

सीए के.एस. चौहान

प्रो. एन.के. तनेजा

दस वर्षों का संक्षेप सार

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ करोड़)

	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11	2009–10	2008–09
सकल बिक्री	58297	49180	43294	50627	51866	49350	50348	47041	43935	48738
निवल बिक्री	56893	43866	38471	45208	46189	43961	45654	42719	40551	43204
मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए)	5184	672	(2204)	5586	4951	5621	7658	9030	11871	10946
मूल्यह्रास	3065	2680	2402	1773	1717	1403	1567	1486	1337	1288
ब्याज एवं वित्त प्रभार	2823	2528	2300	1454	968	748	678	475	402	259
विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	(703)	(4536)	(6906)	2359	2266	3470	5413	7069	–	–
असाधारण मदें: लाभ/(हानि)	(56)	(315)	(101)	–	959	(229)	(262)	125	–	–
कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीटी)	(759)	(4851)	(7008)	2359	3225	3241	5151	7194	10132	9399
कर/आयकर धनवापसी के प्रावधान तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (–)	(277)	(2018)	(2986)	266	608	1070	1608	2289	3378	3228
कर पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	(482)	(2833)	(4021)	2093	2616	2170	3543	4905	6754	6170
लाभांश	–	–	–	826	834	826	826	991	1363	1074
इक्विटी पूंजी	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4130	4130	4130
आरक्षित एवं अधिशेष (डीआरई के अलावा)	31583	31879	35065	39374	38536	36894	35680	32939	29186	24018
निवल सम्पत्ति (इक्विटी पूंजी एवं आरक्षित एवं अधिशेष)	35714	36009	39196	43505	42666	41025	39811	37069	33317	28148
कुल ऋण	45409	41396	35141	29898	25281	21597	16320	19375	16511	7563
निवल अचल परिसम्पत्तियां	58612	50285	45926	36169	26771	16777	17127	15059	13615	12305
पूंजी कार्य प्रगति पर	18395	23275	24927	29196	33651	35891	28205	22226	14953	6550
चालू परिसम्पत्तियां (अल्पकालिक जमा के अलावा)	29638	25545	24304	28482	26891	27616	28431	36544	39154	34676
चालू देयताएं एवं प्रावधान	24068	21486	18992	16338	15212	13012	12225	12172	11073	12277
कार्यशील पूंजी (चालू परिसम्पत्तियां घटा चालू देयताएं)	5570	4060	5312	12145	11679	14604	16206	24372	28081	22398
नियोजित पूंजी (नियत अचल परिसम्पत्तियां+ कार्यशील पूंजी	64182	54345	51238	48314	38450	31381	32921	39431	41696	34704
प्रति शेयर बाजार मूल्य (₹ में) (अवधि के अंत में)	70.20	61.20	43.00	68.35	71.40	62.35	94.05	170.00	252.55	96.45
प्रमुख वित्तीय अनुपात										
नियोजित पूंजी के औसत के लिए इबीआईडीटीए (%)	8.7	1.3	(4.3)	12.9	14.2	17.5	21.0	21.7	31.1	34.7
निवल बिक्री पर कर पूर्व लाभ (%)	(1.3)	(11.1)	(18.2)	5.2	7.0	7.4	11.3	16.8	25.0	21.8
नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ का औसत (%)	(1.3)	(9.2)	(13.6)	5.4	8.4	10.1	14.2	17.3	26.6	29.8
निवल सम्पति पर औसत लाभ (%)	(1.3)	(7.5)	(9.7)	4.9	6.1	5.4	9.2	13.9	22.0	24.1
₹ 10 के प्रति शेयर का निवल मूल्य	86.5	87.2	94.9	105.3	103.3	99.3	96.4	89.7	80.7	68.1
₹ 10 के प्रति शेयर पर आय	(1.2)	(6.9)	(9.7)	5.1	6.3	5.3	8.6	11.9	16.4	14.9
मूल्य – आय औसत (गुणा)	(60.2)	(8.9)	(4.4)	13.5	11.3	11.9	11.0	14.3	15.4	6.5
₹ 10 के प्रति शेयर पर लाभांश	–	–	–	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	3.3	2.6
प्रभावी लाभांश दर (%)	–	–	–	2.9	2.8	3.2	2.1	1.4	1.3	2.7
ऋण– इक्विटी (गुणा)	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3
चालू अनुपात (गुणा)	1.2	1.2	1.3	1.7	1.8	2.1	2.3	3.0	3.5	2.8
नियोजित पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	0.9	0.9	0.8	1.0	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1	1.4
कार्यशील पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	10.5	12.1	8.2	4.2	4.4	3.4	3.1	1.9	1.6	2.2
ब्याज कवरेज अनुपात (गुणा)	0.6	(0.7)	(1.9)	1.8	2.3	2.6	3.8	7.1	14.4	29.0
लाभांश अदायगी अनुपात (%)	–	–	–	39.4	31.9	38.1	23.3	20.2	20.2	17.4

उत्पादन

(यूनिट: '000 टन)

मद	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11	2009–10	2008–09
तप्त धातु	15938	15726	15721	15413	14447	14266	14116	14888	14505	14442
कच्चा इस्पात	15021	14496	14279	13908	13579	13417	13350	13761	13506	13411
पिग आयरन	270	495	642	–	223	214	106	261	323	267
बिक्री योग्य इस्पात	14074	13867	12381	12842	12880	12385	12400	12887	12632	12494
– अर्ध निर्मित इस्पात	2609	3170	3054	3007	2760	2422	2527	2394	2392	2206
– तैयार इस्पात	11465	10697	9327	9835	10120	9962	9872	10493	10240	10288

मूल्य संवर्धित विवरण

(₹ करोड़)

वर्ष के लिए	2017–18		2016–17	
अपने उत्पादन का मूल्य	57636		49598	
अन्य राजस्व	1059	58695	1080	50678
घटाएं: कच्ची सामग्रियों की लागत	26679		21126	
भंडार एवं कलपूर्जे	2879		2835	
पावर एवं ऊर्जा	5810		5234	
उत्पाद शुल्क	1404		5315	
जावक मालभाड़ा	2242		1162	
अन्य प्रचालन लागत	5703	44716	5702	41373
कुल संवर्धित मूल्य		13979		9305
स्थापना लागत		8850		8948
वित्त लागत		2823		2528
कॉरपोरेट आयकर		–277		–2018
व्यवसाय में धारित आय				
मूल्यह्रास	3065		2680	
बांड शोधन रिजर्व	367		524	
लाभ शेष	–849		–3357	
व्यवसाय में धारित	–482	2583	–2833	–153
कुल उपयुक्त मूल्य		13979		9305

शेयरधारिता पैटर्न

(31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	धारकों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
भारत सरकार	1	3097767449	75.00
वित्तीय संस्थान (बीमा कम्पनियां.)	11	417266678	10.10
बैंक	61	138990705	3.37
म्यूचल फंड	64	111011437	2.69
विदेश पोर्टफोलियो निवेशक	125	175039973	4.24
ग्लोबल डिपोजिटरी रैसिप्ट	2	117635	0.00
कम्पनियां (ट्रस्टों एवं क्लीयरिंग सदस्यों सहित)	2723	37501447	0.91
वैयक्तिक (अनिवासी भारतीय एवं कर्मचारियों सहित)	355860	151098256	3.65
आईईपीएफ प्राधिकार	1	1731709	0.04
योग	**358848**	**4130525289**	**100.00**

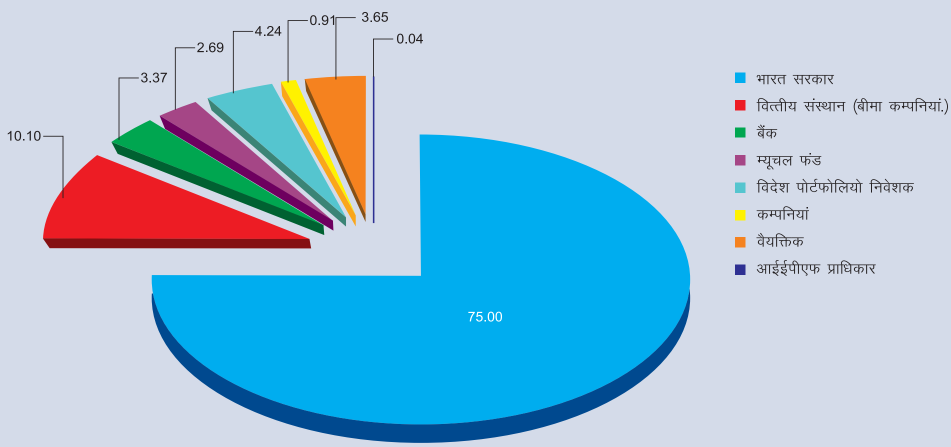

बोर्ड का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित स्वतंत्र एवं समेकित वित्तीय विवरण के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल, कंपनी) की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

क. वित्तीय समीक्षा

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 58,297 करोड़ का बिक्री कारोबार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है और इसका कारण पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों की बिक्री योग्य स्टील की बिक्री मात्रा (7 प्रतिशत) और निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) दोनों में लगभग 20 प्रतिशत तक वृद्धि थी। हालांकि, ₹ 56,893 करोड़ की निवल बिक्री कारोबार पिछले वर्ष की ₹ 43,866 करोड़ के निवल बिक्री कारोबार की तुलना में 30 प्रतिशत तक अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आपकी कंपनी की कर पश्चात् हानि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 2,833 करोड़ के कर पश्चात् हानि की तुलना में घटकर ₹ 482 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया था।

वित्तीय वर्ष 2017–18 आपकी कंपनी की हानि मुख्य रूप से 5 एकीकृत उत्पाद संयंत्रों की बिक्री योग्य स्टील के उत्पादन में वृद्धि, कॉनकास्ट का उत्पादन, बिक्री योग्य स्टील की बिक्री और निवल बिक्री प्राप्ति, बढ़े हुए उत्पादन वितरण, सीडीआई भट्टियों में सी डी आई का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग, कोक की दरों में कमी, बी एफ उत्पादकता में सुधार, विशिष्ट ऊर्जा खपत में सुधार, वेतन एवं मजदूरी में कटौती आदि के कारण कम हुई है। हालांकि, उसे आंशिक रूप से विभिन्न खनन संबंधी मुद्दों के लिए किए गए प्रावधानों, औसत आयातित और स्वदेशी कोयले की कीमतों में वृद्धि, स्टोर एवं स्पेयर्स में वृद्धि, मरम्मत एवं अनुरक्षण, सुरक्षा खर्चे, स्वदेशी कोयले की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता के कारण ब्लैंड में आयात किये गये कोयले का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग, खरीदी गई बिजली की औसत दर में वृद्धि और ब्याज लागत एवं ह्रास आदि के कारण आंशिक रूप से दूर किया गया था।

सेल ने अपने विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भावी निधि उगाही के लिए कार्रवाई तथा ब्याज, अग्रिम योजना आदि सहित ऋणों का समय पर भुगतान कर विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन पर अपना बल देना जारी रखा। कंपनी का 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 41,396 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 45,409 करोड़ का कर्ज था। कंपनी ने पूर्ण रूप से बाहरी वाणिज्यिक ऋण का पुनर्भुगतान करने तथा क्रेता की साख के संबंध विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग की है। कंपनी का ऋण स्थिति अनुपात वर्ष के दौरान निवल पूंजी में कमी तथा कर्ज में वृद्धि के कारण 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1.15:1 से बढ़कर 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 1.27:1 तक हो गया। कंपनी की निवल पूंजी में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 36,009 से गिरावट होकर 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 35,714 करोड़ हो गया।

मैसर्स केयर रेटिंग, मैसर्स इण्डिया रेटिंग और मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग, आर बी आई अनुमति क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने सेल की दीर्घावधि ऋण कार्यक्रम के लिए क्रमशः 'केयर एए– ऑउटलुकः ऋणात्मक', 'इण्डिया रेटिंग एए– आउटलुकः ऋणात्मक और 'बी डब्ल्यू आर एए आउटलुकः ऋणात्मक' रेटिंग दिया।

ख. प्रचालन संबंधी समीक्षा

उत्पादन समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2017–18 में वास्तविक कार्य निष्पादन में पूर्व के सभी रिकार्डों से आगे बढ़ते हुए और नई सुविधाओं में वृद्धि के द्वारा अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां देखी गईं। आपकी कंपनी ने 15.982 मिलियन टन (मि. ट.) का तप्त धातु, 15.020 मि. ट. का कच्चा इस्पात और 14.074 मि. ट. बिक्री योग्य इस्पात का सबसे अधिक उत्पादन किया।

आपकी कंपनी ने 2016–17 के दौरान प्राप्त किये गए पूर्व में अधिकतम 11.77 मि.ट. की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12.794 मि. ट. सतत् कास्ट (सीसी) स्टील उत्पादन का सबसे अधिक कार्य निष्पादन प्राप्त किया। कच्चे इस्पात में सीसी का अनुपात पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए 81 प्रतिशत की

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आधुनिकीकृत और विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया।

श्री बीरेन्द्र सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री सेल की राउरकेला इस्पात संयंत्र के उन्नत ब्लास्ट फर्नेस–1 पार्वती राष्ट्र को समर्पित करते हुए।

तुलना में बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। प्रचालन कार्यक्षमता मानदंडों जैसे कोक दर, बीएफ उत्पादकता और विशेष ऊर्जा खपत में नए रिकार्डो को भी प्राप्त किया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र की नई बी एफ#8 'महामाया' जिसकी तप्त धातु की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.8 मि. ट. है, को 2 फरवरी, 2018 को शुरू किया गया था। एस एम एस–।।। भी कन्वर्टर–1 से पहला हीट शुरू कर 31 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 3.17 लाख टन का रिकार्ड लोंग रेंज प्रेषण के साथ–साथ पूर्व वर्ष (6.49 लाख टन) के संबंध में कुल यू टी एस–90 रेल उत्पादन का 39.0 प्रतिशत वृद्धि (8.70 लाख टन) में समर्थ बनाते हुए नए यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) के वाणिज्यिक उत्पादन के साथ भारतीय रेलवे को रेलों की आपूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में अनेक नए पहलें शुरू की गई थीं ताकि प्रक्रिया में उत्पादकता एवं कार्यक्षमता का सुधार हो सके। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, व्हील एंड एक्सल संयंत्र से नैरो गेज व्हील्स और मीडियम स्ट्रक्चरल मिल (एम एस एम) से उच्च शक्ति वाले संरचनात्मक ई350 ग्रेड का विकास संयंत्र में ही किया गया था। बिलेट कास्टर एम/ सी–1 का 125 वर्ग मि. मी. बिलेट की कास्टिंग और मर्चेंट मिल 125 वर्ग मि. मी. बिलेट वाले टी एम टी छड़ों की रॉलिंग जैसे नए पहलों से उत्पादकता में और अधिक वृद्धि होगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में 8 लाख टन से अधिक प्लेटों की रोलिंग करने बाद नई प्लेट मिल ने 2016–17 की तुलना में 48.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस मिल में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान यूरोपीय बाजारों में लगभग 1,27,000 टन सीई चिह्न वाले प्लेटों का निर्यात किया। तप्त स्ट्रिप मिल ने 2017–18 के दौरान 16.8 लाख टन एच आर कॉयल के उत्पादन का सर्वोत्तम कार्य निष्पादन दर्ज किया जो पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि है।

सतत् प्रयासों, बोकारो इस्पात संयंत्र ने 0.916 मि. ट. की बिक्री के लिए सी आर क्वायल का सबसे अधिक उत्पादन (पूर्व में सबसे अधिक 0.776 मि. ट.) और 3.276 मि. ट. का कास्ट स्लेब का रिकार्ड उत्पादन (पूर्व में सबसे अधिक 2.990 मि. ट.) दर्ज किया। संयंत्र में प्रमुख तकनीकी–आर्थिक मानदंडों ने 470 कि.ग्रा. / टी एच एम का सबसे अधिक आंकड़े (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 480 कि.ग्रा./ टी एच एम का), 1.70 टी/ सी यू एम/ दिन में ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता (पूर्व में 2016–17 में सबसे अधिक 1.68 / टी/ सी यू एम/ दिन) और 6.68 जी सी ए एल/ टीसी एस की विशेष ऊर्जा खपत (पूर्व में 2014–15 के दौरान सबसे अधिक 6.69 जी सी एल/ टी सी एस) का सबसे अधिक आंकड़ा दर्ज किया।

इस्को इस्पात संयंत्र (आई एस पी) ने 2.055 मि. ट. की तप्त धातु (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 1.81 मि. ट.), 1.801 मि. ट. पर कच्चा इस्पात (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 1.397 मि. ट.) और 1.687 मि. ट. की बिक्री उत्पाद (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 1.338 मि. ट.) का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन प्राप्त किया। आई एस पी ने 412 कि.ग्रा./ टी एच एम पर कोक दर (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 446 कि.ग्रा/ टी एच एम), 97 कि.ग्रा/ टी एच एम में सी डी आई (पूर्व में 2016–17 के दौरान 62 कि.ग्रा/ टी एच एम), 1.62 टी/ सी यू एम/ दिन पर ब्लास्ट भट्टी उत्पादकता (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 1.43 टी/ सी यू एम/ दिन) और 6.49 जी सी एल/ टी सी एस पर कि.ग्रा/ टी एच एम), पर विशेष ऊर्जा खपत (पूर्व में 2016–17 के दौरान सबसे अधिक 7.20 जी सी ए एल/ टी सी एस) वर्ष के दौरान सबसे अधिक कोक दर, सी डी आई, बी एफ उत्पादकता और विशेष ऊर्जा खपत भी प्राप्त की ।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण संबंधी पदचिह्न को कम करने के लिए विभिन्न पहलों का नवीकरण किया और प्रचालन संबंधी कार्यक्षमता में वृद्धि की और उसके फलस्वरूप पर्यावरण संबंधी मापदंडों तथा तकनीकी आर्थिक कार्यक्षमता में बहुत अधिक सुधार हुआ है। इससे सेल पहले की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा ग्रीन और पर्यावरणीय अनुकूल स्टील का उत्पादन करने में सक्षम हुआ। सेल ने 456 कि. ग्रा/टी एच एम, की कोक दर, 1.70 टी/ एम3 / दिन की बी एफ उत्पादकता और 6.49 जी सी ए एल/ टी सी ए की विशेष उर्जा खपत में सबसे अधिक मात्रा दर्ज की है। आपकी कंपनी नई अत्याधुनिक व्यापक मात्रा वाली ब्लास्ट भट्टी (कुल तप्त धातु का 30 प्रतिशत, जो सी पी एल वाई से 5 प्रतिशत अधिक है) और उर्जा कार्यक्षम सीसी रूट के माध्यम से बढ़े हुए कच्चे इस्पात उत्पादन (कुल कच्चे इस्पात का 85 प्रतिशत, जो सी पी एल वाई से 9 प्रतिशत अधिक है) के माध्यम से उत्पादन की गई तप्त धातु की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा के फलस्वरूप इसे प्राप्त करने में सक्षम हुई ।

आपकी कंपनी ने, इस्पात की आपूर्ति कर, धोला–सादिया ब्रिज, सरदार सरोवर परियोजना आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के साथ समझौता किया, साथ ही यह 2017 की राष्ट्रीय इस्पात नीति और 'मेक इन इण्डिया' अभियान की परिधि के अंतर्गत देश के विकास का हिस्सा बन सकी ।

आपकी कंपनी स्वदेश में निर्मित एंटी–सबमरीन वारफेयर (ए एस डब्ल्यू) स्टील कोरवेट आईएनएस–किल्टन सहित विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए इस्पात की आपूर्ति करने के अलावा चन्द्रयान और मंगलयान जैसे अनेक परियोजनाओं से भी जुड़ी हुई थी।

विद्युत

आपकी कंपनी ने हमेशा बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और उचित लागत पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैप्टिव बिजली संसाधनों का आदर्शात्मक रूप में उपयोग करने की कोशिश की है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, 10653 मिलियन यूनिट (एमयू) की आवश्यकता का लगभग 65 प्रतिशत कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से पूरा किया गया था। सेल कैप्टिव बिजली की इंटर रिजनल व्हीलिंग शुरू करने के लिए देश में सबसे पहले उपक्रम के साथ अपने लाभ के लिए नियम की ओपन पहुंच का उपयोग करने में अग्रणी रहा है। विरासत को जारी रखते हुए, इस वर्ष भी सेल के संयंत्रों ने खुली पहुंच के माध्यम से लगभग 435 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद की जो बिजली की कुल आवश्यकता का लगभग 4 प्रतिशत है। इसमें बिजली एक्सचेंज से लगभग 201 मिलियन यूनिट की खरीद शामिल है।

चल रहे विस्तार को पूरा करने के बाद अपेक्षित अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करने और कैप्टिव बिजली के हिस्से में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से, 290 मेगावाट की नई कैप्टिव बिजली क्षमता एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी प्रा. लिमि. (बी पी एस सी एल) जैसे संयुक्त उद्यम कंपनियों जो इस कंपनी की कैप्टिव सुविधाओं का स्वामित्व रखते हैं और प्रचालित करते हैं, द्वारा संस्थापना के अंतिम चरण में है।

कैप्टिव उत्पादन के अलावा, इन प्रक्रियाओं में बिजली की खपत पर भी विभिन्न उपायों के माध्यम से जोर डाला जा रहा है जिसके फलस्वरूप विस्तार इकाइयों के पूर्णरूप से चालू होने के बाद बिक्री योग्य स्टील उत्पादन का प्रति टन बिजली की खपत में कमी आयेगी।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट हाउस के रूप में, आपकी कंपनी नवीकरणीय बिजली स्रोतों का विकास करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि सौर संयंत्रों की 2 एमडब्ल्यूपी की क्षमता पहले ही संस्थापित की जा चुकी है, निकट भविष्य में 198 एमडब्ल्यूपी की सौर क्षमता को संस्थापित किये जाने की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानदिरा डेम में 10 मेगावाट हाइडल बिजली स्थापित करने के लिए उड़ीसा ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन (जीईडीसीओएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम करार किया है जो बिजली का उत्पादन करने के लिए उत्पाद संयंत्र में उपयोग हेतु डेम से छोड़े जा रहे पानी की संभावित उर्जा का उपयोग करेगा।

कच्चा माल

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान लौह अयस्क की कुल आवश्यकताओं की पूर्ति कैप्टिव स्रोतों से की गई। आपकी कंपनी की कैप्टिव खान ने लौह अयस्क का लगभग 26.83 मिलियन टन (मि. ट.) का उत्पादन किया। कोकिंग कोल के मामले में लगभग 2 मि. ट. की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों (कोल इंडिया लिमिटेड व कैप्टिव स्रोत) से पूरा किया गया था और कोकिंग कोयले की शेष आवश्यकता (13.38 मि. ट.) के लिए इस कंपनी को देश के भीतर उपलब्धता की सीमा के कारण आयातों पर निर्भर करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी की कैप्टिव कोलियरी का उत्पादन लगभग 0.97 मि. ट. रहा जिसमें से 0.60 मि. ट. कच्चा कोकिंग कोयला था और बाकी 0.37 मि. ट. गैर कोकिंग कोयला था। फ्लक्सेज के मामले में लाइमस्टोन का लगभग 1.33 मि. ट. और डोलोमाइट का लगभग 0.72 मि. ट. का उत्पादन किया। इस प्रकार कैप्टिव स्रोतों 2.05 मि. ट. फलक्स का उत्पादन हुआ। थर्मल कोयले के मामले में आपकी कम्पनी कैप्टिव खदान से उत्पन्न मामूली कोयले को छोड़कर पूर्ण रूप से कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) से खरीददारी पर निर्भर करती है।

बारसुआ खान में लौह अयस्क का उत्पादन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 17 मई, 2014 से बंद था। लौह अयस्क का उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए, खनन क्रियाकलापों को शुरू करने के वास्ते माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किये गये और आवश्यक स्वीकृति के बाद बारसुआ खान लौह अयस्क का उत्पादन 20 मई, 2018 को शुरू हुआ।

खानों की क्षमता विस्तार परियोजनाओं में गति लाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित पर्यावरण और वन स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू कर ली गई है

- बाराद्वार में 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष डोलोमाइट खान की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश 22 दिसंबर, 2017 को पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एमओईएफसीसी) द्वारा की गई थी।
- बारसुवा के एम एल–162 लीज के लिए चरण–।। वन स्वीकृति 23 अक्टूबर, 2017 को एमओईएफसी सी द्वारा दी गई थी।
- 24 जुलाई, 2017 को एमओईएफसीसी ने दिनांक 24 फरवरी, 1999 के आदेश के माध्यम से बोलानी खान का 6.9 वर्ग मील लीज की चरण–। वन स्वीकृति शर्तो में एम ओईएफसीसी द्वारा संशोधन किया गया था।
- बोलानी खान का 5.1 वर्ग मील लीज और 6.9 वर्ग मील लीज के अंतर्गत साबिक किसान वन भूमि के लिए चरण–। वन स्वीकृति 12 सितंबर, 2017 को एम ओ ई एफ सी सी द्वारा दी गई थी।

किरिबुरु लौह अयस्क खान में लौह अयस्क खनन प्रचालन।

- गुआ लौह अयस्क खान का झिलिंगबुरु–1 लीज के लिए चरण–I वन स्वीकृति एमओईएफसीसी द्वारा 25 सितंबर, 2017 को दी गई थी।

हालांकि, झारखंड में सारंदा वन में किरिबुरु–मेघाहातूबुरु खानों में दक्षिण केंद्रीय खंडों को शुरू करने और गुआ और चिरिया खानों की क्षमता विस्तार के लिए चरण–II वन स्वीकृति एमओई एफसीसी द्वारा अभी दी जानी है। क्षमता विस्तार परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए, इस मामले को सक्रिय रूप से सरकार के पास उठाया जा रहा है।

झारखंड में सेल की खानों का 12 लौह अयस्क पट्टे के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत 26 फरवरी, 2018 को खान मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 6 मार्च, 2018 को झारखंड सरकार ने 7 मार्च, 2038 तक धोबिल खान के पट्टे की अवधि में बढ़ोत्तरी की है। यह झारखंड में सेल की खानों का 12 लौह अयस्क पट्टे के विस्तार को आसान बनायेगा।

कर्नाटक सरकार ने दिनांक 10 नवंबर, 2017 के पत्र के माध्यम से खान मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए वीआईएसपी/ सेल के पक्ष में रमनदुर्गा क्षेत्र में 150 एकड लौह अयस्क क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

कॉमन कॉज में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का प्रभाव

कॉमन कॉज के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप झारखंड और उड़ीसा सरकारों ने आज की तारीख तक लौह अयस्क, फलक्स और कोयले की खानों के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति के उल्लंघनों के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(5) के अंतर्गत कुल ₹ 1963.60 करोड़ (उड़ीसा – ₹ 204.58 करोड़ और झारखंड – ₹ 1759.02 करोड़) की राशि के मुआवजे के भुगतान के लिए डिमाण्ड नोटिस जारी किया है। इन नोटिसों को सुनवाई का अवसर दिये बिना जारी किया गया था।

उड़ीसा और झारखण्ड में संबंधित राज्य सरकार के डिमाण्ड नोटिस का पालन नहीं करने के कारण 31 दिसंबर, 2017 के बाद सेल खानों को बंद करने के खतरे को कम करने के उद्देश्य से, सेल ने उड़ीसा और झारखण्ड सरकारों द्वारा जारी किये गये मांगों (कोयले के लिए नहीं) को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिका दायर की है। चूंकि, माननीय झारखण्ड और उड़ीसा उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य सरकारों के नोटिसों पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इस कारण से खानों को बंद होने से बचाने के लिए, सेल ने संबंधित उच्च न्यायालयों में दायर किए गए रिट याचिकाओं में दिए गए तर्कों और अधिकारों पर पूर्वाग्रह के बिना विरोध के अधीन ₹ 66.89 करोड़ (उड़ीसा सरकार) और ₹ 200.00 करोड़ (झारखण्ड सरकार) ने 30 दिसंबर, 2017 को जमा किया।

कोयला खानों के लिए प्राप्त नोटिसों को सेल द्वारा रिविजनल प्राधिकार (आर ए), कोयला मंत्रालय, (एमओसी), भारत सरकार के समक्ष दिनांक 14 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम 1 फरवरी, 2018 को चुनौती दी गई थी। कोयला मंत्रालय ने अगले आदेशों तक इन नोटिसों को कार्यान्वित किये जाने पर रोक लगा दी है और सेल के विरुद्ध कोई बाध्यकारी कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया।

परबतपुर और सीतानाला कोयला खंडों की वापसी

कोयला खनन पट्टे के क्षेत्र एवं कोयला भंडारों में कमी के कारण, हाल में आवंटित की गई दो कोकिंग कोयला खंडों नामतः परबतपुर और सीतानाला अव्यवहार्य हो गयी है। इस कारण से उचित विचार विमर्श करने के बाद आपकी कंपनी ने इन कोयला खंडों को मार्च 2018 में कोयला मंत्रालय (एमओसी) को वापस कर दिया है। सेल ने कोयला मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह इन खंडों के आवंटन के समय तथा नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप वापस किये गये खंडों के बदले में संभावित कोकिंग कोयला के आवंटन के लिए भी दी गई बैंक गारंटी सहित भुगतान की गई राशि को वापस करे।

बिक्री और विपणन

वर्ष 2017–18 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी सबसे अधिक बिक्री मात्रा अर्थात 14.1 मिलियन टन (मि. ट.) प्राप्त किया और इस प्रकार से सीपीएलवाई की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी को जारी रखते हुए, सेल ने 0.7 मि. ट. इस्पात का निर्यात किया और इस प्रकार से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग्रामीण क्षेत्र की विशाल संभावना का उपयोग करने के लिए, आपकी कंपनी ने इस्पात की जागरुकता में वृद्धि करने के लिए 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 114 **'गांव की ओर'** कार्यशालाओं का आयोजन किया। छोटे छोटे उपभोक्ता ध्यान का केंद्र बने हुए हैं और 0.8 मि. ट. इस्पात खुदरा विपणन माध्यमों से किया गया था।

साथ ही साथ आपकी कंपनी ने मूल्य वर्धित इस्पात की बिक्री के लिए अपना प्रयास जारी रखा। बोकारो में कोल्ड रोलिंग मिल#3 से आपूर्ति अत्यधिक आकर्षक, उच्च मूल्य के ऑटो क्षेत्र में उपभोक्ताओं को शुरू किया गया है।

भिलाई में यूनिवर्सल रेल मिल में उत्पादन शुरू करने के लिए, भारतीय रेलवे को लॉंग रेल पैनल (260 मीटर) की आपूर्ति ने 2017–18 में लगभग 112 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह मिल विश्व में सबसे बड़े एकल रेल (130 मीटर) का उत्पादन करता है।

आपकी कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे को रेल की समग्र आपूर्ति में 41 प्रतिशत वृद्धि की गई और यह 0.87 मि. ट. के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।

आपूर्ति को ग्राहक के अनुकूल बनाना, ग्राहक की संतुष्टि और राजस्व को अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। आपकी कंपनी ने 2017–18 में अपने सेवा केंद्रों से ग्राहक के अनुकूल आकारों में लगभग 50,000 टन इस्पात की आपूर्ति की जो इस बात को दर्शाता है कि इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आपकी कंपनी राष्ट्र के अवसंरचना क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान करना जारी रखे हुए है। प्लेट मिल प्लेटों, जो एक बड़ा इनपुट है, की बिक्री अधिकतम स्तर तक पहुंचकर 2.12 मि. ट. हो गयी और इस प्रकार से इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिक मात्रा में प्लेटों की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रतिष्ठित बिजली और सिंचाई परियोजनाओं को की गई थी।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्राप्ति नीति

भारत सरकार की सार्वजनिक प्राप्ति नीति में यथा अपेक्षित वित्तीय वर्षों 2017–18 और 2016–17 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्ति संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़)

विवरण	2017–18	2016–17
प्राप्ति की कुल राशि	4143.67	3246.42
एमएसई से कुल प्राप्ति	858.17	767.04
एमएसई से प्रतिशतता प्राप्ति	20.71	23.63

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

आपकी कंपनी चल रहे आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कंपनी ने अनेक लक्ष्य प्राप्त किये हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में, नया ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है और इसका नियमित संचालन किया जा रहा है। न्यू स्टील मेल्टिंग शॉप में कनर्वटर–1 से पहला हिट लिया गया है और ट्रायल चल रहा है। ₹ 5,130 करोड़ का पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किया गया है और 2018–19 के लिए पूंजी व्यय की योजना ₹ 4,000 करोड़ की है।

कार्यान्वयन के अधीन वर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) योजनाओं का विवरण प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट में किया गया है।

ग. मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

आपकी कंपनी इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए मानव संसाधन के योगदान को मान्यता देती है। कंपनी ने अपने मानव संसाधन में निवेश के माध्यम से श्रेष्ठता का अपना वर्तमान स्तर प्राप्त किया है जहां पर कौशल और ज्ञान प्रत्येक कदम के आधार पर गठन करता है, चाहे यह तकनीक हो या फिर नवोन्मेष। मानव श्रम के उपयोग और श्रमिक की उत्पादकता को सुधारने के लिए कर्मचारियों की कौशल और योग्यता को विकसित करना, कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधन (एच आर एम) का मुख्य प्रतिबल क्षेत्र है।

आपकी कंपनी ज्ञान के लिए एक हितकारी वातावरण प्रदान करती है, प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता और नवोन्मेष को विकसित करने, कर्मचारी सशक्तिकरण ओर विभिन्न सुधार गतिविधियों में उनकी संलिप्तता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवसायिक प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए एचआरएम के नीतिगत आवंटन ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में समृद्ध तकनीक की दिशा में निर्बाध पारगमन को सुगम बनाया है।

पुनर्गठित मानवशक्ति के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता

आपकी कंपनी ने वर्ष 2017–18 में 344 टी सी एस/ मानव/ वर्ष की श्रमिक उत्पादकता (एलपी) हासिल किया है। 31.03.18 तक कंपनी की मानव शक्ति 76,870 थी, वर्ष के दौरान मानव शक्ति का पुनर्गठन के साथ 6,094 की संख्या हासिल कर ली गई थी। विवेकपूर्ण तरीके से की गई भर्ती, पुनर्नियोजन रणनीति, बहु निपुणता, प्रतिबद्धता और कर्मचारियों में जुनून की बदौलत श्रमिकों के पुनर्गठन के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता को प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2007–08 से श्रमिकों के पुनर्गठन और बढ़ी हुई उत्पादकता के प्रवृत्ति को नीचे

देखा जा सकता है :

जनशक्ति और श्रम उत्पादकता (पिछले दस वर्षों के दौरान)

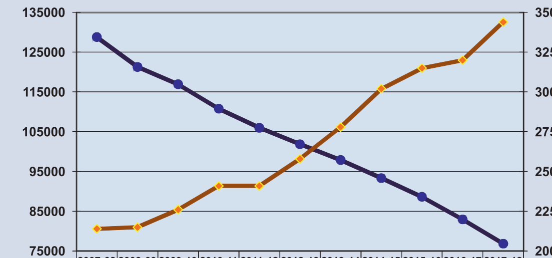

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जनशक्ति	128804	121295	116950	110794	106004	101878	97897	93352	88655	82964	76870
श्रम उत्पादकता	214	215	226	241	241	258	278	302	315	320	344

उत्पादकता में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरीः
214 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (2007–08) से बढ़ कर 344 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (2017–18)

कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता को विकसित करना

आपकी कंपनी विश्वास करती है कि लोगों का विकास समग्र विकास की कुंजी है और प्रशिक्षण कर्मचारी के ज्ञान और कौशल के विकास को सुगम बनाता है, ताकि योग्यता के कारण प्रगति संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में योगदान कर सके। सेल प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से संरक्षण, स्थानांतरण और कौशल में सुधार, ज्ञान और तकनीक और प्रमुख संस्थानों के सहयोग से प्रभावशाली प्रबंधकीय योग्यताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करके विभिन्न प्रशिक्षण ओर विकास की गतिविधियों के माध्यम से अनवरत प्रयास कर रहा है।

भविष्य के लिए कर्मचारी को तैयार करने, चुनौतियों को प्रभावशाली रूप से स्वीकार करने और नयी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को निभाने पर प्रमुख बल दिया जा रहा है। विभिन्न समकालीन तकनीक और प्रबंधकीय प्रतिमानों पर वर्ष के दौरान, 33,533 कर्मचारियों के स्थान पर कुल 41,355 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कर्मचारियों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध

सेल ने अनुकूल वातावरण के निर्माण एवं अनुरक्षण और कर्मचारी–नियोक्ता के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों को बनाये रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाये रखा है। श्रमिक संघो/श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान निकालने और निपटने के स्वस्थ अभ्यास ने विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करने और एक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध का वातावरण स्थापित करने में कंपनी को सक्षम किया। कुछ द्विपक्षीय मंच सत्तर के दशक के पूर्व से कार्य कर रहे हैं और श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित समय–समय पर उठने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं, इस तरह से एक सद्भावपूर्ण कार्य करने के वातावरण को स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं।

द्विपक्षीय मंच जैसे – स्टील उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस), सुरक्षा पर संयुक्त समिति, स्टील उद्योग में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (जेसीएसएस आई) आदि, मुख्य केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और संयंत्रों/ इकाइयों के प्रतिनिधि संघों के साथ समयकालिक आधार पर मिलते हैं और सुरक्षित एवं सद्भावपूर्ण कार्य संस्कृति को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से संस्तुतियों/कार्य–योजनाओं को विकसित करते हैं जिसे बहु–स्थलों पर विविध कार्य संस्कृति के साथ चिह्नित सेल संयंत्रों/इकाइयों द्वारा कई वर्षों के दौरान अपनाये गये सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों से सिद्ध किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता सर्किल, सुझाव योजनाएं, व्यापार स्थल कल्याण समितियां, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, उत्पादकता समिति आदि भी श्रमिकों की बढ़ी हुई सहभागिता के लिए विविध अवसर प्रस्तुत करते हैं। श्रमिकों को भी नीतिगत व्यापार निर्णयों के प्रति सचेत रखा जाता है जिस पर उनके विचार संरचित/ पारस्परिक संवाद कार्यशालाओं के माध्यम से मांगे जाते हैं।

कंपनी के प्रदर्शन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करने वाले और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के अंतर्गत, कंपनी भर में कर्मचारियों के साथ संरचनात्मक तरीके से संवाद स्थापित किया जाता है। कर्मचारियों के एक बड़े समूह के साथ संरचनात्मक विचार–विमर्श को सम्मिलित करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जनसंपर्क अभियानों का निष्पादन किया जाता है। ऐसे पारस्परिक संवाद कर्मचारियों को अपने कार्यों को लक्ष्यों और कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़ने में सहायता करता है जो न केवल उच्चतर उत्पादन और उत्पादकता का मार्ग प्रशस्त करता है, अपितु कर्मचारियों के अंदर अपनेपन की भावना में भी वृद्धि करता है।

शिकायत निवारण तंत्र

प्रभावशाली आतंरिक शिकायत निवारण तंत्र को अधिशासी अधिकारियों और गैर–अधिशासी अधिकारियों के लिए पृथक रूप से सेल संयंत्रों और इकाइयों में विकसित एवं स्थापित किया गया है। संयुक्त शिकायत समितियों का संयंत्र/इकाई स्तर पर शिकायतों के प्रभावशाली निवारण के लिए स्थापित किया गया है।

सेल संयंत्र/ इकाई 3 चरणों वाले शिकायत निपटान प्रणाली का अनुरक्षण कर रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन अनियमितता, कार्य करने की स्थितियों, स्थानांतरणों, छुट्टियों, कार्य आवंटन और कल्याण जन सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने के लिए एक अवसर दिया जाता है। वर्तमान में, स्टील संयंत्रों में

श्री सरस्वती प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेल बोकारो इस्पात संयंत्र की कोल्ड रोलिंग मिल–3 का दौरा करते हुए।

सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) द्वारा स्थापित सुविधाहीन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क विद्यालय – दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के नए परिसर का उद्घाटन।

विद्यमान वातावरण के प्रतिभागात्मक प्रकृति के दृष्टिकोण से अधिकतर शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। यह प्रणाली समावेशी, साधारण और लचीला है और यह कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच में सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित करने में प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

पिछले वर्ष से लंबित 16 शिकायतों के साथ, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त 376 कर्मचारियों की शिकायतों के विरुद्ध 97.34 प्रतिशत पूर्णता उपलब्धि के साथ 366 शिकायतों का निस्तारण वर्ष के दौरान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, 856 शिकायतों को केंद्रीकृत आम शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत सुधार (डी ए आर पी जी), भारत सरकार द्वारा प्रबंधित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रणाली, के अंतर्गत प्राप्त किया गया और 23 शिकायतों को पिछले वित्तीय वर्ष से इस वर्ष में स्थानांतरित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कुल 864 शिकायतों का निस्तारण किया गया, इस तरह से 98.20 प्रतिशत पूर्णता दर प्राप्त की गई। इस वर्ष के दौरान 92 प्रतिशत शिकायतों का निपटान 0–15 दिनों के भीतर किया गया है जबकि केवल 8 प्रतिशत शिकायतों का निपटान 16–30 दिनों की समय सीमा के भीतर किया गया था। भारत सरकार ने लोक शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की हुई है।

पारिश्रमिक नीति

सेल में, अधिशासी अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ स्टील मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित है। दिनांक 1 जनवरी, 2007 से लागू वेतन का अंतिम संशोधन दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार किया गया। गैर अधिशासी कर्मचारियों के मामले में, वेतन और मजदूरी को इस्पात राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विपक्षीय मंच पर अंतिम रूप संशोधित किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी, अंतिम एनजेसीएस अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था और उस पर दिनांक 1 जुलाई, 2014 को हस्ताक्षर किया गया था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते। अतः लाभ के न होने अथवा इसके पर्याप्त न होने की स्थिति में समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट में किए गए प्रकटन को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एंव समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पहल

सेल, नियुक्तियों और पदोन्नतियों के विषय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करता है। दिनांक 1.4.2018 के अनुसार 76,870 श्रम शक्तियों में से, 12,632 (16.43 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 11,309 अनुसूचित जनजाति (एस टी) (14.71 प्रतिशत) से आते हैं।

खदानों सहित, सेल के संयंत्र और इकाई अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रभुत्व वाले देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए, सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दिया है। इनमें से कुछ योगदान नीचे दिए हैं:

- गैर अधिशासी कर्मचारियों, जो कुल कर्मचारियों का करीब 85 प्रतिशत हैं, की भर्ती मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है और बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात संयंत्रों के आसपास सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इसने स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विकास के अवसर पैदा किए हैं।
- अस्थायी और सामायिक प्रकृति के नौकरियों के लिए, ठेकेदार साधारणतः स्थानीय क्षेत्रों से श्रमिकों को नियुक्त करते हैं जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए फिर से एक अवसर प्रदान करता है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल इस्पात संयंत्रों की स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को एक प्रोत्साहन दिया है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के सेवाओं को प्रदान करते हुए पिछड़ी जनसंख्या को लाभ पहुंचाया है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगरी में उत्तम चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो स्थानीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य लोगों के लिए एक सुखद स्थान के समान है, जो सेल के साथ–साथ समृद्धि के फलों का लाभ उठाते हैं।

सेल ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :

- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र के ठिकानों पर केवल निर्धन, सुविधा से वंचित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय प्रारंभ किया गया है। इन उपलब्ध सुविधाओं में – निःशुल्क शिक्षा, अपराह्न का भोजन, पोशाक, जूते, पाठ्य–पुस्तकें, लेख–पाठन सामग्री, स्कूल बस्ता, पानी की बोतल सहित और कुछ प्रकरणों में परिवहन शामिल हैं।
- कम्पनी की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

- निर्धनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों को भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर में स्थापित किया गया है, जहां पर मुख्यतः एससी/एसटी एवं समाज के दुर्बल वर्गों सहित, बाहरी जनसंख्या को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, औषधियां आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।
- सेल संयंत्रों ने जनजातीय बच्चों को गोद लिया है । उनको निःशुल्क शिक्षा, पोशाक, पाठ्य–पुस्तकें, लेखन सामग्री, भोजन, आवासीय छात्रावासों में उनके संपूर्ण विकास के लिए रहने, खाने एवं चिकित्सा सुविधाएं, सारंडा सुवन छात्रावास, ज्ञानोदय छात्रावास और निकट लुप्तप्राय बिरहोर जनजाति के लिए एक विशेष ज्ञान ज्योति योजना आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कौशल विकास और बेहतर सेवा नियोजनीयता के लिए, जनजाति विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को आईआईटी/ जेईई प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रमुख संस्थानों में शिक्षण के लिए और विभिन्न आईआईटी, नर्सिंग और अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वृत्ति, आवास, परिवहन और भोजन की सुविधा के साथ प्रशिक्षणों के लिए प्रायोजित किया गया है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार सेल संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के समुचित अनुपालन के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ सभी मुख्य संयंत्रों/ इकाइयों में कार्य कर रहा है। सभी डीपीसी/चयन समितियों से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक सदस्य जुड़ा रहता है। भर्ती बोर्ड/ चयन समितियों/डीपीसी के स्तर के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है।
- सेल के संयंत्रों/यूनिटों के अ.जा./ अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से नियमित अंतराल पर संपर्क अधिकारियों के लिए आंतरिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति एवं अन्य संबद्ध मामलों के बारे में उन्हें अद्यतन रखा जा सके ।
- सेल के संयंत्रों/ यूनिटों के अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो कि आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अलावा, सेल में अनुसूचित जाति/ जनजाति कर्मचारियों के मुद्दों के समन्वित प्रतिनिधित्व के लिए सेल अनुसूचित जाति/ जनजाति एम्पलॉइज फेडरेशन नामक एक सर्वोच्च स्तरीय निकाय भी है। निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर संघ के साथ बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

आरटीआई 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत, प्रावधानों को सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा पालन किया जा रहा है। सभी वैधानिक प्रतिवेदनों को, वार्षिक प्रतिवेदन सहित, इस्पात मंत्रालय में भेजा रहा है और कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर अपलोड किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रश्नों के द्रुत निवारण के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 5 एवं 19(1) के अंतर्गत, जनसूचना अधिकारियों (पी आई ओ)/सहायक जन सूचना अधिकारियों, पुनर्वादी प्राधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसकी धारा 5(5) के अंतर्गत, पी आई ओ को सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों/पंक्ति प्रबंधकों को डीम्ड पी आई ओ कहा जाता है और आवेदक को समय से सूचना उपलब्ध कराने की दिशा में उनको पीआईओ की तरह समान रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ, एक विशिष्ट आर टी आई पोर्टल विकसित किया गया है। सभी संयंत्रों/ इकाइयों ने 17 हस्त पुतिस्काओं को सूचीबद्ध किया है और अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों के विवरणों को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर त्रैमासिक और वार्षिक लाभों को सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऑनलाइन अनुरोध का क्रियान्वयन 1 मई 2015 से पहले से ही आरंभ कर दिया गया है। कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों के अभिलेख को बनाये रखने की नीति के संकलन को भी कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआईसी, डीओपीटी परिपत्रों और उच्च न्यायालय के वादों के महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आरटीआई के अंतर्गत, सरकारी प्राधिकारियों के आभार पर जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं को सभी संयंत्रों/इकाइयों में आयोजित किया जा रहा है और सूचना आयुक्त अधिकतर इन सभी कार्यक्रमों को संयत्रों, इकाइयों और कॉरपोरेट कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित करते हैं।

सेल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 3364 आवेदन और 625 अपील प्राप्त की जिसमें से सभी आवेदनों और अपीलों का निपटारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया है। सीआईसी ने भी 70 मामलों पर कार्यवाही की है और इनमें से अधिकांश का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया है।

इस अधिनियम को बनाये जाने के समय से, सेल को 31 मार्च, 2018 तक कुल 38,710 आवेदन और 5,760 अपील प्राप्त हुई हैं, जिनका निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया था। इनमें से 736 मामलों पर सी आईसी द्वारा कार्यवाही की गई थी और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया था।

नागरिक अधिकार – पत्र (सिटिजन चार्टर)

सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, आपकी कंपनी नागरिकों को पहचानने की एक स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अच्छे शासन, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मुख्य नीतियों के लिए उनके साथ हमारे संवाद के माध्यम से जन सेवा प्रदान करने में श्रेष्ठता के प्रति पूर्ण से समर्पित है।

सेल के नागरिक अधिकार – पत्र (सिटीजन चार्टर) अपने दावेदारों के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, जिसके द्वारा बेहतर उत्पादों और सेवाओं की मांग के लिए उनको सशक्त किया गया। सेल के नागरिक अधिकार पत्र के उद्देश्यों को निम्नानुसार संक्षिप्त किया जा सकता है :

- उत्पादों और सेवाओं में सुधार लाने के लिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाकर इसकी सभी प्रकियाओं को नागरिक केंद्रित बनाये जाने को सुनिश्चित करना।
- प्रभावशाली नागरिक संवाद माध्यमों को सुनिश्चित करना ।
- कॉरपोरेट वेबसाइट पर नागरिक अधिकार–पत्र की मेजबानी के द्वारा अपने व्यापार संचालनों की पारदर्शिता और खुलेपन को प्रदर्शित करना।
- असफल सुरक्षित प्रक्रियाओं के द्वारा नागरिकों के लिए प्रसन्नता की दिशा में कार्य करना और संकटकाल की स्थिति में, शिकायत निवारण, शिकायत निपटान आदि, जैसे इसकी सेवा प्रतिलाभ प्रकियाओं को प्रभावित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 :

कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। इन समितियों को यौन–उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए स्थापित किया गया है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, प्राप्त यौन–उत्पीड़न की शिकायतों और उनके निस्तारण का विवरण नीचे दिया गया है:

प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	2
निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या	:	2

घ) वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कार और सम्मान

कंपनी स्तर

- आपकी कंपनी को वर्ष 2015 के लिए 3 प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (18 कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) जीते हैं।
- आपकी कंपनी ने प्रदर्शन वर्ष 2015 के लिए 8 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (34 कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) जीते हैं।
- आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए "मानव संसाधन प्रबंधन में उत्तम अभ्यासों के लिए स्कोप सराहनीय पुरस्कार" की स्वर्ण ट्राफी जीती है।
- आपकी कंपनी ने 28 फरवरी, 2018 को सर्वांगीण सुधार (वित्तीय) श्रेणी में शासन एनओडब्ल्यू पुरस्कार जीते हैं।
- सेल की "इस्पात भाषा भारती" को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष 2016–17 के लिए सर्वश्रेष्ठ इनहाउस जर्नल के लिए प्रथम पुरस्कार मिला।

इस्को (आईआईएससीओ) इस्पात संयंत्र

- इस्को इस्पात संयंत्र को भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में 14 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (बीईई) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पीएटी (अच्छा कार्य निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार) योजना साइकल के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा की बचत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ परफार्मर अवॉर्ड मिला।

कच्चा माल प्रभाग

- किरिबुरु लौह अयस्क खान को पर्यावरण संरक्षण एवं सततता प्रयास में इसके समग्र सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए रांची में भारतीय खान ब्यूरो

वर्ष 2015 (2017 में प्रदत्त) विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन समारोह।

द्वारा 25वीं खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण (एमई एंड एमसी) सप्ताह समारोह 2018 के दौरान पहला पुरस्कार मिला।

अलॉय इस्पात संयंत्र

- अलॉय इस्पात संयंत्र को आयात किये गये प्रतिस्थानापन्न इस्पात प्लेटों का स्वदेशीकरण करने, विकास और आपूर्ति करने के लिए आयुद्य फैक्टरी–मेडक (ओएफ–एम) से सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन वेंडर 2017 अवार्ड प्राप्त हुआ।

ङ पर्यावरणीय प्रबंधन

पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन एवं छोड़े जाने के लिए लागू अधिसूचित पर्यावरण संबंधी मानदंडों और विभिन्न अपशिष्टों, जिसका उत्पादन संयंत्र के परिसरों तथा टाउनशिप में किया गया जा रहा है, पारि–अनुकूल प्रबंध से संबंधित नियमों के क्षेत्र के अंतर्गत, सेल के संयंत्र और खान पारिस्थितिकी के संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी प्रक्रियाओं को प्रचालित करते हैं। आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट पर्यावरणीय नीति के अनुरूप पर्यावरण संबंधी दृष्टि भी तैयार की है जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता का समाधान करता है बल्कि उससे आगे भी कुछ करने पर बल देता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी स्टेकहोल्डर की चिंताओं को दूर करने और सभी स्टेकहोल्डरों को अपनी पर्यावरण संबंधी दर्शन के बारे में सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्सर्जन और निरावेशन में सुधार

सेल के संयंत्र और खान दक्षतापूर्वक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं को प्रचालित कर रहा है और नई सुविधाओं को सृजित कर/ उसे कार्यक्षम बनाकर/उसे पुनर्जीवित कर नियमित रूप से कायम रख रहा है और उनकी जब कभी आवश्यकता हो, लागू पर्यावरणीय मापदंडों जो दिन ब दिन और अधिक कठोर होता जा रहा है, का पालन करने के उद्देश्य से उन्नयन कर रहा है।

पार्टिकुलेट मेटर (पीएम) उत्सर्जन लोड (कि.ग्रा. प्रति टीसीएस) पिछले पांच वर्षों में लगभग 14 प्रतिशत कम हुआ है। विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के दौरान, नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को स्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रदूषण स्तर और CO_2 के उत्सर्जन में भी कमी आई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विशिष्ट CO_2 उत्सर्जन (टी/ टीसीएस) में लगभग 5 प्रतिशत कमी की गई है। प्रवाहित बर्हिस्राव में विशिष्ट बहि–स्राव के लोड में पिछले पांच वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक कमी आई है।

ऊर्जा कार्यक्षम प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/सुविधाओं को अपनाना

कंपनी की आधुनिकीकरण विस्तार योजना के दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए और संस्थापित नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के लिए कदम के रूप में अपनाए गए कुछ प्रमुख सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियां नीचे दिए गए अनुसार हैं :

- बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी ने भूमि आधारित पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, कोक ड्राय कूलिंग संयंत्र आदि से सज्जित अपेक्षाकृत उच्चतर क्षमता (टॉल) कोक ओवन बैट्रियां।
- आरएसपी और आईएसपी सिंटर कूलर से उन्नत इग्निशन सिस्टम (मल्टी–सिल्ट बर्नर), अपशिष्ट ताप प्राप्ति सुविधा से सज्जित सिंटर संयंत्र।
- बीएसपी, आरएसपी, और आईएसपी में टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी), वेस्ट हीट रिकवरी फेसेलिटी, पलवराइज्ड कोल इंजेक्शन, कास्ट हाउस डी–डस्टिंग सिस्टम, कास्ट हाउस स्लेक ग्रेनुलेशन प्लांट और टोरपिडो लेडल से सज्जित अपेक्षाकृत अधिक क्षमता का ब्लास्ट फर्नेस।
- सेल के सभी संयंत्रों में अधिक ऊर्जा खपत होने वाली इनगोट माध्यम को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
- सभी संयंत्रों में ऊर्जा की खपत और CO_2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए रॉलिंग मिल में पुशर टाइप आरएचएफ के स्थान पर वाकिंग बीम रिहीटिंग फर्नेश (आरएचएफ)।

नई पहलें

क. पोली क्लोरिनेटिड बाई–फेनाइल्स (पीसीबी'एस) – एक विषैला पर्यावरणीय प्रदूषण पदार्थ का पारि अनुकूल में निपटारा करना।

भिलाई इस्पात संयंत्र ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यू एन आईडीओ की भागीदारी से अपने स्थलों पर सतत् ऑर्गेनिक प्रदूषक पदार्थों (पीओपी) के रूप में श्रेणीकृत पोलीक्लोरिनेटिड बाई–फेनाइल (पीसीबी) के लिए एक निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के दिसंबर, 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है।

ख. CO_2 का जैव अधिग्रहण

सीओ2 के उत्सर्जन में कमी और प्रणाली में वापस उत्पादित कार्बन को अधिग्रहित करने के उद्देश्य से सेल एक ओर अपना कार्बन छाप का आकलन कर रहा है और दूसरी ओर मौजूदा जैवीय संसाधनों के माध्यम से CO_2 को अधिग्रहित करने की संभावना का आकलन कर रहा है। पौधा रोपण के माध्यम से कार्बन के अधिग्रहण के संबंध में एक परियोजना राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्थल पर शुरू किया गया है। मैसर्स ट्रॉपिकल वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को फरवरी, 2014 में इस परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए अधिग्रहण भागीदार के रूप में कार्य में लगाया गया है। यह परियोजना मार्च, 2019 तक चलती रहेगी।

ग. 4आर (कमी, पुनःउपयोग, रिसाइक्लिंग और रिकवरी) को लागू कर अपशिष्टों के उपयोग में वृद्धि करना :

संयंत्र के चारदीवारी के भीतर उत्पन्न हो रहे अपशिष्टों के उपयोग में वृद्धि करने के उद्देश्य से, हाल के वर्षों में कुछ आर एंड डी आधारित पहल जैसे बीओएफ स्लैग को भाप से परिपक्व करना, बीओएफ स्लैग का ड्राई ग्रेनुलेशन, रेल ट्रैक

ब्लास्ट के रूप में बीओएफ स्लैग का उपयोग, प्राकृतिक संचित होने वाले पदार्थों के प्रतिस्थानापन्न के रूप में बीएफ और बीओएफ स्लैग का उपयोग, सड़क बनाने में बीएफ/ बीओएफ स्लैग का उपयोग हाल के वर्षों में शुरू किया गया है।

घ. एक नए युग की ओर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

आपकी कंपनी ने 2019 तक 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को संस्थापित करने का एक लक्ष्य रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किये जाने वाले कुछ प्रमुख पहल विचाराधीन हैं :

- भिलाई में 7 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट।
- दुर्गापुर में 20 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट।
- बीएसएल के भवनों पर 2 मेगावाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट।
- कुल्टी में 20–25 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट।
- वेयरहाउस सहित सेल के विभिन्न भवनों पर 17 मेगावाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट।

ङ. राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा एक ग्रीन पहल

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) हाल में सड़क निर्माण के हॉट मिक्स में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए एक ग्रीन पहल शुरू की है। पाइलट परियोजना के रूप में एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है। आरएसपी और अन्य संयंत्रों में और अधिक सड़कों का निर्माण किए जाने की योजना है।

आईएसओ–14001:2015 के साथ पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

आई एस ओ 14001 के साथ संबद्ध पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) प्रकियाओं और पद्धतियों का एक समूह है जो एक संगठन को अपने पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और अपनी दक्षता को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ईएमएस के क्रियान्वयन ने संयंत्रों और खदानों को यह सुनिश्चित करने में सहायता की है कि उनका प्रदर्शन नियामक आवश्यकताओं के अंदर बना रहे।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, ईएमएस (आईएसओ–14001:2015) का कार्यान्वयन गुआ अयस्क खान और कोलिरियों में शुरू किया गया है। यह भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्टार रेटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पूर्व अपेक्षा है। यह प्रणाली कानपुर में सी एम ओ वेयरहाउस में भी कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अलावा विपणन विभाग के अंतर्गत 13 वेयरहाउस का प्रमाणन आईएसओ 14001:2015 के अनुकूल पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से आज की तारीख तक किया गया है।

दीर्घस्थायी विकास परियोजनाएं

डीग्रेडिड पारि–प्रणाली को पूर्व स्थिति में लाने और उसका पुनर्वासन करना जैव विविधता को कायम रखने और उसमें वृद्धि करने तथा पारि–प्रणाली सेवाओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक है। पूर्णपाणि लाइमस्टोन की खान में खाली जगह के जल निकाय और खनन किये गये क्षेत्र को दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से पारिस्थितिकीय रूप में पूर्व स्थिति में लाने का कार्य शुरू किया गया है।

पौधारोपण

आपकी कंपनी संपूर्ण पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रयास में पौधारोपण की भूमिका को समझती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि कार्बन सिंक के रूप में पौधे पारिस्थितिकी प्रणाली और उसकी कार्य–प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संयंत्रों के विशाल योगदान को ध्यान में रखकर, सेल अपने प्रारंभिक चरण से अपने संयंत्रों और खानों में ईमानदारी से व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम काफी समय से करता आ रहा है। 20.1 मिलियन से अधिक नए पौधों को आज की तारीख तक सेल के सभी संयंत्रों और स्थानों में लगाया गया है। पौधारोपण के लिए विशेष बल देते हुए 8.27 लाख से अधिक नए नए पौधे वर्ष 2017–18 के दौरान लगाये गए हैं।

च. कंपनी की नीतिगत पहल

आपकी कंपनी ने एक बहु–आयामी पद्धति को अपनाया है जिसमें नीतिगत भागीदारों के माध्यम से जैविक विकास, ब्राउन–फील्ड परियोजनाएं, तकनीक के नेतृत्व को सम्मिलित किया गया है जो नए खदानों को विकसित करके, सहायक क्षेत्रों में विविधता लाकर कच्चे माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। उपरोक्त पद्धति के अनुरूप, सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे विद्युत उत्पादन, रेल डिब्बों का निर्माण, सीमेंट चूर्ण का उत्पादन, विदेशी स्रोतों से कोकिंग कोल की आपूर्ति को सुरक्षित करना आदि संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया है। ऐसे क्षेत्रों में नई पहल जैसे सेल की टाउनशिप में बिजली के वितरण और शिक्षा से संबंधित सुविधाओं आदि की आउट सोर्सिंग करने पर वर्तमान में संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। आपकी कंपनी द्वारा हाल ही में उठाये गये, नीतिगत कदमों की स्थिति निम्नानुसार है :

प्रतिकूल व्यापार वातावरण की चुनौतियों को पूरा करने के उद्देश्य से, कंपनी वार सर्वांगीण सुधार कार्यक्रम 2016–17 के दौरान शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम सेल की व्यापार नीतियों और प्रकियाओं की समीक्षा करने तथा इसे कारगर बनाने, सतत् बाजार नेतृत्व का निर्माण करने और कंपनी को लाभप्रदता की ओर ले जाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) जो एक अग्रणी वैश्विक प्रबंधन परामर्शदाता है, को कंपनी के स्वास्थ्य का अध्ययन करने, इसके सर्वांगीण सुधार के लिए उपयुक्त

किरिबुरु खान में लेक गार्डन।

मेक इन इण्डिया के अंतर्गत, सेल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने कोलकाता मेट्रों के लिए मेट्रों रेलवे व्हील की पहली खेप प्रेषित की।

उपाय का सुझाव देने और सर्वांगीण सुधार के लिए अनुमोदित मार्ग चित्र के कार्यान्वयन के लिए सेल को हैंड होल्डिंग सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए निश्चित किया। यह कार्यक्रम जिसका नाम 'सेल उदय' है, का अध्ययन चरण बीसीजी द्वारा 'व्यापक सर्वांगीण सुधार मार्ग चित्र' रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ अक्टूबर 2017 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस मार्ग चित्र में कच्चे मालों, उत्पादन, बिक्री और विपणन, आपूर्ति श्रृंखला एवं संभार तंत्र, जनशक्ति एवं उत्पादकता आदि सहित कंपनी की विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए 260 से अधिक सिफारिशें शामिल हैं। आपकी कंपनी ने अब उन सिफारिशों के कार्यान्वयन को शामिल करते हुए 'सेल उदय' कार्यक्रम के अगले चरण को शुरू किया है जो कंपनी की सर्वांगीण सुधार को प्राप्त करने में योग करेगा।

सेल संयंत्रों का विनिवेशः दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को भारत सरकार (जीओआई) ने सेल की तीन इकाइयों अर्थात् और सेलम स्टील संयंत्र (एसएसपी), सेलम, विश्वश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी), भद्रावती और अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर के नीतिगत विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। नीतिगत विनिवेश की समग्र प्रक्रिया का पर्यवेक्षण इस्पात मंत्रालय (एमओएस) द्वारा गठित और सचिव, इस्पात की अध्यक्षता वाली एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा किया जा रहा है।

सेल के बोर्ड ने इन इस्पात संयंत्रों के नीतिगत विनिवेश का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी ने लेन देन सलाहकार (टीए), कानूनी सलाहकार (एलए), परिसंपत्ति मूल्यांकक (एवी) और कर एवं लेखांकन सलाहकार (टीसीए) की नियुक्ति की है।

भारत सरकार/इस्पात मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने पर, 1 फरवरी, 2018 को एएसपी के विनिवेश के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) रुचि की अभिव्यक्ति अनुरोध (ईओआई), एएसपी दुर्गापुर के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए आम सूचना 14 फरवरी, 2018 को जारी की गई थी। प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

वीआईएसपी और एसएसपी के नीतिगत विनिवेश के लिए पीआईएम/ईओआई अनुरोध इस्पात मंत्रालय को नीतिगत विनिवेश से संबंधित रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करते हुए आम सूचना जारी करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु इस्पात मंत्रालय को क्रमशः 2 मई, 2018 और 9 मई, 2018 को भेजी गयी थी। भारत सरकार से स्वीकृति प्रतीक्षित है।

पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के टाउनशिप में कंपनी द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों की आउटसोर्सिंग

सेल की आउटसोर्सिंग नीति में गैर प्रमुख क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग के लिए लक्ष्य और ढांचे का निर्धारण किया गया है। आउटसोर्सिंग नीति द्वारा प्रदान किए गए समग्र ढांचे के आधार पर, गैर प्रमुख क्रियाकलापों जैसे टाउनशिप का अनुरक्षण, कंपनी के स्वामित्व वाले विद्यालयों का अनुरक्षण, इस्पात टाउनशिप में बिजली का वितरण, कोयला रख–रखाव संयंत्र, यातायात प्रणालियों, लोको और वैगन की मरम्मत जैसे कार्यों की आउटसोर्सिंग के विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान और संविदाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी कार्यवाही शुरू की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में रौघाट – जगदलपुर रेल गलियारे का विकासः छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के पिछड़े क्षेत्रों का वृहत्तर सामाजिक–आर्थिक विकास करने के उद्देश्य के साथ और इस संभाग की औद्योगिक प्रगति और उत्खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु, रौघाट से जगदलपुर तक एक रेल गलियारे के विकास के लिए सेल, एनएमडीसी लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में एक एमओयू पर मई, 2015 को हस्ताक्षर किये गये। इस रेल गलियारे का उपयोग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में माल भाड़े और यात्री सेवाओं के लिए किया जायेगा। 'बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड' शीर्षक के अंतर्गत, एक संयुक्त उपक्रम कंपनी को मई, 2016 में समाविष्ट किया गया है। परियोजना पूर्व क्रियाकलापों को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

ऑटोमोटिव इस्पात के उत्पादन के लिए आर्सेलर मित्तल के साथ जेवीः सेल और आर्सेलर मित्तल ने भारत में एक संयुक्त उपक्रम (जे वी) के अंतर्गत, एक ऑटोमोटिव स्टील निर्माण की सुविधा स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए 22 मई, 2015 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रस्तावित जेवी 1.5 एमटीपीए की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक कोल्ड रोलिंग मिल (सी आर एम) और अन्य डाउनस्ट्रीम फिनिशिंग सुविधाओं का निर्माण करेगा जो भारत की तेजी से बढ़ती हुई ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत इस्पात उत्पादों को उपलब्ध करायेगा। सीआरएम के लिए इनपुट माल की आपूर्ति सेल की राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्थित अपकमिंग हॉट स्ट्रिप मिल से आपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार से यह भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक पूर्ण रूप से एकीकृत स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला होगी। इस प्रभाव में, एक कानूनी रूप से अबाध्यकारी टर्म शीट पर सेल और आर्सेलर मित्तल द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जिसमें मूल सिद्धांत निर्धारित किए गए गए हैं, जिसके आधार पर सेल और एएम प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के निर्माण की कार्यवाही करने पर सहमत होते हैं।

चालू न रहने और निष्पादन न करने वाले संयुक्त उद्यम कंपनियों को बंद करना/उससे बाहर निकलना

सेल ने कुछ संयुक्त उद्यम कंपनियों जो या तो कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा जिनका कार्य निष्पादन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, को बंद करने/उससे बाहर निकलने के लिए कार्यवाही शुरू की है। इसके अलावा, कुछ संयुक्त उद्यम कंपनियों में सेल के निवेश का मौद्रीकरण करने के विकल्पों की भी तलाश की जा रही है।

व्यवसायिक श्रेष्ठता की पहल

प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन

अधिकतर सेल संयंत्रों/ इकाइयों को आईएसओ 9000, आईएसओ 14000,

ओएचएसएएस 18000 और एसए 8000 प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रमाणित है। डीएसपी और में हाल में जोड़ा गया था जिसने आईएसओ 50000 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है। डीएसपी ने आईएसओ 27000 (सूचना सुरक्षा प्रणाली) प्रमाणन भी प्राप्त कर लिया, जिसे पहले डीएसपी, बीएसएल एवं आरडीसीआई एस द्वारा प्राप्त किया गया था।

वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित प्रमाणन प्राप्त किये गए :

- बीएसपी – आईएसओ 50000 : ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और आई एस ओ 27000 आई एस एम एस प्रमाणन प्राप्त किया।
- आईएसपी – नए वायर रोड मिल, यूनिवर्सल सेक्शन मिल, बार मिल, कच्चा माल रख–रखाव संयंत्र और सिंटर संयंत्र आई एस ओ 9000 क्यूएमएस से प्रमाणित है।
- आरएसपी – संपूर्ण संयंत्र एस ए 8000: 2014 वर्जन के अनुसार प्रमाणित है।
- डीएसपी – मीडियम स्ट्रक्चरल मिल आई एस ओ 9000 क्यूएमएस से प्रमाणित है।

आईटी से संबंधित उपाय

आपकी कंपनी ने बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों और दर्शन के साथ विधिवत जुड़कर, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपायों को लागू किया है।

आपकी कंपनी उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) के क्षेत्र के अंतर्गत अपने व्यापार प्रचालनों के कवरेज को कार्यान्वित कर रहा है और उसका विस्तार कर रहा है। भिलाई, दुर्गापर, बोकारो और राउरकेला में चार एकीकृत उत्पाद संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) ने पहले ही ईआरपी का कार्यान्वयन किया है और इसे इसके द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है। इस्को इस्पात संयंत्र और इसके कॉरपोरेट कार्यालय ई आर पी के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

सेल ने आपूर्तिकर्त्ता संबंध प्रबंधन (एसआरएम)/ई–खरीद भी कार्यान्वित किया है। इसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता और बेहतर बाजार पहुंच हुआ है। ऑन लाइन ग्राहक पूछताछ प्रणाली और सी आर एम ग्राहकों और निर्माण प्रक्रियाओं के बीच बेहतर इंटरफेस उपलब्ध करा रहा है जिसके माध्यम से ग्राहक का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

विनिर्माण कार्यान्वयन प्रणाली (एमईएस) ने आपकी कंपनी को उत्पादन और सहयोगी प्रक्रियाओं की लागत/ गुणवत्ता और सुपुर्दगी में सक्षम बनाकर बाजार की अपेक्षाओं को प्राप्त करने में लाभ पहुंचाया है।

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) पूरे सेल में कार्यान्वित किया गया है और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आवेदनों को जी एस टी अनुकूल बनाया गया है। जीएसटी विवरणी दायर करने के लिए प्रक्रिया को आवेदन सेवा प्रदाता (एएसपी) और जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) के माध्यम से स्वचालित किया गया है।

भारत सरकार की 'डिजिटल इण्डिया पहल' को कार्यान्वित करने के अनुसरण में, कागज रहित कार्यालय दृष्टिकोण को व्यापार/कर्मचारी कल्याण क्षेत्रों में एसएमएस/ ई–मेल और विभिन्न मोबाइल अनुप्रयोगों का उपयोग के माध्यम से ऑटोमेटिव ई–संचार का सहारा लेकर अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, नकद रहित लेनदेन कार्यान्वित किया गया है, जिसमें सभी भुगतान और प्राप्तियों को नकद रहित डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, जिसके कारण आपकी कंपनी ने 'डिजिटल माध्यमों से भुगतान को बढ़ावा देना' के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। कंपनी में ई–खरीद और ई–निविदा का अधिकतम उपयोग करने के लिए उपाय भी किये जा रहे हैं।

आंकड़ों के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी संयंत्रों/ इकाइयों में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) : आई एस ओ प्रमाणन के लिए कदम उठाये गये हैं।

आपकी कंपनी ने उच्च परिभाषा वाले वीडियों कांफ्रेंसिंग प्रणाली में उन्नयन किया है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसने नीतिगत योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया है और लागत प्रभावी तथा समय की बचत के रूप में ही यह सिद्ध हुआ है।

कॉरपोरेट संवाद

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ संपर्क में रहने के लिए नए एवं अभिनव तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता को समझते हुए अपने संयंत्रों और इकाइयों में अनेक बृहत समूहों चर्चा आयोजित की हैं, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक सहित शीर्ष प्रबंधन ने कर्मचारियों के साथ दो तरीके से संवाद किया और इन्हें कंपनी के सक्षम चुनौतियों की सूचना दी है और उन्हें बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, कंपनी अपने संवाद पहलों एक व्यापक दृष्टिकोण के बाद प्रबंधन की नए वर्ष का संदेश, इन्ट्रानेट, न्यूजलेटर आदि माध्यमों का उपयोग करते हुए आंतरिक संवाद करती रही। सेल का इन्ट्रानेट कर्मचारियों को कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, विभिन्न प्रतियोगिताओं/ प्रश्नोत्तरियों में भाग लेने के लिए परस्पर बातचीत का मंच उपलबध कराता है और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अपने फीडबैक साझा करने की अनुमति देता है। सेल का समाचार – हमारा आंतरिक न्यूज लेटर सूचना से संबंधित, प्रेरणादायक, कर्मचारी एवं उत्पाद केंद्रीत विषयवस्तु के साथ न केवल प्रभावी रूप से संवाद करता है बल्कि कंपनी के कर्मचारियों में गौरव का भाव भी बढ़ाता है।

आपकी कंपनी की ब्रांड छवि बनाने, इसके उत्पादों और उनके प्रयोगों का संवर्द्धन करने, राष्ट्रीय निर्माण, मेक इन इण्डिया अभियान में इसकी भूमिका को उजागर करने तथा बाहरी स्टेक होल्डरों के साथ प्रभावी रूप से संवाद करने के उद्देश्य, आपकी कंपनी कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लेती है, विज्ञापन जारी करती है, अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उपस्थिति बनाए रखती है, विभिन्न कार्यक्रमों आदि का प्रायोजन करती है।

आपकी कंपनी ने विजन जम्मू एवं कश्मीर 2018, अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी सोर्सिंग शो 2018 (चेन्नई), गुवाहाटी, असम में आयोजित उभरता हुआ नॉर्थ ईस्ट 2018, जयपुर, विशाखापतनम में प्रदर्शनियों आदि सहित पूरे वर्ष के दौरान अनेक घरेलू

वर्ष 2011 से 2016 (2018 में प्रदत्त) प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड विजेताओं का अभिनंदन समारोह।

प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लिया। सेल पिछले दो दशकों से नियमित रूप से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सफलतापूर्वक भाग भी लेता रहा है। इस्पात के विभिन्न उत्पादों और प्रयोगों को दर्शाते हुए सेल की सलेम स्टेनलैस स्टील का विशेष रूप से तैयार किया गया 'सेल लॉयन'– ए फिगररिन आई आई टी एफ–2017 में एक प्रमुख आकर्षण था। आपकी कंपनी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों अर्थात आई एन डी ई ई (भारतीय अभियांत्रिकी एक्सपोजिशन) बांग्लादेश, एमएसवी अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी मेला (जेक रिपब्लिक), भारतीय सोर्सिंग मेला 2018 (रूस) और जर्मनी में हनोवर मेसी 2018 में भी भाग लिया। इसके अलावा, कंपनी ने अनेक खेल–कूद, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी प्रायोजन किया है, जो सेल के व्यापक दृश्यता प्रदान की।

आपकी कंपनी ने दृश्य रूप से आकर्षक क्रिस्प, ट्रेंड के अनुसार और भावानात्मक संपर्क उत्पन्न करने वाले विज्ञापन बनाये हैं जो सेल के उत्पादन के 60वें वर्ष की याद दिलाते हुए व्यापक रूप से समाज को 'ब्रांड सेल' का अर्थ बताने में सफल रहा। इसमें आपकी कंपनी को विभिन्न रूपों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑन लाइन, मोबाइल आदि में दर्शनियता प्रदान की। ग्रामीण आधार पर केंद्रित सेल का विज्ञापन संगठन की ग्रामीण विपणन पहलों को सहयोग प्रदान करता है। सेल की वेबसाइट हमारे निवेशकों और अन्य महत्वपूर्ण स्टेक होल्डरों को सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है। आपकी कंपनी ने इस्पात निर्माण, सुरक्षा, स्वच्छता, सतर्कता, इस्पात का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण पहल आदि जिसे विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दर्शाया गया है, सहित विविध विषयों पर अनेक फिल्में भी बनाई हैं।

छ. सतर्कता की गतिविधियां

सेल की सर्तकता का उद्देश्य संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाये रखते हुए लोगों को एकाग्रता, दक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सतर्कता विभाग निरोधात्मक, सह क्रियाशील और दंडात्मक कार्यवाही का निष्पादन करता है, निरोधात्मक और सह क्रियाशील क्रियाकलापों पर अधिक बल देता है। निम्नलिखित गतिविधियां को वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सम्पन्न किया गया :

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता के प्रति जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए, सतर्कता जागरूकता सत्रों और कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में नियमित रूप से किया गया। 2838 प्रतिभागियों को सम्मिलित करते हुए कुल 145 कार्यशालाओं का आयोजन व्हिसल ब्लोअर पालिसी, खरीद/ अनुबंध पद्धतियों, आर टी आई अधिनियम, आचरण एवं अनुशासन के नियम, प्रणाली और सेल में पालन की जा रही पद्धतियों आदि पर सतर्कता के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने हेतु आयोजित किया गया।
- संयुक्त जांचों सहित, समयांतराल में आकस्मिक जांचों का आयोजन कंपनी के अति संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप में किया गया। फाइल निरीक्षण और संयुक्त जांचों सहित, कुल 2490 नियतकालिक जांचों का आयोजन विभिन्न संयंत्रों/ इकाइयों में किया गया। निरोधात्मक सतर्कता की गतिविधियों से मुख्य रूप से इन आकस्मिक जांचों के कारण लगभग ₹18.45 करोड़ की राशि की बचत हुई।
- अधिक पारदर्शिता लाने हेतु, सतर्कता विभाग विद्यमान प्रणालियों को सुधारने के लिए सतर्कता की गतिविधियों को संचालन करने वाले प्राधिकारियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। तदनुसार, सेल के विभिन्न संयंत्रों/ इकाइयों में आठ प्रमुख प्रणाली सुधार परियोजनाओं (एस आई पी) को शुरू किया गया था।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में 13 प्रकरणों को गहन परीक्षण के लिए स्वीकार किया गया। इन गहन परीक्षणों के दौरान, उच्च मूल्य की प्राप्ति/अनुबंधों का परीक्षण समावेशी रूप से किया जाता है और आवश्यक संस्तुतियों को सुधार हेतु प्राप्त सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित किया जाता है।
- केंद्रीय सतर्कता के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सेल में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2017 के बीच में सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। यह सप्ताह सेल के कॉरपोरेट कार्यालय और सेल के सभी संयंत्रों/ इकाइयों में 30 अक्टूबर, 2017 को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाकर और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदेश को पढ़कर शुरू किया गया। इस सप्ताह के दौरान, कार्यशालाओं/संवेदीकरण कार्यक्रमों, प्रख्यात वक्ताओं जैसे पूर्व सचिव, भारत सरकार, एस पी, सी बी आई इत्यादि द्वारा चर्चा, ग्राहकों की बैठक, आम लोगों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी मार्च/ वाक्थॉन, प्रश्नोत्तरी, निबंध, नारे एवं चित्रण/पोस्ट, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए किया गया था। सप्ताह के दौरान किये गये क्रियाकलापों को सेल की सोशल मीडिया जैसे ट्विटर हेंडल और फेसबुक अकाउंट पर डाला गया था ताकि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों, उनके परिवारों, छात्रों, ग्राहकों, विक्रेताओं आदि को ई–शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
- सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित चार (4) प्रतिबल वाले क्षेत्रों को पहचाना गया :
  - i) उच्च मूल्य के कच्चे मालों की प्राप्ति, नमूनाकरण, परीक्षण के क्षेत्रों में सर्विलांस।
  - ii) भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और केंद्रीय विपणन संगठन में फाइलों की छान–बीन के क्षेत्रों की पहचान करने तथा औचक निरीक्षण करते समय बिजनेस इंटेलिजैंस (बी आई)/ ई आर पी केंद्रीय संघटक (ई सी सी) मॉड्यूल से विश्लेषकों का प्रयोग।
  - iii) बदले हुए आदेशों के संदर्भ में परियोजनाओं की छान–बीन।
  - iv) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की छान–बीन।
- सेल के सतर्कता दल को 14 जुलाई, 2017 को आयोजित सतर्कता अध्ययन परिमंडल, हैदराबाद की 14वीं वार्षिक समारोहों के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) से सर्वश्रेष्ठ मामला अध्ययन के लिए उत्कृष्टता अवार्ड प्राप्त हुआ।

  सेल की सतर्कता को विज्ञान भवन, नई दिल्ली 30 अक्टूबर, 2017 को सी वी सी द्वारा आयोजित सतर्कता जागरुकता सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति से दो सतर्कता उत्कृष्टता अवार्ड, 'सतर्कता अभिनवता' और 'जांच में उत्कृष्टता' प्रत्येक के लिए प्राप्त हुआ है।
- 'इंस्पिरेशन–प्रेरणा'– सेल सतर्कता के एक आंतरिक प्रकाशन को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। पाठकों की जागरुकता में वृद्धि करने के लिए उपरोक्त प्रकाशन में सम्मिलित है – व्यक्तिपरक अध्ययन, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लेख, नीति विषयों पर प्रश्नोत्तरी आदि।
- वर्ष 2017–18 के दौरान सतर्कता संबंधी मामलों पर कार्यवाही का सार नीचे दिया गया है:

स्रोत	शिकायतें	
	प्राप्त	निवारण
सी वी सी	5	5
एम ओ एस	39	34
सीधे	732	704
कुल	**776**	**743**

निवारण की शिकायतों का प्रकार :	
उन शिकायतों को बंद कर दिया गया जिन्हें गुमनाम/ फर्जी नाम वाला पाया गया (सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप दायर किया गया)	207
उन शिकायतों को बंद कर दिया गया जिसमें सतर्कता का कोई दृष्टिकोण नहीं था/ आरोपों की पुष्टि नहीं की गई	398
निषेधात्मक/ प्रशासनिक सिफारिशों के साथ बंद किया गया	122
शुरू की नियमित विभागीय कार्यवाही	16 (सात कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति के 6 मामले और 16 कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी शास्ति के 10 मामले)
कुल निवारण	**743**

निगरानी तंत्र

कंपनी ने व्यवसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतर मानकों को अपनाकर स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कार्यों को करने के लिए चौकसी तंत्र को अपनाया है। कंपनी के सभी कर्मचारीगण और कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तंत्र को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखा–धड़ी या आचरण संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को सूचित करने हेतु कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया है। यह तंत्र उन कर्मचारियों पर अत्याचार करने के विरुद्ध समुचित सुरक्षा प्रदान करता है जो इस तंत्र का लाभ उठाता है और अपवाद स्वरूप प्रकरणों में लेखा–परीक्षण समिति के अध्यक्ष तक प्रत्यक्ष पहुंच बनाने की स्वीकृति देता है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण का प्रतिवेदन

सेबी (दायित्वों और प्रकटन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण को सम्मिलित करके प्रबंधन चर्चा और

विश्लेषण प्रतिवेदन को संलग्न किया जाता है और यह इस प्रतिवदेन का भाग है।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा–जोखा पर वैधानिक लेखा–परीक्षक के प्रतिवेदन और उस पर प्रबंधन के उत्तरों को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–I** में रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत, 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा–जोखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रमुख (सी एंड ए जी) ने दिनांक 31 जुलाई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से 'शून्य' टिप्पणियां दी हैं। सी एंड ए जी के उपर्युक्त पत्र की प्रति इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–II** में रखी गई है।

लागत लेखा परीक्षक

लागत लेखाओं के लेखा परीक्षण के लिए केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षक(कों) के रूप में मैसर्स, संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली, मैसर्स शोम एंड बनर्जी, कोलकाता और मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली को नियुक्त किया है।

साचिविक स्तरीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में, बोर्ड के निदेशकों ने मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स और कंपनी सचिवों को 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रही वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के साचिविक लेखा परीक्षण को संपन्न करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। साचिविक लेखा परीक्षक को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–III** में रखा गया है।

साचिविक लेखा परीक्षक के इस अवलोकन की कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना वित्तीय वर्ष 2017–18 के एक हिस्से के दौरान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी, के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। कंपनी ने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नामांकन के लिए अनुरोध किया है।

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (दायित्वों और प्रकटन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) नियमन 2015 के विनियम 17(10) एवं 25(4) के अनुसरण में, इस अवलोकन कि निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के द्वारा सरकारी कंपनियों को दी जानी वाली छूटों को अधिसूचित किया है जो अन्य बातों के साथ यह कहता है कि नियुक्ति, प्रदर्शन का मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप–धारा (2), (3) एवं (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों की संहिता से संबंधित अनुसूची IV में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार, अनुसूची IV में, गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित अनुच्छेदों को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई।

कॉरपोरेट शासन

सेबी (दायित्वों और प्रकटन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) नियमन, 2015 के परिपेक्ष्य में, कॉरपोरेट शासन की शर्तो के अनुपालन पर कॉरपोरेट शासन प्रतिवेदन और लेखा–परीक्षक का प्रमाण–पत्र इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

सेबी विनियमों के परिपेक्ष्य में, बोर्ड ने इसके सभी सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों ने संहिता का पालन करने की सहमति दी है।

व्यवसायिक दायित्व पर प्रतिवेदन

सेबी (दायित्वों और प्रकटन की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) नियमन 2015 के नियमन 34(2)(एफ) के अनुसार, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा उठाये गए कदमों का उल्लेख करते हुए व्यवसायिक दायित्व प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन का ही एक भाग होता है।

पूरक प्रतिष्ठान, संयुक्त उपक्रम और सहयोगी

इस्को–उज्जैन पाइप और फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, पूर्ववर्ती भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड (इस्को) की एक संपूर्ण स्वामित्व वाली उपक्रम को बी आई एफ आर द्वारा बंद किये जाने का आदेश दिया गया। सरकारी परिसमापक इसके परिसमापन की प्रक्रिया को जारी रख रहा है।

आपकी कंपनी की सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड, सेल सिंदरी प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड के नाम से अन्य चार पूरक कंपनियां हैं। एस आर सी एल, सलेम रिफ्रैक्ट्री यूनिट का संचालन कर रहा है जिसे सेल द्वारा बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड से 16 दिसंबर, 2011 को अधिग्रहित किया गया था। जगदीशपुर में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गयी सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सिंदरी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए अधिग्रहित की गयी सेल सिंदरी प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड ने कार्य शुरू नहीं किया है। जिन उद्देश्यों के साथ इन कंपनियों को अधिग्रहित किया गया था, वर्तमान स्थिति के अंतर्गत उन्हें फिर से प्राप्त करना कठिन है, इसलिए आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड ने सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है। इस कंपनियों को बंद करने के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, जिसे संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत हरित क्षेत्र की इस्पात परियोजना के रूप में 6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले अति विशाल इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाले संवाहक के रूप में समाविष्ट किया गया था, को अभी अपना संचालन प्रारंभ करना है।

पूरक कंपनियों के वार्षिक लेखा–जोखा और संबंधित विस्तृत सूचनाओं को किसी भी समय ऐसी सूचनाएं मांगने वाले भू–संपत्ति के दावेदारों और पूरक कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त, पूरक कंपनियों का वार्षिक लेखा–जोखा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी दावेदार और असंबंधित पूरक कंपनियों द्वारा निरीक्षण के लिए कार्य–दिवसों में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक उपलब्ध रहेगा। पूरक कंपनियों के विस्तृत लेखा–जोखा की एक हार्ड कॉपी लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अंशधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, विधिवत रूप से लेखा–परीक्षण किये हुए समेकित वित्तीय विवरण को इस प्रतिवदेन के **अनुलग्नक–V** में रखा गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर अनिवार्य लेखा–परीक्षक का प्रतिवेदन और उस पर प्रबंधन के उत्तर को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–VI** में रखा गया है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण (सी एंड ए जी) ने दिनांक 31 जुलाई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियां दी हैं। सी एंड ए जी के उपर्युक्त पत्र की एक प्रति इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है। इसके अलावा, निर्धारित फॉर्म ए ओ सी–1 में सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और एसोसिऐट कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को शामिल करते हुए विवरण इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है।

वार्षिक विवरण का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्रपत्र एम जी टी–9 में वार्षिक विवरण के सारांश और उसमें निर्धारित नियमों को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–IX** में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक बोर्ड की 11 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसका ब्यौरा कॉरपोरेट शासन प्रतिवेदन में दिया गया है।

लेखा–परीक्षण समिति

बोर्ड की लेखा–परीक्षण समिति का गठन कंपनी द्वारा 1998 में किया गया। लेखा–परीक्षण समिति की सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर पुनर्गठित किया गया है। लेखा–परीक्षण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को बोर्ड में प्रसारित किया गया। लेखा–परीक्षण समिति से संबंधित अन्य विवरणों को कॉरपोरेट शासन के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आई एफ सी) और इसकी उपयुक्तता

कंपनी के पास व्यवस्थित एवं सक्षम रूप से व्यापार के संचालन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी प्रकार से स्थापित और प्रलेखित नीतियां और पद्धतियां हैं जिसमें अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के प्रति निष्ठा, लेखा–जोखा के अभिलेखों में धोखाधड़ी, त्रुटियों, शुद्धता और संपूर्णता की रोकथाम एवं खोजबीन और विश्वसनीय वित्तीय उद्घाटनों की समय से तैयारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक कॉरपोरेट शासन संरचना, विभिन्न प्रबंधन प्रकियाओं, नियंत्रणों, नीतियों और दिशा–निर्देशों को अपनाया है जो विभिन्न दावेदारों की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भी संगठन को इसके व्यवसायिक उद्देश्य के प्रति प्रेरित करता है।

आपकी कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जैसे कि निष्पक्ष आंतरिक अंकेक्षण, समुचित मसौदे वाली दस्तावेजीकृत नीतियां, दिशा–निर्देश, प्रकियाएं, अंकेक्षण समिति/ बोर्ड आदि द्वारा नियमित समीक्षा इत्यादि से कंपनी अधिनियम, 2013 सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 आदि के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनुपालन में मदद मिलती है। आपकी कंपनी निगमित अभिशासन के सर्वोच्च मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है जिसके तहत बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (आई एफ

सी) की प्रभाविता और उनकी पर्याप्तता को रिपोर्ट करने के लिए सभी स्टेकधारकों के प्रति जवाबदेह है। निगमित अभिशासन कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एल ओ डी आर), विनियम, 2015 आदि के अनुरूप संपन्न किया गया है।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुपालन में, निदेशकगण यह उल्लेख करते हैं कि :

(i) वार्षिक लेखा–जोखा को तैयार करने में, सामानों को ले जाने से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखा–जोखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसे लेखा–जोखा नीतियों का चयन किया है, निरंतर रूप से उन्हें लागू किया है और उन पर अपने अनुमान एवं निर्णय दिए हैं जो न्यायसंगत और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति का वास्तविक और उचित दृष्टिकोण एवं उस अवधि के कंपनी के लाभ या हानि को प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, समुचित लेखा–जोखा अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(iv) निदेशकों ने गोइंग कंसर्न के आधार पर वार्षिक लेखा–जोखा को तैयार किया है;

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित किया है और ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समुचित हैं और प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(vi) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया है और ऐसी प्रणालियां समुचित हैं और प्रभावशाली रूप से कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह बताते हुए आवश्यक घोषणा की गयी है कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है/ करती है, जिसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में प्रावधान किया गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, प्रत्याभूतियों या निवेशों के विवरण

कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के संबंध में, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋणों, प्रत्याभूतियों या निवेशों के विवरणों को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–X** में दिया गया है।

धारा 188 की उपधारा (1) के संदर्भ में संबंधित पक्षों के साथ समझौतों या व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किये गए सभी समझौते/ व्यवस्थाएं/ लेन–देन व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में उद्घाटित किया गया है। इसलिए, प्रपत्र ए ओ सी–2 में ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में करने के औचित्य के साथ, धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ समझौतों या व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रतिवेदन का भाग नहीं है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी (दायित्वों और प्रकटन आवश्यकताओं की सूचीबद्धता) नियमन, 2015 के विनियम 43(क) के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने लाभांश वितरण नीति को स्वीकार किया है और उसे इस नीति को कंपनी के वेबसाइट **https://sail.co.in/sites/default/files/Dividend_Distribution_Policy_2017.pdf** पर अपलोड किया गया है।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी विनिमय आय और व्यय का संरक्षण

कंपनी (लेखा–जोखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी विनिमय आय और व्यय के संरक्षण से संबंधित विवरणों को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–XI** में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ई आर एम) एक नीतिगत व्यवसायिक अनुशासन है जो इसके खतरों के संपूर्ण समूह को दूर करके और उन खतरों के संयुक्त प्रभाव को एक अंतर–संबंधित खतरे के समूह के रूप में व्यवस्थित करके संगठन के उद्देश्यों को पूरा करता है। आपकी कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को वैधानिक आवश्यकता बनने के बहुत पहले ही परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया और तब से सेल में खतरे के प्रबंधन में प्रगति हुई है और आंतरिक एवं बाह्य आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई है। यह नीति पूरे संगठन में व्यापारिक खतरों के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। यह नीति यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे नियमित आधार पर दिए गए समय सीमा के अंदर खतरों को पहचाना जाए, उसका मूल्यांकन और शमन किया जाए।

वर्तमान में, सेल में उद्यम जोखिम प्रबंधन के बनावट में कुशल संगठन की संरचना सम्मिलित है जिसके प्रत्येक संयंत्र/इकाई के पास अभिकल्पित बहु–स्तरीय खतरों का अपना अनुभव है, जो खतरों के स्वामियों/विजेताओं, जो शमन नीति का निर्माण करते हैं एवं लागू करते हैं और इसके तर्कसंगत परिणाम की ओर ले जाते हैं, द्वारा निरंतर निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। संयंत्र/इकाई प्रमुख की अध्यक्षता वाले संयंत्र/इकाई की प्रबंधन समिति समय–समय पर खतरों एवं इसके शमन की स्थिति की समीक्षा करता है और उसे सेल के मुख्य जोखिम अधिकारी (सी आर ओ) को सूचित करता है। सेल की जोखिम प्रबंधन समिति (एस आर एम सी) नीति निरूपण और इसके जारी रहने वाले प्रभावकारिता आंकने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य के मूल्यांकन से संबंधित विषयों को संबोधित करके जोखिम प्रबंधन कार्य का निरीक्षण करता है। खतरों के स्वामियों/विजेताओं द्वारा पहचाने गए खतरों को जोखिम प्रबंधन समिति में उचित प्रकार से विचार किया जाता है, तीव्र किया जाता है और शमन की नीति की रचना की जाती है। बोर्ड की भूमिकाओं और दायित्वों, लेखा–परीक्षण समिति, सेल के जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन परिचालन समिति, सी आर ओ, जोखिम प्रबंधन के संबंधित जोखिम अधिकारी/जोखिम विजेता को इस नीति के अंतर्गत परिभाषित और विधिवत से परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन इण्डिया एल एल पी की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की सांविधिक आवश्यकताओं और सेबी के विनियमों को पूरा करने के लिए सेल में मौजूदा ई आर एम नीति की समीक्षा करने के लिए तथा उसे अद्यतित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) का पर्याय है। इस्पात निर्माण के व्यवसाय के अंतिरिक्त, कंपनी का उद्देश्य व्यवसाय को इस प्रकार से संचालित करना है जो समुदायों के लिए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है जिसमें यह संचालित होता है। किसी भी संगठन के लिए, सी एस आर का प्रारंभ समाज पर इसके व्यवसाय के प्रभाव के प्रति सचेत होकर किया जाता है। अंतर्निहित धारणा और लोगों के जीवन में एक अर्थपूर्ण अंतर बनाने की प्रचलित शैली के साथ, आपकी कंपनी आरंभ से ही सी एस आर के पहलों का निर्माण और क्रियान्वयन कर रही है। इन प्रयासों ने अज्ञात ग्रामों को देखा है जहां पर सेल संयंत्र अवस्थित हैं और जो आज बड़े औद्योगिक केंद्रों में परिवर्तन हो गए हैं।

आपकी कंपनी के सी एस आर पहलों को कंपनी अधिनियम–2013, कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 और सी एस आर नीति के अनुरूप हमेशा किया गया है। सेल, सी एस आर परियोजनाओं को कंपनी अधिनियम–2013 के सूची–VII के अनुरूप पड़ने वाले प्रतिबल क्षेत्रों, विशेषकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं को प्रदान करने वाली शिक्षा, जल सुविधाओं तक पहुंच, आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधित विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, अशक्त लोगों को सहायता, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दीर्घस्थायी आय स्रोत का निर्माण, क्रीड़ा, कला, संस्कृति एवं विरासत संरक्षण के प्रोत्साहन आदि को इस्पात उपनगरों, खानों की परिधि में एवं उसके आस–पास और पूरे देश के दूरस्थ स्थानों में निष्पादित करता है।

निर्धारित प्रपत्र में सी एस आर पर प्रतिवेदन के साथ कंपनी द्वारा उठाये गए विभिन्न सी एस आर के कदमों के विवरणों को इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक–XII** में रखा गया है। कंपनी की सी एस आर नीति कंपनी की वेबइसाट – www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य रक्षा : सेल की विस्तृत और विशेषीकृत स्वास्थ्य अवस्थापना ने वर्ष 2011–18 के दौरान, अपने संयंत्रों और इकाइयों के निकट रहने वाले 1.70 करोड़ लोगों को विशेषीकृत और आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति के लिए नियत दिनों में विभिन्न ग्रामों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन संयंत्रों/इकाइयों, खदानों और दूरस्थ क्षेत्रों की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, लगभग 4,130 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है जिससे 76,000 से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिला है। संयंत्रों की परिधि में संचालित होने वाले 7 सचल चिकित्सा इकाइयों (एम एम यू) ने 44,000 ग्रामवासियों को उनके द्वार पर जाकर लाभ पहुंचाया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, संयंत्रों में 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3.43 लाख ग्रामीणों को अनन्य रूप से नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल और औषधियां उपलब्ध करायी हैं।

शिक्षा : समाज को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने के लिए सेल 77 से अधिक विद्यालयों को सहयोग कर रहा है जो इस्पात टाउनशिप में 40,000 से

अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। सी एस आर के अंतर्गत संचालित होने वाले 19 विशेष विद्यालयों (कल्याण और मुकुल विद्यालय) निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जूते, पाठ्य–पुस्तकों, पठन–लेखन सामग्रियों, स्कूल बस्ता, जल की बोतल आदि की सुविधाओं के साथ एकीकृत इस्पात संयंत्र के ठिकानों पर 4,270 से अधिक बी पी एल श्रेणी के विद्यालियों को लाभ पहुंचा रहे हैं।

आपकी कंपनी अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला में 630 से अधिक सरकारी विद्यालयों के 68,000 विद्यार्थियों को मध्याह्न का भोजन उपलब्ध करा रही है।

महिला सशक्तिकरण और दीर्घस्थायी आय का स्रोत : दीर्घस्थायी आय के निर्माण की ओर लक्षित व्यवसायिक एवं विशेषीकृत कौशल विकास का प्रशिक्षण उन क्षेत्रों जैसे नर्सिंग, फिजियोथेरैपी, एल एम वी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, आचार/ पापड़/ अगरबत्ती/ मोमबत्ती निर्माण, स्क्रीन प्रिटिंग, हस्तशिल्प, सिल्क की खेती, धागे की कताई, दर्जी कर्म, सिलाई एवं एम्ब्रॉयडरी, दस्ताने, मसाले, तौलियों, टाट के बोरे, सस्ते सेनिटरी नैपकिंस, मिठाई के डिब्बे, साबुन, धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण आदि में आस–पास के गांवों के 600 युवकों और 1,468 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आई टी सी के बोलानी, बारगांव, बलियापुर, बोकारो निजी आई टी आई और राउरकेला आदि में 845 युवाओं को आई टी आई प्रशिक्षण के लिए और बोकारो में सी आई पी ई टी के माध्यम से प्लास्टिक इंजीनियरिंग में 31 युवाओं को प्रायोजित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क और जल की सुविधाएं : सेल द्वारा प्रारंभ से ही 450 गांवों के 79.03 लाख से अधिक लोगों को सड़कों के निर्माण और मरम्मत के द्वारा मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया गया है। 8,100 से अधिक जल स्रोतों को पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित कर दिया गया है, जिससे दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख लोगों को पेयजल प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण : 3 लाख से अधिक पेड़ भिलाई, बोकारो, राउरकेला और खनिज क्षेत्रों में लगाये गये हैं और उनका अनुरक्षण किया गया है। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए एक जल निकाय के साथ 400 किस्मों के पेड़ों, औषधीय पौधों, वर्षा जल संचय, मृदा संरक्षण सहित 409 एकड़ भूमि में बॉयो–डायवर्सिटी पर्यावरण थीम पार्क 'वसुन्धरा' दुर्गापुर में विकसित किया गया है। यह पार्क वर्ष–दर–वर्ष लगभग 75,000 स्थानीय लोगों के लिए पर्यावरण को समृद्ध कर रहा है।

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहयोग : दिव्यांग बच्चों/लोगों को तिपहिया, मोटरयुक्त वाहनों, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंगों आदि जैसे उपकरणों के माध्यम से सहयोग दिया जा रहा है। आपकी कंपनी सी एस आर के अंतर्गत, संयंत्रों में विभिन्न योजनाओं और केंद्रों को सहयोग कर रही है, जैसे – भिलाई में "स्नेह संपदा", "प्रयास" और "मुस्कान", राउरकेला में "नेत्रहीन, बधिर एवं मंद बुद्धि बच्चों का विद्यालय" और "घर और आशा", बोकारो में "आशालता विकलांग केंद्र", विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे – दुर्गापुर में "विकलांग अनुकूल शिक्षा कार्यक्रम" (आशा) और "दुर्गापुर विकलांग हैप्पी होम", बर्नपुर में "चेशिरे होम"। तमन्ना, दीपालय जैसे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले एन जी ओ को भी सहयोग उपलब्ध कराया गया। विभिन्न संयंत्र की बस्तियों में वृद्धाश्रमों को सहयोग दिया जा रहा है, जैसे – भिलाई में "सियान सदन" और दुर्गापुर में 'आचार्य धाम' और 'बादशाह' आदि।

क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति और विरासत संरक्षण : सेल मुख्य राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को समर्थन देते हुए, अंतर–ग्राम क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित रूप से कर रहा है। विश्व श्रेणी के एस्ट्रो–टर्फ मैदान के साथ बोकारो (फुटबाल), राउरकेला (हॉकी), भिलाई (लड़कों के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता) और किरिबुरू, झारखण्ड (धनुष विद्या) में अपने आवासीय क्रीड़ा अकादमियों के माध्यम से आकांक्षी क्रीड़ा पुरुष एवं महिलाओं को सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जा रहा है।

आपदा राहत : एक उत्तरदायी कॉरपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी प्राकृतिक विपदाओं, जम्मू–कश्मीर में हाल के विनाशकारी बाढ़, ओड़िशा में फाइलिन चक्रवात, उत्तराखंड में अचानक बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास के उपायों में सहयोग दिया है।

सारंडा वन का विकास : हाशिये पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के प्रयास में, सेल ने आरंभ में दीघा गांव में एक समेकित विकास केंद्र (26 दुकान/कार्यालय के साथ) स्थापित किया है। छात्रावास की सुविधा अर्थात् सारंडा सुवन छात्रावास स्थापित किया गया है, 24 जनजातीय बच्चों को गोद लिया गया है और उसे आश्रय प्रदान किया गया है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन एवं यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक आदि की सुविधा दी गई है। एक चिकित्सा वाहन/ एम एम यू चल रहा है और यह सारंडा वन में ग्रामीणों के द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रहा है।

महिला क्रिकेट कोचिंग क्लब, बोलानी की स्थापना आर एम डी द्वारा की गई है। लगभग 30 युवा जनजातीय महिलाओं जो 'लोड–लिफ्टर' के रूप में प्रतिदिन मजदूरी कर अपना जीवन चलाती थी और जिन्हें कोई मौलिक सुविधाएं नहीं थी, को प्रेरित किया गया है, परामर्श दिया गया है और निःशुल्क स्वस्थ भोजन, क्रिकेट कोच और खेल कूद से संबंधित किट अथवा टूल और प्रशिक्षण/अभ्यास सत्र आदि उपलब्ध कराया गया है। आज राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट में उड़ीसा और झारखण्ड राज्यों का प्रतिनिधित्व चैम्पियन कर रहे हैं, जिनमें उनके कार्य निष्पादन को 'वूमन ऑफ द टूर्नामेंट' के रूप में माना गया है।

सेल ने व्यापक तरीके से कुआरमुंडा, राउरकेला के 19 गांवों 1854 घरों में प्रत्येक घर के लिए सतत् टेप वाटर स्रोत विकसित कर उपयोग करने योग्य शौचालयों का निर्माण कर अपने सीएसआर प्रयासों को संकेंद्रित किया है। इस परियोजना के लंबे समय तक स्थायित्व के लिए ग्राम स्तरीय समिति बनाई गई है।

बोलानी अयस्क खान जी. आई. पाइप लाइन के माध्यम से झिनकारिया झरने से गांवों को जोड़ते हुए बारिक साही (कुनी साही), बोलानी के 300 ग्रामीणों के लिए पेयजल की आपूर्ति और साफ सफाई की सुविधा आसान बना रहा है।

सामान्य प्रकटीकरण

I. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

II. बढ़ती हुई चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालनों को प्रभावित करते हुए, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण या भौतिक आदेशों को पारित नहीं किया गया है। फिर भी, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्वों के विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है।

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

- डॉ. एन. महापात्रा 30 जून, 2017 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे हैं।
- सीए के. एस. चौहान और प्रो. एन. के. तनेजा को 22 सितंबर, 2017 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री पी. के. दाश ने 3 अक्टूबर, 2017 (अपराह्न) से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है।
- श्री सुनील बर्थवाल 11 अक्टूबर, 2017 से निदेशक नहीं रहे हैं।
- श्रीमती उर्विला खाती 11 अक्टूबर, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक निदेशक थीं।
- श्री कल्याण माइति ने 28 फरवरी, 2018 (अपराह्न) से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है।
- श्री अतुल श्रीवास्तव को 12 मार्च, 2018 (अपराह्न) से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय को 7 मई, 2018 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री पी. के. सिंह 30 जून, 2018 (अपराह्न) से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे हैं।
- श्री सरस्वती प्रसाद, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2018 (पूर्वाह्न) से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है।
- श्री रमन 31 जुलाई, 2018 (अपराह्न) से निदेशक के रूप में नहीं रहे हैं।
- श्री हरिनंद राय को 1 अगस्त, 2018 (पूर्वाह्न) से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अभिस्वीकृति

निदेशक बोर्ड सेल परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए सहयोग और मूल्य के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण राज्य सरकारों, विद्युत बोर्डों, रेलवे, बैंकों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों और निवेशकों के प्रति उनके निरंतर सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न शाखाओं, विशेषकर इस्पात मंत्रालय से प्राप्त निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2018

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रबंधन कम्पनी के निष्पादन एवं दृष्टिकोण से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

क. उद्योग संरचना तथा विकास

विश्व आर्थिक परिवेश

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल, 2018 में वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलूक अपडेट में लगाए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (2017 के दौरान अनुमानित 2.3% विकास) और साथ ही उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (2017 के दौरान अनुमानित 4.8% विकास) में तेजी के चलते वर्ष 2017 में विकास का पहिया और तेजी से चल निकला था।

सुदृढ़ विकास का यह दौर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास, अनुकूल वित्त परिस्थितियों और मांग में तेजी के साथ साथ 2018 तथा 2019 में भी जारी रहने की संभावना की गई है। उभरते हुए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी और आगे मजबूती आने की संभावना की गई है। वैश्विक आर्थिक क्रियाकलापों में 2018 और साथ ही 2019 के दौरान 3.9% के विकास के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के प्रक्षेपण का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक का प्रक्षेपण
(प्रतिशत परिवर्तन)

	वर्ष की तुलना में वर्ष			
	अनुमान		प्रक्षेपण	
	2016	2017	2018	2019
विश्व उत्पादन	**3.2**	**3.8**	**3.9**	**3.9**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	**1.7**	**2.3**	**2.5**	**2.2**
सं.रा.अमेरिका	1.5	2.3	2.9	2.7
यूरो क्षेत्र	1.8	2.3	2.4	2.0
जापान	0.9	1.7	1.2	0.9
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	**4.4**	**4.8**	**4.9**	**5.1**
चीन	6.7	6.9	6.6	6.4
भारत	7.1	6.7	7.4	7.8
ब्राजील	–3.5	1.0	2.3	2.5
रूस	–0.2	1.5	1.7	1.5

स्रोतः आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनिमक आउटलुक अपडेट, अप्रैल, 2018

विश्व इस्पात परिदृश्य

वर्ष 2017 में वैश्विक कच्चे इस्पात का वर्ष 2016 की तुलना में 3.8% की बढ़ोतरी के साथ 1689.4 मिलियन टन (एमटी) उत्पादन किया गया। केवल जापान के अलावा, जहां उत्पादन में मामूली कमी आई थी, सभी प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में कच्चे इस्पात के उत्पादन में बढ़ोतरी रिकार्ड की गई थी।

एशिया में वर्ष 2017 में वर्ष 2016 की तुलना में 3.5% की बढ़ोतरी के साथ 1152.2 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ। विश्व के कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन ने वर्ष 2016 की तुलना में 3.0% की बढ़त के साथ 831.7 मिलियन टन का उत्पादन करके अपने वर्चस्व को बनाए रखा। 2017 में चीन के वैश्विक कच्चे उत्पाद का अंशभाग वर्ष 2016 के 49.6% से घटकर 49.2% हो गया था। भारत, जो वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र है, द्वारा कच्चे इस्पात का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2017 में 6.2% बढ़ोतरी के साथ 101.4 मिलियन टन किया था। जापान के कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2016 की तुलना में 0.1% की मामूली कमी के साथ वर्ष 2017 में 104.7 मिलियन टन था। दक्षिण कोरिया में कच्चे इस्पात का उत्पादन 3.5% की वृद्धि के साथ 2017 में 71.0 मिलियन टन हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2016 की तुलना में 3.9% की बढ़त के साथ 81.6 मिलियन टन किया गया। यूरोपियन यूनियन (28) में भी कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़त देखने में आई जो 3.9% की वृद्धि के साथ 168.4 मिलियन टन पर पहुंच गई।

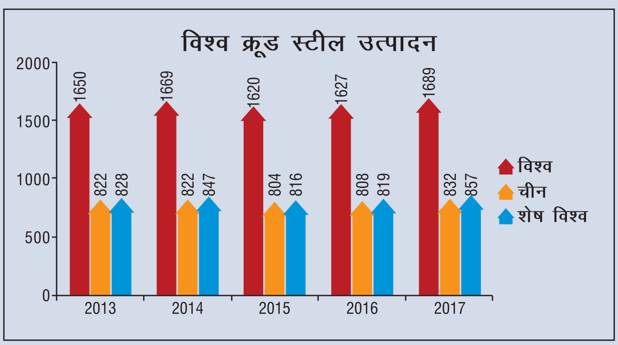

सर्वाधिक उच्च 10 इस्पात उत्पादक देश

रेंक	देश	2017 (मि.ट.)	2016 (मि.ट.)	% परिवर्तन
1	चीन	831.7	807.6	3.0%
2	जापान	104.7	104.8	–0.1%
3	भारत	101.4	95.5	6.2%
4	सं.रा.अमेरिका	81.6	78.5	3.9%
5	रूस	71.3	70.5	1.1%
6	द.कोरिया	71.0	68.6	3.5%
7	जर्मनी	43.4	42.1	3.1%
8	टर्की	37.5	33.2	13.0%
9	ब्राजील	34.4	31.3	9.9%
10	इटली	24.1	23.4	3.0%

विश्व इस्पात संगठन द्वारा यह पूर्वानुमान लगाए गए हैं कि 2017 की अनुमानित 1587.4 मिलियन टन के वैश्विक इस्पात मांग के मुकाबले 1.8% की बढ़ोतरी के साथ 2018 में 1616.1 मिलियन टन की मांग उठेगी। चीन में स्टील की मांग 2018 में 736.8 मिलियन टन स्थिर रहने की उम्मीद है। उभरती हुई एवं चीन के अलावा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2018 में इस्पात की मांग में 4.9% की बढ़त के अनुमान लगाए गए हैं।

भारतीय आर्थिक परिवेश

वर्ष 2017–18 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय वार्षिक आय के संबंध में लगाए गए अनंतिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में सतत बाजार मूल्यों के साथ वर्ष 2016–17 के 7.1% की तुलना में 6.7% विकास का अनुमान आंका गया है। अग्रिम अनुमानों में कृषि एवं सम्बद्ध सेक्टर का 3.4% विकास, उद्योग सेक्टर का 5.5% तथा सेवा सेक्टर में 7.9% विकास आंका गया है। वर्ष 2017–18 की चौथी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 6.1% की तुलना में कृषि (4.5%), उत्पादन (9.1%) तथा निर्माण सेक्टर (11.5%) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की चौथी तिमाही में समग्र विकास के लिए दिए योगदान के परिणामस्वरूप 7.7% रही है।

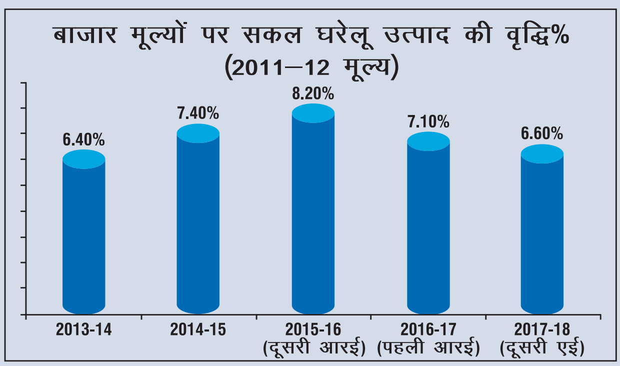

(आरईः संशोधित अनुमान, एईः अग्रिम अनुमान)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के विकास का अनुमान पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.6% की तुलना में 4.3% आंका गया है। खनन, निर्माण तथा विद्युत सेक्टरों के लिए 2017–18 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के विकास की दर क्रमशः 2.3%, 4.5% तथा 5.4% है। इसी अवधि में ही जहां टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 0.7% का मामूली विकास हुआ है वहीं गैर–टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 10.4% का विकास रजिस्टर किया गया है। पूंजी सामग्री तथा अवसंरचना/निर्माण सामग्री में क्रमशः 3.9% एवं 5.6% की वृद्धि रिकार्ड की गई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 का राजकोष घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% है। बजट अनुमानों में 2018–19 के लिए राजकोष घाटे का अनुमान सकल घरेलू उत्पादन का 3.3% निर्धारित किया गया है।

भारतीय इस्पात परिदृश्य

विश्व इस्पात संगठन के अनुसार भारत द्वारा 2016 की तुलना में 6.2% बढ़ोतरी के साथ कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान 101.4 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया गया था। संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.5% के इजाफे के साथ 102.3 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया गया है। तैयार इस्पात के उत्पादन (गैर एलॉय + एलॉय/स्टेनलैस) में भी वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 105 मिलियन टन के उत्पादन के साथ पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.1% की बढ़ोतरी रिकार्ड की गई है। तैयार इस्पात का निर्यात भी वित्तीय वर्ष 2017–18 में पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% की बढ़त के साथ 9.6 मिलियन टन किया गया जबकि पिछले वर्ष निर्यात में 3.5% से 7.5% मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई थी।

भारत में तैयार इस्पात की खपत वित्तीय वर्ष 2017–18 में पिछले वर्ष की समान अवधि से 7.9% की अधिकता के साथ 90.7 मिलियन टन आंकी गई है। विश्व इस्पात संगठन द्वारा 2018 के लिए भारत में तैयार इस्पात की मांग में 5.5% की वृद्धि होने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं।

ख. सेल के सम्मुख अवसर एवं जोखिम

अवसरः

- विश्व में भारत तीव्रतर विकासशील इस्पात उपभोक्ताओं में से एक है तथा आने वाले वर्षों में यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश बनने की ओर अग्रसर है।
- टाउनशिप, विद्यालय, अस्पताल इत्यादि जैसे गैर प्रमुख क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतों से करवाने के विकल्प।
- उत्पाद गुणवत्ता एवं प्रचालनात्मक कार्यकुशलता के सुधार एवं उत्पाद लागतों में कमी लाने के लिए आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के लाभों का उपयोग करना।

जोखिम

- इस्पात संयंत्रों तथा खनन से जुड़े कड़े पर्यावरणीय मानदंड
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खनन कार्य
- घरेलू एवं साथ ही साथ वैश्विक इस्पात कम्पनियों के साथ बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा
- कच्ची सामग्री एवं तैयार माल के आंतरिक एवं बाह्य संचलन के लिए रेलवे से रेक उपलब्धता

ग. जोखिम एवं चिंताएं

- आंतरिक रूप से नई यूनिटों के प्रारंभिक स्थायित्व प्राप्त करने के कारकों से उत्पाद जुटा पाने में देरी होने जैसी कुछ न्यूनताएं हैं। इसके अलावा, वृद्धिशील मूल्यह्रास से जुड़े उच्चतर पूंजी सम्बद्ध प्रभारों एवं नई सुविधाओं पर ब्याज के कारण भी व्ययों में बढ़ोतरी हुई है।
- ऐसी खनन पट्टों की वहन क्षमता का निर्धारण करने के उद्देश्य से जो झारखंड के सारांदा वनों में प्रचालन कर रही है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संवहनीय खनन के लिए खनन योजना (एमपीएसएम) को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। संवहनीय खनन के लिए खनन योजना के मसौदे के अनुसार अंकुआ वन खंड, जो प्रस्तावित महत्वपूर्ण जैविक हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है, के दायरे में स्थित मनोहरपुर (चिरिया) अयस्क खानों के पट्टे तथा चिरिया में खनन के सभी पट्टों को प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जा सकता है। चिरिया एकमात्र देश का सबसे बड़ा इस्पात अयस्क क्षेत्र है तथा कम्पनी के इस्पात संयंत्रों में इस्पात अयस्क की प्राप्ति के लिए इसके लगभग 2 बिलियन टन के अनुमानित संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। संवहनीय खनन के लिए खनन योजना का उपर्युक्त के अनुसार अंतिमकरण किए जाने से सेल की चिरिया खानों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।
- बोलानी इस्पात अयस्क खानों के लिए 5.1 वर्ग मील तथा 6.9 वर्ग मील के दो पट्टे किए गए हैं। 6.9 वर्ग मील के पट्टे की अवसंरचना पट्टों की भौगोलिक स्थिति के कारण निकटस्थ बोलानी इस्पात अयस्क खानों के 5.1 वर्ग मील के पट्टे के प्रचालनों की अवलम्बता के आवश्यक है। उड़ीसा में स्थित 6.9 वर्ग मील की बोलानी खानों के पट्टे की पट्टा अवधि का विस्तार खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना के साथ पठनीय एमएमडीआर (संशोधन अधिनियम), 2015 के अंतर्गत किए जाने का मामला इस्पात एवं खान विभाग, उड़ीसा सरकार के सम्मुख लम्बित पड़ा हुआ है। बोलानी खानों में प्रचालनों को बाधा मुक्त करने के लिए 6.9 वर्ग मील के पट्टे की अवधि विस्तारित की जानी आवश्यक है।

  उड़ीसा सरकार द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2017 को सेल को यह उत्तर मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि पूर्ववर्ती एमसीआर, 1960 के नियम 28(2) के प्रावधानों के अंतर्गत 6.9 वर्ग मील के पट्टे को बरकरार रखने के लिए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत न किए जाने को ध्यान में रखते हुए किस कारण से पट्टे को कालातीत नहीं किया जाना चाहिए। कम्पनी द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2017 को उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे दिया गया है तथा इस मामले पर दिनांक 22 जुलाई, 2017 को एक वैयक्तिक सुनवाई में भी भाग लिया गया है। राज्य सरकार से इस मामले के संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए खनन पट्टा क्षेत्र के दायरे में आने वाली समग्र वन भूमि के संबंध में 30 मार्च, 2017 तक एनपीवी (लगभग ₹1,100 करोड़) का भुगतान किए जाने की अपेक्षा की गई है। सेल एक सरकारी कम्पनी है तथा तदनुसार यह मामला संदर्भित दिशानिर्देशों के अंतर्गत एनपीवी के भुगतान से छूट प्राप्ति के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्मुख रखा गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने के परिणामस्वरूप झारखंड में स्थित सेल की खानों को एनपीवी का भुगतान न किए जाने के कारण बंद किए जाने से बचाव के लिए कम्पनी द्वारा सहायता के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की शरण ली गई थी तथा माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी करके सेल के खिलाफ किसी प्रकार प्रतिरोधी कार्रवाई न किए जाने के निदेश दिए गए हैं। इसके पश्चात, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के निर्णय में यह प्रेक्षण किया गया है कि "मामले की प्रकृति को देखते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि इस मामले पर सुनवाई इस न्यायालय की प्रबुद्ध डिविजन बेंच द्वारा की जानी चाहिए"। डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई अभी प्रारम्भ नहीं की गई है।

घ. दृष्टिकोण

संभावना से अधिक सामान्य मानसून तथा सकल घरेलू उत्पाद की उच्चतर दर से विश्लेषकों में काफी उत्साह है। भारत सरकार द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं पर बल दिए जाने के परिणामस्वरूप धीमी गति से चल रही निजी एवं सरकारी सेक्टर की परियोजनाओं में सुधार आने की संभावना की गई है। इसके अलावा 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों में लक्षित इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाए जाने को देश में काफी सफलता मिली है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख रोजगार उत्पत्ति करने वाले छोटे एवं मध्यम उद्योगों को अपनी संभावनाओं के अनुरूप राष्ट्र के विकास कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा अनुदान सहायता के लक्ष्यों में सुधार करने, कर आधार विस्तारित करने तथा कर राजस्व में बढ़ोतरी करने इत्यादि जैसे उद्देश्यों से राजस्व समेकन के प्रयास किए गए हैं जो पिछले कुछ समय चिंता का विषय बने हुए थे।

ङ. शक्तियां एवं दुर्बलताएं

शक्तियां

- अपने विविधाओं से युक्त उत्पाद पोर्टफोलियो, सशक्त राष्ट्रव्यापी विपणन नेटवर्क, समर्पित लौह अयस्क संसाधनों, कुशल एवं उच्चतर अर्हता प्राप्त जनशक्ति एवं समर्पित अनुसंधान एवं विकास सुविधा केन्द्र के साथ सेल देश के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है।
- विद्यमान संयंत्रों/यूनिट लोकेशनों में भावी क्षमता संवर्धन के लिए भूमि बैंक की उपलब्धता।
- आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के अंतर्गत निर्मित नई एवं आधुनिक यूनिटें, अधिक मूल्य संवर्धित उत्पादों के साथ परिष्कृत उत्पाद पोर्टफोलियो, कार्यकुशल एवं पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलता से युक्त प्रचालन।
- इस्पात निर्माण के क्षेत्र में उच्चतर अर्हता प्राप्त व्यावसायिक।

दुर्बलताएं

- कोकिंग कोल के प्रति बाह्य स्रोतों पर निर्भरता के कारण कम्पनी के सम्मुख बाजार जोखिम हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री की प्राप्ति के सीमित साधन।
- उच्चतर जनशक्ति लागत एवं अपेक्षाकृत न्यून जनशक्ति उत्पादकता।

च. वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

1. सेल का वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सेल द्वारा ₹ 58,297 करोड़ का बिक्री टर्नओवर किया गया है जो पिछले वर्ष के ₹ 49,180 करोड़ की तुलना में 19% अधिक है। तथापि, शुद्ध बिक्री टर्नओवर पिछले वर्ष ₹ 43,866 करोड़ की तुलना में 30% अधिकता के साथ ₹ 56,893 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 481.71 करोड़ की कर पश्चात हानि हुई थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान हुई कर पश्चात हानि ₹ 2833.24 थी तथा इससे पिछले वर्ष की तुलना में 83% बेहतर निष्पादन प्रतिबिंबित होता है। प्रमुख वित्तीय मापदंडों पर वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2016–17 का तुलनात्मक निष्पादन विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2017–18	2016–17
बिक्री टर्नओवर	58297.26	49180.24
घटाएं: उत्पाद शुल्क	1403.90	5314.69
शुद्ध बिक्री टर्नओवर	56893.36	43865.55
कर पूर्व ब्याज, असाधारण/ असामान्य मदों का मूल्य ह्रास तथा कर (ईबीआईडीटीए)	5184.37	671.60
घटाएं: ब्याज एवं वित्त प्रभार	2822.75	2527.82
घटाएं: मूल्य ह्रास	3064.92	2679.95
असाधारण/असामान्य मदों पर कर पूर्व लाभ	–703.30	–4536.17
असाधारण मदें:		
घटाएं: असाधारण मदें – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	254.20	216.74
पुनर्लिखित सेवानिवृत्ति प्रावधान	–458.16	0.00
मजदूरी संशोधन प्रावधान	–110.82	0.00
अन्य असाधारण मदें	288.35	0.00
घटाएं: असामान्य मदें – अस्थाई निलम्बित खानों पर किया गया व्यय	82.07	97.95
कर पूर्व लाभ (+)/हानि(–)	–758.94	–4850.86
घटाएं: कराधान प्रावधान	–277.23	–2017.62
कर पश्चात लाभ (+)/हानि(–)	–481.71	–2833.24
अन्य विस्तृत आय	186.32	–353.60
कुल विस्तृत आय(+)/हानि(–)	–295.39	–3186.84
निवल सम्पत्ति	35714	36009
शुद्ध बिक्री पर ईबीआईडीटीए (%)	9.11	1.53
निवल सम्पत्ति पर लाभ (कर पश्चात लाभ)(%)	–1.35	–7.87
औसत पूंजी नियोजन पर ईबीआईडीटीए (%)	8.78	1.27
₹ 10/–मूल्य प्रति शेयर पर आय	–1.17	–6.86
ऋण इक्विटी अनुपात	1.27:1	1.15:1

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी को हुई कर पूर्व हानि में कमी मुख्यतः उच्चतर बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन (1.5%), कॉनकास्ट उत्पादन (11%),बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री (7%) 5 एकीकृत स्टील संयंत्रों से निवल बिक्री लाभ (20%), उन्नत उत्पाद मिश्रण, 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 के लिए पेंशन प्रावधान का पुनरालेखन किया जाना, वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही के वेतन संशोधन प्रावधान का पुनरालेखन किया जाना, सीडीआई फर्नेस के लिए सीडीआई का उच्चतर उपयोग, कोयले की दरों में कमी, बीएफ उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा खपत में सुधार, वेतन तथा मजदूरी में कटौती इत्यादि के कारण है। तथापि, कम्पनी की लाभप्रदत्ता विभिन्न खानों से जुड़े मामलों, आयातित एवं स्वदेशी कोयला मूल्यों के औसत में वृद्धि, भंडार एवं कलपूर्जो की खपत, मरम्मत एवं अनुरक्षण में बढ़ोतरी, सुरक्षा व्यय, स्वदेशी कोयला उपलब्ध न हो पाने के कारण आयातित कोयले के मिश्रण का उच्चतर उपयोग, क्रय की जाने वाली ऊर्जा की औसत दर में वृद्धि, ब्याज लागतों तथा मूल्यह्रास में बढ़ोतरी इत्यादि के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं।

1.2 सेल प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयास

1.2.1 कायाकल्प योजना

वर्ष 2016–17 में प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए ''सेल उदय'' के नाम से कम्पनी व्यापी कायाकल्प कार्यक्रम का प्रवर्तन किया गया था। यह कार्यक्रम सेल की व्यावसायिक कार्यनीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने तथा उन्हें तीव्र गति प्रदान करके बाजार नेतृत्व के लिए संवहनीयता का निर्माण करने और कम्पनी को लाभ के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। ''सेल उदय'' कार्यक्रम के अंतर्गत कम्पनी द्वारा एक विख्यात वैश्विक प्रबंधन परामर्शदाता मैसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की सेवाएं कम्पनी के स्वास्थ्य का अध्ययन करने, इसके कायाकल्प के लिए उचित उपाय सुझाने सेल को कायाकल्प के लिए अनुमोदित रूपरेखा के कार्यान्वयन में कदम से कदम मिलाकर सहायता प्रदान करने के लिए प्राप्त की गई थी। ''सेल उदय'' के अध्ययन के चरण का समापन अक्तूबर, 2017 में ''कायाकल्प की विस्तृत रूपरेखा'' की रिपोर्ट मैसर्स बोस्टन कंस्लटिंग ग्रुप (बीसीजी) द्वारा प्रस्तुति के साथ किया गया था। रूपरेखा में कच्ची सामग्रियों, उत्पादन, बिक्री तथा विपणन, आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक्स, जनशक्ति एवं उत्पादकता इत्यादि सहित कम्पनी के वित्तीय क्षेत्रों पर केन्द्रित 260 से भी अधिक अनुशंसाएं की गई थी। कम्पनी द्वारा अब ''सेल उदय'' कार्यक्रम के अगले चरण को आगे बढ़ाया गया है जिसके अंतर्गत कम्पनी के कायाकल्प किए जाने में योगदान के लिए इन अनुशंसाओं का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है।

1.2.2 लागत नियंत्रण उपाय

- वर्ष के दौरान उन्नत प्रक्रिया तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार के साथ लागत कटौती जारी रही। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र के प्रचालनों के संबंध में लागतों पर नियंत्रण के प्रति जागरुकता का निर्माण किया गया।
- कोल मिश्रण के इष्टतम उपयोग, उत्पादन में सुधार, कोयला दरों में कमी, संवर्धित कॉनकास्ट उत्पादन, निष्क्रिय परिसम्पत्तियों की बिक्री तथा आंतरिक इंजीनियरिंग शॉप्स का अधिकतम किए जाने ऐसी कार्यनीतिक कार्रवाइयों से वर्ष के दौरान लागत कटौती की गई।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), 2017 के माध्यम से कुल 1269 कर्मचारियों को कम्पनी की सेवाओं से अलग किया गया। जनशक्ति का और औचित्यकरण किए जाने के उद्देश्य से 1 मई, 2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), 2018 प्रारम्भ कर दी गई है।

1.2.3 विपणन

कम्पनी द्वारा देश की अग्रणी इस्पात उत्पादक कम्पनी की अपनी स्थिति की पुष्टि करने एवं समेकन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न प्रयास किए गए हैं:

इसके अलावा, अपने इन विकल्पों का विस्तार करने के लिए कि कम्पनी के उत्पाद उसके ग्राहकों तक पहुंच सकें और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष निर्मित अथवा विशिष्ट प्रकार के उपयोज्य इस्पात ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान अनेक नए उत्पाद विकसित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- तेल एवं गैस पाइपलाइनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाले इस्पात के लिए एपीआई ग्रेड प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है। सेल द्वारा तेल सेक्टर की मांग की पूर्ति के लिए आरएसपी की न्यू प्लेट मिल में एपीआईएक्स–70 पीएसएल–2 ग्रेड प्लेटों का विकास किया गया है। आपकी कम्पनी अब इन महत्वपूर्ण ग्रेडों के अनुरूप प्लेटों का निर्माण करने के लिए प्रमाणित है जिससे तेल एवं गैस पाइपलाइनों के आकर्षक बाजार में कम्पनी के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
- अवसंरचनाओं के विकास के साथ साथ और अधिक इस्पात पुलों का निर्माण किया जाएगा जिससे ऐसे उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। विश्व का सबसे बड़ा रेल पुल (जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब पुल) वहां स्थित है जहां आसपास का तापमान शून्य डिग्री सेल्शियस से भी नीचे तक जाता है। इस पुल की इस्पात संरचना तापमान के अधिकतम न्यूनतम स्तर पर भी उपयोग में लाए जाने की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए जाने की अपेक्षा की गई थी। इस चुनौतिपूर्ण आवश्यकता की प्रतिक्रिया में आपकी कम्पनी ने विशेष रूप से आई:2062 ई 250 सी एवं कस्टमाइज्ड आईएस:2062 ई 410 सी प्लेटस का विकास किया जो सामान्य ग्रेड तथा उच्चतर सुदृढ़ता की गारंटी करती है और –20^{0} सेल्शियस तक की अत्यधिक विकट परिस्थितियों को भी झेल सकती है।
- हमारे रक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपकी कम्पनी द्वारा सेल आर्म के ब्रांड नाम से क्वेंच्ड एंड टैम्पर्ड प्लेटों का विकास किया गया है। इन प्लेटों का उपयोग गोला बारूद परीक्षण, बख्तरबंद प्लेटिंग इत्यादि के लिए किया जा सकता है।
- रेल वैग्नों के लिए उच्च सुदृढ़ता वाले मजबूत इस्पात की आवश्यकता होती है। आरडीएसओ के नए डिजायनों के अनुसार उच्च क्षमता वाले वैगनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च सुदृढ़ता वाली प्लेटों का विकास एवं आपूर्ति की गई है जो इस महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आईएसएच 5986 ग्रेड 590आर के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

सेल में निर्मित नई उत्पाद रेंज के लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कम्पनी द्वारा आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा बोकारो इस्पात संयंत्र की अपनी नई मिलों में निर्मित उत्पादों के विपणन के

लिए समर्पित क्रॉस फंक्शनल टीमों का निर्माण करके नए बाजार खंडों के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया गया है। अंत प्रयोक्ताओं, वास्तुकारों, संरचना डिजायनरों इत्यादि के साथ सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा बैठकों का आयोजन किया गया है। अंत प्रयोक्ताओं की अपेक्षाओं को समझ पाने और साथ ही साथ उत्पादन, निष्पादन एवं परीक्षण के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए ग्राहकों, सेल संयंत्रों, डिजायनरों तथा वास्तुकारों के मध्य आवाजाही की गई है। ऐसे प्रयासों से आपकी कम्पनी अनेक नए ग्रेड तथा उत्पाद के साथ ऑटो सेगमेंट की अतृप्त मांग एवं उच्च मूल्यों के अनुरूप आपूर्ति कर पाने में समर्थ हुई है। कम्पनी को अत्यधिक मांग वाले तेल सेक्टर को भी एपीआई एक्स–70 प्लेटों की आपूर्ति तथा राज्य बिजली बोर्डों को पैरालल फ्लैंग बीम्स की आपूर्ति के लिए नई बाजार संभावनाएं ज्ञात करने में भी सफलताएं प्राप्त हुई हैं।

अपनी उत्पाद बॉस्केट को बढ़ा करने तथा ग्राहक उपयोगिता में बढ़ोतरी के अवसर विकसित करने के लिए विपणन विभाग में नव संभावनाओं से युक्त ''विशेष प्रयास समूह'' (एसआईजी) का गठन किया गया है। विशेष प्रयास समूह द्वारा अंतिम छोर के उपभोक्ता अर्थात मिल उत्पादों एवं अंत प्रयोक्ताओं उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की ओर ध्यान दिया गया है तथा रि–बॉर प्रोस्सेसिंग; क्रैश बैरियर्स; प्रिसिशन पाइप; कलर कोटिड शीट्स इत्यादि के संबंध में इसके द्वारा नव मूल्यों के निर्माण के लिए नव अवसरों का संज्ञान किया गया है। विशाल ग्रामीण बाजार में संभावनाओं के दोहन के लिए आपकी कम्पनी ने ग्रामीण भारत को इस्पात के उपयोग के प्रति शिक्षित करने के उद्देश्य से ग्रामीण कार्यशालाओं के आयोजन के उपाय किए हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित 100 से भी अधिक स्थानों को कवर किया गया है।

ग्राहकों तक संवर्धित मूल्यों की पहुंच के लिए विशेष रूप से बंडल किया हुआ तथा पैक स्थिति में लगभग 17,000 एमटी इस्पात की आपूर्ति बांग्लादेश में ग्राहकों को सीधे उनके स्थल तक की गई है।

देश के इस्पात उत्पादकों में आपकी कम्पनी का विपणन नेटवर्क सबसे बड़ा है। 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार सेल के विपणन कार्यालयों में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 10 ग्राहक सम्पर्क कार्यालय, 25 विभागीय मालगोदाम तथा 22 कार्यात्मक माल प्रेषण एजेंसी यार्ड शामिल हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों को आम खपत के उत्पादों की पहुंच के लक्ष्य के साथ 1837 डीलरों, जिनमें 409 ग्रामीण डीलर शामिल हैं, के माध्यम से सेल के गहन खुदरा चैनल के विपणन प्रयासों की और पूर्ति किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यकुशल वितरण चैनल के माध्यम से खुदरा सेगमेंट के अंत उपभोक्ता तक अपनी पहुंच स्थापित करने तथा ग्राहकों के लिए उत्पाद, डिलीवरी एवं सेवाओं के मूल्य में संवर्धन के उद्देश्य से 2–टॉयर डीलर–वितरक मॉडल के अनुरूप देश भर में वितरकों की नियुक्ति की जा रही है।

1.3 निधि प्रबंधन

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियों की उत्पत्ति, ब्याज सहित ऋणों का समय पर भुगतान करने, अग्रिम योजना एवं भविष्य के लिए निधि उत्पति की कार्रवाई इत्यादि के साथ साथ निधियों की न्यायसंगत उत्पति के प्रति अपने प्रयास जारी रखे गए। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी के ऋण ₹ 45,409 करोड़ के हैं। कम्पनी द्वारा क्रेता क्रेडिट तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति पूर्ण सुरक्षा कर ली गई है। वर्ष के दौरान ऋण में बढ़ोतरी होने एवं निवल सम्पत्ति में होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2017 के 1.15:1 की तुलना में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी का ऋण इक्विटी अनुपात बढ़कर 1.27:1 हो गया है। कम्पनी की निवल सम्पत्ति 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 36,009 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹35,714 करोड़ हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मैसर्स केयर रेटिंग, मैसर्स इंडिया रेटिंग तथा मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग द्वारा सेल के दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रमों के संबंध में क्रमशः 'केयर एए–आउटलुकः नैगेटिव', इंडिया रेटिंग एए–आउटलुकः नैगेटिव तथा 'बीडब्ल्यूआर एए आउटलुकः नेगेटिव' रेटिंग की गई है।

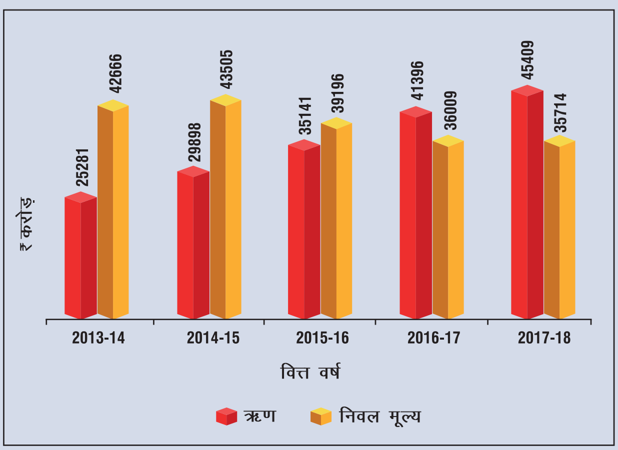

1.4 सेल के उपदान ट्रस्ट में अंशदान

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के सेल उपदान ट्रस्ट में ₹ 3,349 करोड़ का अंशदान किया गया था। इस निधि का आकार उपदान के भुगतान के लिए 31 मार्च, 2018 को बढ़कर ₹ 6,309 करोड़, उपदान भुगतान के अलावा, है।

2. कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

2.1 प्रचालनों से राजस्व

क) उत्पादों की बिक्री

(₹ करोड़)

विवरण	वि.व. 2017–18	वि.व. 2016–17	% परिवर्तन
बिक्री योग्य स्टील उत्पादों की बिक्री	55481.04	46653.91	18.92
अन्य उत्पादों की बिक्री	2816.22	2526.33	11.47
कुल बिक्री टर्नओवर	58297.26	49180.24	18.54
घटाएंःउत्पाद शुल्क	1403.90*	5314.69	–73.58
निवल बिक्री टर्नओवर	56893.36	43865.55	29.70

*उत्पाद शुल्क 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए है जो 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण समाप्त कर दिया गया है। आईएनडीएएस की अपेक्षाओं के अनुसार टर्नओवर जीएसटी के अलावा है।

ख) घरेलू बिक्री तथा निर्यात के रूझान

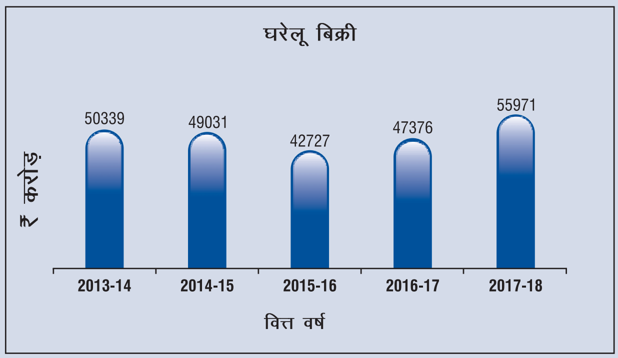

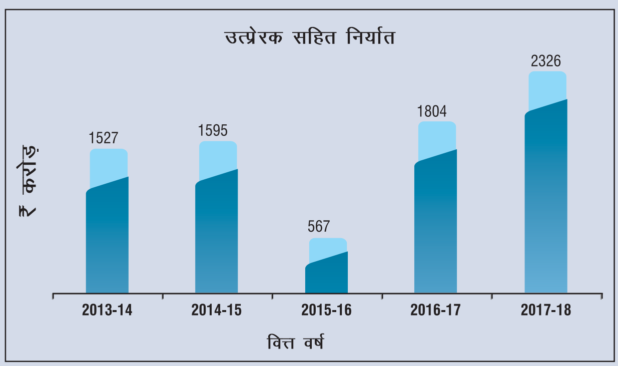

कम्पनी द्वारा नरम इस्पात व्यवसाय के लगभग प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी की गई हैं जिनमें प्लेट्स के स्वरूप में फ्लैट उत्पाद, एचआर क्वायल्स/ शीट्स तथा सीआर क्वायल्स/ शीट्स, गैल्वानायज्ड प्लेन/कोरुगेटिड शीट्स एवं लम्बे उत्पाद जिनमें रेल, संरचना, वायर रॉडस एवं मर्चेंट उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, इलैक्ट्रिक रेसिस्टेंस वैल्डिड पाइप्स, स्पॉयरल वैल्डिड पाइप्स सिलिकॉन स्टील शीट्स कम्पनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादन मिश्रण हैं। वर्ष

2017–18 के दौरान उत्पाद श्रेणीवार बिक्री टर्नओवर निम्नानुसार है:

उत्पाद श्रेणी	बिक्री मूल्य का %
बिक्री योग्य इस्पात	
फ्लैट उत्पाद (पाइप तथा इलैक्ट्रिक्ल शीट सहित) (क)	51
लम्बे उत्पाद (ख)	41
एकीकृत इस्पात संयंत्र–माइल्ड इस्पात (ग = क + ख)	92
एलॉय एवं विशेष इस्पात संयंत्र– एलॉय एवं विशेष इस्पात (घ)	3
कुल बिक्री योग्य इस्पात (ङ = ग + घ)	**95**
सैकेंडरी इस्पात (पिग आयरन,स्क्रैप, कोयला रसायन इत्यादि) (च)	5
योग (छ = ङ + च)	**100**

ग) सर्विस से आय – सेवा प्रभार

(₹ करोड़)

वि.व. 2017–18	वि.व. 2016–17	% परिवर्तन
23.56	31.89	–26.12

सर्विस की बिक्री प्राप्त होने वाले राजस्व में चालू वर्ष के दौरान लगभग 8.33 करोड़ रूपए की कमी आई है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व

(₹ करोड़)

वि.व. 2017–18	वि.व. 2016–17	% परिवर्तन
641.54	554.97	15.60

पिछले वर्ष की तुलना में सोशल सुविधा उपयोग से उच्चतर बिक्री के कारण तथा विविध वस्तुओं की बिक्री के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अन्य प्रचालन राजस्व में ₹ 86.57 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

2.2 अन्य आय

(₹ करोड़)

वि.व. 2017–18	वि.व. 2016–17	% परिवर्तन
484.45	535.61	–9.55

पिछले वर्ष की तुलना में अन्य आय में लगभग ₹ 51.16 करोड़ की कमी हुई है जो मुख्यत ग्राहकों से आवधिक जमा से प्राप्त ब्याज आय में कमी होने तथा लाभांश आय में कमी होने के परिणामस्वरूप है।

2.3 व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	वि.व. 2017–18	वि.व. 2016–17	% परिवर्तन
उपयुक्त कच्ची सामग्री	26678	21126	26.28
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	8850	8948	–1.10
वित्त लागत	2823	2528	11.67
मूल्य ह्रास	3065	2680	14.37
अन्य व्यय	16276	14220	14.46

वर्ष 2017–18 के दौरान औसत आयातित कोयला मूल्यों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई थी तथा इसका महत्वपूर्ण प्रभाव कच्ची सामग्री के मूल्यों पर हुआ है। इसके अलावा, आयातित कोयला मूल्यों में हुई बढ़त के कारण घरेलू कोयला मूल्यों में भी घरेलू कोयला कम्पनियों द्वारा की गई अनुरूपता के परिणामस्वरूप बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभों में कमी आई जो मुख्यत: प्राकृतिक पृथक्कन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण जनशक्ति में आई कमी के परिणामस्वरूप है। ऋणों एवं मूल्यह्रास में हुई वृद्धि के कारण नई सुविधाओं के पूंजीयन के कारण वित्त लागतें उच्च हुई। अन्य व्ययों में हुई वृद्धि, भंडार एवं कलपूर्जों, मरम्मत तथा अनुरक्षण, ऊर्जा एवं ईंधन, रायल्टी एवं उपकर इत्यादि में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई।

2.4 राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान सेल द्वारा राष्ट्रीय राजकोष में विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किए करों तथा प्रभारों के भुगतान के माध्यम ₹ 9,295 करोड़ का योगदान दिया गया।

2.5 गैर चालू /चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	2017–18	2016–17	% परिवर्तन
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति,संयंत्र एवं उपकरण	57156	48762	17.21
(ख)पूंजी कार्य प्रगति पर	18395	23275	–20.97
(ग) निवेश सम्पत्ति	1	1	–3.49
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियां	1455	1523	–4.46
(ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	1491	1395	6.87
(ii) व्यवसाय प्राप्य			
(iii) ऋण	451	454	–0.45
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	166	262	–36.67
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	4185	4006	4.48
(छ) गैर–चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	190	236	–19.30
(ज) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	1060	1080	–1.85
कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**84552**	**80994**	**4.39**

(₹ करोड़)

विवरण	2017–18	2016–17	% परिवर्तन
चालू परिसम्पत्तियां			
(क) मालसूचियां	16997	15711	8.18
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) व्यवसाय प्राप्य	3870	2922	32.46
(ii) रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	79	121	–34.30
(iii) उपर्युक्त (ii)के अलावा बैंक शेष	175	168	3.84
(iv) ऋण	63	61	3.95
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2787	2268	22.89
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	5634	4282	31.58
(ङ) बिक्री के वर्गीकृत परिसम्पत्तियां का धारण	33	12	172.19
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**29638**	**25545**	**16.02**
कुल परिसम्पत्तियां	**114190**	**106539**	**7.18**

- नई सुविधाओं का पूंजीयन किए जाने के परिणामस्वरूप मुख्यतः सम्पत्ति, संयंत्र में ₹ 8,394 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।
- इस्पात संयंत्रों की विभिन्न पूंजी योजनाओं पूंजीयन किए जाने के परिणामस्वरूप पूंजी कार्य प्रगति पर में ₹ 4,880 करोड़ की कमी आई।
- गैर चालू निवेशों में ₹ 96 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है जो मुख्यतः सेल की संयुक्त उद्यम कम्पनी इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किए जाने के परिणामस्वरूप है।
- अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियों में ₹ 20 करोड़ की कमी आई।
- मालसूचियों में ₹ 1,286 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जो मुख्यतः उच्च गुणवत्ता तथा आयातित कोकिंग कोल में बढ़ोतरी के कारण कच्चे माल की मालसूची में हुई बढ़त के परिणामस्वरूप है।
- व्यवसाय प्राप्य में आई बढ़ोतरी ₹ 948 करोड़ थी।
- अन्य चालू परिसम्पत्तियों में ₹ 1,352 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जो जीएसटी कानून के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट प्राप्य के परिणामस्वरूप है।

2.6 गैर–चालू / चालू देयताएं

(₹ करोड़)

विवरण	2017–18	2016–17	% परिवर्तन
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	29777	19087	56.0
(ii) व्यवसाय प्राप्य	6	7	–18.5
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	1179	1366	–13.7
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	3974	3594	10.6
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	139	151	–7.9
कुल गैर–चालू देयताएं	**35075**	**24206**	**44.9**
चालू देयताएं			
(i) ऋण	12244	19813	–38.2
(ii) व्यवसाय प्राप्य	7540	5219	44.5
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14170	12766	11.0
(ख) अन्य चालू देयताएं	7142	5607	27.4
(ग) प्रावधान	2304	2915	–20.9
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	–	5	–100.0
कुल चालू देयताएं	**43401**	**46324**	**–6.3**
योग (चालू+गैर–चालू देयताएं)	**78476**	**70530**	**11.3**

- दीर्घकालिक ऋण में 56% की हुई बढ़ोतरी अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में परिवर्तित किए जाने के कारण है।
- वाणिज्यिक पेपर का पुनर्भुगतान किए जाने तथा विदेशी मुद्रा क्रेता क्रेडिट का पुनर्भुगतान किए जाने के परिणामस्वरूप अल्पकालिक ऋण में 7,569 की कमी आई।

3. संयंत्र वार वित्तीय निष्पादन (कर पूर्व लाभ)

(₹ करोड़)

संयंत्र/यूनिट	2017–18	2016–17
भिलाई स्टील प्लांट	645.88	2.07
दुर्गापुर स्टील प्लांट	–270.85	–951.16
राउरकेला स्टील प्लांट	–180.24	–1357.80
बोकारो स्टील प्लांट	526.16	–203.07
आईआईएससीओ स्टील प्लांट	–988.55	–1946.39
एलॉय स्टील प्लांट	–47.46	–33.25
सालेम स्टील प्लांट	–211.07	–234.99
विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील प्लांट	–108.90	–116.89
सेल रिफाइनरी यूनिट	32.62	19.79
चन्द्रपुर फैरो स्टील प्लांट	19.30	–83.33
कच्ची सामग्री प्रभाग/केन्द्रीय यूनिट*	–175.83	54.16
बिक्रीः कर पूर्व लाभ	**–758.94**	**–4850.86**

*इसमें जमा पर अर्जित ब्याज तथा निगमित कार्यालय की बहियों में किया गया धारण शामिल है।

छ.सामग्री प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन की इनपुट लागतों में कमी लाए जाने तथा निष्पादन में सुधार के लिए अनेकों प्रयास किए गए थे जिनमें से कुछ का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

- **मालसूची में कमीः** भंडार एवं कलपूर्जों की अधिक मात्रा में खरीद (वर्ष की तुलना में वर्ष आधार पर 30% वृद्धि) के बावजूद 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार केवल 7.20 माह का धारण उपलब्ध था जो 31 मार्च, 2017 की 6.54 माह की स्थिति से थोड़ा ऊपर है।
- **क्रय लागत में कमीः** बल्क खरीद / केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी (सीपीए) मदों के क्रय के लिए विविध आयामों से युक्त रणनीति अपनाए जाने के परिणामस्वरूप लो सिलिसिया लाइमस्टोन, फैरो–एलॉय तथा सी वाटर मैगनेशिया इत्यादि के क्षेत्रों में 121 करोड़ रूपए से अधिक की लागत बचत की जा सकी थी।
- **ई–अधिप्राप्तिः** आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन / उद्यम अधिप्राप्ति सिस्टम प्लेटफार्मो के लिए वर्ष की तुलना में वर्ष के आधार पर ई–निविदा उपयोग 48.67% से बढ़कर 59.63% हो गया है।
- **सिस्टम सुधारः** वर्ष 2017–18 के दौरान सेल में यूनिफार्म ट्रॉयल प्रक्रिया, बैंक गारंटी प्रक्रिया सहित अनेक नई / संशोधित नीतियां एवं प्रक्रियाएं, सेल के संयंत्रों/यूनिटों से बिक्री के सामान्य नियम तथा शर्तें जारी की गई थी। इसके अलावा, भारत सरकार के एमएसएमई संबंध पोर्टल पर डाटा/सूचना की पोस्टिंग करने के उद्देश्य से संयंत्रों/यूनिटों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डाटा/सूचना की प्रस्तुति के लिए एक आनलाइन मॉड्यूल का विकास किया गया था।

ज. विदेशी मुद्रा संरक्षण

कम्पनी द्वारा उपकरणों, कच्ची सामग्री तथा अन्य इनपुटों की अधिप्राप्ति वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य मूल्यों/लागतों पर देश में ही उपलब्ध होने तथा कम्पनी की प्रौद्योगिकी अपेक्षाओं की पूर्ति में सक्षम होने की स्थिति में यथासंभव स्वदेशी स्रोतों से ही की जाती है। विदेशी मुद्रा में किए जाने व्यय के संबंध में अपेक्षित नियंत्रण का उपयोग किए जाने के अलावा यह सुनिश्चय कर लिया जाता है कि ऐसा किया जाना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में है। इसके अलवा, कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चय करने के लिए औचित्यपरक उपाय किए गए हैं कि कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाने प्राप्यों की प्राप्ति संविदा अवधि में ही कर ली जाए।

झ. परियोजना प्रबंधन

एएमआर योजनाएं

आधुनिकीकरण एवं विस्तार की परियोजनाओं के अलावा सुधार एवं प्रतिस्थापन (एएमआर) की ऐसी योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं जो कम्पनी के विद्यमान प्रचालनों तथा प्रमुख ध्यान केन्द्रों के प्रबंधन से संबंधित चालू स्तरों की कार्यकुशलता एवं वृद्धि उपायों की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित हैं। सुधार एवं प्रतिस्थापन की योजनाएं विद्यमान प्रचालनों की उत्तरजीविता, उत्पाद प्रक्रियाओं के संतुलन/उत्पाद प्रक्रियाओं के अवरोधों को दूर करने, ऊर्जा एवं अन्य खपत/सेवा /संरक्षा एवं पर्यावरणीय संसाधनों में सुधार लाने अथवा उनका पुनर्निमाण करने के लिए प्रवर्तित की गई हैं। प्रतिस्थापन के अंतर्गत मुख्यतः विद्यमान संयंत्र एवं उपकरण / सुविधाओं को बेहतर निष्पादन वाले संयंत्र एवं उपकरण / सुविधाओं से प्रतिस्थापित किए जाने; कोल ओवन बैटरियों जैसी कुछ सुविधाओं का उनके उपयोज्यता काल के समापन के पश्चात पुनर्निर्माण प्रतिस्थापन योजना के अंतर्गत किया जाना है। तदनुसार, लगभग 7,124 करोड़ रूपए मूल्य की लागत से अनेक सुधार एवं प्रतिस्थापन योजनाओं का कार्यान्वयन कम्पनी के विभिन्न संयंत्रों में निम्नानुसार किया जा रहा हैः

- रावघाट डिपोजिट में 21 स्थलों पर स्थाई बैरेक्स का निर्माण, ब्लास्ट फर्नेस–4 के लिए स्टोवों का उन्नयन, ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 7 में डिफ्यूमिंग सिस्टम, पॉलिक्लोरिनेटिड बॉफेनिल्स के पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन के लिए स्टैटिक सुविधा की स्थापना तथा भिलाई स्टील प्लांट के सिन्टर संयंत्र–II में सभी 4 मल्टी साइक्लोनो के प्रतिस्थापन के रूप में इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रिसैप्टर्स की स्थापना किया जाना।
- व्हील एवं एक्सल संयंत्र में नई रोटेरी हर्थ रिहीटिंग फर्नेस की स्थापना तथा दुर्गापुर स्टील संयंत्र में 2x220 मेगावाट ऊर्जा की निकासी के लिए नया ऊर्जा संयंत्र।
- राउरकेला स्टील संयंत्र में नए हॉट स्ट्रिप मिल की स्थापना।
- ब्लास्ट फर्नेस –1 के लिए हाइड्रोलिक मुडगन एवं ड्रिल मशीन के प्रावधान, वैकल्पिक गैस नेटवर्क, नए सिन्टर संयंत्र, स्टील मोल्डिंग शॉप –1 का आधुनिकीकरण, ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 1 का उन्नयन, कोक ओवन बैटरी–8 का पुनर्निर्माण तथा लाइम किल्न के 6 इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रिसैप्टरों का उन्नयन तथा बोकारो स्टील संयंत्र के सिन्टर संयंत्र में इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रिसैप्टरों से युक्त बैटरी साइक्लोनों का प्रतिस्थापन किया जाना।
- चन्द्रपुर फैरो एलॉय संयंत्र में 4 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र।

ञ. आंतरिक डिजायन एवं इंजीनियरिंग

सेल की आंतरिक डिजायन, इंजीनियरिंग एवं परामर्शदात्री यूनिट सेन्टर फार इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी (सीईटी) द्वारा एकीकृत स्टील संयंत्रों तथा इसकी

खानों तक के पूरे क्रम की संकल्पना से लेकर परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किए जाने तक की पूरी रेंज के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 240 अर्हता प्राप्त, प्रशिक्षित एवं अनुभवी इंजीनियरों के साथ सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अब खनन लाभ प्राप्ति, पैलेट संयंत्र, सामग्री संचलन, ऊर्जा संयंत्र, स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र,स्टोव, जल प्रबंधन, ऑटोमेशन एवं अन्य अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। इसकी बास्केट की चालू प्रमुख परियोजनाओं में बीएसएल में कोक ओवन बैटरी नम्बर 7 तथा 8 के पुनर्निर्माण, आरएसपी में नई 3.0 एमटी हॉट स्ट्रिप मिल, बीएलएल में एसएमएस–1 का आधुनिकीकरण किए जाने जैसी अनेक परियोजनाएं हैं।

ट. परामर्शी सेवाएं

आपकी कम्पनी के अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियरों, प्रौद्योगविज्ञों एवं व्यावसायिक अर्हता प्राप्त मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जखीरा है। अपने बड़े और विविधतायुक्त विशेषज्ञता एवं पिछले पांच दशकों में प्राप्त अनुभव के साथ सेल द्वारा सेल परामर्शी डिवीजन ('सेलकॉन') के माध्यम से लौह एवं स्टील तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए डिजायन, इजीनियरिंग, प्रशिक्षण, तकनीकी एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हुए विश्व भर के ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेलमॉन एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन वाला उत्कृष्ट संगठन है तथा इसके द्वारा सेल के संयंत्रों तथा यूनिटों में व्याप्त गहन एवं विविधतापूर्ण अनुभव से अपनी शक्तियों को संजोकर विभिन्न उद्यमों के लिए सक्रिय सहयोग दिया गया है तथा उनकी अपेक्षाओं के अनुसार हमारे मूल्यवान ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की गई है। इसका प्रधान गुण तकनीकी एवं प्रबंधन प्रशिक्षण सेवाएं हैं तथा इन सेवाओं का उपयोग भारत तथा विदेश में स्थित अनेक निजी एवं सरकार संगठनों द्वारा किया गया है।

"सेलकॉन" द्वारा भारत तथा विदेश में मिस्त्र, सउदी अरब, इरान, कतर, थाइलैंड, नेपाल, फिलिपिन्स इत्यादि जैसे देशों में निर्दिष्टियों का निर्वाह किया गया है।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सेलकॉन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है तथा स्टील निर्माण के संबंध में अनेक नए भर्ती अधिशासियों को हरित क्षेत्र एकीकृत स्टील संयंत्र की प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ठ. अनुसंधान एवं विकास

कम्पनी का लौह एवं स्टील के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख अनुसंधान संगठन है। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए कि चिरस्थायी विकास के लिए विकास एवं नई प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं के समावेश का मूल तत्व नवोपाय है, सेल द्वारा रांची में स्थित अपने पूर्णतः सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के माध्यम से अपने अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रियाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यहां तीन हजार से भी अधिक नैदानिक उपकरण एवं पंद्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं में पर्याप्त पॉयलट सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस केन्द्र में लौह तथा स्टील के संबंध में कच्ची सामग्री से लेकर तैयार उत्पादों तक के पूरे विस्तार से जुड़ी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान 92 परियोजनाएं आगे बढ़ाई गई थी जिनमें से 38 परियोजनाएं संगठन को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभों के साथ पूरी कर ली गई हैं।

इन तीन परियोजनाओं पर इस्पात मंत्रालय के सहयोग से कार्य किया जा रहा है: (क) उत्कृष्टता की अलग–अलग डिग्री के साथ भारतीय गोएथिटिक / हेमेटाइट अयस्क के लिए पायलट स्केल पेलेटिटेशन तकनीक का विकास (सितम्बर, 2017 में पूरी की गई); (ख) कंटीन्यूयस कास्टर्स के लिए मॉडल आधारित ब्रेकआउट पूर्वानुमान प्रणाली का स्वदेशी विकास; तथा (ग) कोक ओवन बैटरी के कोयला हैंडलिंग संयंत्र में इष्टतम कोयला मिश्रण के लिए स्वचालन प्रणाली का विकास।

लौह एवं स्टील अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा बाजार अपेक्षाओं के अनुसार बेहतरीन निष्पादन पर आधारित उपयोज्यताओं के माध्यम से सर्वोत्कृष्ट उत्पादों के विकास के अग्रणी कार्यों को भी आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान बीस उत्पाद विकसित किए गए हैं तथा इनमें भारतीय निर्माण सेगमेंट के लिए प्रतिरोधी स्टील, रेल वैगन, प्रेशर पाइपलाइन, घरेलू एलपीजी सिलेंडर इत्यादि जैसे उल्लेखनीय उत्पाद शामिल हैं।

विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में हासिल अपनी उत्कृष्टता के साथ लौह एवं स्टील अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा विख्यात अनुसंधान संस्थानों तथा अकादमियों के साथ अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सहभागिता की गई है। वर्ष 2017–18 के दौरान बीआईटी, सिन्दरी तथा आईआईटी खड़गपुर जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन/ सहभागिता करार किए गए हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान लौह एवं स्टील अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) के इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत 25 पेटेंट तथा 29 कॉपीराइट (सेल संयंत्रों की सहभागिता से) प्राप्त किए गए हैं। 90 तकनीकी पेपर (21 अंतर्राष्ट्रीय) प्रकाशित किए गए तथा 97 पेपर (24 अंतर्राष्ट्रीय) प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, लौह एवं स्टील अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) द्वारा सेल के बाहर के संगठनों के लिए संविदारत अनुसंधान कार्य किए गए तथा परामर्शी सेवाएं एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई।

इस केन्द्र द्वारा प्रदत्त योगदान की मान्यता के तौर पर लौह एवं स्टील अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) को वर्ष 2017–18 के दौरान अनेक सम्मानित पुरस्कार (कुल 4) प्राप्त हुए हैं जिनमें सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार, 2017, एम. विश्वेश्वर्या पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं।

ड. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी सटीकता

कम्पनी में कम्पनी के निम्नलिखित व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकुशल आंतरिक व्यवस्था स्थापित है:

- प्रचालनों की कार्यकुशलता
- संसाधनों का संरक्षण
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता एवं तत्परता
- निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन
- विभिन्न कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन

सेल में आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्यों में विविध अनुशासनात्मक क्रियाकलाप शामिल किए गए हैं जिनमें कम्पनी की विविध प्रणालियों, प्रक्रियाओं/ नीतियों का मूल्यांकन किया जाना तथा अर्थपूर्ण सुझाव एवं उपयोज्य सुधार शामिल किए गए हैं। इससे प्रबंधन को कुशल कॉरपोरेट गवर्नेस के प्रति जोखिम प्रबंधन की प्रभाव्यता के लिए प्रक्रियाबद्ध एवं अनुशासिक पहुंच स्थापित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिल पाती है।

कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षण क्रियाओं को और प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। निदेशक मंडल स्तरीय लेखापरीक्षण समिति के सुपरवीजन में आंतरिक लेखापरीक्षण द्वारा परिवेश का समग्र परिवेश नियंत्रण किया जाता है जिससे आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्यों में स्वतंत्रता, प्रणालियों में पारदर्शिता तथा आंतरिक लेखापरीक्षण कार्मिकों इत्यादि के उचित कौशल मिश्रण से आंतरिक नियंत्रण हो पाते हैं। सिस्टम/प्रक्रिया तथा बेंचमार्कों के लिए संयंत्रों /यूनिटों में अपनाए जाने वाले उत्तम व्यवहारों के अनुरूप प्रमुख जोखिम के संज्ञान पर आधारित लेखापरीक्षण योजना तैयार करके लेखापरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है जिससे कम्पनी के प्रचालनों में समग्र कार्यकुशलता सुधार के साथ साथ प्रचालनों की लागतों में कटौती भी हासिल की जा सके। आंतरिक लेखा परीक्षक अधिशासियों का विकास, लेखा परीक्षकों में जागरूकता का संचार, आंतरिक लेखापरीक्षण के संबंध में अग्र सक्रिय भूमिका के प्रति विस्तार जैसे अन्य प्रमुख ध्यान केन्द्रित कार्य वर्ष के दौरान जारी रखे गए। लेखापरीक्षा समिति द्वारा कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ आयोजित अपनी बैठक में भी अपने विचार तथा कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता एवं वित्तीय रिपोर्टों के संबंध में उनके प्रेक्षण पर अपने विचार रखे गए। लेखापरीक्षण समिति द्वारा प्रबंधन की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। लेखापरीक्षण समिति द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ निम्नलिखित क्षेत्रों की मॉनीटरिंग/पुनरीक्षा की गई :

- उद्यम जोखिम प्रबंधन की आवधिक समीक्षा (ईआरएम)
- आकस्मिक देयताओं की स्थिति
- ऊर्जा ऑडिट
- सेल में चौकसी तंत्र व्यवस्था की कार्य व्यवस्था
- लागत लेखापरीक्षण रिपोर्टें।
- परिसम्पत्ति संबंधी मामले

आंतरिक लेखापरीक्षण की पूर्ति नीतियों, दिशानिर्देशों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजों से होती है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। रिपोर्टों में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों की आवधिक प्रस्तुति प्रबंधन एवं निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को की जाती है।

सचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण में अनेक विवरण शामिल किए गए हैं जिसमें कम्पनी के लक्ष्यों, तथ्यों तथा अनुमानों की प्रस्तुति अग्र एवं प्रगतिशील विचार के अर्थ के दायरे में लागू विधान एवं विनियमों के अंतर्गत की गई है। वास्तविक परिणाम इन व्यक्त अथवा अंतर्निहित अर्थ से आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों तथा प्रासंगिक कारकों की निर्भरता पर भिन्न हो सकते हैं।

स्टैंडअलोन तुलन–पत्र

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर तत्कालिक परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**57156.09**	48762.03
(ख) पूंजीगत प्रगति पर कार्य	5	**18395.43**	23275.39
(ग) निवेश संपति	6	**0.83**	0.86
(घ) अमूर्त संपत्तियां	7	**1454.63**	1522.58
(ड़) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	**1491.30**	1395.48
(ii) व्यापार प्राप्तियां	9	**–**	–
(iii) ऋण	10	**451.46**	453.52
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	11	**166.18**	262.42
(च) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	12	**4185.27**	4005.84
(छ) वर्तमान कर संपत्तियां (निवल)	13	**190.31**	235.81
(ज) अन्य गैर–चालू संपत्तियाँ	14	**1060.10**	1080.12
		84551.60	80994.05
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) माल सूची (इनवेंटरी)	15	**16996.67**	15711.35
(ख) वित्तीय संपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	16	**3869.94**	2921.69
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	**79.45**	120.93
(iii) अन्य बैंक शेष	17 (ii)	**174.61**	168.16
(iv) ऋण	18	**63.41**	61.47
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	19	**2787.20**	2267.85
(ग) अन्य चालू संपत्तियां	20	**5634.42**	4282.03
		29605.70	25533.48
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति	21	**32.50**	11.94
कुल परिसंपत्तियां		**114189.80**	106539.47
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**31583.14**	31878.53
		35713.67	36009.06
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	24	**29777.16**	19087.48
(ii) व्यापार देय	25	**6.38**	7.36
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	**1179.36**	1365.93
(ख) प्रावधान	27	**3973.28**	3593.94
(ग) अन्य गैर–मौजूदा देनदारियां	28	**138.33**	151.29
		35074.51	24206.00
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	29	**12244.32**	19813.04
(ii) व्यापार देय	30	**7540.50**	5219.20
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	31	**14170.20**	12765.62
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियां	32	**7142.42**	5607.26
(ग) प्रावधान	33	**2304.18**	2914.77
(घ) वर्तमान कर देनदारियां (निवल)	34	**–**	4.52
		43,401.62	46,324.41
कुल इक्विटी और देनदारियां		**114189.80**	106539.47
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी. के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*
	डीआईएनः 03256818	डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी	**कृते चैटर्जी एंड कंपनी**	**कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी**	**कृते ए. के. साबत एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई	फर्म पंजीकरण सं. 302114ई	फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)	**(टी. एन. घोष)**	**(संजय जिंदल)**	**(ए. के. साबत)**
साझीदार	साझीदार	साझीदार	साझीदार
एम. नं. 050773	एम. नं. 050644	एम. नं. 087085	एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से राजस्व	35	**58962.36**	49767.10
अन्य आय	36	**484.45**	535.61
कुल आय		**59446.81**	50302.71
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	37	**26678.81**	21125.70
तैयार माल और प्रगति पर कार्य की सूची में परिवर्तन	38	**1135.49**	120.63
उत्पाद शुल्क		**1403.90**	5314.69
कर्मचारी लाभ व्यय	39	**8850.07**	8947.83
वित्तीय लागत	40	**2822.75**	2527.82
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**3064.92**	2679.95
अन्य व्यय	41	**16276.24**	14220.21
कुल व्यय		**60232.18**	54936.83
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(785.37)**	(4634.12)
घटाः असाधारण मद	41A	**(26.43)**	216.74
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(758.94)**	(4850.86)
कर व्यय			
आस्थगित कर		**(312.96)**	(2032.76)
पूर्व वर्षों का		**35.73**	15.14
कुल कर व्यय		**(277.23)**	(2017.62)
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**(481.71)**	(2833.24)
अन्य समावेशी आय			
(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		**275.33**	(545.04)
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश से लाभ और हानि		**8.79**	3.02
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		**(97.80)**	188.42
वर्ष के लिए अन्य समावेशी आय / (हानि)		**186.32**	(353.60)
वर्ष के लिए कुल समावेशी आय / (हानि)		**(295.39)**	(3186.84)
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10/– प्रत्येक)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटिड कमाई (₹)		**(1.17)**	(6.86)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 03256818

हस्ता./–
(पी. के. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझीदार
एम. नं. 050773

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(टी. एन. घोष)
साझीदार
एम. नं. 050644

कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझीदार
एम. नं. 087085

कृते ए. के. साबत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए. के. साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल, 2017 को शेष
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.39	0.02	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.14	(0.02)	0.12
	1 अप्रैल, 2017 को शेष	**इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**1 अप्रैल, 2018 को शेष**
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.41	–	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.12	–	0.12

ख. अन्य इक्विटी (₹ करोड़)

	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय – रिजर्व	
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	सामान्य रिजर्व	बांड रिडेम्पशन रिजर्व	रिटेंड आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	योग
1 अप्रैल, 2016 को शेष	1.75	235.10	5,095.13	1,449.96	28,283.65	(0.22)	35,065.37
(नुकसान) वर्ष के लिए	–	–	–	–	(2,833.24)	–	(2,833.24)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	(356.62)	3.02	(353.60)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	–	–	–	–	**(3,189.86)**	**3.02**	**(3,186.84)**
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व से स्थानांतरण	–	–.	–	(84.09)	84.09	–	–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	607.77	(607.77)	–	–
31 मार्च, 2017 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5,095.13**	**1,973.64**	**24,570.11**	**2.80**	**31,878.53**
1 अप्रैल, 2017 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5,095.13**	**1,973.64**	**24,570.11**	**2.80**	**31,878.53**
(हानि) वर्ष के लिए	–	–	–	–	(481.71)	–	(481.71)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (हानि) (निवल कर)	–	–	–	–	177.53	8.79	186.32
वर्ष के लिए कुल समावेशी आय / (हानि)	–	–	–	–	**(304.18)**	**8.79**	**(295.39)**
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व से स्थानांतरण	–	–	–	(239.75)	239.75	–	–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	606.80	(606.80)	–	–
31 मार्च, 2018 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5,095.13**	**2,340.69**	**23,898.88**	**11.59**	**31,583.14**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 3

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 03256818

हस्ता./–
(पी. के. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझीदार
एम. नं. 050773

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(टी. एन. घोष)
साझीदार
एम. नं. 050644

कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझीदार
एम. नं. 087085

कृते ए. के. साबत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए. के. साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पहले लाभ/(हानि)	**(758.94)**	(4850.86)
इसके लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**3064.92**	2679.95
अचल संपत्तियों के निपटान पर लाभ (शुद्ध)	**72.80**	48.17
ब्याज आय	**(166.09)**	(0.10)
लाभांश आय	**(76.16)**	(91.93)
वित्त लागत	**2822.75**	2527.82
गैर मौजूदा निवेश की बिक्री पर नुकसान/(लाभ)	**–**	(0.01)
संदिग्ध अग्रिम/प्राप्तियों के लिए खराब ऋण और प्रावधान	**85.42**	74.47
अन्य प्रावधान	**130.32**	73.08
निष्क्रिय खातों के शेष और अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन किया गया है	**(172.26)**	(97.62)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**5002.76**	362.97
संपत्ति और देनदारियों में बदलाव		
व्यापार प्राप्तियां	**(861.41)**	244.95
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां और अन्य संपत्तियां	**(1755.36)**	(431.53)
व्यापार भुगतान	**2320.32**	1217.02
अन्य वित्तीय देयताएं, अन्य देनदारियां और प्रावधान	**2813.08**	1801.41
मालसूची	**(1402.56)**	(1104.70)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**6116.83**	2090.12
आयकर का भुगतान (शुद्ध)	**40.98**	34.91
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**6157.81**	2125.03
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूंजी कार्य–प्रगति सहित) और अप्रत्यक्ष संपत्ति की खरीद	**(6757.49)**	(5452.18)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से प्राप्त आय	**153.09**	25.02
वर्तमान और गैर–मौजूदा निवेश की खरीद	**(100.11)**	(100.90)
सावधि जमा में गति (शुद्ध)	**(6.45)**	(2.64)
प्राप्त ब्याज	**166.09**	0.10
प्राप्त लाभांश	**76.16**	91.93
निवेश की गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ख)	**(6468.71)**	(5438.67)
ग. वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**10689.68**	1591.77
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**(7568.72)**	4238.18
वित्त लागत का भुगतान	**(2851.54)**	(2527.82)
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**269.42**	3302.13
नकदी और नकद समतुल्यों में वृद्धि (क+ख+ग)	**(41.48)**	(11.51)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**120.93**	132.44
साल के अंत में नकद और नकद समतुल्य (नोट सं. 17(i))	**79.45**	120.93

भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में संशोधन के लिए संस्था को प्रकटीकरण देने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों शामिल हैं, जो कि प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक जमा और अंत शेष के बीच मिलान को शामिल करने की सलाह देते हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो चुका है और आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है। इस संशोधन के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई अन्य प्रभाव नहीं है।

(₹ करोड़)

			गैर–नकदी परिवर्तन		
	31.03.2017 को	**नगदी प्रवाह**	**उचित मूल्य परिवर्तन**	**मौजूदा/गैर–मौजूदा वर्गीकरण**	**31.03.2018 को**
उधार – गैर मौजूदा	19087.48	7417.97	–	(3271.71)	29777.16
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	2381.74	(2381.74)	–	3271.71	3271.71
उधार– मौजूदा	19813.04	(7568.72)	–	–	12244.32

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष रूप में तैयार किया गया है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक–7 में निर्धारित किया गया है, नकदी प्रवाह का विवरण।

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 03256818

हस्ता./–
(पी. के. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझीदार
एम. नं. 050773

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(टी. एन. घोष)
साझीदार
एम. नं. 050644

कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझीदार
एम. नं. 087085

कृते ए. के. साबत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए. के. साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे "कंपनी" कहा गया है), भारत में गठित और निगमित है। कंपनी, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त महारत्न पदक से सम्मानित, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो देश के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। कंपनी की प्रतिभूतियां, राष्ट्रीय बॉम्बे और लंदन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

इन वित्तीय विवरणों को 30 मई, 2018 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. प्रस्तुति का आधार

2.1 अनुपालन विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित किए गए अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और भारत में सामान्य स्वीकृत अन्य लेखांकन नियमों के अनुसार, संचित आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

2.2 माप का अधिकार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर, सिवाय निम्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, तैयार किया गया है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जिन्हें अन्य व्यापक आय के माध्यम से लाभ और हानि या निष्पक्ष मूल्य के माध्यम से, उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां, प्रचलित राशियों के निम्न मूल्य पर या उचित मूल्य में से बिक्री के लिए लागत को कम करके;
- परिभाषित लाभ योजनाएं और योजना परिसंपत्तियां।

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। ₹ में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को करोड़ में, निकटतम दो दशमल तक, यदि अन्यथा नहीं दिया गया है, पूर्ण किया गया है।

2.4 आकलनों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को आकलन करना और अनुमान लगाना आवश्यक है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और वित्तीय विवरणों की तारीख को, आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व की मात्रा और व्ययों तथा वित्तीय विवरणों के नोटस को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। इस तरह के आकलनों में कोई भी संशोधन, उस अवधि में मान्य होता है जिसमें वह निर्धारित होता है।

2.5 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

समूह चालू/ गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करता है। किसी भी परिसंपत्ति को तभी चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह :

- सामान्य ऑपरेटिंग चक्र में बेची या खपत के लिए अभीष्ट या अभिप्रेत होने की उम्मीद रखती है
- मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए रखी गई है
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसकी बिक्री होने की आशा है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए, विनिमय या देनदारी के निपटान के लिए उपयोग करने से नगदी या समकक्ष को बेशर्ते प्रतिबंधित किया गया है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटारे की आशा हो
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखी गई हो
- इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर निपटारा होना हो, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटारे को रोकने की कोई शर्त न हो

अन्य सभी देनदारियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऑपरेटिंग चक्र, परिसंपत्तियों के संसाधन हेतु इन्हें अर्जित करने और इन्हें नकदी या नकदी समतुल्य में वसूली के बीच का समय है। स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया हैं।

3.1 सम्पति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

मूर्त परिसंपत्तियां

उत्पादन या/ और माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपयोग हेतु रखी जाने वाली सम्पति, संयंत्र और उपकरणों को तुलनपत्र में लागत पर लिया जाता है जिसमें से किसी भी अनुवर्ती संचित मूल्यह्रास और हानि को घटा दिया जाता है। अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के नकदी मूल्य समकक्ष पर प्रारंभिक लागत में आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद कर, संपत्तियों को कार्य करने की स्थिति में और कार्यस्थल पर लाने तथा इसके इच्छित उपयोग हेतु किसी भी अनिवार्य डि–कमीशनिंग लागत के वर्तमान मूल्य की प्रत्यक्ष आरोपित लागत, सभी इसके खरीद मूल्य में शामिल है। संयंत्र और मशीनरी में वित्त लीज के तहत ली गई संपत्ति भी शामिल है।

स्वनिर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त समस्त सामग्रियों की लागतें, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड आवंटन, प्रत्यक्ष आरोपित उधार लागतें जिसमें परीक्षण चालन व्यय (राजस्व का शुद्ध)।

ऐसे स्पेयरज जिनका उपयोगी जीवन एक साल से अधिक है और प्रत्येक मामले में जिनका मूल्य ₹ 10 लाख या अधिक है, को संबंधित शीर्षक के तहत, जब कभी उपयोग हेतु उपलब्ध होता है, का पूंजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

बाद के व्यय को संपत्ति की ले जाने वाली राशि में वृद्धि के रूप में, जैसा उचित हो, केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित मदों की कैरिंग राशि को गैरमान्य किया जाता है।

यदि इस बात की संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और प्रतिस्थापित मद (मदों) कैरिंग राशि को गैर मान्य किया जाता है तो ₹ 50 लाख या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की मरम्मत को मद की कैरिंग राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.1.3 मूल्यह्रास

मूर्त संपत्तियों और संपत्ति में निवेश पर मूल्यह्रास, सीधी लाइन विधि पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए अनुसार, संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर संपत्ति की लागत के 5% अधिशेष मूल्य पर विचार करते हुए, कारखाने के भवन, संयंत्र और मशीनरी, जल आपूर्ति और सीवरेज तथा रेलवे लाइनों और साइडिंग तथा इसके घटक के सिवाय, जहां तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मान्य उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति वर्ग	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फैक्ट्री भवन	35 से 40
संयंत्र और मशीनरी	10 से 40
जलापूर्ति और सीवरेज	25 से 40
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 से 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों के वर्गों के लिए, कंपनी का मानना है कि उपर्युक्त उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान कंपनी इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा रखती है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग हैं।

प्रत्याशित आधार पर अनुमान में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए, अनुमानित उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास योग्य/अमूर्त परिसंपत्तियों के शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है।

जहां किसी मूल्यह्रासयोग्य परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत में कोई परिवर्तन आता है तो संशोधित परिशोधित मूल्यह्रासयोग्य राशि पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्ति को अपनाने/ त्यागने के मास के संदर्भ में मूल्यह्रास अनुपातिक आधार पर दिया जाता है। ₹ 5000/– तक की लागत वाली परिसंपत्तियों को जिस वर्ष में उपयोग किया जाता है, उसी में पूर्णतया मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

पूंजीगत स्पेयर पर मूल्यह्रास, स्पयेरज के उपयोगी जीवन या संबंधित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर, जो भी कम हो, पुनः मूल्यांकन के आधार पर, किया जाता है।

3.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

3.2.1 मान्यता और माप

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इससे संबंधित सभी लागतों को, कुल अनुमानित खननयोग्य भंडारों में वार्षिक उत्पादन के आधार पर अमूर्तकृत किया जाता है। यदि खनन अधिकारों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित शेष राशि को उस वर्ष के राजस्व से चार्ज किया जाता है जिसमें गैर नवीनीकरण का निर्णय लिया जाता है।

अधिग्रहण लागत अर्थात लाइसेंस के अधिग्रहण और इसके दोहन के अधिकारों से जुड़ी लागतें जिसमें संबंधित पेशेवर फीस, सांविधिक वानिकी स्वीकृति हेतु भुगतान, जैसे और जब व्यय किए जाते है, शामिल है, को खनन अधिकारों के अतिरिक्त माना जाता है।

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और पांच वर्ष या उसकी लाइसेंस अवधि, जो कम हो, के दौरान परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके और संबंधित परिसंपत्ति तथा प्रक्रिया, कंपनी द्वारा पहचाने जाने योग्य और नियंत्रित हो। अनुसंधान और अन्य विकास व्यय को, जब कभी व्यय किया जाएगा तो राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

3.2.2 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता हैं जब यह उस विशिष्ट परिसंपत्ति, जिससे यह संबंधित है, के भावी आर्थिक लाभ को बढ़ाता है। अन्य सभी व्यय को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.3 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को अपनी परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि की समीक्षा, किसी एक संयंत्र की सभी परिसंपत्तियों को नकदी सृजन इकाइ (सीजीयू) के रूप में विचार करके करती है ताकि हानिकारक संकेतकों, यदि हो, का पता लगाया जा सके। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान, जो शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य का उच्चतम है, लगाया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो एक क्षति हानि की पहचान की जाती है।

जब कोई क्षति हानि बाद में रिवर्स हो जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि (या नकदी सृजन इकाइ) उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान से बढ़ जाती है ताकि बढ़ी हुई कैरिंग रकम, उस कैरिंग राशि से अधिक न हो जिसका निर्धारण पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी सृजक इकाइ) के क्षति हानि न होने के लिए किया गया है। किसी भी क्षति हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरंत रिवर्स मान्यता दी जाती है।

3.4 अनावृत लागत (Stripping Cost)

किसी खनन की सतह के उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई अनावृत लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि भावी अवधियों में, ऐसी लागत अयस्क तक उन्नत पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करें और निम्न मानदंड पूरे करें:

- यह संभव है कि अनावृत गतिविधि से जुड़े भावी आर्थिक लाभ (अयस्क निकाय तक उन्नत पहुंच) इकाइ को प्राप्त हो,
- इकाइ उस अयस्क निकाय के घटक की पहचान कर सकती हो जिस तक पहुंच में सुधार हुआ है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

व्यय, जिसे अयस्क तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सकता, परियोजना रिपोर्ट पर आधारित कॉलियरियों को छोड़कर, खदानों के लिए 5 वर्षीय खनन योजना के अनुसार अनावृत अनुपात पर राजस्व में लिया जाता है।

3.5 उधार लागतें

उधार लागतें प्रत्यक्ष रूप से योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार लागत है जिसमें पर्याप्त अवधि लगती है, इन्हें उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जो उस अवधि के दौरान परिसंपत्ति के इच्छित उपयोग को पूरा करने और तैयार करने के लिए जरूरी है।

कंपनी पर्याप्त अवधि के रूप में बारह महीने या उससे अधिक की अवधि मानती है।

दीर्घकालीन उधारों के संबंध में लेनदेन लागतें प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके संबंधित ऋण के कार्यकाल में अमूर्त होती है। अन्य उधार लागतों को, जिस अवधि में यह व्यय की जाती है, लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.6 मालसूचियां

कच्चा माल, स्टोर तथा स्पेयरज और निर्मित/ अर्ध निर्मित उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) को, संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की मदों को निम्न लागत और शुद्ध प्राप्य मूल्य के आधार पर लिया जाता है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर चलने वाली मदों के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व में लिया जाता है। अर्द्ध तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध प्राप्य मूल्य, जिनका प्राप्य मूल्य केवल निर्मित स्तर पर ही है, का आकलन, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

अवशेष उत्पादों और अन्य स्क्रैप का मूल्य, अनुमानित शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत निर्धारण का आधार निम्न है:

कच्चा माल – आवधिक भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

स्टोरज और स्पेयरज – गतिशील भारित औसत लागत

रास्ते में माल – लागत पर

निर्मित/ अर्धनिर्मित उत्पाद – माल की लागत जमा श्रम का उचित भाग, संबंधित ओवरहेड तथा शुल्क

3.7 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तभी दिए जाते हैं जब यह उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उससे जुड़ी शर्तो का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदान को लाभ–हानि विवरण में, उस अवधि में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति के इरादे हेतु इस व्यय के लिए अनुदान देती है। जहां अनुदान परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे स्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिनके लिए संबधित अनुदान कवर करने के इरादे से है।

जहां कंपनी को गैर मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित रकम में सकल रिकार्ड किया जाता है और अपेक्षित उपयोगी जीवन और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ की खपत के पैटर्न के आधार पर आय विवरण को जारी किया जाता है।

3.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में किए गए मौद्रिक वस्तुओं के निपटारे और पुनः माप के फलस्वरूप होने वाले लाभों और हानियों को लाभ–हानि विवरण में, अवधि की समाप्ति पर विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मदों में होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 (यथासंशोधित 29 दिसंबर, 2011) को अधिसूचित लेखांकन मानक–11 से संबंधित कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2009 के विकल्प को चुना है जो 31 मार्च, 2016 को, पहले से मौजूद दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मदों के लिए इंड–एएस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक मुद्रा मदों से संबंधित विनिमय अंतर, जहां तक वे स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, को ऐसी परिसंपत्तियों की कैरिंग रकम में समायोजित किया जाएगा।

उन गैर मौद्रिक मदों को जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है और जिन्हें उचित मूल्य निर्धारण की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा परिवर्तित किया गया है, के सिवाय गैर मौद्रिक मदों को अवधि के अंत में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और इन्हें ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाएगा) पर मापा जाएगा।

3.9 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजना वह योजना है जिसमें कंपनी एक अलग इकाइ में एक निश्चित योगदान देती है। परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए भुगतान को व्यय के रूप में तब पहचाना जाता है जब कर्मचारियों ने अंशदान की पात्रता के लिए सेवा प्रदान की है। भविष्य निधि के लिए अंशदान, उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में लिया जाता है जब निधि में अंशदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएं उस कर्मचारी की वह लाभ राशि है जो सेवा की लंबाई, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागत के संदर्भ में सेवाओं को पूरा करने पर प्राप्त होगी। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्य दायित्व, रिपोर्ट करने की तिथि को परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य घटा योजना परिसंपत्तियों के निष्पक्ष मूल्य से है जिसमें अमान्य बीमांकिक लाभों या हानियों तथा पिछली सेवा की लागतों को समायोजित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा डीबीओ का वर्तमान मूल्य किसी स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा वार्षिक आधार पर, अनुमानित इकाइ क्रेडिट विधि के उपयोग द्वारा कराया जाता है। बीमांकिक लाभों या हानियों को लाभ–हानि विवरण में या वर्ष की अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

पुनः माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां, होती है, पुनर्मूल्यांकन, जिसमें वास्तविक लाभ और हानि शामिल हैं, परिसंपत्ति की सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन का प्रभाव और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) पर लाभ को तुलनपत्र में अन्य व्यापक आय, उस अवधि में जिसमें ये घटित होती है, में मान्यता प्राप्त शुल्क या क्रेडिट के साथ दिया होता है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मूल्यांकन को तुरंत आय में दिखाया जाता है और लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभों में कर्मचारियों की वह लागत जैसेकि वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, वार्षिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी शामिल हैं जो उस वर्ष में अर्जित की जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी के संबंध में दायित्वों की मान्यताओं को, संबंधित सेवाओं के बदले में प्रदत्त लाभों की गैर डिस्काउंट राशि के संबंध में मापा जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को तुरंत लाभ–हानि विवरण में लिया जाता है।

3.10 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने वाले प्रतिफल के निष्पक्ष मूल्य पर मापा जाता है।

माल की बिक्री

बिक्रियों में उत्पादन शुल्क (30 जून, 2017 तक) शामिल है और (पहली जुलाई, 2017 से) माल और सेवाकर, छूट तथा मूल्य रियायतों से शुद्ध राशि है। बिक्रियों को मान्यता तब दी जाती है जब माल का स्वामित्व खरीदारों के पक्ष में डिलीवरी दस्तावेजों का पृष्ठांकन करने के मामलों सहित खरीदारों को माल के स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों का हस्तांतरण हो जाता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप दिया नहीं जाता है, बिक्रियों का लेखांकन अस्थायी आधार पर माना जाता है।

समुद्री निर्यात बिक्रियों को निम्न पर मान्यता दी जाती है:

i) लदान बिल का निर्गम, या

ii) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों का परक्रामण, जिन मामलों में, शिपमेंट के बिना भौतिक मूल्य की वसूली के बारे में संबंधित अनुबंधों के साखपत्रों में दिया जाता है, इनमें से जो पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन की प्राप्ति की निश्चितता पर इन्हें आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

लौह अयस्क दंड जो आसानी से उपयोग करने योग्य/ बिक्री योग्य न हो, को मालसूची में शामिल किया जाएगा और निपटान होने पर इसे राजस्व माना जाएगा।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज से आय को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके संचयी आधार पर सूचित किया जाएगा। लाभांशों को, प्राप्ति का अधिकार होने पर मान्यता दी जाएगी।

3.11 पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय/ व्यय, जो प्रत्येक मामले में टर्नओवर के 0.5% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय– व्यय माना जाता है।

3.12 परिसमाप्ति क्षति और मूल्य वृद्धि के लिए दावा

परिसमाप्ति क्षति के लिए दावे को अंतिम निपटारे पर, कंपनी द्वारा पुनर्प्राप्त करने योग्य माना जाता है। इन्हें, परिसमाप्ति क्षति के अंतिम निपटारे के समय यथास्थिति, पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के मूल्यवृद्धि के दावों को, उस सीमा तक जितने कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेखा में लिया जाता है।

3.13 लीज

पट्टाधारी के रूप में कंपनी

वित्तीय लीज

वित्तीय लीज, जो पट्टेदार को प्रभावी रूप से लीज की मदों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और लाभों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, को लीज की शर्त और लीज पर दी गई परिसंपत्ति के प्रकटीकरण के द्वारा न्यूनतम लीज के भुगतान के निष्पक्ष मूल्य और वर्तमान मूल्य के निम्नतम पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी लीज के तहत लीज के भुगतान को वित्तीय प्रभारों और रिटर्न की निहित दर के आधार पर इनके मध्य विभाजित कर दिया जाता हैं। वित्त प्रभारों को सीधे आय से प्रभारित किया जाता है। लीज प्रबंधन शुल्क, कानूनी शुल्क और अन्य प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पूंजीकृत किया जाता है।

यदि कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी या नहीं, कोई तर्कसंगत निश्चितता नहीं है तो कि पूंजीकृत लीज्ड परिसंपत्तियों को, परिसंपत्ति या लीज अवधि के अनुमानित उपयोगी जीवन को, कम से कम के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

ऑपरेटिंग लीज

लीज पर अधिग्रहित ऐसी परिसंपत्ति, जहां जोखिम का महत्वपूर्ण हिस्सा और स्वामित्व का पुरस्कार, लीजकर्त्ता द्वारा अपने पास रखा जाता है, को ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज के किराए को, सीधी लाइन के आधार पर लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जहां पर किराए में निर्धारित वृद्धि, अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के लिए लीजदाता को प्रतिपूर्ति करती है।

लीजदाता के रूप में कंपनी

वित्तीय लीज

वह लीज, जो पट्टेदार को प्रभावी रूप से लीज की मदों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और लाभों को हस्तांतरित करती हैं, को वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत किया और माना जाता है। लीज के किराए की रसीदों को वित्तीय आय तथा रिटर्न की निहित दर के आधार पर पूंजीगत पुनर्भुगतान के बीच विभाजित किया जाता है। आकस्मिक किराए को, उस अवधि के लिए जिसमें वे अर्जित होते है, राजस्व के रूप में पहचाना जाता है।

ऑपरेटिंग लीज

वह लीज जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित लीज परिसंपत्ति को, उनकी प्रकृति के आधार पर तुलनपत्र में शामिल कर लिया जाता है। लीज के किराए को, सीधी लाइन विधि के आधार पर लीज की शर्तों पर मान्यता दी जाती है सिवाय उन मामलों के जहां पर किराए में निर्धारित वृद्धि, अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के लिए कंपनी को प्रतिपूर्ति करती है।

3.14 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां वह संपत्तियां होती है जिन्हें किराया अर्जित करने और/ या पूंजी वृद्धि के लिए अधिग्रहित किया जाता है। निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर, लेनदेन लागत सहित मापा जाता है। शुरुआती मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम करके लागत पर लिया जाता है। निवेश संपत्ति के निपटान पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की कैरिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

3.15 बिक्री हेतु धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

कंपनी ने किसी ऐसी गैर चालू परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित किया है यदि इसकी कैरिंग राशि प्रधानतया इसकी बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव है।

डिस्काउंटेड ऑपरेशनों सहित गैर चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे कैरिंग राशि के निम्न और बिक्री की लागत को कम करके तर्कसंगत मूल्य पर मापा जाता है तथा वित्तीय विवरणों में अलग से दिया जाता है। एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत हो जाने पर, परिसंपत्तियां मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं होती हैं।

बिक्री के कारण या डिस्काउंटेड ऑपरेशनों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एक लाइन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.16 खान की बंद होना

खान बंद करने के प्रावधान में बुनियादी ढांचे को खत्म और विध्वंस करना, अधिशेष सामग्रियों को हटाना तथा खादानों के लिए बाधित क्षेत्रों का उपचार करना शामिल है। यह प्रावधान सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सभी नियामक आवश्यकताओं और संबंधित अनुमानित लागत पर आधारित है। खान बंद करने की लागतों को तब लेखांकन अवधि में प्रदान किया जाता है जब दायित्व, ऑपरेशन और खान बंद होने के बाद की अवधि के दौरान, किए जाने वाले पुनर्स्थापन की अनुमानित भावी लागत के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर उत्पन्न होता है।

प्रारंभिक बंद करने और बहाली प्रावधान को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के तहत पूंजीकृत किया जाता है। बंद करने और बहाली ऑपरेशनों के लिए चलने वाले कार्यों के लिए अनुवर्ती गतिविधियां, जिसमें विस्तार से संबंधित नए व्यवधान या पूंजीकरण के लिए अर्हक अन्य गतिविधियां, अद्यतन लागत अनुमान, संचालनों के अनुमानित जीवन अवधि में परिवर्तन, क्लोजर गतिविधियों के समय में परिवर्तन और डिस्काउंट दरों में संशोधनों को भी "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" में पूंजीकृत किया जाएगा। इन लागतों को उन परिसंपत्तियों की जीवन अवधि के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है, जिनसे वे संबंधित हैं। बंद संचालन से संबंधित क्लोजर प्रावधानों में किसी भी परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित/ क्रेडिट किया जाता है। परिशोधन या "गैर समापन" पर प्रावधानों की स्थापना हेतु लगाये गए डिस्काउंट को वित्तीय लागत के रूप में चार्ज किया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता मिलती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के फलस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह उस दायित्व के निपटारे के लिए अपेक्षित होगा जिसके लिए एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सके। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है वहां पर प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

जब किसी प्रावधान का निपटारा करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल करने की आशा की जाती है तो प्राप्यराशि को अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, यदि वास्तव में यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्यराशि को मापा जा सकता है।

आकस्मिक देयता पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की केवल तभी पुष्टि होगी जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या घटित न होने की पुष्टि हो जाए परंतु पहचान न हो क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ को जोड़ने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्वों की आवश्यकता होगी ताकि दायित्वों का निपटान करने या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी वित्तीय विवरणों के अन्य नोट्स में आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का खुलासा करती है।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के फलस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह को असंभव या दूरस्थ माना जाता है तो कोई प्रावधान मान्य नहीं किया जाता या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियां आमतौर पर अनियोजित या अन्य उन अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती है जो आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है हालांकि जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वहा प्रकटीकरण किया गया है।

3.18 आय कर

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में वह स्थगित कर और मौजूदा कर की राशि शामिल है जिन्हें अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या सीधे इक्विटी में मान्यता नहीं है।

वर्तमान आयकर का माप, भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण से बाहर बताई गई मदों से संबंधित मौजूदा आयकर को या तो ओसीआई में या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

स्थगित आय कर की गणना देयता विधि का उपयोग करके की जाती है। स्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से माना जाता है। स्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है जिसमें यह संभव है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट (मैट क्रेडिट पात्रता) या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य में कर योग्य आय के लिए किया जाएगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इसकी संभावना हो गई है कि भविष्य में कर योग्य लाभों को स्थगित कर परिसंपत्ति को वसूली करने की अनुमति प्रदान करेगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिनकी उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्तियों की वसूली होगी या देयता का निपटारा किया जाएगा, ऐसा रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या वास्तव में अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर होगा। लाभ और हानि विवरण के बाहर मान्य मदों के संबंध में स्थगित कर को या तो ओसीआई में या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

3.19 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी और मांग जमाराशियां शामिल है। इसके साथ ही, अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (मूल परिपक्वता 3 मास से कम अवधि वाले) भी शामिल है जोकि ज्ञात नकद राशि में आसानी से परिवर्तनीय है और जिनके मूल्य में परिवर्तन की जोखिम दर नगण्य है।

3.20 इक्विटी और रिजर्व

शेयर पूंजी, जारी किए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिभूति प्रीमियम में, शेयर पूंजी जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम शामिल है। इक्विटी के अन्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैः

- परिभाषित लाभ देयता के पुनर्माप में जनसांख्यिकीय और वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक लाभ या हानि तथा योजना परिसंपत्तियों से रिटर्न शामिल है।
- बांड रिडेम्पशन रिजर्व।
- अन्य व्यापक आय में सीधे दर्ज अन्य लेनदेन।
- प्रतिधारित आय में सभी मौजूदा और पूर्व अवधि के लाभ शामिल है

3.21 वित्तीय विलेख

पहचान, प्रारंभिक माप और गैर मान्यता

उन वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनका वर्गीकरण आरंभ में ही लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है, वित्तीय

परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को आरंभ में लेनदेन लागतों के द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर पहचाना और मान्यता दी जाती है।

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का अनुबंधित अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित हो जाते हैं तो वित्तीय परिसंपत्तियों को गैर मान्य कर दिया जाता है। किसी भी वित्तीय देयता को तब गैर मान्य किया जाता है जब यह समाप्त, विमुक्त, निरस्त या समाप्त हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजन हेतु, प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अमूर्त लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल के अतिरिक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, हानि की समीक्षा की जानी हैं।

अमूर्त लागत

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापा जाता है:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को ऐसे व्यापार मॉडल के अंदर रखा जाता है जिसका वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने का उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्तें, निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह की वृद्धि करती है जोकि बकाया मूलधन की राशि पर, मूलधन और ब्याज का भुगतान होती हैं।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार और अधिकतर अन्य प्राप्तियां वित्तीय विलेखों की इसी श्रेणी में आती हैं।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल, वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो अमूर्त लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या जो व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी विलेख हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामित हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय विलेख भी इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यता के साथ, लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या जहां सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं।

एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो ऋण विलेख हैं जिन्हें व्यापार मॉडल के तहत इकट्ठा करने और बेचने के लिए प्रबंधित किया जाता है या गैर व्यापारिक इक्विटी विलेख है जिन्हें इस श्रेणी में आरंभ में ही अपरिवर्तनीय नामित किया हुआ है।

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ब्याज तथा लाभांश आय, क्षति हानि और मौद्रिक परिसंपत्तियों में विदेशी विनिमय में अंतर को छोड़कर, जिन्हें लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, लाभ और हानियों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण तथा अनुवर्ती माप

सिवाय उन वित्तीय देनदारियों के जिन्हें व्यापार हेतु रखा गया है या एफवीटीपीएल में नामित है शेष वित्तीय देनदारियों को बाद में अमूर्त लागत पर प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके मापा जाता है। इन्हें लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर या मान्यता प्राप्त हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों को एफवीटीपीएल में लिया जाता है।

इम्बेडेड व्युत्पन्न (Embedded Derivatives)

गैर व्युत्पन्न मेजबान अनुबंधों में एम्बेडेड व्युत्पन्नों को अलग व्युत्पन्न माना जाता है जब वे व्युत्पन्न की परिभाषा को पूरा है, उनके जोखिम और विशेषताएं मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंधों को एफवीटीपीएल पर नहीं मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति हानि के माप और मान्यता के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को लागू करती है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय होने वाली सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के बीच का अंतर है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 वित्तीय विलेखों में निर्दिष्ट दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्तियों की प्रारंभिक मान्यता की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि की मान्यता और जोखिम के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

वित्तीय विलेखों की ऑफसेटिंग

जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफ़सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार होता है और इन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करने तथा देयता को साथ में सुलझाने का इरादा होता है तो वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां ऑफसेट होती हैं और शुद्ध राशि को तुलनपत्र में दिया जाता है। कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार, भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार के दौरान तथा दूसरे पक्ष के डिफ़ॉल्ट, दिवालियापन या दिवालिया होने की स्थिति में लागू होना चाहिए।

3.22 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश

कंपनी, इंड एएस –27, अलग वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, संयुक्त उद्यमों के लिए अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागत के लिए जिम्मेदार है।

3.23 सेग्मेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के पास 8 ऑपरेटिंग/ रिपोर्टयोग्य सेग्मेंट: पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन एलॉय इस्पात संयंत्र है, इनकी विनिर्माण इकाइयां होने के कारण इन्हें रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंट माना जाता है। इन ऑपरेटिंग सेग्मेंटों की पहचान करने में, प्रबंधन आम तौर पर कंपनी के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण संचालन को, अपने मुख्य संचालन का प्रतिनिधित्व करता है।

इनमें से प्रत्येक ऑपरेटिंग सेग्मेंट का प्रबंध अलग से किया जाता है क्योंकि प्रत्येक को विविध तकनीक, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। सभी अंतः सेग्मेंट हस्तांतरणों को, समान माल या सेवाओं की स्टैंडअलोन बिक्री के लिए असंबद्ध ग्राहकों से ली गई कीमतों के आधार पर अलग से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां, जो किसी भी ऑपरेटिंग सेग्मेंट की व्यावसायिक गतिविधियों से सीधे संबंधित नहीं हैं उन्हें किसी भी सेग्मेंट को आवंटित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन ऑपरेशनों पर लागू है।

रिपोर्ट किए गए सेग्मेंट के लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में, पूर्व अवधि से कोई बदलाव नहीं आया है।

3.24 महत्वपूर्ण निर्णय, मान्यताएं और लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन

3.24.1 लीज का वर्गीकरण

कंपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए लीज व्यवस्था करती है। लीजिंग व्यवस्था का वित्तीय लीज या ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकरण, अनेक कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें लीज अवधि के अंत में लीज की गई परिसंपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण, पट्टेदार का खरीदने का विकल्प और ऐसे विकल्प को व्यवहार में लाने के लिए अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन में लीज की अवधि का अनुपात, न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य का लीज पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य के साथ अनुपात और पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा।

3.24.2 बंद करने और पुनर्स्थापन के दायित्व

बंद करने और पुनर्स्थापन लागतें, खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम हैं और खान बंद होने के बाद के वर्षों में अधिकतर बंद करने और पुनर्स्थापन व्यय किया जाता है, हालांकि होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, कंपनी अपनी लागतों का अनुमान, वर्तमान बहाली तकनीकों के द्वारा लगाती है।

3.24.3 स्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान

वह सीमा जिस तक स्थगित कर संपत्ति को पहचाना जा सकता है, वह कंपनी की भावी कर योग्य आय की संभावना के मूल्यांकन पर आधारित है जिसके विरुद्ध स्थगित कर संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.24.4 माल सूचियां

कंपनी माल सूचियों की लागत का अनुमान, सबसे भरोसेमंद प्रमाणों को ध्यान में रख कर करती है जैसेकि ऐसी मालसूचियों की सामग्री की लागत और ओवरहेडज को उत्पादन की वास्तविक लागत सहित ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रबंधन भी मालसूचियों के शुद्ध प्राप्य मूल्यों का अनुमान, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रख कर करता हैं। इन माल सूचियों का भविष्य, भावी तकनीक या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकती हैं।

3.24.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को वास्तविक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु और निकासी दर के साथ साथ भावी विकास से संबंधित डिस्काउंट दरें, चिकित्सा लागत के रुझान, भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर शामिल है। कंपनी मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएं उचित हैं। हालांकि, इन धारणाओं में किसी भी बदलाव के फलस्वरूप गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

3.24.6 उचित मूल्य माप

कंपनी वित्तीय विलेखों और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करती है। इसमें आकलनों को विकसित करना और विलेख के मूल्य के प्रति बाजार में सहभागियों की तर्कसंगत धारणाएं शामिल हैं। कंपनी की धारणाएं यथासंभव अवलोकन योग्य डेटा पर, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर किसी अन्य लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

3.24.7 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के जोखिम की संभावना के बारे में आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन को, सर्वोत्तम निर्णय के रूप में लागू किया गया है।

3.24.8 खान बंद करने और पुनर्स्थापना दायित्व

पर्यावरणीय देनदारियां और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ) : पर्यावरणीय देनदारियां और एआरओ के आकलन के लिए, संभावना और भावी लागतों के बारे में धारणाओं के अतिरिक्त, वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता है।

3.24.9 मूल्यह्रासयोग्य/ अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन (मूर्त और अमूर्त)

परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अवमूल्यित/ अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन करती है। इन आकलनों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट–फूट से संबंधित होती है जो संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता को बदल सकती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2017 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
– फ्रीहोल्ड भूमि	272.38	19.26	–	291.64	0.87	–	–	0.87	290.77	271.51
–लीजहोल्ड भूमि	979.78	297.07	0.89	1275.96	216.68	68.11	0.25	284.54	991.42	763.10
इमारतें और संबंधित उपकरण	5166.29	131.60	0.37	5297.52	1642.01	151.27	0.10	1793.18	3504.34	3524.28
संयंत्र एवं मशीनरी										
–इस्पात संयंत्र	66229.31	10496.73	524.78	76201.26	26347.98	2345.88	347.34	28346.52	47854.74	39881.28
– अन्य – स्वामित्व में	3029.76	113.48	82.97	3060.27	1953.94	121.13	71.85	2003.22	1057.05	1075.82
– अन्य – लीजहोल्ड (नोट (ii) देखें)	1557.23	59.63	–	1616.86	657.37	106.03	–	763.40	853.46	899.86
फर्नीचर व फिक्सचर	125.22	4.58	(0.83)	130.63	91.91	5.82	0.19	97.54	33.09	33.31
वाहन	1327.44	36.50	8.89	1355.05	756.26	74.21	8.39	822.08	532.97	571.18
कार्यालय उपकरण	60.29	1.48	0.58	61.19	47.69	2.74	0.50	49.93	11.26	12.60
विविध उपकरण	318.75	30.10	1.07	347.78	209.84	13.93	0.85	222.92	124.86	108.91
सड़कें, पुल और कल्वर्टस	343.16	58.61	0.55	401.22	229.19	26.68	(0.05)	255.92	145.30	113.97
जल आपूर्ति और सीवरेज	556.79	73.97	1.10	629.66	324.66	20.19	0.87	343.98	285.68	232.13
ईडीपी उपकरण	414.87	11.94	6.72	420.09	356.10	14.63	5.95	364.78	55.31	58.78
रेलवे लाइन्स और साईडिंग्स	709.38	100.44	0.10	809.72	233.86	18.24	0.11	251.99	557.73	475.52
उप–जोड़ 'क'	**81090.65**	**11435.39**	**627.19**	**91898.85**	**33068.36**	**2968.86**	**436.35**	**35600.87**	**56297.98**	**48022.25**
पिछले वर्ष के आंकड़ें	74356.13	7025.80	291.32	81090.61	30709.10	2586.47	227.21	33068.36	48022.25	
ख सामाजिक सुविधाएं										
भूमि										
– फ्रीहोल्ड भूमि	10.88	0.01	–	10.89	–	–	–	–	10.89	10.88
–लीजहोल्ड भूमि	9.39	0.61	–	10.00	5.95	0.13	–	6.08	3.92	3.44
इमारतें और संबंधित उपकरण	683.77	61.75	0.44	745.08	317.03	17.95	0.37	334.61	410.47	366.74
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	149.46	28.34	1.69	176.11	99.50	6.62	1.23	104.89	71.22	49.96
फर्नीचर व फिक्सचर	26.88	0.47	0.60	26.75	19.51	1.26	0.30	20.47	6.28	7.37
वाहन	11.23	0.20	0.16	11.27	9.80	0.34	0.11	10.03	1.24	1.43
कार्यालय उपकरण	4.53	0.10	0.12	4.51	3.72	0.28	0.11	3.89	0.62	0.79
विविध उपकरण	226.80	6.46	2.03	231.23	135.31	11.63	1.76	145.18	86.05	91.51
सड़कें, पुल और कल्वर	130.90	5.08	0.02	135.96	85.11	13.50	0.01	98.60	37.36	45.79
जल आपूर्ति और सीवरेज	226.54	74.31	.	300.85	123.95	7.32	–	131.27	169.58	102.59
ईडीपी उपकरण	12.02	0.17	0.81	11.38	9.91	0.36	0.46	9.81	1.57	2.11
उप–कुल 'ख'	**1492.40**	**177.50**	**5.87**	**1664.03**	**809.79**	**59.39**	**4.35**	**864.83**	**799.20**	**682.61**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1437.90	62.59	8.09	1492.40	761.35	54.59	6.15	809.79	682.61	
ग संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सक्रिय उपयोग से हटाए गए										
सक्रिय उपयोग से हटाई गई संपत्ति	57.17	35.27	33.53	58.91	–	–	–	–	58.91	57.17
पिछले वर्ष के आंकड़े	55.29	9.02	7.14	57.17	–	–	–	–	57.17	
जोड़ (क'+ख'+ग')	**82640.22**	**11648.16**	**666.59**	**93621.79**	**33878.15**	**3028.25**	**440.70**	**36465.70**	**57156.09**	**48762.03**
पिछले वर्ष के आंकड़े	75849.32	7097.41	306.55	82640.18	31470.45	2641.06	233.36	33878.15	48762.03	

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

नोटः पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(क) लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया	**3064.92**	2679.95
(ख) निर्माण के दौरान व्यय का चार्ज किया गया	**4.15**	5.12
	3069.07	2685.07

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 48.1 देखें।

(ii) भूमिः

(क) कंपनी द्वारा स्वामित्व/कब्जा/पट्टे पर ली गई भूमि में 68,018.40 एकड़ (31 मार्च, 2017 को 67,718.76 एकड़) शामिल है, जिसका शीर्षक/पट्टा कार्य पंजीकरण लंबित है।

(ख) इसमें 34,576.05 एकड़ (31 मार्च, 2017 को 34,061.08 एकड़) शामिल है जिसका टाइटल विवादास्पद।

(ग) विभिन्न संयुक्त उद्यमों/केंद्रीय/राज्य/अर्ध–सरकारी प्राधिकरणों को 9,367.80 एकड़ (31 मार्च, 2017 को 9007.46 एकड़) हस्तांतरित/हस्तांतरण करने के लिए सहमत या निपटारे के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसके संबंध में हस्तांतरण विलेख (कनवेंस डीड)/ पंजीकरण किया जाना बाकी है।

(घ) 6,187.95 एकड़ (31, मार्च, 2017 को 6384.17 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया।

(ड़) इसमें 4070.09 एकड़ (31 मार्च, 2017 को 4,436.70 एकड़) शामिल है जिस पर अनधिकृत कब्जा है।

(च) 1,762.92 एकड़ जमीन (31 मार्च, 2017 को 1,762.92 एकड़) जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, किंतु कब्जा दिखाया गया है।

छ) भूमि स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए वर्ष 2007 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास 63.13 करोड़ रुपए की राशि जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) है।

(ज) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या–एसओ 1309 (ई) दिनांक 08.06.2012 और संख्या–एसओ 2484 ई दिनांक 13.10.2012 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) ने 12.19 एकड़ जमीन अधिकृत की है।

(झ) राजपत्र अधिसूचना संख्या– 42 – 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है, केवल 15.62 एकड़ के लिए ₹ 13.91 करोड़ के मुआवजे का निर्धारण किया है । प्रबंधन ने उचित प्राधिकरण में इसके खिलाफ चुनौती देने का प्रस्ताव किया है। इस मामले में कार्रवाई लंबित है, लेखा खातों में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।

(iii) अन्य परिसंपत्तियां

(क) भवनों में 31 मार्च, 2018 को शुद्ध ब्लॉक ₹ 21.23 करोड़ (31 मार्च, 2017 को ₹ 21.18 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए हस्तांतरण विलेख (कनवेंस डीड) कंपनी के नाम अभी पंजीकृत होनी बाकी है।

(ख) अनधिकृत कब्जे के तहत 7107 (31 मार्च, 2017 तक 7038), आवासीय क्वार्टर/घर शामिल हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
5: पूंजीगत प्रगति पर कार्य					
इस्पात संयंत्र और इकाइयां		18168.23		22922.89	
टाउनशिप		91.56		107.49	
अयस्क खान और खदान		314.32		399.14	
		18574.11		23429.52	
घटाः प्रावधान		215.26	18358.85	199.32	23230.20
निर्माण भंडार और स्पेयर्स		24.65		37.49	
घटाएँः अचल वस्तुओं के लिए प्रावधान		3.18	21.47	3.39	34.10
निर्माण के दौरान लंबित व्यय आवंटन (नोट 5.1)			15.11		11.09
			18395.43		23275.39

5.1: निर्माण के दौरान व्यय लंबित आवंटन

प्रारंभिक शेष	(क)		11.09		7.91
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि					
कर्मचारी 'पारिश्रमिक और लाभ					
वेतन – भत्ते		90.30		121.40	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान		3.86		10.86	
यात्रा रियायत		2.96		3.08	
कल्याण व्यय		0.07		0.11	
उपदान		3.53	100.72	0.71	136.16
अन्य व्यय					
तकनीकी सलाहकार की फीस और जानकारियां		4.47		8.56	
बिजली और ईंधन		76.29		134.97	
अन्य व्यय		6.19		6.68	
ब्याज और वित्तीय प्रभार		668.52		581.90	
मूल्यह्रास		4.15	759.62	5.12	737.23
			860.34		873.39
घटाएँः वसूली					
अर्जित ब्याज		0.27		0.47	
परिसमापन हर्जाना		0.22		2.49	
किराया प्रभार		0.45		0.35	
संड्रीज़		8.86	9.80	17.99	21.30
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	(ख)		850.54		852.09
	कुल (क) + (ख)		861.63		860.00
घटाएँः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को आवंटित राशि/ पूंजीगत प्रगत कार्य			846.52		848.91
अग्रानीत शेष			15.11		11.09

6: निवेश संपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2017 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. भवन										
भवन	1.45	–	–	1.45	0.59	0.03	–	0.62	0.83	0.86
उप जोड़ 'क'	**1.45**	–	–	**1.45**	**0.59**	**0.03**	–	**0.62**	**0.83**	**0.86**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.45	–	–	1.45	0.57	0.02	–	0.59	0.86	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति खरीदने, निर्माण या विकसित करने या इसकी मरम्मत, रख–रखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
किराए से आय	**1.52**	1.30
किराए पर आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन खर्च *	–	–
प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जो किराए पर आय उत्पन्न नहीं करते *	–	–
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.52**	1.30
मूल्यह्रास	**0.03**	0.02
निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.49**	1.28

* निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्च अलग–अलग नहीं पहचाने जा सकते हैं और उनके नगण्य होने की उम्मीद है।

(iii) लीजिंग (पट्टे) की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्ति किरायेदारों को मासिक रूप से देय किराये पर लंबी अवधि के परिचालन पट्टे के तहत किराए पर दी गई हैं। निवेश संपत्ति के गैर–रद्द करने योग्य पट्टे के तहत न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एक वर्ष से कम	**0.04**	0.02
एक वर्ष अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	**0.07**	0.02
5 वर्ष से अधिक	**0.01**	0.07
	0.12	0.11

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2018 तक निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 20.53 करोड़ है (31 मार्च, 2017 तक ₹ 21.66 करोड़)

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत सक्रिय बाजार में इसी तरह की संपत्तियों की मौजूदा कीमत है। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है जिसमें निम्न शामिल हैं:

क) अलग–अलग तरह की संपत्तियों की एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में ऐसी संपत्तियों की हाल की कीमतें, उस अन्तर को समायोजित करते हुए।

ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

7: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2017 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2018 को	31 मार्च, 2017 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	101.20	2.15	0.07	103.28	97.19	1.58	(0.04)	98.81	4.47	4.01
खनन अधिकार	1822.30	7.47	37.47	1792.30	303.83	39.18	0.84	342.17	1450.13	1518.50
उप–जोड़ 'क'	**1923.50**	**9.62**	**37.54**	**1895.58**	**401.02**	**40.76**	**0.80**	**440.98**	**1454.60**	**1522.51**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1903.76	20.35	0.58	1923.53	357.68	43.93	0.59	401.02	1522.51	
ख सोशल सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर'	0.62	–	–	0.62	0.56	0.03	–	0.59	0.03	0.07
उप–कुल 'ख'	**0.62**	–	–	**0.62**	**0.56**	**0.03**	–	**0.59**	**0.03**	**0.07**
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.62	0.01	–	0.63	0.50	0.06	–	0.56	0.07	
जोड़ ('क' + 'ख')	**1924.12**	**9.62**	**37.54**	**1896.20**	**401.58**	**40.79**	**0.80**	**441.57**	**1454.63**	**1522.58**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1904.38	20.36	0.58	1924.16	358.18	43.99	0.59	401.58	1522.58	

* कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकृत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।

** सभी परिशोधन परिवर्तन मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च में शामिल हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

8: निवेश

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	**31 मार्च, 2018 को**	31 मार्च, 2017 को
लागत पर किया गया निवेश				
सहायक कंपनियों में				
सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	**50,000**	50,000	**0.05**	0.05
सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	**50,000**	50,000	**0.05**	0.05
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	**50,000**	50,000	**0.05**	0.05
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	**37,000**	–	**0.04**	.
			0.19	0.15
एसोसिएट कंपनियों में (गैर–उद्धृत)				
अल्मोड़ा मैगनासाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य– ₹ 100/– शेयर)	**40,000**	40,000	**0.40**	0.40
			0.40	0.40
संयुक्त उद्यमों में (गैर–उद्धृत)				
एनटीपीसी– सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**49,02,50,050**	49,02,50,050	**490.25**	490.25
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**12,40,25,000**	12,40,25,000	**124.03**	124.03
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	**9,87,18,048**	9,87,18,048	**52.51**	52.51
सेल– बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	**32,00,000**	32,00,000	**3.20**	3.20
एमजेक्शन सर्विसेज़ लिमिटेड	**40,00,000**	40,00,000	**4.00**	4.00
एस एंड टी खनन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**1,29,41,400**	1,29,41,400	**12.94**	12.94
सेल मोइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	**1,00,000**	1,00,000	**0.10**	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	**69,37,59,279**	59,37,59,279	**693.76**	593.76
सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	**1,30,17,801**	1,30,17,801	**18.75**	18.75
सेल–एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	**1,00,000**	1,00,000	**0.10**	0.10
सेल राईट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	**2,40,00,000**	2,40,00,000	**24.00**	24.00
सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	**2,50,000**	2,50,000	**0.25**	0.25
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	**46,80,000**	46,80,000	**4.68**	4.68
उत्तरी बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 100/– शेयर)	**97,900**	97,900	**0.98**	0.98
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	**63,000**	63,000	**0.06**	0.06
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	**10,500**	–	**0.01**	–
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	**24,500**	–	**0.02**	–
सेल–बंगाल अलॉयड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	**10,000**	10,000	**0.01**	0.01
वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड	**12,97,780**	12,97,780	**1.30**	1.30
			1,430.95	1,330.92
जोड़ (क)			**1,431.54**	1,331.47
अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश				
उद्धृत इक्विटी				
एचडीएफसी लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**60,000**	60,000	**10.95**	9.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**2,500**	2,500	**0.47**	0.36
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**1,57,300**	1,43,000	**4.38**	3.94
			15.80	13.30
गैर–उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**22,03,150**	22,03,150	**34.05**	29.93
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**3,60,000**	3,60,000	**17.57**	13.43
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**50,00,000**	50,00,000	**5.00**	5.00
सीमेंट एंड अलायड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	–	–
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	–	–
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**5**	5	–	–
एमएसटीसी लिमिटेड	**3,20,000**	1,60,000	**4.70**	6.66
ईस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	**30,00,000**	30,00,000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड *	**1,80,000**	1,80,000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
			64.51	58.21

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

8: निवेश (जारी)

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	**31 मार्च, 2018 को**	31 मार्च, 2017 को
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील कर्मचारी कंपनी–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	**1,16,500**	1,16,500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी	**250**	250	**0.00**	0.00
एनएमडीसी मेघाहतुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**25**	25	**0.00**	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**1,377**	1,377	**0.01**	0.01
बोलानी ओसी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 25/– शेयर)	**200**	200	**0.00**	0.00
ईस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20/– शेयर)	**23,000**	23,000	**0.05**	0.05
			0.18	0.18
जोड़ (ख)			**80.49**	71.69
जोड़ योग (क + ख)			**1,512.03**	1,403.16
निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान			**20.73**	7.68
निवल निवेश			**1,491.30**	1,395.48
उद्धृत निवेश की कुल राशि (बाजार मूल्य)			**15.80**	13.30
गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि			**1,496.23**	1,389.86
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			**20.73**	7.68
			1,491.30	1,395.48

सभी इक्विटी शेयरों में अंकित मूल्य ₹ 10 है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

* संस्था परिसमापन के तहत है इसलिए शेयर धारकों के साथ संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।

\# संस्था परिसमापन में है इसलिए कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

9: व्यापार प्राप्य – गैर चालू

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(असुरक्षित, तब तक अच्छा माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)		
असुरक्षित *		
अच्छा माना जाता है	–	–
संदिग्ध माना जाता है	**7.83**	7.83
	7.83	7.83
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	**7.83**	7.83
* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)	–	–

10: ऋण – गैर चालू

(असुरक्षित, तब तक अच्छा माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो) *		
सुरक्षा जमा	**101.81**	110.65
कर्मचारियों को ऋण	**124.53**	157.40
अन्य को ऋण	**225.14**	185.49
	451.48	453.54
घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**0.02**	0.02
	451.46	453.52

* प्राप्तियों में निदेशकों से प्राप्य राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
11: अन्य वित्तीय संपत्तियां – गैर चालू				
डेरिवेटिव संपत्तियां		**76.73**		46.59
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम		**3.54**		104.27
दावा वसूली योग्य		**7.89**		–
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियां		**76.95**		103.46
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**0.09**		0.12
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण और अग्रिम	**10.53**		10.53	
घटाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिम के लिए प्रावधान	**2.53**	**8.00**	2.53	8.00
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के सावधि जमा		**0.19**		–
		173.39		262.44
घटा, संदिग्ध संपत्ति के लिए प्रावधान		**7.21**		0.02
		166.18		262.42
12: स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)				
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
बही मूल्य और कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	**8996.19**		7450.30	
वित्तीय संपत्ति / देनदारियों का परिशोधन	**28.39**		31.39	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**10.46**	**9035.04**	8.88	7490.57
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	**8.73**		107.54	
वित्त पट्टा दायित्व	**85.64**		75.83	
डेरिवेटिव समायोजन	**54.81**		84.35	
भुगतान न किए गए कर और शुल्क के भुगतान की अनुमति	**1156.38**		1122.61	
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	**9985.34**		8563.67	
अन्य	**877.58**	**12168.48**	491.41	10445.41
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)		**1051.83**		1051.00
आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (नेट)		**4185.27**		4005.84

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

12: आस्थगित कर परिसंपत्तियां (जारी)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में सारांशित किया गया है:

(₹ करोड़)

	1 अप्रैल, 2017 को	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
बही मूल्य और कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	7450.30	1545.89	–	8996.19
वित्तीय संपत्ति / देनदारियों का परिशोधन	31.39	(3.00)	–	28.39
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	8.88	–	1.58	10.46
	7490.57	**1542.89**	**1.58**	**9035.04**
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	107.54	(2.59)	(96.22)	8.73
वित्त पट्टा दायित्व	75.83	9.81	–	85.64
डेरिवेटिव समायोजन	84.35	(29.54)	–	54.81
भुगतान न किए गए कर और शुल्क के भुगतान की अनुमति	1122.61	33.77	–	1156.38
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	8563.67	1421.67	–	9985.34
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1051.00	0.83	–	1051.83
अन्य	491.41	386.17	–	877.58
	11496.41	**1820.12**	**(96.22)**	**13220.31**
आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (नेट)	**(4,005.84)**	**(277.23)**	**97.80**	**(4,185.27)**

कंपनी का ₹ 28,575.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24,744.77 करोड़) का संचित व्यापार घाटा (निवेश भत्ता सहित) (संचित अनावृत मूल्यह्रास ₹ 18,823.78 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 15,057.93 करोड़) सहित) है और 31 मार्च, 2018 को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 1,051.83 करोड़ की एमएटी क्रेडिट है। हानि होने की तारीख से ₹ 9,751.48 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 9,686.84 करोड़) की अनावृत व्यावसायिक हानि अधिकतम आठ वर्ष की अवधि के लिए ऑफ़सेट के लिए उपलब्ध है और अप्रयुक्त कर (एमएटी) क्रेडिट, पंद्रह वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर ऑफसेट के लिए उपलब्ध होगी।

इस्पात उद्योग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न उपायों और मांग को बढ़ावा देने के साथ–साथ कंपनी द्वारा लागत को कम करने, दक्षता / उत्पादकता में सुधार के लिए कदम उठाने को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को विश्वास है कि यह भविष्य में अपने भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम होगी। इसके फलस्वरूप, कंपनी संचित व्यापार घाटे / अनवशोषित मूल्यह्रास और अप्रयुक्त एमएटी क्रेडिट को समायोजित करने के लिए पर्याप्त भावी कर योग्य लाभ अर्जित करने में सक्षम होगी।

तदनुसार, संचित व्यापार घाटे पर आस्थगित कर संपत्ति ₹ 3,407.55 करोड़ (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 55.13 करोड़) और ₹ 1,051.83 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को 31 मार्च, 2018 को मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
13: वर्तमान कर संपत्ति / देयताएँ (नेट)				
वर्तमान कर संपत्तियां				
अग्रिम आयकर (प्रावधान का निवल)		**190.31**		235.81
		190.31		235.81
14: अन्य परिसंपत्तियां – गैर वर्तमान				
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		**341.37**		280.46
अन्य को अग्रिम		**4.18**		4.18
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**646.94**		641.95
प्रीपेड व्यय		**25.43**		34.12
पूंजीगत अग्रिम	**133.76**		192.51	
घटा: संदिग्ध पूंजीगत अग्रिम के लिए प्रावधान	**11.19**	**122.57**	1.01	191.50
		1140.49		1152.21
घटा : अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**80.39**		72.09
		1060.10		1080.12

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
15: इनवेंटरीज़*				
स्टोर और स्पेयर्स				
उत्पादन	2154.53		1843.43	
ईंधन भंडार	84.32		91.72	
अन्य	24.54		27.36	
	2263.39		1962.51	
जोड़ें: इन–ट्रांजिट	155.02		114.48	
	2418.41		2076.99	
घटा: अचल/ अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	233.97	2184.44	212.36	1864.63
कच्चा माल				
कच्चा माल	4593.35		2584.23	
जोड़ें: इन–ट्रांजिट	2592.85		1471.24	
	7186.20		4055.47	
घटा: अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	17.64	7168.56	15.80	4039.67
तैयार/ अर्द्ध तैयार उत्पाद				
तैयार माल	4430.95		5822.05	
प्रगति पर कार्य	3212.72	7643.67	3985.00	9807.05
		16996.67		15711.35

* लेखांकन नीति संख्या 3.6 के अनुसार मूल्य निर्धारण किया गया है।

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
16: व्यापार प्राप्य – वर्तमान				
(असुरक्षित, तब तक अच्छा माना जाए जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)				
असुरक्षित*				
अच्छा माना जाता है		3869.94		2921.69
संदिग्ध माना जाता है		190.02		176.48
		4059.96		3098.17
संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान		190.02		176.48
		3869.94		2921.69

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
17 (i): नगद और नगद समकक्ष				
हाथ में नगदी और स्टैम्प		0.04		0.07
हाथ में चेक		77.60		109.92
बैंकों में शेष				
चालू खाते	1.81		10.76	
3 महीने तक की मूल परिपक्वता की अवधि की सावधि जमा	–		0.18	
कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	–	1.81	–	10.94
		79.45		120.93
17 (ii): अन्य बैंक शेष				
निर्धारित बैंक शेष		168.30		159.31
अवैतनिक लाभांश खाते		6.21		8.53
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की सावधि जमा		0.10		0.32
		174.61		168.16

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
18: ऋण – वर्तमान				
(असुरक्षित, तब तक अच्छा माना जाए जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो) *				
सुरक्षा जमा		**8.48**		10.49
कर्मचारियों को ऋण		**60.92**		58.15
संबंधित पार्टियों को ऋण		**7.00**		7.00
अन्य को ऋण		**1.97**		1.33
		78.37		76.97
घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**14.96**		15.50
		63.41		61.47

* प्राप्य में निदेशकों से देय राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

19: अन्य वित्तीय संपत्ति – वर्तमान				
डेरिवेटिव संपत्तियां		**47.66**		180.95
दावे वसूली योग्य		**715.85**		771.45
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियां		**311.17**		245.38
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**6.76**		6.88
बिल प्राप्य		**1787.27**		1072.99
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	**23.66**		23.66	
घटाः संबंधित संदिग्ध पार्टियों के लिए अग्रिम प्रावधान	**13.42**	**10.24**	1.39	22.27
		2878.95		2299.92
घटा संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**91.75**		32.07
		2787.20		2267.85

20: अन्य संपत्ति – वर्तमान				
हाथ में सोने के सिक्के		**0.23**		0.23
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	**254.67**		273.98	
अन्य को अग्रिम	**851.03**	**1105.70**	828.89	1102.87
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**2511.82**		2519.05
जमा – जीएसटी		**33.80**		–
जीएसटी प्राप्य		**1813.70**		–
प्रीपेड खर्च		**24.26**		36.63
दावे प्राप्य		**184.46**		725.54
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य		**45.68**		41.26
		5719.65		4425.58
घटाः अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**85.23**		143.55
		5634.42		4282.03

21: बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत				
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति		**32.50**		11.94
		32.50		11.94

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह माना जाता है कि ऐसी संपत्ति अगले 12 महीनों के भीतर बेची जाएगी और ऐसी संपत्तियों को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' के रूप में माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संयंत्र और मशीनरी को इसकी मूल लागत और उचित मूल्य से पुनः वर्गीकरण के समय बिक्री लागत घटाकर दोनों में से कम में मापा गया था। उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह एक स्तर तीन का माप है। इस दृष्टिकोण के तहत बाजार में धातु की कीमत मुख्य इनपुट है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

22: इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अधिकृत पूंजी		
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(₹ 10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी, सब्स्क्राइब्ड और पूरी तरह चुकाई गई पूंजी		
(₹ 4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक पूरी तरह चुकाए गए)	**4130.53**	4130.53

वर्ष के शुरुआत में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4130407654	4130.41	4130392654	4130.39
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	–	–	15000	0.02
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**4130407654**	**4130.41**	**4130407654**	**4130.41**
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर *				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	117635	0.12	132635	0.14
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	–	–	(15000)	(0.02)
वर्ष के अंत में शेष	**117635**	**0.12**	**117635**	**0.12**
कुल बकाया इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i) * 1996 में यूएस $ 125.5 मिलियन कुल राशि के लिए यूएस $ 29.55 प्रत्येक की दर से जारी किए गए तथा एक वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

ii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी की चुकौती के संबंध में सभी शेयर एक समान कीमत के होंगे।

iii) कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी नहीं है।

iv) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण
भारत के राष्ट्रपति	3097767449	75.00	3097767449	75.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	395451358	9.57	441874667	10.70

(v) कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही किसी भी शेयर को वापस खरीदा है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
रिजर्व और अधिशेष				
रिजर्व पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**1.75**		1.75	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	–	**1.75**	–	1.75
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**235.10**		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	**235.10**	–	235.10
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**1973.64**		1449.96	
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	**606.80**		607.77	
प्रतिधारित आय में स्थानांतरित	**239.75**	**2340.69**	84.09	1973.64
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**5095.13**		5095.13	
वर्ष के दौरान जमा	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	–	**5095.13**	–	5095.13
प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक शेष	**24570.11**		28283.65	
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	**(481.71)**		(2ए833.24)	
जोड़ें: अन्य विस्तृत आय / (हानि)	**177.53**		(356.62)	
जोड़ें: बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	**239.75**		84.09	
घटा: बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	**606.80**		607.77	
घटा: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	**23898.88**	–	24570.11
अन्य विस्तृत आय				
अन्य विस्तृत आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र				
प्रारंभिक शेष	**2.80**		(0.22)	
एफवीओसीआई इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**8.79**		3.02	
आस्थगित कर	–	**11.59**	–	2.80
कुल अन्य इक्विटी		**31583.14**		31878.53

अन्य रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य

रिजर्व पूंजी
रिजर्व पूंजी पूंजीगत लाभ से बनाया गया है, इसे कुछ विशिष्ट पूंजीगत लेनदेन से अर्जित लाभ द्वारा बनाया गया है । आरक्षित पूंजी शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ में से बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाना है। इस रिजर्व को बांड के रिडेम्पशन तक बनाए रखा जाता है।

अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) रिजर्व
कंपनी ने अन्य विस्तृत आय में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने के लिए इक्विटी प्रतिभूतियों को चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा किए जाते हैं। प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता ख़त्म होने पर कंपनी इस रिजर्व से प्रतिधारित आय में राशि स्थानांतरित करती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

24: उधार – गैर चालू

(₹ करोड़)

				31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
सुरक्षित					
रिडीम योग्य गैर परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प (वार्षिक)	प्रतिभूति संदर्भ		
9.35%	9/सितंबर/2026	12/शून्य	(क)	**455.00**	455.00
9.00%	14/अक्तूबर/2024		(क)	**1000.00**	1000.00
8.70%	25/अगस्त/2024		(क)	**300.00**	300.00
8.30%	3/अगस्त/2023		(क)	**800.00**	800.00
8.30%	1/अगस्त/2023		(क)	**1200.00**	1200.00
8.35%	19/नवंबर/2022		(क)	**1185.00**	1185.00
9.30%	23/अगस्त/2021		(क)	**400.00**	400.00
8.55%	11/अगस्त/2021		(क)	**700.00**	700.00
8.27%	25/अगस्त/2020		(क)	**265.00**	265.00
8.72%	30/अप्रैल/2020		(क)	**660.00**	660.00
8.75%	23/अप्रैल/2020		(क)	**545.00**	545.00
8.65%	1/फरवरी/2020	5/शून्य	(क)	**242.00**	242.00
8.30%	21/जनवरी/2020		(क)	**500.00**	500.00
8.65%	30/दिसंबर/2019		(क)	**450.00**	450.00
8.50%	7/दिसंबर/2019		(क)	**120.00**	120.00
8.60%	19/नवंबर/2019		(क)	**335.00**	335.00
8.75%	15/सितंबर/2019		(ख, घ)	**100.00**	100.00
8.80%	22/जून/2019		(क)	**825.00**	825.00
7.70%	11/मई/2019	5/5	(क)	**25.00**	25.00
8.90%	1/मई/2019	5/शून्य	(इ)	**950.00**	950.00
8.80%	26/अक्तूबर/2018		(ख,ग)	**98.00**	112.00
8.18%	10/अगस्त/2018		(क)	–	1000.00
8.25%	27/जुलाई/2018		(क)	–	500.00
8.35%	9/जून/2018		(क)	–	420.00
9.30%	25/मई/2018		(क,ठ)	**288.00**	360.00
8.25%	6/मई/2018	3/3	(क)	–	245.00
7.95%	9/अप्रैल/2018		(क)	–	670.00
कुल बांड				**11443.00**	14364.00
बैंकों से सावधि ऋण					
भारतीय मुद्रा (रुपया) में ऋण			(ट)	**14156.00**	2500.00
विदेशी मुद्रा ऋण			(ट)	**2247.26**	–
				27846.26	16864.00
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा ऋण					
1	केएफडब्ल्यू, जर्मनी		(ङ)	**358.48**	327.06
2	सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग निगम		(च)	–	0.01
3	नटेक्सिस बैंक		(छ)	**15.01**	14.75
4	मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड		(ज)	–	322.12
स्टील विकास निधि			(झ)	**204.16**	204.16
				577.65	868.10
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता				**1353.25**	1355.38
कुल गैर वर्तमान ऋण				**29777.16**	19087.48

निदेशकों और अन्य द्वारा कोई ऋण गारंटी नहीं दी गई है।

उधार और उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तिथि को कोई अप्राप्ति नहीं है।

सभी बांड परिपक्वता तिथि पर चुकाए जाने तक देय होते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बांड सुरक्षित हैं:

क) मौजे–वेदज सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि शामिल है जिसमें यह स्थापित है, आईआईएससीओ स्टील प्लांट (आईएसपी) से संबंधित है, पारी–पासू इंटर–से पारस्परिक शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित है।

ख) मौजे–वेदज सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि शामिल है जिसमें यह स्थापित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) से संबंधित है, पारी–पासू इंटर–से पारस्परिक शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित है।

ग) ₹ 14 करोड़ की प्रत्येक 12 बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय 26 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी। किस्त 26 अक्तूबर, 2018 को देय है इसे अन्य मौजूदा देयताओं में दिखाया गया है।

घ) 15 सितंबर, 2014, 2019 और 2024 में ₹ 50 करोड़ की 3 बराबर किस्तों में प्रतिदेय।

ड़) ऋण 8.75% की कम वार्षिक ब्याज दर पर 1 (ए), 1 (बी) और 1 (सी) के रूप में वर्णित 3 हिस्सों में लिया गया था। 1 (ए) पर ब्याज 0.75% वार्षिक है और शेष 8% विनिमय उतार–चढ़ाव (4%)और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने की दिशा में है। 1 (बी) के मामले में ब्याज 0.75% वार्षिक और शेष 8.0% परिधीय विकास की ओर है। 1 (सी) पर ब्याज 3.66% वार्षिक है और शेष 5.0 9% वार्षिक परिधि विकास को पूरा करने की दिशा में है। मूलधन और ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने है। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

च) ऋण 6 महीने LIBOR $ 1.06% की ब्याज दर पर 2015 से शुरू करने पर 16 नवंबर को 3 बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है। ब्याज का भुगतान अर्ध–वार्षिक है।

छ) ऋण 2030 तक चुकाया जा सकता है। मूलधन और ब्याज का भुगतान अर्ध वार्षिक आधार पर किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

ज) ऋण 6 महीने LIBOR $ 1.75% की ब्याज दर पर 2016 से शुरू करने पर 21 दिसंबर 3 बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है। ब्याज का भुगतान अर्ध–वार्षिक है।

झ) एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा पुनर्भुगतान की शर्तें तय की जाती हैं।

ट) बीएसएल और बीएसपी की वर्तमान और भावी चल संयंत्र और मशीनरी ऋण की सीमा तक चार्जिंग पारि–पासु द्वारा सुरक्षित हैं। एसबीआईईसीबी ऋण पहले ड्रॉ–डाउन अर्थात 25 सितंबर 2017 से चौथे, 5 वें, छठे और 7वें के अंत तक 4 बराबर किस्तों में चुकाया जा सकता है।

ठ) 25 मई, 2018 से प्रभावी 5 बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय। किस्त 25 मई , 2018 को देय है, वर्तमान देनदारियों में दिखाया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
25: व्यापार देय – गैर वर्तमान		
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम को देय (नोट 48.2 देखें)	–	–
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / अन्य को देय राशि	**6.38**	7.36
	6.38	7.36
26: अन्य वित्तीय देयताएँ – गैर वर्तमान		
कर्मचारी संबंधित देय	**430.68**	458.39
ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	**551.46**	580.25
अन्य देनदारियां	**197.22**	327.29
	1179.36	1365.93
27: प्रावधान – गैर वर्तमान		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	–	80.75
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	**2476.95**	2436.37
पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**974.69**	931.02
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**20.90**	19.98
खानों के बंद होने के लिए प्रावधान	**61.61**	53.94
अन्य प्रावधान	**439.13**	71.88
	3973.28	3593.94
28: अन्य देयताएँ – गैर वर्तमान		
आस्थगित आय*	**138.33**	151.29
	138.33	151.29
***सरकारी अनुदान**		
प्रारंभिक शेष	**27.79**	26.95
परिवर्धन	–	2.12
लाभ और हानि के वक्तव्य के लिए जारी किया गया	–	(1.28)
	27.79	27.79

* आस्थगित आय में भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किए गए पुरस्कार शामिल है और निधि से कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
29. उधार – वर्तमान		
सुरक्षित		
मांग पर प्रतिदेय		
बैंकों से	**2334.39**	1302.09
अन्य ऋण और अग्रिम		
बैंकों से	–	250.00
असुरक्षित		
अन्य ऋण	**2950.00**	600.00
वाणिज्यिक पत्र	**3961.88**	7883.93
विदेशी मुद्रा ऋण	**2998.05**	9777.02
	12244.32	19813.04

1. 31 मार्च, 2018 को बकाया अल्पकालिक उधार के लिए सुरक्षा प्रकटीकरणः संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार सुरक्षित हैंः

(i) सभी मौजूदा संपत्तियों का हाइपोथेकेशन है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
30: व्यापार देय – वर्तमान				
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम को देय (नोट 48.2 देखें)		**48.22**		38.12
संबंधित पार्टियों को देय राशि		**9.30**		11.58
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / अन्य को देय राशि		**7482.98**		5169.50
		7540.50		5219.20
31: अन्य वित्तीय देनदारियां – वर्तमान				
कर्मचारी संबंधित बकाया		**159.95**		161.73
ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं		**1072.54**		1076.09
अन्य देनदारियां – देनदार बैंकिंग व्यवस्था		**325.45**		228.16
डेरिवेटिव देयता		**65.24**		603.57
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		**3271.71**		2381.74
वित्त पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता		**115.53**		113.39
लावारिस परिपक्व जमा और उस पर अर्जित ब्याज		**1.01**		1.03
सुरक्षा जमा	**1323.33**		1230.73	
घटा: सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त निवेश	–	**1323.33**	–	1230.73
अदत्त लाभांश		**6.21**		8.53
पूंजीगत कार्यों के लिए देय		**3701.83**		2530.70
अन्य देनदारियां		**4127.40**		4429.95
		14170.20		12765.62
32: अन्य देयताएँ – वर्तमान				
ग्राहकों से अग्रिम में प्राप्त हुई आय		**1880.13**		1760.93
अग्रिम में आय – अन्य		**112.80**		82.53
आस्थगित आय*		**11.90**		10.98
देय जीएसटी		**2135.74**		–
अन्य देनदारियां		**3001.85**		3752.82
		7142.42		5607.26

* आस्थगित आय में भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किए गए पुरस्कार शामिल है और निधि से कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
33: प्रावधान – वर्तमान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		**31.11**		236.10
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान		**308.77**		303.68
पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान		**105.60**		108.95
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान		**2.03**		3.06
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान		**40.30**		39.43
विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान		–		13.02
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		**1216.24**		1545.02
खान वनीकरण / बहाली आदि के लिए प्रावधान		**319.25**		341.97
अन्य प्रावधान		**280.88**		323.54
		2304.18		2914.77
34: वर्तमान कर देयता (निवल)				
प्रारंभिक शेष	**4.52**		11.90	
जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान / हस्तांतरित राशि	**4.52**		7.38	
घटा: वर्ष के दौरान वापस किया गया प्रावधान	–	–	–	4.52
		–		4.52

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
35: संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	**55971.08**	47376.04
निर्यात	**2243.70**	1737.83
निर्यात प्रोत्साहन	**82.48**	66.37
उप जोड़ (क)	**58297.26**	49180.24
सेवाओं की बिक्री		
सेवा शुल्क	**23.56**	31.89
उप जोड़ (ख)	**23.56**	31.89
अन्य संचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	**337.76**	334.01
खाली/कबाड़ की बिक्री	**80.00**	70.74
सैंडरीज	**223.78**	150.22
उप जोड़ (ग)	**641.54**	554.97
जोड़ (क + ख + ग)	**58962.36**	49767.10
36. अन्य आय		
ब्याज से आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	**0.78**	0.88
ग्राहकों	**101.78**	80.87
कर्मचारियों	**16.75**	20.21
बैंक में जमा	**4.84**	0.10
अन्य	**41.94**	45.23
उप जोड़ (क)	**166.09**	147.29
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों से लाभांश	**6.31**	4.64
निवेश से लाभांश	**69.85**	87.29
(ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश से लाभांश शामिल है)		
उप जोड़ (ख)	**76.16**	91.93
निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ उप कुल (ग)	–	0.01
अन्य गैर–परिचालन आय		
सब्सिडी, राहत और रियायत	**6.12**	4.43
सहायता अनुदान	**0.54**	0.10
वापस किए गए प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है	**90.64**	42.66
अन्य देनदारियों की वापस	**81.62**	54.96
परिसमापन हर्जाना	**20.02**	75.53
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	–	76.60
अन्य	**43.26**	42.10
	242.20	296.38
घटाः गैर–परिचालन आय के कारण व्यय	–	–
उप कुल (घ)	**242.20**	296.38
कुल (क + ख + ग + घ)	**484.45**	535.61

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
37: उपभुक्त सामग्री की लागत		
कच्चा लोहा	**3818.79**	3614.87
कोयला	**21445.07**	16198.51
कोक	**31.63**	70.64
चूना पत्थर	**1232.17**	1107.24
डोलोमाइट	**474.80**	450.33
फेरो मैंगनीज	**337.61**	340.96
फेरो सिलिकॉन	**201.73**	193.63
सिलिको मैंगनीज	**1193.85**	904.24
मध्यस्थ उत्पाद	**–**	0.01
जस्ता	**176.84**	122.03
अल्युमीनियम	**242.58**	226.91
अन्य	**1299.85**	1285.87
	30454.92	24515.24
घटा: अंतर खाता समायोजन	**3776.11**	3389.54
	26678.81	21125.70

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
38: तैयार वस्तुओं और प्रगत कार्य की इनवेंटरी में बदलाव		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	**5822.07**	5545.82
प्रगति पर कार्य	**3984.98**	4395.10
	9807.05	9940.92
घटा: अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	**4430.95**	5822.07
प्रगति पर कार्य	**3212.72**	3984.98
	7643.67	9807.05
	2163.38	133.87
घटा: स्टॉक में अभिवृद्धि (–)/कमी पर उत्पाद शुल्क	**1027.89**	13.24
	1135.49	120.63

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
39: कर्मचारी लाभ व्यय *		
वेतन – भत्ते	**6461.98**	6876.89
छुट्टी नकदीकरण	**357.55**	491.23
भविष्य निधि और अन्य निधियों में कंपनी का योगदान	**753.71**	889.02
यात्रा रियायत	**61.55**	21.71
कल्याण व्यय	**354.63**	312.47
उपदान	**860.65**	356.51
	8850.07	8947.83
***कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया है और निम्न में प्रभारित किया गया है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**100.72**	136.16

**परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक टिप्पणी के लिए, नोट 50 देखें

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
40: वित्त लागत		
ब्याज लागत		
विदेशी मुद्रा ऋण *	**526.99**	552.45
गैर परिवर्तनीय बांड	**915.78**	794.54
बैंक उधार – कार्यशील पूंजी	**42.97**	63.12
इस्पात विकास निधि ऋण	**4.08**	3.74
अन्य	**1319.53**	1105.51
आयकर अधिनियम के तहत ब्याज	–	0.01
अन्य उधार लागत	**13.40**	8.45
	2822.75	2527.82

* विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार–चढ़ाव का लाभ ₹120.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹188.52 करोड़ हानि) शामिल है

ब्याज और वित्त लागत पर व्यय उपर्युक्त में शामिल नहीं है और निर्माण व्यय में प्रभारित किया गया है:

विदेशी मुद्रा ऋण	**94.89**	108.06
गैर परिवर्तनीय बांड	**365.43**	468.48
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज	**4.09**	4.43
अन्य	**204.11**	0.93
	668.52	581.90

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
41: अन्य व्यय				
स्टोर्स और स्पेयर्स का उपयोग				
उपभोग	**3614.23**		3694.99	
घटाः विभागीय निर्मित स्टोर्स	**735.15**		859.64	
घटाः स्टोर्स और स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से उपभोग किए गए तैयार उत्पाद	**473.26**	**2405.82**	532.15	2303.20
मरम्मत और रख रखाव				
इमारतें	**193.77**		201.73	
संयंत्र एवं मशीनरी	**821.56**		713.83	
अन्य	**228.48**	**1243.81**	223.64	1139.20
हैंडलिंग व्यय				
कच्चा माल	**425.91**		328.79	
स्क्रैप वसूली	**282.30**	**708.21**	297.33	626.12
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखा – परीक्षण शुल्क	**1.79**		1.94	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	**0.51**		0.47	
अन्य सेवाएँ	**1.16**		0.96	
फुटकर व्यय	**0.67**	**4.13**	0.65	4.02
प्रावधान				
संदिग्ध उधार, ऋण और अग्रिम	**85.42**		74.47	
निवेश	**13.08**		0.20	
स्टोर्स, स्पेयर्स और सैंड्रीज़	**117.24**	**215.74**	72.88	147.55

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
41: अन्य व्यय (जारी)		
बिजली और ईंधन	**5809.81**	5233.93
फ्रेट जावक	**2241.95**	1161.99
रॉयल्टी और उपकर	**1271.58**	996.81
रूपांतरण प्रभार	**306.08**	454.33
अंतर–संयंत्र हस्तांतरण / आंतरिक खपत पर उत्पाद शुल्क	**63.76**	292.12
डैमरेज प्रभार	**38.82**	53.41
जल प्रदूषण पर जल प्रभार और उपकर	**115.82**	121.02
बीमा	**24.87**	32.47
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	**16.76**	20.42
मुद्रण और स्टेशनरी	**8.22**	9.80
दरें और कर	**58.30**	69.64
किराया	**80.52**	60.72
सुरक्षा खर्च	**512.39**	490.71
यात्रा खर्च	**157.51**	156.30
अस्थायी निलंबित खानों पर व्यय (नोट–49.18 देखें)	**82.07**	97.95
प्रशिक्षण खर्च	**41.81**	30.36
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय (नोट–49.10 देखें)	**25.70**	29.05
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**3.73**	–
अचल संपत्तियों की बिक्री / स्क्रैपिंग पर हानि (शुद्ध)	**72.80**	48.17
लेखापरीक्षा शुल्क की लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.04**	0.32
बट्टे खाता – विविध	**2.61**	0.01
हैंडलिंग व्यय–तैयार उत्पाद	**186.43**	157.45
बिक्री एजेंटों को दलाली	**6.53**	7.34
निर्यात बिक्री व्यय	**47.01**	22.97
फुटकर व्यय	**523.41**	452.83
	16276.24	14220.21

41क: असाधारण मद		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	**254.20**	216.74
पेंशन देनदारियों के लिए	**(458.16)**	–
अवैध खनन के लिए प्रावधान	**340.72**	–
जिला खनिज निधि की वापसी	**(261.76)**	–
मजदूरी और वेतन की वापसी	**(110.82)**	–
कोयला ब्लॉक के आत्मसमर्पण के लिए प्रावधान	**209.39**	–
	(26.43)	216.74

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

42. वित्तीय विलेख

i) उचित मूल्य पदानुक्रम।

वित्तीय स्थिति के वक्तव्य में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट को पर्यवेक्षण के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

स्तर 1: वित्तीय प्रपत्रों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा के उपयोग पर अधिकतम विश्वास करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो प्रपत्र स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती (₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय प्रपत्र				
डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियां		124.39		124.39
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी प्रपत्र *				
उद्धरित	15.80			15.80
गैर–उद्धृत			64.69	64.69
कुल वित्तीय संपत्तियां	**15.80**	**124.39**	**64.69**	**204.88**
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय प्रपत्र				
डेरिवेटिव देयता		65.24		65.24
कुल वित्तीय देनदारियां	–	**65.24**	–	**65.24**

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती (₹ करोड़)

31 मार्च, 2017 तक	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय प्रपत्र				
डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियां		227.54		227.54
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी प्रपत्र *				
उद्धरित	13.30			13.30
गैर उद्धृत			58.39	58.39
कुल वित्तीय संपत्तियां	**13.30**	**227.54**	**58.39**	**299.23**
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय प्रपत्र				
डेरिवेटिव देयता		603.57		603.57
कुल वित्तीय देनदारियां	–	**603.57**	–	**603.57**

iii) वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है (₹ करोड़)

	स्तर	31 मार्च, 2018 तक		31 मार्च, 2017 तक	
		कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	स्तर–3	514.87	544.76	514.99	523.40
डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियां	स्तर–2	124.39	124.39	227.54	227.54
इक्विटी प्रपत्र *					
उद्धरित	स्तर–1	15.80	15.80	13.30	13.30
गैर उद्धृत	स्तर–3	64.69	64.69	58.39	58.39
कुल वित्तीय संपत्तियां		**719.75**	**749.64**	**814.22**	**822.63**
वित्तीय देनदारियां					
उधार	स्तर–3	47358.17	47714.31	43280.15	43628.65
अन्य देय	स्तर–3	9947.63	9988.81	9148.35	9281.67
डेरिवेटिव देयता	स्तर–2	65.24	65.24	603.57	603.57
कुल वित्तीय देनदारियां		**57371.04**	**57768.36**	**53032.07**	**53513.89**

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय प्रपत्रों का मूल्य निर्धारित करने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य इसी तरह के उपकरणों के लिए डीलर या काउंटरपार्टी उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर फारवर्ड की दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधार के बही मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का बही मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ङ) निश्चित ब्याज दर की वित्तीय संपत्तियों और देयताएं (वित्त पट्टे दायित्वों सहित) जो परिशोधित लागत पर हैं, का उचित मूल्य तुलन–पत्र तिथि को समान संपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के समान नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

(v) गैर उद्धृत निवेश:

गैर उद्धृत इक्विटी निवेश का उचित मूल्य अनुमान स्तर –3 में शामिल हैं और निवेशक कंपनी की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित हैं। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उपयुक्त अनुमान है, इसलिए उचित मूल्यों के संबंध में कोई बदलाव नहीं आया है।

(vi) निम्न तालिका स्तर–3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय प्रपत्रों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: (₹ करोड़)

विवरण	असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां
31 मार्च, 2016 को	**58.39**
लाभ / हानि अन्य समावेशी आय में मान्यता प्राप्त है	–
31 मार्च, 2017 को	**58.39**
लाभ / हानि अन्य समावेशी आय में मान्यता प्राप्त है	6.30
31 मार्च, 2018 को	**64.69**

43. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 तक			31 मार्च, 2017 तक		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीओसीआई**	**अमूर्त लागत**	**एफवीटीपीएल**	**एफवीओसीआई**	**अमूर्त लागत**
वित्तीय संपत्ति						
निवेश						
इक्विटी प्रपत्र *		80.49			71.69	
व्यापार प्राप्य			3869.94			2921.69
नकद और नकद समकक्ष			79.45			120.93
अन्य बैंक शेष			174.61			168.16
ऋण			514.87			514.99
डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियां	124.39			227.54		
अन्य प्राप्य			2828.99			2302.73
कुल	**124.39**	**80.49**	**7467.86**	**227.54**	**71.69**	**6028.50**
वित्तीय देनदारियां						
उधार			47358.17			43280.15
व्यापार देय			7546.88			5226.56
डेरिवेटिव देयता	65.24			603.57		
अन्य देनदारियां			9947.63			9148.35
कुल	**65.24**	**–**	**64852.68**	**603.57**	**–**	**57655.06**

* संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी में निवेश भारतीय लेखा मानक–27 "अलग वित्तीय विवरण" के अनुसार लागत पर लिया गया है और इसलिए यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन

वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में विभिन्न जोखिमों का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को श्रेणीवार टिप्पणी– 43 (i) में सारांशित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वयित किया जाता है और अस्थिर वित्तीय बाजारों की जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित करता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश को स्थायी रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रबंधन किया जाता है। कंपनी सक्रिय रूप से सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न नहीं है और न ही यह विकल्प लिखती है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक प्रतिपक्षी कंपनी के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करने में विफल रहती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में इस जोखिम का सामना करती है, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां देना, जमा करना आदि। कंपनी के क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों की बही मूल्य राशि तक ही सीमित है।

– नकद और नकद समकक्ष

– डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्र

–व्यापार प्राप्य

–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो परिशोधित लागत पर मापी जाती है

कंपनी लगातार व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने जाने वाले ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफ़ॉल्ट पर नजर रखती है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। जहां ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग और / या रिपोर्ट उचित लागत पर उपलब्ध है, कंपनी द्वारा इसे प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षियों के साथ व्यापार करना है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नगद और नगद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम केवल उच्च रेटेड बैंकों में खाते और विविध बैंक जमा को स्वीकार करके प्रबंधित किया जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को उच्च रेटेड बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्षियों के रूप में केवल इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करके प्रबंधित किया जाता है। कंपनी अपनी होल्डिंग्स को कई प्रतिपक्षियों के साथ विविधता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके।

व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ""ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि परिभाषित सीमाओं के अंदर है।

ख) अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है

व्यापार प्राप्य

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान करती है और प्रत्येक श्रेणी की व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है:

(₹ करोड़)

एजिंग (31 मार्च, 2018 तक)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	2997.57	697.14	92.93	74.74	197.58	4059.96
अपेक्षित हानि दर	0.03%	0.38%	2.30%	2.81%	92.26%	4.68%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	0.84	2.66	2.14	2.10	182.28	190.02
व्यापार प्राप्य की वाहक राशि (निवल हानि)	**2996.73**	**694.48**	**90.79**	**72.64**	**15.30**	**3869.94**

एजिंग (31 मार्च, 2018 तक)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	2289.06	414.86	133.89	37.83	222.53	3098.17
अपेक्षित हानि दर	0.03%	0.37%	1.57%	6.27%	76.33%	5.70%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	0.59	1.54	2.10	2.37	169.86	176.48
व्यापार प्राप्य की वाहक राशि (निवल हानि)	**2288.47**	**413.32**	**131.79**	**35.46**	**52.67**	**2921.69**

संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान का मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां
31 मार्च, 2016 तक	**146.82**
प्रावधान में परिवर्तन	(29.65)
31 मार्च, 2017 तक	**176.48**
प्रावधान में परिवर्तन	13.54
31 मार्च, 2018 तक	**190.02**

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

कंपनी किसी भी संभावित क्रेडिट हानि के लिए व्यक्तिगत वित्तीय प्रपत्रों का आकलन करके "व्यापार प्राप्तियों के अलावा और ऋण अग्रिम " पर क्रेडिट हानि के लिए राशि प्रदान करती है। चूंकि इस श्रेणी में विविध प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्तियां शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि कंपनी सभी के लिए लगातार लागू करने के लिए आकर्षित कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति शुरुआती मान्यता पर 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानि प्रदान करती है और क्रेडिट जोखिम में व्यापक वृद्धि होने पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है। कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम क्रेडिट जोखिम प्रकृति को देखते हुए अपेक्षित हानि आधारित क्षति नहीं है, यद्यपि इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के तहत हानि प्रावधानों का खुलासा किया गया है।

ख नकदी जोखिम

दूरदर्शी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता। व्यापार की प्रकृति के कारण, कंपनी प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर वित्त पोषण में लचीलापन रखती है। प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी की स्थिति और नकद और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों पर नज़र रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकद प्रवाह प्रक्षेपण करना और इनको पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं के लिए बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी अनुबंधिक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है और तालिका में प्रकट राशि संविदात्मक गैर रियायती नकदी प्रवाह होती है। 12 महीने के भीतर देय शेष राशि उनके वाहक शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का असर महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 सालत	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	18348.05	5719.16	4611.01	27190.55	55868.77
व्यापार देयता	7540.49	0.64	0.85	4.89	7546.87
अन्य देनदारियां	10392.85	112.45	96.56	1270.94	11872.80
जोड़	**36281.39**	**5832.25**	**4708.42**	**28466.38**	**75288.44**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	65.24				65.24
जोड़	**65.24**	–	–	–	**65.24**

31 मार्च, 2017 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 सालत	3 साल से अधिक	जोड़
गैर डेरिवेटिव					
उधारी*	24177.67	4569.02	4652.70	13282.34	46681.74
व्यापार देयता	5226.62	1.29	5.64	0.43	5233.98
अन्य देनदारियां	10428.43	125.11	105.03	1445.94	12104.51
जोड़	**39832.72**	**4695.42**	**4763.37**	**14728.71**	**64020.22**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	603.57				603.57
जोड़	**603.57**	–	–	–	**603.57**

* उधार में वित्त पट्टा दायित्वों को शामिल नहीं किया गया है, वित्त पट्टा दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के प्रकटीकरण के लिए नोट 49.11 (ख) देखें।

ग) बाजार ज़ोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अधिकांश लेनदेन भारतीय रुपए में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के एक्सपोजर कंपनी की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर (यूएसडी) में अंकित होते हैं। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए, गैर–आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। आम तौर पर, कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लंबी अवधि के नकद प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकद प्रवाह (6 महीने तक देय) को अलग करती हैं। जहां एक विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली राशि और प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, वह बड़े पैमाने पर एक–दूसरे को ऑफसेट करने की उम्मीद होती है और आगे हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए किए जाते हैं जिन्हें अन्य समान मुद्रा लेन–देन द्वारा ऑफसेट होने की उम्मीद नहीं है।

विवरण	31 मार्च, 2018 तक		31 मार्च, 2017 तक	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय संपत्ति				
व्यापार प्राप्य	1.89		38.25	
नकद और नकद समकक्ष				
अन्य बैंक शेष				
ऋण				
डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति (उधार हेज के लिए सकल राशि)	3343.41		10099.90	
अन्य प्राप्तिया				
निवल विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर (परिसंपत्तियां)	**3345.30**	–	**10138.15**	–
वित्तीय देनदारियां				
उधार	3619.36	327.06	13039.83	327.06
व्यापार देय	90.63	330.72	57.25	307.02
डेरिवेटिव देयता	29.35			
अन्य देनदारियां	68.30	137.27		
निवल विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर (देयताएं)	**3807.64**	**795.05**	**13097.08**	**634.08**

संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका कंपनी की वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर 'अन्य सभी चीजों के बराबर' के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए पर आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर का +/– 4.24% परिवर्तन मानता है (वर्ष 2017: 4.09%)। आईएनआर/यूरो विनिमय दर के लिए +/– 6.90% परिवर्तन (वर्ष 2017: 7.86%) माना जाता है। इन दोनों प्रतिशतों को पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किया गया है। संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित कंपनी के विदेशी मुद्रा वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होता है और मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफ़सेट करने वाले खाते के फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध भी ध्यान में रखता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर / यूएसडी– वृद्धि 4.24% (31 मार्च, 2018)	(19.60)	
आईएनआर / यूएसडी – कमी 4.24% (31 मार्च, 2018)	19.60	
आईएनआर / यूएसडी– 4.09% की वृद्धि (31 मार्च, 2017)		(121.02)
आईएनआर / यूएसडी– 4.09% की कमी (31 मार्च, 2017)		121.02
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर / यूरो– 6.90% की वृद्धि (31 मार्च, 2018)	(54.86)	
आईएनआर / यूरो– 6.90% की कमी (31 मार्च, 2018)	54.86	
आईएनआर / यूरो – 7.86% की वृद्धि (31 मार्च, 2017)		(49.84)
आईएनआर / यूरो– 7.86% की कमी (31 मार्च, 2017)		49.84

ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर दी जाती हैं। 31 मार्च, 2018 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में कंपनी के निवेश सभी सावधि ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। कंपनी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों का प्रभाव महत्त्वहीन माना जाता है। निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन +/– 1% (वर्ष 2017: +/– 1%) के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पको धारित वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य सभी चर स्थिर रहे हैं।

प) देयताएं

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। 31 मार्च, 2018 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

ब्याज दर के जोखिम के लिए कंपनी का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिवर्तनीय उधार दर (डेरिवेटिव द्वारा ऑफ़सेट एक्सपोजर को छोड़कर)	2998.05	9777.02
निश्चित दर उधार	44360.12	33503.13
कुल उधार	**47358.17**	**43280.15**

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता नीचे दी गई है। (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ब्याज संवेदनशीलता		
ब्याज दरें – 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी	473.58	432.80
ब्याज दरें –100 आधार अंकों की कमी	(473.58)	(432.80)

ii) परिसंपत्तियां

कंपनी की सावधि जमा परिशोधित लागत पर की जाती है और निश्चित दर जमा होतीहैं। इसलिए वे लेखा मानक–107 में परिभाषित ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वाहक राशि और न ही भविष्य में नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

वित्तीय संपत्ति का समग्र जोखिम नीचे दिया गया है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिवर्तनीय दर जमा / ऋण	–	–
निश्चित दर जमा / ऋण	689.48	683.15
कुल जमा	**689.48**	**683.15**

ग) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

कंपनी अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम का सामना करती है (नोट–8 देखें)। कंपनी शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानती है, इसलिए तुलन–पत्र तिथि पर बकाया एक्सपोजर पर मूल्य जोखिम की समस्या नहीं आती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य निम्नलिखित हैं

– एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना

– शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ प्रदान करना

कंपनी तुलन–पत्र में प्रस्तुत इक्विटी की वाहक राशि से कम नकद और नकद समकक्षों के आधार पर पूंजी पर नज़र रखती है।

प्रबंधन अत्यधिक लाभ उठाने से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्त पोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह कंपनी के ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तर को ध्यान में रखता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है, या ऋण को कम करने के लिए संपत्ति बेच सकती है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
शुद्ध ऋण	47104.11	42991.06
कुल इक्विटी	35713.67	36009.06
शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात	**1.32**	1.19
लाभांश		
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश शून्य	शून्य	शून्य
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश जिन्हें मान्यता नहीं दी गई	शून्य	शून्य

45: गिरवी रखी परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वर्तमान		
इंवेंटरीज और व्यापार प्राप्तियां (वचनबद्ध सीमा तक)	**2334.39**	1552.09
गैर वर्तमान		
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) – दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध सीमा तक)	**1148.00**	1162.00
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) –बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध सीमा तक)	**16403.26**	2500.00
भूमि और संयंत्र और मशीनरी (शहर तालुका मौज–वाडेज, जिला अहमदाबाद, गुजरात में) – आईएसपी	**10295.00**	13202.00

46: प्रभावशाली कर मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
कर पूर्व लाभ / (हानि)	**(758.94)**	(4,850.86)
पीएफएस के लिए घरेलू कर दर	**34.94%**	34.61%
संभावित कर व्यय (क)	**(265.20)**	(1,678.79)
कर मुक्त आय / गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**(12.59)**	(9.51)
भिन्न कर दर मदों के लिए समायोजन	**(1.48)**	0.47
विशिष्ट व्यय पर कर प्रोत्साहन	**(16.09)**	(353.00)
पूर्व वर्षों से संबंधित कर	**35.73**	43.64
कॉर्पोरेट कर दर में वृद्धि	**(28.39)**	–
अन्य	**10.79**	(20.44)
कुल समायोजन (ख)	**(12.03)**	(338.84)
वास्तविक कर व्यय (ग = क + ख)	**(277.23)**	(2,017.62)
कर व्यय में शामिल हैं:		
वर्तमान कर व्यय	–	–
आस्थगित कर क्रेडिट	**(277.23)**	(2,017.62)
लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	**(277.23)**	(2,017.62)

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i)	कंपनी के विरुद्ध लंबित अपीलीय/ न्यायिक निर्णय के दावे :		
	क) उत्पाद शुल्क	**4527.42**	3751.71
	ख) संयंत्रों से स्टॉकयार्डों को अंतरराज्य स्टॉक हस्तांतरण पर बिक्री कर *	**739.90**	740.99
	ग) बिक्री कर संबंधी अन्य मामले	**629.13**	628.34
	घ) आयकर	**1416.94**	1288.55
	ङ) अन्य कर, उपकर और लेवी	**6794.71**	6311.57
	च) सिविल मामले **	**3495.56**	3178.30
	छ) प्रवेश कर	**2125.99**	2173.75
	ज) विविध **	**2942.42**	15109.38
	* कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है क्योंकि बिक्री कर अंतिम बिक्री पर भुगतान किया गया है। ** ₹ 60.97 करोड़ के दावे (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 47.44 करोड़), शामिल हैं, जिसके लिए ₹ 35.37 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति ₹ 26.30 करोड़) के प्रति दावे हैं।		
(ii)	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे को ऋण के रूप में नहीं माना गया :		
	क) बिक्री कर	**64.29**	43.16
	ख) शुल्क, उपकर और लेवी	**629.27**	616.51
	ग) सिविल मामले	**98.99**	89.94
	घ) विविध *	**2757.72**	2494.37
	* ₹ 100.94 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 100.94 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए ₹ 103.95 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 103.95 करोड़) के प्रति दावे हैं।		
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनी पर विवादित आय कर/सेवा कर/अन्य मांग, जिनके लिए कंपनी उद्यम करार के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हो सकती हैं	**34.76**	32.89
(iv)	ग्राहकों से आहरित बिल तथा बैंकों में भुनाया गया	**68.83**	37.38
(v)	संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वृद्धि संबंधी दावे तथा कर्मचारियों द्वारा दावे	**441.70**	408.62

47.2 क) (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की संविधान संबंधी बेंच ने अपने दिनांक 11.11.2016 के निर्णय के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए प्रवेश कर अधिनियम की संविधानात्मक वैधता को वैध ठहराया है। न्यायालय की संबंधित नियमित बेंचें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मामले की सुनवाई करेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड राज्यों में प्रवेश कर लगाने के संबंध में शीर्षस्थ न्यायालय की नियमित बेंचों द्वारा निर्णय के लंबित रहते हुए 31 मार्च, 2018 तक क्रमशः ₹ 1092.28 करोड़, ₹ 241.00 करोड़, ₹ 92.23 करोड़ और ₹ 5.15 करोड़) जिसका कुल योग ₹ 1430.66 करोड़ होता है (₹ 1092.28 करोड़, ₹ 352.16 करोड़, ₹ 92.23 करोड़ और ₹ 5.15 करोड़ की राशि जिसका कुल योग 31 मार्च, 2017 तक ₹ 1541.82 करोड़ होता है सहित) को विवाद के अधीन प्रवेश कर मांग को आकस्मिक देयताओं के रूप में माना गया है।

(ii) पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर लगाने के मामले में माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के लंबित रहते 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 295.50 करोड़ (31 मार्च, 2017 तक ₹ 254.21 करोड़ के विवादित प्रवेश कर मांग को आकस्मिक देयताओं के रूप में माना गया है।

ख) कानून के प्रश्न को खुला रखते हुए दिनांक 18 जनवरी, 2017 के आदेश के तहत वर्ष 2009–14 के लिए विद्युत प्रभारों की अनंतिम प्रशुल्क याचिका से संबंधित दामोदर घाटी निगम (डी वी सी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी द्वारा दायर एस एल पी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। याचिका सं. 275 / जी टी /2012 के विरुद्ध 2009–14 के प्रशुल्क से संबंधित दिनांक 7/8/2013 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी आई आर सी) के आदेश को विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपटेल) (2014 की अपील सं. 18) में चुनौती दी गई है जिसमें कंपनी ने भी दखल दिया है और एपटेल का आदेश लंबित है। 2004–09 के प्रशुल्क के निर्धारण के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बाद की अवधियों पर प्रभाव हो सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय के लंबित रहते 31 मार्च, 2018 तक ₹ 587.72 करोड़ के डी वी सी के दावे (31.03.2017 तक ₹ 587.72 करोड़) को आकस्मिक देयता माना गया है और उपरोक्त नोट सं. 47.1(i) (च) में शामिल किया गया है। उक्त मांगों के लिए संपूर्ण राशि का भुगतान डी वी सी को कर दिया गया है और इसे अन्य वर्तमान परिसंपत्ति के तहत दर्शाया गया है। इसके अलावा, 01 अप्रैल, 2017 से आगे, पूरे बीजक मूल्य पर विचार लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

47.3 झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत झारखण्ड राज्य सरकार ने कोयले के लेन–देन मूल्य के लिए बाजार शुल्क के तौर पर 31 मार्च, 2018 तक ₹ 3374.46 करोड़ (31 मार्च, 2017 तक ₹ 3045.41 करोड़) की राशि की मांग की है। चूंकि यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस राशि को आकस्मिक देयता के तौर पर उपरोक्त नोट सं. 47(i) (ङ) में प्रकट किया गया है।

47.4 कंपनी पट्टे की भूमि से जितना लौह अयस्क निकालती है उस पर अधिशुल्क देती है और इस अधिशुल्क का निर्धारण खनन मंत्रालय और भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लेख किए गए दर के आधार पर किया जाता है जिसे भारतीय खान ब्यूरो, लौह अयस्क के ढेले और चूर्ण के लिए हर महीने के आधार पर अलग–अलग प्रकाशित करता है। ओडिशा सरकार ने दिनांक 07.09.2010 को लौह अयस्क के ढेले की दर पर लौह चूर्ण के लिए दी जाने वाली अधिशुल्क के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था, यह अगस्त 2009 से प्रभावी है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 23.07.2012 को ओडिशा सरकार द्वारा 07.09.2010 को जारी किए गए सर्कुलर को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसकी वजह से लौह अयस्क के लिए जो स्वीकार्य दर है उसके मुताबिक लौह चूर्ण के लिए अतिरिक्त अधिशुल्क का भुगतान कंपनी की दो लौह अयस्क खान में किया गया है। इससे संबंधित भुगतान की राशि ₹ 143.54 करोड़ है जिसे वापस लिए जा सकने वाले दावों के तहत प्रकट किया गया है। हालांकि, जैसा कि कंपनी ने इस मामले पर विवाद को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है तो इस संबंध में ओडिशा सरकार के सर्कुलर के लंबित निवर्तन को देखते हुए ₹ 143.54 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 144.34 करोड़) की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में नोट संख्या 47(ii) (ख) में प्रकट किया गया है।

47.5 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी ए टी), कोलकाता ने अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित परिलाभों और भत्तों के बकाया के भुगतान के संबंध में विचार करेगा और 26.11.2008 से 04.10.2009 की अवधि के लिए कार्यपालकों को ₹ 325.13 करोड़ की राशि के संशोधित परिलाभों और भत्तों के भुगतान का उपयुक्त निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने इस मामले के बारे में 07.12.2016 को कंपनी को सूचित कर दिया। इस मामले में एक स्थगन याचिका 22.12.2016 को दायर की गई है और माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिए राशि उपरोक्त नोट संख्या 47.1(v) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है।

47.6 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी सी सी एल) तथा सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सी सी एल) द्वारा क्रमशः 13 जनवरी, 2017 और 14 जनवरी, 2017 से एक पक्षीय रूप से अधिसूचित मूल्य पर स्वदेशी धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्तियों का दावा किया गया है जो वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्यों से विपथन है। कंपनी ने 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तक सेल, बी सी सी एल तथा सी सी एल के बीच आपूर्ति के लिए संयुक्त वैध रूप से हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के अनुसार सहमत कीमतों पर आधारित आपूर्तियों का उल्लेख किया है। एम ओ यू दरों को एक पक्षीय रूप से अधिसूचित उच्च दरों पर ₹ 334.45 करोड़ की राशि के लिए बी सी सी एल और सी सी एल के अंतर वाले दावे उपरोक्त नोट संख्या 47.1(ii)(घ) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं।

47.7 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ई एफ एंड सी सी) ने अपने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. 11–599/2014 एफ सी के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफ सी अधिनियम) के अंतर्गत गैर–वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशा–निर्देशों में विनिर्दिष्ट है कि वन भूमि (आंशिक अथवा पूरी तरह से) वाले मौजूदा खनन पट्टों, जहां एफ सी अधिनियम के तहत वन भूमि के एक भाग के लिए ही अनुमोदन प्राप्त किया है, के मामले में कतिपय शर्तों, जो इस प्रकार की वन भूमि के एन पी वी के मामले में खनन पट्टे में आने वाली संपूर्ण भूमि के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एन पी वी) की वसूली शामिल है, के अध्यधीन शेष वन क्षेत्र भूमि के लिए एफ सी अधिनियम की धारा 2 (iii) के तहत केंद्र सरकार ने सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है।

इस मामले में कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी मत के अनुसार एफ सी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे और एन पी वी केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करना अपेक्षित होगा जो एम ओ ई एफ एंड सी सी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन कार्यकलाप किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं और संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए नहीं हैं। संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए एन पी वी की प्रयोज्यता के मामले को झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में मामले को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निदेश दिया है।

वर्ष के दौरान कंपनी को वन प्रधान मुख्य संरक्षक का कार्यालय, छत्तीसगढ़ से ₹ 96.28 करोड़ की मांग प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में रिट याचिका दायर की गई है।

47.8 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के अवैध खनन के संबंध में कॉमन कॉज मामले में दिये गये निर्णय के अनुसरण में, मांग/ कारण बताओ नोटिस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति, खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बिना और उससे परे उत्पादन किए गए खनिज पदार्थों की कीमत की वसूली करने तथा प्रचालित करने के लिए सहमति से आगे अधिक उत्पादन के प्रति जारी की गई है। कंपनी ने झारखंड और उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष अभिप्रायित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। चूंकि यह मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और वर्तमान मुकदमे के उलझाव पर विचार करते हुए कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रावधान किया है:

(क) लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा और झारखण्ड सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 212.85 करोड़ और ₹ 1478.86 करोड़ (ब्याज सहित) का प्रावधान किया गया है। आंतरिक निर्णय के आधार पर कंपनी ने आपवादिक मद के अंतर्गत अनुमानित आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 333.45 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। ₹ 1358.26 करोड़ की शेष राशि (ब्याज सहित) को उपर्युक्त नोट सं. 47.1(i) (ज) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(ख) झारखंड सरकार द्वारा चूने के पत्थर के मामले में ₹ 20.28 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का आंतरिक निर्णय के आधार पर कंपनी ने आपवादिक मद के अंतर्गत अनुमानित आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 7.27 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। ₹ 13.01 करोड़ की शेष राशि (ब्याज सहित) को उपर्युक्त नोट सं. 47.1(i) (ज) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.9 वर्ष के दौरान झारखंड सरकार द्वारा कोयले के संबंध में ₹ 354.54 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि के संबंध में पुनर्विचार आवेदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर) की धारा 30 के साथ पठित खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 55 (5) के अंतर्गत दायर किया गया है। पुनर्विचार संबंधी प्राधिकार, कोयला मंत्रालय ने कंपनी स्थगन मंजूर कर किया है। तदनुसार, इस मामले का निपटारा नहीं होने तक, ₹ 354.54 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि को नोट सं. 47.1(i) (ज) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

48.1 निष्पादन किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
पूंजी प्रतिबद्धता	10747.11	13580.65
अन्य प्रतिबद्धताएं	1824.86	1532.38

48.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (नोट सं. 30 में व्यापार देय के संबंध में प्रकट किए गए अनुसार) में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर इस प्रकार के पक्षकारों की सीमा तक निर्धारित की गई है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़)

सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष मूलधन राशि।	48.22	38.12
ii.	वर्ष के दौरान संचित ब्याज की राशि तथा वर्ष के अंत में भुगतान नहीं की गई शेष राशि।	–	–
iii.	आगे ब्याज की बकाया और देय राशि, चाहे वह आगे के वर्षों में भी हो और उस तारीख तक उपरोक्त के अनुसार बकाया ब्याज वास्तव में धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में निषेधों के प्रयोजन के लिए लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया गया है।	–	–
iv.	उस पर देय ब्याज जो वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष रहता है।	–	–
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
v.	धारा 16 की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान की गई राशि सहित भुगतान की गई ब्याज की राशि।	–	–
vi.	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज की राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	–	–

48.3 कुछ व्यापार प्राप्य, अन्य परिसंपत्तियों तथा अन्य देयों के शेष की पुष्टि/मिलान और बाद के समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है। मिलान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। प्रावधान, जहां आवश्यक समझे गए हैं, किए गए हैं। तथापि, प्रबंधन को इस प्रकार की लंबित पुष्टि/ मिलान को कोई खास प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

48.4 ब्लॉक भूमि और भूमि सुधार कार्यालय (फरीदपुर – दुर्गापुर) और अंदाल, जिला : पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसके पश्चात् 'कंपनी' के रूप में संदर्भित, के भूमि के भाग और इसके टाउनशिप के लिए पिछले 40 वर्षों के लिए भूमि राजस्व, उपकर और ब्याज की बकाया राशि जो कुल मिलाकर ₹ 494.51 करोड़ होती है (पूर्व वर्ष में यह 'शून्य' थी) की मांग क्रमशः दिनांक 21.02.2018 और 08.03.2018 के दो डिमांड नोटिसों के माध्यम से की है।

कंपनी ने इस मांग का विरोध किया है। भूमि के उस भाग जिसके विरुद्ध मांग की गई थी, का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से किया गया था और इस प्रकार के अधिग्रहण का अधिकार संघ सरकार के पास था जबकि इसकी भूमि के कुछ अन्य भाग का अंतरण राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को किया गया था और इस कंपनी के पास इस प्रकार की भूमि भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार भूमि का कोई भी राजस्व इस प्रकार के भूमि पर भुगतान योग्य नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी ने भूमि राजव के मूल्य को पूंजी में परिणत भी किया था और न्यायिक घोषणा के अनुसार भूमि का कोई राजस्व उस भूमि के लिए भुगतान योग्य नहीं है जिसके लिए पूंजी में परिणत किया गया मूल्य का भुगतान किया गया है। अतः कंपनी का यह मत है कि कंपनी के विरुद्ध की गई

मांग बिलकुल मुनासिब नहीं है। उस आशय का अभ्यावेदन दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और 28 अप्रैल, 2018 को पहले ही दिया जा चुका है।

49.1 30 जून, 2017 की अवधि तक के लिए प्रचालन से राजस्व में ₹ 1403.90 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल है जिसे वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) के कार्यान्वयन के बाद 1 जुलाई, 2017 से बंद कर दिया गया है। भारतीय लेखांकन मानक 18 – राजस्व के अनुसार, ₹ 7864.70 करोड़ की जी एस टी राशि प्रचालन से राजस्व में शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिवर्तन को देखते हुए, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन से राजस्व की तुलना पिछले वर्ष से नहीं की जा सकती है।

49.2 इस बिक्री में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अनंतिम संविदा कीमतों : ₹ 4802.50 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 3807.78 करोड़) और 31 मार्च, 2018 तक संचयी रूप से : ₹ 12271.05 करोड़ (पिछले वर्ष तक : ₹ 18342.41 करोड़) पर मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को की गई बिक्री शामिल है।

49.3 भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा कर्मचारियों के वेतन संशोधन के मामले में दिनांक 3 अगस्त, 2017 और 24 नवंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में खर्च करने की क्षमता और वित्तीय निरंतरता नियम को ध्यान में रखते हुए :

(क) बोर्ड और बोर्ड के नीचे के स्तर के कार्यपालकों के वेतन में संशोधन के प्रति एक समग्र प्रावधान 'कर्मचारी लाभ व्यय' और व्यय को प्रभारित किया गया। पिछले तिमाहियों में निर्माण के दौरान क्रमशः ₹ 95.71 करोड़ और ₹ 3.24 करोड़ की राशि वर्तमान तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई है और 1.1.2017 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए ₹ 33.35 करोड़ को वर्तमान तिमाही के दौरान खाते में डाला गया है और उसे 'आपवादिक मद' के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) बोर्ड और बोर्ड के नीचे के स्तर के गैर कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी में संशोधन के प्रति एक समग्र प्रावधान 'कर्मचारी लाभ व्यय' को प्रभारित किया गया है तथा पिछली तिमाहियों में ₹ 230.77 करोड़ की राशि को बट्टे खाते डाला गया है और 1.1.2017 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए ₹ 77.47 करोड़ को वर्तमान तिमाही के दौरान खाते में डाला गया है और उसे 'आपवादिक मद' के रूप में दर्शाया गया है।

49.4 लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा–निर्देश के अनुसार कंपनी को कार्यपालक कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता लाभ के रूप में वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के 30 प्रतिशत योगदान की आवश्यकता है जिसमें अंशदान भविष्य निधि (सी पी एफ), उपदान, पेंशन और पश्च–अधिवार्षिता लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, कंपनी ने 01 जनवरी, 2007 से कार्यपालकों के लिए वेतन के 9 प्रतिशत की दर से पेंशन लाभ और 01 जनवरी, 2017 से वेतन के 3 प्रतिशत के लिए प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, गैर–कार्यपालकों के लिए 01 जनवरी, 2012 से वेतन के 6 प्रतिशत की दर से और 01 जनवरी, 2017 से वेतन के 2 प्रतिशत की दर से पेंशन लाभ का प्रावधान किया गया है।

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए संचयी प्रावधान/दायित्व का लेखाकरण ₹ 2494.52 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 126.59 करोड़) तथा ₹ 47.81 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 1.76 करोड़) है जिसे क्रमशः कर्मचारी लाभ खर्च में तथा 'निर्माण के दौरान खर्च' में प्रभारित किया गया है।

अधिवर्षिता के लाभों पर लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों जिसमें कर्मचारियों के पेंशन लाभ शामिल हैं, के आधार पर कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कंपनी द्वारा भुगतान करने के लिए क्षमता और वित्तीय निरंतरता को ध्यान में रखकर गैर–कार्यपालकों के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 2 प्रतिशत (पूर्व में लिए गए निर्णय 6 प्रतिशत की तुलना में) और कार्यपालकों के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 3 प्रतिशत (पूर्व में लिये गए निर्णय का 9 प्रतिशत की तुलना में) तक पेंशन लाभ में संशोधन किया :

(क) कार्यपालकों के लिए पेंशन के मामले में पूर्व के वर्षों में 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2016 तक प्रावधान किए गए ₹ 170.02 करोड़ की राशि को वर्तमान वर्ष के दौरान खाते में डाला गया है और 'आपवादिक मद' के रूप में (वर्तमान तिमाही के दौरान शून्य) रखा गया है।

(ख) गैर–कार्यपालकों के लिए पेंशन के मामले में पूर्व के वर्षों में 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2016 तक प्रावधान किए गए ₹ 288.14 करोड़ की राशि को वर्तमान वर्ष के दौरान खाते में डाला गया है और 'आपवादिक मद' के रूप में रखा गया है।

49.5 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 29 मार्च, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में केंद्र सरकार ने 29.03.2018 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹ 0.10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 0.20 करोड़ कर दिया। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बीमांकन संबंधी रिपोर्ट के आधार पर बढ़ी हुई उच्चतम सीमा पर विचार करते हुए कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत ₹ 582.04 करोड़ के लिए किया गया है।

49.6 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के निर्णय और आगे दिनांक 24 नवंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा की गई व्याख्या के परिणामस्वरूप (जिसकी कंपनी एक पक्षकार नहीं है), खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन (डी एम एफ) की स्थापना और खनन पट्टे के धारक द्वारा डी एम एफ को किए जाने के लिए अपेक्षित भावी अंशदान और अधिशुल्क के भुगतान के अलावा एक भावी लाइसेंस एवं खनन पट्टे धारक के मामले में ₹ 261.76 करोड़ की राशि को वर्ष के दौरान आपवादिक मद के अंतर्गत बट्टे खाते डाला गया है जिसके लिए इस प्रकार की लेवी को लागू नहीं माना गया था।

49.7 वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में प्रभारित अनुसंधान और विकास खर्च तथा मियादी संपत्ति/धन को आवंटित प्रगतिशील कार्य (कुल) क्रमश– ₹ 314.71 करोड़ (₹ 261.60 करोड़) तथा ₹ 20.79 करोड़ (₹ 77.83 करोड़) है। अनुसंधान और विकास में हुए राजस्व और खर्च की कुल राशि को संबंधित खाते शीर्ष में दिखाया गया है। राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कच्चा माल	115.05	26.93
कर्मचारियों के लाभ का खर्च	97.95	88.87
खपत किया गया स्टोर और स्पेयर	11.40	9.44
बिजली और ईंधन	21.61	4.80
मरम्मत और रख–रखाव	6.53	4.13
अवमूल्यन और परिशोधन खर्च	8.54	6.42
अन्य खर्च	49.53	119.01
वित्त लागत	4.10	2.00
कुल	**314.71**	**261.60**

49.8 कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की रख–रखाव राशि की समीक्षा अपनी किसी कमजोरी का पता लगाने के उद्देश्य से प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को, संपूर्ण एक प्लांट की संपत्ति को कैश जेनरेटिंग यूनिट (सी जी यू) के रूप में निर्धारित, करती है। यदि इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो संपत्तियों की वापसी राशि का आकलन कुल विक्रय मूल्य से अधिक के रूप में किया जाता है और उस मूल्य का उपयोग किया जाता है। जब किसी संपत्ति की वहन राशि उसकी वापसी राशि से अधिक हो जाती है जो इसे एक क्षीण हानि कर के रूप में माना जाता है। सी जी यू के कुल विक्रय मूल्य का निर्धारण 3 वर्ष में एक बार किया जाता है।

ऐसी समीक्षा पर 31 मार्च, 2018 को वर्ष के दौरान किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट तथा इस्को स्टील प्लांट में उपयोग की जा रही संपत्तियों का मूल्य भविष्य के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर आधारित होता है जिसका संपत्ति के लगातार प्रयोग के बाद बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जाता है और अंत में इसके निपटान पर इसका उपयोगी जीवन संबंधी सी जी यू के वहन राशि से अधिक होता है।

अलॉय स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी वसूली योग्य निवल मूल्य एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 31 मार्च, 2018 को तथा अलॉय इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया आयरन प्लांट के लिए 31 मार्च, 2017 को किया गया आंकलन संबंधित सी जी यू की वहन राशि से अधिक है।

49.9 (क) कंपनी के निदेशक बोर्ड के दिनांक 30 मई, 2017 के भवनाथपुर के अंतर्गत तीन लाइम स्टोन खनन पट्टों अर्थात् सरैया, घाघरा और गोरेगांव को वापस किए जाने के अनुमोदन के आधार पर, खनन अधिकार के रूप में एन पी वी के लिए ₹ 37.47 करोड़ की अमूर्त परिसंपत्ति को सदृश प्रावधानों के साथ साथ बट्टे खाते डाला गया है।

(ख) कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कोयला मंत्रालय को दो कोयला ब्लॉक, परबतपुर और सीतानाला को वापस करने के लिए 1 मार्च, 2018 को अनुमोदन दिया। कंपनी ने आपवादिक खर्च के रूप में सीतानाला के लिए ₹ 18.59 करोड़ और परबतपुर के लिए ₹ 113.05 करोड़ का प्रावधान किया है, जो सी डब्ल्यू आई पी में दर्शाया गया है।

(ग) इस इकाई ने परबतपुर और सीतानाला के दो कोयला ब्लॉकों के लिए आवंटन करार के अनुसार कोयला मंत्रालय को बैंक गारंटी दी है। इन दो कोयला ब्लॉकों को कोयला मंत्रालय को वापस करने के लिए 1 मार्च, 2018 को दिए गए अनुमोदन के बाद, कंपनी ने सीतानाला के लिए ₹ 15.18 करोड़ और परबतपुर कोयला ब्लॉक के लिए ₹ 62.57 करोड़ की देयता का प्रावधान किया है और उसे आपवादिक व्यय के रूप में दर्शाया है।

49.10 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) नीति के अनुसार तीन लगातार वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी के औसत कुल लाभ को कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है। चूंकि कंपनी ने तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान हुई औसत निवल हानि सूचित की है इसलिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए खर्च के लिए कोई बजट अपेक्षित नहीं है।

हालांकि, ₹ 26.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.05 करोड़) की बजटीय राशि के विरुद्ध कंपनी ने निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सी एस आर के क्रियाकलापों पर ₹ 25.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.05 करोड़) की राशि खर्च की है:

(₹ करोड़)

विवरण	**2017–18**	**2016–17**
शिक्षा	7.65	8.74
स्वास्थ्य देख–भाल	5.11	3.34
आजीविका सृजन	3.54	2.86
नारी सशक्तिकरण	0.75	0.90
पेय जल	1.44	0.95
स्वच्छता	0.47	1.50
खेल–कूद	0.79	0.91
कला और संस्कृति	1.13	2.02
ग्रामीण विकास	2.07	2.68
सामाजिक सुरक्षा	0.33	0.26
पर्यावरण शाश्वतता	2.20	3.68
परियोजना अभिचिह्नीकरण और निगरानी	0.00	0.38
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	0.23	0.83
कुल	**25.70**	**29.05**

इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों को शामिल करते हुए कोई व्यय नहीं किया गया है।

49.11 सामान्य वित्तीय नियम 238(5) और (6) के अनुपालन में, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर इसका उपयोग किए जाने के संबंध में ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :

(₹ करोड़)

वर्ष	**केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान**	**खर्च किया गया अनुदान (प्रारंभिक शेष और वर्तमान वर्ष से)**
2017–18	1.33	2.61
2016–17	2.32	2.15
2015–16	2.18	0.77

49.12 सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) ने ई पी सी जी योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात के लिए 12 नवंबर, 2008 से 30 नवंबर, 2009 के बीच 12 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) अधिकरण प्राप्त किया है और विदेश व्यापार संयुक्त निदेशक, कोयंबटूर के कार्यालय से प्राप्त दिनांक 13 फरवरी, 2018 के पत्र के माध्यम से निर्यात दायित्व को पूरा किया।

49.13 भारतीय लेखाकरण मानक (भारतीय ए एस) 17 के आधार पर पट्टों के विषय में सूचना :

(क) कंपनी ने कर्मचारियों तथा तीसरी पार्टी को अलग–अलग अवधि के लिए संपत्तियों के पट्टे आवंटित किए हैं। बुक किए गए मूल्य के समायोजन के बाद पट्टे से प्राप्त प्रीमियम को पट्टे के वर्ष में अन्य राजस्व पर बुक किया जाता है। नवीकरण प्रीमियम, जमीन का भाड़ा और पट्टे पर दिए गए नवीकरण के लिए लंबित संपत्तियों को सेवा प्रभार को प्राप्ति वर्ष में आमदनी के रूप में माना जाता है।

(ख) वित्त पट्टा देयताएं (नोट 24 से 31 देखें) वित्त पट्टे के अंतर्गत संबंधित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित की गई है। संबंधित वर्षों के भावी न्यूनतम वित्त पट्टा भुगतान निम्नानुसार थे :

(₹ करोड़)

	देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	**1–5 वर्ष**	**5 वर्ष बाद**	**कुल**
31 मार्च, 2018				
पट्टा भुगतान	261.85	915.89	2068.04	3245.78
वित्त प्रभार	(156.70)	(527.49)	(1092.81)	(1777.00)
निवल वर्तमान मूल्य	105.15	388.40	975.23	1468.78
31 मार्च, 2017				
पट्टा भुगतान	251.21	913.69	2255.38	3420.28
वित्त प्रभार	(158.59)	(556.78)	(1233.81)	(1949.18)
निवल वर्तमान मूल्य	92.62	356.91	1021.58	1471.11

ग) **प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का विवरण**

विद्युत संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्त्ता के साथ विद्युत क्रय करार होने के कारण भारतीय ए एस 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे के रूप में एक विद्युत संयंत्र को शामिल किया है। विद्युत क्रय करार की शर्तों के अनुसार कंपनी पक्षकारों द्वारा करार को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने तक विद्युत क्रय करता रहेगा जो कि परिसंपत्ति के विशिष्ट स्वरूप और स्थान–स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनार्थिक प्रस्ताव होना निर्धारित किया गया है।

ऑक्सीजन संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्त्ता के साथ ऑक्सीजन क्रय करार होने के कारण भारतीय ए एस 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे (अथवा प्रचालन पट्टे) के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है। ऑक्सीजन खरीदने के करार की निर्धारित अवधि 15 वर्ष है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता के पश्चात पट्टा करार के अंतर्गत अपने अधिकारों के कारण वित्त पट्टों के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है।

घ) **पट्टे/ किराए पर ली गई परिसंपत्तियां :**

(i) कंपनी के पास कार्यालय सुविधाओं, अतिथि गृहों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों, जिनका आवधिक आधार पर नवीकरण किया जा सकता है, के लिए विभिन्न प्रचालनरत पट्टे हैं। वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में माने गए इन पट्टों के लिए किराया व्यय ₹ 18.87 करोड़ (₹ 14.16 करोड़) है।

(ii) तुलन पत्र की तारीख को गैर–रद्दकरणीय प्रचालनात्मक पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एक वर्ष के बाद नहीं	43.23	43.06
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्ष के बाद नहीं	172.23	172.23
5 वर्ष के बाद	258.35	301.41

49.14 लाभांश भुगतान करने के संबंध में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार सेल को कर–पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित है बशर्ते कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नियमों के अंतर्गत अनुमेय अधिकतम लाभांश हो जब तक कि भुगतान किए जाने के लिए प्रस्तावित अपेक्षाकृत कम लाभांश कंपनी के विभिन्न वित्तीय प्रचालनों के विश्लेषण के पश्चात् औचित्यपूर्ण हो। यदि कंपनी दिशा–निर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं है तो निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी आई पी ए एम), भारत सरकार से विशिष्ट छूट प्राप्त करनी होती है। हानि के कारण कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए लाभांश का भुगतान करने से छूट दी गई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पुनः यह मामला छूट, लाभांश के भुगतान से हेतु डी आई पी ए एम के साथ उठाया।

49.15 राजहारा से राउघाट के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक की अवधि के लिए नकदी और वस्तु में योगदान राउघाट खानों से आश्वस्त ट्रैफिक शुरू होने पर पूरा होने के पश्चात् सेल के योगदान में विमोचन के लिए कुल योगदान पर 37 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से नगदी में वसूला जाएगा। प्रबंधन का मत है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंड पूरे किए जाएंगे और ब्याज निवेश की तारीख से प्रोद्भूत होता है। वापस की जाने वाली राशि में मूलधन और ब्याज शामिल है। तदनुसार, ब्याज की गणना की गई है और वर्ष के दौरान ₹ 15.12 करोड़ (आज की तारीख तक ₹ 34.24 करोड़) ब्याज के रूप में माने गए हैं। वर्ष के दौरान भारत के सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार समय अनुपात आधार पर मान्यता का इस प्रकार व्यवहार सही है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि राजस्व के संग्रहण और उपाय के बारे में कोई विशेष अनिश्चित्ता नहीं है।

49.16 आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने दिनांक 27.10.2016 को आयोजित अपनी बैठक में अलॉय इस्पात संयंत्र (ए एस पी), दुर्गापुर, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वी आई एस पी), भद्रावती, सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी), सलेम, का नीतिगत विनिवेश करने के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय लिया है। इसके अलावा भारत सरकार के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के अनुरूप, सेल के बोर्ड 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में ए एस पी, वी आई एस पी और एस एस पी का नीतिगत विनिवेश का अनुमोदन प्रदान किया। कंपनी ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न सलाहकारों की नियुक्ति की। ए एस पी के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पी आई एम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) 14 फरवरी, 2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। एस एस पी और वी आई एस पी की पी आई एम/ ई ओ आई भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

49.17 हाल में जारी किया गया परंतु जो अभी लागू नहीं हुआ है, लेखांकन घोषणा मानक :

मार्च 2018 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2018 भारतीय लेखांकन मानक 115, 'ग्राहकों के साथ संपर्क से राजस्व', भारतीय लेखांकन मानक 21 का परिशिष्ट ख 'विदेशी मुद्रा लेन–देन और अग्रिम विचार और कुछ अन्य मानकों में संशोधन' अधिसूचित करते हुए जारी किया। ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आई ए एस बी) द्वारा हाल में किए गए संशोधनों के अनुरूप है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से कंपनी के लिए लागू हैं। यह कंपनी अपनी प्रभावी तिथि से संशोधनों को अपनायेगी।

(क) भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहकों के साथ संपर्क से राजस्व

भारतीय लेखांकन मानक 115, भारतीय लेखांकन मानक 11, निर्माण संविदाओं और भारतीय लेखांकन मानक 18, राजस्व का अधिक्रमण करता है। भारतीय लेखांकन मानक 115 में किसी प्रतिष्ठान के लिए यह अपेक्षित है कि वह ग्राहकों के साथ संपर्क से प्राप्त होने वाले राजस्व और नकदी के प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता के संबंध में सूचना दे। भारतीय लेखांकन मानक 115 का सिद्धांत यह है कि कोई प्रतिष्ठान उस राजस्व की पहचान करे जो ग्राहकों को उस राशि पर आश्वस्त किए गए वस्तु एवं सेवाओं के अंतरण को प्रदर्शित करता हो, जो उस दृष्टिकोण को दर्शाता हो जिसके बारे में प्रतिष्ठान उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में प्राप्त किए जाने की आशा करता है। इस मानक को या तो पूर्व के प्रत्येक प्रस्तुत किए गए संसूचन अवधि पर पश्चगामी प्रभाव से लागू किया जा सकता है अथवा संविदाओं जो इस मानक के प्रारंभिक प्रयोजनीयता की तिथि को पूरी न की गई संविदाएं हैं, का संचयी प्रभाव को मानते हुए पश्चगामी रूप में लागू किया जा सकता है।

कंपनी द्वारा निष्पादन किए गए प्रारंभिक आकलन के आधार पर, इस मानक की प्रयोजनीयता के प्रभाव के वास्तविक होने की आशा नहीं की जाती है।

(ख) भारतीय लेखांकन मानक 21 का परिशिष्ट ख, 'विदेशी मुद्रा लेन–देन और अग्रिम राशि' :

परिशिष्ट में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परिसंपत्ति, व्यय अथवा आय (अथवा उसका हिस्सा) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेन–देन की तिथि वह तिथि है जिस पर कोई प्रतिष्ठान प्रारंभिक रूप से इस प्रकार की परिसंपत्ति, व्यय अथवा आय के प्रति अग्रिम राशि भुगतान अथवा प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले गैर–मौद्रिक परिसंपत्ति अथवा गैर–मौद्रिक देयता को मान्यता प्रदान करता हो। यदि अग्रिम रूप में अनेक भुगतान अथवा प्राप्तियां जिसे किसी प्रतिष्ठान को अग्रिम राशि के प्रत्येक भुगतान अथवा प्राप्ति के लिए लेन–देन तिथि का निर्धारण करना चाहिए।

कंपनी द्वारा आकलन किए गए अनुसार वित्तीय विवरणों के संबंध में परिशिष्ट के प्रभाव के वास्तविक नहीं होने की आशा की जाती है।

49.18 पर्यावरण/वन स्वीकृति मदों के कारण बारसुआ (17.05.2014 से प्रभावी), भवनाथपुर (29.04.2013 से प्रभावी) और पूनापानी (01.03.2004 से प्रभावी) नामक खानों का प्रचालन अस्थायी रूप से बंद करने के संबंध में वास्तविकता और तुलनीयता के आधार पर कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान निवल व्यय, जिसमें ₹ 82.07 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 97.95 करोड़) का मूल्यह्रास शामिल नहीं है लाभ और विवरण नोट सं. 41 'अन्य व्यय' के अंतर्गत (नोट संख्या 41 में देखें) शामिल किया गया है। शीर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	41.05	53.41
स्टोर एवं स्पेयर	3.80	7.77
खरीदी गई विद्युत	10.70	11.44
मरम्मत एवं रख–रखाव	8.36	6.84
विविध व्यय और प्रावधान	21.21	22.02
कुल व्यय	**85.12**	**101.48**
घटाएं : आय	3.05	3.53
निवल व्यय	**82.07**	**97.95**

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण :

उपदान : उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष अथवा उससे अधिक निरंतर सेवा की है, (गैर कार्यपालक के मामले में 30 वर्षों के बार सेवा की प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन 30 वर्षों से आगे की सेवा के लिए) को सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक होने पर 15 दिन की दर से देय 01 जुलाई, 2014 को अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए ₹ 20 लाख की अधिकतम राशि और अन्य गैर–कार्यपालकों के लिए किसी आर्थिक अधिकतम सीमा के बिना बीमांकन संबंधी मूल्यांकन के लिए माना गया है।

छुट्टी नकदीकरण : उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने अर्जित और अर्द्ध वेतन छुट्टी संचित की है, अर्जित छुट्टियों और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए संयुक्त रूप से 300 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन अधिवर्षिता पर देय। संचित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की भी अनुमति 18 नवंबर, 2015 तक किसी वित्तीय वर्ष में एक बार 30 दिनों तक के लिए दी गई है और उसके बाद रोक दिया गया।

भविष्य निधि : कंपनी द्वारा भविष्य निधि न्यासों को मूल वेतन महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से किया गया अंशदान।

सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कंपनी के अस्पताल और/या स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध।

सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ : अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय।

दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार : 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने और अधिवर्षिता पर भी वस्तु के रूप में देय

50.1.2 परिभाषित लाभ देयताओं के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के संबंध में भारतीय ए एस–19 के तहत अपेक्षितानुसार अन्य प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

(क) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान ' :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा का लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	वर्ष के आरंभ में प्रक्षेपित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6153.06 (5692.84)	2740.01 (2535.85)	936.21 (872.63)	103.73 (94.95)	23.14 (21.02)
ii)	सेवा लागत	288.50 (375.36)	124.27 (303.44)	– (–)	– (–)	1.52 (1.60)
iii)	ब्याज लागत	443.02 (381.98)	198.91 (173.00)	67.61 (60.24)	7.65 (6.52)	1.70 (1.43)
iv)	बीमांकन लाभ (+) / हानि (–)	–328.47 (550.79)	35.10 (28.06)	76.25 (86.89)	14.01 (11.68)	–1.03 (1.82)
v)	विगत सेवा लागत	582.04 (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	भुगतान किए गए लाभ	798.19 (847.91)	312.56 (300.34)	116.44 (83.55)	8.73 (8.92)	2.40 (2.73)
vii)	**वर्ष के अंत में प्रक्षेपित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v–vi)**	**6339.96 (6153.06)**	**2785.73 (2740.01)**	**963.63 (936.21)**	**116.66 (103.73)**	**22.93 (23.14)**

(ख) परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का मिलान

कंपनी ने एक पृथक निधि के जरिए उपदान देयता का निधियन किया है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों, जिनके जरिए निधि द्वारा निवेश किया गया है, द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। उपदान निधि की परिसंपत्तियों और परिभाषित लाभ उपदान देयताओं के उचित मूल्य का मिलान नीचे दिए गए अनुसार है :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2017–18	2016–17
i)	वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5836.33	5494.74
ii)	योजना परिसंपत्तियों पर संभावित आय	23.11	94.53
iii)	कंपनी का वास्तविक अंशदान	798.07	696.50
iv)	ब्याज आय/ बीमांकन संबंधी लाभ / हानि	449.45	398.35
v)	लाभ भुगतान	798.19	847.91
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6308.85	5836.33
vii)	परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य (50.1.2)(क)(vii))	6339.96	6153.06
viii)	तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयता (vii)–(vi) *	**31.11**	**316.85**

*निवेश पर आय को ध्यान में रखने के पश्चात् कंपनी की वर्ष 2018–19 के दौरान उपदान निधि के व्यय के लिए किसी राशि का अंशदान करने की आशा नहीं है।

उपदान के अलावा परिभाषित लाभ देयताओं के लिए निधि का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा का लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	सेवा लागत	288.50 (375.36)	124.27 (303.44)	– (–)	– (–)	1.52 (1.60)
ii)	ब्याज लागत	–6.34 (–16.37)	198.91 (173.00)	67.61 (60.24)	7.65 (6.52)	1.70 (1.43)
iii)	बीमांकन लाभ / हानि	–328.47 (550.79)	34.85 (28.06)	76.25 (86.89)	14.01 (11.68)	–1.03 (1.82)
iv)	विगत सेवा लागत	582.04 (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
v)	योजना परिसंपत्तियों से संभावित आय	23.11 (93.25)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv–v)	**512.60 (816.53)**	**358.02 (504.50)**	**143.86 (147.13)**	**21.66 (18.20)**	**2.19 (4.85)**
vii)	कर्मचारी लाभ व्यय:					
	क) लाभ और हानि खाते के लिए प्रभारित (नोट 39)	860.65 (356.51)	357.55 (491.23)	67.61 (58.34)	21.66 (–)	2.19 (4.85)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय के लिए प्रभारित (नोट 5.1)	3.52 (–1.25)	0.47 (3.56)	– (–)	– (17.29)	– (–)
	ग) ओ सी आई के लिए प्रभारित	–351.58 (456.26)	– (.)	76.25 (88.79)	– (–)	– (–)
	घ) लाभ और हानि खाते के लिए प्रभारित – अन्य व्यय	– (5.01)	– (9.71)	– (–)	– (0.91)	– (–)
viii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	472.50 (491.63)				

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में आधा प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत प्वाइंट की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि
i)	उपदान	–216.53	204.24
ii)	छुट्टी	–116.72	110.59
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ	–32.26	31.16
iv)	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	–0.99	0.95
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	–4.80	4.69

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत प्वाइंट की कमी	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि
i)	उपदान	175.57	–182.59
ii)	छुट्टी	117.21	–121.04

(च) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में परिकल्पित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट दर का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	चिकित्सा वृद्धि दर में 1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि	चिकित्सा वृद्धि दर में 1 प्रतिशत प्वाइंट की कमी
i)	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	–20.97	18.42

(छ) उपदान न्यास में निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को
बीमा निवेश	86.25	85.03
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	1.36	1.54
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4.24	4.77
पी एस यू बॉण्ड	8.12	8.63
बैंक में नकदी	0.03	0.03
कुल	**100.00**	**100.00**

(ज) बीमांकन परिकल्पनाएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.70%	7.25%
ii)	मृत्यु दर	आई ए एल एम (2006–08) अंतिम	आई ए एल एम (2006–08) अंतिम
iii)	आहरण दर (प्रति वर्ष)	कार्यपालक और गैर–कार्यपालक – आयु पर निर्भर करते हुए 0.10% से 0.50%	कार्यपालक और गैर–कार्यपालक – आयु पर निर्भर करते हुए 0.10% से 0.50%
iv)	चिकित्सा लागत रुख दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5% और मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल लागत के लिए 5% और मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसंपत्तियों पर आय की अनुमानित दर	7.70%	7.25%
vi)	वेतन वृद्धि	कार्यपालक : 6% प्रति वर्ष गैर–कार्यपालक : 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी – 2017 से सेवा शुरू करने के प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात 6% स्टेप–अप	कार्यपालक : 6% प्रति वर्ष गैर–कार्यपालक : 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी – 2017 से सेवा शुरू करने के प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात 6% स्टेप–अप
		महंगाई वृद्धि दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में बीमांकन संबंधी मूल्यांकन को ध्यान में रखा गया	

(झ) **परिभाषित लाभ देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल**

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च, 2018 को
1 वर्ष तक	807.50
1 से 2 वर्ष के बीच	828.15
2 से 3 वर्ष के बीच	832.46
3 से 4 वर्ष के बीच	839.42
4 से 5 वर्ष के बीच	843.26
5 से 10 वर्ष के बीच	4398.70
10 वर्ष से अधिक	25597.36
विगत सेवा से संबंधित कुछ गैर–छूट प्राप्त भुगतान	34146.84
घटाएं : ब्याज के लिए छूट	27806.88
प्रक्षेपित लाभ देयताएं	**6339.96**

51. सामान्य

51.1 सेगमेंट रिपोर्टिंग

i) कारोबार सेगमेंट : विनिर्माण यूनिटें होने के नाते पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और तीन अलॉय इस्पात संयंत्रों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए एस) – 108 – प्रचालन सेगमेंट के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख कारोबार सेगमेंट के रूप में माना गया है।

ii) प्रबंधन के मत में कैप्टिव खान कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक (भारतीय ए एस) – 108 – प्रचालन सेगमेंट के पैरा 27 के अनुसार कंपनी के कारोबार सेगमेंट में सूचित करने योग्य नहीं है। चूंकि कैप्टिव खानें विभिन्न संयंत्रों, खानों को कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं इसलिए खानों को लेखाकरण प्रयोजन के लिए लागत केंद्र के रूप में माना जाता है।

51.2 संबंधित पार्टी

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय ए एस–24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं :

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंध का स्वरूप

सहायक कंपनियां
सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड
सेल रिफैक्ट्री कंपनी लिमिटेड
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

संयुक्त उद्यम कंपनी
एन टी पी सी – सेल पावर कंपनी लिमिटेड
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
सेल एंड मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
सेल – एस सी आई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
सेल एस सी एल केरल लिमिटेड
सेल – राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
टी एम टी एस ए एल सेल जे वी लिमिटेड
एस ए एल सेल जे वी सी लिमिटेड
सेल – बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
प्राइम गोल्ड – सेल जे वी सी लिमिटेड
वी एस एल सेल जे वी सी लिमिटेड
अभिनव – सेल जे वी सी लिमिटेड
एन. ई. स्टील एंड गलवेनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड
रोमेल्ट – सेल (इंडिया) लिमिटेड
एन एम डी सी सेल लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

सहायक कंपनी
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

अन्य कंपनियां
आई सी वी एल मॉरिशस
रिवरडेल माइनिंग (पी टी वाई) लिमिटेड (आर एम एल)
मिनास डे बंगा (मॉरिशस) लिमिटेड मोजांबिक
आई सी वी एल जांबिज मॉरिशस लिमिटेड
प्रोमार्क सर्विसेज लिमिटेड आर पी यू
बेंगा पावर प्लांट (मॉरिशस) लिमिटेड
मिनास डे बेंगा एल डी ए
बेंगा एनर्जिया एस ए
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं. लिमिटेड
यू ई सी – सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

रोजगार पश्चात लाभ योजनाएं
एच एस एल बी एस पी प्रोविडेंट फंड, भिलाई
डी एस पी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कंट्रीब्यूट्री प्रोविडेंड फंड, राउरकेला
बोकारो स्टील इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड, बोकारो
इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इंस्टीच्यूशन, बर्नपुर
इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इंस्टीच्यूशन, कोलकाता
इस्को लिमिटेड वर्क्स प्रोविडेंट फंड, बर्नपुर
सेल ए एस पी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर
सेलम स्टील प्रोविडेंट फंड, सेलम
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट भद्रावती
सेल प्रोविडेंट फंड, नई दिल्ली
हिन्दुस्तान स्टील प्रोविडेंट फंड, रांची
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, सेंट्रल पर्चेज ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, कोलकता प्रोविडेंट फंड
भारत रिफ्रैक्ट्रीज प्रोविडेंट फंड, बोकारो
आई एफ आई सी ओ प्रोविडेंट फंड, रामगढ़
सी सी एस ओ प्रोविडेंट फंड धनबाद
सेल आर एम डी इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड, कोलकता
बोलानी ओर्स माइंस प्रोविडेंट फंड, बोलानी
सेल इंप्लॉयीज सुपर एनुएशन बेनिफिट फंड
सेल ग्रेच्युटी फंड

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
श्री पी. के. सिंह	श्री सी. श्रीकांत
श्री अनिल कुमार चौधरी	श्री एस. के. गरई
श्री रमन	श्री एम. आर. पाण्डा
श्री कल्याण माइति (28.02.2018 तक)	श्री नीरज माथुर
श्री एन महापात्रा	श्री सोमदेव दास
श्री जी. विश्वकर्मा	श्री सुकुमार हेगडे
श्रीमती सोमा मंडल	श्री अशोक कुमार पॉल
श्री अतुल श्रीवास्तव (12.03.2018 से)	श्री पी. के. मिश्रा
श्री पी. के. सिंह	श्री बी. एन. ठाकुर
श्री एम. रवि	श्री एन. रामाचन्द्रन
श्री पी. साइदेव	श्री एम. सी. जैन
श्री ए. दास गुप्ता	श्री आर. मित्रा
श्री ए. के. रथ	श्री एस. के. दास
श्री अश्विनी कुमार	श्री टी. एस. प्रकाश
श्री के. रमन	

ग. वर्ष के दौरान कंपनी तथा संबंधित पार्टी के बीच लेन–देन का ब्यौरा (₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सहायक कंपनी/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	योग	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश की खरीद	100.07 (100.92)		100.07 (100.92)	8 : निवेश
ii)	शेयरों की बिक्री के लिए अग्रिम	–0.66 (100.68)		–0.66 (100.68)	11/19 : अन्य विशेष परिसंपत्तियां
iii)	की गई सेवाएं	8.58 (1.92)		8.58 (1.92)	36: अन्य आय
iv)	किराया आय	0.12 (0.12)		0.12 (0.12)	
v)	प्राप्त लाभांश	74.31 (90.87)		74.31 (90.87)	
अप)	वस्तुओं की बिक्री	3.74 (2.26)		3.74 (2.26)	35 : प्रचालनों से राजस्व
vii)	वस्तुओं की खरीद	153.51 (105.08)		153.51 (105.08)	
viii)	विद्युत की खरीद	2134.18 (2047.53)		2134.18 (2047.53)	
ix)	प्राप्त सेवाएं	44.95 (44.35)		44.95 (44.35)	42 : अन्य व्यय
		1.48 (3.19)		1.48 (3.19)	5 : पूंजीगत डब्ल्यू आई पी
x)	ब्याज आय	0.74 (0.51)		0.74 (0.51)	
xi)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक		8.56 (7.42)	8.63 (7.42)	39 : कर्मचारी लाभ व्यय

घ. वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के पास शेष (₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश	1431.54 (1331.65)	8 : निवेश
ii)	निवेश के लिए प्रावधान	17.68 (4.63)	
iii)	अन्य ऋण और अग्रिम	39.44 (39.60)	24/29: ऋण
iv)	ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	16.85 (4.85)	
v)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	3.54 (104.27)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां
vi)	व्यापार प्राप्य	4.93 (4.39)	9/16 : व्यापार प्राप्य
vii)	व्यापार देय	153.80 (141.69)	25/30 : व्यापार देय
viii)	प्रतिभूति जमा	0.33 (0.33)	26/31 : अन्य वित्तीय देयताएं

ङ. **संबंधित पार्टियों के साथ सामग्री लेन–देन का ब्यौरा** (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट सं. और लेखा शीर्ष
निवेश की खरीद			
वी एस एल सेल जे वी सी लिमिटेड	–	0.46	8 : निवेश
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	100.00	98.73	
बस्तर रेलवे लिमिटेड	0.01	–	
एन एम डी सी सेल लिमिटेड	0.02	–	
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.04	–	
सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	–	1.73	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम			
वी एस एल सेल जे वी सी	–	0.01	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां
एन एम डी सी सेल प्रा. लिमिटेड	–	0.01	
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	–	100.00	
सेल एस सी एल केरल लिमिटेड	–0.66	0.66	
वस्तुओं की बिक्री			
भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड	3.74	2.26	35: प्रचालनों से राजस्व
वस्तुओं की खरीद			
सेल रिफैक्ट्री कं. लिमिटेड	141.81	105.08	
अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड	11.70	–	
विद्युत की खरीद			
बोकारो पॉवर सप्लाई कं. प्रा. लिमिटेड	815.72	839.61	
एन टी पी सी–सेल पावर कं. लिमिटेड	1318.46	1207.92	
लाभांश आय			
एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	5.60	90.87	36: अन्य आय
सेल रिफैक्ट्री कं. लिमि.	6.31	–	
बोकारो पॉवर सप्लाई कं. प्रा. लिमिटेड	12.40	–	
एन टी पी सी–सेल पावर कं. लिमिटेड	50.00	–	
दी गई सेवाएं			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	1.46	1.67	
एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	5.65	0.15	
सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	1.12	0.03	
बोकारो पॉवर सप्लाई कं. प्रा. लिमिटेड	0.35	0.09	
नीलामी सेवाएं			
एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	44.95	44.35	42 : अन्य व्यय
	1.48	3.19	5 : पूंजीगत डब्ल्यू आई पी
अंतरण प्रभार			
सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमि.	1.77	1.84	42 : अन्य व्यय

च. वर्ष के दौरान केंद्र सरकार (भारतीय रेलवे सहित) के साथ लेन–देन के लिए बिक्री और व्यापार प्राप्य में ₹ 11770.05 करोड़ (₹ 9000.19 करोड़) तथा ₹ 2063.36 करोड़ (₹ 1493.07 करोड़) शामिल हैं, जो बिक्री तथा व्यापार प्राप्य का क्रमशः 20.19 प्रतिशत (19.07 प्रतिशत) और 53.31 प्रतिशत (49.97 प्रतिशत) है।

51.3 भारतीय लेखाकरण मानक (भारतीय ए एस) 37 द्वारा आवश्यक 'आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति, प्रावधान' को प्रकट करना।

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

खनन वनरोपण लागत – नवीकरण (जिसमें नवीकरण माना जाने वाला भी शामिल है)/ सरकारी प्राधिकारियों से पट्टे पर लिए खनन की मंजूरी पर वन भूमि के खनन उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए खान पर वनरोपण कार्य के संबंध में देय।

खनन समापन लागत – खदानों के समापन हेतु अनुमानित देयता, यह खनन कार्य की समाप्ति पर लगाया जाता है।

पीछे का अतिरिक्त भार हटाने का खर्च – भविष्य के वर्षों में कार्य के लिए खदान पर पीछे का अतिरिक्त भार हटाने में लगाया जाता है।

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचालन	खनन वनरोपण लागत	खनन समापन लागत	अतिरिक्त भार हटाने का खर्च	कुल
01 अप्रैल, 2017 तक शेष	238.72	59.62	103.25	401.59
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.00	13.19	24.27	37.46
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	(7.63)	(7.56)	(15.19)
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि	0.00	0.00	2.80	2.80
31 मार्च, 2018 को शेष राशि	**238.72**	**65.18**	**117.16**	**421.06**

51.4 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 34 (3) की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्यौरा: (₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम*	वर्ष के अंत में बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋण और अग्रिम	वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋणों और अग्रिमों की अधिकतम राशि
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

* वसूली के लिए संदेहास्पद होने के कारण ₹ 2.53 करोड़ (₹ 2.53 करोड़), के लिए बही–खातों में प्रावधान किया गया है।

ii) कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को ऋणों के अलावा) जिनमें, पुनःभुगतान के लिए कोई समय कार्यक्रम नहीं है अथवा सात वर्ष से अधिक की भुगतान अवधि है; और

iii) फर्मों/ कंपनियों, जिनमें निदेशक इच्छुक हैं, को ऋणों के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

52. प्रचालन खण्ड सूचना

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अन्तर खंड बिक्री	कुल
राजस्व											
– बाह्य बिक्री											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	15994.93	7168.64	12210.22	14039.97	6811.00	442.88	1344.11	142.18	143.33		**58297.26**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	14135.97	6209.54	9683.32	11796.81	4709.85	383.07	2015.72	169.15	76.81		**49180.24**
– अंतर खंड बिक्री											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	299.80	184.88	217.67	211.33	73.02	206.18	12.70	18.36	3881.30	(5105.24)	–
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	639.75	173.36	273.76	234.89	49.44	224.61	9.52	24.78	3406.99	(5037.10)	–
– उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	16294.73	7353.52	12427.89	14251.30	6884.02	649.06	1356.81	160.54	4024.63	(5105.24)	**58297.26**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	14775.72	6382.90	9957.08	12031.70	4759.29	607.68	2025.24	193.93	3483.80	(5037.10)	**49180.24**
परिणाम											
– संचालन लाभ / (–) ब्याज और असाधारण मदों से पूर्व हानि											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	1240.52	(58.57)	398.70	804.13	(329.50)	(25.84)	(118.24)	(108.34)	234.52		**2037.38**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	546.87	(724.42)	(703.22)	251.85	(1326.32)	(1.78)	(112.45)	(114.88)	78.05		**(2106.30)**
– वित्तीय लागत											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष											**2822.75**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष											**2527.82**
– असाधारण मद											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष											**(26.43)**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष											**216.74**
– कराधान व्यय											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष											**(277.23)**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष											**(2017.62)**
– वर्ष के लिए लाभ / हानि (–)											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष											**(481.71)**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष											**(2833.24)**
अन्य सूचना											
– खंड की परिसंपत्तियां											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	28756.68	6400.05	19484.61	14524.30	18770.09	518.32	2459.07	533.47	22743.21		**114189.80**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	27079.13	6006.72	18906.12	14437.15	18836.19	600.26	2554.16	678.16	17441.58		**106539.47**
– सेगमेंट देयताएं (लंबी अवधि की उधार सहित)											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	7409.47	2364.33	4017.17	3746.95	1922.70	207.46	383.28	79.88	58344.89		**78476.13**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	6872.38	2060.83	3821.43	3284.97	1577.12	232.30	372.66	151.41	52157.31		**70530.41**
– पूंजीगत व्यय											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	2481.46	296.50	1638.38	1362.65	599.44	2.89	7.82	2.15	386.53		**6777.82**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	1683.88	403.56	1212.44	1259.91	635.67	3.71	11.91	2.43	252.43		**5465.94**
– मूल्यह्रास											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	512.86	195.57	721.75	561.87	724.35	11.44	95.74	7.30	234.04		**3064.92**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	419.36	188.37	667.72	487.93	607.05	9.30	96.31	7.30	196.61		**2679.95**
– मूल्यह्रास के अलावा गैर नकद खर्च											
31 मार्च 2018 को समाप्त चालू वर्ष	19.00	11.34	15.26	56.00	36.79	2.00	14.17	2.81	58.37		**215.74**
31 मार्च 2017 को समाप्त पूर्व वर्ष	8.98	16.20	5.45	29.91	26.73	4.48	3.45	2.43	49.92		**147.55**

सामाजिक सुविधाएं

(₹ करोड़)

व्यय	टाउनशिप	शिक्षा	चिकित्सा	सामाजिक –सांस्कृतिक गतिविधियां	सहकारी समितियां	ट्रांसपोर्ट और डेयरी	कुल	पूर्व वर्ष
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ								
– वेतन – भत्ते	172.44	70.90	278.19	8.26	1.36	10.04	541.19	582.71
– भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	20.88	8.93	30.19	1.12	0.32	1.47	62.91	66.71
– यात्रा रियायत	3.82	0.70	3.67	0.03	0.00	1.70	9.92	17.44
– कल्याण खर्च	9.54	71.47	73.73	3.70	0.00	1.94	160.38	168.30
– दवाओं का व्यय	0.00	0.00	65.45	0.80	0.00	0.00	66.25	66.83
– उपदान	16.05	11.42	18.46	0.59	0.02	0.94	47.48	60.76
जोड़	**222.73**	**163.42**	**469.69**	**14.50**	**1.70**	**16.09**	**888.13**	**962.75**
स्टोर और स्पेयर्स	18.83	0.22	6.30	0.44	0.55	0.52	26.86	36.22
मरम्मत एवं रख–रखाव	91.55	3.47	31.22	0.43	0.29	2.14	129.10	154.68
बिजली और ईंधन	417.95	5.54	14.91	4.32	0.00	0.43	443.15	443.65
विविध व्यय	22.26	5.23	24.41	2.79	0.00	9.77	64.46	74.29
मूल्यह्रास	43.09	2.87	11.75	0.68	0.30	0.73	59.42	54.69
जोड़	**816.41**	**180.75**	**558.28**	**23.16**	**2.84**	**29.68**	**1611.12**	**1726.28**
घटाः आय	263.65	4.10	69.67	0.01	0.00	0.33	337.76	334.01
शुद्ध घाटा	**552.76**	**176.65**	**488.61**	**23.15**	**2.84**	**29.35**	**1273.36**	**1392.27**

स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट

टिप्पणियां | **प्रबंधन के उत्तर**

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को

एकल भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हम स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सलंग्न भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का ऑडिट कर चुके हैं, जिसमें 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं), नकद प्रवाह विवरण, उस समय समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्याएं (जिन्हें यहां पर "भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल हैं, जिनमें उस वर्ष के लिए 8 शाखाओं के रिटर्न का प्रयोग किया गया है जिन्हें कम्पनी की शाखाओं के शाखा ऑडिटरों के द्वारा ऑडिट किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में दिए गए मामलों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार होता है, जो कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (संशोधन) सहित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के साथ–साथ भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (जिसमें व्यापक आय शामिल है), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों की सही और वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रख–रखाव शामिल है जिसका उद्देश्य कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना और जालसाजियों और दूसरी अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखा नीतियों का चुनाव और प्रयोग करना; तर्कसंगत और दूरदर्शी निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करना और बनाए रखना है, जो भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण हों, जिनसे सही और वास्तविक तस्वीर प्राप्त हो और जो जालसाजी या गलती के कारण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हो।

ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है हमारे ऑडिट के आधार पर भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर अपनी राय देना।

ऑडिट करने में हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और ऑडिट मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने हमारा ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना करने और ऑडिट के लिए योजना बनाने और उसे पूरा करने की जरूरत होती है ताकि इस बारे में तर्कपूर्ण ढंग से यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं।

एक ऑडिट में भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में दी गई राशियां और घोषणाओं के बारे में प्रमाण प्राप्त करने की विधियों को अपनाना शामिल है। चुनी गई विधियां ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर हैं जिनमें भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में जालसाजी या गलती के कारण होने वाली भौतिक त्रुटियों के जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में ऑडिटर भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को तैयार करने में कम्पनी के लिए महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो उन परिस्थितियों में उचित ऑडिट विधियों को डिजाइन करने के लिए सही और वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक ऑडिट में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कम्पनी के निदेशकों द्वारा लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना और भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की सम्पूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि जो ऑडिट प्रमाण हमने प्राप्त किए हैं वे भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमार ऑडिट राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

सशर्त राय का आधार

कम्पनी ने निम्न के लिए प्रावधान नहीं किया है:

I. दिनांक 1 जुलाई, 2014 को इस्पात पर 9वां राष्ट्रीय संयुक्त समिति (जो 31 दिसम्बर, 2016 तक वैध है) समझौता जिस पर कम्पनी ने हस्ताक्षर किए हैं, के अनुसार, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित पेंसन फंड के लिए कम्पनी द्वारा दिया जाने वाला योगदान मूल वेतन और डीए का 6% निर्धारित किया गया था। कथित समझौते का विचाराधीन रिविजन और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के आरक्षण के विरुद्ध, कम्पनी के प्रबंधन ने एकतरफा रूप से कथित पेंसन फंड में योगदान की दर को घटा कर मूल वेतन और डीए का 2% कर दिया था और इसलिए चालू वर्ष के चौथे क्वार्टर में प्रबंधन ने 01.04.2015 से 31.12.2016 की अवधि के लिए गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए ₹288.14 करोड़ तक कथित पेंसन फंड के लिए पुनरांकन का प्रावधान किया है (नोट संख्या 49.4 देखें)।

प्रबंधन के उत्तर: कम्पनी की राय यह है कि पेंसन योजना को 9 फरवरी, 2017 को अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि पेंसन के लिए योगदान कम्पनी की समर्थता, चिरस्थायीत्व और क्षमता के आधार पर किया जाएगा, जिसें औसत शुद्ध सम्पत्ति पर कर से पहले लाभ के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। यह सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 21.5.2014 के अनुसार किया गया था। यदि शुद्ध सम्पत्ति की तुलना में कर से पहले लाभ का प्रतिशत 8% या इससे अधिक होता है तो गैर–कार्यकारी कर्मचारियों की पेंसन के लिए योगदान मूल वेतन और डीए का 6% निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त यदि औसत शुद्ध सम्पत्ति की तुलना में कर से पहले लाभ 8% से नीचे रहता है तो उसी के अनुपात में योगदान की राशि में कमी की जाएगी। लेकिन यदि एक वित्त वर्ष के दौरान हानि होती है तो भी न्यूनतम पेंसन योगदान मूल वेतन और डीए का 2% रखा जाएगा। इसलिए कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 30.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में 1.4.2015 से 31.12.2016 की अवधि के लिए पेंसन योगदान पुनरांकन को मंजूरी दी है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
II. गैर कार्यकारी कर्मचारियों के श्रम का रिविजन 01.01.2017 से बकाया है। चालू वर्ष के चौथे क्वार्टर के दौरान कम्पनी के प्रबंधन ने पिछले वर्ष 01.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि के लिए 77.47 करोड़ रुपये के अस्थायी प्रावधान को पहले ही वापिस ले लिया है। इसके अतिरिक्त कम्पनी प्रबंधन ने 31 दिसम्बर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के नौ महिने के लिए किए गए ₹ 230.77 करोड़ के प्रावधान को भी वापिस ले लिया है और वर्ष के चौथे क्वार्टर के लिए इसका कोई प्रावधान नहीं किया है। गैर कार्यकारी कर्मचारियों के साथ बकाया समझौते के चलते और गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए श्रम रिविजन के भूतकाल के अनुभवों और कार्यप्रणालियों के अनुसार 01.01.2017 से 31.03.2017 के ₹ 77.47 करोड़ और 01.04.2017 से 31.12.2017 के ₹ 230.77 करोड़ के अस्थायी प्रावधानों को वापिस नहीं लेना चाहिए था और 31.03.2018 को समाप्त होने वाले क्वार्टर के लिए ₹ 76.92 करोड़ का प्रावधान नहीं करना चाहिए था। चालू वर्ष में कर से पहले हानि पर इसका कुल प्रभाव ₹ 385.16 करोड़ है। (नोट संख्या 49.3 देखें)।	कम्पनी की राय यह है कि सेल एक सरकारी कम्पनी है और इसे अपने कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज करने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने इस संबंध में दिनांक 24.11.2017 को कार्यालय आदेश जारी किया है। ये दिशानिर्देश स्वयं कहते हैं कि पीएसई का प्रबंधन इस प्रकार के वेतन संशोधन में समर्थता और वित्तीय चिरस्स्थायीत्व को ध्यान में रखेगा और इसके अलावा जहां वेतन संशोधन के लिए पांच वर्ष की अवधि को अपनाया जाता है, वहां प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उन संबंधित सीपीएसई के गैर–कार्यकारी कर्मचारियों और गैर–संघीकृत निरीक्षकों का वर्तमान वेतनमान निरंतर दो वार्षिक तय वेतमानों से अधिक नहीं होना चाहिए जिनके लिए 10 वर्ष की अवधि को अपनाया जाता है। सेल में काम कर रहे गैर कार्यकारी कर्मचारियों का वर्तमान वेतनमान 01.01.2012 से 5 वर्ष के लिए प्रभावी वेतन संशोधन के बाद भी कुछ कार्यकारी कर्मचारियों के वेतनमान से अधिक है। इसलिए कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा 01.01.2017 से 31.03.2013 की अवधि के लिए और 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के 9 माह के लिए गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए श्रम संशोधन के प्रावधान को वापिस लेने और वित्त वर्ष 2017–18 के चौथे क्वार्टर के लिए कोई प्रावधान न करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।
III. कम्पनी ने निम्न का प्रावधान नहीं किया है: (i) 31 मार्च, 2018 को विभिन्न राज्यों में ₹ 1726.16 करोड़ के एंटरी टैक्स की मांग (नोट संख्या 47.2 (क) देखें); और (ii) 31 मार्च, 2018 को पावर सप्लाई के लिए पिछले वर्षों के बिलों की राशि जो दामादोर वैली कोर्पोरेशन (डीवीसी) को देय है और बोकारो स्टील प्लांट द्वारा डीवीसी को देय ₹ 587.72 करोड़ की अग्रिम राशि (नोट संख्या 47.2 (ख) देखें)। यदि उक्त शर्तो के प्रभाव पर विचार किया जाता, तो 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल व्यापक हानि (शुद्ध कर) ₹ 295.39 करोड़ की कथित कुल व्यापक हानि (शुद्ध कर) की तुलना में ₹ 2,238.73 करोड़ होती, 31 मार्च, 2018 को अन्य इक्विटी की ₹ 1,943.34 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट, ₹ 2,399.46 करोड़ की चालू देनदारी की अंडरस्टेटमेंट और ₹ 456.12 करोड़ की सम्पत्ति की अंडरस्टेटमेंट।	आइटम (I) के कथन के संबंध में कम्पनी का विचार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायधीशों की एक बेंच ने 11 नवम्बर 2016 को दिए गए अपने एक निर्णय में राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले एंट्री टैक्स के शुल्क की संवैधानिक वैधता को माना है और विभिन्न राज्यों में एंट्री टैक्स के शुल्क के संबंध में सिद्धांत/परीक्षणों का निर्धारण किया है। सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित नियमित बैंच इन निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड राज्यों में एंटरी टैक्स पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विचाराधीन होने के चलते कोलकाता उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमें के संबंध में विवादास्पद एंट्री टैक्स मांगों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है। आइटम (II) के संबंध में कम्पनी का विचार यह है कि मुकदमें न्यायालयों में लम्बे समय से विचाराधीन हैं। आइटम III(i) और III(ii) की कथित विवादित मांगों, जिन पर वैध और वास्तविक आधारों पर तर्क वितर्क किए गए हैं, को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि वर्तमान देनदारियां 31 मार्च, 2018 को मौजूद हैं। इसलिए वर्ष के लिए हानि पर कोई विपरित प्रभाव नहीं है।

सशर्त राय

हमारी राय में और हमारे पास उपलब्बध सूचना के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, और नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक के अंतर्गत दिए गए पैराग्राफ में वर्णित शाखाओं के वित्तीय विवरणों पर शाखा ऑडिटरों की रिपोर्ट पर किए गए विचार के आधार पर, ऊपर "सशर्त राय" शीर्षक के अंतर्गत दिए गए पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत कथित स्टैंडअलोन विवरण अधिनियम के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान प्रदान करते हैं और भारत में समान्य तौर पर अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों के दृष्टिगत 31 मार्च, 2018 को कम्पनी की वास्तविक स्थिति और इसकी कुल व्यापक हानि (शुद्ध हानि और अन्य व्यापक आय), इसके नकदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की सही और वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मामले की प्रमुखता

हम निम्न की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं:

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी एजेंसियों सहित ₹ 4,802.50 करोड़ की सकल बिक्री (31 मार्च 2018 तक संचित ₹ 12,271.05 करोड़) जिसे प्रोविजनल अनुबंध कीमतों के आधार पर स्वीकृत किया गया है (नोट संख्या 49.2 देखें);

अन्य मामले

हमने भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल 8 शाखाओं के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2018 को कुल ₹ 45,784.59 करोड़ की कुल सम्पत्ति और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 20,798.09 करोड़ की कुल आय के वित्तीय विवरणों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों को शाखा ऑडिटरों द्वारा ऑडिट किया गया है जिनकी रिपोर्ट को हमें प्रदान किया गया है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और घोषणाओं का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से इन शाखा ऑडिटरों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्धारित मामलों पर परिशिष्ट 1 में एक कथन दे रहे हैं।

टिप्पणियां

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हमारे ऑडिट और शाखाओं के वित्तीय विवरणों पर शाखा ऑडिटरों की रिपोर्ट, जिसका जिक्र ऊपर दिए गए अन्य मामलों में किया गया है, पर विचार करने के आधार पर हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट पेश करते हैं कि:
   - क) हमने वे सभी आवश्यक सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी ।
   - ख) ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कानून के अनुसार अनिवार्य उचित खातों का रखरखाव कम्पनी द्वारा किया गया है, जहां तक हमारे द्वारा उन खातों की जांच से प्रतीत होता है।
   - ग. अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत ऑडिट किए गए कम्पनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा ऑडिटरों की रिपोर्ट को हमारे पास भेजा गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उसे अच्छी तरह से देखा है।
   - घ) अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित बैलेंस सीट और लाभ और हानि विवरण को संबंधित खातों के अनुसार इस रिपोर्ट में ध्यान में रखा गया है।
   - ड़) ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत वर्णित मामलो के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत कथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ साथ जारी किए गए संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना करते हैं।
   - च) हमारी राय में ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत वर्णित मामलों का कम्पनी की कार्यप्रणाली पर विपरित प्रभाव पड़ना जरूरी नहीं है।
   - छ) भारत सरकार के कोर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कम्पनी पर लागू नहीं होती।
   - ज) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में ''परिशिष्ट 2'' में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।
   - झ) कम्पनी (ऑडिट एवं ऑडिटर) नियमावली, 2014 (संशोधनों सहित) के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ सूचना के और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार:
     - I. कम्पनी ने लम्बित मुकदमों का इसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की घोषणा भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में कर दी है; (नोट संख्या 47 और 48.4 देखें)
     - II. कम्पनी के पास कोई लम्बी अवधि के अनुबंध नहीं थे जिनमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं जिनके लिए किसी महत्वपूर्ण हानि का अनुमान नहीं था;
     - III. कम्पनी ने निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में ₹ 120,75,460 की राशि को स्थानांतरित नहीं किया है जो कि दावारहित परिपक्व जमा हैं, जिसे कम्पनी को कथित निधि में जमा करने की आवश्यकता है; और
     - IV. विशिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) को रखने और व्यापार करने और उस पर रिपोर्ट करने की अनिवार्यता वर्ष के लिए लागू नहीं है।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) की आवश्यकता के अनुसार, हम ''परिशिष्ट 3'' में कम्पनी के संबंध में भारत के लेखनियंता और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का वर्णन कर रहे हैं।

प्रबंधन के उत्तर

परिपक्व हो चुके जमाओं के लिए लोगों के वारिसों/संबंधियों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है लेकिन दावाकर्ताओं द्वारा कानूनी वारिस होने का प्रमाण दस्तावेज जमा न कराने के कारण बकाया है। कानूनी वारिसों को परिपक्व जमा वापिस करने के लिए उचित विधि को अपनाया जा रहा है।

कृते सिंघी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझेदार
(सदस्यता सं. 050773)

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 000250एन

हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 087085)

कृते चैटर्जी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
टी.एन. घोष
साझेदार
(सदस्यता सं. 050644)

कृते ए.के. साबत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0321012इ।

हस्ता./–
ए.के. साबत
साझेदार
(सदस्यता सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(सरस्वती प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '1'

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारे द्वारा प्रदान की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 से संदर्भित

i. इसकी स्थायी सम्पत्तियों के संबंध में:

क. कम्पनी ने अधिकतम मामलों में पूरे विवरण का लेखाजोखा रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और इसकी स्थायी सम्पत्तियों की स्थिति शामिल है। लेकिन स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर में कुछ भूमियों के संबंध में लोकेशन और क्षेत्रफल की सीमा को अपडेट करने की जरूरत है और भूमि की होल्डिंग और लोकेशन की सीमा के संबंध में आय के रिकोर्ड को समायोजित करना होगा। इसमें देरी उन प्रक्रियात्मक मामलों के कारण हुई जो संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभागों के राजस्व रिकार्ड के साथ सुनिश्चित करने और समायोजित करने में शामिल हैं।

प्रबंधन का जवाब: स्थायी सम्पत्ति रजिस्टरों में संबंधित संयंत्रों के क्षेत्रों की लोकेशन और क्षेत्रफल की सीमा को अपडेट करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

ख. कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों का सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों में चरणबद्ध तरीके से किया गया ताकि सामान्यतः तीन वर्ष में सभी सम्पत्तियों को शामिल किया जा सके। लेकिन यह देखा गया है कि कुछ भूमि और भवन पर अवैध रूप से/अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। जैसा कि बताया गया, इस प्रकार के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि दिखाई नहीं दी। हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी सम्पत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की यह अवधि उचित है।

प्रबंधन का जवाब: अतिक्रमण/अनधिकृत व्यवसाय के तहत भूमि और भवनों से निवासियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ग. हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड की जांच करने पर पता चलता है कि अचल सम्पत्तियों के अधिकार/लीज डीड निम्न को छोड़कर कम्पनी के नाम पर हैः

विवरण	पूर्ण स्वामीत्व वाली भूमि	पट्टे वाली भूमि	भवन
वह क्षेत्र जो कम्पनी के नाम पर नहीं है	47209.74 एकड़	17335.30 एकड़ और एक केस	2 भवन और 571.24 वर्ग मीटर
इसका सकल खण्ड	173.75 करोड़	151.33	0.57
इसका शुद्ध खण्ड	173.75 करोड	130.18	0.32

ii. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के संबंध में:

क. इन्वेंट्रीज का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा इस वर्ष के दौरान उचित समय पर किया गया है। कुछ मामलों में स्टोक का सत्यापन आंखों से देखकर सर्वे/अनुमानों के माध्यम से किया गया है।

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर दिखाई देने वाली त्रुटियों की जांच खातों में उचित प्रकार से की गई है जो महत्वपूर्ण नहीं थी।

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित अनुदान और ऋण कम्पनियों, उपक्रमों, सीमित दायित्व सांझेदारी या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल अन्य पार्टियों को नहीं दिया गया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ के अनुच्छेद (iii) (क), (iii) (ख) और (iii) (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होते।

iv. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है। कम्पनी द्वारा किए गए निवेश के संबंध में कम्पनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों की अनुपालना की गई है।

v. कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 और उसके नियमों के अर्थों के अंतर्गत किसी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(v) कम्पनी पर लागू नहीं है।

vi. भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कम्पनी को अपने उत्पादों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत निर्धारित लागत रिकार्ड रखने की आवश्यकता है।

हमने इस रिकार्ड को अच्छी तरह से देखा है, और हमारी राय यह है कि प्रत्यक्ष तौर पर निर्धारित खाते और रिकार्ड का रखरखाव किया गया है। लेकिन हमने यह देखने के लिए रिकार्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि ये रिकार्ड सही या पूर्ण हैं या नहीं।

vii. वैद्यानिक देयों के संबंध हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसारः

क) कम्पनी ने सामान्यतः अपने देयों को नियमित रूप से उचित प्राधिकारों को जमा कराया है, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, मूल्य योजित कर (जिनमें माल एवं सेवा कर शामिल है), उपकर और अन्य वैद्यानिक शुल्क शामिल हैं। हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च 2018 को खातों के अनुसार कोई भी बकाया देय छह महिने से अधिक समय से बकाया नहीं है।

ख. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कुछ विवादित वैद्यानिक देय हैं, जिन्हें 31 मार्च 2018 को जमा नहीं कराया गया है जो निम्न हैंः

अधिनियम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹करोड़ में)	जहां विवाद लम्बित है
बिक्री कर, वैट और जीएसटी	बिक्री कर, वैट और जीएसटी डिमांड	10.45 495.40 680.79 71.87	सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय बिक्री कर ट्रिब्यूनल बिक्री कर विभाग
प्रवेश शुल्क	प्रवेश शुल्क डिमांड	1,257.26 544.49 606.92 40.46	सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल विभाग

केंद्रीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1944	266.80 2,375.02 1664.36 399.39 0.32	सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सीईएसटीएटी विभाग बीआईएफआर
सेवा कर	सेवा कर	32.76 127.00 201.25	उच्च न्यायालय सीईएसटीएटी विभाग
सीमा शुल्क	सीमा शुल्क	1.71	विभाग
आय कर अधिनियम, 1961	अनुपलब्धियों पर टीडीएस	5.96 122.85	सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय
	टीडीएस के अन्य मामले	0.21 27.05	आईटीएटी विभाग
	आय कर विवाद	194.52 516.06 46.85	उच्च न्यायालय आईटीएटी विभाग
	जोड़	**9,629.75**	

viii. कम्पनी ने इस वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार को ऋण या उधार चुकाने में या ऋणपत्र धारकों को देय राशि को चुकाने में कोई चुकानें में कोई चूक नहीं की है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(iii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

ix. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण इन्सट्रुमेंट सहित) के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋणों का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए प्राप्त किया गया था।

x. हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास और हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और ओडिट के लिए प्रयुक्त विधियों के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई जालसाजी दिखाई नहीं दी है या वर्ष के दौरान इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

xi. भारत सरकार के कोर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकार की कम्पनियों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, इस आदेश का पैराग्राफ 3(गप) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

xii. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार यह कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

xiii. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहां भी लागू होती हैं, की अनुपालना की गई है और इस प्रकार के लेनदेनों की घोषणा संबंधित नियमों सेहित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानक–24 – 'संबंधित पार्टी घोषणाएं' की आवश्यकता के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों में की गई है।

xiv. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और हमारे द्वारा रिकार्ड की जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(xiv) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

xv. हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर, कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित अन्य लोगों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

xvi. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–पक के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3(xvi) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

कृते सिंघी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझेदार
(सदस्यता सं. 050773)

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 000250एन

हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 087085)

कृते चैटर्जी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
टी.एन. घोष
साझेदार
(सदस्यता सं. 050644)

कृते ए.के. साबत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0321012इ।

हस्ता./–
ए.के. साबत
साझेदार
(सदस्यता सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(सरस्वती प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '2'

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारे द्वारा प्रदान की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 से संदर्भित

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ओडिट के साथ साथ इसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का ओडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय रिर्पोटिंग को स्थापित करने और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार है जिसे इन्सटीट्यूट ओफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों दिशानिर्देशों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण का मूल घटक माना जाता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, प्रयोग और रखरखाव शामिल हैं जिनका संचालन इसके व्यापार व्यवस्थित और सक्षम तरीके से करने के लिए किया गया था, जिनमें कम्पनी की नितियों की अनुपालना, इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और त्रुटियों की रोकथाम एवं उनका पता लगाना, लेखों की शुद्धता और सम्पूर्णता, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनिवार्य विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

ओडिटरों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मदारी है हमारे ओडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपनी राय देना। हम हमारा ओडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में दिशानिर्देश नोट (दिशानिर्देश नोट) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार किया है और इसका प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10), जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होता है, के अंतर्गत किया गया है, और ये दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होते हैं, दोनों ही को इन्सटीट्यूट ओफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट के अनुसार आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना करें और ओडिट की योजना बनाएं और उसे पूरा करें ताकि इस बारे में उचित गारंटी दी जा सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और उसे बनाए रखा गया और क्या इस प्रकार के नियंत्रणों का सभी तरह से प्रभावी संचालन हुआ या नहीं।

हमारे ओडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी संचालन के बारे में ओडिट प्रमाण प्राप्त करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे ओडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, इस जोखिम का मूल्यांकन करना कि एक महत्वपूर्ण कमजोरी है, और इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावी संचालन की जांच और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई विधियां ओडिटर के निर्णय पर आधारित थी, जिनमें जालसाजी या त्रुटि के कारण भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में बड़ी त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन करना शामिल शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि जो ओडिट प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी ओडिट राय के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे जिसे भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरण की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित गारंटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नितियां और विधियां शामिल हैं जो (1) उस रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तारपूर्वक, शुद्धता और ईमानदारी से कम्पनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और स्थिति प्रस्तुत करता है; (2) जो इस बात की उचित गारंटी देता है कि उन लेनदेनों को दर्ज किया गया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है, और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार किया गया है; और जो (3) कम्पनी की सम्पित्तयों की अनाधिकृत खरीद, प्रयोग, या स्थिति की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित गारंटी प्रदान करता है जिनका भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की आंतरिक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आंतरिक सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों की अभिसंधि या अनुचित प्रबंधन उलंघन शामिल हैं, गलती या जालसाजी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और पकड़ में न आने की संभावना होती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के भावी अनुमानों में इस बात का जोखिम हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या पोलिसी या विधियों की अनुपालना की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली शामिल है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 को प्रभावी रूप से संचालित थे, जिसका आधार कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के निर्धारित मापदण्ड हैं जिनमें इन्सटीट्यूट ओफ अकाउंटैंट्स ओफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर दिशानिर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के मूल घटकों पर विचार किया गया है।

कृते सिंघी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझेदार
(सदस्यता सं. 050773)

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 000250एन

हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 087085)

कृते चैटर्जी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
टी.एन. घोष
साझेदार
(सदस्यता सं. 050644)

कृते ए.के. साबत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0321012इ।

हस्ता./–
ए.के. साबत
साझेदार
(सदस्यता सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '3'

प्रश्न	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

(31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अकेले भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक 'विधिक और विनियामक शर्तों पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

कंपनी के रिकार्डों के सत्यापन पर आधारित और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

प्रश्न	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
1. क्या कम्पनी के पास पूर्ण स्वामीत्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि पर क्रमशः स्पष्ट अधिकार/पट्टा है? यदि नहीं है तो कृपया पूर्ण स्वामीत्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि के क्षेत्रफल का विवरण दें जिसके लिए अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	पूर्ण स्वामीत्व वाली भूमि में से 47,209.74 एकड़ भूमि के विलेख उपलब्ध नहीं हैं। पट्टे पर ली गई भूमि में से 17,335.30 एकड़ भूमि का पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	लम्बित अधिकार विलेखों के पंजीकरण और भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
2. क्या ऋणों / उधारों /ब्याज आदि का शोधन का कोई मामला है, यदि हां, तो उसके लिए कारण और शामिल राशि बताएं।	अलग अलग मामलों के आधार पर सक्षम प्राधिकार की अनुमति से छूट/ऋणशोधन किए गए हैं। ऋणों/उधारों/ब्याज आदि की छूट/ऋणशोधन का विवरण नीचे दिया गया है: राउरकेला स्टील प्लांट के मामले में गरीब मरीजों की अस्पताल को देय ₹0.03 करोड़ राशि को माफ किया गया है।	
3. क्या तीसरे पक्षों के पास इन्वेंट्री और सरकार या अन्य प्राधिकारों से प्राप्त उपहार/अनुदान के रूप में सम्पत्तियों	कम्पनी ने तीसरे पक्षों के पास इन्वेंटरी के संबंध में रिकार्ड का पर्याप्त रखरखाव किया है। सरकार या अन्य प्राधिकारों से वर्ष के दौरान उपहार के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई।	

कृते सिंघी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझेदार
(सदस्यता सं. 050773)

कृते वी.के. धींगड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 000250एन

हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 087085)

कृते चैटर्जी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
टी.एन. घोष
साझेदार
(सदस्यता सं. 050644)

कृते ए.के. साबत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0321012इ।

हस्ता./–
ए.के. साबत
साझेदार
(सदस्यता सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(सरस्वती प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2018

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 30 मई, 2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(अ) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुंच के बिना आयोजित की गई और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की जांच व कुछ लेखांकन रिकॉर्ड्स के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी का आधार बनेगा या उसका पूरक होगा।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर
(इंदू अग्रवाल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, रांची

स्थान : रांची
तिथि : 31 जुलाई, 2018

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

सचिव स्तरीय लेखा–परीक्षण प्रतिवेदन

प्रपत्र सं. एमआर–3

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम 9 के अनुपालन में}

सेवा में,
सदस्यगण
स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात सेल/कंपनी कहा जायेगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट आचरणों के अनुसरण के लिए सचिव स्तरीय लेखा–परीक्षण का निष्पादन किया है। सचिव स्तरीय लेखा–परीक्षण का निष्पादन इस प्रकार से किया गया जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरणों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारे विचार को व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान किया।

सचिव स्तरीय लेखा–परीक्षण के निष्पादन के दौरान, सेल के पुस्तकों, पृष्ठों, विवरण पुस्तिकाओं, प्रारूपों, नत्थी किये गए विवरणों एवं कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध किये गए सूचनाओं के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारे विचार में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय अवधि को समाविष्ट करते हुए निष्पादित लेखा–परीक्षण के दौरान, इसके अंतर्गत सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि इसके पश्चात दिए गए प्रतिवेदन के अंतर्गत, कंपनी के पास परिषद् की उचित प्रक्रियाएँ और उस सीमा तक अनुपालन की यांत्रिकी उपलब्ध है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सेल द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, पृष्ठों, विवरण पुस्तिकाओं, प्रारूपों और नत्थी किये गए कर–विवरणों का परीक्षण किया गया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाये गए नियम;

(ii) द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (नियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत, बनाये गए नियेम;

(iii) द डिपाजिटरीस एक्ट, 1996 और उसके अंतर्गत, निर्मित नियमन एवं उप–नियम;

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य व्यवसायिक ऋणों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद् अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत, निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

  (ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (शेयरों का अत्यधिक अधिग्रहण और हस्तानान्तरण) नियमन, 2011;

  (बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (अनाधिकृत व्यापार का निषेध) नियमन, 2015;

  (सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (ऋण प्रतिभूति का निर्गमन और नामांकन सूची) नियमन, 2008;

  (डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (एक अंक और शेयर स्थानांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) नियमन, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में

  (ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गमन) नियमन, 2009;

  (एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (कर्मचारी भंडार विकल्प योजना और कर्मचारी भंडार खरीद योजना) नियमन, 2009; और

  (जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) नियमन, 2009; और

  (एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय परिषद (प्रतिभूतियों की खरीददारी) नियमन, 1998

(vi) निम्नलिखित विशिष्ट लागू योग्य नियमों (जैसा कि उद्योग के लिए उचित हो) के अंतर्गत, कंपनी के प्रति अनुपालनों/ प्रक्रियाओं/प्रणालियों का सत्यापन कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किये गए समयकालिक प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जा रहा है:

  (ए) खदान अधिनियम, 1952

  (बी) खदान और लवण (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957

  (सी) कारखाना अधिनियम, 1948

  (डी) विस्फोटक अधिनियम, 1884

हमने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन का परीक्षण किया है:

(ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिव स्तरीय मानक जिसका साधारणतया अनुपालन किया जाता है।

(बी) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एंड बीएसए लिमिटेड के साथ, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सूचीबद्ध करने के दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) नियमन, 2015।

(सी) सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देश।

समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन, उपरोक्त में उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, नियमनों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

भारतीय प्रतिभूति विनिमय परिषद् (सूचीबद्ध करने के दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) नियमन, 2015 के नियमन 17(10) ऑफ 25(4) के अनुपालन में, कंपनी ने निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीबद्ध करने के दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, 2015 के अनुसार, स्थापित निदेशक परिषद् के संयोजन से सम्बंधित आवश्यकता का अनुपालन किया है। फिर भी, समीक्षा की अवधि के एक भाग के दौरान, परिषद् में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की अनुपस्थिति के कारण परिषद् का संयोजन आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ था। समीक्षा की अवधि के दौरान, निदेशक परिषद् के संयोजन में किये गए परिवर्तनों का निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया।

साधारणतया, परिषद् की बैठकों, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों को नियत करने के लिए सभी निदेशकों को दिए जाने वाले उपयुक्त नोटिस कम से कम सात दिन अग्रिम भेजा गया और बैठक से पूर्व कार्यसूची के विषय–वस्तुओं पर आगे की सूचना और स्पष्टीकरण की माँग करने एवं प्राप्त करने के लिए और बैठक में पूर्णकालिक निदेशकों के अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए एक प्रणाली पहले से ही विद्यमान है।

परिषद्/समिति के बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों का निष्पादन बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की निर्विवाद स्वीकृति से किया गया और किसी भी प्रकार की अस्वीकृती को कार्यवृत्त में यथावत समाहित किया गया।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि प्रयोजनीय कानूनों, नियमों, नियमनों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को नियंत्रित एवं सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालनों के अनुपात में कंपनी में समुचित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लेखा–परीक्षण के दौरान, उपरोक्त संदर्भित नियमों के अनुसरण में, कंपनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव डालने वाला कोई विशिष्ट घटनाक्रम/क्रियाविधि संपन्न नहीं हुआ था।

कृते – **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव
हस्ता./–
सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 5774
सी.पी. सं. 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2018

यह प्रतिवेदन सम तिथि वाले हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाये जिसे "परिशिष्ट ए" के रूप में संलग्न किया गया है और जिससे प्रतिवेदन के एक पूर्ण भाग का निर्माण होता है।

सचिव स्तरीय लेखा–परीक्षण प्रतिवेदन का परिशिष्ट 'ए'

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

सम तिथि वाले हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाये।

1. सचिव स्तरीय अभिलेख का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा–परीक्षण पर आधारित इन सचिव स्तरीय अभिलेखों पर एक विचार को अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखा–परीक्षण और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिव स्तरीय अभिलेखों के विषय–वस्तुओं की सटीकता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन जाँच के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए किया गया जिससे कि सही तथ्य सचिव स्तरीय अभिलेखों में परिलक्षित हो। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अनुसरण की गयी प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारे विचार के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा–पुस्तिकाओं की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, नियमनों और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोजनीय कानूनों, नियमों, नियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा परीक्षण जाँच पर आधारित प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।

6. सचिव स्तरीय लेखा–परीक्षण का प्रतिवेदन, ना तो कंपनी के भविष्य की जीवनक्षमता के प्रति और ना ही प्रभावोत्पादकता या प्रभावशालिता के प्रति एक आश्वासन है जिसकी सहायता से प्रबंधन ने कंपनी के सभी कार्यों का निष्पादन किया है।

कृते – **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 5774
सी.पी. सं. 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.05.2018

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2017–18

(क) कंपनी का सिद्धांत

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का सिद्धांत डीपीई दिशानिर्देश सहित सभी दिशानिर्देशों, कानून एवं अधिनियम के अनुसार पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना एवं जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक बने रहते हुए शेयरधारकों की अहमियत को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पूरी संस्था में नीतिपरक व्यवहार को बढ़ावा देना है। देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस के अधिकतम मानदंडो को मानने के लिए कंपनी दृढ़संकल्प है। कंपनी का मानना है कि बोर्ड सभी शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदार है और कंपनी के हितों की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का पहला कर्तव्य है।

(ख) निदेशक मंडल

31 मार्च 2018 तक निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक निदेशक (जैसे कार्यकारी निदेशक) और 8 गैर–कार्यकारी निदेशक (इसमें एक सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं 7 स्वतंत्र निदेशक होते हैं) शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बोर्ड की 11 बैठकें 28.04.2017, 30.05.2017, 30.06.2017, 11.08.2017, 22.09.2017, 09.11.2017, 21.11.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 08.02.2018 और 28.03.2018 को हुईं।

साल 2017–18 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें एवं अंतिम वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए निदेशकों के नाम, उनकी उपस्थिति एवं जिनके निर्देशन में बैठकें हुई उनकी जानकारी नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड की बैठक में उपस्थिति	विगत वर्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	31.03.2018 तक अन्य निदेशक मंडल में निदेशक का पद*	31.03.2018 तक बोर्ड की कितनी समिति(यों) के अध्यक्ष/सदस्य रहे**
1. श्री पी.के. सिंह	कार्यकारी अध्यक्ष	11	हां	1	–
2. श्री अनिल कुमार चौधरी	कार्यकारी निदेशक	11	हां	–	1–एम
3. श्री कल्याण माइति (28.02.2018 तक)	कार्यकारी निदेशक	10	हां	–	–
4. श्री सुनील बडथ्वाल, आईएएस (11.10.2017 तक)	गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा मनोनित)	4	–	–	–
5. श्री पी.के. दाश (03.10.2017 तक)	स्वतंत्र निदेशक	5	हां	–	–
6. प्रोफेसर अशोक गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	10	हां	–	1–एम
7. श्री प्रमोद बिंदल	स्वतंत्र निदेशक	11	हां	–	1–सी
8. श्रीमति अंशु वैश्य	स्वतंत्र निदेशक	9	हां	–	1–एम
9. डॉ. एन मोहपात्रा (30.06.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक	3	–	–	–
10. श्री जी. विश्वकर्मा	कार्यकारी निदेशक	11	हां	1	–
11. श्री रमन	कार्यकारी निदेशक	11	हां	3	1–एम
12. श्री सरस्वती प्रसाद, आईएएस	गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा मनोनित)	9	–	4	–
13. डॉ. समर सिंह	स्वतंत्र निदेशक	11	हां	–	1–सी 1–एम
14. श्री निलांजन सान्याल	स्वतंत्र निदेशक	11	हां	–	1–एम
15. श्रीमती सोमा मंडल	कार्यकारी निदेशक	11	हां	–	–
16. सीए के.एस. चौहान (22.09.2017 से)	स्वतंत्र निदेशक	7	–	–	1–एम
17. प्रोफेसर एन.के. तनेजा (22.09.2017 से)	स्वतंत्र निदेशक	6	–	–	–
18. श्रीमती उर्विल्ला खाती (11.10.2017 से 28.02.2018 तक)	गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा मनोनित)	5	–	–	–
19. श्री अतुल श्रीवास्तव (12.03.2018 से)	कार्यकारी निदेशक	1	–	–	1–एम

* निजी कंपनियों में निदेशक के पद को शामिल करते हुए। ** केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति को इस उद्देश्य के लिए शामिल किया गया है। एम = सदस्य, सी = अध्यक्ष

(ग) लेखा परीक्षा समिति

(i) विचार के विषय:

लेखा परीक्षा समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी वित्तीय विवरण, जिसमें कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखांकन और प्रबंधन एवं बोर्ड द्वारा स्थापित कानून का अनुपालन करना और कंपनी के लेखा परीक्षण, लेखांकन एवं वित्तीय विवरण की प्रक्रिया का पालन करना शामिल है, की समीक्षा करके निदेशक मंडल को उनकी जिम्मेदारी पूरा करने में मदद करना है।

लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों के विवरणों की समीक्षा करती है, वैधानिक लेखा परीक्षकों से मिलती है, उनके परिणामों, सलाहों एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है और कंपनी की लेखांकन नीति की समीक्षा करती है।

त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण को बोर्ड के सामने पेश किए जाने से पहले लेखा परीक्षा समिति प्रबंधन के साथ इसकी समीक्षा करती है।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का लेखा–जोखा बोर्ड को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके ऊपर चर्चा की जाती है और उसका संज्ञान लिया जाता है।

(ii) संरचना

लेखा परीक्षा समिति का गठन 1998 में किया गया था और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया जता है। 31 मार्च 2018 को लेखा परीक्षा समिति में सीए प्रमोद बिंदल (अध्यक्ष), प्रोफेसर अशोक गुप्ता, श्रीमती अंशु वैश्य, डॉ. समर सिंह, श्री निलांजन सान्याल और निदेशक (तकनीकी) शामिल थे। पिछले साल के दौरान समिति की 8 बैठकें हुई और बैठक में शामिल हुए सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

निदेशक का नाम	पद	भाग ली गई बैठकों की संख्या
सीए प्रमोद बिंदल स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	8
श्री पी.के. दाश स्वतंत्र निदेशक (03.10.2017 तक)	सदस्य	5
प्रोफेसर अशोक गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8
श्रीमति अंशु वैश्य स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7
श्री नीलांजन सान्याल स्वतंत्र निदेशक (31.10.2017 से सदस्य)	सदस्य	3
श्री समर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7
श्री रमन निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	8

(घ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(i) सरकारी उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति के लिए उनके नामांकन एवं सेवा शर्तों को स्थापित करने का जिम्मा भारत सरकार का होता है। हालांकि, कंपनी ने इसके लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की स्थापना की है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गर्वनेंस पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के विभागों के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के कार्यकारियों के लिए मानव संसाधन से जुड़े मामलों, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी विनियमन से संबंधित मामले, कंपनी के कार्यकारी के प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को अंतिम रूप देने का जिम्मा उठाती है। 31 मार्च 2018 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में श्रीमती अंशु वैश्य (अध्यक्ष), सेल के अध्यक्ष श्री पी.के. सिंह, स्वतंत्र निदेशक प्रोफेसर अशोक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक निलांजन सान्याल, स्वतंत्र निदेशक प्रोफेसर एन.के. तनेजा और सदस्य के तौर पर इस्पात मंत्रालय (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के संयुक्त सचिव शामिल रहे हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 को जारी एक अधिसूचना में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके अनुसार नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं प्रदर्शन के आंकलन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के 178 के उप अनुभाग (2), (3), (4) के नियम सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। सेल के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशकों के साथ–साथ अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन/नियुक्ति के नियमों के आधार पर की जाती है। इसके साथ–साथ नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के साथ–साथ निदेशकों के कार्यकाल के बारे में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है और कार्यात्मक निदेशकों एवं सीएमडी के मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बेहतर प्रक्रिया बनाई गई है।

(ii) पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹)

निदेशक का नाम	वेतन	सेवानिवृति एवं अन्य लाभ	योग
श्री पी.के. सिंह	43,66,223	5,06,929	48,73,152
श्री अनिल कुमार चौधरी	39,87,266	5,23,062	45,10,328
श्री कल्याण माइति (28.02.2018 तक)	37,25,174	4,17,788	41,42,962
डॉ. एन. मोहपात्रा (30.06.2017 तक)	9,12,778	5,44,085	14,56,863
श्री जी. विश्वकर्मा	27,66,215	6,61,400	34,27,615
श्री रमन	39,27,267	8,80,206	48,07,473
श्रीमती सोमा मंडल	42,37,436	5,13,745	47,51,181
श्री अतुल श्रीवास्तव (12.03.2018 से)	6,99,478	24,072	7,23,550
कुल	**2,46,21,837**	**40,71,287**	**2,86,93,124**

(iii) गैर–कार्यकारी निदेशकों (सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा) को प्रत्येक बोर्ड/बोर्ड उप समिति/स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के लिए 20,000 रूपये दिए जाते हैं।

(iv) पूर्णकालिक निदेशकों का वेतन सरकार के वेतनमान एवं नियमों के अनुसार दिया जाता है। वार्षिक आधार पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले प्रदर्शन संबंधित भुगतान के अलावा कोई अन्य परिवर्तनीय प्रोत्साहन राशि इन्हें नहीं दी जा रही है।

(v) नियम एवं शर्तें

पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निदेशक के तौर पांच साल या सेनानिवृति की उम्र या फिर आगे के आदेश, जो भी पहले हो के लिए नामित किया जाता है। शुरुआत में निदेशक मंडल उन्हें अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त करते हैं। इसके बाद कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रस्तावों के मुताबिक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक इनका चुनाव करते हैं।

हालांकि, इस नियुक्ति को किसी भी ओर से तीन महीने की पूर्व सूचना के आधार पर निरस्त किया जा सकता है या फिर तीन महीने का वेतन देकर भी इसे निरस्त किया जा सकता है।

(ड़) शेयरधारक संबंध समिति

(i) डॉ. समर सिंह इस समिति के अध्यक्ष एवं सीए के.एस. चौहान, स्वतंत्र निदेशक और दो पूर्णकालिक निदेशक यानी निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक) इसके सदस्य हैं। यह समिति कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों, जिसमें शेयरों के स्थानांतरण, बैलेंस शीट नहीं प्राप्त होने या घोषित लाभांश नहीं प्राप्त होने आदि से संबंधित शिकायतों आदि का निवारण करती है।

(ii) अनुपालन अधिकारी का नामः श्री एम.सी. जैन, ईडी (एफएंडए) और कंपनी सचिव।

(iii) 31 मार्च 2018 तक कोई भी शिकायत निवारण के लिए लंबित नहीं है। इस साल के दौरान 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच शेयरधारकों की कुल 9 शिकायतें आई थीं। इन सभी 9 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और 31 मार्च 2018 तक कोई भी शिकायत निवारण के लिए लंबित नहीं थी।

(च) जोखिम प्रबंधन समितिः कंपनी ने सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया है और कंपनी के प्रमुख जोखिम अधिकारी इस समिति के सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। दैनिक कार्य के दौरान कंपनी को जो भी जोखिम उठाना पड़ता है उससे निपटने के लिए कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है। गतिशील व्यापार के माहौल में जोखिम प्रबंधन नीतियां काफी व्यापक और असरदार हैं। एसआरएमसी सेल में

जोखिम प्रबंधन कार्यों को देखती है और नीतियों को बनाने से संबंधित मामलों का निपटारा कर एवं जोखिम प्रबंधन कार्यों की समीक्षा कर यह खुद को निरंतर प्रभावी बनाती है।

(छ) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दरअसल कंपनी की शेयरधारकों के प्रति एक तरह की प्रतिबद्धता है कि वो स्वस्थ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण हितैषी माहौल में व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, जहां संगठन अपनी गतिविधियों के प्रभावों के लिए जिम्मेदारी लेकर समाज के हितों के लिए काम करता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है और कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबंधित नीतियों को भी स्वी.ति प्रदान की है। ये नीतियां कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर मौजूद हैं।

(ज) वर्ष के दौरान, बोर्ड उप समिति (बीएससी) के गठन की समीक्षा की गई थी और कुछ बीएसई का विलय और पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में, अनिवार्य समिति के अलावा, कंपनी द्वारा निम्नलिखित बीएससी गठित की गई हैं ताकि निदेशक मंडल के विचार करने से पहले मुद्दों पर विस्तार से जांच की जाए:

- रणनीतिक गठबंधन और संयुक्त उपक्रम– रणनीतिक सहयोगी(यों) और कंपनी के संयुक्त उद्यमों के गठन और उनके प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच करना और बोर्ड को सिफारिश करना।
- परियोजना समिति– नई परियोजनाएं शुरू करने, अनुमोदित योजना के संबंध में प्रमुख पूंजी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी से संबंधित मामलों आदि की जांच करना और बोर्ड को सिफारिश करना।
- परिचालन मुद्दे समिति– खदानों और कोयले की खानों के उत्पादन प्रदर्शन, बिक्री एवं विपणन प्रदर्शन, परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा करना; संयंत्रों के लिए कच्चे माल की आवश्यक मात्रा व गुणवत्ता की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुद्दों के लिए खानों और संयंत्रों के बीच समन्वय की समीक्षा करना।

(झ) वर्ष के दौरान अलग–अलग निदेशक मंडल उप समिति की बैठकों का विवरण और उनमें निदेशकों की मौजूदगीः

निदेशक मंडल उप समिति	लेखापरीक्षा समिति	परियोजना समिति	रणनीतिक सहयोगी(यों) एवं संयुक्त उद्यम समिति	नामांकन एवं पारितोषिक समिति	कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति	एमओयू, दृष्टिकोण एवं रणनीतिक योजना समिति	स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति	हितधारक संबंध समिति	रणनीतिक मुद्दे एवं संयुक्त उद्यम समिति	कच्चा माल (खनन मुद्दों सहित) समिति	उत्पादन एवं विपणन समिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
बैठकें हुई	**8**	**8**	**7**	**11**	**2**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**
निदेशक उपस्थिति											
श्री पी.के सिंह	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
श्री अनिल कुमार चौधरी	–	8	7	–	2	1	–	1	1	2	2
श्री कल्याण माइति (28.02.2018 तक)	–	–	–	–	–	–	0	–	–	2	–
श्री सुनिल बडथ्वाल (11.10.2017 तक)	–	1	2	3	–	1	–	–	–	0	0
श्री पी.के. दाश (03.10.2017 तक)	5	4	4	–	–	1	–	–	–	1	–
प्रोफेसर अशोक गुप्ता	8	–	–	11	2	1	3	–	–	2	–
सीए प्रमोद बिंदल	8	7	7	–	–	–	–	1	1	–	2
श्रीमति अंशु वैश्य	7	–	–	8	2	–	3	–	1	–	–
डॉ. एन. मोहपात्रा (30.06.2017 तक)	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–
श्री जी. विश्वकर्मा*	–	8	7	–	–	1	2	0	1	1	–
श्री रमन*	8	7	–	–	0	–	2	–	–	1	0
डॉ. समर सिंह	7	–	–	–	2	–	3	1	1	–	–
श्री निलांजन सान्याल	3	8	7	11	–	1	–	–	1	2	2
श्रीमती सोमा मंडल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
सीए के.एस. चौहान (22.09.2017 से)	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
प्रोफेसर एन.के. तनेजा (22.09.2017 से)	–	1	3	–	–	–	–	–	1	–	–
श्रीमती उर्विल्ला खाती (11.10.2017 से 28.02.2018 तक)	–	2	2	1	–	–	–	–	–	0	1
श्री अतुल श्रीवास्तव (12.03.2018 से)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* वर्ष के लिए, श्री जी विश्वकर्मा निदेशक (कार्मिक) के अतिरिक्त प्रभारी थे और श्री रमन निदेशक (कच्चे माल और रसद) के अतिरिक्त प्रभारी थे।

(ञ) उपरोक्त के अलावा, 2 स्वतंत्र डायरेक्टरों की बैठक वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान हुई थी।

(ट) जनरल बॉडी मीटिंग

पिछली तीन एजीएम का स्थान और समय

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2016–17	22.09.2017	सुबह 10:30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली– 110001
2015–16	21.09.2016	सुबह 10:30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली– 110001
2014–15	24.09.2015	सुबह 10:30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली– 110001

(i) पिछले तीन वर्षों में चार विशेष प्रस्ताव (2014–15–1, 2015–16–1 और 2016–17–2) एजीएम में पास किए गए हैं और एक भी प्रस्ताव पोस्टल बैलेट से पास नहीं हुआ है।

(ii) आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ठ) प्रकटीकरण (डिसक्लोजर्स):

(i) आर्थिक संबंधः प्रमोटर्स, निदेशक या प्रबंधन, और उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदार आदि के साथ कंपनी ने भौतिक प्रकृति का ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं किया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर कंपनी को हितों के टकराव का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों का कंपनी से कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था, केवल स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/बोर्ड उप–समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए दी गई फीस को छोड़कर। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के कोई भी शेयर/ परिवर्तनीय लेख पत्र (कनवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट) नहीं हैं।

(ii) स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकालः सेल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नामांकन और सेवा शर्तों की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति पत्रः सेल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति या नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान भारत सरकार ने कंपनी के बोर्ड में 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी। इन स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन/नियुक्त करने के दौरान जारी किए गए नियुक्ति पत्र भारत सरकार द्वारा उल्लेखित नियम एवं शर्तों के आधार पर थे।

(iv) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम (फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम): स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद एक इंडक्शन सह परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें कंपनी के बारे समग्र रूप में बताया जाता है इसमें अन्य बातों के साथ–साथ संस्थान का ढांचा, कंपनी के संयंत्र एवं इकाइयां, प्रोडक्ट प्रोर्टफोलियो, वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन, आधुनिकीकरण और विस्तार योजना आदि की जानकारी देना शामिल हैं। संयंत्र एवं इकाइयों के बारे में जानकारी देने के लिए कंपनी अपने निदेशकों को कंपनी के विभिन्न संयंत्रों एवं इकाइयों का दौरा कराती है। इसके बाद डीपीई, एससीओपीई, आईओडी जैसी संस्थाओं द्वारा निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को जिस परिचय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता उसका विवरण कंपनी की वेबसाइट – www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(v) पिछले तीन सालों में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन की कोई घटना नहीं थी, पूंजी बाजार से जुड़े किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी तरह का जुर्माना (पेनाल्टी), प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

(vi) कंपनी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की व्हीसल ब्लोअर नीति को अपनाया है और कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति/प्रबंधन के पास जाने से नहीं रोका है। व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। कंपनी ने पेशवरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मामलों का निपटान के लिए एक सतर्कता तंत्र भी बनाया है। कंपनी के सभी कर्मचारी और कंपनी के बोर्ड में मौजूद सभी निदेशक इस तंत्र के तहत आते हैं। यह तंत्र अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के किसी भी मामले की जानकारी देने के लिए कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। शिकायत करने के वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है और अपवाद की स्थिति में उन्हें लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे बात करने की अनुमति दी गई है। सतर्कता तंत्र से संबंधित नीतियों को कंपनी की वेबसाइट ूॅपसण्बवण्पद पर देखा जा सकता है।

(vii) कंपनी ने सेबी (दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) विनियम, 2015 की अनिवार्य आवश्यकताओं और वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एक संक्षिप्त अवधि लिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कुछ कमी रही थी। सेल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है। सेल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नामांकित किए जाने का मामला इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने सेबी (दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) विनियम, 2015 की गैर–बाध्यकारी आवश्यकताओं को पूरी तरह नहीं अपनाया है।

(viii) 31 मार्च 2018 तक कंपनी के बोर्ड में दो महिला निदेशकों की नियुक्ति हुई थी।

(ix) सेल में बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से नीचे के अधिकारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों को इस्पात मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को फाइल संख्या 7(12)/2008–सेल(पीसी) के माध्यम से जारी किया गया था जो 1 जनवरी 2007 से दस सालों यानी 31 दिसंबर, 2016 तक लागू था। कंपनी ने इसका और एसी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया है। सेल में बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से नीचे के अधिकारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए 1 जनवरी, 2017 से लागू होने वाले राष्ट्रपति के निर्देश इस्पातल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने बाकी हैं।

(x) स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत आवश्यक, स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कहा गया है कि वो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

(xi) आचार संहिताः बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आवश्यकताओं को समाहित करने वाली आचार संहित का निर्माण किया है। उनसे संहिता के अनुपालन की पुष्टि सालाना आधार पर प्राप्त की जाती है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी डाला गया है।

(xii) संबंधित पार्टी के लेन–देन को लेकर नीतिः अनुबंध का सूचीकरण करने के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित पार्टी के लेनदेन की नीति को अपनाया है। इन नीतियों को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर दिया गया है।

(xiii) सामग्री सहायक कंपनियों पर नीतिः कंपनी के निदेशक मंडल ने सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण को लेकर नीति अपनाई है। इस नीति को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर दिया गया है। वर्ष 2017–18 में कंपनी के पास कोई सामग्री सहायक कंपनी नहीं थी।

(xiv) सेबी (दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) विनियम, 2015 के 43ए विनियम के संदर्भ में कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति को अपनाया है और उसे कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी अपलोड किया गया है।

(xv) वित्तीय विवरण कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं जो क्रमशः कंपनी के सीईओ और सीएफओ होते हैं।

(ड) संवाद का माध्यमः

तिमाही नतीजों की रिपोर्ट आवश्यकतानुसार निम्नलिखित तारीखों पर सभी प्रमुख दैनिक अख़बारों में प्रकाशित की गई हैः

तिमाही समापन	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	31.03.2018
प्रकाशन की तारीख	12.08.2017	10.11.2017	09.02.2018	31.05.2018
अखबारों के नाम अ– अंग्रेजी ह– हिंदी	बिजनस लाइन (अ) दैनिक जागरण (ह)	इकोनॉमिक टाइम्स (अ) हिंदुस्तान (ह)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अ) जनसत्ता (ह)	बिजनस लाइन (अ) दैनिक जागरण (ह)

तिमाही/वार्षिक नतीजे कंपनी की वेबसाइट– www.sail.co.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी से संबंधित आधिकारिक खबरों को भी इस वेबसाइट पर जारी किया जाता है।

(ढ) सामान्य अंशधारकों की जानकारीः

(i) वार्षिक आम बैठक 20 सितंबर, 2018 को एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली –110001 में प्रस्तावित है।

(ii) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018

(iii) बुक क्लोजर की तारीखः 21 अगस्त, 2018 से 24 अगस्त, 2018 तक (दोनों तारीखें शामिल)

(iv) कंपनी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैंः
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज़ जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई–400001
(स्टॉक कोड नंबर – 500113)
द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
प्लॉट नंबर. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुलरा कॉम्लेक्स, बांद्रा (ई)
मुंबई– 400051
(कोडः सेल)
कंपनी द्वारा वर्ष 1996 में जो जीडीआर जारी किया गया था उसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 10 पेटरनोस्टर स्क्वायर, लंदन ईसी4एम 7एलएस, यूके में सूचीबद्ध किया गया था।
वर्ष 2017–18 के लिए प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क दे दिया गया है।

(v) वित्तीय वर्ष 2017–18 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कंपनी के शेयरों के हर महीने ऊपर और नीचे होने की रिपोर्ट निम्नलिखित हैः

महीना और वर्ष	सेंसेक्स		बीएसई पर सेल (₹)		निफ्टी		एनएसई पर सेल (₹)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल'17	30,184.22	29,241.48	68.55	59.45	9367.15	9075.15	68.60	59.40
मई'17	31,255.28	29,804.12	63.45	56.25	9649.60	9269.90	63.25	56.25
जून'17	31,522.87	30,680.66	59.30	55.55	9709.30	9448.75	59.30	55.50
जुलाई'17	32,672.66	31,017.11	64.90	58.15	10114.85	9543.55	65.00	58.10
अगस्त'17	32,686.48	31,128.02	64.75	55.35	10137.85	9685.55	64.80	55.20
सितंबर'17	32,524.11	31,081.83	64.50	53.00	10178.95	9687.55	64.45	52.85
अक्तूबर'17	33,340.17	31,440.48	83.20	53.20	10384.50	9831.05	83.25	53.40
नवंबर'17	33,865.95	32,683.59	87.95	74.90	10490.45	10094.00	87.80	74.90
दिसंबर'17	34,137.97	32,565.16	93.70	74.75	10552.40	10033.35	93.75	74.75
जनवरी'18	36,443.98	33,703.37	101.40	87.60	11171.55	10404.65	101.45	87.60
फरवरी'18	36,256.83	33,482.81	98.35	77.40	11117.35	10276.30	98.30	77.05
मार्च'18	34,278.63	32,483.84	84.80	67.25	10525.50	9951.90	84.85	67.15

(vi) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटः

मैसर्स. एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड,
एफ–65, पहला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज–1, नई दिल्ली–110020
फोन नं. 011–41406149

(vii) शेयर ट्रांसफर सिस्टमः

कंपनी के इक्विटी शेयर की खरीद और बिक्री सिर्फ डिमटीरियलाइज्ड फॉर्म में ही होगी। बोर्ड की अंश हस्तांतरण समिति की बैठक नियमित अंतराल पर होती है। इसका मकसद सूचीकरण समझौते के तहत इस संबंध में उल्लेखित तय समय सीमा के तहत अंश हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है।

(viii) 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता का वितरणः

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	की सं.	कुल का %	₹ में	कुल का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	318146	88.66	387737600	0.94
501 – 1000	21389	5.96	175087800	0.42
1001 – 2000	10088	2.81	155360290	0.38
2001 – 3000	3293	0.92	85336270	0.21
3001 – 4000	1364	0.38	49546720	0.12
4001 – 5000	1285	0.36	61364060	0.15
5001 – 10000	1750	0.49	131338860	0.32
10001 – 50000	1121	0.31	233932820	0.57
50001 – 100000	150	0.04	104830230	0.25
100000 से ऊपर	262	0.07	39920718240	96.65
कुल	**358848**	**100.00**	**41305252890**	**100.00**

(ix) 31 मार्च, 2018 को शेयरधारित स्वरूप

श्रेणी		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
अ.	**प्रमोटर की संख्या**		
1.	प्रमोटर्स		
	– इंडियन प्रमोटर्स जैसे भारत सरकार	3097767449	75.00
	– विदेशी प्रमोटर्स	–	–
2	एक साथ काम करने वाले लोगों की संख्या	–	–
	उप–योग	**3097767449**	**75.00**
ब	**नॉन–प्रमोटर्स होल्डिंग**		
3	संस्थागत निवेशक		
क	म्यूचुअल फंड्स एवं यूटीआई	111011437	2.69
	ख बैंक एवं वित्तीय संस्थान	138990705	3.36
	ग बीमा कंपनियां	417266678	10.10
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	175039973	4.24
	उप–योग	**842308793**	**20.39**
4	अन्य		
क	निजी निगमित निकाय	37501447	0.91
ख	भारतीय जनता	132797393	3.22
ग	एनआरआई/ओसीबी	18300863	0.44
घ	जीडीआर	117635	0.00
ड.	कोई अन्य– आईईपीएफ	1731709	0.04
	उप–योग	**190449047**	**4.61**
	कुल योग	**4,13,05,25,289**	**100.00**

(x) 31.03.2018 को डिमटीरियलाइजेशन की स्थिति

विवरण	शेयरों की संख्या	पूँजी का %	खातों की संख्या
एनएसडीएल	4064284716	98.40	211727
सीडीएसएल	61431569	1.49	110427
कुल डिमटीरियलाइज किए गए	4125716285	99.89	322154
भौतिक	4809004	0.11	36694
कुल	4130525289	100.00	358848

भारत सरकार के अंश डीमेट प्रारूप में रखे जाते हैं।

(xi) कंपनी के संयंत्र/ईकाई/सहायक कंपनियां जहां मौजूद हैं:

इस्पात संयंत्र (स्टील प्लांट)

- भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई – 490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर –713203, पश्चिम बंगाल
- राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला –769011, ओडिशा
- बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी –827001, झारखंड
- आईआईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर – 713325, पश्चिम बंगाल
- अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर–713208, पश्चिम बंगाल
- सेलम स्टील प्लांट, सेलम–636013, तमिलनाडु
- विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती –577031, कर्नाटक
- चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट, चंद्रपुर, महाराष्ट्र

इकाइयां

- सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन, धनबाद–828127, झारखंड
- सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस्पात भवन, 40, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता –700 071, पश्चिम बंगाल
- सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रांची–834002, झारखंड
- इंवायरमेंट मैनेजमेंट डिविजन 6, गणेश चंद्रा एवेन्यू, (पांचवा तल), कोलकाता –700013, पश्चिम बंगाल
- ग्रोथ डिविजन, 97, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता–700016, पश्चिम बंगाल
- मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रांची–834002, झारखंड
- रॉ मटीरियल्स डिविजन, 10, कैमक स्ट्रीट, इंडस्ट्री हाउस, कोलकाता–700017, पश्चिम बंगाल
- रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर ऑयरन एंड स्टील, रांची –834002, झारखंड
- सेल कंसलटेंसी डिविजन,16–20 तल, स्कोप मीनार, नॉर्थ टावर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली –110092
- सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, रांची –834002, झारखंड
- सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, बोकारो–827001, झारखंड

सहायक कंपनियां

- आईआईएससीओ – उज्जैन पाइप एंड फांउड्री कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (विघटन के तहत)
- सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, नई दिल्ली – 110003
- सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, सलेम–636013, तमिलनाडु
- सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला–828135, झारखंड
- छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, छत्तीसगढ

(xii) **कोई सवाल/ शिकायत होने पर अंशधारकों के लिए पत्राचार का पता:**

मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड
एफ–65, पहला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1,
नई दिल्ली –110020
फोन नंबर 91–11–41406149,
फैक्स नंबर 91–11–41709881
ई–मेल: admin@mcsregistrars.com

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–
(सरस्वती प्रसाद)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त, 2018

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र

सेवा में
सदस्यगण
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएनःएल27109डीएल1973जीओआई006454) ("द कंपनी") के निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("द रेग्यूलेशन") के विनियमन 46 के उप विनियमन (2) के विनियमन 17 से 27, खण्ड (बी) से (i) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी और ई और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों, वर्ष के दौरान लागू सीमा तक, में निर्धारित है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निगमित अभिशासन के प्रमाणीकरण को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार है और यह प्रक्रियाओं की समीक्षा और इसके कार्यान्वयन तक ही सीमित है, जो कंपनियों द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है। यह न तो लेखापरीक्षण है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित के अधीनः

> 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित अवधि के लिए कंपनी ने निदेशक मंडल की संरचना में न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की जरूरत का अनुपालन नहीं किया है।
>
> (1) 1 अप्रैल, 2017 से 21 सितंबर, 2017 और (2) 4 अक्टूबर, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक

हम प्रमाणित करते हैं कि निगमित अभिशासन को लेकर दूसरी शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है।

हम आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता का और न ही उस कुशलता व प्रभावकारिता का आश्वासन देता है जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों को संचालित किया है।

कृते सिंघी एंड कंपनी	**कृते चैटर्जी एंड कंपनी**	**कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी**	**कृते ए. के. साबत एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई	फर्म पंजीकरण सं. 302114ई	फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)	**(टी. एन. घोष)**	**(संजय जिंदल)**	**(ए. के. साबत)**
साझीदार	साझीदार	साझीदार	साझीदार
एम. नं. 050773	एम. नं. 050644	एम. नं. 087085	एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल 2710 9 डीएल 1973 जीओआई 006454
2. कंपनी का नाम: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. पंजीकृत पता: इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
4. वेबसाइट: www.sail.co.in
5. ईमेल आईडी: investor.relation@sailex.com
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष: 2017–18
7. क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसमें कंपनी कार्यरत है (कोड–वार औद्योगिक गतिविधि):
   इस्पात और इस्पात उत्पादों का निर्माण
   राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड: 330
8. कंपनी के उन तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची, जो कंपनी बनाती / प्रदान करती हैं (बैलेंस शीट में):
   (i) हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद का निर्माण
   (ii) रेल का निर्माण
   (iii) तार छड़ (वायर रॉडस), संरचनात्मक आदि का निर्माण
9. स्थानों (शहरों) की कुल संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है:
   (i) अंतर्राष्ट्रीय स्थान: शून्य
   (ii) सेल के भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं और इनका संचालन करती है तथा सेलम, दुर्गापुर और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्र हैं। एक अन्य इकाई, चंद्रपुर फेरो–मिश्र धातु संयंत्र (सीएफपी) फेरो–मिश्र धातु का उत्पादन करता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में चार अपवर्तक विनिर्माण इकाइयों के साथ बोकारो में सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट (एसआरयू) भी है।
   इनके अलावा, सेल की अन्य इकाइयां निम्नानुसार हैं:
   - सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी, पश्चिम बंगाल ;
   - कच्चा माल प्रभाग (आरएमडी) – झारखंड में किरिबुरु, मेघाहतुबुरु, गुआ, मनोहरपुर (चिरिया), बोलानी, काल्टा, बरसुआ (तल्दीह समेत) उड़ीसा में लौह अयस्क खान;
   - छत्तीसगढ़ में राजहरा समूह, दल्ली समूह, रोघाट में बीएसपी खान (लौह अयस्क);
   - मध्य प्रदेश में कुतेश्वर; झारखंड में भवनाथपुर, तुलसीदामार; में आरएमडी फ्लक्स खान;
   - छत्तीसगढ़ में नंदिनी, हिररी, बरडुड़ में बीएसपी फ्लक्स खान;
   - कर्नाटक के भदीगुंड, केंचपुडा में वीआईएसपी फ्लक्स खान;
   - झारखंड में चासनला, जितपुर, तसरा, सिताला और पश्चिम बंगाल में रामनगर में कोलियरियां डिवीजन (कोयला खान);
   - कोलकाता स्थित मुख्यालय में केंद्रीय विपणन संगठन,
   - केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद,
   - दिल्ली में सेल परामर्शदात्री / कंसल्टेंसी डिवीजन,
   - लोहा और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेल सुरक्षा संगठन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र तथा रांची में प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान ।
   - कोलकाता में पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग और विकास प्रभाग।
   - राउरकेला में केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान।
   - कोलकाता में परिवहन और जहाजरानी / शिपिंग।

   सेल एक भारत वितरण नेटवर्क है जिसमें 37 शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ), 10 ग्राहक संपर्क कार्यालय (सीसीओ) और 45 परिचालन गोदाम शामिल हैं।
10. कंपनी की बाजारों में उपस्थिति – स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

खंड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (आईएनआर) : ₹ 4,130.53 करोड़
2. कुल कारोबार (आईएनआर) : ₹ 58,297.26 करोड़
3. कराधान के बाद कुल हानि (आईएनआर) : ₹ 481.71 करोड़
4. कर पश्चात लाभ प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च: हालांकि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान घाटा हुआ है, तथापि, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी सीएसआर पहल के अपने दायित्वों को पूरा कर रही है। तदनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर खर्च ₹ 25.70 करोड़ रहा है।
5. उन गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है:
   क) पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।
   ख) शिक्षा, आय उत्पादन और कौशल / व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
   ग) महिलाओं का सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की देखभाल
   घ) पर्यावरण स्थिरता
   ड़) विरासत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।
   च) खेलों को बढ़ावा देना।
   छ) ग्रामीण विकास: बुनियादी ढांचा विकास

खंड ग : अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?**
   हां, कंपनी की चार सहायक कंपनियां हैं, जैसे .:
   क सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड
   ख सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड
   ग सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
   घ छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
2. **क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या इंगित करें।**
   मूल कंपनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व कदम (पहल) सहायक कंपनियों पर लागू होते हैं।
3. **क्या कोई अन्य इकाई / संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ व्यापार करते हैं वे कंपनी की व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें ? (30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक)**
   नहीं

खंड घ : व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1. **व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण:**
   क) व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) नीति / नीतियों के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण:
   - डीआईएन संख्या 07957068
   - नाम: श्री अतुल श्रीवास्तव
   - पदनाम: निदेशक (कार्मिक)
   - व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) प्रमुख का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	00101601
2	नाम	एम.सी. जैन
3	पदनाम	कंपनी सचिव
4	टेलीफोन नंबर	011–24368104
5	ई–मेल आईडी	Secy.sail@sailex.com

2 **सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हाँ/नहीं में जवाब)**
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक जिम्मेदारी के नौ क्षेत्रों को अपनाया है। ये संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

पी 1 – व्यवसायों को स्वयं आचारसंहिता के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालन और नियमन करना चाहिए।

पी 2 – व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन चक्र में स्थिर योगदान दे सकें।

पी 3 – व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी 4 – व्यवसायों को सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और हितों का सम्मान करना चाहिए, खासतौर पर उनका जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर (मार्जिनलाइज्ड) हैं।

पी 5 – व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।

पी 6 – व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिएं और उनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए।

पी 7 – व्यवसाय, जब जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।

पी 8 – व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

पी 9 – व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से बनाए रखना चाहिए और उनको अहमियत देनी चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यापारिक नैतिकता	उत्पाद उत्तरदायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों से संपर्क और सीएसआर	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	सीएसआर	ग्राहकों से संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास निम्न से संबंधित कोई नीति/नीतियां हैं.....	हां	हां कंपनी की गुणवत्ता और पर्यावरण नीतियां हैं जो सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करती हैं।	हां	हां यह कंपनी की आचरण संहिता, मानव संसाधन नीतियों और विभिन्न अन्य मानव संसाधन प्रथाओं में शामिल है	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
2	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप है?	हां	–	हां	नहीं	–	हां	–	हां	–
4	क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
5	क्या कंपनी में निदेशक मंडल की कोई विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी हैं, जो नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
6	नीति के ऑन लाईन अवलोकन के लिए लिंक का उल्लेख करें	–	–	–	@	–	*	–	@	–
7	क्या सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से नीति से अवगत करा दिया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कोई इन–हाउस व्यवस्था स्थापित है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
9	क्या कंपनी में ऐसी कोई शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित है, जो नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों का निवारण करे?	हां	–	हां	नहीं	–	नहीं	–	नहीं	–
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यचालन के बारे में किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/जांच करवाई है?	नहीं	–	नहीं	नहीं	–	हां	–	हां	–

2 क. यदि क्रमांक 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया यह बताएं कि ऐसा क्यों हैं: (2 विकल्पों को चिन्हित करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	कंपनी ऐसी व्यवस्था में नहीं है कि वह विशिष्ट सिद्धांतों से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन और कार्यान्व्यन करे	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन और श्रम शक्ति नहीं है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	यह कार्य आगामी छः महीनों में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	यह कार्य आगामी एक वर्ष में किए जाने की योजना है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	कंपनी इस्पात क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति है और इसकी अग्रणी उपलब्धियों का रिकॉर्ड है जिसने एमओएस, भारत सरकार के साथ बातचीत करके देश के इस्पात उद्योग को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया है। इसलिए औपचारिक नीति की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है।		ग्राहक की जरूरतों का आकलन करने और उनका समाधान करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक की गणना नियमित आधार पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया के आधार पर की जाती है और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए प्रणाली भी प्रचलित है।

* - http://sail.co.in/pdf/corporateenvironmentalpolicy.pdf
@ - http://sail.co.in/pdf/csrpolicy.pdf

3. **व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) से संबंधित शासन (गवर्नेंस):**
   - **आवृत्ति को इंगित करें जिसके साथ निदेशक मंडल, बोर्ड या सीईओ की समिति कंपनी के व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) प्रदर्शन का आकलन करती है। 3 महीने के भीतर, 3–6 महीने, सालाना, 1 साल से अधिक।**

     प्रति वर्ष ।
   - **क्या कंपनी व्यापार उत्तरदायित्व (बीआर) या स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?**

     हां, कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के मुद्रित संस्करण प्रकाशित करती है।एक वेब अपडेट के रूप में बीच के वर्ष में कंपनी की वेबसाइट पर रिपोर्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड किया जाता है। कंपनी की स्थायित्व रिपोर्ट देखने के लिए हाइपरलिंक http://www.sail.co.in/ है।

खंड ड़ : सिद्धांत–वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1: व्यवसाय को स्वयं नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालन और शासन करना चाहिए।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हाँ/नही ।**

   क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्य के लिए विस्तारित है?

   नहीं, सेल द्वारा लागू नीतियां, इन संबंधों में कंपनी के कर्मचारियों के साथ–साथ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/बोलीदाताओं आदि को शामिल करती हैं। कंपनी ने आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम निर्धारित किए हैं जो ज्यादातर कंपनी के अधिकारियों के लिए आचरण संहिता लागू करते हैं जबकि गैर–कार्यकारी कार्मिकों को सेल के संबंधित संयंत्रों/इकाइयों के लिए स्थायी आदेश (संघ और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौते) में उल्लिखित आचरण/दुर्व्यवहार के तहत कवर किया जाता है। जुलाई, 2007 में, कंपनी ने 100 करोड़ और उससे ऊपर के सभी अनुबंध / खरीद के मूल्यांकन हेतु सत्यनिष्ठ संधि लागू की। बाद में, अधिक ठेके / खरीद को कवर करने के लिए सीमा मूल्य घटाकर ₹ 20 करोड़ और सीएमओ विभागीय गोदामों में ठेके से निपटने से संबंधित सभी निविदाओं को सीमा मूल्य पर ध्यान दिए बिना, को भी सत्यनिष्ठा संधि के तहत कवर किया जाता है।सेल से संबंधित बोलीदाताओं / ठेकेदारों / एजेंसियों के साथ व्यापारिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के दिशानिर्देशों को कंपनी में लागू किया गया है और सत्यनिष्ठा संधि का हिस्सा बना दिया गया है, जिसमें इस पर विचार किया गया है कि सत्यनिष्ठा संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, यदि उन्हें भ्रष्टाचार और रिश्वत सहित अनैतिक प्रथाओं में शामिल पाया जाता है।
2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया था? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या इससे अधिक में विवरण प्रदान करें।**

   केन्द्रीय सतर्कता आयोग, इस्पात मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न स्रोतों से कुल 776 शिकायतें वर्ष 2017–18 के दौरान सेल सतर्कता में प्राप्त हुई थी और इसकी जांच कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मौजूदा प्रणाली और प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों आदि के साथ की गई थी और इन शिकायतों में इंगित अनियमितताओं के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाइयों में व्यवस्थागत सुधार सहित सलाह दी गई थी और इसे प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित करने की सहमति व्यक्त की गई थी। इसलिए, यह माना जा सकता है कि प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार लगभग 100% शिकायतों को संतोषजनक ढंग से हल किया गया था।

सिद्धांत 2: व्यापार को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन अवधि तक स्थिरता में योगदान दें।

1. **अपने उत्पादों या सेवाओं में से 3 तक सूचीबद्ध करें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं।**

   i) थर्मो मैकेनिकल उपचारित (ट्रेटेड) भूकंप प्रतिरोधी सुदृढ़ीकरण बार्स (टीएमटी ईक्यूआर रीबार्स) जोकि बेहतर लचीलेपन वाली हैं, जो ठोस संरचनाओं और इमारतों की सुरक्षा को बढ़ाती हैं, जिसके कारण निवासियों की सुरक्षा और बचाव में सुधार होता है तथा साथ ही साथ यह भूकंप क्षति से जुड़े सामाजिक–आर्थिक जोखिमों को भी कम करता है।

   ii) सुरक्षा बढ़ाने के लिए विनिर्देशित एफई 500 एस के अनुसार उच्च जोखिम भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी ग्रेड टीएमटी रिबार्स, साथ ही साथ भूकंप क्षति प्रतिरोध से जुड़े सामाजिक–आर्थिक जोखिमों को कम करने के दौरान निवासियों की सुरक्षा और बचाव में सुधार करता है।

   iii) संरचनात्मक रूप से समानांतर निकले हुए किनारे जो कम स्टील का उपयोग करते हुए बेहतर यांत्रिक गुण प्रदान करते हैं, जिससे यह स्टील उपभोग को कम करने के साथ–साथ सुरक्षित संरचनाओं के डिजाइन को सक्षम बनाता है। इससे ग्राहक मूल्य में वृद्धि होती है और यह देश में स्टील के अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग की दिशा में है तथा इससे देश के प्राकृतिक संसाधन उपयोग, पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक विकास पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।
2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद (वैकल्पिक) के प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

   i) **मूल्य निर्धारण श्रृंखला में पिछले वर्ष के बाद से सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान आयी कमी**

प्रति इकाई खपत सेल में उत्पादन	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
विशिष्ट ऊर्जा खपत (जीकेल / टीसीएस)	6.60	6.60
कण पदार्थ (पीएम) उत्सर्जन भार (किलो/टीसीएस)	0.74	0.77

   ii) **पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) में हासिल की गई कमी ?**

   यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।
3. **क्या कंपनी के पास टिकाऊ सोर्सिंग (परिवहन सहित) की प्रक्रिया है? यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था? इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण उपलब्ध कराएं।**

   सेल की कैप्टिव खानों से नियमित आपूर्ति के अलावा, लौह अयस्क, कोयले, फ्लक्स (चूना पत्थर, डोलोमाइट) इत्यादि जैसी कुछ महत्वपूर्ण इनपुट सामग्री प्रतिस्पर्धी खरीद या स्थापित आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था के माध्यम से सोर्स की जाती है। आईएसओ –14000 प्रमाणीकरण के साथ संयंत्रों और इकाइयों के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) है। कार्बन के प्रभाव को कम करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। खानों और बंदरगाहों से संयंत्रों तक सभी कच्चे माल का परिवहन रेल के माध्यम से किया जाता है। कंपनी की आवश्यकता के टिकाऊ सोर्सिंग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी खरीद की सुव्यवस्थित प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।
4. **क्या कंपनी ने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित, स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

   भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) से कुछ श्रेणियों के माल और सेवाएं खरीदी जाती हैं। भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति के अनुसार स्थानीय खरीद पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख संयंत्रों में स्थानीय स्तर की नीति होती है जो संयंत्र स्थानों के आसपास में महिला समिति/समाज, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि जैसे समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है । सेल संयंत्रों द्वारा समय–समय पर विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता निर्माण में सहायता मिलती है।
5. **क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को रि–सायकल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां, उत्पादों और अपशिष्ट के रि–सायक्लिंग का प्रतिशत क्या है? (अलग से <5%, 5–10%, >10% के रूप में) । इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या इससे अधिक में विवरण उपलब्ध कराएं।**

   सेल संयंत्र और खान विभिन्न स्लैग, फ्लू डस्ट, कीचड़, प्रयुक्त अपवर्तक ईंटों आदि सहित कचरे के बेहतर उपयोग की दिशा में प्रयास करने के लिए 4 आर (कम करना, पुनर्प्राप्ति, रि–सायकल और पुनः उपयोग) के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। बीएफ लावा (स्लैग), जो कुल ठोस अपशिष्टों का प्रमुख भाग है, इसे दानेदार बनाया जाता है और सीमेंट उद्योगों में एक इनपुट सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, बीओएफ स्लैग का उपयोग आंशिक रूप से विस्फोट भट्ठी में चूना पत्थर के विकल्प के रूप में और कुछ हद तक सिंटर (धातुमल) बनाने में भी किया जाता है। इनके अलावा, बीओएफ स्लैग का उपयोग सड़क बनाने में और प्लांट सीमा के अंदर रेल ट्रैक बॉलस्टा के रूप में भी किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, बीएफ स्लैग का 90.44% और बीओएफ स्लैग का 59.12% उपयोग किया गया था।

   मिल स्केल और चूना/डोलो शुद्ध जैसे अन्य अपशिष्टों का उपयोग सिंटर मार्ग के माध्यम से पूरी तरह से किया जाता है और पूरी अपशिष्ट अपवर्तक सामग्री बाहरी एजेंसियों को बेची जाती है। पुनः उपयोग और रि–सायकल की धारणा सेल के संगठनात्मक दृष्टिकोण में दृढ़ता से (लागू) एम्बेडेड है और विभिन्न ऑपरेशन्स से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के उपयोग को अधिकतम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

   वर्ष 2017–18 के दौरान, लगभग 30% ठोस कचरे को 83% ठोस कचरे के उपयोग से आंतरिक रूप से रि–सायकल किया गया था। इसके अलावा, कोक ओवन गैस, बीएफ गैस और बीओएफ गैस जैसे उप–उत्पाद गैसों को संयंत्रों की विभिन्न दुकानों पर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

सिद्धांत 3: व्यवसाय को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।**

   दिनांक 1.4.2018 को सेल में कर्मचारियों की कुल संख्या: 76870 (अधिकारी–11718; गैर– अधिकारी– 65152)
2. **कृपया अस्थायी / संविदात्मक / आकस्मिक आधार पर नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।**

   दिनांक 1.4.2018 को, सेल संयंत्रों / इकाइयों में लगे अनुबंधित श्रमिकों की संख्या: 66186
3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।**

   1.4.2018 को, सेल में स्थायी महिला कर्मचारी: 4416 (अधिकारी–899; गैर–अधिकारी – 3517)

4. **कृपया विकलांग कर्मचारियों के स्थायी संख्या की संख्या इंगित करें।**
1.4.2018 तक, सेल संयंत्रों / इकाइयों में विकलांग कर्मचारियों के कुल कर्मचारियों की संख्या: 865 (अधिकारी – 136; गैर– अधिकारी – 729)

5. **क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?**
संयंत्र/इकाई स्तर पर गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व वाले ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। शीर्ष स्तर पर, इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस), एक द्विपक्षीय मंच जिसमें पांच केंद्रीय व्यापार संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं अर्थात् आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस और बीएमएस हैं और मुख्य संयंत्रों के मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधि, सभी गैर–कार्यकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकारियों का प्रतिनिधित्व उनके संयंत्र/इकाइयों के संबंधित अधिकारी संघ (ओए) द्वारा किया जाता है जो इस्पात अधिकारियों के फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसईएफआई) से संबद्ध है तथा सेल में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय है।

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?**
सेल के लगभग सभी कर्मचारी ट्रेड यूनियनों या अधिकारी संघों के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित संख्या इंगित करें ।**
बाल श्रम/जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम और भेदभावपूर्ण रोजगार से संबंधित जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गईं शिकायतें	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें
1	बाल श्रम/जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	2	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोज़गार	शून्य	शून्य

8. **गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों में आपके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?**
   - स्थायी कर्मचारी = 49
   - स्थायी महिला कर्मचारी = 49
   - आकस्मिक / अस्थायी / संविदात्मक कर्मचारी = 100
   - विकलांग कर्मचारी = 49

संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।पीएमएस के तहत, प्रत्येक कार्यकारी अधिकारी से प्रबंधन को यह सूचित करने के लिए कहा जाता है कि अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के लिए उसे कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (तकनीकी/प्रबंधकीय/कार्यात्मक) दिया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 41,355 (कुल कर्मचारियों का 49.08%) नियमित कर्मचारियों को विभिन्न सुरक्षा और कौशल उन्नयन संबंधी कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया था।

वर्तमान में सेल आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिसमें संविदा कर्मचारी विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। 100% संविदा श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाता है जो संयंत्र परिसर हेतु गेट पास जारी करने के लिए अनिवार्य है। कार्यस्थल पर नौकरी के दौरान भी संविदा श्रमिकों के कौशल उन्नयन का ध्यान रखा जाता है।

सिद्धांत 4: व्यवसाय को सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और हितों का सम्मान करना चाहिए और विशेष रूप से उनका जो वंचित, कमजोर और हाशिए (मार्जिनलाइज्ड) पर हैं ।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों का खाका (मैप) तैयार किया है? हाँ/ नही**
हाँ

2. **क्या कंपनी ने उपरोक्त में से वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है?**
हितधारकों के साथ व्यवहार और अधिकारों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है।

3. **क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक में विवरण उपलब्ध कराएं।**
कंपनी द्वारा कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं जोकि निम्नानुसार है:
   (i) आदिवासी लोगों की भावी पीढ़ियों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास में लगभग 293 जनजातीय बच्चों को अनुकूल वातावरण में भिलाई स्थित ज्ञानोदय छात्रावास, और बीएसपी स्कूल राजहरा, बिर्होर (एक लुप्तप्राय: जनजाति) तथा ज्ञानज्योति योजना के तहत बोकारो स्थित सारंदा सुवन छात्रवास, किरिबुरु, आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर अयस्क खानों में नि:शुल्क आवासीय शिक्षा के साथ–साथ पौष्टिक और स्वस्थ भोजन, कपड़े, नि:शुल्क चिकित्सा उपचार, खेल और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ।
   (ii) किरिबूरु खानों में स्थापित एकलव्य तीरंदाजी अकादमी पड़ोसी जनजातीय क्षेत्र से 21 युवाओं (9 लड़कियां और 12 लड़कों) को खेल मंच प्रदान कर रही है, जिन्हें 'मॉडर्न रिकर्व आर्चरी' में नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। आरएमडी उन्हें स्पोर्ट्स कोचिंग के साथ साथ नि:शुल्क स्कूली शिक्षा, छात्रावास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कैडेटों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपनी ताकत साबित करते हुए पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
   (iii) सम्मान और इज्जत के साथ घरेलू वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, मनोरंजक सुविधाओं के साथ पूरी तरह से सुसज्जित 20 कमरों में 34 वरिष्ठ नागरिकों को सियान सदन में समायोजित किया गया है। इन बुजुर्ग निवासियों के कल्याण और मनोरंजन के लिए भिलाई स्टील प्लांट दैनिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच, कवि सम्मेलन, संगीत संध्या, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रहा है।

सिद्धांत 5: व्यापार को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रोत्साहन करना चाहिए

1. **क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्य तक भी इसे विस्तारित करती है?**
कंपनी की कोई मानवाधिकार नीति नहीं है। हालांकि, अधिकांश पहलुओं को कंपनी ने अपनी व्यापार आचरण और नैतिकता नीति में शामिल करने के साथ–साथ विभिन्न मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं को शामिल किया गया है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत तक संतोषजनक रूप से हल किया गया था ?**
वर्ष 2017–18 के दौरान हितधारकों से 9 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों को 2017–18 के दौरान हल किया गया।

सिद्धांत 6: पर्यावरण को बहाल करने के प्रयासों का व्यवसाय को सम्मान और संरक्षण करना चाहिए

1. **क्या संबंधित सिद्धांत 6 की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को भी शामिल करती है?**
सेल में नीति और रणनीति तैयार करना कंपनी की दृष्टि और पंथ (क्रेडो) द्वारा निर्देशित एक अच्छी तरह से संरचित प्रक्रिया है। सेल की दृष्टि, रणनीतियों और नीतियों में स्थायित्व के तत्व शामिल हैं। नीतियों के गुलदस्ते में गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा आदि शामिल हैं, जो पूर्ण रूप से स्थिरता की अवधारणाओं को शामिल करते हैं। संयंत्रों के स्तर पर मानव संसाधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, संचार, रखरखाव, टाउनशिप, ऊर्जा प्रबंधन और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि की नीतियां भी सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देती हैं।
सेल की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति एक स्वच्छ और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से, अपनी सभी गतिविधियों में अच्छी पर्यावरण प्रथाओं के माध्यम से अपने संयंत्रों और खानों को बनाए रखने की पुष्टि करती है, खनन किए गए परिदृश्य और पारिस्थितिक रूप से छोड़ी गई साइटों को बहाल करती है और एक मजबूत लेखा परीक्षा तंत्र और एक पारदर्शी रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी और पर्यावरणीय प्रदर्शन की समीक्षा सुनिश्चित करती है और लगातार उत्सर्जन, निर्वहन और परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी करती है तथा सार्वजनिक डोमेन में डेटा उपलब्ध कराती है।
आईएसओ 14001 मानकों से जुड़ी एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, जो आवश्यक रूप से एक स्वैच्छिक पहल है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सेल में एक प्रभावी उपकरण बन गया है। इस प्रणाली को अपनाने के माध्यम से,सेल हितधारकों की चिंताओं का समाधान करती है।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन / ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की कोई रणनीतियां / पहल हैं? हाँ/नहीं । यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**
हाँ। सेल ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कच्चे माल की अच्छी गुणवत्ता के स्रोत, नई प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को पुनर्निर्मित करने और मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के सुधार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन सभी प्रयासों तथा स्वच्छ और ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष जोर देने से पिछले पांच वर्षों के दौरान विशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 4.09% की कमी आई है।
आर एंड डी मास्टर प्लान के तहत एक प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना "आरएसपी में वनीकरण के माध्यम से कार्बन अनुक्रमण" पर चल रही है और परियोजना के अंदर तथा आसपास के क्षेत्र में कार्बनडाइ ऑक्साइड के अनुक्रमण में योगदान दे रही है।
सेल ने पिछले छह वर्षों के दौरान ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) दिशानिर्देशों के मुताबिक सतत विकास नीति अपनाई है और अपनी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.sail.co.in) के कॉर्पोरेट नागरिकता अनुभाग में उपलब्ध है।
जलवायु परिवर्तन / ग्लोबल वार्मिग जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की रणनीतियां / पहल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके लिए हाइपरलिंक है: https://www.sail.co.in/sites/ default/files/Climate_Change.pdf

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करती है? हाँ/नहीं ।**
हाँ। कंपनी ने एंटरप्राइज़ जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति अपनाई है और संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित

तंत्र भी स्थापित किया है और तदनुसार न्यूनीकरण/शमन योजना नियमित आधार पर विकसित की जाती है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है।**

सेल ने बहुत पहले ही कई ऊर्जा–दक्ष परियोजनाओं की पहचान की थी जिन्हें स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) का लाभ उठाने के लिए आधुनिकीकरण सह विस्तार कार्यक्रम के दौरान लागू किया गया था। इनमें से नीचे दी गई छह परियोजनाओं को वीसीएस और आईएसओ मानकों के अनुरूप सत्यापित कम उत्सर्जन (वीईआर) परियोजनाओं के रूप में मान्यता दी गई थी :

1. भिलाई स्टील प्लांट में पीबीएस (पीपी –1) के बॉयलर नंबर 6 में ब्लास्ट फर्नेस गैस फायरिंग सिस्टम की स्थापना।
2. आईआईएससीओ स्टील प्लांट में बॉयलर यूनिट बी के पावर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस गैस फायरिंग सिस्टम की स्थापना।
3. राउरकेला स्टील प्लांट में सिंटर प्लांट–1 के दोनों किनारों में मल्टी–स्लिट बर्नर की स्थापना।
4. भिलाई स्टील प्लांट में सिंटर प्लांट#3 के सिंटर कूलर का हीट रिकवरी सिस्टम।
5. भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्फोट भट्टी # 3 और 4 में बेहतर संचालन दक्षता और ऊर्जा संरक्षण हेतु विद्युत आपूर्ति का थिरिस्टरिस्ट्रेशन।
6. बोकारो इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट में मल्टी–स्लिट बर्नर की स्थापना।

लगभग 1.37 मिलियन टन कॉर्बनडाइ ऑक्साइड के बराबर कार्बन क्रेडिट जमा हुए हैं।

यह एक स्वैच्छिक दृष्टिकोण है। अतः इसका अनुपालन दर्ज कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

हाँ। सेल के वर्तमान आधुनिकीकरण सह विस्तार कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के साथ ऊर्जा दक्ष टेक्नोलॉजी को पेश किया गया है। ऐसी कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं: कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) के साथ टॉलर कोक ओवन बैटरी, शीर्ष गैस दबाव रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) और कोल डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) सिस्टम के साथ विशाल विस्फोट फर्नेस, सिंटर कूलर से गर्मी वसूली सुविधा के साथ सिंटर प्लांट, रोलिंग मिल्स में वॉकिंग बीम रीहीटिंग फर्नेस, बिजली उत्पादन हेतु गैस फॉयरड बॉयलर इत्यादि।

सेल ने संयंत्रों के परिसर और आसपास के गांवों में सोलर वॉटर हीटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। हाल के दिनों में आरएसपी के अस्पताल में सोलर हीटिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार को सेल द्वारा दी गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सेल ने एनएसपीसीएल (एनटीपीसी और सेल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से वर्ष 2019 तक 200 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

- भीलाई में 7 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- दुर्गापुर में 20 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- बोकारो इस्पात संयंत्र की इमारतों पर 2 मेगावॉट क्षमता का रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र।
- कुल्टी में 20–25 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- गोदामों सहित सेल की विभिन्न इमारतों पर 17 मेगावॉट क्षमता का रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा इत्यादि के उपयोग की पहल को हाइपरलिंक से रेफर किया जा सकता है, जैसा कि https://www.sail.co.in/sites/default/files/ClimateChange.pdf

6. **क्या वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा में हैं ?**

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा सेल संयंत्रों और खानों को "ऑपरेट करने की सहमति" प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। "संचालन करने के लिए सहमति" में निर्धारित शर्तों के अनुसार वायु उत्सर्जन और निर्वहन गुणवत्ता के लिए संबंधित मानदंडों का अधिकतर पालन किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में निर्धारित दिशानिर्देशों / नियमों के अनुसार उत्पन्न विभिन्न अपशिष्टों को पर्यावरण–अनुकूल तरीके से संभाला और निपटाया जाता है। इन्हें कंपनी द्वारा सीपीसीबी / एसपीसीबी को नियमित आधार पर भी सूचित किया जाता है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की लंबित संख्या (यानी संतोषजनक रूप से समाधान नहीं है)।**

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से दो दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान दो अलग–अलग संयंत्रों को प्राप्त हुई थीं । एक दिशानिर्देश का पहले ही पूर्ण रूप से पालन किया जा चुका है। दूसरे का अनुपालन करने के लिए, संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा सुझाई गई समयबद्ध कार्रवाई योजनाएं विकसित की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सिद्धांत 7: जनता और नियामक नीति को व्यवसाय जब प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए

1. **क्या आपकी कंपनी किसी भी व्यापार और चेम्बर या संघ की सदस्य है? यदि हां, केवल उन प्रमुख लोगों के नाम दें जिनके साथ आपका व्यवसाय संबंधित है।**

कंपनी निम्नलिखित की सदस्य है

क फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
ख द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
ग वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए)
घ स्टेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज(एससीओपीई)
ड़ इंडियन स्टील एसोसिएशन
च इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ/इस्पात विकास और विकास संस्थान
छ अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन (एआईओई)
ज भारतीय कर्मचारी संघ (ईएफआई)

2 **क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से प्रगति या जनहित में सुधार के लिए वकालत की है? हां/नही; यदि हां, व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)**

हां, सतत व्यापार सिद्धांत और अपशिष्ट प्रबंधन बताए गए व्यापक क्षेत्रों में से एक हैं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है? यदि हां, तो विवरण दें:**

हां, सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का पर्याय बन गया है। स्टील विनिर्माण के कारोबार के अलावा, कंपनी का उद्देश्य उन तरीकों से व्यापार करना है जो समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर समाज पर अपने व्यापार के प्रभाव से अवगत होने के साथ शुरू होता है।

अंतर्निहित दर्शन और लोगों के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए, सेल प्रारंभ से ही सीएसआर पहल की संरचना और कार्यान्वयन कर रहा है। इन प्रयासों ने पिछड़े/अस्पष्ट गांवों को देखा है, जहां सेल संयंत्र स्थित हैं, आज ये गाँव औद्योगिक केंद्रों में बदल गए हैं।

सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी, 2014 पर 'कंपनी अधिनियम, 2013', सीएसआर नियम, 2014 और डीपीई दिशानिर्देश जैसे प्रचलित विधियों के अनुरूप सेल सीएसआर द्वारा पहल की जाती है। सेल ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश भर में स्टील टाउनशिप, खानों और दूरदराज के स्थानों के आसपास सीएसआर परियोजनाएं संचालित करता है जिसमें मॉडल स्टील गांवों के विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, एंटी और पोस्ट नेटल केयर, शिक्षा, जल सुविधाएं, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण उपलब्ध करवाया जाता है तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय उत्पादन, खेल, कला, संस्कृति का प्रचार आदि किया जाता है।

2. **क्या इन–हाउस टीम/स्वयं अपनी फ़ाउंडेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यक्रमों/परियोजनाओं का संचालन किया जाता हैं ?**

बोर्ड स्तर सीएसआर समिति के मार्गदर्शन में, सेल की अनुमोदित वार्षिक योजना में सूचीबद्ध सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को आंतरिक रूप से या एक पहचान योग्य उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से या एनजीओ/विशेषज्ञ एजेंसियों/संस्थानों/समाज को वित्तीय सहायता प्रदान करके, कंपनी अधिनियम, 2013, सीएसआर नियम और कंपनी की सीएसआर नीति के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाता है।

चूंकि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मध्याह्न भोजन जैसी सीएसआर परियोजनाओं की प्रकृति दीर्घकालिक/सतत हैं, उन्हें स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) आदि के माध्यम से टिकाऊ आजीविका उत्पादन उपलब्ध करवाया जाता है और कुछ परियोजनाएं जैसे, भिलाई और राउरकेला में अक्षय पत्र फाउंडेशन के माध्यम से मध्याह्न–भोजन परियोजना, ग्राम विकास के साथ राउरकेला के परिधीय गांवों में व्यापक जल और स्वच्छता परियोजना, झारक्राफ्ट के माध्यम से बोकारो में सतत आजीविका उत्पादन परियोजनाएं तथा विभिन्न संयंत्र / इकाई स्थानों पर विभिन्न परियोजनाएं रामकृष्ण मिशन आदि के माध्यम से विशेष एजेंसियों के माध्यम से उनके पास उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर लागू की जाती हैं।

ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां एक विशिष्ट एजेंसी द्वारा प्रस्तावित एक विशिष्ट सीएसआर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बाहरी कार्यान्वयन भागीदारों के पास प्रमाण–पत्र और मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, जिन्हें 'कंपनी अधिनियम–2013' में परिभाषित सीएसआर परियोजनाओं के उपक्रम के लिए पहचाना जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?**

सेल के प्रत्येक संयंत्र/इकाई में वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति होती है जो संबंधित संयंत्र/इकाई द्वारा सीएसआर

परियोजनाओं की सिफारिश करती है। एक ही समिति इन परियोजनाओं की प्रगति और निष्पादन पर नज़र रखती है और उठाए गए सीएसआर कदमों से प्राप्त सामाजिक लाभों की लेखा परीक्षा भी करती है।

विगत में बाहरी पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से कंपनी के सीएसआर और स्थायित्व पहलों का प्रभाव मूल्यांकन/सामाजिक लेखा परीक्षा भी की गई है।

इसके अलावा, सेल के पास सीएसआर और स्थायित्व के तहत की गई गतिविधियों/पहलों की निगरानी के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र है। सीएसआर की बोर्ड उप समिति नियमित आधार पर सीएसआर और स्थायित्व गतिविधियों की समीक्षा/निगरानी करती है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – धनराशि और परियोजनाओं का विवरण क्या है ?**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों के कराधान (पीबीटी) से पहले औसत लाभ का कम से कम 2% वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवंटित किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि सेल वित्तीय वर्ष 2015–16 के बाद से घाटे का सामना कर रही है, सेल बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अनुरूप चल रही सीएसआर गतिविधियों को बनाए रखने के लिए बजट आवंटित किया। वर्ष 2014–15 के बाद से सीएसआर बजट आवंटन और व्यय निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़)

वर्ष	सीएसआर आवंटन	सीएसआर व्यय
2014–15	78.00	35.04
2015–16	100.16 (वित्त वर्ष 2014–15 की खर्च न हो पाई ₹42.96 करोड़ की राशि इसमें शामिल है)	76.16
2016–17	29.34 (वित्त वर्ष 2015–16 की खर्च न हो पाई ₹ 24 करोड़ की राशि इसमें शामिल है)	29.05
2017–18	26.00 (वित्त वर्ष 2016–17 की खर्च न हो पाई ₹ 0.29 करोड़ की राशि इसमें शामिल है)	25.70

विशेष सीएसआर बजट के अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, सड़कों और सड़क रोशनी जैसे बुनियादी ढांचे, खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने आदि के रूप में प्रतिवर्ष सेल संयंत्रों/इकाइयों के परिधीय क्षेत्रों में रहने वाले गैर–सेल आबादी के लिए या तो निःशुल्क अथवा एक बहुत मामूली कीमत पर सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेल ₹ 350 करोड़ की राशि खर्च करती है।

सेल संयंत्र/इकाइयां अधिकतर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जहां बहुसंख्यक वंचित, कमजोर, हाशिए पर जीवनयापन करने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक निवास करते हैं। इस तरह की जनसंख्या के उत्थान के लिए सेल ने परिधीय पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 79 मॉडल स्टील गांव विकसित किए थे और नियमित रूप से इनका रख–रखाव किया जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व/सीएसआर गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :

सेल ने "स्वच्छ विद्यालय अभियान" के तहत दूरदराज के इलाकों में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान को स्वीकार करते हुए सेल संयंत्रों और इकाइयों के परिधीय क्षेत्रों में बिना शौचालयों/खराब शौचालयों वाले स्कूलों में 672 शौचालयों के निर्माण से 100% लक्ष्य अनुपालन हासिल किया था। ।

अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला में तथा इसके आसपास स्थित 630 सरकारी स्कूलों में सेल लगभग 68,000 छात्रों को स्वस्थ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रही है।

- **शिक्षाः** शिक्षा के माध्यम से समाज को विकसित करने के लिए सेल 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने इस्पात टाउनशिप के अंदर और बाहर 77 से अधिक स्कूलों की सहायता कर रही है। बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए विशेष विद्यालय (कल्याण विद्यालय), एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों पर निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी, जूते, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ मामलों में परिवहन आदि सीएसआर के तहत चल रही हैं।
- **हेल्थकेयरः** सेल के व्यापक और विशेषज्ञ चिकित्सीय ढांचे ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान लगभग 3,43,000 ग्रामीणों को बुनियादी और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान की । वर्ष 2017–18 के दौरान 4100 से अधिक स्वास्थ्य शिविर और एम्बुलेंस / एमएमयू ने 1,20,000 से अधिक ग्रामीणों को घर के नजदीक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, प्रयोगशाला जांच, दवा, टीकाकरण जैसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं।
- सड़कों के निर्माण और मरम्मत के जरिए 450 गांवों में 79 लाख से अधिक लोगों को सेल द्वारा मुख्यधारा से जोड़ा गया है। पिछले पांच वर्षों में 8100 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं जिससे दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले लगभग 50 लाख लोगों को पीने का पानी सुलभ हुआ है ।
- सेल अपने टाउनशिप में पार्क, जल निकायों और वनस्पति उद्यान का रखरखाव कर रही है और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर 3 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं तथा उनका रखरखाव भी किया जा रहा है।
- **व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास** वर्ष 2017–18 में 601 गांव के युवाओं और 1468 महिलाओं को मुख्यधारा में जुड़ने के लिए सशक्त बनाने हेतु औद्योगिक और कृषि तकनीकों, सॉफ्ट कौशल, हथकरघाओं में व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। विभिन्न आईटीआई में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए करीब 845 ग्रामीण युवाओं को प्रायोजित किया गया है।
- **खेल, कला और संस्कृतिः** विभिन्न खेल कोचिंग और आयोजन जैसे भिलाई में सेल खेल मेला, समवर्धन, फुटबॉल और कबड्डी के ग्रामीण खेल, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में, पश्चिम सिंहभूम में तीरंदाजी चैंपियनशिप, खो–खो और महिला क्रिकेट कोचिंग्स तथा मैच, झारखंड और क्योंझर, ओडिशा में लगभग 10,000 ग्रामीण युवाओं ने भागीदारी की। भिलाई और ग्रामीण लोकोत्सव में थानोड और दुर्ग के अहेरी गांवों में आयोजित लोक कला महोत्सव में 2,300 लोक कलाकार, छात्रों और दर्शकों ने भाग लिया।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 शब्दों या ज्यादा में बताएं।**

सेल संयंत्र/इकाइयों ने हमेशा अपने संबंधित क्षेत्रों में अनौपचारिक हितधारक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। यह कवायद उनकी उन जरूरतों को पहचानने और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में सहायता करता है जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए बहु–हितधारकों के साथ समय–समय पर औपचारिक और अनौपचारिक मोड स्थापित किए गए हैं। परिधीय गांवों के लिए, आम तौर पर गांव के सरपंच/पंच या गांव के प्रतिनिधियों को अनौपचारिक तरीके से परिधीय विकास गतिविधियों के संबंध में आवश्यकतानुसार संवाद आयोजित किया जाता है। पंचायत, जिला और राज्य प्राधिकरणों और विभिन्न हितधारकों जैसे स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने के लिए संयंत्रों/इकाइयों में एक अच्छी तरह से संरचित संगठनात्मक तंत्र स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रक्रियाओं के सुधार/अपडेट शामिल किए गए हैं ताकि समुदाय के बीच स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो सके और सामाजिक हस्तक्षेप को यह अक्षरशः अपना सके।

सिद्धांत 9ः व्यवसाय को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से बनाए रखना चाहिए और उन्हें अहमियत देनी चाहिए

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?**

वित्तीय वर्ष 2017–18 की शुरुआत में कंपनी के साथ कोई गुणवत्ता शिकायत लंबित नहीं थी। वर्ष के दौरान विभिन्न ग्राहकों से कुल 1,146 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को वर्ष के भीतर संतोषजनक ढंग से सुलझाया गया था और वर्ष के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

प्रत्येक आपूर्ति के साथ ग्राहकों को सेल विस्तृत परीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करता है। उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए लेबल पर पैकेट / कॉइल / हीट नंबर, आकार, गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। ब्रांडेड उत्पादों के मामले में, उत्पाद ब्रांड भी प्रदर्शित होता है। इसके अलावा, यदि ग्राहक की कोई अतिरिक्त आवश्यकता है तो लेबल पर इसे शामिल करने का प्रयास किया जाता है।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण उपलब्ध कराएं।**

वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है।

4. **क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि के रुझान प्राप्त किए हैं?**

हां, प्रमुख मदों के लिए ग्राहक संतुष्टि को ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) के रूप में मापा जाता है जिससे उत्पाद गुणवत्ता, सेवा और मूल्य से संबंधित पैरामीटर पर पहचाने गए प्रमुख ग्राहकों से एकत्रित प्रतिक्रिया के आधार पर हर महीने गणना की जाती है। मुख्य ग्राहकों को शाखा स्तर के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है और सूची वार्षिक आधार पर अद्यतन की जाती है।

समेकित तुलन–पत्र

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**57169.57**	48776.83
(ख) पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	5	**18395.43**	23275.39
(ग) निवेश संपत्ति	6	**0.83**	0.86
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	7	**1455.03**	1522.58
(ड.) इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश		**2555.01**	2410.41
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	**73.85**	65.05
(ii) व्यापार प्राप्तियां	9	–	–
(iii) ऋण	10	**451.46**	453.52
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	**162.64**	257.68
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	**4161.98**	3848.75
(ज) (निवल) वर्तमान कर	13	**190.39**	235.81
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	14	**1060.10**	1080.12
		85676.29	81927.00
चालू परिसंपत्तियां			
(क) माल सूचियां	15	**17024.30**	15736.09
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	16	**3870.99**	2934.69
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	**94.00**	140.64
(iii) अन्य बैंक शेष	17 (ii)	**251.55**	238.19
(iv) ऋण	18	**63.92**	72.73
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	**2787.64**	2268.18
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	**5639.78**	4285.78
		29732.18	25676.30
बिक्री के लिए वर्गीकृत	21	**32.50**	11.94
कुल परिसंपत्तियां		**115440.97**	107615.24
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**32816.12**	32911.73
(ग) गैर–नियंत्रित ब्याज		**0.01**	0.01
		36946.66	37042.27
देयताएं			
गैर चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	24	**29777.16**	19087.48
(ii) व्यापार देय	25	**6.38**	7.36
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	**1179.36**	1365.93
(ख) प्रावधान	27	**3974.42**	3596.40
(ग) अन्य गैर–मौजूदा देनदारियां	28	**138.33**	151.29
		35075.65	24208.46
चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	29	**12244.32**	19813.04
(ii) व्यापार देय	30	**7526.64**	5218.41
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	31	**14190.32**	12781.96
(ख) अन्य चालू देनदारियां	32	**7144.75**	5609.56
(ग) प्रावधान	33	**2312.63**	2924.87
(घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	34	–	16.67
		43418.66	46364.51
कुल इक्विटी और देनदारियां		**115440.97**	107615.24
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		

साथ के नोट, इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 03256818

हस्ता./–
(पी. के. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझीदार
एम. नं. 050773

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(टी. एन. घोष)
साझीदार
एम. नं. 050644

कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझीदार
एम. नं. 087085

कृते ए. के. साबत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए. के. साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से राजस्व	35	**58966.16**	49828.95
अन्य आय	36	**415.19**	449.48
कुल आय		**59381.35**	50278.43
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	37	**26737.90**	21161.45
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगति पर काम	38	**1138.82**	117.34
उत्पाद शुल्क		**1406.14**	5327.18
कर्मचारी लाभ व्यय	39	**8865.87**	8963.78
वित्तीय व्यय	40	**2822.75**	2527.82
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**3065.97**	2681.62
अन्य व्यय	41	**16181.82**	14192.11
कुल व्यय		**60219.27**	54971.30
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ/(हानि), इक्विटी विधि और कर		**(837.92)**	(4692.87)
का उपयोग करने के लिए निवेश के शुद्ध मुनाफे का हिस्सा		**284.86**	193.92
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि)		**(553.06)**	(4498.95)
कमः असाधारण मदें	41क	**(26.43)**	216.74
कर से पहले लाभ / (हानि)		**(526.63)**	(4715.69)
कर व्यय			
वर्तमान कर		**7.06**	30.64
आस्थगित कर		**(287.90)**	(2005.30)
पहले के वर्षों में		**35.61**	15.14
कुल कर व्यय		**(245.23)**	(1959.52)
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**(281.40)**	(2756.17)
अन्य व्यापक आमदनी			
क (i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		**275.32**	(546.07)
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि		**8.79**	3.02
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		**(97.80)**	188.78
ख (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे			
इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के ओसीआई का हिस्सा		**0.49**	0.52
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे या नुकसान		–	–
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (हानि)		**186.80**	(353.75)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय / (हानि)		**(94.60)**	(3109.92)
मालिकों के लिए लाभ			
मूल के स्वामी के लिए		**(281.40)**	(2756.17)
अनियंत्रित ब्याज		–	–
		(281.40)	(2756.17)
साल के लिए कुल व्यापक आय			
मूल के स्वामी		**(94.60)**	(3109.92)
अनियंत्रित ब्याज		–	.
		(94.60)	(3109.92)
प्रति इक्विटी शेयर कमाई			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 / – प्रत्येक)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर बेसिक और तनुकृत कमाई (₹)		**(0.68)**	(6.67)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 3

साथ में लगी टिप्पणियां इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 03256818

हस्ता./–
(पी. के. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझीदार
एम. नं. 050773

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(टी. एन. घोष)
साझीदार
एम. नं. 050644

कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझीदार
एम. नं. 087085

कृते ए. के. साबत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए. के. साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल, 2017 को शेष
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.39	0.02	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.14	(0.02)	0.12
	1 अप्रैल, 2017 को शेष	**इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**1 अप्रैल, 2018 को शेष**
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4,130.41	–	4,130.41
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.12	–	0.12

ख. अन्य इक्विटी (₹ करोड़)

	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय – रिजर्व				
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	सामान्य रिजर्व	बांड रिडम्पशन रिजर्व	रिटेंड आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख	इक्विटी विधि के रूप में निवेश लेखांकन	कुल अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रक ब्याज	योग
1 अप्रैल, 2016 को शेष	**503.58**	**235.10**	**5,100.72**	**1,449.96**	**28,680.91**	**(0.22)**	**50.84**	**36,020.89**	–	**36,020.89**
(नुकसान) वर्ष के लिए	–	–	–	–	(2,756.17)	–	–	(2,756.17)	–	(2,756.17)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	(357.29)	3.02	0.54	(353.74)	–	(353.74)
लाभ / (हानि)	–	–	–	–	**(3,113.46)**	**3.02**	**0.54**	**(3,109.91)**	–	**(3,109.91)**
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व से स्थानांतरण	–	–	–	(84.09)	84.09	–		–	–	–
बांड रिडेम्शन रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	607.77	(607.77)	–		–		–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण			2.04		(2.04)			–		–
संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त निवेश के कारण परिवर्तन	0.75	–	–	–	–	–	–	0.75	–	0.75
मालिकों के रूप में अपनी क्षमता में मालिकों के साथ लेनदेन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश पर कर	–	–	–	–		–	–	–		–
गैर–नियंत्रण ब्याज पर लेनदेन	–	–	–	–	(0.01)	–		(0.01)	0.01	–
31 मार्च, 2017 को शेष	**504.33**	**235.10**	**5,102.76**	**1,973.64**	**25,041.72**	**2.80**	**51.38**	**32,911.72**	**0.01**	**32,911.73**
1 अप्रैल, 2017 को शेष	**504.33**	**235.10**	**5,102.76**	**1,973.64**	**25,041.72**	**2.80**	**51.38**	**32,911.72**	**0.01**	**32,911.73**
(नुकसान) वर्ष के लिए	–	–	–	–	(281.40)	–	–	(281.40)	–	(281.40)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय लाभ / (हानि)	–	–	–	–	177.52	8.79	0.49	186.80	–	186.80
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय लाभ / (हानि)	–	–	–	–	**(103.88)**	**8.79**	**0.49**	**(94.60)**	–	**(94.60)**
बॉन्ड रिडेम्शन रिजर्व से स्थानांतरण	–	–	–	(239.75)	239.75	–		–	–	–
बंधन रिडेम्शन रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	–	606.80	(606.80)	–		–		–
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण			1.38		(1.38)			–		–
संयुक्त उद्यमों में अतिरिक्त निवेश के कारण परिवर्तन	6.59	–	–	–	–	–	–	6.59	–	6.59
मालिकों के रूप में अपनी क्षमता में मालिकों के साथ लेनदेन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश	–	–	–	–	(6.31)	–	–	(6.31)	–	(6.31)
लाभांश पर कर	–	–	–	–	(1.28)	–	–	(1.28)	–	(1.28)
गैर–नियंत्रण ब्याज के साथ लेनदेन	–	–	–	–	(0.01)	–	–	(0.01)	–	(0.01)
31 मार्च, 2018 को शेष	**510.92**	**235.10**	**5,104.14**	**2,340.69**	**24,561.81**	**11.59**	**51.87**	**32,816.11**	**0.01**	**32,816.12**

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 03256818

हस्ता./–
(पी. के. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझीदार
एम. नं. 050773

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302114ई
हस्ता./–
(टी. एन. घोष)
साझीदार
एम. नं. 050644

कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझीदार
एम. नं. 087085

कृते ए. के. साबत एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–
(ए. के. साबत)
साझीदार
एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पहले लाभ/(हानि)	**(526.63)**	(4715.69)
इसके लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**3065.97**	2681.62
अचल संपत्तियों के निपटान पर लाभ (शुद्ध)	**72.80**	48.17
ब्याज आय	**9.79**	4.85
लाभांश आय	**(1.85)**	(1.05)
वित्त लागत	**2822.75**	2527.82
गैर मौजूदा निवेश की बिक्री पर नुकसान/(लाभ)	–	(0.01)
संदिग्ध अग्रिम/प्राप्तियों के लिए खराब ऋण और प्रावधान	**85.42**	74.47
अन्य प्रावधान	**130.78**	73.20
संयुक्त उद्यमों से लाभ का अंश	**(284.86)**	(193.92)
निष्क्रिय खातों के शेष और अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन किया गया है	**(172.26)**	(97.62)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**5201.91**	401.84
संपत्ति और देनदारियों में बदलाव		
व्यापार प्राप्तियां	**(849.46)**	239.88
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां और अन्य संपत्तियां	**(1747.53)**	(439.41)
व्यापार भुगतान	**2307.25**	1235.40
अन्य वित्तीय देयताएं, अन्य देनदारियां और प्रावधान	**2813.91**	1810.70
मालसूची	**(1405.91)**	(1100.85)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	**6320.17**	2147.56
आयकर का भुगतान (शुद्ध)	**(137.05)**	12.54
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**6183.12**	2160.10
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूंजी कार्य–प्रगति सहित) और अप्रत्यक्ष संपत्ति की खरीद	**(6757.62)**	(5454.28)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से प्राप्त आय	**153.09**	27.53
वर्तमान और गैर–मौजूदा निवेश की खरीद	**126.65**	1.60
सावधि जमा में गति (शुद्ध)	**(13.36)**	(37.82)
प्राप्त ब्याज	**(9.79)**	(4.85)
प्राप्त लाभांश	**1.85**	1.05
निवेश की गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ख)	**(6499.18)**	(5466.77)
ग. वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**10689.68**	1591.77
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**(7568.72)**	4238.18
वित्त लागत का भुगतान	**(2851.54)**	(2527.82)
भुगतान किया गया लाभांश (कर सहित)	–	.
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**269.42**	3302.13
नकदी और नकद समतुल्यों में वृद्धि (क+ख+ग)	**(46.64)**	(4.54)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**140.64**	145.18
साल के अंत में नकद और नकद समतुल्य (नोट सं. 17(i))	**94.00**	140.64

भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में संशोधन के लिए संस्था को प्रकटीकरण देने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों शामिल हैं, जो कि प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक जमा और अंत शेष के बीच मिलान को शामिल करने की सलाह देते हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो चुका है और आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है। इस संशोधन के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई अन्य प्रभाव नहीं है।

(₹ करोड़)

			गैर–नकदी परिवर्तन		
	31.03.2017 को	**नगदी प्रवाह**	**उचित मूल्य परिवर्तन**	**मौजूदा/गैर–मौजूदा वर्गीकरण**	**31.03.2018 को**
उधार – गैर मौजूदा	19087.48	7417.97	–	(3271.71)	29777.16
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	2381.74	(2381.74)	–	3271.71	3271.71
उधार– मौजूदा	19813.04	(7568.72)	–	–	12244.32

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष रूप में तैयार किया गया है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक–7 में निर्धारित किया गया है, नकदी प्रवाह का विवरण।
संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी. के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*
	डीआईएनः 03256818	डीआईएनः 06398868

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते सिंघी एंड कंपनी	**कृते चैटर्जी एंड कंपनी**	**कृते वी. के. धींगरा एंड कंपनी**	**कृते ए. के. साबत एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*	*चार्टर्ड अकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई	फर्म पंजीकरण सं. 302114ई	फर्म पंजीकरण सं. 000250एन	फर्म पंजीकरण सं. 321012ई
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)	**(टी. एन. घोष)**	**(संजय जिंदल)**	**(ए. के. साबत)**
साझीदार	साझीदार	साझीदार	साझीदार
एम. नं. 050773	एम. नं. 050644	एम. नं. 087085	एम. नं. 030310

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

1. कॉर्पोरेट सूचना

संचालनों की प्रकृति

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ('सेल' या 'पितृ कंपनी'), एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम; जिसे इसके सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी ('समूह' के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित) के साथ, भारत सरकार द्वारा महारत्न का सम्मान प्रदान किया गया, प्राथमिक रूप से देश में इस्पात निर्माण व्यवसाय में लिप्त है।

इंड एएस के साथ अनुकूलता के बारे में सामान्य सूचना और विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया जैसा कि कम्पनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय 'एमसीए' द्वारा) के साथ अंकित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित है। समूह ने लेखा–जोखा नीतियों को प्रस्तुत किये गए अवधियों के दौरान समान रूप से लागू किया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को 30 मई, 2018 को निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत और अनुमोदित किया गया।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

ए) कुल मिलाकर ध्यान

समेकित वित्तीय विवरणों को नीचे संक्षिप्त में दिए गए महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और आकलन आधारों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। इनका प्रयोग प्रस्तुत किये गए अवधियों के दौरान समान रूप से किया गया।

तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित के अतिरिक्त ऐतिहासिक लागत के आधार के अंतर्गत, जारी चिंताओं के आधार पर तैयार किया गया है:

- कुछ वित्तीय संपत्ति और दायित्व जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य समावेशी आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत हैं;
- गुजारे योग्य राशि से नीचे या उचित मूल्य से कम के लागत पर बिक्री के लिए धारण की गयी संपत्ति;
- परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना संपत्ति; और

सुदृढ़ीकरण का आधार

सहयोगी कम्पनियाँ

सभी सहयोगी कंपनियाँ स्वतंत्र हस्तियाँ होती हैं (संरचनात्मक हस्तियों सहित) जिनके ऊपर समूह का नियंत्रण होता है। समूह एक हस्ती को तब नियंत्रित करता है, जब समूह हस्ती के साथ अपनी संलिप्तता से प्राप्त परिवर्तनीय लाभों को प्रदर्शित करता है या इनके पास इन्हें पाने का अधिकार होता है और स्वतंत्र हस्ती की सम्बंधित गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपने अधिकार के माध्यम से उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। सहयोगी कंपनियों को उस तिथि से पूरी तरह से सुदृढ़ीकृत किया जाता है, जिस तिथि पर समूह को नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। जब उनको असुदृढ़ीकृत किया जाता है, उन तिथि से उन पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। उस अवधि के दौरान, सहयोगी कंपनियों को अर्जित या निस्तारित लाभ/हानि और अन्य समावेशी आय ('ओसीआई') के अधिग्रहण की प्रभावकारी तिथि से या निस्तारण की प्रभावकारी तिथि तक मान्यता प्रदान किया जाता है। सभी समेकित सहयोगी कंपनियों में 31 मार्च, 2018 की एक जैसी प्रतिवेदन की तिथि होती है।

समूह पितृ और इसके सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संपत्तियों, दायित्वों, इक्विटी, आय और व्ययों के विषय–वस्तुओं को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति दर पंक्ति के आधार पर सुदृढ़ करता है। समूह की कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेनदेनों, अधिशेषों और लेनदेनों पर प्राप्त अकार्यान्वित लाभों को हटाया जाता है। अकार्यान्वित हानियों को भी तब तक नहीं हटाया जाता, जब तक कि वित्तीय लेनदेन में स्थानांतरित संपत्ति की क्षति का एक साक्ष्य उपलब्ध ना हो। सहयोगी कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह द्वारा अपनाये गए नीतियों के साथ तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तित किया जाता है, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो।

इक्विटी के एक भाग के रूप में प्रस्तुत गैर–नियंत्रण वाले ब्याज सहयोगी कम्पनी के लाभ व हानि और शुद्ध संपत्तियों के विवरण के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे समूह द्वारा धारण नहीं किया जाता। लाभ/(हानि) और ओसीआई का प्रत्येक घटक पितृ कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर–नियंत्रण वाले ब्याजों के लिए उत्तरदायी होता है, चाहे इसके कारण गैर–नियंत्रण वाले ब्याजों के अधिशेष में घाटा ही क्यूँ ना हो जाये। यह समूह पितृ कंपनी के स्वामियों और उनके अपने स्वामित्व के अधिकारों पर आधारित गैर–नियंत्रण वाले अधिकारों के बीच सहयोगी कंपनियों के सम्पूर्ण समावेशी आय या हानि को ही उत्तरदायी मानता है।

यह समूह गैर–नियंत्रण वाले अधिकारों के साथ वित्तीय लेनदेन करता है जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण पर उस तरह की क्षति नहीं होती, जैसा कि समूह को इक्विटी के स्वामियों के साथ वित्तीय लेनदेन में होता है। स्वामित्व अधिकार में ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सहयोगी कंपनी में अपने सम्बंधित ब्याजों को परिलक्षित करने के लिए नियंत्रण वाले और गैर–नियंत्रण वाले ब्याजों की वहनीय राशि के बीच में एक समायोजन हो जाता है। गैर–नियंत्रण वाले ब्याजों और चुकाई गयी या प्राप्त की गयी किसी अनुग्रह राशि के समायोजन की राशि के बीच किसी अंतर को इक्विटी के अन्दर स्वीकार किया जाता है।

सहयोगी और संयुक्त उपक्रम

सहयोगी

इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, स्वतंत्र हस्तियों में निवेश जिनमें महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु ब्याज पर नियंत्रण नहीं होता, का लेखा–जोखा रखा जाता है, अर्थात् निवेश को अधिग्रहण के समय उत्पन्न होने वाले किसी साख/पूंजी कोष को पहचानते हुए लागत पर प्रारंभिक रूप से अभिलिखित किया जाता है जो निवेश में अन्तर्निहित होगा, जैसा भी प्रकरण हो। तत्पश्चात, निवेशी के शुद्ध संपत्तियों के शेयर में अधिग्रहण पश्चात परिवर्तन के लिए निवेश की वहनीय राशि को समूह के लेखांकन नीतियों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जहाँ भी आवश्यक हो। लाभ और हानि के समेकित विवरण में निवेशी के संचालनों से प्रभावित समूह का शेयर सम्मिलित है। सहयोगी उपक्रमों से प्राप्त लाभांशों या प्राप्य राशि को निवेश के वहनीय राशि में आई कमी के रूप में पहचाना जाता है। समूह और सहयोगियों के बीच हुए लेनदेन पर अकार्यान्वित लाभों को इन स्वतंत्र हस्तियों में समूह के हितों की सीमा तक हटाया जाता है।

संयुक्त उपक्रम

संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेशों को संयुक्त संचालनों या संयुक्त उपक्रमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त प्रबंध के विधिक संरचना के स्थान पर, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधकीय अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

- संयुक्त उपक्रम – संयुक्त उपक्रम में ब्याज का लेखा–जोखा आरंभ में लागत पर स्वीकार किये जाने के पश्चात इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। उसके पश्चात, निवेश की वहनीय राशि को समूह के लेखा–जोखा नीतियों के साथ सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए निवेशी के शुद्ध संपत्तियों के शेयर में अधिग्रहण के पश्चात हुए परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो। लाभ और हानि के समेकित विवरण में निवेशी के संचालनों के परिणामों में समूह का शेयर सम्मिलित है। संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त लाभांश या प्राप्यों को निवेश की वहनीय राशि में एक कमी के रूप में पहचाना जाता है। समूह और सहयोगियों के बीच हुए लेनदेन पर अकार्यान्वित लाभों को इन स्वतंत्र हस्तियों में समूह के अधिकार की सीमा तक हटाया जाता है।
- संयुक्त संचालन – समूह संपत्तियों, दायित्वों, राजस्व और संयुक्त संचालनों के खर्चों और संयुक्त रूप से धारण किये हुए या अर्जित संपत्तियों, दायित्वों, राजस्व और खर्चों के अपने शेयर पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार को पहचानता है। इनको उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया गया है।

जब एक इक्विटी–लेखांकित निवेश से हुई हानि में समूह का शेयर स्वतंत्र हस्ती; अन्य असुरक्षित लम्बी अवधि के प्राप्यों सहित, में अपने हितों के बराबर होता है या अधिक होता है तो समूह अतिरिक्त हानियों को तब तक मान्यता नहीं देता, जब तक यह अन्य स्वतंत्र हस्ती की ओर से दायित्वों को अपने ऊपर ना उठा ले या भुगतानों को ना चुका दे।

बी) व्यवसाय के संयोजन

समूह व्यवसायिक संयोजनों के लिए लेखांकन में अधिग्रहण की पद्धति का प्रयोग करता है। किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित अनुग्रह राशि की गणना समूह द्वारा जारी अधिग्रहण की तिथि, चुकाए गए देयताओं और इक्विटी के ब्याजों पर हस्तांतरित संपत्तियों के उचित मूल्यों की राशि के रूप में की जाती है जिसमें किसी आकस्मिक अनुग्रह राशि की व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी संपत्ति या देयता का उचित मूल्य सम्मिलित है। अधिग्रहण लागत को उठाई गयी हानि के रूप में व्यय किया जाता है।

किसी व्यवसायिक संयोजन में अधिग्रहित स्वीकार्य संपत्तियों, देनदारियों और कल्पित आकस्मिक देनदारियों का आकलन प्रारंभ में अधिग्रहण तिथि पर अपने उचित मूल्यों पर किया जाता है।

प्रारंभ में सद्भावना का आकलन अधिग्रहित शुद्ध स्वीकार्य संपत्तियों एवं कल्पित देनदारियों के ऊपर हस्तांतरित अनुग्रह राशि के समुच्चय एवं

गैर–नियंत्रण वाले ब्याजों के लिए चिन्हित राशि और रोके गए किसी पूर्व ब्याज से अधिक होने वाले लागत पर किया जाता है। यदि अधिग्रहित शुद्ध संपत्तियों का उचित मूल्य हस्तांतरित पूरी अनुग्रह राशि से अधिक होता है तो मोलभाव खरीद के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और इक्विटी में पूंजी संचय के रूप में संचित हो जाती है। फिर भी, यदि मोलभाव की खरीद का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होता तो स्वतंत्र हस्ती इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से लाभ को ओसीआई के माध्यम से उसे बिना बाहर निकाले पूंजी संचय के रूप में मान्यता देता है।

जहाँ पर नकद अनुग्रह राशि के किसी भाग के निपटान को स्थगित किया जाता है तो भविष्य में देय राशि पर उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार विनिमय तिथि के रूप में छूट प्रदान किया जाता है। प्रयुक्त छूट का दर, समूह का वृद्धि होने वाले उधारग्रहण दर होता है। यह वह दर होता है जिस पर तुलात्मक अवधि और शर्तों के अंतर्गत, एक स्वतंत्र वित्तपोषक से समतुल्य उधार प्राप्त किया जा सकता है।

आकस्मिक अनुग्रह राशि को इक्विटी या वित्तीय दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत उचित मूल्य में परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य के लिए वर्गीकृत राशि का वित्तीय दायित्व के रूप में बाद में फिर से मूल्यांकन किया जाता है।

सामान्य नियन्त्रण के अंतर्गत, स्वतंत्र हस्तियों या व्यवसायों को समाविष्ट करते हुए, व्यवसायिक संयोजनों को ब्याज पद्धति के एकीकरण के प्रयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। कुल मिलाकर स्वतंत्र हस्तियों के संपत्तियों और दायित्वों को उनके वहनीय राशियों में प्रतिविम्बित किया जाता है। लेखा–जोखा नीतियों के साथ सुसंगत करने के लिए, उचित मूल्यों को प्रतिविम्बित करने या किये गए परिवर्तनों के अतिरिक्त किसी भी नई संपत्तियों या दायित्वों को स्वीकार करने के लिए कोई भी समायोजन नहीं किया जाता है।

सी) वर्तमान बनाम निवर्तमान वर्गीकरण

समूह वर्तमान/ निवर्तमान वर्गीकरण पर आधारित बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों को प्रस्तुत करता है। किसी संपत्ति को वर्तमान के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब

- इसे सामान्य संचालन चक्र में रुपए में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित होता है या विक्रय या उपयोग किया जाना नियत होता है;
- इसे व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारण किया जाता है;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीनों के अन्दर रुपए में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित होता है;
- तब तक इसे नकद या नकद समतुल्य आदान–प्रदान किये जाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता या इसका उपयोग प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीनों के लिए किसी दायित्व को निपटाने के लिए किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों को अवर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी दायित्व को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबः

- इसे सामान्य संचालन चक्र में निपटाया जाना अपेक्षित होता है;
- इसे व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारण किया जाता है;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीनों के अन्दर निपटाया जाना तय होता है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीनों के लिए किसी दायित्व के निपटान को स्थगित करने के लिए कोई बिना शर्त अधिकार नहीं होता।

सभी अन्य दायित्वों को अवर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संचालनीय चक्र प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण और नकद एवं नकद समतुल्य में परिवर्तित करने के बीच का समय होता है। स्थगित कर संपत्तियों और दायित्वों को अवर्तमान संपत्तियों और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1 क्रियात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय मुद्रा (रुपए) में प्रस्तुत किया गया है जो कि समूह का क्रियात्मक मुद्रा है। ₹ में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को निकटतम दो दशमलवों तक परिष्कृत रूप दिया गया है, जब तक अन्यथा व्यक्त नहीं किया गया हो।

2.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णय का उपयोग

समूह के लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन को अनुमान और पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों, सूचित अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं खर्चों और वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों की तिथि पर, संपत्तियों और दायित्वों की अप्रत्यक्ष राशि और आकस्मिक दायित्वों के खुलासे को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से पृथक हो सकता है। ऐसे अनुमानों के लिए किसी संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिसमें वह निर्धारित होता है।

3. महत्त्पूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और मूल्यांकन

मूर्त संपत्ति

वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या/और आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए धारण की गयी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उल्लेख बैलेंस शीट में लागत में से बाद में संचित अवमूल्यन एवं क्षीण हानियों को घटाकर किया गया है। अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समतुल्य नकद मूल्य पर आरंभिक लागत में आयात शुल्क और अप्रत्यार्पणीय क्रय करों सहित, इनके क्रय मूल्य, संपत्तियों को इनकी क्रियाशील स्थिति और स्थल तक लाने के किसी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित किये जाने योग्य मूल्यों और इनके अपेक्षित उपयोग के लिए अनिवार्य प्रतिबंधित लागत सम्मिलित हैं। संयंत्र और मशीनरी में वित्त पट्टे के अंतर्गत रखी गयी संपत्तियाँ भी सम्मिलित हैं।

स्व–निर्मित संपत्तियों के प्रकरण में, लागत में सम्मिलित है, परीक्षण में संचालित व्यय (शुद्ध राजस्व) सहित, निर्माण में प्रयुक्त सभी पदार्थो के लागत, प्रत्यक्ष श्रमदान, अतिरिक्त व्यय का आवंटन, प्रत्यक्ष रूप से आरोपित किये जाने योग्य ऋण के लागत।

पुर्जो को; जिनका उपयोगी जीवनकाल एक वर्ष से अधिक होता है और जिनका मूल्य प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 लाख या अधिक है, सम्बंधित खर्चों के अंतर्गत पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, जब भी उपयोग के लिए उपलब्ध हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निस्तारण पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ और हानि के विस्तृत विवरण में स्वीकार किया जाता है।

3.1.2 परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को संपत्ति की वहनीय राशि के रूप में या फिर एक पृथक संपत्ति के रूप में केवल तभी मान्यता प्रदान किया जाता है, जैसा भी उपयुक्त हो, जब यह संभावित हो कि वहन किये गए लागत से उत्पन्न भविष्य के आर्थिक लाभ समूह के पक्ष में जायेगा और वस्तु के लागत का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा। प्रतिस्थापित वस्तु (ओं) की वहनीय राशि की मान्यता को रद्द किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के ₹ 50 लाख या अधिक के किसी मरम्मत को वस्तु की वहनीय राशि में स्वीकार किया जाता है, बशर्ते यह संभावित हो कि वहन किये गए लागत से उत्पन्न भविष्य के आर्थिक लाभ समूह के पक्ष में जायेगा। बदली गयी वस्तु (ओं) की वहनीय राशि की मान्यता को रद्द किया गया है।

3.1.3 अवमूल्यन

वास्तविक संपत्ति और निवेश वाली संपत्ति पर अवमूल्यन संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर संपत्ति की लागत के 5% के अवशेष मूल्य पर विचार करते हुए सीधी पंक्ति वाली पद्धति पर प्रदान किया जाता है, जैसा कि कारखाने के भवन, संयंत्र, मशीनरी, जल आपूर्ति एवं मल निकास, रेलवे लाइन्स एवं साइडिंग्स और उनके घटकों के प्रकरण के अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II में निर्दिष्ट है, जहाँ पर उपयोगी जीवनकाल को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कल्पित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः

संपत्ति की श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)
कारखाने के भवन	35 से 40 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी	10 से 40 वर्ष
जल आपूर्ति और मल निकास प्रणाली	25 से 40 वर्ष
रेलवे लाइन्स और साइडिंग्स	35 से 40 वर्ष

बाह्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संपन्न तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के इन श्रेणियों के लिए समूह को विश्वास है कि उपरोक्त के अनुसार, उपयोगी जीवनकाल उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस अवधि में समूह इन परिसंपत्तियों को उपयोग करने की अपेक्षा रखता है। इसलिए, इन संपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत, निर्धारित उपयोगी जीवनकालों से पृथक होता है।

अवमूल्यन योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में सम्भावना के आधार पर लेखा–जोखा के अनुमान में किसी प्रकार के परिवर्तनों से प्रभावित होती है।

जहाँ पर अवमूल्यन योग्य किसी परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत एक परिवर्तन से गुजरता है, संशोधित अपरिशोधित अवमूल्यन योग्य राशि पर

अवमूल्यन, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल के ऊपर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान, संयोजन/उच्छेद पर अवमूल्यन, संयोजन/उच्छेद के माह के सन्दर्भ में समानुपात के आधार पर प्रदान किया जाता है। ₹ 5000/– तक के मूल्य वाले परिसंपत्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें इनको उपयोग के लिए रखा जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सीईआरसी शुल्क नियमन द्वारा अधिसूचित दरों और प्रणाली का पालन करते हुए सीधी पंक्ति की पद्धति के अनुसार, भिलाई में स्थित भिलाई विस्तार विद्युत् परियोजना (पीपी–II) पर अवमूल्यन प्रदान किया जाता है।

उत्कृष्ट पुर्जों पर अवमूल्यन पुनर्मूल्यांकन के आधार पर पुर्जे के उपयोगी जीवनकाल या मातृ संपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल के ऊपर प्रदान किया जाता है जो भी कम हो।

3.2 अमूर्त संपत्ति

3.2.1 मान्यता और मूल्यांकन

उत्खनन अधिकार

उत्खनन अधिकारों के साथ अमूर्त संपत्तियों के रूप में बर्ताव किया जाता है और सम्पूर्ण अनुमानित खनन योग्य भंडारों के लिए उनसे सम्बंधित सभी लागतों का परिशोधन वार्षिक उत्पादन के आधार पर किया जाता है। यदि उत्खनन अधिकारों को नवीनीकृत नहीं किया जाता तो गैर–नवीनीकरण के निर्णय वर्ष में राजस्व पर अधिशेष सम्बंधित लागत आरोपित किया जायेगा।

अनिवार्य वानिकी निकासियों के भुगतान; जैसे और जब भी वहन किया जाये, का पता लगाने के लिए अधिग्रहण लागत, अर्थात लाइसेंसों के अधिग्रहण से जुड़ी लागत और सम्बंधित व्यवसायिक शुल्कों सहित का उपचार उत्खनन अधिकारों में संयोजन के रूप में किया जाता है।

अन्य अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर जो सम्बंधित हार्डवेयर का एक समग्र भाग नहीं है, का प्रयोग अमूर्त संपत्ति के रूप में किया जाता है और इसका परिशोधन पाँच वर्षों या इसके लाइसेंस की अवधि के दौरान किया जाता है, जो भी कम हो।

शोध और विकास

विकास व्यय का केवल तभी लाभ उठाया जाता है, जब इसका मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से हो और सम्बंधित संपत्ति एवं प्रक्रिया मान्यता दिए जाने योग्य हो और समूह द्वारा नियंत्रित किया जाये। शोध और विकास के अन्य व्यय को राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे और जब भी वहन किया जाये।

3.2.2 परवर्ती लागत

परवर्ती लागत का केवल तब लाभ उठाया जाता है, जब यह किसी विशिष्ट संपत्ति में सम्मिलित भविष्य के आर्थिक लाभों में वृद्धि करता हो जिससे यह सम्बंधित होता है। अन्य सभी खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

3.3 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

समूह एक सम्पूर्ण संयंत्र के परिसंपत्तियों को नकद उत्पन्न करने वाले इकाई (सीजीयू) के रूप में समझकर संकेतकों की क्षति; यदि कोई हो, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि पर इसकी परिसंपत्तियों के वहनीय राशि की समीक्षा करता है। यदि ऐसा कोई संकेत अस्तित्व में होता है, तो परिसंपत्तियों की वसूली जाने वाली राशि का अनुमान शुद्ध विक्रय मूल्य से अधिक और उपयोग के महत्त्व के रूप में स्वीकार किया है। किसी क्षति को तब स्वीकार किया जाता है, जब भी किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसके प्रत्यार्पणीय राशि से अधिक होता है।

जहाँ पर क्षति में हुई कोई कमी बाद में पलट जाती है, परिसंपत्ति की वहनीय राशि (नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) में इसके प्रत्यार्पणीय राशि के संशोधित अनुमान तक वृद्धि हो जाती है, ताकि बढ़ी हुई वहनीय राशि, उस वहनीय राशि से अधिक ना हो सके जिसे निर्धारित कर लिया गया होगा। पूर्व के वर्षों में, परिसंपत्ति (नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) के लिए क्षति में किसी भी कमी को स्वीकार नहीं किया गया था। क्षति में हुई कमी के परिवर्तन को लाभ एवं हानि के विवरण में तुरंत ही स्वीकार किया जाता है।

3.4 स्ट्रिपिंग लागत

सतह खदानों के उत्पादन चरण के दौरान, स्ट्रिपिंग लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, यदि ऐसी लागत भावी अवधियों में अयस्क तक बेहतर पहुँच बनाने के परिपेक्ष्य में कोई लाभ प्रदान करता है और निम्नलिखित मापदंडों को पूरा किया जाता है:

- यह सम्भावना है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भावी आर्थिक लाभ (किसी अयस्क के खदान तक बेहतर पहुँच) स्वतंत्र अस्तित्व के पक्ष में जायेगा;
- निकाय किसी अयस्क खदान के घटक को पहचान सकता है जिसके लिए पहुँच को बेहतर बनाया गया है; और
- उस घटक तक बेहतर पहुँच बनाने से सम्बंधित लागत का आकलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।

वह व्यय, जिसे विशिष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता, अयस्क तक पहुँच बनाने में किया जाता है, उसे कोयले के खदानों के अतिरिक्त, खदानों के लिए 5 वर्षों के खनन योजना के अनुसार, स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर राजस्व के लिए आरोपित किया जाता है जो कि परियोजना के आख्या पर आधारित होता है।

3.5 उधार ग्रहण की लागत

उधार ग्रहण की लागत पात्रता वाले उस परिसंपत्ति; जो बहुत अधिक समय लेता है, के अधिग्रहण या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है जिसे एक निश्चित अवधि के दौरान, उस परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में पूंजी में परिवर्तित किया जाता है जो इसके अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होता है।

समूह बारह महीने या अधिक की अवधि को पर्याप्त समयावधि के रूप में मानता है।

लम्बी अवधि के उधार ग्रहण के परिपेक्ष्य में , लेन–देन की लागत को प्रभावशाली ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए सम्बंधित ऋणों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। अन्य उधार ग्रहण की लागत को उस अवधि के लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है जिसमें इनको वहन किया जाता है।

3.6 माल की सूची

कच्चा माल, गोदाम, पुर्जे और परिष्कृत/अर्द्ध–परिष्कृत उत्पादों (प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कतरनों सहित) का आकलन लागत से कम और सम्बन्धित संयंत्रों/इकाइयों के वस्तुओं के शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य पर किया जाता है। चिन्हित अप्रचलित/ अतिरिक्त/ गैर–प्रवर्तक वस्तुओं के प्रकरण में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व पर लगाया जाता है। अर्द्ध–परिष्कृत विशेष उत्पादों के शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य जिनमें केवल परिष्कृत चरण में कार्यान्वित होने योग्य मूल्य होता है, का अनुमान लागत के साथ तुलना करने के उद्देश्य से लगाया जाता है।

अवशेष उत्पादों और अन्य कतरनों का आकलन अनुमानित शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निर्धारण करने वाले लागत का आधार है:

कच्चा माल – नियतकालिक भारयुक्त औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारयुक्त औसत लागत

गोदाम और पुर्जे – गतिशील भारयुक्त औसत लागत

पारगमन के लिए माल – लागत पर

परिष्कृत/ अर्द्ध–परिष्कृत उत्पाद – माल की लागत और श्रम का उपयुक्त अंश, सम्बंधित खर्चे और शुल्क।

3.7 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब स्वीकार किया जाता है, जब उचित आश्वासन हो कि कंपनी उससे जुड़े शर्तों का अनुपालन करेगा और अनुदानों को स्वीकार किया जायेगा।

सरकारी अनुदानों को उस अवधियों में एक व्यवस्थित आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है जिसमें कंपनी सम्बंधित लागतों को व्ययों के रूप में स्वीकार करता है जिसके लिए अनुदानों की क्षतिपूर्ति करना अपेक्षित होता है। जहाँ पर अनुदान का सम्बन्ध किसी परिसंपत्ति के मूल्य से होता है, वहाँ पर इसे स्थगित आय के रूप में स्वीकार किया जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को खर्चों के समवर्ती लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है जिसके लिए ऐसे अनुदानों को सम्मिलित करना अपेक्षित होता है।

जहाँ पर कंपनी गैर–आर्थिक अनुदान प्राप्त करता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित राशि में सकल रूप में अभिलिखित किया जाता है और अन्तर्निहित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल और लाभ के खपत के तरीके पर आय के विवरण के लिए अवमुक्त किया जाता है।

3.8 विदेशी मुद्रा का लेन–देन

विदेशी मुद्रा के लेन–देन को लेन–देनों की तिथि पर प्रभावी विनिमय दरों का प्रयोग करके समूह के क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में नामांकित आर्थिक मदों के निपटान और पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न विदेश विनिमय के लाभों और हानियों को उस अवधि के अंत में विनिमय दरों पर लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

31 मार्च, 2009 (जैसा कि 29 दिसम्बर, 2011 को संधोधित) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानक–11 से सम्बंधित कम्पनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 के अनुरूप, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों के सूचना से उत्पन्न विनिमय के अंतरों का लेखा–जोखा करने के लिए समूह ने विकल्प लिया है जो 31 मार्च, 2016 के अनुसार, पूर्व में विद्यमान सभी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों के लिए इंड–एएस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तद्नुसार, जहाँ तक उनका सम्बन्ध अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से है, दीर्घकालिक आर्थिक मदों से सम्बंधित विनिमय के अंतरों

(प्रगतिशील विनिमय अनुबंधों से उत्पन्न अंतरों सहित) को ऐसे परिसंपत्तियों के वहनीय राशि में समायोजित किया जाता है।

गैर–आर्थिक मदों को अवधि के अंत में पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता और इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर मूल्यांकित गैर–आर्थिक मदों के अतिरिक्त, ऐतिहासिक लागत (लेनदेन तिथि पर विनिमय दरों का प्रयोग करके परिवर्तित) पर किया जाता है जिसे विनिमय दरों का प्रयोग करके उस तिथि पर परिवर्तित किया जाता है जब उचित मूल्य को निर्धारित किया गया था।

3.9 कर्मचारी के लाभ

परिभाषित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना वह योजना होती है जिसके अंतर्गत समूह एक पृथक निकाय में निर्धारित योगदान देता है। परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतानों को एक व्यय के रूप में तब स्वीकार किया जाता है जब कर्मचारीगण अंशदानों के लिए उनको अधिकृत करते हुए सेवा प्रदान करता है। भविष्यनिधि उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जब निधि में योगदान लंबित होते हैं।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना लाभ की वह राशि है जो एक कर्मचारी ऐसे लाभों से सम्बंधित सेवा की अवधि, अंतिम प्राप्त वेतन या प्रत्यक्ष लागतों के सन्दर्भ द्वारा सेवाओं के पूरा होने पर प्राप्त करता है। किसी भी लाभ के लिए विधिक दायित्व समूह के पास रहता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए स्वीकृत देनदारी, अस्वीकृत बीमांकिक लाभ या हानि और पूर्व सेवा के लागतों के समायोजनों के साथ–साथ, नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में से प्रतिवेदन तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य को घटाकर आता है। प्रबंधन प्रस्तावित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किये गए मूल्य निर्धारण के माध्यम से डीबीओ के मूल्य का वार्षिक रूप से अनुमान लगाता है। सम्बन्धी लाभ और हानि को वर्ष के लाभ और हानि या अन्य समावेशी आय के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

बीमांकिक सम्बंधित लाभ और हानि सहित, पुनर्मूल्यांकन, परिसंपत्ति की सीलिंग (यदि प्रयोजनीय हो) में परिवर्तनों के प्रभाव और नियोजित परिसंपत्तियों पर लाभ (ब्याज के अतिरिक्त) उस अवधि के अन्य समावेशी आय में स्वीकृत किसी शुल्क या ऋण के साथ, बैलेंस शीट में परिलक्षित होता है। अन्य समावेशी आय में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन रोके गए आय में तुरंत ही दर्शाया जाता है और जिसे लाभ एवं हानि के विवरण के लिए फिर से वर्गीकृत नहीं किया जायेगा।

कर्मचारी के अल्पावधि लाभ

कर्मचारी के अल्पावधि लाभों में कर्मचारी के खर्चे सम्मिलित हैं, जैसे कि वेतन, बोनस, क्षतिपूर्ति, वार्षिक अवकाश और अस्वस्थता अवकाश जिसे वर्ष में संचित किया जाता है जिसमें समूह के कर्मचारियों द्वारा सहयोगी सेवाएँ प्रदान की जाती है।

कर्मचारी के अल्पावधि लाभों के सम्बन्ध में स्वीकृत देनदारियों का मूल्यांकन लाभों के बिना किसी छूट वाली राशि पर किया जाता है जिसे सम्बन्धित सेवाओं के विनिमय में भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किये गए व्यय को तुरंत ही लाभ एवं हानि के विवरण पर दर्शाया जाता है।

3.10 राजस्व की पहचान

राजस्व का आकलन प्राप्त या प्राप्य के उचित मूल्य पर किया जाता है।

माल का विक्रय

विक्रय में उत्पाद शुल्क (30 जून, 2017 तक) सम्मिलित होता है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू), कटौती और मूल्यों में छूट के बाद ही विक्रय शुद्ध होता है। क्रेताओं को माल भेजते समय ही विक्रय को मान्य किया जाता है, उन प्रकरणों सहित जिसमें क्रेताओं के पक्ष में सुपुर्दगी के प्रलेखों की पुष्टि कर ली जाती है। जहाँ पर अनुबंधित मूल्यों को सरकारी एजेंसियों के साथ अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहाँ पर विक्रय का लेखांकन तात्कालिक आधार पर किया जाता है।

समुद्री निर्यात विक्रय निम्नलिखित आधार पर मान्य होता है:

i) लदान बिल जारी करना, या

ii) लेकन अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों का मोलभाव उन प्रकरणों में होता है जिनमें बिना लदान वाले सामग्री के मूल्य की उगाही सम्बंधित अनुबंधों के साख–पत्रों में उपलब्ध कराया जाता है, जो भी पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन को प्राप्ति की निश्चितता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

तत्काल उपयोग योग्य/ विक्रय योग्य लौह अयस्क चूर्ण को माल सूची में सम्मिलित किया जाता है और राजस्व को निस्तारण पर मान्यता दिया जाता है।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज के आय को प्रभावशाली ब्याज पद्धति का प्रयोग करके संग्रहण के आधार पर सूचित किया जाता है। लाभांशों को तब मान्य किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.11 पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बंधित समायोजन

पूर्व अवधि से सम्बंधित आय/व्यय जो प्रत्येक प्रकरण में कारोबार के 0.5% से अधिक होता है, को चालू वर्ष आय/व्यय के रूप में देखा जाता है।

3.12 परिशोधित क्षति और मूल्य में उछाल के दावे

परिशोधित क्षतियों के दावों का लेखांकन तब किया जाता है, जब इन्हें पितृ कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है। इनका समायोजन पूंजी लागत में किया जाता है या लाभ व हानि के विवरण में इनको स्वीकृति दी जाती है, जैसा भी प्रकरण परिशोधित क्षतियों के अंतिम निपटान का हो।

आपूर्तिकर्ताओं और अनुबंधकर्ताओं के मूल्यों में उछाल के दावों का लेखांकन उस सीमा तक किया जाता है, जिसमें ऐसे दावों को पितृ कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाता है।

3.13 पट्टे

एक पट्टेदार के रूप में समूह

वित्त पट्टे

वित्त पट्टों, जिन्हें पट्टेदार को पट्टे पर दिए गए वस्तु के स्वामित्व के साथ संलग्न सभी खतरों और लाभों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावशाली रूप से स्थानांतरित किया जाता है, को उचित मूल्य से कम पर और पट्टे की अवधि के आरंभ में पट्टे के न्यूनतम भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पूंजी में परिवर्तित किया जाता है और पट्टे पर दिए गए परिसंपत्तियों के रूप में उद्घाटित किया जाता है। ऐसे पट्टों के अंतर्गत, पट्टे के भुगतानों का विभाजन वित्त शुल्कों और लाभ के अस्पष्ट दरों पर आधारित पट्टे की देनदारी में कमी के बीच होता है। वित्त शुल्कों को आय पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। पट्टा प्रबंधन शुल्कों, विधिक शुल्कों और अन्य आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पूंजी में परिवर्तित किया जाता है।

यदि कोई तर्कसंगत निश्चितता नहीं है कि समूह को पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त हो जाये, तो पट्टे पर लिए गए पूंजीकृत परिसंपत्तियों का अवमूल्यन, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से कम या पट्टे की अवधि पर होता है।

संचालित होने वाले पट्टे

पट्टों पर अर्जित परिसंपत्तियों को संचालित होने वाले पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहाँ पर खतरे के एक महत्त्वपूर्ण भाग और स्वामित्व के पुरस्कारों को पट्टाप्रदाता द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। पट्टे का किराया केवल उस स्थिति को छोड़कर प्रत्यक्ष आधार पर लाभ एवं हानि के विवरण में लगाया जाता है, जिसमें किराये में निर्धारित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति विषयक लागतों के लिए पट्टाप्रदाता की क्षतिपूर्ति करता है।

एक पट्टाप्रदाता के रूप में समूह

वित्त पट्टे

उन पट्टों का वर्गीकरण और लेखांकन वित्त पट्टे के रूप में किया जाता है जिनके स्वामित्व से सम्बंधित सभी खतरों और लाभों को पर्याप्त रूप से पट्टेदार को प्रभावशाली रूप से स्थानांतरित किया जाता है। पट्टा किराये के पावतियों को लाभ के स्पष्ट दर पर आधारित वित्त आय और पूंजी पुनर्भुगतान के बीच में विभाजित किया जाता है। आकस्मिक किरायों को उस अवधि में प्राप्त राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में उन्हें अर्जित किया जाता है।

प्रचालन पट्टे

उन पट्टों का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में किया जाता है जिसमें समूह किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी खतरों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता। पट्टे पर दिए गए सम्बंधित परिसंपत्तियों को उनके प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में सम्मिलित किया जाता है। किराये के आय को उस स्थिति के अतिरिक्त, पट्टा अवधि के ऊपर सीधी पंक्ति के आधार पर मान्यता प्रदान किया जाता है जब किराये में निर्धारित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति विषयक लागतों के लिए पट्टाप्रदाता की क्षतिपूर्ति करता है।

3.14 निवेश सम्पत्तियाँ

निवेश सम्पत्तियाँ वे होते हैं जिन्हें किराया प्राप्त करने और/या पूंजी में वृद्धि के लिए अर्जित किया जाता है। लेनदेन लागतों सहित, निवेश संपत्तियों का आकलन आरंभिक रूप से लागत पर होता है। आरंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश परिसंपत्तियों को लागत में से संचित अवमूल्यन और क्षति को घटाकर निश्चित किया जाता है। निवेश परिसंपत्ति के निस्तारण पर किसी लाभ या हानि का निर्धारण संपत्ति के शुद्ध निस्तारण लाभ और वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

3.15 विक्रय के लिए रखी गयी निवर्तमान परिसंपत्तियाँ

समूह किसी निवर्तमान परिसंपत्ति का वर्गीकरण विक्रय के लिए करता है, बशर्ते इसकी वहनीय राशि की वसूली मुख्य रूप से किसी विक्रय के लेनदेन के माध्यम से की जाये। इस शर्त को केवल तब पूरा किया हुआ माना जाता है, जब परिसंपत्ति अपने वर्तमान शर्त पर तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध होता है और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित होती है।

रुके हुए संचालनों सहित, विक्रय के लिए धारित श्रेणी में वर्गीकृत निवर्तमान संपत्तियों का मूल्यांकन वहनीय राशियों से कम और उचित मूल्य में लागत को घटाकर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से इनको प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो परिसंपत्तियां अवमूल्यन या परिशोधन के अधीन नहीं रहता।

विक्रय से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि अथवा रुके हुए संचालनों के पुनर्मूल्यांकन को लाभ एवं हानि के विवरण में एक रेखीय वस्तु के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.16 खदान का समापन

खदान समापन के प्रावधान में अवस्थापना का विनष्टीकरण एवं विध्वंस, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और खदानों के अशांत क्षेत्रों का पुनर्चिन्तन सम्मिलित है। यह प्रावधान सभी नियामक आवश्यकताओं और उत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित सम्बंधित अनुमानित लागत पर आधारित होता है। खदान समापन के लागत की व्यवस्था लेखांकन अवधि में की जाती है जब संचालन के जीवनकाल के दौरान और समापन के पश्चात बहाली के लिए आने वाले अनुमानित भावी लागतों के वर्तमान शुद्ध मूल्य के आधार पर देनदारी उत्पन्न होती है।

आरंभिक बंदी और बहाली प्रावधान को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के अंतर्गत, पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। जारी संचालनों के लिए, समापन और बहाली प्रावधानों में आगे की गतिविधियों को भी "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के अंतर्गत, पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, पूंजीकरण के लिए पात्रता वाले विस्तारों या अन्य गतिविधियों से सम्बंधित नए परेशानियो के कारण होने वाले संचालनों, नवीनीकृत लागत अनुमानों, संचालनों के अनुमानित जीवनकालों में परिवर्तनों, बंदी की गतिविधियों के समयकाल में परिवर्तनों और छूट के दरों में संशोधनों सहित। इन लागतों का अवमूल्यन उससे सम्बंधित परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर किया जाता है। बंद संचालनों से सम्बंधित समापन प्रावधानों में किसी भी परिवर्तन पर शुल्क लाभ एवं हानि के विवरण में लगाया/जमा किया जाता है। प्रावधानों को स्थापित करने में प्रयुक्त छूट का परिशोधन करने या "खोलने" पर वित्त लागत के रूप में शुल्क लगाया जाता है।

3.17 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब समूह के पास पूर्व की घटना के फलस्वरूप वर्तमान में देनदारी होती है और यह सम्भावना होती है कि देनदारी के निपटान के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी जिसके सम्बन्ध में एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य के लिए कम किया जा सकता है जहाँ पर धन का मूल्य महत्त्वपूर्ण होता है।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को एक तृतीय पक्ष से वसूल किया जाना अपेक्षित होता है, तब प्राप्य को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, बशर्ते वास्तविक रूप से यह निश्चित हो कि क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जायेगा और प्राप्य की राशि का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा।

आकस्मिक देनदारी विगत के घटनाओं से उत्पन्न होने वाली एक संभावित देनदारी होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं होती, के घटने या ना घटने से हो जाएगी या एक वर्तमान देनदारी जो विगत के घटनाओं से उत्पन्न होती है परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जाता क्यूंकि यह संभव नहीं है कि देनदारियों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के एक बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी या देनदारियों की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकेगा। समूह वित्तीय विवरणों के अन्य नोटों में आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का खुलासा करता है।

उन प्रकरणों में, जहाँ पर वर्तमान देनदारी के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित प्रवाह को असंभावित या दूरस्थ समझा जाता है, किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जाता या कोई खुलासा नहीं किया जाता।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ साधारणतः अनियोजित या अन्य अनापेक्षित घटनाओं से उत्पन्न होता है जो आर्थिक लाभों के किसी अंतर्प्रवाह की संभावना को जन्म देता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाता, हालाँकि उस स्थिति में खुलासा किया जाता है, जिसमें आर्थिक लाभों का एक अंतर्प्रवाह संभावित होता है।

3.18 आय कर

लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत कर व्यय में समाविष्ट है, स्थगित कर और चालू कर जो अन्य समावेशी आय (ओसीआई) या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता।

चालू आयकर का आकलन भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार, कर प्राधिकारियों को भुगतान किये जाने वाले अपेक्षित राशि पर होता है। लाभ एवं हानि के विवरण से बाहर स्वीकृत वस्तुओं से सम्बंधित चालू आयकर को ओसीआई या इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

देयता पद्धति का प्रयोग करके स्थगित आयकर की गणना की जाती है। स्थगित आयकर के देनदारियों को साधारणतः सभी आय योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्णता में स्वीकार किया जाता है। स्थगित कर वाले परिसंपत्तियों को उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह सम्भावना होती है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर श्रेय (मैट क्रेडिट स्वामित्व) या कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर को भावी कर योग्य आय के लिए उपयोग किया जायेगा। अस्वीकृत स्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर किया जाता है और उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभावना बन जाती है कि भावी कर योग्य लाभों के लिए स्थगित कर परिसंपत्ति को वसूले जाने की अनुमति मिलेगी।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कर के दरों पर किया जाता है जिसे वर्ष में लागू किया जाना अपेक्षित होता है, जब कर दरों (और कर नियमों); जिन पर प्रतिवेदन तिथि पर पर्याप्त रूप में कानून बना दिया गया है, के आधार पर परिसंपत्ति को बेच दिया जाता है या देनदारी को निपटाया जाता है। लाभ या हानि के विवरण के बाहर स्वीकृत वस्तुओं से सम्बंधित स्थगित कर को ओसीआई या इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

3.19 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्यों में समाविष्ट है, अन्य अल्पावधि अत्यधिक तरल निवेश (मूल परिपक्वता 3 माह से कम) के साथ, हाथ में नकदी और माँग जमा राशि जो ज्ञात नकद राशि में तुरंत ही परिवर्तनीय होता है और मूल्य में परिवर्तनों के एक नगण्य खतरे के अधीन रहता है।

3.20 खंड प्रतिवेदन

समूह में 8 संचालनीय/सूचना योग्य खंड होते हैं: पाँच इस्पात संयंत्रों और तीन यौगिक इस्पात संयंत्रों, जिसमें पृथक निर्माण इकाइयाँ हैं, को सूचना योग्य माना गया है। इन संचालनीय खण्डों को चिह्नित करने में प्रबंधन साधारणतः समूह के पृथक रूप से पहचाने जाने योग्य निर्माण संचालनों को मानता है जो अपने मुख्य संचालनों का प्रतिनिधित्व करता है।

इन प्रत्येक संचालनीय खण्डों को पृथक रूप से व्यवस्थित किया जाता है क्यूंकि इनमें से प्रत्येक को विभिन्न प्रोद्योगिकियों, कच्चा माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। सभी अंतर–खंड स्थानान्तरणों का निष्पादन एक समान माल या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रयों में असम्बद्ध ग्राहकों के लिए लगाये गए मूल्य पर आधारित पहुँच के अन्दर के मूल्यों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों; जो किसी संचालनीय खंड की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता, का आवंटन किसी एक खंड के लिए नहीं किया जाता। यह प्राथमिक रूप से समूह के प्रशासनिक मुख्यालय और उत्खनन संचालनों पर लागू होता है।

सूचित खंड के लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त आकलन पद्धतियों में पूर्व की अवधियों से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। खण्डों के बीच कोई भी विषम आवंटन लागू नहीं किया गया है।

3.21 इक्विटी और संरक्षण

शेयर पूंजी उन शेयरों के नाममात्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें जारी किया गया है। प्रतिभूतियों के किश्त (प्रीमियम) में सम्मिलित है, शेयर पूंजी के जारी होने पर प्राप्त कोई किश्त स

- परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मूल्यांकन में समाविष्ट है, जनसांख्यिकीय और वित्तीय अनुमानों में परिवर्तनों से बीमांकिक लाभ या हानि और नियोजित संपत्तियों पर लाभ।
- बांड रिडेम्पशन रिज़र्व
- अन्य समावेशी आय में प्रत्यक्ष रूप से अभिलिखित अन्य लेनदेन।
- बरक़रार रखे गए उपार्जनों में सम्मिलित है, सभी चालू और पूर्व की अवधि के बरक़रार रखे गए लाभ।

3.22 वित्तीय साधन

मान्यता, आरंभिक आकलन और गैर–मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान एवं आकलन आरंभिक रूप से लेनदेन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर किया जाता है, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के अतिरिक्त जिनको आरंभ में लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद के प्रवाह के लिए अनुबंधकीय अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी भारी खतरे और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक वित्तीय देयता को तब अमान्य कर दिया जाता है, जब इसे बुझाया जाता है, रद्द किया जाता है, निरस्त किया जाता है या समाप्त किया जाता है।

वर्गीकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का परवर्ती आकलन

परवर्ती आकलन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण आरंभिक पहचान पर निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य समावेशी आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल में उन परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर कम से कम क्षति के अधीन होता है।

परिशोधित लागत

एक परिशोधित परिसंपत्ति का आकलन परिशोधित दर पर प्रभावशाली ब्याज दरों का प्रयोग करके किया जाता है, यदि दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है:

ए) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधकीय नकद प्रवाहों को एकत्रित करने हेतु वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करना होता है; और

बी) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधकीय अवधि नकद प्रवाहों की निर्दिष्ट तिथियों पर बढ़ जाती है जो बकाया मुख्य राशि पर मुख्य राशि और ब्याज का एकमात्र भुगतान होता है।

समूह का नकद और नकद समतुल्य, व्यापार एवं अधिकतर अन्य प्राप्य वित्तीय साधनों की इस श्रेणी में पड़ता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल के वित्तीय संपत्तियों में सम्मिलित है, वित्तीय सम्पत्तियाँ जो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंड को या तो पूरा नहीं करता या वे इक्विटी उपकरण होते हैं जिन्हें व्यापार के लिए रखा जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करता है और जिन्हें आरंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में मनोनीत किया जाता है। सभी कृत्रिम वित्तीय उपकरण भी इस श्रेणी में पड़ते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों का आकलन लाभ एवं हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानि के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है। इस श्रेणीं में वित्तीय परिसम्पत्तियो का निर्धारण उचित मूल्यों को बाज़ार के सक्रिय लेनदेनों के सन्दर्भ द्वारा या एक मूल्य निर्धारण तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है जहाँ पर किसी सक्रिय बाज़ार का अस्तित्व नहीं होता।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीओसीआई की वित्तीय परिसंपत्तियाँ या तो ऋण उपकरण होते हैं जिन्हें व्यापार मॉडल को एकत्रित करने और विक्रय करने हेतु रखने के लिए व्यवस्थित किया जाता है या वे गैर–व्यवसायिक इक्विटी उपकरण होते हैं जिन्हें इस श्रेणी के लिए मनोनीत किया जाता है।

एफवीओसीआई के दायित्वों का आकलन बाद में परिशोधित लागत पर प्रभावशाली ब्याज पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है, व्यवसाय करने के लिए रखे गए वित्तीय दायित्वों के अतिरिक्त या एफवीटीपीएल में मनोनीत किया जाता है जिसे बाद में लाभ एवं हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानियों के साथ उचित मूल्य पर ले जाया जाता है। सभी कृत्रिम वित्तीय उपकरणों का लेखांकन एफवीटीपीएल में किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती आकलन

वित्तीय देयताओं का आकलन व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताओं अथवा एफवीटीपीएल पर विनिर्दिष्ट को छोड़कर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है जोकि लाभ अथवा हानि में लाभ अथवा हानि के साथ बाद में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। सभी डेरेवेटिव वित्तीय प्रलेखों को एफवीटीपीएल पर लेखांकित किया जाता है।

एम्बेडेड डेरिवेटिव्स

नॉन–डेरीवेटिव मेजबान अनुबंधों में जकड़े हुए डेरीवेटिवों का उपचार पृथक डेरीवेटिव के रूप में किया जाता है जब वे एक डेरीवेटिव के परिभाषा को पूरा करते हैं, उनके खतरों और विशेषताओं का सम्बन्ध उन मेजबान अनुबंधों के साथ निकटता का नहीं होता और अनुबंधों का आकलन एफवीटीपीएल में नहीं किया जाता।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस–109 के अनुसार, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति के आकलन एवं स्वीकृति के लिए अपेक्षित साख हानि (ईसीएल) का प्रयोग करता है।

ईसीएल सभी अनुबंधकीय नकद प्रवाहों के बीच का अंतर होता है जो अनुबंध और सभी नकद प्रवाहों जिसे समूह प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, के अनुसार समूह के पक्ष में बकाया होता है।

व्यापार के प्राप्य

समूह उस पद्धति का प्रयोग करता है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–109) वित्तीय उपकरणों में निर्दिष्ट है जिसमें प्राप्यों के आरंभिक पहचान से मान्यता पाने वाले अपेक्षित जीवनपर्यंत क्षतियों की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और खतरे के अनावरण पर क्षति के पहचान के लिए, समूह निर्धारित करता है कि क्या आरंभिक पहचान से साख के खतरों में कोई महत्त्पूर्ण वृद्धि हुई है।

3.23 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण निर्णय, पूर्वानुमान और अनुमान

3.23.1 पट्टों का वर्गीकरण

समूह विभिन्न परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होता है। पट्टे पर देने की व्यवस्था का वर्गीकरण वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में कई घटकों के आकलन पर आधारित होता है, इसमें सम्मिलित है परन्तु इन तक सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दिए गए परिसंपत्ति के स्वामित्व का हस्तानान्तरण, क्रय के लिए पट्टेदार का विकल्प और ऐसे विकल्प की प्रक्रिया की अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनकाल के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दिए गए परिसंपत्ति के उचित मूल्य के लिए पट्टे के न्यूनतम भुगतानों के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दिए गए परिसंपत्ति की विशिष्ट प्रकृति की सीमा।

3.23.2 बंदी और बहाली के दायित्व

बंदी और बहाली लागत उत्खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम होता है और बंदी एवं बहाली के व्यय का अधिकांश भाग खदान के बंद हो जाने के बाद के वर्षों में वहन किया जाता है, हालाँकि वहन किया जाने वाला निर्णायक व्यय अनिश्चित होता है, तथापि समूह बहाली के वर्तमान तकनीकों का प्रयोग करके अपने लागतों का अनुमान लगाता है।

3.23.3 स्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

वह सीमा जहाँ तक स्थगित कर संपत्तियों को स्वीकृत किया जा सकता है, समूह के भावी कर योग्य आय की सम्भावना के एक मूल्यांकन पर आधारित होता है जिसके विरुद्ध स्थगित कर संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी विधिक या आर्थिक सीमाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

3.23.4 सामान की सूची

समूह सबसे विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामान के लागत का अनुमान लगाता है, जैसे कि पदार्थों की लागत और ऊपरी व्यय जिसे ऐसे सामान के निर्माण के लिए उत्तरदायी समझा जाता है, उत्पादन के वास्तविक लागत सहित। प्रबंधन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामान के शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। इन सामानों की सूचियों का भावी क्रियान्वन भविष्य के तकनीक या अन्य बाज़ार द्वारा संचालित परिवर्तनों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है जो भविष्य के विक्रय मूल्यों को कम कर सकता है।

3.23.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी के लाभ देनदारियों का आकलन बीमांकिक पूर्वानुमानों पर आधारित होता है जिसमें मृत्यु एवं प्रत्याहरण दर और छूट के दरों में भावी प्रगतियों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वानुमान, चिकित्सीय लागत के रुझान, भावी वेतन वृद्धियों और मुद्रास्फीति दर का पूर्वानुमान सम्मिलित है। समूह यह समझता है कि अपने दायित्वों का आकलन करने के लिए प्रयुक्त पूर्वानुमान उपयुक्त है। फिर भी, इन पूर्वानुमानों में कोई भी परिवर्तन परिणामी गणनाओं पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

3.23.6 उचित मूल्य का आकलन

समूह वित्तीय उपकरणों (जहाँ पर सक्रिय बाज़ार भाव उपलब्ध नहीं है) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्य निर्धारण तकनीकों को लागू करता है। इसमें उपकरण का मूल्य लगाने के लिए बाज़ार के प्रतिभागियों के साथ उत्पन्न होने वाले एक जैसे अनुमान और पूर्वानुमान सम्मिलित है। समूह के पूर्वानुमान जहाँ तक संभव है, अवलोकनीय ऑकड़ों, अन्यथा उपलब्ध उत्तम सूचना पर आधारित होता है। अनुमानित उचित मूल्य, वास्तविक मूल्यों से पृथक हो सकता है जिसे प्रतिवेदन तिथि पर एक हाथ की दूरी पर निष्पादित लेन–देन से प्राप्त किया जायेगा।

3.23.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

स्वीकार्य प्रावधानों और आकस्मिकताओं में निष्पादित आकलनों को भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 37, 'प्रावधानों, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार, संपन्न किया गया है। आकस्मिक घटनाओं की सम्भावना के मूल्यांकन को गंभीर हानि के अनावरण की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तम निर्णय पर लागू किया जाता है।

3.23.8 खदान बंदी और बहाली के दायित्व

पर्यावरणीय दायित्व और परिसंपत्ति का सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ): पर्यावरणीय दायित्वों के अनुमान और एआरओ के लिए सम्भावना एवं भावी लागतों के बारे में पूर्वानुमानों के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं विधिक ऑकड़ों के व्याख्या की आवश्यकता होती है।

3.23.9 अवमूल्यन योग्य/ परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों (मूर्त एवं अमूर्त) का उपयोगी जीवन

प्रबंधन परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगिता पर आधारित, प्रत्येक प्रतिवेदन की तिथि पर अवमूल्यन योग्य/ परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों (मूर्त एवं अमूर्त) का उपयोगी जीवन के अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताओं का सम्बन्ध सामान्य वास्तविक टूट–फूट से होता है जो संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता में परिवर्तन कर सकता है।

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2017 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
–पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	277.49	19.26	–	296.75	0.87	–	–	0.87	295.88	276.62
– भूमि अधिग्रहण	979.78	297.07	0.89	1275.96	216.68	68.11	0.25	284.54	991.42	763.10
इमारतें और संबंधित उपकरण	5168.70	131.60	0.37	5299.93	1642.33	151.34	0.10	1793.57	3506.36	3526.38
संयंत्र और मशीनरी										
–स्टील संयंत्र	66229.31	10496.73	524.78	76201.26	26347.98	2345.88	347.34	28346.52	47854.74	39881.28
– अन्य – स्वामित्व	3042.12	113.48	82.97	3072.63	1961.71	121.85	71.85	2011.71	1060.92	1081.56
– अन्य – लीजहोल्ड (नोट देखें (ii))	1557.23	59.63	–	1616.86	657.37	106.03	–	763.40	853.46	899.86
फर्नीचर व फिक्सचर	125.33	4.58	(0.83)	130.74	91.93	5.83	0.19	97.57	33.17	33.40
वाहन	1327.86	36.55	8.89	1355.52	756.27	74.24	8.39	822.12	533.40	571.59
कार्यालय उपकरण	61.04	1.54	0.58	62.00	47.95	2.84	0.50	50.29	11.71	12.60
विविध वस्तुएं	318.91	30.10	1.07	347.94	209.88	13.95	0.85	222.98	124.96	108.91
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	343.24	58.61	0.55	401.30	229.26	26.68	–0.05	255.99	145.31	113.98
जल आपूर्ति और सीवरेज	556.88	73.97	1.10	629.75	324.74	20.19	0.87	344.06	285.69	232.14
ईडीपी उपकरण	415.03	11.94	6.72	420.25	356.19	14.64	5.95	364.88	55.37	59.78
रेलवे लाइन्स और सिडिंग्स	709.38	100.44	0.10	809.72	233.86	18.24	0.11	251.99	557.73	475.52
उप जोड़ 'क'	**81112.30**	**11435.50**	**627.19**	**91920.61**	**33077.02**	**2969.82**	**436.35**	**35610.49**	**56310.12**	**48036.72**
पिछले वर्ष के आंकड़े	74380.92	7027.90	291.32	81117.50	30717.35	2588.13	224.70	33080.78	48036.72	
ख सोशल सुविधाएं										
भूमि										
–पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.88	0.01	–	10.89	–	–	–	–	10.89	10.88
– भूमि अधिग्रहण	9.39	0.61	–	10.00	5.95	0.13	–	6.08	3.92	3.44
इमारतें और संबंधित उपकरण	684.04	61.75	0.44	745.35	317.07	17.96	0.37	334.66	410.69	366.97
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	149.46	28.34	1.69	176.11	99.50	6.62	1.23	104.89	71.22	49.96
फर्नीचर व फिक्सचर	26.88	0.47	0.60	26.75	19.51	1.26	0.30	20.47	6.28	7.37
वाहन	11.23	0.20	0.16	11.27	9.80	0.34	0.11	10.03	1.24	1.43
कार्यालय उपकरण	4.53	0.10	0.12	4.51	3.72	0.28	0.11	3.89	0.62	0.79
विविध वस्तुएं	226.80	6.46	2.03	231.23	135.31	11.63	1.76	145.18	86.05	91.51
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	130.90	5.08	0.02	135.96	85.11	13.50	0.01	98.60	37.36	45.79
जल आपूर्ति और सीवरेज	226.54	74.31	–	300.85	123.95	7.32	–	131.27	169.58	102.59
ईडीपी उपकरण	12.02	0.17	0.81	11.38	9.91	0.36	0.46	9.81	1.57	2.11
उप जोड़ 'ख'	**1492.67**	**177.50**	**5.87**	**1664.30**	**809.83**	**59.40**	**4.35**	**864.88**	**799.42**	**682.84**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1438.17	62.59	8.09	1492.67	761.39	54.60	6.16	809.83	682.84	
ग सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियां	**58.29**	**35.27**	**33.53**	**60.03**	–	–	–	–	**60.03**	**57.28**
पिछले वर्ष के आंकड़े	55.40	9.02	7.14	57.28	–	–	–	–	57.28	
जोड़ ('क' + 'ख' + ग')	**82663.26**	**11648.27**	**666.59**	**93644.94**	**33886.85**	**3029.22**	**440.70**	**36475.37**	**57169.57**	**48776.83**
पिछले वर्ष के आंकड़े	75874.49	7099.51	306.55	82667.45	31478.74	2642.73	230.86	33890.61	48776.83	

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
नोटः पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन		
(क) लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया	**3065.97**	2681.62
(ख) निर्माण के दौरान व्यय का चार्ज किया गया	**4.15**	5.12
	3070.12	2686.74

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण लिए नोट 48.1 देखें।

(ii) भूमिः

(क) पंजीकरण के लिए कौन सा शीर्षक/पट्टा कार्य लंबित है, इस संबंध में कंपनी द्वारा पट्टे पर स्वामित्व/कब्जा/लिया गया है, जो 31 मार्च, 2017 तक 68,019.40 एकड़ (67,718.76 एकड़) शामिल है।

(ख) 31 मार्च, 2017 के आधार पर 34,576.05 एकड़ (34,061.08 एकड़) भूमि शामिल है जिसमें मालिकाना हक का विवाद है।

(ग) 9, 367.80 एकड़ (31 मार्च, 2017 को 9007.46 एकड़) हस्तांतरित/हस्तांतरित करने के लिए स्थानांतरित/विभिन्न संयुक्त उद्यमों/केंद्रीय/राज्य/अर्ध–सरकार को निपटारे के लिए उपलब्ध कराया गया अधिकारियों, किस वाहन के कार्यों के संबंध में निष्पादित/पंजीकृत किया जाना है।

(घ) 31, मार्च, 2017 को 6,187.95 एकड़ (6384.17 एकड़) विभिन्न एजेंसियों / कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया।

(ड़) अनधिकृत व्यवसाय के तहत 4070.09 एकड़ (31 मार्च, 2017 को 4,436.70 एकड़) शामिल है।

(च) 3176 मार्च, 2017 को 1,762.92 एकड़ (1,762.92 एकड़ जमीन) जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, जिसे माना जाता है।

(छ) ₹ 163.13 करोड़ भूमि घाटे के लिए देय मुआवजे की ओर वर्ष 2007 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) के तहत रखी हुई है।

(ज) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की विस्तृत अधिसूचना सं। एसओ 130 9 (ई) दिनांक 08.06.2012 और सं। एसओ। 2484 ई दिनांक 13.10.2012, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) ने 12.19 एकड़ जमीन हासिल की है।

(झ) राजपत्र अधिसूचना सं. के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है। केवल 13.91 करोड़ के मुआवजे का निर्धारण 15.62 एकड़ के लिए। प्रबंधन उचित अधिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव करता है। इस मामले में लंबित कार्रवाई, खातों में उपरोक्त का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।

(iii) अन्य परिसंपत्तियां

(क) भवनों में 31 मार्च, 2018 को (₹ 21.18 करोड़ 31 मार्च, 2017 तक) के ₹ 21.23 करोड़ के शुद्ध ब्लॉक शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी के नाम पर करार कार्य अभी पंजीकृत नहीं है।

(ख) अनधिकृत व्यवसाय के तहत 7107 (31 मार्च, 2017 तक 7038), आवासीय क्वार्टर/घर शामिल हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
5: प्रगति पर पूंजी कार्य				
इस्पात संयंत्र और इकाइयां	**18168.23**		22922.89	
टाउनशिप	**91.56**		107.49	
अयस्क खान और खदान	**314.32**		399.14	
	18574.11		23429.52	
कमः प्रावधान	**215.26**	**18358.85**	199.32	23230.20
निर्माण भंडार और स्पेयर	**24.65**		37.49	
कमः गतिशील वस्तुओं के लिए प्रावधान	**3.18**	**21.47**	3.39	34.10
लंबित निर्माण के दौरान व्यय				
आवंटन (नोट 5.1)		**15.11**		11.09
		18395.43		23275.39

5.1: निर्माण लंबित आवंटन के दौरान व्यय

आरंभिक शेष राशि	(क)		**11.09**		7.91
वर्ष के दौरान किया गया व्यय					
कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ					
वेतन एवं मजदूरी		**90.30**		121.40	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान		**3.86**		10.86	
यात्रा रियायत		**2.96**		3.08	
कल्याण व्यय		**0.07**		0.11	
ग्रेच्यूटी		**3.53**	**100.72**	0.71	136.16
अन्य व्यय					
तकनीकी सलाहकार की फीस और तकनीकें		**4.47**		8.56	
बिजली और ईंधन		**76.29**		134.97	
अन्य व्यय		**6.19**		6.68	
ब्याज और वित्त शुल्क		**668.52**		581.90	
मूल्यह्रास		**4.15**	**759.62**	5.12	737.23
			860.34		873.39
कमः वसूली					
अर्जित ब्याज		**0.27**		0.47	
परिसमापन हर्जाना		**0.22**		2.49	
किराया चार्जेज		**0.45**		0.35	
सन्ड्रीज		**8.86**	**9.80**	17.99	21.30
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	(ख)		**850.54**		852.09
	जोड़ (क + ख)		**861.63**		860.00
कमः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ प्रगति पर पूंजी कार्य को आवंटित राशि			**846.52**		848.91
शेष आगे ले जाया गया			**15.11**		11.09

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

6: निवेश संपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2017 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क. भवन										
भवन	1.45	–	–	1.45	0.59	0.03	–	0.62	0.83	0.86
उप जोड़ 'क'	**1.45**	–	–	**1.45**	**0.59**	**0.03**	–	**0.62**	**0.83**	**0.86**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.45	–	–	1.45	0.57	0.02	–	0.59	0.86	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति खरीदने, निर्माण या विकसित करने या इसकी मरम्मत, रख–रखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
किराए से आय	**1.52**	1.30
किराए पर आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय*		
प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जो किराए पर आय उत्पन्न नहीं करते*	–	.
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.52**	1.30
मूल्यह्रास	**0.03**	0.02
निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.49**	1.28

*निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्च अलग–अलग पहचाने नहीं जा सकते हैं और उन्हें महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) लीजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्ति किरायेदारों को लंबी अवधि के परिचालन पट्टे के तहत किराए पर दी जाती है, जो मासिक रूप से देय किराये के साथ ली जाती हैं। निवेश संपत्ति के गैर–रद्द करने योग्य पट्टे के तहत न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्त करने योग्य मामलें

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एक साल के भीतर	**0.04**	0.02
एक साल बाद में लेकिन 5 साल बाद नहीं	**0.07**	0.02
5 साल से बाद में	**0.01**	0.07
	0.12	0.11

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2018 तक निवेशित संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 20.53 करोड़ है (₹ 21.66 करोड़ 31 मार्च, 2017 तक)

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत इसी तरह के गुणों के लिए सक्रिय बाजार में मौजूदा कीमत है। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, समूह विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है जिसमें निम्न शामिल हैं:

क) अलग–अलग प्रकृति के गुणों के लिए एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में समान गुणों की हाल की कीमतें, उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

7: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2017 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	101.20	2.15	0.07	103.28	97.19	1.58	–0.04	98.81	4.47	4.01
खनन अधिकार	1822.32	7.47	37.47	1792.32	303.83	39.18	0.84	342.17	1450.15	1518.50
उप–जोड़ 'क'	**1923.52**	**9.62**	**37.54**	**1895.60**	**401.02**	**40.76**	**0.80**	**440.98**	**1454.62**	**1522.51**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1903.76	20.35	0.58	1923.53	357.68	43.93	0.59	401.02	1522.51	
ख सोशल सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	1.10	–	–	1.10	0.57	0.12	–	0.69	0.41	0.07
उप–जोड़ 'ख'	**1.10**	–	–	**1.10**	**0.57**	**0.12**	–	**0.69**	**0.41**	**0.07**
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.62	0.01	–	0.63	0.50	0.06	–	0.56	0.07	
जोड़ ('क' + 'ख')	**1924.62**	**9.62**	**37.54**	**1896.70**	**401.59**	**40.88**	**0.80**	**441.67**	**1455.03**	**1522.58**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1904.38	20.36	0.58	1924.16	358.18	43.99	0.59	401.58	1522.58	

* कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकृत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

8 : निवेश – गैर चालू

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	**31 मार्च, 2018 को**	31 मार्च, 2017 को
लागत पर किया गया निवेश				
संयुक्त उद्यमों में (गैर उद्धृत) – डीफंक्ट इकाइयां				
उत्तरी बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 100 / शेयर)	**97,900**	97,900	**0.98**	0.98
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	**63,000**	63,000	**0.06**	0.06
जोड़ (क)			**1.04**	1.04
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर किए गए निवेश				
उद्धृत इक्विटी				
एचडीएफसी लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**60,000**	60,000	**10.95**	9.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**2,500**	2,500	**0.47**	0.36
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹ 2/– शेयर)	**157,300**	143,000	**4.38**	3.94
			15.80	13.30
गैर–उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**2,203,150**	2,203,150	**34.05**	29.93
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**360,000**	360,000	**17.57**	13.43
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**5,000,000**	5,000,000	**5.00**	5.00
सीमेंट एंड अलायड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	–	–
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	–	. –
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**5**	5	–	–
एमएसटीसी लिमिटेड	**320,000**	160,000	**4.70**	6.66
आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	**3,000,000**	3,000,000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड '	**180,000**	180,000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100/– शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
			64.51	58.21
सहकारी समितियों में				
बोकारो स्टील कर्मचारी को–ऑपरेटिव सोसाइटी	**116,500**	116,500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी	**250**	250	–	–
एनएमडीसी मेघाहतुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100 / शेयर)	**25**	25	–	–
डीएसपी कर्मचारी 'सहकारी समिति सीमित (अंकित मूल्य ₹ 100 / शेयर)	**1,377**	1ए377	**0.01**	0.01
बोलानी ओरेस कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति सीमित (अंकित मूल्य ₹ 25 / शेयर)	**200**	200	–	–
आईआईएससीओ कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20 / शेयर)	**23,000**	23,000	**0.05**	0.05
			0.18	0.18
जोड़ (ख)			**80.49**	71.69
सकल जोड़ (क+ख)			**81.53**	72.73
निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान			**7.68**	7.68
शुद्ध निवेश			**73.85**	65.05
उद्धृत निवेश की कुल राशि (इसका बाजार मूल्य)			**15.80**	13.30
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि			**65.73**	59.43
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			**7.68**	7.68
			73.85	65.05

सभी इक्विटी शेयरों में अंकित मूल्य ₹ 10 होता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

*संस्था परिसमापन के तहत है, इसलिए समझौते के बावजूद परिसमापन के तहत संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।

संस्था परिसमापन के तहत है, इसलिए मूल कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
9: व्यापार प्राप्य – गैर चालू				
(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)				
असुरक्षित*				
अच्छा माना जाता है		–		–
संदिग्ध माना जाता है		7.83		7.83
		7.83		7.83
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान		7.83		7.83
		–		–
*मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्राप्तियां शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य)				
10: ऋण – गैर चालू				
(असुरक्षित, जब तक अन्यथा कहा न जाए तो अच्छा माना जाता है) *				
सुरक्षा जमा		101.81		110.65
कर्मचारियों को ऋण		124.53		157.40
दूसरों को ऋण		225.14		185.49
		451.48		453.54
कमः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		0.02		0.02
		451.46		453.52
* मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा देय प्राप्तियां शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य)				
11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर चालू				
व्युत्पन्न परिसंपत्तियां		76.73		46.59
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम		–		99.53
वसूली योग्य दावे		7.89		–
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियां		76.95		103.46
कर्मचारियों से प्राप्तियां		0.09		0.12
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण और अग्रिम	10.53		10.53	
कमः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिम के लिए प्रावधान	2.53	8.00	2.53	8.00
परिपक्वता अवधि के साथ 12 महीने से अधिक सावधि जमा		0.19		–
		169.85		257.70
कम, संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		7.21		0.02
		162.64		257.68
12: स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)				
स्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाले वस्तुओं का कर प्रभाव				
पुस्तक और कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	8996.19		7451.63	
वित्तीय परिसंपत्तियों / देनदारियों का अमूर्तकरण	28.39		31.39	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	10.46	9035.04	8.88	7650.76
स्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले वस्तुओं का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	8.73		108.77	
वित्त पट्टा दायित्व	85.64		75.83	
व्युत्पन्न समायोजन	54.81		84.35	
भुगतान पर भुगतान न किए गए कर और शुल्कों की अनुमति है	1156.38		1122.61	
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध नुकसान	9985.34		8563.67	
अन्य	854.29	12145.19	493.16	10448.51
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)		1051.83		1051.00
स्थगित कर (परिसंपत्तियां) / देनदारियां (निवल)		4161.98		3848.75

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में सारांशित किया गया है:

(₹ करोड़)

	1 अप्रैल, 2017 को	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव				
बहीखाता और कर अवमूल्यन के बीच अंतर	7451.63	1544.56	–	8996.19
वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों का अमूर्तकरण	31.39	(3.00)	–	28.39
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	8.88	–	1.58	10.46
	7491.90	**1541.56**	**1.58**	**9035.04**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले वस्तुओं का कर प्रभाव				
सेवानिवृत्ति लाभ	108.77	(3.82)	(96.22)	8.73
वित्त पट्टा दायित्व	75.83	9.81	–	85.64
व्युत्पन्न समायोजन	84.35	(29.54)	–	54.81
भुगतान पर भुगतान न किए गए कर और अनुमत कर्तव्य	1122.61	33.77	–	1156.38
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध नुकसान	8563.67	1,421.67	–	9985.34
टैक्स क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1051.00	0.83	–	1051.83
अन्य	493.16	361.13	–	854.29
	11499.39	**1793.85**	**(96.22)**	**13197.02**
आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)/देनदारियां (निवल)	**(3,848.75)**	**(252.29)**	**97.80**	**(4,161.98)**

समूह में ₹ 28,575.26 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 24,744.77 करोड़) के व्यापार घाटे (निवेश भत्ता सहित) एकत्रित हो गए है ₹ 18,823.78 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 15,057.93 करोड़) (संचित अनावृत मूल्यह्रास सहित) और ₹ 1,051.83 करोड़ के एमएटी क्रेडिट आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को। ₹ 9,751.48 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 9,686.84 करोड़) की असंबद्ध व्यावसायिक हानि होने से अधिकतम आठ वर्षों के लिए ऑफसेट के लिए उपलब्ध है और अप्रयुक्त कर (एमएटी) क्रेडिट पंद्रह वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर ऑफ़सेट के लिए उपलब्ध होगा।

स्टील उद्योग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुए और मांग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को लागत को कम करने, दक्षता/उत्पादकता में सुधार के साथ कदम उठाने के लिए, समूह निश्चित है कि भविष्य में अपने भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम होने से ऐसा होगा। नतीजतन, समूह संचित व्यापार घाटे/असंबद्ध मूल्यह्रास और अप्रयुक्त एमए क्रेडिट को समायोजित करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य लाभ अर्जित करने में सक्षम होगा।

तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यवसाय के संचित नुकसान ₹ 3,407.55 करोड़ की आस्थगित कर संपत्ति (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 55.13 करोड़) और ₹ 1,051.83 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को 31 मार्च, 2018 को मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
13: चालू कर परिसंपत्तियां / देनदारियां (निवल)				
चालू कर परिसंपत्तियां				
अग्रिम आयकर (प्रावधान– शुद्ध)		**190.39**		235.81
		190.39		235.81
14: अन्य परिसंपत्तियां – गैर चालू				
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम		**341.37**		280.46
अन्य अग्रिम		**4.18**		4.18
सरकारी अधिकारियों के पास जमा करें		**646.94**		641.95
प्रीपेड व्यय		**25.43**		34.12
पूंजीगत अग्रिम	**133.76**		192.51	
कमः संदिग्ध पूंजीगत अग्रिमों के लिए प्रावधान	**11.19**	**122.57**	1.01	191.50
		1140.49		1152.21
कमः संदिग्ध अन्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		**80.39**		72.09
		1060.10		1080.12

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
15: मालसूचियां*				
स्टोर और स्पेयर				
उत्पादन	**2160.06**		1848.85	
ईंधन भंडार	**85.25**		91.72	
अन्य	**24.54**		27.36	
	2269.85		1967.93	
जोड़ें: इन–ट्रांजिट	**155.02**		114.48	
	2424.87		2082.41	
कम: गैर गतिशील / अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	**235.45**	**2189.42**	212.36	1870.05
कच्चा माल				
कच्चा माल	**4605.78**		2590.00	
जोड़ें: इन–ट्रांजिट	**2592.85**		1471.24	
	7198.63		4061.24	
कम: अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	**17.64**	**7180.99**	15.80	4045.44
निर्मित / अर्द्ध निर्मित उत्पाद				
तैयार माल	**4440.25**		5829.59	
प्रगति पर कार्य	**3213.64**	**7653.89**	3991.01	9820.60
		17024.30		15736.09
* लेखांकन नीति संख्या 3.6 के अनुसार मूल्य				
16: व्यापार प्राप्तियां – चालू				
(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)				
असुरक्षित*				
अच्छा माना गया		**3870.99**		2934.69
संदिग्ध माना गया		**196.70**		181.89
		4067.69		3116.58
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान		**196.70**		181.89
		3870.99		2934.69
* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्त शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)				
17 (i): नकद और नकद समतुल्य				
उपलब्ध नकद और टिकट		**0.05**		0.07
उपलब्ध चेक		**77.60**		109.92
बैंकों के साथ शेष				
चालू खाता	**9.43**		14.56	
मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा 3 महीने तक	**6.92**		16.09	
3 महीने तक परिपक्वता के साथ अदालत के आदेश के अनुसार सावधि जमा	–	**16.35**	–	30.65
		94.00		140.64
17 (ii): अन्य बैंक शेष				
निर्धारित बैंक शेष		**168.30**		159.31
अप्रदत्त लाभांश खाते		**6.21**		8.53
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम समय के लिए परिपक्वता वाली सावधि जमा		**77.04**		70.35
		251.55		238.19

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
18: ऋण – चालू				
(असुरक्षित, जब तक अन्यथा न कहा जाए तो अच्छा माना जाता है) *				
सुरक्षा जमा		**9.23**		21.33
कर्मचारियों को ऋण		**60.92**		58.57
संबंधित पार्टियों को ऋण		**7.00**		7.00
अन्य ऋण		**1.73**		1.33
		78.88		88.23
कमः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**14.96**		15.50
		63.92		72.73
* मूल कंपनी के निदेशकों से प्राप्त प्राप्तियां शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य)				
19: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू				
व्युत्पन्न परिसंपत्तियां		**47.66**		180.95
दावा वसूली योग्य		**716.09**		773.29
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियां		**311.32**		245.38
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**7.20**		6.88
बिल प्राप्य		**1787.27**		1072.99
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	**23.66**		23.66	
कमः संदिग्ध संबंधित पार्टियों के लिए प्रावधान अग्रिम	**13.42**	**10.24**	1.39	22.27
		2879.78		2301.76
कमः संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		**92.14**		33.58
		2787.64		2268.18
20: अन्य परिसंपत्तियां – चालू				
उपलब्ध सोने के सिक्के		**0.23**		0.23
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	**259.84**		277.95	
दूसरों को अग्रिम	**851.03**	**1110.87**	828.89	1106.84
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		**2512.07**		2519.05
जमा – जीएसटी		**33.80**		–
जीएसटी प्राप्य		**1813.70**		–
प्रदत्त व्यय		**24.42**		36.63
प्राप्य दावे		**184.46**		725.54
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्तियां		**45.68**		41.26
		5725.23		4429.55
कमः संदिग्ध अन्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		**85.45**		143.77
		5639.78		4285.78
21: बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां				
बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंनत्तियां		**32.50**		11.94
		32.50		11.94

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर यह माना जाता है कि इस तरह की परिसंपत्तियों को अगले 12 महीनों के भीतर बेचा जाएगा और इस तरह की परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए वर्गीकृत माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए वर्गीकृत संयंत्र और मशीनरी को पुनवर्गीकरण के समय बेचने के लिए इसकी ली जाने वाली राशि और उचित मूल्य कम लागत के आधार पर मापा गया था। संयंत्र और मशीनरी का उचित, मूल्य तुलनात्मक मूल्य दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह तीन स्तरीय माप है। इस दृष्टिकोण के तहत प्रमुख इनपुट बाजार में धातु की कीमत है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

22: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अधिकृत पूंजी		
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(₹ 10 मूल्य के प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी और सब्सक्राइब्ड और पूरी तरह चुकाई गई पूंजी		
(₹ 10 मूल्य के प्रत्येक पूर्णतया प्रदत्त 4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर)	**4130.53**	4130.53

वर्ष के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में शेष	4130407654	4130.41	4130392654	4130.39
वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	–	–	15000	0.02
साल के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	–	–	–	–
साल के अंत में शेष	**4130407654**	**4130.41**	**4130407654**	**4130.41**
वोटिंग अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर *				
वर्ष की शुरुआत में शेष	117635	0.12	132635	0.13
वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
वर्ष के दौरान मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	–	–	(15000)	(0.02)
साल के अंत में शेष	**117635**	**0.12**	**117635**	**0.12**
कुल बकाया इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i) *1996 में जारी की गई वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) द्वारा प्रतिनिधित्व की गई। यूएस $ 29.55 प्रत्येक की दर पर यूएस $ 125 मिलियन कुल राशि के लिए।

ii) मूल कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी की चुकौती के संबंध में सभी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।

iii) समूह में कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(iv) मूल कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण
भारत के राष्ट्रपति	**3097767449**	**75.00**	3097767449	75.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	**395451358**	**9.57**	441874667	10.70

(v) मूल कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही किसी भी शेयर को वापस खरीदा है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
रिजर्व और अधिशेष				
पूंजी रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	504.33		504.33	
वर्ष के दौरान जुड़ाव	6.59		–	
कमः वर्ष के दौरान उपयोग	–	510.92	–	504.33
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	235.10		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	235.10	–	235.10
बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	1973.64		1449.96	
रिटेन आय से स्थानांतरण	606.80		607.77	
रिटेन आय को स्थानांतरण	239.75	2340.69	84.09	1973.64
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	5102.76		5100.72	
वर्ष के दौरान जुड़ाव	1.38		2.04	
कमः वर्ष के दौरान उपयोग	–	5104.14	–	5102.76
रिटेंड आय				
प्रारंभिक शेष	25041.72		28680.91	
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(281.40)		(2,756.17)	
जोड़ें: अन्य व्यापक आय / (हानि)	177.52		(357.29)	
जोड़ें: बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व से स्थानांतरण	239.75		84.09	
कमः बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व में स्थानांतरण	606.80		607.77	
कमः इक्विटी लाभांश	6.31		–	
कमः इक्विटी लाभांश पर कर	1.28		–	
गैर–नियंत्रण ब्याज के साथ लेन–देन	(0.01)		(0.01)	
कमः सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	1.38	24561.81	2.04	25041.72
अन्य व्यापक आमदनी				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण				
प्रारंभिक शेष	2.80		(0.22)	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में बदलें	8.79		3.02	
आस्थगित कर	–	11.59	–	2.80
इक्विटी लेखांकित निवेशकों की अन्य व्यापक आय में साझा करें				
प्रारंभिक शेष	51.38		50.86	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में बदलें	0.49		0.52	
आस्थगित कर	–	51.87	–	51.38
कुल अन्य इक्विटी		32816.12		32911.73

अन्य रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य

पूंजी रिजर्व

पूंजीगत रिजर्व को पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है, यह पूंजी प्रकृति के कुछ विशिष्ट लेनदेन से अर्जित लाभ से बनाया गया है। शेयरधारकों को वितरण के लिए पूंजी रिजर्व उपलब्ध नहीं है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व

समूह को लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभों में से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व बनाना आवश्यक है। इसे रिजर्व बांड के रिडेम्शन तक बनाए रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) रिजर्व

समूह ने अन्य व्यापक आय में इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को पहचानने के लिए चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व के भीतर संचित किए जाते हैं। जब प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों की गैर–पहचान हो जाती तो समूह इस रिजर्व से अर्जित आय को रिटेन की गई आय में अंतरित करता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

				31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
24.उधार – गैर चालू					
सुरक्षित					
रिडीम योग्य गैर–परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प (वार्षिक)	प्रतिभूति संदर्भ		
9.35%	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)	**455.00**	455.00
9.00%	14–अक्तूबर–2024		(क)	**1000.00**	1000.00
8.70%	25–अगस्त–2024		(क)	**300.00**	300.00
8.30%	1–अगस्त–2023		(क)	**1200.00**	1200.00
8.30%	3–अगस्त–2023		(क)	**800.00**	800.00
8.35%	19–नवंबर–2022		(क)	**1185.00**	1185.00
9.30%	23–अगस्त–2021		(क)	**400.00**	400.00
8.55%	11–अगस्त–2021		(क)	**700.00**	700.00
8.27%	25–अगस्त–2020		(क)	**265.00**	265.00
8.72%	30–अप्रैल–2020		(क)	**660.00**	660.00
8.75%	23–अप्रैल–2020		(क)	**545.00**	545.00
8.65%	1–फरवरी–2020	5/शून्य	(क)	**242.00**	242.00
8.30%	21–जनवरी–2020		(क)	**500.00**	500.00
8.65%	30–दिसंबर–2019		(क)	**450.00**	450.00
8.50%	7–दिसंबर–2019		(क)	**120.00**	120.00
8.60%	19–नवंबर–2019		(क)	**335.00**	335.00
8.75%	15–सितंबर–2019		(ख,घ)	**100.00**	100.00
8.80%	22–जून–2019		(क)	**825.00**	825.00
7.70%	11–मई–2019	5/5	(क)	**25.00**	25.00
8.90%	1–मई–2019	5/शून्य	(ख)	**950.00**	950.00
8.80%	26–अक्तूबर–2018		(ख, ग)	**98.00**	112.00
8.18%	10–अगस्त–2018		(क)	–	1000.00
8.25%	27–जुलाई–2018		(क)	–	500.00
8.35%	9–जून–2018		(क)	–	420.00
9.30%	25–मई–2018		(क,ठ)	**288.00**	360.00
8.25%	6–मई–2018	3/3	(क)	–	245.00
7.95%	9–अप्रैल–2018		(क)	–	670.00
कुल बांड				**11443.00**	14364.00
बैंकों से सावधि ऋण					
रुपया ऋण			(ट)	**14156.00**	2500.00
विदेशी मुद्रा ऋण			(ट)	**2247.26**	0.00
				27846.26	16864.00
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा ऋण					
1	केएफडब्ल्यू, जर्मनी		(ङ)	**358.48**	327.06
2	सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग निगम		(च)	–	0.01
3	नैटेक्स बैंकों		(छ)	**15.01**	14.75
4	मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड		(ज)	–	322.12
स्टील विकास निधि			(झ)	**204.16**	204.16
				577.65	868.10
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता				**1353.25**	1355.38
कुल गैर चालू ऋणे				**29777.16**	19087.48

निदेशकों और अन्य द्वारा किसी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।
उधार के पुनर्भुगतान और इस पर ब्याज में, तुलन पत्र की तिथि को कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है।
जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, सभी बांड परिपक्वता तिथि पर चुकाए जाने तक देय होते हैं।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बांड निम्न के अनुसार सुरक्षित हैः

क) सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात और मूल कंपनी के संयंत्र और मशीनरी के लिए मौउज–वेडेज के पास सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों पर साथ–साथ, पारी–पास्सु इंटर–से रैंकिंग के द्वारा सुरक्षित प्रभार जिसमें आईआईएसको स्टीईल संयंत्र (आईएसपी) संबंधित भूमि, जिस पर यह बना है, शामिल है।

ख) सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात और मूल कंपनी के संयंत्र और मशीनरी के लिए मौउज–वेडेज के पास सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों पर साथ–साथ, पारी–पास्सु इंटर–से रैंकिंग के द्वारा सुरक्षित प्रभार जिसमें दुर्गापुर स्टील संयत्र (डीएसपी) संबंधित भूमि, जिस पर यह बना है, शामिल है।

ग) 26 अक्टूबर, 2014 को शुरू होने वाली ₹ 14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में रिडीम करने योग्य। 26 अक्टूबर, 2018 को देय किश्त अन्य चालू देनदारियों में दिखाया गया है।

घ) 2014, 2019 और 2014 के 15 सितंबर को प्रत्येक ₹ 50 करोड़ की समान किस्तों में रिडीम करने योग्य।

ङ) ऋण का नरम आधार 8.75% वार्षिक ब्याज दर पर 1 (क), 1 (ख) और 1 (ग) के रूप में वर्णित 3 भागों में आहरित किया गया था। 1 (ए) पर 0.75% वार्षिक है और शेष 8% विनिमय उतार–चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने के लिए है। 1 (बी) के मामले में मूलधन और ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक चुकाना है। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है। परिधीय विकास के लिए है। 1 (सी) पर ब्याज 3.66% वार्षिक है और शेष 5.09% वार्षिक परिधीय विकास को पूरा करने के लिए है। मूलधन और ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक चुकाना है। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

च) ऋण का भुगतान 2015 से शुरू होने वाले 16 नवंबर से 3 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा जिसपर ब्याज दर 6 मास लिबोर+1.06% है। ब्याज का भुगतान छमाही किया जाएगा।

छ) ऋण 2030 तक चुकाया जा सकता है। मूलधन और ब्याज का भुगतान अर्ध वार्षिक किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

ज) ऋण का भुगतान वर्ष 2016 के 21 दिसंबर से, तीन समान वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान अर्ध वार्षिक है। ब्याज का भुगतान छमाही किया जाएगा।

झ) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जाएगी।

ट) ऋणसीमा तक बीएसएल और बीएसपी का संयंत्र और मशीनरी पर साथ–साथ, पारी–पास्सु इंटर–से प्रभार द्वारा सुरक्षित। एसबीआईईसीबी ऋण पहले आहरण की तिथि अर्थात 25 सितंबर, 2017 के बाद से 4वें, 5वें, 6वें और 7वें के बाद 4 बराबर किस्तों में चुकाया जा सकता है।

ठ) 25 मई, 2018 से शुरू होने वाली 5 समान वार्षिक किस्तों में रिडीमेबल। 25 मई, 2018 को देय किश्त को चालू देनदारियों में दिखाया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
25: व्यापार भुगतान – गैर चालू		
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम के कारण (नोट 48.2 देखें)	–	.
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / अन्य को देय राशि	**6.38**	7.36
	6.38	7.36
26: अन्य वित्तीय देनदारियां – गैर चालू		
कर्मचारी संबंधित बकाया	**430.68**	458.39
उधार पर ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	**551.46**	580.25
अन्य देनदारियां	**197.22**	327.29
	1179.36	1365.93
27: प्रावधान – गैर चालू		
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	–	81.90
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	**2477.94**	2437.58
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**974.81**	931.02
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**20.90**	19.98
खान के बंद होने के लिए प्रावधान	**61.64**	53.97
अन्य प्रावधान	**439.13**	71.95
	3974.42	3596.40
28: अन्य देनदारियां – गैर चालू		
आस्थगित आय*	**138.33**	151.29
	138.33	151.29
***सरकारी अनुदान**		
प्रारंभिक शेष	**27.79**	26.95
परिवर्धन	–	2.12
लाभ और हानि विवरण के लिए जारी	–	(1.28)
	27.79	27.79

* भिलाई स्टील प्लांट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किए गए पुरस्कार की आय और निधि से कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
29. चालू उधार		
सुरक्षित		
मांग पर चुकाया जाने वाला		
बैंकों से	**2334.39**	1302.09
अन्य ऋण और अग्रिम		
बैंकों से	–	250.00
असुरक्षित		
अन्य ऋण	**2950.00**	600.00
वाणिज्यिक पत्र	**3961.88**	7883.93
विदेशी मुद्रा ऋण	**2998.05**	9777.02
	12244.32	19813.04

1. 31 मार्च, 2018 को बकाया अल्पकालिक उधार के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण: संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार निम्न के द्वारा सुरक्षित हैं:

(i) सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
30: व्यापार भुगतान – चालू				
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को देय (नोट 48.2 देखें)		**48.22**		38.12
संबंधित पार्टियों को देय राशि		**9.30**		11.58
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / अन्य को देय राशि		**7469.12**		5168.71
		7526.64		5218.41
31: अन्य वित्तीय देनदारियां – चालू				
कर्मचारी संबंधी बकाया		**159.95**		161.73
उधार पर ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं		**1072.54**		1076.09
अन्य देनदारियां – देनदार बैंकिंग व्यवस्था		**325.45**		228.16
व्युत्पन्न देयता		**65.24**		603.57
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता		**3271.71**		2381.74
वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता		**115.53**		113.39
अनधिकृत परिपक्व जमा और उस पर अर्जित ब्याज		**1.01**		1.03
सुरक्षा जमा	**1325.77**		1233.06	
कमः सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त निवेश	–	**1325.77**	–	1233.06
अप्रदत्त लाभांश		**6.21**		8.53
पूंजीगत कार्यों के लिए देय		**3708.94**		2532.75
अन्य देनदारियां		**4137.97**		4441.91
		14190.32		12781.96
32: अन्य उत्तरदायित्व – चालू				
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय		**1882.56**		1763.07
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय		**112.80**		82.53
विलंबित आय*		**11.90**		10.98
देय जीएसटी		**2135.74**		–
अन्य देनदारियां		**3001.75**		3752.98
		7144.75		5609.56

*भिलाई स्टील प्लांट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान की गई पुरस्कार की आय और निधि से आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

33: प्रावधान– चालू				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		**31.12**		237.22
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान		**309.04**		303.75
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान		**105.60**		108.95
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान		**2.03**		3.06
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान		**40.30**		39.43
विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान		–		13.02
मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान		**1216.24**		1545.02
खनन वनीकरण / बहाली आदि के लिए प्रावधान		**319.25**		341.97
अन्य प्रावधान		**289.05**		332.45
		2312.63		2924.87
34: वर्तमान कर दायित्व (निवल)				
प्रारंभिक शेष	**6.66**		11.90	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	**7.06**		–	
कमः वर्ष के दौरान भुगतान / हस्तांतरित राशि	**13.72**		(4.77)	
कमः वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया	–	–	.	16.67
		–		16.67

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
35: संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	**55974.82**	47437.74
निर्यात	**2243.70**	1737.83
निर्यात प्रोत्साहन	**82.48**	66.37
उप जोड़ (क)	**58301.00**	49241.94
सेवाओं की बिक्री		
सेवा प्रभार	**23.56**	31.89
उप जोड़ (ख)	**23.56**	31.89
अन्य प्रचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	**337.82**	334.01
खाली मदों आदि की बिक्री	**80.00**	70.74
विविध	**223.78**	150.37
उप जोड़ (ग)	**641.60**	555.12
जोड़ (क + ख+ ग)	**58966.16**	49828.95
36. अन्य आय		
ब्याज आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	**0.78**	0.88
ग्राहकों	**101.78**	80.87
कर्मचारियों	**16.75**	20.21
बैंक के जमा	**9.79**	4.85
अन्य	**41.94**	45.23
उप जोड़ (क)	**171.04**	152.04
लाभांश आय		
निवेश से लाभांश (निवेशों से लाभांश, ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य शामिल है)	**1.85**	1.05
उप जोड़ (ख)	**1.85**	1.05
निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ उप जोड़ (ग)	–	0.01
अन्य गैर–प्रचालन आय		
सब्सिडी, राहत और रियायत	**6.12**	4.43
सरकार से प्राप्त अनुदान	**0.54**	0.10
प्रावधान जिनको अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है	**90.64**	42.66
वापस लिखित अन्य देनदारियां	**81.62**	54.96
परिसमापन हर्जाना	**20.02**	75.53
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	–	76.60
अन्य	**43.36**	42.10
	242.30	296.38
कमः गैर–प्रचालन आय के लिए जिम्मेदार व्यय	–	–
उप जोड़ (घ)	**242.30**	296.38
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**415.19**	449.48

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
37: खपत की गई सामग्री की लागत		
कच्चा लोहा	**3818.79**	3614.87
कोयला	**21445.07**	16198.51
कोक	**31.63**	70.64
चूना पत्थर	**1232.17**	1107.24
डोलोमाइट	**474.80**	450.33
फेरो सिलिकोन	**337.61**	340.96
फेरो मैंगनीज	**201.73**	193.63
सिलिको मैंगनीज	**1193.85**	904.24
मध्यस्थ उत्पाद	**–**	0.01
जस्ता	**176.84**	122.03
एल्युमीनियम	**242.58**	226.91
अन्य	**1358.94**	1321.62
	30514.01	24550.99
कमः अंतर खाता समायोजन	**3776.11**	3389.54
	26737.90	21161.45

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
38: वित्त पोषित वस्तुओं और काम में प्रगति की सूची में बदलाव		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	**5829.61**	5552.75
कार्य प्रगति पर	**3990.99**	4398.43
	9820.60	9951.18
कमः बंद हुआ स्टॉक		
तैयार माल	**4440.25**	5829.61
कार्य प्रगति पर	**3213.64**	3990.99
	7653.89	9820.60
	2166.71	130.58
कम : स्टॉक में वृद्धि (–)/ कमी होने पर उत्पाद शुल्क	**1027.89**	13.24
	1138.82	117.34

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
39: कर्मचारी लाभ व्यय *		
वेतन – मजदूरी	**6474.19**	6888.42
छुट्टी नकदीकरण	**357.93**	491.23
भविष्य निधि और अन्य धन में कंपनी का योगदान	**754.60**	889.91
यात्रा रियायत	**61.56**	22.21
कल्याण व्यय	**356.32**	314.27
ग्रेच्यूटी	**861.27**	357.74
	8865.87	8963.78
***कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय को ऊपर शामिल नहीं किया गया है और चार्ज किया गया है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**100.72**	136.16

** परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50 देखें

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
40: वित्त लागत				
ब्याज लागत				
विदेशी पूंजी ऋण*		**526.99**		552.45
गैर–परिवर्तनीय बांड		**915.78**		794.54
बैंक उधार – कामकाजी पूंजी		**42.97**		63.12
इस्पात विकास निधि ऋण		**4.08**		3.74
अन्य		**1319.53**		1105.51
आयकर अधिनियम के तहत ब्याज		–		0.01
अन्य उधार लागत		**13.40**		8.45
		2822.75		2527.82
*विदेशी विनिमय उतार चढ़ाव लाभ ₹ 120.04 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹188.52 करोड़ हानि) सहित				
ब्याज और वित्त शुल्कों पर व्यय, ऊपर शामिल नहीं है और इन्हें निर्माण के दौरान व्यय में चार्ज किया गया है:				
विदेशी मुद्रा ऋण		**94.89**		108.06
गैर–परिवर्तनीय बांड		**365.43**		468.48
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज		**4.09**		4.43
अन्य		**204.11**		0.93
		668.52		581.90
41: अन्य व्यय				
स्टोर और पुर्जों की खपत				
खपत	**3490.03**		3621.32	
कमः विभागीय निर्मित स्टोरज	**735.15**		859.64	
कमः तैयार उत्पाद को स्टोरेज तथा स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से उपभोग किया	**473.26**	**2281.62**	532.15	2229.53
मरम्मत और रख रखाव				
इमारतें	**194.71**		202.18	
संयंत्र और मशीनरी	**821.88**		714.23	
अन्य	**228.77**	**1245.36**	223.86	1140.27
संचालन व्यय				
कच्चा माल	**428.15**		333.34	
स्क्रैप वसूली	**282.30**	**710.45**	297.33	630.67
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरिक्षण शुल्क	**1.80**		1.94	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	**0.51**		0.47	
अन्य सेवाओं में	**1.16**		0.99	
कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	**0.68**	**4.15**	0.65	4.05
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	**85.42**		74.47	
निवेश	**13.08**		0.20	
स्टोर, स्पेयर्स और विविध व्यय	**117.70**	**216.20**	73.00	147.67
बिजली और ईंधन		**5815.89**		5249.99
मालभाड़ा बाहर की ओर		**2247.29**		1166.58
रॉयल्टी और सेस		**1271.58**		997.18

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
41: अन्य व्यय (जारी)		
रूपांतरण शुल्क	**306.08**	454.33
अंतर–संयंत्र हस्तांतरण / आंतरिक खपत पर उत्पाद शुल्क	**63.76**	292.12
हर्जाना और घाट शुल्क	**38.82**	53.41
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर	**115.82**	121.02
बीमा	**24.99**	32.50
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	**16.84**	20.53
छपाई और स्टेशनरी	**8.28**	9.88
दर और कर	**58.64**	69.82
किराया	**80.61**	60.77
सुरक्षा खर्च	**514.24**	492.65
यात्रा खर्च	**157.72**	156.48
अस्थायी निलंबित खानों पर व्यय (नोट नोट – 49.18)	**82.07**	97.95
कानूनी शुल्क	**0.15**	0.00
प्रशिक्षण खर्च	**42.08**	30.60
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय (नोट नोट – 49.10)	**26.34**	29.62
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**3.74**	–
संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी को कम करने पर नुकसान (शुद्ध)	**–**	0.50
स्थिर संपत्तियों की बिक्री / स्क्रैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)	**72.80**	48.17
लेखापरीक्षा शुल्क की लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति	**0.05**	0.32
बट्टे खाता – विविध	**2.61**	0.01
चालन व्यय – तैयार माल	**188.31**	160.75
बिक्री एजेंटों को कमीशन	**6.53**	7.34
निर्यात बिक्री व्यय	**47.01**	22.97
विविध	**531.79**	464.43
	16181.82	14192.11

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
41 ए: अतिरिक्त मदें		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	**254.20**	216.74
पेंशन देनदारियों का वापस लिखना	**(458.16)**	–
अवैध खनन के लिए प्रावधान	**340.72**	–
जिला खनिज निधि का उलटाव	**(261.76)**	–
मजदूरी और वेतन का उलटाव	**(110.82)**	–
कोयला ब्लॉक अभ्यार्पण के लिए प्रावधान	**209.39**	–
	(26.43)	216.74

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

42. वित्तीय विलेख

i) उचित मूल्य पदानुक्रम।

वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा और उचित मूल्य पदानुक्रम में तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप के इन स्तरों को महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनता के आधार पर परिभाषित किया गया है, जोकि निम्नानुसार हैः

स्तर 1: वित्तीय उपकरणों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असंगत)।

स्तर 2: वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन जोकि तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करने के लिए इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना भरोसा करें।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – पुनरावर्ती उचित मूल्य माप (₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां		124.39		124.39
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण *				
उद्धरित	15.80			15.80
गैर उद्धृत			64.69	64.69
कुल वित्तीय संपत्तियां	**15.80**	**124.39**	**64.69**	**204.88**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता		65.24		65.24
कुल वित्तीय देनदारियां	–	**65.24**	–	**65.24**

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – पुनरावर्ती उचित मूल्य माप (₹ करोड़)

31 मार्च, 2017 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड़
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां		227.54		227.54
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण *				
उद्धरित	13.30			13.30
गैर उद्धृत			58.39	58.39
कुल वित्तीय संपत्तियां	**13.30**	**227.54**	**58.39**	**299.23**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता		603.57		603.57
कुल वित्तीय देनदारियां	–	**603.57**	–	**603.57**

iii) वित्तीय संपत्ति और देनदारियां – जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है (₹ करोड़)

	स्तर	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
		कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	स्तर–3	515.38	545.27	526.25	534.66
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	स्तर–2	124.39	124.39	227.54	227.54
इक्विटी उपकरण *					
उद्धरित	स्तर–1	15.80	15.80	13.30	13.30
गैर उद्धरित	स्तर–3	64.69	64.69	59.43	59.43
कुल वित्तीय संपत्तियां		**720.26**	**750.15**	**826.52**	**834.93**
वित्तीय देनदारियां					
उधार	स्तर–3	47358.17	47714.31	43280.15	43628.65
अन्य भुगतान	स्तर–3	9967.75	10008.93	9164.70	9298.02
व्युत्पन्न देयता	स्तर–2	65.24	65.24	603.57	603.57
कुल वित्तीय देनदारियां		**57391.16**	**57788.48**	**53048.42**	**53530.24**

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय उपकरणों के मूल्य के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य इसी तरह के उपकरणों के लिए डीलर या काउंटरपार्टी उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) आगे विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर आगे की दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधार लेने जाने वाले मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों जाने वाला मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ड़) निश्चित ब्याज दर वित्तीय संपत्तियों और देय लागत (वित्त पट्टे दायित्वों सहित) में किए गए देनदारियों का उचित मूल्य बैलेंस शीट पर समान संपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के लिए नकद छूट दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह तुलन–पत्र तारीखों को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

(v) गैर उद्धृत निवेश:

अनगिनत इक्विटी निवेश के उचित मूल्य अनुमान स्तर –3 में शामिल हैं और निवेशक कंपनी की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित हैं। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि मूल्य का उचित अनुमान है, इसलिए उचित मूल्यों के कारण कोई बदलाव नहीं आया है।

vi) निम्न तालिका स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरणों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: (₹ करोड़)

गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2016 को	**59.43**
लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है	.
31 मार्च, 2017 को	**59.43**
लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है	5.26
31 मार्च, 2018 को	**64.69**

43. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीआईएल**	**अमूर्त लागत**	**एफवीटीपीएल**	**एफवीआईएल**	**अमूर्त लागत**
वित्तीय संपत्ति						
निवेश						
इक्विटी उपकरण *		80.49			72.73	
व्यापार स्वीकार योग्य			3870.99			2934.69
नकद और नकद समकक्ष			94.00			140.64
अन्य बैंक शेष			251.55			238.19
ऋण			515.38			526.25
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	124.39			227.54		
अन्य प्राप्तिया			2825.89			2299.82
जोड़	**124.39**	**80.49**	**7557.81**	**227.54**	**72.73**	**6139.59**
वित्तीय देनदारियां						
उधारी			47358.17			43280.15
देय व्यापार			7533.02			5225.77
व्युत्पन्न देयता	65.24			603.57		
अन्य देनदारियां			9967.75			9164.70
जोड़	**65.24**	.	**64858.94**	**603.57**	—	**57670.62**

*संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी में निवेश एएस–27 "अलग वित्तीय विवरण" के रूप में इंडस्ट्रीज़ के अनुसार लागत पर लिया गया है और इसलिए यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन

समूह वित्तीय उपकरणों के संबंध में विभिन्न जोखिमों से अवगत कराया गया है। समूह की वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को श्रेणी 42 (i) में सारांशित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिम हैं, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हैं। समूह का जोखिम प्रबंधन को अपने मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वयित किया जाता है, और अस्थिर वित्तीय बाजारों के संपर्क को कम करके समूह के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश उत्पन्न करने में कामयाब रहे हैं, स्थायी रिटर्न। समूह सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं होता है और न ही यह विकल्प लिखता है। समूह के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम जोखिम है जो कि एक प्रतिपक्षी समदल के लिए एक दायित्व निर्वहन करने में विफल रहता है। समूह विभिन्न वित्तीय उपकरणों के लिए इस जोखिम से अवगत कराया गया है, उदाहरण के लिए, ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां देना, जमा करना आदि। समूह का क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों की ले जाने वाली राशि तक ही सीमित है।

–नकद और नकद समकक्ष

–व्युत्पन्न वित्तीय साधनों

–व्यापार स्वीकार योग्य

– अन्य वित्तीय संपत्तियों को अमूर्त लागत पर मापा जाता है

समूह लगातार व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने गए ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफ़ॉल्ट पर नज़र रखता है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है। जहां उचित लागत, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और / या रिपोर्ट पर उपलब्ध है ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों को प्राप्त और उपयोग किया जाता है। समूह की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ सौदा करना है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकद और नकदी समतुल्य

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम केवल उच्च रेटेड बैंकों और विविध बैंक जमा को स्वीकार करके प्रबंधित किया जाता है। देश भर के विभिन्न बैंकों में खाते हैं।

व्युत्पन्न वित्तीय विलेख

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को अत्यधिक रेटेड बैंकों के साथ ही इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करके प्रबंधित किया जाता है प्रतिद्वंद्वियों के रूप में वित्तीय संस्थानों। कंपनी अपने प्रतिभागियों को कई प्रतिपक्षियों के साथ विविधता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्तियां

व्यापार प्राप्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखता है और केवल क्रेडिट योग्य पार्टियों को सामान बेचता है। समूह की आंतरिक प्रणाली हैं ''ग्राहकों की "क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, जिससे क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित कर दिया गया है।

अमूर्त लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अमूर्त लागत पर मापा गया अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन से संबंधित क्रेडिट जोखिम अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण भी होता है। प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि मात्रा परिभाषित सीमाओं के भीतर हों।

ख) प्रत्याशित क्रेडिट हानियां

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट नुकसान प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्तियां

समूह एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान को पहचानता है और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करता है। व्यापार प्राप्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए:

(₹ करोड़)

एजिंग (31 मार्च, 2018 को)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	3005.30	697.14	92.93	74.74	197.58	4067.69
अपेक्षित हानि दर	0.25%	0.38%	2.30%	2.81%	92.26%	4.84%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	7.52	2.66	2.14	2.10	182.28	196.70
व्यापार प्राप्तियों की मात्रा लेना (हानि का नेट)	**2997.78**	**694.48**	**90.79**	**72.64**	**15.30**	**3870.99**

एजिंग (31 मार्च, 2017 को)	0–3 मास	3–12 मास	12–24 मास	24–36 मास	36 मास से अधिक	जोड़
सकल वाहक राशि	2295.26	420.10	135.85	37.96	227.41	3116.58
अपेक्षित हानि दर	0.03%	0.37%	1.84%	6.61%	76.84%	5.84%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	0.59	1.54	2.50	2.51	174.74	181.89
व्यापार प्राप्तियों की मात्रा लेना (हानि का नेट)	**2294.67**	**418.56**	**133.35**	**35.45**	**52.67**	**2934.69**

अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान कर समाधान (₹ करोड़)

विवरण	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां
31 मार्च, 2016 को	**152.24**
प्रावधान में परिवर्तन	24.24
31 मार्च, 2017 को	**181.89**
प्रावधान में परिवर्तन	14.81
31 मार्च, 2018 को	**196.70**

अन्य वित्तीय संपत्तियों को अमूर्त लागत पर मापा जाता है

ग्रुप किसी भी क्रेडिट हानि की उम्मीद के लिए व्यक्तिगत वित्तीय उपकरणों का आकलन करके "ऋण अग्रिम और व्यापार प्राप्तियों के अलावा" पर अपेक्षित क्रेडिट नुकसान प्रदान करता है। चूंकि इस श्रेणी में विभिन्न प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्तियां शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि कंपनी पूरी आबादी के लिए लगातार आवेदन करने के लिए आकर्षित हो सके, ऐसी वित्तीय संपत्तियों के लिए, समूह की नीति प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है और जीवन भर में क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण आजीवन क्रेडिट नुकसान की उम्मीद करती है। ग्रुप में ऐसी कम परिसंपत्तियों पर मान्यता प्राप्त हानि आधारित हानि नहीं है, जो उनकी कम क्रेडिट जोखिम प्रकृति पर विचार करते हैं, हालांकि इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के तहत हानि प्रावधानों का खुलासा किया गया है।

ख) तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का मतलब है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, समूह प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति और नकदी और नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नज़र रखता है। समूह उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखता है जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, समूह की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकद प्रवाह प्रक्षेपण करना और इनसे मिलने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं के खिलाफ बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी समूह की वित्तीय देनदारियों को सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी अनुबंधिक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी में विश्लेषण करती हैं और तालिका में प्रकट राशि को संविदात्मक अनचाहे नकद प्रवाह होते हैं। 12 महीने के भीतर देय शेष राशि उनके वाहक शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का असर महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2018 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 सालत	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	18348.05	5719.16	4611.01	27190.55	55868.77
व्यापार देयता	7526.64	0.64	0.85	4.89	7533.02
अन्य देनदारियां	10392.85	112.45	96.56	1270.94	11872.80
जोड़	**36267.54**	**5832.25**	**4708.42**	**28466.38**	**75274.59**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	65.24	–	–	–	65.24
जोड़	**65.24**	–	–	–	**65.24**

31 मार्च, 2017 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 सालत	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी*	24177.67	4569.02	4652.70	13282.34	46681.74
व्यापार देयता	5218.41	1.29	5.64	0.43	5225.77
अन्य देनदारियां	10436.75	125.35	105.25	1453.49	12120.84
जोड़	**39832.83**	**4695.66**	**4763.59**	**14736.26**	**64028.35**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता	603.57	–	–	–	603.57
जोड़	**603.57**	–	–	–	**603.57**

* उधार में वित्त पट्टा दायित्वों को शामिल नहीं किया गया है, वित्त पट्टा दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल के प्रकटीकरण के लिए नोट 49.11 (बी) देखें।

ग) बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

अधिकांश समूह के लेनदेन आईएनआर में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के एक्सपोजर समूह की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर (यूएसडी) में अंकित होते हैं। समूह के विदेशी मुद्रा जोखिम के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और आगे एक्सचेंज अनुबंध समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। आम तौर पर, समूह की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लंबी अवधि के नकद प्रवाह (6 महीने के बाद के कारण) से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकद प्रवाह (6 महीने के भीतर) को अलग करती हैं। जहां एक विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली राशि और प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, वह बड़े पैमाने पर एक–दूसरे को ऑफसेट करने की उम्मीद है, और आगे हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रवेश किए जाते हैं जिन्हें अन्य समान मुद्रा लेन–देन द्वारा ऑफसेट होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजरः

उक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का महत्वपूर्ण एक्सपोजर इस प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2018 तक		31 मार्च, 2017 तक	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय संपत्ति				
व्यापार स्वीकार योग्य	1.89		38.25	
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति (उधार राशि, हेज उधार लेने के लिए)	3343.41		10099.90	
विदेशी मुद्रा जोखिम (संपत्ति) के लिए शुद्ध जोखिम	**3345.30**	–	**10138.15**	–
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	3619.36	327.06	13039.83	327.06
व्यापार स्वीकार योग्य	90.63	330.72	57.25	307.02
व्युत्पन्न देयता	29.35			
अन्य देनदारियां	68.30	137.27		
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के लिए शुद्ध जोखिम	**3807.64**	**795.05**	**13097.08**	**634.08**

संवेदनशीलता

निम्न तालिका समूह की वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर 'अन्य सभी चीजों के बराबर' के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2018 (2017: 4.09%) पर समाप्त वर्ष के लिए INR/USD विनिमय दर का +/– 4.24% परिवर्तन मानता है। ए +/– 6.90% परिवर्तन आईएनआर/यूरो विनिमय दर (2017: 7.86%) के लिए माना जाता है। इन दोनों प्रतिशतों को पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किया गया है। संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित कंपनी के विदेशी मुद्रा वित्तीय उपकरणों पर आधारित होता है और मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफ़सेट करने वाले खाते के आगे के अनुबंध अनुबंध भी लेता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर / यूएसडी– 4.24% की वृद्धि (31 मार्च, 2018)	(19.60)	
आईएनआर / यूएसडी– 4.24% की कमी (31 मार्च, 2018)	19.60	
आईएनआर / यूएसडी– 4.09% की वृद्धि (31 मार्च, 2017)		(121.02)
आईएनआर / यूएसडी– 4.09% की कमी (31 मार्च, 2017)		121.02
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर / यूरो– 6.90% की वृद्धि (31 मार्च, 2018)	(54.86)	
आईएनआर / यूरो– 6.90% की कमी (31 मार्च, 2018)	54.86	
आईएनआर / यूरो– 7.86% की वृद्धि (31 मार्च, 2017)		(49.84)
आईएनआर / यूरो– 7.86% की कमी (31 मार्च, 2017)		49.84

ख) ब्याज दर जोखिम

समूह की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर होते हैं। 31 मार्च, 2018 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में समूह के निवेश सभी सावधि ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। समूह के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों के संपर्क में असर माना जाता है। निम्नलिखित तालिका +/– 1% (2017: +/– 1%) की ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित वित्तीय साधनों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य सभी चर स्थिर रहे हैं।

प) देनदारियां

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। 31 मार्च, 2018 को, समूह को ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में उजागर किया गया है।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

ब्याज दर के जोखिम के लिए कंपनी का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफ़सेट एक्सपोजर को छोड़कर)	2998.05	9777.02
निश्चित दर उधार	44360.12	33503.13
जोड़ उधारी	**47358.17**	**43280.15**

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता नीचे है। (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ब्याज संवेदनशीलता		
ब्याज दरें– 100 आधार अंकों से बढ़ोतरी	473.58	432.80
ब्याज दरें–100 आधार अंकों से कम	(473.58)	(432.80)

ii) परिसंपत्तियां

समूह की सावधि जमा, अमूर्त लागत पर की जाती है और निश्चित दर पर जमा होती है। इसलिए वे इंडेक्स एएस 107 में परिभाषित ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव की वजह से न तो ले जाने वाली राशि और न ही भविष्य में नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

नीचे वित्तीय संपत्तियों का समग्र जोखिम है: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परिवर्तनीय दर जमा/ ऋण	–	–
जमा/ ऋणों पर निश्चित दर	766.93	674.62
जोड़ जमाराशि	**766.93**	**674.62**

ग) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

समूह अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम के संपर्क में है (नोट 8 देखें)। समूह शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानता है, इसलिए बैलेंस शीट तिथि पर बकाया एक्सपोजर पर मूल्य जोखिम से अवगत नहीं है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य हैं

– सतत संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना

– शेयरधारकों को पर्याप्त वापसी प्रदान करने के लिए

समूह बैलेंस शीट में चेहरे प्रस्तुत इक्विटी कम नकद और नकद समकक्षों की ले जाने वाली राशि के आधार पर पूंजी पर नज़र रखता है।

प्रबंधन अत्यधिक लाभ उठाने से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्त पोषण संरचना को बनाए रखने के लिए समूह की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह कंपनी के ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तर को ध्यान में रखता है। समूह पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के प्रकाश में समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है, या ऋण को कम करने के लिए संपत्ति बेच सकती है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
शुद्ध ऋण	47012.62	42901.32
जोड़ इक्विटी	36946.65	37042.26
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	**1.27**	**1.16**
लाभांश		
(i) इक्विटी शेयर		
मार्च के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	शून्य	शून्य
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश मान्यता प्राप्त नहीं है	शून्य	शून्य

44क. इक्विटी पद्धति से निवेश की संक्षिप्त वित्तीय सूचना

क. संयुक्त उपक्रम व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं

एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समतुल्य	**43.44**	5.14
अन्य संपत्तियां	**764.17**	920.51
	807.61	925.65
गैर–वर्तमान दायित्व	**2,789.19**	2,202.61
वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**468.97**	316.96
अन्य दायित्व	**122.63**	103.23
	591.60	420.19
गैर–वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**711.29**	570.13
अन्य दायित्व	**109.70**	164.43
	820.99	734.56
कुल संपत्तियां	**2,184.21**	1,973.51
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की वहनीय राशि	**1,092.11**	986.76

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
राजस्व	**2,602.17**	2,526.31
अवमूल्यन और परिशोधन	**150.38**	147.20
ब्याज से आय	**29.37**	94.46
ब्याज पर व्यय	**41.19**	76.52
आयकर पर व्यय और आय	**12.94**	46.73
जारी संचालनों से लाभ या हानि	**331.71**	388.87
बंद संचालनों से कर के पश्चात लाभ या हानि	–	–
अन्य समावेशी आय	**(0.68)**	(2.08)
कुल समावेशी आय	**331.03**	386.79
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समतुल्य	**4.08**	51.72
अन्य संपत्तियां	**307.48**	210.95
	311.56	262.67
गैर–वर्तमान दायित्व	**99.87**	93.99
वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**133.51**	92.08
अन्य दायित्व	**10.14**	24.90
	143.65	116.98
गैर–वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	–	–
अन्य दायित्व	**13.01**	12.60
	13.01	12.60
कुल संपत्तियां	**254.77**	227.08
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की वहनीय राशि	**127.39**	113.54

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
राजस्व	**204.60**	176.15
अवमूल्यन और परिशोधन	**8.78**	8.07
ब्याज से आय	**0.72**	0.16
ब्याज पर व्यय	**0.04**	–
आयकर पर व्यय और आय	**18.47**	16.06
जारी संचालनों से लाभ या हानि	**42.43**	37.75
बंद संचालनों से कर के पश्चात लाभ या हानि	–	–
अन्य समावेशी आय	**1.26**	0.25
कुल समावेशी आय	**43.69**	38.00
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समतुल्य	**27.02**	50.92
अन्य संपत्तियां	**69.58**	37.21
	96.60	88.13
गैर–वर्तमान दायित्व	**2,233.33**	2,217.58
वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**246.16**	248.04
अन्य दायित्व	**0.11**	0.51
	246.27	248.55
गैर–वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	–	–
अन्य दायित्व	**15.98**	14.58
	15.98	14.58
कुल संपत्तियां	**2,067.68**	2,042.58
घटाएं: शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन		180.01
	2,067.68	1,862.57
स्वामित्व ब्याज	**47.82%**	46.73%
ब्याज की वहनीय राशि	**988.76**	870.38

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
राजस्व	**43.46**	13.91
अवमूल्यन और परिशोधन	**0.11**	0.13
ब्याज से आय	–	0.65
ब्याज पर व्यय	**6.73**	89.91
आयकर पर व्यय और आय	–	0.40
जारी संचालनों से लाभ या हानि	**21.28**	(67.33)
बंद संचालनों से कर के पश्चात लाभ या हानि	–	–
अन्य समावेशी आय	**3.82**	3.26
कुल समावेशी आय	**25.10**	(64.07)
स्वामित्व ब्याज	**47.82%**	46.73%

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समतुल्य	**95.46**	134.91
अन्य संपत्तियां	**323.00**	295.04
	418.46	429.95
गैर–वर्तमान दायित्व	**902.48**	834.01
वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**186.79**	150.74
अन्य दायित्व	**25.03**	70.72
	211.82	221.46
गैर–वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	–	15.79
अन्य दायित्व	**292.00**	258.20
	292.00	273.99
कुल संपत्तियां	**817.12**	768.51
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की वहनीय राशि	**408.56**	384.26

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
राजस्व	**896.44**	900.72
अवमूल्यन और परिशोधन	–	–
ब्याज से आय	–	25.61
ब्याज पर व्यय	**17.03**	15.66
आयकर पर व्यय और आय	**(0.48)**	2.09
निरंतर संचालनों से लाभ या हानि	**79.28**	78.54
बंद संचालनों से कर के पश्चात लाभ या हानि	–	–
अन्य समावेशी आय	**0.81**	(0.49)
कुल समावेशी आय	**80.09**	78.53
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

(₹ करोड़)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समतुल्य	**5.58**	4.20
अन्य संपत्तियां	**46.50**	31.43
	52.08	35.63
गैर–वर्तमान दायित्व	**750.67**	775.68
वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**167.58**	258.54
अन्य दायित्व	**564.38**	435.83
	731.96	694.37
गैर–वर्तमान दायित्व		
वित्तीय दायित्व (व्यापार देय राशि और प्रावधानों को छोड़कर)	**9.09**	13.94
अन्य दायित्व	**6.27**	5.62
	15.36	19.56
कुल संपत्तियां	**55.43**	97.38
स्वामित्व ब्याज	**26.00%**	26.00%
शुद्ध संपत्तियों की गणना किए हुए शेयर	**14.41**	25.32
ख्याति		5.73
ब्याज की वहनीय राशि	**14.41**	31.05

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
राजस्व	**207.96**	84.13
अवमूल्यन और परिशोधन	**38.80**	38.43
ब्याज से आय	-	-
ब्याज पर व्यय	**12.27**	18.92
आयकर पर व्यय और आय	**15.90**	(30.80)
निरंतर संचालनों से लाभ या हानि	**42.04**	(69.03)
बंद संचालनों से कर के पश्चात लाभ या हानि	–	–
अन्य समावेशी आय	**0.08**	(0.31)
कुल समावेशी आय	**42.12**	(69.34)
स्वामित्व ब्याज	**26.00%**	26.00%

ख. व्यक्तिगत रूप से महत्वहीन संयुक्त उपक्रमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
जारी संचालनों से लाभ या हानि	**(33.09)**	(24.89)
बंद संचालनों से कर पश्चात लाभ या हानि	–	–
अन्य समावेशी आय	**0.02**	0.01
कुल समावेशी आय	**(33.07)**	(24.88)

ग. सहयोगी, व्यक्तिगत रूप से महत्वहीन

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
जारी संचालनों से लाभ या हानि	**1.73**	0.52
लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	–	–
अन्य समावेशी आय	–	–
कुल समावेशी आय	**1.73**	0.52

घ. संयुक्त उपक्रमों की हानि के गैर–मान्यता प्राप्त शेयर, रिपोर्टिंग और संचयी दोनों अवधि के लिए, जहां सेल ने इक्विटी पद्धति को अपनाते हुए सुंयक्त उद्यमों के अपने हानि के शेयरों को मान्यता देना बंद कर दिया है

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड – रिपोर्टिंग	–	–
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड – संचयी	**0.01**	0.01
सेल मॉइल अलॉय प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**4.57**	0.19
सेल मॉइल अलॉय प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	**6.24**	1.67
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**8.64**	4.84
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – संचयी	**20.89**	12.25
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड – रिपोर्टिंग	–	–
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड – संचयी	**0.01**	0.01
एस एंड टी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**3.26**	–
एस एंड टी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	**3.26**	–
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	–	–
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	**0.01**	0.01

ड. संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त लाभांश

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**50.00**	84.25
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	**5.60**	7.22
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	–	–
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**12.40**	12.32
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	.	.

44ख. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विवरण

क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि का नाम	निगमन का प्रमुख स्थान	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	% में आनुपातिक स्वामित्व 31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
1	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	सहायक कंपनी	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	100%	100%
2	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी	दुर्दम्य पदार्थ का उत्पादन	भारत	भारत	100%	100%
3	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	100%	100%
4	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक कंपनी	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	74%	74%
5	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
6	बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
7	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	परामर्शदात्री सेवाएं	भारत	भारत	50%	50%
8	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	परामर्शदात्री सेवाएं	भारत	भारत	40%	40%
9	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
10	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	कोयला खनन	भारत	भारत	50%	50%
11	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	कोयला खनन	भारत	मोजाम्बिक	48%	47%
12	सेल–मॉइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	फेरो मैंगनीज उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
13	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	लॉजिस्टिक्स	भारत	भारत	50%	50%
14	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	49%	49%
15	सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे वैगन उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
16	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
17	सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	50%	50%
18	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
19	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	21%	21%
20	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	26%	26%
21	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	49%	49%
22	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	धातु उत्पाद	भारत	भारत	26%	26%
23	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	धातु उत्पाद	भारत	भारत	26%	26%
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	21%	21%
25	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सहयोगी	मैग्नेसाईट खनन	भारत	भारत	20%	20%

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44ग. समेकित विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 द्वारा मांगी गई सूचना

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए									
समूह में कंपनी का नाम	31 मार्च, 2018 को % में स्वामित्व	आनुपातिक अंश	शुद्ध समेकित मूल्य के % के रूप में	लाभ/(हानि) में अंश	समेकित लाभ/(हानि) % के रूप में	अन्य व्यापक आय में अंश	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में अंश	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	35,713.67	96.66%	(481.71)	171.18%	186.32	99.75%	(295.39)	312.25%
सहायक कंपनियां									
सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	100	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	123.36	0.33%	14.20	.5.05%	(0.01)	–0.01%	14.19	–15.00%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	0.02	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.03	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
संयुक्त उपक्रम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,092.14	2.96%	165.86	–58.94%	(0.34)	–0.18%	165.52	–174.97 %
बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	408.56	1.11%	39.64	–14.09%	(0.41)	–0.22%	39.23	–41.47%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	127.39	0.34%	21.22	–7.54%	(0.63)	–0.34%	20.59	–21.77%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40	0.30	0.00%	(0.24)	0.09%	–	0.00%	(0.24)	0.25%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	20.14	0.05%	(10.93)	3.88%	0.02	0.01%	(10.91)	11.53%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	(3.26)	–0.01%	(2.77)	0.98%	0.01	0.01%	(2.76)	2.92%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	988.76	2.68%	10.18	–3.62%	1.83	0.98%	12.01	–12.70%
सेल–मॉइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	(4.57)	1.62%	–	0.00%	(4.57)	4.83%
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	0.06	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	–	0.00%	(7.98)	2.84%	–	0.00%	(7.98)	8.44%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50	12.76	0.03%	(2.07)	0.74%	–	0.00%	(2.07)	2.19%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	0.26	0.00%	.	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	–	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26	5.63	0.02%	(0.75)	0.27%	–	0.00%	(0.75)	0.79%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.21	0.00%	(0.09)	0.03%	–	0.00%	(0.09)	0.10%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	–	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.01%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	0.02	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26	.	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	0.01	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	21	0.23	0.00%	(0.51)	0.18%	–	0.00%	(0.51)	0.54%
सहयोगी							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.35	0.00%	0.35	–0.12%	–	0.00%	0.35	–0.37%
अनियंत्रित ब्याज									
समेकन समायोजन		(1,546.00)	–4.17%	(21.18)	7.53%	–	0.00%	(21.17)	22.38%
कुल योग		**36,946.66**	**100.00%**	**(281.40)**	**100.00%**	**186.80**	**100.00%**	**(94.60)**	**100.00%**

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

44घ. समेकित विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 द्वारा मांगी गई सूचना

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए									
समूह में कंपनी का नाम	31 मार्च, 2018 को % में स्वामित्व	आनुपातिक अंश	शुद्ध समेकित मूल्य के % के रूप में	लाभ/(हानि) में अंश	समेकित लाभ/(हानि) % के रूप में	अन्य व्यापक आय में अंश	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में अंश	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	36,009.06	97.21%	(2,833.24)	102.80%	(353.60)	99.96%	(3,186.84)	102.47%
सहायक कंपनियां									
सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	100	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.00%
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	116.76	0.32%	21.01	–0.76%	(0.67)	0.19%	20.34	–0.65%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.03	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
संयुक्त उपक्रम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	986.76	2.66%	194.43	–7.05%	(1.04)	0.29%	193.39	–6.22%
बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	384.26	1.04%	39.27	–1.42%	0.25	–0.07%	39.52	–1.27%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	113.54	0.31%	18.87	–0.68%	(0.12)	0.03%	18.75	–0.60%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40	0.50	0.00%	(0.16)	0.01%	0.00	0.00%	(0.16)	0.01%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	25.32	0.07%	(17.87)	0.65%	(0.08)	0.02%	(17.95)	0.58%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	(0.50)	0.00%	(2.53)	0.09%	–	0.00%	(2.53)	0.08%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	46.73	870.38	2.35%	(31.39)	1.14%	1.52	–0.43%	(29.87)	0.96%
सेल–मॉइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50	(1.67)	0.00%	(0.19)	0.01%	–	0.00%	(0.19)	0.01%
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	0.07	0.00%	0.00	0.00%	–	0.00%	0.00	0.00%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	(17.14)	.0.05%	(6.14)	0.22%	–	0.00%	(6.14)	0.20%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50	14.83	0.04%	(6.49)	0.24%	–	0.00%	(6.49)	0.21%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	0.26	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	(0.00)	0.00%	(0.01)	0.00%	–	0.00%	(0.01)	0.00%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26	6.44	0.02%	1.07	–0.04%	–	0.00%	1.07	–0.03%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	1.58	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	(0.03)	0.00%	(0.02)	0.00%	–	0.00%	(0.02)	0.00%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	0.02	0.00%	(0.00)	0.00%	–	0.00%	(0.00)	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26	(0.00)	0.00%	–	0.00%	–	0.00%	–	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	(0.02)	0.00%	(0.00)	0.00%	–	0.00%	(0.00)	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	21	0.49	0.00%	(0.02)	0.00%	–	0.00%	(0.02)	0.00%
सहयोगी							**0.00%**		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.01	0.00%	0.10	0.00%	–	0.00%	0.10	0.00%
अनियंत्रित ब्याज		0.01		–		–		–	
समेकन समायोजन		(1,469.70)	.3.97%	(132.87)	4.82%	–		(132.87)	4.27%
कुल योग		**37,042.27**		**(2,756.17)**		**(353.75)**		**(3,109.92)**	

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

45: गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के विवरण

वर्तमान और गैर–वर्तमान उधार–ग्रहणों के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी गई संपत्तियों की वहनीय राशि है (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
चालू		
मालसूचियां और व्यापार प्राप्तियां (वचनबद्ध गिरवी रखी तक)	**2334.39**	1552.09
गैर चालू		
संयंत्र और मशीनरी (जंगम परिसंपत्तियां) – दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध सीमा तक)	**1148.00**	1162.00
संयंत्र और मशीनरी (जंगम परिसंपत्तियां) – बोकारो व भिलाई इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध गिरवी सीमा तक)	**16403.26**	2500.00
भूमि और संयंत्र और मशीनरी (मौजे–वेदज सिटी ताल्लूका में, जिला अहमदाबाद, गुजरात) – आईएसपी	**10295.00**	13202.00

46: प्रभावी कर मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
कर से पहले लाभ / (हानि)	**(526.63)**	(4,715.69)
पीएफएस के लिए घरेलू कर दर	**34.94%**	34.61%
अपेक्षित कर व्यय (क)	**(184.03)**	(1,632.01)
कर मुक्त आय / गैर कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**(22.10)**	(10.71)
अंतर कर दर वस्तुओं के लिए समायोजन	(1.48)	0.47
विशिष्ट व्यय पर कर प्रोत्साहन	**(16.09)**	(353.00)
पिछले वर्षो से संबंधित कर	**36.56**	43.64
कॉर्पोरेट कर दर में वृद्धि	**(28.39)**	–
अन्य	**(29.70)**	(7.92)
कुल समायोजन (ख)	**(61.20)**	(327.52)
वास्तविक कर व्यय (ग = क +ख)	**(245.23)**	(1,959.52)
कर व्यय में शामिल:		
वर्तमान कर व्यय	**7.06**	30.64
आस्थगित कर क्रेडिट	**(252.29)**	(1,990.16)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	**(245.23)**	(1,959.52)

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	सेल के संबंध में :		
(i)	कम्पनी के खिलाफ बकाया पुनर्विचार / न्यायिक निर्णयाधीन मामले	**22672.07**	33182.59
(ii)	कम्पनी के खिलाफ अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए	**3550.27**	3243.98
(iii)	संयुक्त उद्यम कम्पनी के प्रति ऐसी विवादित आय कर/सेवा कर/ अन्य मांग जिसके प्रति संयुक्त उद्यम करार के अंतर्गत कम्पनी की देयता संभावित है।	**34.76**	32.89
(iv)	ग्राहकों के नाम आहरित तथा बैंकों से भुनाए गए बिल	**68.83**	37.38
(v)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य संवर्धन दावे एवं कर्मचारियों के दावे	**441.70**	408.62
	संयुक्त उद्यम कम्पनियों के संबंध में:		
(i)	कम्पनी के खिलाफ बकाया पुनर्विचार/न्यायिक निर्णयाधीन मामले	–	1.70
(ii)	कम्पनी के खिलाफ अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए	**44.88**	47.05

47.2 सेल के संबंध में :

क) (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की सांविधिक न्यायपीठ द्वारा दिनांक 11.11.2016 को दिए गए अपने निर्णय में राज्यों द्वारा सम्पादित प्रवेश कर अधिनियमों के करारोपण की सांविधिक वैधता को बरकरार रखा गया है तथा इसके लिए विचारार्थ सिद्धांत/परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित नियमित न्यायपीठों द्वारा मामलों की सुनवाई निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में प्रवेश कर के करारोपण पर सर्वोच्च न्यायालय की नियमित न्यायपीठों में न्यायाधीन निर्णय को देखते हुए 31 मार्च, 2018 तक की क्रमशः ₹1092.28 करोड़, ₹ 241.00 करोड़, ₹ 92.23 करोड़ तथा ₹ 5.15 करोड़ की कुल ₹ 1430.66 करोड़ की प्रवेश कर से संबंधित विवादित मांग (जिसमें 31 मार्च, 2017 तक के लिए ₹ 1092.28 करोड़, ₹ 352.16 करोड़, ₹ 92.23 करोड़ तथा ₹ 5.15 करोड़ की कुल ₹ 1541.82 करोड़ मांग शामिल है) को आकस्मिक देयताएं माना गया है।

(ii) पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर के करारोपण से संबंधित मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीन अंतिम निर्णय को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2018 तक की ₹ 295.50 करोड़ की विवादित प्रवेश कर मांग (31 मार्च, 2017 तक ₹ 254.21 करोड़) को आकस्मिक देयताएं माना गया है।

ख) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) से संबंधित 2009–14 के बिजली प्रभारों की अस्थाई मूल्य याचिका के प्रति कम्पनी द्वारा दायर किए गए विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से कानूनी पहलू को मुक्त रखने की व्यवस्था के साथ खारिज कर दिया गया था। 2009–14 की मूल्य सूची से संबंधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक बोर्ड (सीईआरसी) के दिनांक 7.8.2013 के आदेश के प्रति विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) के समक्ष याचिका संख्या 275/जीटी/2012 को चुनौती (2014 की अपील संख्या संख्या 18) दी गई थी, जिसमें कम्पनी द्वारा भी मध्यवर्तन किया गया था, तथा विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल के आदेश प्रतीक्षित हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा 2004–09 की मूल्य सूची के संबंध में दाखिल की गई अपील पर अभी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। कम्पनी को प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार 2004–09 की मूल्य सूची के निर्धारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का प्रभाव अनुवर्ती अवधियों पर हो सकता है। यह मामला न्यायाधीन होने के कारण 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन के ₹ 587.72 करोड़ के दावे (31.3.2017 तक ₹ 587.72 करोड़) को आकस्मिक देयता मानकर उपर्युक्त नोट संख्या 47.1(i) (च) में शामिल किया गया है। उक्त दावे के प्रति पूरी राशि का भुगतान दामोदर वैली कॉरपोरेशन को कर दिया गया है तथा इसका प्रकटन अन्य चालू परिसम्पत्तियों में किया गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2017 के पश्चात से लाभ एवं हानि विवरण में पूर्ण बीजक मूल्य को विचार में लिया गया है।

47.3 झारखंड सरकार द्वारा झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोयले, लौह तथा इस्पात मदों के संव्यवहार मूल्य पर "बाजार शुल्क" के रूप में 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए ₹ 3374.46 करोड़ (31 मार्च, 2017 तक ₹ 3045.41 करोड़) की मांग की गई है। यह मामला चूंकि न्यायाधीन है, अतः इस राशि का प्रकटन आकस्मिक देयता के उपर्युक्त नोट संख्या 47.1(ङ) में किया गया है।

47.4 खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना पर आधारित दरों तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लौह अयस्क लम्प्स एवं फाइन्स के लिए अलग–अलग से मासिक आधार पर प्रकाशित दरों के अनुसार पट्टा क्षेत्र से हटाई जाने वाली लौह अयस्क की मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। उड़ीसा सरकार द्वारा दिनांक 7.9.2010 को फाइन्स पर रायल्टी का भुगतान अगस्त, 2009 से पूर्व प्रभाव के साथ लम्प्स की दरों पर किए जाने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.7.2012 के परिपत्र के माध्यम से उड़ीसा सरकार को अपने दिनांक 7.9.2010 के परिपत्र को वापिस लेने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, कम्पनी की दो लौह अयस्क खानों के फाइन्स के संबंध में लम्प्स के लिए लागू दरों पर चुकता की गई ₹ 143.54 करोड़ की अतिरिक्त रायल्टी को प्राप्य दावे के रूप में दर्शाया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा परिपत्र वापिस लिए जाने से संबंधित यह मामला कम्पनी द्वारा चूंकि उचित प्राधिकरण के सम्मुख विविक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है अतः ₹ 143.54 करोड़ की राशि (31 मार्च, 2017 के अनुसार ₹ 144.34 करोड़) को उपर्युक्त नोट 47.1(ii)(ख) में आकस्मिक देयता दर्शाया गया है।

47.5 केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, कोलकाता द्वारा लिए गए अपने निर्णय में इस्पात मंत्रालय को कार्यपालकों को 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए संशोधित अनुलाभों तथा भत्तों के भुगतान के संबंध में विचार करने तथा ₹ 325.13 करोड़ की राशि के संशोधित अनुलाभ एवं भत्तों के भुगतान के संबंध में उचित निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। इस्पात मंत्रालय द्वारा कम्पनी को इस मामले की जानकारी 7.12.2016 को दी गई है। इस मामले पर दिनांक 22.12.2016 को एक याचिका दायर की गई है जो माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है। यह मामला न्यायाधीन होने के कारण इस राशि का प्रकटन ऊपर नोट संख्या 47.1(अ) में किया गया है।

47.6 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 13/14 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 के दौरान की गई कोयला आपूर्ति के संबंध में ₹ 334.45 करोड़ के अंतर मूल्यों का दावा किया गया है जो कोयला आपूर्तियों के संबंध में समझौता ज्ञापन में सहमत मूल्यों से अधिक राशि के बिल से संबंधित है तथा जिन्हें लेखे में शामिल नहीं किया गया है। चर्चा तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय होने के कारण ₹ 334.45 करोड़ की उपर्युक्त देयता का प्रकटन ऊपर नोट संख्या 47.1(ii)(घ) में आकस्मिक देयता के तौर पर किया गया है।

47.7 पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2015 के अपने पत्र संख्या 11–599/2014–एफसी के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि का विपथन गैर–वन उद्देश्यों से करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार वन भूमि (आंशिक अथवा पूर्ण) में स्थित विद्यमान खनन पट्टों के मामले में, जिसके संबंध में वन अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के केवल एक भाग के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा वन अधिनियम के खंड–2 (iii) के अंतर्गत शेष वन के मामले में भी, निश्चित शर्तों के साथ, वन भूमि होने का सामान्य अनुमोदन दिया गया है, जिसमें खनन पट्टे के क्षेत्र की पूरी वन भूमि के लिए निवल विद्यमान मूल्य (एनपीवी) की उगाही, यदि ऐसी वन भूमि के मामले में निवल विद्यमान मूल्य की उगाही पहले से नहीं की जा रही है, की जानी शामिल की गई है।

इस मामले पर कम्पनी को प्राप्त विधि परामर्श के अनुसार वन अधिनियम, 1980 का खंड 2(iii) सरकारी निगमों पर लागू नहीं होता है तथा निवल विद्यमान मूल्य का भुगतान केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए चुकता किया जाना अपेक्षित है जिसके संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया है तथा जिसमें खनन क्रियाकलाप किए जाने प्रस्तावित है तथा इसका भुगतान समग्र वन क्षेत्र के लिए नहीं किया जाना है। समग्र वन क्षेत्र के निवल विद्यमान मूल्य की व्यवहार्यता के प्रति कम्पनी द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दाखिल की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश में यह मामला न्यायालय की डिविजनल न्यायपीठ के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने का निदेश दिया गया है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ से ₹ 96.28 करोड़ की मांग प्राप्त हुई है जिसके प्रति माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में रिट याचिका दाखिल की गई है।

47.8 अवैध खनन से संबंधित सार्वजनिक लाभ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 2 अगस्त, 2017 के न्यायादेश के अनुसरण में खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 के खंड 21(5) के अंतर्गत पर्यावरण समाशोधन के बिना तथा समाशोधन से अधिक किए गए खनन के मूल्य की वसूली के संबंध में, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन समाशोधन के लिए, तथा प्राप्त सहमति से अधिक उत्पादन करने के लिए मांग/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कम्पनी द्वारा इन तथाकथित मांगों के प्रति झारखंड एवं उड़ीसा के उच्च न्यायालयों में चुनौती दाखिल की गई है तथा मांग पर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। यह मामला अंतिम निर्धारण के लिए न्यायाधीन है तथा विद्यमान मुकदमें के निहितार्थ को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

(क) लौह अयस्क के संबंध में उड़ीसा सरकार तथा झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 212.85 करोड़ एवं ₹ 1478.86 करोड़ (ब्याज सहित) की मांग की गई है। आंतरिक निर्धारण के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 333.45 करोड़ की राशि के पर असाधारण मद के अंतर्गत अनुमान आधारित प्रावधान किए गए हैं। शेष ₹ 1358.26 करोड़ (ब्याज सहित) को उपर्युक्त नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता माना गया है।

(ख) लाइमस्टोन के संबंध में झारखंड सरकार की ₹ 20.28 करोड़ की मांग की प्रतिक्रिया में कम्पनी द्वारा अपने आंतरिक निर्धारण के आधार पर असाधारण मदों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 7.27 करोड़ के प्रावधान किए हैं जो अनुमानित हैं। शेष ₹ 13.01 करोड़ (ब्याज सलाभ) को उपर्युक्त नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता माना गया है।

47.9 कोयले के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 354.54 करोड़ (ब्याज सलाभ) की मांग की गई है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमडीआर) के खंड 30 के साथ पठनीय खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 55(5) के अंतर्गत संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संशोधन प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय द्वारा कम्पनी को स्थगन प्रदान कर दिया गया है। तदनुसार मामला लम्बित होने के कारण ₹ 354.54 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) को नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता माना गया है।

48.1 निष्पादन के लिए शेष तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम लाभ) निम्नलिखित है:

सेल के संबंध में:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
पूंजी प्रतिबद्धता	**10747.11**	13580.65
अन्य प्रतिबद्धताएं	**1824.86**	1532.38

संयुक्त उद्यमों के संबंध में :

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
पूंजी प्रतिबद्धता	**0.35**	1.56

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सेल के संबंध में:

48.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (व्यवसाय प्राप्य के नोट संख्या 30 में किए गए प्रकटन के अनुसार) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर पक्षकारों के संबंध में संज्ञान करते हुए किया गया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार है:

सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि	**48.22**	38.12
ii.	वर्ष के दौरान ब्याज उपचय की राशि तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि	–	–
iii.	आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय बढ़त ब्याज की राशि जो वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक के लिए खंड 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को चुकता की जानी है।	–	–
iv.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित चुकता न किया गया बकाया ब्याज	–	–
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
v.	वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता को खंड 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता किए गए ब्याज की राशि	–	–
vi.	भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	–	–

48.3 कुछ व्यवसाय प्राप्य, अन्य परिसम्पत्तियां, व्यवसाय एवं अन्य देय पुष्टि/समाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हुए, के अध्याधीन हैं। समाधान ऑन गोइंग आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन को ऐसी बकाया पुष्टियों/समाधानों से किसी प्रकार के वस्तुगत वित्तीय प्रभाव की संभावना प्रतीत नहीं हो रही है।

48.4 ब्लॉक भूमि तथा भूमि सुधार कार्यालय, (फरीदपुर–दुर्गापुर) तथा अंदल, जिलाः पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जिसे एतद्द्वारा कम्पनी के रूप में संदर्भित किया गया है, की भूमि के एक भाग तथा इसकी टाउनशिप की भूमि के संबंध में पूर्व 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि राजस्व, उपकर एवं ब्याज के रूप में क्रमशः 21.2.2018 तथा 8.3.2018 के मांग नोटिस के माध्यम से ₹ 494.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) की मांग की गई है।

कम्पनी द्वारा इन मांगों का प्रतिवाद किया गया है। जिस भूखंड के प्रति मांग की गई है वह वस्तुतः केन्द्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिगृलाभ की गई है तथा इसका ग्रहणाधिकार भारत संघ के पास है तथा भूखंड के अन्य भाग राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अंतरित किए गए थे तथा कम्पनी द्वारा इन भूखंडों का धारण भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार का राजस्व देय नहीं होता है। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा भूमि राजस्व का पूंजीयन मूल्य भी चुकता किया गया है तथा न्यायिक मत के अनुसार ऐसी भूमियों के संबंध में भूमि राजस्व देय नहीं होता है जिनका पूंजीयन मूल्य चुकता किया गया हो। इस प्रकार कम्पनी के मतानुसार कम्पनी के प्रति उठाई गई मांग किसी प्रकार से तर्कसाध्य नहीं है। इस उद्देश्य से दिनांक 26 अप्रैल, 2018 तथा 28 अप्रैल, 2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

49.1 30 जून, 2017 तक की अवधियों के प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में उत्पाद शुल्क की ₹ 1403.90 करोड़ की वह राशि सम्मिलित है जो 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन किए जाने के परिणामस्वरूप समाप्त कर दी गई है। 'इंड एएस 18–राजस्व' के अनुसार ₹ 7864.70 करोड़ की जीएसटी की राशि को प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालनों से प्राप्त राजस्व की तुलना पिछले वर्ष की अवधि से नहीं की जा सकती है।

49.2 बिक्री में सरकारी एजेंसियों को अस्थाई अनुबंध के अनुसार मान्य मूल्यों पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान की गई ₹ 4802.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3807.78 करोड़) तथा 31 मार्च, 2018 को संचयी ₹ 12271.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 18342.41 करोड़) की बिक्री शामिल की गई है।

49.3 भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में जारी दिनांक 3 अगस्त, 2017 तथा 24 नवम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में वहनीयता एवं वित्तीय संवहनीयता खंड को ध्यान में रखते हुए:

(क) निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल से नीचे के स्तर के कार्यकारियों के वेतन संशोधन के संबंध में पूर्ण समालाभ प्रावधान "कर्मचारी लाभ व्यय" में प्रभारित किए गए हैं तथा निर्माण की पूर्व तिमाहियों की क्रमशः ₹ 95.71 करोड़ एवं ₹ 3.24 करोड़ की राशि का चालू तिमाही के दौरान पुनर्लेखन किया गया है तथा 1.1.2017 से 31.3.2017 की अवधि की ₹ 33.35 करोड़ की राशि का पुनर्लेखन चालू तिमाही में करके उसे "असाधारण मद" के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी संशोधन के संबंध में पूर्ण समालाभ प्रावधान करके पूर्व तिमाहियों की ₹ 230.77 करोड़ की राशि का पुनर्लेखन "कर्मचारी लाभ व्यय" में किया गया है तथा 1.1.2017से 31.3.2017 की अवधि की ₹ 77.47 करोड़ की राशि का पुनर्लेखन चालू तिमाही में करके उसे "असाधारण मद" के रूप में दर्शाया गया है।

49.4 लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी से कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) की 30% राशि का अंशदान सेवानिवृत्ति लाभों में किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ शामिल हैं। तदनुसार कम्पनी द्वारा कार्यकारी कर्मचारियों की पेंशन लाभ के संबंध में 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी वेतन पर 9% की दर से तथा 1 जनवरी, 2017 से वेतन के 3% की दर से प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2012 से वेतन के 6% की दर से तथा 1 जनवरी, 2017 से वेतन के 2% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ के संबंध में ₹ 2494.52 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 126.59 करोड़) तथा ₹ 47.81 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 1.76 करोड़) के किए गए संचयी प्रावधान/देयताएं क्रमशः 'कर्मचारी लाभ व्यय' एवं "निर्माण के दौरान व्यय" में प्रभारित की गई हैं।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों में कर्मचारियों के पेंशन लाभ के संबंध में भी कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी की वहनीयता एवं भुगतान करने की वित्तीय संवहनीयता को विचार में लेकर संशोधित पेंशन लाभ में कार्यकारियों के लिए मूल वेतन+मंहगाई भत्ते का 3% (9% के पूर्व निर्णय के स्थान पर) तथा गैर–कार्यकारियों के लिए मूल वेतन+मंहगाई भत्ते का 2% (6% के पूर्व निर्णय के स्थान पर) योगदान देने का निर्णय लिया गया है।

(क) पूर्व वर्षों में 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए ₹ 170.02 करोड़ की राशि के कार्यकारियों की पेंशन के संबंध में किए गए प्रावधानों का पुनर्लेखन किया गया है तथा इसका आकलन चालू वर्ष के दौरान "असाधारण मद" में किया गया है। (चालू तिमाही के दौरान ₹ शून्य)।

(ख) पूर्व वर्षों में 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए ₹ 288.14 करोड़ की राशि के गैर–कार्यकारियों की पेंशन के संबंध में किए गए प्रावधानों का पुनर्लेखन किया गया है तथा इसका आकलन चालू वर्ष के दौरान "असाधारण मद" में किया गया है।

49.5 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 29 मार्च, 2018 की अधिसूचना के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 29.3.2018 से उपदान की अधिकतम सीमा को ₹ 0.10 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 0.20 करोड़ कर दिया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत बीमांकित रिपोर्ट के आधार पर संवर्धित अधिकतम सीमा को विचार में लेते हुए उपदान के लिए ₹ 582.04 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं।

49.6 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना किए जाने तथा खनन पट्टा अथवा लाइसेंस एवं खनन पट्टा धारक से रायल्टी के भुगतान के अलावा जिला खनिज फाउंडेशन में प्रत्याशित अंशदान किए जाने की अपेक्षा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 के निर्णय तथा उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के आदेश (जिसमें कम्पनी पक्षकार नहीं है) में की गई व्याख्या के परिणामस्वरूप ₹ 261.76 करोड़ की राशि का वर्ष के दौरान असाधारण मद के अंतर्गत पुनर्लेखन किया गया है क्योंकि इसका भुगतान किया जाना लागू नहीं पाया गया है।

49.7 वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा अचल परिसम्पत्तियों/पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए निर्धारित राशियां क्रमशः ₹ 314.71 करोड़ (₹ 261.70 करोड़) तथा ₹ 20.79 करोड़ (₹ 77.83 करोड़) हैं। अनुसंधान एवं विकास पर व्यय की गई राजस्व राशियों का औसत संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाया गया है। राशियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कच्ची सामग्री	**115.05**	26.93
कर्मचारी लाभ व्यय	**97.95**	88.87
भंडार एवं कलपूर्जों का उपभोग	**11.40**	9.44
पावर एवं ईंधन	**21.61**	4.80
मरम्मत एवं अनुरक्षण	**6.53**	4.13
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**8.54**	6.42
अन्य व्यय	**49.53**	119.01
वित्त लागत	**4.10**	2.00
योग	**314.71**	261.60

49.8 कम्पनी द्वारा क्षति, यदि कोई हो, का संज्ञान करने के उद्देश्य से समग्र एक संयंत्र की परिसम्पत्तियों को रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) मानकर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि के अनुसार अपनी अचल परिसम्पत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत प्राप्त होते हैं तो उच्चतर निवल बिक्री मूल्य तथा उपयोज्य मूल्य के अनुसार परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। क्षति को हानि के रूप में तब स्वीकार्यता दी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। रोकड़ उत्पति यूनिट के निवल बिक्री मूल्य का निर्धारण प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाता है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार की गई ऐसी एक समीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र तथा आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र का उपयोग मूल्य अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य के आधार पर परिसम्पत्ति के अनवरत प्रयोग तथा इसके उपयोज्यता काल के अंत में इसके निपटान से बढ़ने की संभावना है जो संबंधित रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि से अधिक है।

एलॉय इस्पात संयंत्र तथा विश्वेशवरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं किए गए हैं क्योंकि एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2018 की स्थिति को एलॉय इस्पात संयंत्र तथा विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र के संबंध में संबंधित रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि से अधिक है।

49.9 (क) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए दिनांक 30 मई, 2017 के अनुमोदन के आधार पर भवंतपुर के अंतर्गत सैरेया, घागरा एवं गोरेगांव की तीन लाइमस्टोन खानों के खनन पट्टे छोड़ दिए गए हैं, इसके लिए अमूर्त परिसम्पत्तियों के खनन अधिकार के प्रति ₹ 37.47 करोड़ के निवल वर्तमान मूल्य का इसके अनुवर्ती प्रावधानों के साथ बट्टा किया गया है।

(ख) कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2018 को पर्बतपुर तथा सितानला स्थित दो कोयला ब्लॉक कोयला मंत्रालय को वापस किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। कम्पनी द्वारा सितानला के संबंध में ₹ 18.59 करोड़ तथा परबतपुर के संबंध में ₹ 113.05 करोड़ के प्रावधान असाधारण व्यय के अंतर्गत किए गए हैं जो सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाए गए हैं।

(ग) पर्बतपुर तथा सितानला के दो कोयला ब्लॉकों के आबंटन अनुबंध के अनुसार यूनिट द्वारा बैंक गारंटी दी गई थी। इन दोनों कोयला ब्लॉकों को कोयला मंत्रालय को वापस किए जाने के संबंध में दिनांक 1 मार्च, 2018 को दिए गए अनुमोदन के पश्चात कम्पनी द्वारा सितानला के लिए ₹ 15.18 करोड़ तथा पर्बतपुर के लिए ₹ 62.57 करोड़ की देयताओं के प्रावधान असाधारण व्यय के अंतर्गत किए गए हैं।

49.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अनुसार कम्पनी से अपनी निगमित सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन निकटतम वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित निवल औसत लाभ का कम से कम 2% व्यय करने की अपेक्षा की गई है। कम्पनी द्वारा, चूंकि, पिछले तीन निकटतम वित्तीय वर्षों के दौरान घाटे वहन किए गए हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कोई राशि व्यय किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

सेल के संबंध में :

तथापि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹ 26.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.80 करोड़) की बजट राशि में से कम्पनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्वों पर ₹ 25.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.05 करोड़) का व्यय किया गया हैः–

विवरण	₹ करोड़
शिक्षा	7.65
स्वास्थ्य सेवा	5.11
जीविका उत्पति	3.54
महिला सशक्तिकरण	0.75
पेय जल	1.44
स्वच्छता	0.47
क्रीड़ा	0.79
कला एवं संस्कृति	1.13
ग्रामीण विकास	2.07
सामाजिक सुरक्षा	0.33
पर्यावरण संवहनीयता	2.20
परियोजना संज्ञान तथा निगरानी	–
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	0.23
योग	**25.70**

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

एसआरसीएल के संबंध में :

विवरण	₹ करोड़
शिक्षा	0.06
स्वास्थ्य सेवा	0.09
महिला सशक्तिकरण	0.08
स्वच्छता	0.19
कला एवं संस्कृति	0.20
अन्य	0.02
योग	**0.64**

सेल के संबंध में :

49.11 सामान्य वित्तीय नियमावली 238(5) तथा (6) के अनुसरण में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान तथा इसकी उपयोज्यताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

वर्ष	केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्ति	अनुदान उपयोग (अथ शेष तथा चालू वर्ष में से)
2017–18	**1.33**	**2.61**
2016–17	2.32	2.15
2015–16	2.18	0.77

49.12 पूंजी सामान के निर्यात प्रोत्साहन (ईपीसीजी) की योजना के अंतर्गत सालेम इस्पात संयंत्र को 12 नवम्बर, 2008 से 30 नवम्बर, 2009 की अवधि के दौरान ईपीसीजी योजना के अंर्तगत सीमा शुल्क की रियायती दरों पर पूंजी सामान के निर्यात के लिए (ईपीसीजी) 12 प्राधिकार प्राप्त हुए हैं तथा निर्यात का दायित्व संयुक्त महानिदेशक – विदेश व्यवसाय, कोयम्बतुर से प्राप्त दिनांक 13 फरवरी, 2018 के अंतर्गत पूरा कर लिया गया है।

49.13 "पट्टों" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 17 से सम्बद्ध सूचना:

(क) कम्पनी द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए कर्मचारियों तथा तृतीय पक्षकारों को सम्पत्तियों का पट्टा दिया गया है। प्राप्त पट्टा प्रीमियम के बही मूल्य में समायोजन करके उसे पट्टे के वर्ष के दौरान अन्य राजस्व में शामिल किया गया है। नवीकरण प्रीमियम, ग्राउंड किराया, सम्पत्तियों के सेवा प्रभार, नवीकरण के लिए बकाया, प्रदत्त पट्टा को प्राप्ति के वर्ष में आय माना गया है।

ख) वित्त पट्टा देयताएं (संदर्भ नोट 24 तथा 31) वित्त पट्टे के अंतर्गत धारण की गई सम्बद्ध परिसम्पत्तियों द्वारा संरक्षित की गई हैं। भावी न्यूनतम वित्त पट्टा भुगतान तथा संबंधित वर्षों के संबंध में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

	देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष के बाद	कुल
31 मार्च, 2018				
पट्टा भुगतान	261.85	916.58	2068.00	3246.43
वित्त प्रभार	–156.70	–528.18	–1092.77	–1777.65
निवल वर्तमान मूल्य	105.15	388.40	975.23	1468.78
31 मार्च, 2017				
पट्टा भुगतान	251.21	913.69	2255.38	3420.28
वित्त प्रभार	–158.59	–556.78	–1233.81	–1949.18
निवल वर्तमान मूल्य	92.62	356.91	1021.58	1471.11

ग) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का वर्णन

ऊर्जा संयंत्र

कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए ऊर्जा क्रय करार के प्रभाव से इंड एएस 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे के रूप में ऊर्जा संयंत्र का लेखांकन किया गया है। ऊर्जा क्रय करार के उपबंधों के अनुसार पक्षकारों द्वारा करार को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने तक कम्पनी द्वारा ऊर्जा का क्रय किया जाना है तथा ऐसा निर्धारण परिसम्पत्ति की विशिष्ट प्रकृति एवं अवस्थिति के विचार से अलाभकर माना गया है।

आक्सिजन संयंत्र

कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए आक्सिजन क्रय करार के प्रभाव से इंड एएस 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे (अथवा प्रचालन पट्टे) के रूप में आक्सिजन संयंत्र का लेखांकन किया गया है। आक्सिजन क्रय का यह करार 15 वर्ष का नियत कालिक करार है।

खनन भूमि

कम्पनी द्वारा नवीकरण के अधिकार/आर्थिक अनिवार्यता पर विचार के पश्चात पट्टा करार के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकारों के प्रभाव से वित्त पट्टे के रूप में खनन पट्टा भूमि का लेखांकन किया गया है।

घ) (i) पट्टे/किराए पर प्राप्त परिसम्पत्तियों के संबंध में: कम्पनी के पास कार्यालय सुविधाओं, गेस्ट हाउस तथा कर्मचारियों के आवास परिसर के लिए अनेक प्रचालनात्मक पट्टे हैं जिनका आवधिक आधार पर नवीकरण किया जा सकता है। इन पट्टों से संबंधित इस ₹18.91 करोड़ (₹ 14.16 करोड़) के किराया व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

(ii) तुलन पत्र तिथि के अनुसार रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों से संबंधित भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	**43.23**	43.06
एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**172.23**	172.23
5 वर्षसे अधिक	**258.35**	301.41

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

49.14 लाभांश के भुगतान के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी से कर पश्चात लाभ का 30% लाभांश अथवा निवल सम्पति के 5%, इनमें से जो भी अधिक हो, का वार्षिक भुगतान करने की अपेक्षा की गई है जो कम्पनी के विभिन्न वित्तीय मापदंडों के विश्लेषण के पश्चात न्यूनतम प्रस्तावित लाभांश का भुगतान औचित्यपरक न समझे जाने की स्थिति में कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य नियमों के अंतर्गत अनुमत्त अधिकतम लाभांश की शर्त के अध्याधीन है। किसी मामले में कम्पनी द्वारा दिशानिर्देशों का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, भारत सरकार से विशिष्ट छूट प्राप्त करनी होती है। घाटों के कारण प्रतिकूल वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के लिए लाभांश का भुगतान करने के प्रति छूट प्रदान की गई थी। कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भी लाभांश का भुगतान करने के प्रति छूट प्राप्ति का मामला निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

49.15 राजहरा से रोघाट तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 के दौरान अंशदान के रूप में चुकता की गई नकदी एवं कांइड की नकद वसूली रोघाट खानों से आश्वासित यातायात की पूर्ति होने तथा प्रारम्भ होने के पश्चात से सेल द्वारा किए गए अंशदान के विमोचन के संबंध में 37 वर्षों की अवधि के लिए 7% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से जानी है। प्रबंधन का यह मत है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए मापदंड पूरे कर लिए जाएंगे तथा ब्याज की वसूली निवेश की तिथि से होगी। धनवापसी की राशि में मूलधन तथा ब्याज के घटक शामिल हैं। तदनुसार, ब्याज घटक का आकलन किया गया है तथा ₹15.12 करोड़ (अब तक ₹ 34.24 करोड़) की इसकी राशि को वर्ष के दौरान आय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत के सनदी लेखाकार की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति से वर्ष के दौरान प्राप्त मत के अनुसार प्रबंधन द्वारा समय के समानुपात आधार पर किए गए इसकी स्वीकृति के उपाय राजस्व की वसूली एवं मापन के प्रति किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अनिश्चित्ता न होने के कारण सही है।

49.16 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 27.10.2016 को आयोजित अपनी बैठक में एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर; विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र, भद्रवती, सालेम इस्पात संयंत्र, सालेम में रणनीतिक विनिवेश करने का ''सैद्धांतिक'' निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात भारत सरकार से प्राप्त से ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के अनुसरण में सेल के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एलॉय इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र तथा सालेम इस्पात संयंत्र में रणनीतिक विनिवेश किए जाने के प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया है। कम्पनी द्वारा इस प्रक्रिया के निर्वाह के लिए विभिन्न परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। एलॉय इस्पात संयंत्र से संबंधित प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन/रुचि अभिव्यक्ति का प्रकाशन 14 फरवरी, 2018 को समाचार पत्रों में किया गया है। सालेम इस्पात संयंत्र तथा विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र से संबंधित प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन/रुचि अभिव्यक्ति भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।''

49.17 हाल ही में घोषित लेखांकन मानक जो जारी किए गए परन्तु प्रभावी नहीं किए गएः

मार्च, 2018 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2018 के माध्यम से ''ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व'' से संबंधित इंड एएस 115, ''विदशी मुद्रा संव्यवहार एवं अग्रिम प्रतिफल'' से संबंधित इंड एएस 21 के परिशिष्ट ख तथा अन्य अनेक मानकों में संशोधन किए गए थे। ये संशोधन हाल ही में इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं। ये संशोधन कम्पनियों के लिए 1 अप्रैल, 2018 से लागू किए गए हैं। कम्पनी द्वारा प्रभावी तिथि से इन संशोधनों को अंगीकार कर लिया जाएगा।

क) इंड एएस 115, ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व

निर्माण अनुबंधों से संबंधित इंड एएस 115 तथा राजस्व से संबंधित इंड एएस 18 के स्थान पर इंड एएस 115 प्रभावी किया गया है। इंड एएस 115 के अंतर्गत कम्पनी से उसके कार्य स्वरूप, राशि, समयावली एवं ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व एवं रोकड़ प्रवाह की अनिश्चितता के प्रति जानकारी मांगी गई है। इंड एएस का प्रमुख उद्देश्य कम्पनी से ऐसे राजस्व की स्वीकृति प्राप्त करना है जिससे कम्पनी द्वारा ग्राहक को अंतरण की गई प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं के विनिमय के फलस्वरूप ऐसी राशि प्रदर्शित होती हो जिसकी प्रत्याशा कम्पनी द्वारा ऐसे माल और सेवाओं के विनिमय के प्रतिफल की हकदारी के रूप में की गई हो। ये मानक पूर्व प्रभाव से प्रस्तुत की गई प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए उपयोग किए जा सकते हैं अथवा इनका उपयोग मानक की प्रारम्भिक उपयोज्यता की तिथि तक पूरे न किए गए अनुबंधों के संचयी प्रभाव की स्वीकृति के लिए पूर्व प्रभाव से किया जा सकता है।

कम्पनी द्वारा किए प्रारम्भिक मूल्यांकन के आधार पर इस मानक की उपयोज्यता से महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

ख) 'विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अग्रिम प्रतिफल' से संबंधित एएस 21 का परिशिष्ट खः

इस परिशिष्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी परिसम्पत्ति, व्यय अथवा आय (अथवा इसके किसी भाग) की प्रारंभिक स्वीकृति हेतु विनिमय दर के उपयोग का निर्धारण करने के उद्देश्य से संव्यवहार की तिथि वह तिथि है जिस दिन ऐसी परिसम्पत्ति, व्यय अथवा आय के प्रतिफल के भुगतान अथवा प्राप्ति से गैर–मौद्रिक परिसम्पत्ति अथवा गैर–मौद्रिक देयता की प्रारंभिक स्वीकृति की गई है। यदि विविध भुगतान अथवा प्राप्तियां अग्रिम प्राप्त होती हैं तो ऐसी स्थिति का निर्धारण अग्रिम प्रतिफल के प्रत्येक भुगतान अथवा प्राप्ति की संव्यवहार तिथि के अनुसार किया जाना चाहिए।

कम्पनी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार परिशिष्ट का प्रभाव कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में वस्तुगत न होने की संभावना की गई है।

49.18 पर्यावरणीय/वनीय समाशोधन मामलों के कारण बरसुआ (17.5.2014 से), भवनाथपुर (29.4.2013 से) तथा पुणापानी (1.3.2004 से) नामक खानों में प्रचालन की अस्थाई अनिरंतरता से संबंधित वस्तुगत एवं तुलनात्मकता के आधार पर वर्ष 2017–18 के दौरान मूल्य ह्रास के अलावा ₹82.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 97.95 करोड़) के निवल व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में नोट संख्या 41 के अंतर्गत 'अन्य व्यय' (संदर्भ नोट संख्या 41) में शामिल किया गया है। शीर्ष वार विभाजन निम्नानुसार है :

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन तथा मजदूरी	41.05	53.41
भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जे	3.80	7.77
ऊर्जा क्रय	10.70	11.44
मरम्मत तथा अनुरक्षण	8.36	6.84
विविध व्यय तथा प्रावधान	21.21	22.02
कुल व्यय	**85.12**	**101.48**
घटाएं: आय	3.05	3.53
निवल व्यय	**82.07**	**97.95**

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य वर्णनः

उपदानः निरंतर 5 वर्ष अथवा अधिक सेवा करने वाले पात्र कर्मचारियों को उनके विलग होने पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन की दर का भुगतान (गैर–कार्यकारियों के मामले में 30 वर्ष की सेवा से अधिक काल के लिए 30 वर्ष के पश्चात के प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के प्रति एक माह का वेतन) देय है। 1 जुलाई, 2014 को अथवा उसके पश्चात सेवा प्रारम्भ करने वाले कार्यकारियों तथा गैर–कार्यकारियों को देय अधिकतम राशि ₹ 20 लाख है तथा अन्य गैर–कार्यकारियों के संबंध में किसी मौद्रिक सीमा के बिना वास्तविक मूल्य निर्धारण के लिए विचार में लिया गया है।

छुट्टी नकदीकरण : अधिकतम 300 दिन की अधिकतम सीमा की शर्त पर ऐसे योग्य कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता पर देय जिन्होंने अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के मिश्रण का संचय किया है। वित्तीय वर्ष में एक बार संचित अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति उपलब्ध थी जो 18 नवम्बर, 2015 के पश्चात से समाप्त कर दी गई है।

भविष्य निधिः कम्पनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते की 12% राशि का अंशदान

सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभः सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्पनी के अस्पतालों तथा/अथवा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध

सेवानिवृति पश्चात निवास व्यवस्था लाभः सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने गृह नगर में निवास व्यवस्था के लिए देय

दीर्घकालिक सेवा अवार्डः न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने तथा अधिवर्षिता पर भी कृपा स्वरूप देय।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

सेल के संबंध में:

50.1.2 "कर्मचारी लाभ" के इंड एएस 19 में अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण से संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व निम्नानुसार हैं :

क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान *:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात निवास व्यवस्था लाभ	दीर्घकालिक सेवा अवार्ड
i)	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6153.06 (5692.84)	2740.01 (2535.85)	936.21 (872.63)	103.73 (94.95)	23.14 (21.02)
ii)	सेवा लागत	288.50 (375.36)	124.27 (303.44)	– (–)	– (–)	1.52 (1.60)
iii)	ब्याज लागत	443.02 (381.98)	198.91 (173.00)	67.61 (60.24)	7.65 (6.52)	1.70 (1.43)
iv)	बीमांकन लाभ(–) / हानि(+)	–328.47 (550.79)	35.10 (28.06)	76.25 (86.89)	14.01 (11.68)	–1.03 (1.82)
v)	पूर्व सेवा लागत	582.04 (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	चुकता लाभ	798.19 (847.91)	312.56 (300.34)	116.44 (83.55)	8.73 (8.92)	2.40 (2.73)
vii)	**वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v–vi)**	**6339.96 (6153.06)**	**2785.73 (2740.01)**	**963.63 (936.21)**	**116.66 (103.73)**	**22.93 (23.14)**

(ख) परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

कम्पनी द्वारा उपदान के दायित्वों के लिए अलग उपदान निधि में निधियन किया गया है। योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य मुख्यतः उन बीमा कम्पनियों से प्राप्त सूचना पर आधारित होता है जिनके माध्यम से निधि में से निवेश किया गया है। उपदान निधि की परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का समाधान तथा परिभाषित लाभ उपदान दायित्व निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2017–18	2016–17
i)	वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	5836.33	5494.74
ii)	योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित लाभ	23.11	94.53
iii)	कम्पनी का वास्तविक अंशदान	798.07	696.50
iv)	ब्याज आय/बीमांकन लाभ/हानि	449.45	398.35
v)	लाभ भुगतान	798.19	847.91
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	6308.85	5836.33
vii)	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (50.1.2)(क)(vii))	6339.96	6153.06
viii)	**तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (vii)–(vi)***	**31.11**	**316.85**

*निवेश से प्राप्त होने वाले प्रतिफल पर विचार के पश्चात वर्ष 2018–19 के दौरान उपदान निधि के व्यय के संबंध में कम्पनी द्वारा किसी राशि का अंशदान किए जाने की संभावना नहीं है।

उपदान के अलावा परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए निधियन नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(ग) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए गए व्यय :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात निवास व्यवस्था लाभ	दीर्घकालिक सेवा अवार्ड
i)	सेवा लागत	288.50 (375.36)	124.27 (303.44)	– (–)	– (–)	1.52 (1.60)
ii)	ब्याज लागत	–6.34 (–16.37)	198.91 (173.00)	67.61 (60.24)	7.65 (6.52)	1.70 (1.43)
iii)	बीमांकन लाभ (–)/हानियां	–328.47 (550.79)	34.85 (28.06)	76.25 (86.89)	14.01 (11.68)	–1.03 (1.82)
iv)	पूर्व सेवा लागत	582.04 (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
v)	योजना परिसम्पत्तियों से संभावित लाभ	23.11 (93.25)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	**योग (i+ii+iii+iv–v)**	**512.60 (816.53)**	**358.02 (504.50)**	**143.86 (147.13)**	**21.66 (18.20)**	**2.19 (4.85)**
vii)	कर्मचारी लाभ व्यय :					
	क) लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित (नोट 39)	860.66 (356.51)	357.55 (491.23)	67.61 (58.34)	21.66 (–)	2.19 (4.85)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित (नोट 5.1)	3.52 (1.25)	0.47 (3.56)	– (–)	(17.29)	– (–)
	ग) ओसीआई में प्रभारित	–351.58 (456.26)	– (–)	76.25 (88.79)	– (–)	– (–)
	घ) लाभ एवं हानि लेखा – अन्य व्यय में प्रभारित	– (5.01)	(9.71)	– (–)	(0.91)	– (–)
viii)	योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक लाभ	472.50 (491.63)				

(घ) कटौती दर में आधे प्रतिशत के प्वांइट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट बढ़त
i)	उपदान	–216.53	204.24
ii)	छुट्टी	–116.72	110.59
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ	–32.26	31.16
iv)	दीर्घकालिक सेवा अवार्ड	–0.99	0.95
अ)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	–4.80	4.69

(ङ) वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट घटत	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट बढ़त
i)	उपदान	175.57	–182.59
ii)	छुट्टी	117.21	–121.04

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(च) कल्पित मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वांइट परिवर्तन से सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	चिकित्सा मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वांइट बढ़त	चिकित्सा मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वांइट घटत
प)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	–20.97	18.42

(छ) उपदान ट्रस्ट में निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को
बीमा निवेश	**86.25**	85.03
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां	**1.36**	1.54
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	**4.24**	4.77
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांड	**8.12**	8.63
बैंक में उपलब्ध नकदी	**0.03**	0.03
योग	**100.00**	100.00

(ज) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.70%	7.25%
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी – 0.10% से 0.50% आयु के अनुसार	कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी – 0.10% से 0.50% आयु के अनुसार
iv)	चिकित्सा लागत रूझान दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5% तथा मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल लागत के लिए 5% तथा मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की अनुमानित दर	7.70%	7.25%
vi)	वेतन संवर्धन	कार्यकारी : 6% प्र.व. गैर–कार्यकारी: 6% प्र.व. सभी कर्मचारी– 6% 2017 से प्रारम्भ सेवा के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में स्टैप–अप	कार्यकारी : 6% प्र.व. गैर–कार्यकारी: 6% प्र.व. सभी कर्मचारी– 6% 2017 से प्रारम्भ सेवा के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में स्टैप–अप
		बीमांकित मूल्यांकन हेतु भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारक आंके गए हैं।	

(झ) परिभाषित लाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च, 2018 को
1 वर्ष तक	807.50
1 से 2 वर्ष तक	828.15
2 से 3 वर्ष तक	832.46
3 से 4 वर्ष तक	839.42
4 से 5 वर्ष तक	843.26
5 से 10 वर्ष तक	4398.70
10 से अधिक वर्षों के लिए	25597.36
पूर्व सेवा से संबंधित प्रकटन न किए गए कुल भुगतान	34146.84
घटाएं: ब्याज के लिए कटौती	27806.88
संभावित लाभ दायित्व	**6339.96**

एसआरसीएल के संबंध में:

50.1.2 "कर्मचारी लाभ" से संबंधित इंड एएस 19 में अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण से संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व निम्नानुसार हैं :

ख) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान * :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
i)	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10.43	1.28	0.06
ii)	सेवा लागत	0.46	0.14	0.08
iii)	ब्याज लागत	0.77	0.08	–
iv)	बीमांकन लाभ(–) / हानि(+)	–0.85	0.16	–
v)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–
vi)	चुकता लाभ	–	–0.40	–0.02
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v–vi)	10.81	1.26	0.12

(ख) परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

कम्पनी द्वारा उपदान के दायित्वों के लिए अलग उपदान निधि में निधियन किया गया है। योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य मुख्यतः उन बीमा कम्पनियों से प्राप्त सूचना पर आधारित होता है जिनके माध्यम से निधि में से निवेश किया गया है। उपदान निधि की परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का समाधान तथा परिभाषित लाभ उपदान दायित्व निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	**2017–18**	2016–17
i)	वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	8.18	5.59
ii)	योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित लाभ	0.61	0.41
iii)	कम्पनी का वास्तविक अंशदान	2.88	2.50
iv)	ब्याज आय/ बीमांकन लाभ/हानि	–0.87	0.06
v)	लाभ भुगतान	–	–0.38
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	10.80	8.18
vii)	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (50.1.2)(क)(vii))	10.81	10.43
viii)	तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (vii)–(vi) *	0.01	2.25

*निवेश से प्राप्त होने वाले प्रतिफल पर विचार के पश्चात वर्ष 2018–19 के दौरान उपदान निधि के व्यय के संबंध में कम्पनी द्वारा किसी राशि का अंशदान किए जाने की संभावना नहीं है।

उपदान के अलावा परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए निधियन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए गए व्यय :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
i)	सेवा लागत	0.46	0.14	0.08
ii)	ब्याज लागत	0.17	0.08	–
iii)	बीमांकन लाभ (–)/हानियां	–	0.16	–
iv)	पूर्व सेवा लागत	–	–	–
v)	योजना परिसम्पत्तियों से संभावित लाभ	–	–	–
vi)	योग (i+ii+iii+iv–v)	0.63	0.38	0.08
vii)	कर्मचारी लाभ व्यय :			
	क) लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित (नोट 39)	0.62	0.38	0.08
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित (नोट 5.1)	–	–	–
	ग) ओसीआई में प्रभारित	0.01	–	–
	घ) लाभ एवं हानि लेखा – अन्य व्यय में प्रभारित	–	–	–
viii)	योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक लाभ	0.86	–	–

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

(घ) कटौती दर में आधे प्रतिशत के प्वांइट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट बढ़त
i)	उपदान	11.05	10.56
ii)	छुट्टी	1.29	1.23

(ङ) वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट घटत	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट बढ़त
i)	उपदान	10.60	11.02
ii)	छुट्टी	1.23	1.29

(च) कल्पित मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वांइट परिवर्तन से सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	चिकित्सा मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वांइट बढ़त	चिकित्सा मंहगाई दर में एक प्रतिशत प्वांइट घटत
i)	बीमा निवेश	10.80	8.18

(ञ) उपदान ट्रस्ट में निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को
बीमा निवेश	10.80	8.18

(ट) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.70%	7.25%
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी – 0.10% से 0.50% आयु के अनुसार	कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी – 0.10% से 0.50% आयु के अनुसार
iv)	चिकित्सा लागत रूझान दर(प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5% तथा मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल लागत के लिए 5% तथा मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की अनुमानित दर	7.70%	7.25%
vi)	वेतन संवर्धन	कार्यकारी : 6.25% प्र.व. गैर–कार्यकारी: 6.25% प्र.व.	कार्यकारी : 6.25% प्र.व. गैर–कार्यकारी: 6.25% प्र.व.
		बीमांकित मूल्यांकन हेतु भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारक आंके गए हैं।	

(ठ) परिभाषित लाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च, 2018 को
1 वर्ष तक	2.51
1 से 2 वर्ष तक	1.60
2 से 3 वर्ष तक	1.89
3 से 4 वर्ष तक	1.23
4 से 5 वर्ष तक	1.03
5 से 10 वर्ष तक	3.73
10 से अधिक वर्षों के लिए	2.22
पूर्व सेवा से संबंधित प्रकटन न किए गए कुल भुगतान	14.21
घटाएं: ब्याज के लिए कटौती	3.40
संभावित लाभ दायित्व	**10.81**

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

51. **सामान्य**

51.1 **खंड रिपोर्टिंग**

i) व्यवसाय खंड : पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र तथा तीन एलॉय इस्पात संयंत्र निर्माण यूनिटें हैं तथा उन्हें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 'प्रचालन खंड' से संबंधित इंड एएस108 के अंतर्गत प्रमुख व्यवसाय खंड माना गया है।

ii) प्रबंधन के मतानुसार आबद्ध खानें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 'प्रचालन खंड' से संबंधित इंड एएस108 के पैरा 27 के अनुसार कम्पनी के व्यवसाय खंड के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यवसाय नहीं है। आबद्ध खानों से चूंकि विभिन्न संयंत्रों को कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति होती है, अतः ऐसी खानों को लेखांकन उद्देश्य से लागत केन्द्र माना गया है।

51.3 **'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियों' से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 37 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटीकरणः**

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरणः

खानों की वनारोपण लागत – वन भूमि का खनन उद्देश्यों से उपयोग के लिए खानों की वनारोपण लागत पर सरकारी प्राधिकरणों को खनन पट्टे के नवीकरण (मानित नवीकरण सहित)/वन समाशोधन के लिए देय

खान समापन लागत – खनन क्रियाकलापों के समापन के समय खान बंद करने के संबंध में व्यय की जाने वाली अनुमानित देयता

अधिक बोझ – बैकलॉग निवारण लागत – खानों के बैकलॉग के निवारण के संबंध में इसका व्यय भावी वर्षों में किया जाना है।

सेल के संबंध में:

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचलन	खान वनारोपण लागत	खान समापन लागत	अधिक बोझ निवारण लागत	योग
1 अप्रैल, 2017 को शेष	238.72	59.62	103.25	401.59
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	13.19	24.27	37.46
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–	(7.63)	(7.56)	(15.19)
वर्ष के दौरान रिवर्स की गई अप्रयुक्त राशि	–	0.00	2.80	2.80
31 मार्च, 2018 को शेष	**238.72**	**65.18**	**117.16**	**421.06**

एसआरसीएल के संबंध में:

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचलन	खान वनारोपण लागत	खान समापन लागत	अधिक बोझ निवारण लागत	योग
1 अप्रैल, 2017 को शेष	–	0.03	–	–
वर्ष के दौरान संवर्धन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान रिवर्स की गई अप्रयुक्त राशि	–	–	–	–
31 मार्च, 2018 को शेष	–	**0.03**	–	–

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट

52. परिचालन खंड सूचना

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अंतः खंड बिक्रियां	जोड़
राजस्व											
– बाहय बिक्रियां											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	15994.93	7168.64	12210.22	14039.97	6811.00	442.88	1344.11	142.18	147.07		58301.00
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	14135.97	6209.54	9683.32	11796.81	4709.85	383.07	2015.72	169.15	138.51		49241.94
– अंतः खंड बिक्रियां											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	299.80	184.88	217.67	211.33	73.02	206.18	12.70	18.36	3881.30	–5105.24	–
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	639.75	173.36	273.76	234.89	49.44	224.61	9.52	24.78	3406.99	–5037.10	–
– उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	16294.73	7353.52	12427.89	14251.30	6884.02	649.06	1356.81	160.54	4028.37	–5105.24	58301.00
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	14775.72	6382.90	9957.08	12031.70	4759.29	607.68	2025.24	193.93	3545.50	–5037.10	49241.94
परिणाम											
– ब्याज और अपवाद मदों से पहले परिचालन लाभ/(–) हानि											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	1240.52	–58.57	398.70	804.13	–329.50	–25.84	–118.24	–108.34	466.83		2269.69
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	546.87	–724.42	–703.22	251.85	–1326.32	–1.78	–112.45	–114.88	213.22		–1971.13
– वित्तीय लागत											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष											2822.75
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष											2527.82
– अपवाद मदें											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष											–26.43
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष											216.74
– कर व्यय											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष											–245.23
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष											–1959.52
– वर्ष के दौरान लाभ/हानि (–)											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष											–281.40
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष											–2756.17
अन्य सूचना											
– खंड परिसंपत्तियां											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	28756.68	6400.05	19484.61	14524.30	18770.09	518.32	2459.07	533.47	23994.38		115440.97
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	27079.13	6006.72	18906.12	14437.15	18836.19	600.26	2554.16	678.16	18517.35		107615.24
– खंड देनदारियां (दीर्घकालीन ऋणों सहित)											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	7409.47	2364.33	4017.17	3746.95	1922.70	207.46	383.28	79.88	58363.07		78494.31
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	6872.38	2060.83	3821.43	3284.97	1577.12	232.30	372.66	151.41	52199.87		70572.97
– पूंजी व्यय											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	2481.46	296.50	1638.38	1362.65	599.44	2.89	7.82	2.15	388.63		6779.92
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	1683.88	403.56	1212.44	1259.91	635.67	3.71	11.91	2.43	254.66		5468.17
– अवमूल्यन											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	512.86	195.57	721.75	561.87	724.35	11.44	95.74	7.30	235.09		3065.97
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	419.36	188.37	667.72	487.93	607.05	9.30	96.31	7.30	198.28		2681.62
– अवमूल्यन के अतिरिक्त गैर नकद व्यय											
31 मार्च, 2018 को समाप्त चालू वर्ष	19.00	11.34	15.26	56.00	36.79	2.00	14.17	2.81	58.83		216.20
31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछला वर्ष	8.98	16.20	5.45	29.91	26.73	4.48	3.45	2.43	49.92		147.55

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात "स्वामित्व वाली कंपनी" के रूप में जाना जायेगा) और इसकी सहयोगी कंपनियों (स्वामित्व वाली कंपनी और इसके सहयोगी कंपनियों को "एक समूह" के रूप में जाना जायेगा), इसके सहायकों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें सम्मिलित है; 31 मार्च, 2018 के अनुसार, समेकित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य समावेशी आय सहित), समेकित नकद प्रवाह विवरण, तब समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सर सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके पश्चात "समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जायेगा।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (जैसा की संशोधित है) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में जाना जायेगा) की आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए स्वामित्व कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होता है जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य समावेशी आय सहित), समेकित नकद प्रवाह और इसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों सहित, समूह के इक्विटी परिवर्तनों के समेकित विवरण का एक सत्यनिष्ठ और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

समूह, इसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में सम्मिलित कंपनियों का सम्बंधित निदेशक मंडल समूह, इसके सहयोगियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, समुचित लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है और इसके साथ धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए भी उत्तरदायी है जिसमें सम्मिलित है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं आवेदन; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो तर्कसंगत और समझदारी से भरा होता है; समुचित आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, क्रियान्वन और अनुरक्षण जिसे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों; जो एक सत्य एवं उचित दृष्टिकोण देता है और और भौतिक अनुचित वक्तव्य से मुक्त होता है; चाहे वह छल या त्रुटी के कारण हो, की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु, प्रभावशाली रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसे उपर्युक्त अनुसार, स्वामित्व वाली कंपनी के निदेशकों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षण पर आधारित इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर एक मत व्यक्त करना है।

हमारे लेखापरीक्षण के निष्पादन में, हमने अधिनियम, लेखांकन और लेखांकन मानकों एवं उन विषयों जिनको अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और उनके अंतर्गत बनाये गए नियमों को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत, निर्दिष्ट लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है । उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें और क्या समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरण भौतिक अनुचित वक्तव्य से मुक्त है, के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण की योजना बनायें एवं उसका निष्पादन करें।

एक लेखापरीक्षण में समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों में राशियों एवं खुलासों के बारे में लेखापरीक्षण का प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन सम्मिलित है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों के भौतिक असत्य वक्तव्य के खतरों के मूल्यांकन सहित, चाहे वह छल या त्रुटी के कारण हो। उन खतरों का आकलन करते समय, लेखापरीक्षक स्वामित्व कंपनी के समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षण की प्रक्रियाओं; जो परिस्थितियों में उपयुक्त होता है, की रूपरेखा बनाने के लिए एक सत्य और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है । एक लेखापरीक्षण में स्वामित्व कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निष्पादित लेखांकन अनुमानों की प्रासंगिकता और समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों की कुल तैयारी का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि निम्नांकित अनुच्छेद में उल्लेखित अन्य विषयों से सम्बंधित उनके प्रतिवेदनों के परिपेक्ष्य में हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षण के प्रमाण और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त प्रमाण पर्याप्त हैं और समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण पर हमारे योग्य विचार के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

योग्यता प्राप्त मत के लिए आधार

I. दिनांकः 1 जुलाई, 2014 (जो 31 दिसम्बर, 2016 तक मान्य है) को स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित, इस्पात समझौते पर 9वें राष्ट्रीय संयुक्त समिति के अनुसार, गैर–अधिशासी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित पेंशन फण्ड में स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किये गए योगदान पर मूल वेतन और डी.ए. के 6% पर अनुबंध किया गया । उक्त अनुबंध के लंबित संशोधन और गैर–अधिशासित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के आरक्षण के विरुद्ध स्वामित्व वाली कंपनी के प्रबंधन ने द्विपक्षीय रूप से उक्त पेंशन फण्ड में योगदान के दर को मूल वेतन एवं डी.ए. के 2% तक घटा दिया है और

प्रबंधन का उत्तर:

कंपनी का विचार है कि पेंशन योजना का अनुमोदन परिषद् द्वारा 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रावधान के साथ किया गया कि पेंशन के लिए अनुदान कंपनी के सामर्थ्य, स्थायित्वता और क्षमता पर आधारित होगा, जिसका आकलन औसत शुद्ध लाभ के लिए कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) के प्रतिशत के रूप में किया जायेगा। यह सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिनांकः 21.05.2014 के कार्यालय विज्ञप्ति के अनुसार है। यदि औसत शुद्ध मूल्य के लिए पीबीटी का प्रतिशत 8% या अधिक है, तो पेंशन के लिए योगदान गैर–अधिशासियों के लिए मूल वेतन

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
तदानुसार, प्रबंधन ने चालू वर्ष के चौथे तिमाही में प्रावधान का पुनर्लेखन किया है। बशर्ते गैर–अधिशासी कर्मचारियों के लिए उक्त पेंशन फण्ड दिनांकः 01.04.2015 से 31.12.2016 तक की अवधि के लिए रु. 288.14 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध हो (सन्दर्भ नोट सं. 49.4(बी))।	और डी.ए. का 6% तक सीमित होगा स इसके अतिरिक्त, यदि औसत शुद्ध मूल्य के लिए पीबीटी का प्रतिशत 8% से कम है तो योगदान की राशि को उसी अनुपात में घटा दिया जायेगा स फिर भी, वित्तीय वर्ष के दौरान, न्यूनतम पेंशन में योगदान क्षति के प्रकरण में भी मूल वेतन और डी.ए. के 2% के दर पर रखा जाता है। तदानुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांकः 30.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में 01.04.2015 से 31.12.2016 तक की अवधि के लिए पेंशन में योगदान के निरस्तीकरण का अनुमोदन किया है।
II. गैर–अधिशासी के लिए वेतन में संशोधन दिनांकः 01.01.2017 से लंबित है। वर्तमान वर्ष के चौथी तिमाही में, स्वामित्व वाली कंपनी के प्रबंधन ने पहले ही अस्थायी नौकरी के प्रावधान को पिछले वर्ष 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए परिवर्तित कर दिया है जिसकी कुल राशि ₹ 77.47 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, स्वामित्व वाली कंपनी के प्रबंधन ने उनके लिए निर्मित प्रावधान को भी 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुए नौ महीनों के लिए परिवर्तित कर दिया है जिसकी कुल राशि ₹ 230.77 करोड़ है और वर्ष के चौथे तिमाही के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया है स गैर–अधिशासी कर्मचारियों के साथ लंबित बातचीत और गैर–अधिशासी कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती वेतन संशोधनों की पिछली प्रक्रिया एवं अनुभव के अनुसार, रु. 77.47 करोड़ की अस्थायी नौकरी के दिनांकः 01.01.2017 से 31.03.2017 तक के प्रावधानों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए था और 31.03.2018 को समाप्त हुए तिमाही के लिए ₹ 76.92 करोड़ मूल्य का प्रावधान किया जाना चाहिए था। वर्तमान वर्ष के लिए कर से पूर्व की हानि पर कुल प्रभाव ₹ 385.16 करोड़ होता है (सन्दर्भ नोट सं. 49.3)।	कंपनी का विचार है कि सेल एक सरकारी कंपनी है और इसे अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने दिनांकः 24.11. 2017 को एक कार्यालय विज्ञप्ति जारी किया था। अन्य विषयों के साथ दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि पीएसई'यों का प्रबंधन ऐसे वेतन संशोधन को वहन करने की योग्यता और वित्तीय स्थिरता को अपने ध्यान में रखेगा और इसके अतिरिक्त, जहाँ पर वेतन संशोधन के पाँच वर्षीय अवधि का पालन किया जाता है, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होता है कि वेतन के दो लगातार मोलभावों द्वारा निर्धारित वेतनमान अधिशासियों/अधिकारियों और सम्बंधित सीपीएसई'यों के गैर–संगठित निरीक्षकों के वर्तमान वेतनमान से अधिक नहीं होता जिसके लिए दस वर्षों के समयकाल का पालन किया जा रहा है। सेल में 5 वर्षों के लिए 01.01.2012 से प्रभावित वेतन संशोधन के पश्चात कुछ स्तरों पर गैर–अधिशासी कर्मचारियों का वर्तमान वेतनमान पहले से ही कुछ अधिशासी कर्मचारियों के वेतनमानों से अधिक है स तदानुसार, दिनांकः 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए एवं 31 दिसम्बर को समाप्त हुए नौ महीनों के लिए भी और वित्तीय वर्ष 2017–18 के चौथे तिमाही के लिए कोई भी प्रावधान ना किये जाने के लिए भी गैर–अधिशासी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रावधान को वापस लेने हेतु, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है।
III. स्वामित्व कंपनी ने निम्नलिखित के लिए प्रबंध नहीं किया है : (i) विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर की माँग की राशि का मूल्य 31 मार्च, 2018 को ₹ 1,726.16 था {सन्दर्भ नोट सं. 47.2(ए)} और; (ii) पूर्ववर्ती वर्षो में विद्युत् आपूर्ति के लिए निर्मित बिलों के लिए दामोदर घाटी निगम को चुकाई गयी राशि और स्वामित्व कंपनी के एक संयंत्र द्वारा डीवीसी को अग्रिम के रूप में रोकी गयी राशि का मूल्य दिनांकः 31 मार्च, 2018 को ₹ 587.72 करोड़ था {सन्दर्भ नोट सं. 47.2(बी)}। यदि उपरोक्त सभी प्रतिबंधों के प्रभाव पर विचार किया गया होता तो 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल समेकित समावेशी क्षति (शुद्ध कर) ₹ 94.60 करोड़ के सूचित कुल समेकित समावेशी क्षति (शुद्ध कर) के विरुद्ध ₹ 2,037.94 करोड़ होती, 31 मार्च, 2018 के अनुसार अन्य इक्विटी का अतिरिक्त विवरण ₹ 1,943.34 करोड़, वर्तमान देनदारियों का अतिरिक्त विवरण ₹ 2,399.46 करोड़ और परिसंपत्ति का अतिरिक्त विवरण ₹ 456.12 करोड़ होता।	उपरोक्त (i) में उल्लेखित विषय–वस्तु के सम्बन्ध में, कंपनी का विचार है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायधीशों की पीठ ने दिनांकः 11 नवम्बर, 2016 के अपने निर्णय के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रवेश कर की संवैधानिक वैधता को बरक़रार रखा है और विभिन्न राज्यों में प्रवेश कर अधिनियम थोपे जाने पर सिद्धांत/परीक्षण स्थापित किया है स शीर्ष न्यायालय के नियमित सम्बंधित पीठ स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, विषयों की सुनवाई करेंगें स छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड के राज्यों में प्रवेश कर थोपे जाने पर शीर्ष न्यायालय के नियमित पीठों द्वारा लंबित निर्णय और कोलकाता उच्च न्यायालय से सम्बंधित प्रकरण के सम्बन्ध में, विवाद के अंतर्गत प्रवेश कर के मांगों पर आकस्मिक देनदारियों के रूप में विचार किया गया है। (ii) में उल्लेखित विषय–वस्तु के सम्बन्ध में, कंपनी का विचार है कि ये प्रकरण विचाराधीन हैं और लम्बे समय से विभिन्न न्यायायिक प्राधिकारियों के समक्ष निर्णय लिए जाने के लिए लंबित है। वैध एवं सद्भावना के आधार पर लड़े गए उपरोक्त III(i) और III(ii) में उल्लेखित विवादित मांगों पर आकस्मिक देनदारियों के रूप में विचार किया गया है क्यूंकि यह संभव नहीं है कि वर्तमान दायित्व 31 मार्च, 2018 के अनुसार अस्तित्व में हो। इसलिए, वर्ष के दौरान क्षति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

योग्यता प्राप्त विचार

हमारे विचार में और हमारे पास उपलब्ध उत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहयोगी कंपनियों, सहायकों और नीचे दिए गए अन्य विषयों वाले अनुच्छेद में उल्लेखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के पृथक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के आधार पर; उपरोक्त गुण विचार के आधार वाले अनुच्छेद में वर्णित विषयों के संभावित प्रभावों के अतिरिक्त, उपर्युक्त समेकित इंड एएस का वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को अपेक्षित प्रकार से प्रदान करता है और 31 मार्च, 2018 के अनुसार, समूह, इसके सहायकों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों और उनके समेकित क्षति, समेकित कुल समावेशी क्षति (शुद्ध क्षति और अन्य समावेशी आय), उनके समेकित नकद प्रवाहों और उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण की समेकित परिस्थितियों पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, एक सत्यनिष्ठ और उचित विचार प्रदान करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर

विषय का प्रभाव

हम निम्नलिखित की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं:

स्वामित्व वाली कंपनी के कुल बिक्री में सम्मिलित है, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी अभिकरणों को ₹ 4,802.50 करोड़ मूल्य की बिक्री (31 मार्च, 2018 तक संचयी ₹ 12,271.05 करोड़) जिसे अस्थायी अनुबंध मूल्यों पर स्वीकृत किया गया (सन्दर्भ नोट सं. 49.2);

हमारे विचार को इस विषय के सम्बन्ध में संशोधित नहीं किया गया।

अन्य विषय

ए. हमने समेकित इंड एएस के वित्तीय परिणामों में सम्मिलित, परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2018 के अनुसार, ₹ 160.27 करोड़ के कुल परिसंपत्तियों, ₹ 136.63 करोड़ के कुल राजस्व, ₹ 14.18 करोड़ का कर चुकाने के बाद कुल शुद्ध लाभ और उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 14.17 करोड़ के कुल समावेशी आय को प्रतिविम्बित करते हैं जैसा कि उनके सम्बंधित स्वचलित इंड एएस के वित्तीय विवरणों में सुविचारित है।

इस विवरण में, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 284.86 करोड़ के शुद्ध लाभ के समूह का शेयर और ₹ 285.35 करोड़ का कुल समावेशी आय सम्मिलित है जैसा कि अनुबंध सी में निर्दिष्ट संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों से सम्बन्धित समेकित इंड एएस के वित्तीय परिणामों में विचारार्थ है जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण हमने नहीं किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नहीं किया गया है जिनके प्रतिवेदनों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और समेकित इंड एएस के वित्तीय परिणामों; जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध राशियों एवं इन सहयोगी कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों और सहायकों से सम्बंधित खुलासे से है, पर हमारा विचार अन्य लेखापरीक्षकों पर पूरी तरह से आधारित है।

बी. विवरण में समूह का ₹ 33.36 करोड़ के शुद्ध लाभ का शेयर और 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 32.36 करोड़ का समावेशी आय सम्मिलित है, जैसा कि अनुबंध सी में निर्दिष्ट संयुक्त उपक्रमों और सहायकों के सम्बन्ध में समेकित इंड एएस के वित्तीय परिणामों में सुविचारित है, जिसके वित्तीय विवरणों का हमने लेखापरीक्षण नहीं किया है। इन गैर–अंकेक्षित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत नहीं किया गया है और विवरण पर हमारे विचार ऐसे गैर–अंकेक्षित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं पर पूरी तरह से आधारित है स हमारे विचार में और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए सूचनाओं के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए कोई सामग्री नहीं है।

एक सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित चार निकायों के प्रकरण में, 31 मार्च, 2018 का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

इन कंपनियों में 31 मार्च, 2018 को पूरी तरह से निवेश की व्यवस्था की गयी है। 31 मार्च, 2018 के वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति में, इन निकायों की कुल परिसंपत्तियाँ, कुल राजस्व और कुल लाभ/हानि को समेकित इंड एएस के वित्तीय परिणामों में सम्मिलित किया गया है।

अन्य विषयों में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन को संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, उपरोक्त अनुच्छेद 'अन्य विषय' में उल्लेखित, हमारे लेखापरीक्षण और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के विचार और भारत में समाविष्ट किये गए संयुक्त संचालनों, सहयोगी कंपनियों, सहायकों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर, हम प्रयोजनीय सीमा तक सूचित करते हैं कि:

(ए) हमने सभी सूचनाओं और व्याख्याओं माँग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो उपर्युक्त समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के उद्देश्य से हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के लिए आवश्यक थे।

(बी) हमारे विचार में, उपरोक्त गुण विचार के आधार वाले अनुच्छेद में वर्णित विषयों के प्रभाव के अतिरिक्त, लेखा के उपयुक्त पुस्तकों को अब तक उपर्युक्त समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों की तैयारी से सम्बंधित विधि की आवश्यकता के अनुसार रखा गया है, जहाँ तक कि उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण और अन्य लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों से प्रकट होता है।

(सी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत, अंकेक्षित स्वामित्व वाली कंपनी, सहयोगी कंपनी, सहायक एवं भारत में समाविष्ट संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के लेखाओं का प्रतिवेदन हमें/अन्य लेखापरीक्षकों को भेजा गया है और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से चर्चा की गयी है।

(डी) इस प्रतिवेदन द्वारा चर्चित समेकित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा से सम्बन्धित पुस्तकों की सहमति पर आधारित है।

(ई) हमारे विचार में, उपरोक्त गुणी विचार के आधार वाले अनुच्छेद में वर्णित विषयों के प्रभाव के अतिरिक्त, उपर्युक्त समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ उल्लेखित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है।

(एफ) हमारे विचार में, उपरोक्त गुण विचार के आधार वाले अनुच्छेद में वर्णित विषय समूह के कर्यकलापों पर एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता।

(जी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक: 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) समूह पर लागू नहीं होता।

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
(एच) ऐसे नियंत्रणों की वित्तीय सूचना और संचालनीय प्रभावशालिता पर आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता के सम्बन्ध में, "अनुबंध ए" में हमारे पृथक प्रतिवेदन का सन्दर्भ लें जो कि स्वामित्व वाली कंपनी, सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों और भारत में समाविष्ट संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों पर आधारित हैं। हमारा प्रतिवेदन स्वामित्व वाली कंपनी/सहयोगी कंपनियों/सहायक कंपनियों/ भारत में समाविष्ट संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों, वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनीय प्रभावशालिता पर असंशोधित विचार व्यक्त करता है, और	
(आई) हमारे विचार में, कम्पनी (लेखापरीक्षण और लेखापरीक्षक) के नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य विषयों से सम्बंधित हमारे विचार और हमें प्राप्त सूचनाओं एवं हमें दिए गए व्याख्याओं के अनुसारः	
(i) उपरोक्त कुशल विचार के आधार वाले अनुच्छेद में वर्णित विषयों के संभावित प्रभाव के अतिरिक्त, समेकित इंड एएस के वित्तीय विवरण समूह, इसके सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी का खुलासा करता है (सन्दर्भ नोट सं. 47.1)	
(ii) समूह, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों को लम्बी अवधि के अनुबंधों, अमौलिक अनुबंधों सहित, कोई पूर्वाभास वाली भौतिक हानि नहीं हुई;	
(iii) स्वामित्व वाली कंपनी ने निवेशकर्ता के ₹120,75,460/– की राशि वाले शिक्षा एवं संरक्षण कोष को बिना दावे की परिपक्व जमाराशि के रूप में स्थान्तरित नहीं किया है जिसे स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा उक्त कोष में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है; और	परिपक्व जमाराशियों का दावा पहले ही व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/सम्बन्धियों द्वारा किया गया है परन्तु दावेदारों द्वारा विधिक उत्तराधिकारी के प्रमाण प्रलेख का जमा किया जाना बाकी है। विधिक उत्तराधिकारी को परिपक्व जमाराशि लौटाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
(iv) स्वामित्व और निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) में लेनदेनों के खुलासा की आवश्यकता और उस पर प्रतिवेदन देना वर्ष के लिए लागू नहीं होते।	

कृते सिंघी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझेदार
(सदस्यता सं. 050773)

कृते वी. के. धींगड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 000250एन

हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 087085)

कृते चैटर्जी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
टी. एन. घोष
साझेदार
(सदस्यता सं. 050644)

कृते ए. के. साबत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0321012ई।

हस्ता./–
ए. के. साबत
साझेदार
(सदस्यता सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उन की ओर से

हस्ता./–
(सरस्वती प्रसाद)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2018

समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन के लिए अनुबंध ए

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर

(सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अंतर्गत उल्लेखित)

कम्पनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत, आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समूह, इसके सहायकों और सयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के साथ, हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात "स्वामित्व वाली कंपनी" के रूप में उल्लेखित किया जायेगा) और इसके सहयोगी कंपनियों, इसके सहायक कंपनियों और भारत में समाविष्ट किये गए संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर उस तिथि से आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है।

आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

स्वामित्व वाली कंपनी के सम्बंधित निदेशक मंडल, इसकी सहयोगी एवं सहायक कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ; जिन्हें भारत में समाविष्ट किया गया है, इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आतंरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को समझते हुए सम्बंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन के मानक के आधार पर आतंरिक नियंत्रण पर आधारित आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाये रखने लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में समुचित आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाईन, कार्यान्वन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिसका संचालन अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से किया जा रहा था जिसमें सम्मिलित है, कंपनी के नीतियों के प्रति निष्ठा, इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, जालसाजी और त्रुटियों की रोकथाम एवं खोज, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी, जैसा भी अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक हो।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व स्वामित्व वाली कंपनी, इसके सहयोगी एवं सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों; जिन्हें भारत में समाविष्ट किया गया है, के वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक विचार व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शन नोट और लेखांकन के मानकों के अनुसार, अपने लेखापरीक्षण का निष्पादन किया और जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत, इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी दोनों के आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रयोजनीय सीमा तक निर्धारित किये जाने को उचित समझा। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर समुचित आतंरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया और यदि ऐसे नियंत्रणों का संचालन सभी विषयों में प्रभावशाली रूप से किया गया।

हमारे लेखापरीक्षण में सम्मिलित है, वित्तीय प्रतिवेदन और उनके संचालनीय प्रभावशालिता के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण के प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन।वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में सम्मिलित किया गया; वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में समझदारी प्राप्त करना; उस खतरे का आकलन करना जिसमें किसी विषय की दुर्बलता विद्यमान होती है और आकलित खतरे पर आधारित आतंरिक नियंत्रण की रूपरेखा और संचालनीय प्रभावशालिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणों के भौतिक असत्य–विवरण के खतरों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, चाहे वे छल या त्रुटी के कारण हुआ हो।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण के प्रमाण जिसे हमने प्राप्त किया है और निम्नांकित 'अन्य विषय' के अनुच्छेद में उल्लेखित उनके प्रतिवेदनों के परिपेक्ष्य में लेखापरीक्षण के प्रमाण जिसे अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया, वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर कंपनी के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षण सम्बंधित हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर किसी कंपनी का आतंरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसे साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार की गयीं एक प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर किसी कंपनी के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो:

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण के साथ सम्बंधित होता है जो उचित विवरण के साथ, कंपनी के परिसंपत्तियों के लेनदेनों और स्थिति को सटीक और उचित रूप से दर्शाता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय विवरणों की तैयारी को स्वीकृति देने के लिए लेन–देनों को आवश्यकतानुसार अभिलिखित किया गया है और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के अनुसार, प्राप्तियों और खर्चों का निष्पादन किया जा रहा है; और

(3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रकृति को रोकने या समय से खोज करने के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षण के प्रतिवेदन के लिए अनुबंध ए

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएँ

साठगाँठ की सम्भावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन के निरस्तीकरण सहित, वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के अन्तर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या जालसाज के कारण पदार्थ का असत्य विवरण दिया जा सकता है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, आगे की अवधियों के लिए वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी आकल का प्रदर्शन खतरे के अधीन होता है जिससे कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण के शर्तों में परिवर्तनों का कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी रह सकती है।

विचार

हमारे विचार में, स्वामित्व वाली कंपनी, इसकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों और भारत में समाविष्ट की गयी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में सभी विषयों से सम्बंधित वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर एक समुचित आतंरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होता है और वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर ऐसे आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों को 31 मार्च, 2018 को प्रभावशाली रूप से संचालित किया जा रहा था, जो इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आतंरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन के मानदंड के ऊपर आतंरिक नियंत्रण पर आधारित होता है।

अन्य विषय

जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध 3 सहयोगी कंपनियों और 5 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों से है, जिन्हें भारत में समाविष्ट किया गया है, वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर

आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और संचालनीय प्रभावशालिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हमारे उपर्युक्त प्रतिवेदन भारत में समाविष्ट किये गए ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों के सम्बंधित प्रतिवेदनों पर आधारित होते है।

कृते सिंघी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302049ई

हस्ता./–
(प्रदीप कुमार सिंघी)
साझेदार
(सदस्यता सं. 050773)

कृते वी. के. धींगड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन न. 000250एन

हस्ता./–
(संजय जिंदल)
साझेदार
(सदस्यता सं. 087085)

कृते चैटर्जी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 302114ई

हस्ता./–
टी. एन. घोष
साझेदार
(सदस्यता सं. 050644)

कृते ए. के. साबत एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 0321012इ।

हस्ता./–
ए. के. साबत
साझेदार
(सदस्यता सं. 030310)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

अनुबंध बी – सहयोगी कंपनियों की सूची

सहयोगी कंपनियाँ

लेखा–परीक्षण वित्तीय विवरण

सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
सेल–जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

लेखा–परीक्षण रहित वित्तीय विवरण

सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड

अनुबंध सी – संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय और सहायक कंपनियाँ

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय/ सहायक अंकेक्षित वित्तीय विवरण

सेल राइट्स बेंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
सेल बेंगल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

गैर–अंकेक्षित वित्तीय विवरण/ सूचना

अभिनव सेल जीवीसी लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
अल्मोरा मैग्नेसाईट लिमिटेड
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड
बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड
एनएमडीसी सेल लिमिटेड
प्राइम गोल्ड – सेल जेवीसी
सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
एसटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सेल मोइल फेर्रो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीएल केरल लिमिटेड
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड
वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड के समेकित आर्थिक विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख), जिसे 129 (4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढ़ी जानी वाली धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 30 मई 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं लेखामहापरीक्षक की ओर से अधिनियम के सेक्शन 129 (4) के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 143 (6) (क) के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का पूरक लेखा परीक्षण संचालित किया है, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, सरकार और/ या सरकारी कंपनियों द्वारा नियंत्रित इसके तीन[1] सहयोगी कंपनी और आठ[2] संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल हैं। अधिनियम के सेक्शन 143 (6) (क) के अंतर्गत एक सहयोगी कंपनी[3], दो इस तरह की संयुक्त उद्यम कंपनी[4] और एक सहायक कंपनी[5] इस तारीख तक अपने खातों और/या लेखा को पूरा नहीं कर पाई थीं। सेक्शन 143(6)(क) के तहत, मुझे सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली लेकिन समेकित वित्तीय विवरण में शामिल दस कंपनियों[6] के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा नियंत्रित एक सहायक कंपनी[7] और एक संयुक्त उद्यम कंपनी[8] और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली दो कंपनियों[9] का वित्तीय विवरण समेकित नहीं किया गया है (विवरण अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है)। समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुंच के बिना किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

अपने लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई हैं, जो वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी का आधार या उसका पूरक होगा।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर
(इंदू अग्रवाल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, रांची

स्थान : रांची
तिथि : 31 जुलाई, 2018

1. सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड, सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड एवं सेल सिंदरी प्रोजक्ट्स लिमिटेड
2. एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड, सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल एंड मॉइल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, सेल–एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, सेल राईट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एनएमडीसी सेल लिमिटेड एवं वस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
3. छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
4. बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सेल एससीएल केरल लिमिटेड
5. अलमोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड
6. एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड, टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड, प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड, सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड, वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
7. इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड
8. नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड
9. रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड और यूईसी–सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

अनुलग्नक–1

विवरण में सेल की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी के नाम और खातों के समेकन (2017–18) की स्थिति दी गई है:

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	क्या खातों को समेकित किया गया था	क्या खाते सी एंड एजी के अधिकार क्षेत्र में थे
	मूल कंपनी		
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	हां	हां
	सहायक कंपनी		
1	सेल– जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	हां	हां
2	सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	हां	हां
3	सेल सिंदरी प्रोजक्ट लिमिटेड	हां	हां
4	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	हां	हां
5	इस्को उज्जैन पाइप एंज फाउंड्री कंपनी लिमिटेड	नहीं	हां
	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
6	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी. लिमिटेड	हां	हां
7	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
8	सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
9	सेल एंड मॉइल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
10	सेल–एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
11	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
12	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	हां	हां
13	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री लिमिटेड	हां	हां
14	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	हां	हां
15	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
16	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	नहीं	हां
17	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	हां	नहीं
18	भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड	हां	नहीं
19	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हां	नहीं
20	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	नहीं
21	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
22	टीएमसी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
23	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
24	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	हां	नहीं
25	अभिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
26	वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
27	रोमल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं	नहीं
28	यूईसी–सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	नहीं	नहीं
	सहयोगी कंपनी		
29	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	हां	हां

फॉर्म एओसी–1

[कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में]

सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं बताने वाला विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियां

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1	सहायक कंपनी का नाम	सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
2	होल्डिंग कंपनी कीक रिपोर्टिंग अवधि से अलग होने पर संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की आखिरी तारीख तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	शेयर पूंजी	0.10	0.05	0.05	0.05
5	भंडार और अधिशेष	123.26	(–)0.03	(–)0.03	(–)0.02
6	कुल परिसंपत्तियां	160.20	0.02	0.02	0.03
7	कुल देयताएं	36.84	*	*	*
8	निवेश	–	–	–	–
9	कुल कारोबार	131.58	–	–	–
10	कराधान पूर्व लाभ	21.73	(–)0.01	–	(–)0.01
11	कराधान हेतू प्रावधान	7.53	–	–	–
12	कराधान पश्चात लाभ	14.20	(–)0.01	–	(–)0.01
13	प्रस्तावित लाभांश	–	–	–	–
14	शेयरहोल्डिंग का %	100	100	100	74

* ₹ 50,000/– से कम राशि

नोटः कंपनी के पास इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड में प्रति शेयर ₹10 मूल्य वाले 30,00,000 इक्विटी शेयर हैं। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 1997 की प्रभावी तारीख से कंपनी बंद करने के निर्देश दिए थे और आधिकारिक लिक्विडेटर ने कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने के बाद अब लिक्विडेटर बकाया देय राशि का निपटान करने की प्रक्रिया में है। इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड का 10 जुलाई, 1997 तक संचयी नुकसान ₹ 17.05 करोड़ था।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के.सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

भाग बी : सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) से संबंधित सहायोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों का 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का विवरण

क्र.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹/करोड़)	धारण की सीमा का (%)	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने के कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरहाल्डिंग के कारण निवल मूल्य (₹/करोड़)	वर्ष के दौरान लाभ/हानि (₹/करोड़)	समेकित रूप से विचार (₹/करोड़)	समेकित रूप से विचार नहीं (₹/करोड़)
संयुक्त उद्यम		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	31.03.2018	490250050	490.25	50.00%	नोट–1		2184.21	331.72	165.86	165.86
2	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2018	124025000	124.03	50.00%	नोट–1		817.12	79.28	39.64	39.64
3	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	31.03.2018	4000000	4.00	50.00%	नोट–1		254.77	42.43	21.22	21.21
4	सेल बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड *	31.03.2018	3200000	3.20	40.00%	नोट–1		0.75	(0.59)	(0.24)	(0.35)
5	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड *	31.03.2018	98718048	52.51	26.00%	नोट–1		55.42	(42.04)	(10.93)	(31.11)
6	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2018	12941400	12.94	50.00%	नोट–1		(6.52)	(5.53)	(2.77)	(2.76)
7	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2018	593764286	693.76	48.72%	नोट–1		2067.68	21.28	10.18	11.10
8	सेल–मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2018	100000	0.10	50.00%	नोट–1		(12.47)	(9.14)	(4.57)	(4.57)
9	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2018	100000	0.10	50.00%	नोट–1		0.13	(0.01)	(0.01)	0.00
10	सेल एससीएल केरल लिमिटेड*	31.03.2018	13017801	18.75	49.26%	नोट–1		(52.23)	(16.19)	(7.98)	(8.21)
11	सेल राइट्स बंगाल वेगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	31.03.2018	24000000	24.00	50.00%	नोट–1		25.52	(4.14)	(2.07)	(2.07)
12	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड*	31.03.2018	250000	0.25	50.00%	नोट–1		0.51	0.00	0.00	0.00
13	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31.03.2018	–	–	26.00%	नोट–1		(0.09)	(0.01)	0.00	(0.01)
14	टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31.03.2018	–	–	26.00%	नोट–1		(0.01)	0.00	0.00	0.00
15	सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेअ लिमिटेड	31.03.2018	10000	0.01	50.00%	नोट–1		(0.02)	(0.01)	0.00	(0.01)
16	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड*	31.03.2018	4680000	4.68	26.00%	नोट–1		21.71	(2.87)	(0.75)	(2.12)
17	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31.03.2018	1300729	1.30	20.58%	नोट–1		5.67	(0.43)	(0.09)	(0.34)
18	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड*	31.03.2018	–	–	26.00%	नोट–1		(0.15)	(0.05)	(0.01)	(0.04)
19	रोमेल्ट (इंडिया) लिमिटेड @		63000	0.06		नोट–1	खाते उपलब्ध नहीं	–	–	–	–
20	यूईसी सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड #		–	–		नोट–1	वही	–	–	–	–
21	नॉथ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड #		97900	0.98		नोट–1	वही	–	–	–	–
22	एन.ई. स्टील एंड गेलवेनाइज़िंग प्राइवेट लिमिटेड #		.	.	49.00%	नोट–1	वही	–	–	–	–
23	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	31.03.2017	200000	0.02	49.00%			0.04	0.00	0.00	0.00
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड*	31.03.2017	10500	0.01	21.00%			1.10	(2.41)	(0.51)	(1.90)
सहयोगी											
1	अल्मोड़ा मेग्नेसाइट लिमिटेड*	31.03.2016	400000	0.40	20.00%	नोट–2		6.77	1.73	0.35	1.38

1. संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार वोटिंग पावर
2. 20% शेयर कैपिटल रखता है

* वर्ष 2016–17 के लिए अनअंकेक्षित लेखों के आधार पर

@ निलंबित प्रचालन

\# वे कंपनियां जिन्हें बंद किया जा रहा है/जिनका लिक्विडेशन हो रहा है

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के.सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2018

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर
फॉर्म नं. एमजीटी–9
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और नियम 12 (1) कंपनियों के (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i)	सीआईएन	:	एल 27109 डीएल 1973 जीओआई 006454
ii)	पंजीकरण तारीख	:	24 जनवरी 1973
iii)	कंपनी का नाम	:	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	:	सार्वजनिक कंपनी / शेयरों द्वारा सीमित
v)	पंजीकृत दफ्तर का पता और संपर्क करने का विवरण	:	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, संपर्क नंबरः +91–11–24367481 फैक्स नंबर +91–11–24367015. ई मेलः investor.relation@sailex.com
vi)	क्या ये सूचीबद्ध कंपनी है	:	हां
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के नाम, पता एवं संपर्क करने का विवरण	:	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंटस लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन नं.– +91–11–41406149. फैक्स नं. +91–11–41709881. ईमेलः admin@mcsregistrars.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या इससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगाः

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों / सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पादों / सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	समतल उत्पाद (एचआर कॉइल्स, एचआर प्लेट्स, सीआर कॉइल्स, पाइप्स और इलेक्ट्रिक शीट आदि)	330	52
2	लम्बे उत्पाद (टीएमटी बार, वायर रॉड्स, आदि)		38

III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक / सहायक / सहयोगी	नियंत्रित शेयरों का %	उपयुक्त अनुभाग
1	सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली	U40106DL2011GOI219901	सहायक	100	2(87)
2	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड, सलेम स्टील प्लांट, सलेम	U14200TZ2011GOI017357	सहायक	100	2(87)
3	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड चासनला – 828135 झारखंड	U27320JH2011GOI015168	सहायक	100	2(87)
4	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट, इस्पात भवन, भिलाई, छत्तीसगढ	U27100CT2015GOI001627	सहायक	74	2(87)
5	इस्को उज्जैन पाइप और फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहण के तहत) 50, चौरंगी रोड, कोलकाता– 700071	U28113WB1964PLC026148	सहायक	100	2(87)
6	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड मैग्नेसाइट हाउस, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा –263601	U26941UR1971PLC003453	सहयोगी	20	2(6)
7	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड कोर –3, 5वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003	U74899DL1999PTC098274	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
8	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	U40300DL2001PTC112074	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
9	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड 28–बी, शेक्सपीयर सरणी, नीलांबर, लैट नंबर 10ए, 10वीं मंजिल, कोलकाता– 700017	U14109WB1980PLC033031	संयुक्त उद्यम	50	2(6)

10	यूईसी सेल इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (अधिग्रहण के तहत), सी/ओ आई. एम. पुरी एंड कं., सी–30 चिराग एनक्लेव, नई दिल्ली –110048	U74899DL1995PLC064072	संयुक्त उद्यम	40	2(6)
11	रोमैटल–सेल (इंडिया) लिमिटेड नं 25/2 मदनपुर, खदारए सुंदर पब्लिक स्कूल के पास एफ ब्लॉक के सामने, नई दिल्ली –110076	U74899DL1997PLC090025	संयुक्त उद्यम	15	2(6)
12	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड टाटा सेंटर, 43, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता 700071	U00000WB2001PLC115841	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
13	सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड, 12/2, पार्क हवेली 57–ए, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता –700016	U27310WB2000PLC092486	संयुक्त उद्यम	40	2(6)
14	भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड जेए हाउस, 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057	U26940CT2007PLC020250	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
15	सेल एंड मोइल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर–1, भिलाई – 490001	U27101CT2008PTC020786	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
16	एस एंड टी माइनिंग कं प्राइवेट लिमिटेड टाटा सेंटर, 43, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता – 700071	U13100WB2008PTC129436	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
17	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 20वीं मंजिल, स्कोप मिनार 2(6)संयुक्त उद्यम लक्ष्मी नगर जिला केंद्र दिल्ली – 110092	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त उद्यम	48.72	2(6)
18	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, शिपिंग हाउस 13 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता – 700001	U61100WB2010PTC148428	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
19	सेल–एससीएल केरल लिमिटेड पी. बी. नं. 42, फेरोक –673 631 कोझिकोड, केरल	U27104KL1969SGC002253	संयुक्त उद्यम	49ण्26	2(6)
20	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड स्कोप मिनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092	U35200DL2010PTC211955	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
21	सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली	U27100DL2012PTC236499	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
22	एसएएल–सेल जेवीसी लिमिटेड बी –7, डब्ल्यूएचएस कीर्ति नगर, नई दिल्ली	U28111DL2012PLC231225	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
23	टीएमटीएसएएल–सेल जेवीसी लिमिटेड बी –7, डब्ल्यूएचएस कीर्ति नगर, नई दिल्ली	U28113DL2012PLC231234	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
24	सेल–बंगाल अलाय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीएसीपीएल) 22बी, राजा संतोष रोड, कोलकाता – 700 027	U35122WB2013PTC190532	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
25	वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड द्वार क्रमांक 2–51, दर्गा के पास, कर्दनूर, पोस्टपाटी पाटन चेरुवु मंडल हैदराबाद – 502300	U27106TG2012PLC083896	संयुक्त उद्यम	20ण्58	2(6)
26	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड 5/2, पंजाबी बाघ एक्स्टेंशन, क्लब रोड, नई दिल्ली – 110026	U28113DL2012PLC245537	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
27	अबिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड 401, महावीर जी कॉम्प्लेक्स, एलएससी ऋषब विहार, दिल्ली – 110 092	U27100DL2012PLC245749	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
28	एनएमडीसी सेल लिमिटेड 10–3–311/ए, खनिज भवन कैस्टल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद, हैदराबाद ज्ळ 500028 आईएन	U27320TG2016GOI109798	संयुक्त उद्यम	49	2(6)
29	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर, एनएमडीसी बिल्डिंग गीन्स विले सिटी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी बोरियाकला रायपुर, रायपुर सीटी 492015 आईएन	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त उद्यम	21	2(6)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणी के लिहाज से शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता)

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	
अ. प्रोत्साहक									
1. भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केंद्र सरकार	3097767449	–	3097767449	75.00	3097767449	–	3097767449	75.00	0.00
ग) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय कॉरपोरेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड.) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई दूसरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (अ)(1):–	3097767449		3097767449	75.00	3097767449		3097767449	75.00	0.00
2. विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य–व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) निकाय कॉर्पोरेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड.) कोई दूसरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (अ)(2):–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रोत्साहक की कुल शेयरधारिता (1) = (अ)(1)+(अ)(2)	3097767449	–	3097767449	75.00	3097767449	.	3097767449	75.00	0.00
ब. पब्लिक शेयरधारिता									
1. संस्थानों									
क) म्यूचुअल फंड्स	51275023	127300	51402323	1.24	110886637	124800	111011437	2.69	1.45
ख) बैंक/एफआई	163134585	61976	163196561	3.95	138930829	59876	138990705	3.36	(–)0.59
ग) केंद्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार(रें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड.) वेंचर कैपिटल फंड्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कंपनियां	471423860	1900	471425760	11.41	417264778	1900	417266678	10.10	(–)1.31
छ) एफआईआई	175934683	48526	175983209	4.26	174998847	41126	175039973	4.24	(–)0.02
ज) फॉरन वेंचर कैपिटल फंड्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i) अन्य (निर्दिष्ट)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–कुल (बी)(1):	861768151	239702	862007853	20.86	843812800	227702	844040502	20.43	(–)0.43
2. गैर–संस्थानिक									
क) निकाय कॉर्पोरेशन	18172250	70342	18242592	0.44	29693002	53342	29746344	0.72	0.28
i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) प्रवासी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारक ₹1 लाख तक के नाममात्र शेयर पूंजी धारित करते हैं	104957731	5636489	110594220	2.68	101387379	3972860	105360239	2.55	(–)0.13

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक ₹1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी धारित करते हैं	18138783	112100	18250883	0.44	27350054	87100	27437154	0.66	0.22
ग) अन्य (निर्दिष्ट) एनबीएफसी	11065	0	11065	0.00	1033155	.	1033155	0.02	0.02
i) अनिवासी भारतीय	17530562	396500	17927062	0.43	17904363	396500	18300863	0.44	0.01
ii) ट्रस्ट और फाउंडेशन	5403330	2800	5406130	0.13	6519248	2300	6521548	0.16	0.03
iii) सहकारी समितियां	200400	0	200400	0.00	200400	.	200400	0.01	0.01
उप–कुल (बी)(2)	**164414121**	**6218231**	**170632352**	**4.13**	**184087601**	**4512102**	**188599703**	**4.57**	**0.44**
कुल पब्लिक शेयरधारित (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	1026182272	6457933	1032640205	25.00	1027900401	4739804	1032640205	25.00	0.00
स. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	48435	69200	117635	0.00	48435	69200	117635	0.00	0.00
कुल योग (ए)+(बी)+(सी)	**4123998156**	**6527133**	**4130525289**	**100.00**	**4125716285**	**4809004**	**4130525289**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/कुल शेयरों के लिए भारग्रस्त का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/कुल शेयरों के लिए भारग्रस्त का %	वर्ष के दौरन शेयर होल्डिंग में % बदलाव
1	भारत सरकार	3097767449	75.00	0	3097767449	75.00	0	–
	कुल	3097767449	75.00	0	3097767449	75.00	0	–

(iii) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (.पया निर्दिष्ट करें, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है)

क्र. सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत सरकार वर्ष की शुरूआत में	3097767449	75ण्00	3097767449	75.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए (उदाहरण के लिए (आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	3097767449	75.00	3097767449	75.00

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रोत्साहकों और धारकों के अलावा):

क्र.सं.	फोलियो संख्या	नाम	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 2017–18 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			वर्ष की शुरुआत (31.03.17)/ समाप्ति (31.03.18 पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	IN30081210000012	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	441874667	10.70	31.03.2017				
					26.01.2018	–3358000	बिक्री	438516667	10.62
					02.02.2018	–10881968	बिक्री	427634699	10.35
					16.02.2018	–9602901	बिक्री	418031798	10.12
					23.02.2018	–10713437	बिक्री	407318361	9.86
					02.03.2018	–11867003	बिक्री	395451358	9.57
			395451358	9.57	31.03.2018				
2	IN30081210498007	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	51099546	1.24	31.03.2017				
			51099546	1.24	31.03.2018	शून्य	शून्य		
3	IN30014210753517	कोटक फंड्स–इंडिया मिडकैप फंड्स	0	0.00	31.03.2018				
					12.01.2018	5969031	खरीद	5969031	0.14
					19.01.2018	6117779	खरीद	12086810	0.29
					26.01.2018	4150251	खरीद	16237061	0.39
					02.02.2018	3005592	खरीद	19242653	0.47
					09.02.2018	3250000	खरीद	22492653	0.54
					16.02.2018	1721334	खरीद	24213987	0.59
					23.02.2018	1326985	खरीद	25540972	0.62
					02.03.2018	2535000	खरीद	28075972	0.68
					09.03.2018	2089817	खरीद	30165789	0.73
			30165789	0.73	31.03.2018				
4	IN30081210501340	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पी एंड जीएस फंड	39886617	0.97	31.03.2017				
					26.01.2018	1100000	बिक्री	38786617	0.94
					02.02.2018	2640000	बिक्री	36146617	0.88
					16.02.2018	–3938136	बिक्री	32208481	0.78
					23.02.2018	–755000	बिक्री	31453481	0.76
					02.03.2018	–5600236	बिक्री	25853245	0.63
			25853245	0.63	31.03.2018				

क्र.सं.	फोलियो संख्या	नाम	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 2017–18 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			वर्ष की शुरुआत (31.03.17)/ समाप्ति (31.03.18 पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
5	IN30081210497730	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	17677583	0.43	31.03.2017				
			17677583	0.43	31.03.2018	शून्य	शून्य		
6	IN30343810016654	वैनगार्ड एमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरिज ऑफ वैंग		0	0.00	31.03.2017			
					23.03.2018	16721322	खरीद	16721322	0.40
			16643922	0.40	31.03.2018	–77400	बिक्री		
7	IN30005410094202	पोल्यूनिन डेवलपिंग कंट्रीज फंड, एलआईसी	0	0.00	31.03.2017				
					31.03.2017	6243683	खरीद	6243683	0.15
					03.11.2018	1708306	खरीद	7951989	0.19
					10.11.2017	5102227	खरीद	13054216	0.32
					02.02.2018	221675	खरीद	13275891	0.32
					09.03.2018	226745	खरीद	13502636	0.33
			13502636	0.33	31.03.2018				
8	IN30343810003257	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	12316054	0.30	31.03.2017				
					30.06.2017	574970	खरीद	12891024	0.31
					26.01.2018	341843	खरीद	13232867	0.32
			13232867	0.32	31.03.2018				
9	IN30343810003972	कैपिटल ग्रुप एमरजिंग मार्केट्स टोटल ऑपर्च्यूनिटीज (लक्स)	15631981	0.38	31.03.2017				
					09.06.2017	2282700	बिक्री	17914681	0.43
					02.03.2018	–1712783	बिक्री	16201898	0.39
					09.03.2018	–3753249	बिक्री	12448649	0.30
			12448649	0.30	31.03.2018				
10	1203280000374484	यूसुफ अली मुस्लिम वीटिल अब्दुल कादर	11900000	0.29	31.03.2017				
			11900000	0.29	31.03.2018	शून्य	शून्य		
11	IN30081210497789	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	11754806	0.28	31.03.2017				
			11754806	0.28	31.03.2018	शून्य	शून्य		
12	IN30012611241922	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	11655668	0.28	31.03.2017				
			11655668	0.28	31.03.2018	शून्य	शून्य		

क्र.सं.	फोलियो संख्या	नाम	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष 2017–18 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			वर्ष की शुरुआत (31.03.17)/ समाप्ति (31.03.18 पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
13	IN30005410009134	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड– एचडीएफसी प्रूडेंस फंड	0	0.00	31.03.2017				
					05.01.2018	2452000	खरीद	2452000	0.06
					12.01.2018	1700000	खरीद	4152000	0.10
					09.02.2018	4720000	खरीद	8872000	0.21
					02.03.2018	2400000	खरीद	11272000	0.27
			11272000	0.27	31.03.2018				
14	IN30005410009118	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड– एचडीएफसी टॉप 200 फंड	10962415	0.27	31.03.2017				
			10962415	0.27	31.03.2018	शून्य	शून्य		
15	IN30012611218322	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	22192424	0.54	31.03.2017				
					31.10.2017	–7115936	बिक्री	15076488	0.37
					03.11.2017	–518996	बिक्री	14557492	0.35
					17.11.2017	–1500000	बिक्री	13057492	0.32
					24.11.2017	–1740000	बिक्री	11317492	0.27
					29.12.2017	–4704000	बिक्री	6613492	0.16
					05.01.2018	–6613492	बिक्री		
			0	0.00	31.03.2018				
16	IN30016710011470	वैनगार्ड एमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरिज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	18306191	0.44	31.03.2017				
					07.04.2017	178685	खरीद	18484876	0.45
			0	0.00	31.03.2018				
17	IN30005410013042	एकेसिया (एसीएसीआईए) पार्टनर्स, एलपी	15102193	0.37	31.03.2017				
					06.10.2017	–15102193	बिक्री	0	0.00
			0	0.00	31.03.2018				
18	IN30005410013042	स्टीचिंग डिपॉजिटरी एपीजी एमरजिंग मार्केट्स इक्विटी पूल	14398000	0.35	31.03.2017				
					28.04.2017	–6876200	बिक्री	7521800	0.18
					05.05.2017	–7521800	बिक्री	0	0.00
			0	0.00	31.03.2018				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकों और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	**श्री अनिल कुमार चौधरी, निदेशक (वित्त)**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरूआत में	200	0.00	200	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	200	0.00	200	0.00

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकों और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
2.	**श्री अतुल श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक)**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरूआत में	200	0.00	200	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	200	0.00	200	0.00

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	**श्री एम.सी. जैन, कंपनी सचिव**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरूआत में	68	0.00	68	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण बताते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	68	0.00	68	0.00

नोटः सभी अन्य निदेशकों के पास वित्तीय वर्ष 2017–18 की शुरूआत, के दौरान और अंत में कंपनी के कोई भी शेयर नहीं है।

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें ब्याज भी शामिल है जो बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नही

(₹ करोड़)

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	20843.86	20551.79	–	41395.65
ii) ब्याज देय पर भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	832.85	234.24	–	1076.09
कुल (i+ii+iii)	**21676.71**	**20795.03**	–	**42471.74**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि	22206.29	45352.95	–	67559.24
– कमी	8479.87	55066.45	–	63546.32
शुद्ध परिवर्तन	**13726.42**	**–9713.50**	–	**4012.92**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	34570.28	10838.29	–	45408.57
ii) ब्याज देय पर भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	869.37	203.17	–	1072.54
कुल (i+ii+iii)	**35439.65**	**11041.46**	–	**46481.11**

नोटः भारत के लेखा मानक (INDAS) के अनुसार शुरूआती शेष का पुनर्गठन किया गया है।

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिकः

क्र. सं.	वेतन का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक के नाम								कुल राशि (₹)
		श्री पी.के. सिंह	श्री अनिल कुमार चौधरी	श्री जी. विश्वकर्मा	श्री रमन	श्री कल्याण मैती (28.02.2018 तक)	डॉ. एन. मोहपात्रा (30.06.2017 तक)	सुश्री सोमा मंडल	श्री अतुल श्रीवास्तव (12.03.2018 से)	
		अध्यक्ष	निदेशक (वित्त)	निदेशक (पी एंड बीपी)	निदेशक (तकनीकी)	निदेशक (आरएम एंड एल)	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (व्यावसायिक)	निदेशक (कार्मिक)	
1.	सकल वेतन									
	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	43,66,223	39,87,266	27,66,215	39,27,267	37,25,174	9,12,778	42,37,436	6,99,478	2,46,21,837
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत लाभों का मूल्य	5,06,929	5,23,062	6,61,400	8,80,206	4,17,788	5,44,085	5,13,745	24,072	40,71,287
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले मुनाफा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	**स्टॉक विकल्प**	–	–		–	–	–	–	–	–
3.	**उद्यम इक्विटी**	–	–		–	–	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ का % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें	–	–		–	–	–	–	–	–
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें	–	–		–	–	–	–	–	–
	कुल (अ)	**48,73,152**	**45,10,328**	**34,27,615**	**48,07,473**	**41,42,962**	**14,56,863**	**47,51,181**	**7,23,550**	**2,86,93,124**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय

ख. अन्य निदेशकों को मानदेयः

क्रम सं.	वेतन का विवरण	बोर्ड/कमेटी बैठकों में मौजूद रहने के लिए शुल्क	कमीशन	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक***				
	सीए प्रमोद बिंदल	8,20,000	–	–	8,20,000
	श्री पीके दास (03.10.2017 तक)	4,20,000	–	–	4,20,000
	श्रीमती अंशु वैश	6,40,000	–	–	6,40,000
	प्रो. अशोक गुप्ता	8,20,000	–	–	8,20,000
	डॉ. समर सिंह	5,40,000	–	–	5,40,000
	श्री निलांजन सन्याल	9,80,000	–	–	9,80,000
	सीए के.एस. चौहान (22.09.2017 से)	2,60,000	–	–	2,60,000
	प्रोफेसर एनके तनेजा (22.09.2017 से)	2,40,000	–	–	2,40,000
	कुल (1)	**47,20,000**	–	–	**47,20,000**
2.	**अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक****				
	कुल (2)	–	–	–	–
	कुल (ख) = (1+2)	**47,20,000**	–	–	**47,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार सीमा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत गणना किए गए मुनाफे का 1%)	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय	अप्रयोजय

* स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

** अन्य गैर–कार्यकारी निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ग. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए वेतन

क्रम सं.	वेतन का विवरण	श्री एम सी जैन, कंपनी सचिव	कुल
1.	**कुल वेतन** (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रस्तावों के मुताबिक वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	 25,95,742 3,70,071 –	 25,95,742 3,70,071 –
2.	स्टॉक का विकल्प	–	–
3.	स्वेट इक्विटी	–	–
4.	कमीशन – लाभ के % तौर पर – अन्य, स्पष्ट करें	–	–
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट कर	–	–
	कुल (ए)	**29,65,813**	**29,65,813**

VII जुर्माना/दंड/अपराधों का योग:

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/आर्थिक दंड में बढ़ोतरी का विवरण	अधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील किया गया, यदि कोई
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
योग					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			कुछ नहीं		
योग					
ग. बकाया					
जुर्माना					
दंड					
योग					

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का ब्यौरा

i) 31 मार्च, 2018 को बकाया राशि

विवरण	राशि (₹ करोड़)
दिए गए ऋण *	234.11
किया गया निवेश	1491.30

* ₹1.00 करोड़ प्रदान किए गए

ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया निवेश

निकाय का नाम	संबंध	राशि (₹ करोड़)	प्रयोजन, जिसके लिए निवेश उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है
अंतरराष्ट्रीय कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	100.00	कारोबार प्रयोजन
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	0.02	कारोबार प्रयोजन
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	0.01	कारोबार प्रयोजन
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक	0.04	कारोबार प्रयोजन

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–

(सरस्वती प्रसाद)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 अगस्त, 2018

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–XI

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा से आय और व्यय के विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए)

(क) ऊर्जा का संरक्षण

i) ऊर्जा के संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)

क. अक्टूबर 2017 से प्रक्रम ताप के रूप में सीओबी –11 के सीडीसीपी बॉयलर से 10 एटीए और 18 एटीए पर अपशिष्ट भाप का उपयोग।
ख. ब्लास्ट फर्नेस (1–7) में 44.6 कि. ग्रा./टीएचएम की सर्वश्रेष्ठ सीडीआई दर।
ग. वर्ष 2016–17 में 2.779 घन मीटर/टीसीएस की पिछली सर्वश्रेष्ठ खपत की तुलना में 2.774 घन मीटर/टीसीएस पर पानी की अब तक की सबसे कम खपत।
घ. ब्लास्ट फर्नेस (1–7) में कुल कोक दर (सूखे आधार पर) 2017–18 में घटकर 491.7 किलोग्राम/टीएचएम हो गई है, जबकि 2016–17 में यह 506.5 किलोग्राम/ थी।
ड़. ब्लास्ट फर्नेस (1–7) पर कुल कोक दर (शुष्क आधार पर) 2016–17 में 563.1 किलोग्राम/टीएचएम की तुलना में 2017–18 में घटकर 559.3 किलोग्राम/टीएचएम हो गई है।
च. 2016–17 में 40.77 सीयूएम/टीसीएस की तुलना में एसएमएस –2 में विशिष्ट एलडी गैस की प्राप्ति में 47.83 सीयूएम/टीसीएस तक का सुधार हुआ है।
छ. एसएमएस –2 के लेडल तैयारी बे में वीवीवीएफ ड्राइव को लेडल ड्रायर सं. 5, 6, 7 और 8 में स्थापित किया गया है।
ज. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के साथ 225 एमवीए से 200 एमवीए तक की कमी से संविदा मांग का अनुकूलन।
झ. संयंत्र विशिष्ट समग्र ऊर्जा खपत – 6.58 गीगा कैल. / टीसीएस।
ञ. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली खपत – 534 केडब्ल्यूएच / टीएसएस।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)

क. 474.2 किलोग्राम/टीएचएम की सबसे कम ब्लास्ट फर्नेस कोक दर।
ख. बीओएफ कन्वर्टर्स के तीन आईडी पंखों के निष्क्रिय चलने का रोकथाम।
ग. कोस्टर रूट (96.6%) के माध्यम से सबसे अच्छा उत्पादन।
घ. एनडीपी और एमएसएम के लिए गैस मिक्सिंग स्टेशन में सीओ गैस के साथ सीबीएम का बदलना।
ङ. 11.7 किग्रा/टी भाप पर सबसे कम विशिष्ट बॉयलर कोयले की खपत हासिल की।
च. 6.19 जीसीएल/टीसीएस पर सबसे कम वार्षिक वार्षिक ऊर्जा खपत हासिल की।
छ. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली खपत – 390.1 किलोवाट/टीएसएस।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)

क. बीपीटीजी से बिजली उत्पादन में 2.20 मेगावाट तक वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड से आयात क्षमता कम हो गई।
ख. बीएफ में कोक खपत में 418 किलोग्राम/टीएचएम से 410 किलोग्राम/टीएचएम तक कमी।
ग. एचएसएम भट्टी में हॉट स्लैब चार्जिंग।
घ. संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा खपत – 6.33 गीगा कैल./टीसीएस।
ड़. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली की खपत – 477 किलोवाट / टीएसएस।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)

क. बैटरी # 7 कमीशन की गई, जिससे कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस प्राप्ति में सुधार हुआ।
ख. अपशिष्ट ताप भाप उत्पादन सुविधाओं के साथ एसिड संयंत्र की कमीशनिंग।
ग. टार प्राप्ति बढ़ाने के लिए बीआरपी में शीतलक टावरों का पुनरुद्धार।
घ. ऊर्जा दक्ष मोटर के साथ टॉवर # 4 क्वेंचिंग पर 200 किलोवाट मोटर का प्रतिस्थापन।
ड़. रेक्यूपरेटर्स के साथ 02 नग पिट की पूरी मरम्मत और ईंधन की बर्बादी को कम करने के लिए सोकिंग पिट्स में से 04 नग पिट की आंशिक मरम्मत।
च. एसएमएस–2 में वीएफडी के साथ नया आईडी फैन नंबर–1 कमीशन किया गया।
छ. भाप रिसाव 115 नगों की तरलता।
ज. संयंत्र विशिष्ट समग्र ऊर्जा खपत – 6.68 गीगा कैल/टीसीएस।
झ. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली की खपत – 459 किलोवाट/टीएसएस।

इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)

क. इनमें वृद्धि हुई :
- 2016–17 में 323 नैनो घन मीटर/टीडीसी की तुलना में 339 नैनो घन मीटर/टीडीसी तक कोक ओवन गैस प्राप्ति।
- 2016–17 में 81 नैनो घन मीटर/टीसीएस की तुलना में 87 नैनो घन मीटर/टीसीएस में बीओएफ गैस प्राप्ति।
- 2016–17 में 7.52 मेगावाट की तुलना में टॉप–प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) से 7.81 मेगावॉट तक बिजली उत्पादन।
- 2016–17 में 62 किलोग्राम/टीएचएम की तुलना में बीएफ # 5 से 97 किलोग्राम / टीएचएम पर कोयला डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) दर।

ख. 2016–17 में 479 किलोग्राम / टीएचएम की तुलना में बीएफ # 5 से 442 किलोग्राम / टीएचएम पर कोक रेट में कमी आई है।
ग. संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में एलईडी आधारित लाइटिंग की स्थापना जिसके परिणामस्वरूप 11 मेगावॉट / प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत हुई।
घ. 6.484 गीगाकैल/टीसीएस पर सबसे कम वार्षिक वार्षिक ऊर्जा खपत हासिल की।
ड. संयंत्र विशिष्ट समग्र बिजली खपत – 715 किलोवाट/टीएसएस।

ii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार ₹77.38 करोड़ का पूंजी व्यय किया गया है:

विवरण	₹ करोड़
आईएसपी में कोक ओवन बैटरी # 11 में, कोक ड्राय क्वेंचिंग सिस्टम की स्थापना द्वारा कोक की संवेदनशील ताप की प्राप्ति आरएसपी में # 6, बीएसपी में # 11	38.47
डीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस # 3 में बेल लैस टॉप चार्जिंग सिस्टम	0.08
आईएसपी की ब्लास्ट फर्नेस # 5 पर शीर्ष दबाव रिकवरी टर्बाइन सिस्टम	3.19
आईएसपी में ब्लास्ट फर्नेस # 5 में कोयला डस्ट इंजेक्शन सिस्टम, # 4 आरएसपी पर (कोक चार्जिंग को कम करने के लिए सहायक ईंधन का उपयोग)	0.23
बीएसपी, डीएसपी, आरएसपी, बीएसएल और आईएसपी में ऊर्जा दक्ष वॉकिंग बीम प्रकार की फर्नेस की स्थापना	21.42
बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में हॉट मेटल पर काम करने के लिए टारपीडो लैडल	4.22
बीएसएल में कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन सिस्टम	9.77
योग	**77.38**

(ख) प्रौद्योगिकी अंगीकार करना

i) प्रौद्योगिकी अंगीकार करने की ओर किए गए प्रयास

आयरन एंड स्टील अनुसंधान और विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) सेल की कॉर्पोरेट अनुसंधान और विकास यूनिट है। पिछले कुछ वर्षों में, आरडीसीआईएस ने लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनुसंधान और विकास केंद्र होने के प्रमाण पत्र अर्जित किए हैं। आरडीसीआईएस का प्रमुख जोर सेल के संयंत्रों में बहु–विषयक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन करना है ताकि गुणवत्ता, उत्पादकता और उपज से संबंधित उनके प्रमुख निष्पादन सूचकांक में सुधार किया जा सके। आरडीसीआईएस उत्पाद लागत को कम करने, मूल्यवर्धित बाजार केंद्रित उत्पादों को विकसित करने और ग्राहकों के बीच सेल उत्पादों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए कंपनी के इस्पात संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठन के साथ कार्य करता है। 2017–18 में कंपनी द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क) प्रक्रम विकास

कच्चे माल
- सीएसडब्ल्यू प्लांट, दल्ली खान, बीएसपी में स्लाइम लाभकारी इकाई में उन्नयन की प्रक्रिया

कोक बनाना
- प्रचालन पैरामीटर, बीएसएल में अनुकूलन द्वारा कोक की गुणवत्ता में सुधार
- सीओबी # 3 और 4, बीएसएल के लिए एक उन्नत प्रक्रम नियंत्रण प्रणाली का विकास

संचय
- अंडर–ग्रेट सक्शन, बीएसपी के सुधार के माध्यम से एसपी # 2 के एम/सी # 2 और 3 के निष्पादन में सुधार
- एसपी –3, बीएसपी की मशीन # 2 के गहन सिंटर मिक्सर के मिक्सर टूल्स के निष्पादन में सुधार

ब्लास्ट फर्नेस (भट्टी)
- बीएफ # 4, आईएसपी में लेपित टुयर को लगाना
- बीएफ # 5, आईएसपी के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की विशेषता का पता लगाना

स्टील बनाने, कास्टिंग और रिफ्रेक्टरी (अपवर्तक)
- एसएमएस, डीएसपी पर बीओएफ में वैकल्पिक कूलेंट (शीतलक) का उपयोग।
- कम सिलिकेट (<0.030%) इस्पात, बीएसएल के लिए प्रक्रम प्रौद्योगिकी का विकास।
- एसएमएस –2, आरएसपी के केस्टर # 1 और 2 से स्लैब की ढलाई गुणवत्ता में सुधार।
- मर्चेंट मिल, डीएसपी के रीहीटिंग फर्नेस के प्रीहीटिंग जोन हेर्थ के निष्पादन में सुधार के लिए वैकल्पिक गुणवत्ता रिफ्रेक्टरी (अपवर्तक) का विकास।
- आरएचएफ, एसआरयू के लिए रिफ्रेक्टरी (अपवर्तक) प्लास्टिक द्रव्यमान का विकास।
- टनडिश स्प्रे द्रव्यमान, एसआरसीएल का विकास।

रोलिंग मिल्स
- व्हील और एक्सेल शॉप, डीएसपी में सांचे की स्नेहन प्रणाली की शुरुआत।
- एचएसएम, आरएसपी में कोबल उत्पादन में कमी।
- सीआरएम, आरएसपी में सीआर कॉइल्स की सतह की गुणवत्ता में सुधार।
- एचएसएम–सीआरएम # 3 मार्ग, बीएसएल के माध्यम से उत्पादित सीआर कॉइल्स में रिज दोष का अध्ययन।
- सीआरएम 1 और 2 कॉम्प्लेक्स, बीएसएल में मालसूची सुव्यवस्थित करने के लिए सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन।

- सीआरएम–3, बीएसएल में सीआर कॉइल्स की सतह की गुणवत्ता में सुधार।

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण

- बीओएफ, डीएसपी में स्क्रबर–क्लेरीफायर–थिकनर सर्किट की निलंबन–विघटन दक्षता में सुधार।
- सीआरएम, आरएसपी की गैल्वेनाइजिंग लाइन # 1 की ऑक्सीडाइजिंग फर्नेस की दहन प्रणाली का डिजाइन सुधार।
- टीसीएम # 2, सीआरएम, बीएसएल में इमल्शन फ्लो कंट्रोल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा संरक्षण।

ख) प्रयोगशाला आधारित कार्य

- सीआरएनओ स्टील, आरडीसीआईएस में बनावट का विकास।
- कोक गुणवत्ता, आरडीसीआईएस पर माइक्रोलिथोटाइप वितरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
- नैनो संरचित स्टील्स, आरडीसीआईएस का विकास।
- आरडीसीआईएस परिसर, आरडीसीआईएस में कठोर कंक्रीट फुटपाथ के निर्माण में एयर कूल्ड बीएफ स्लैग के उपयोग की खोज करना।
- निरंतर कास्टर, आरडीसीआईएस के माध्यमिक शीतलन अनुकरण करने के लिए ताप हस्तांतरण प्रयोगशाला की डिजाइन।
- इन–प्लांट बंद लूप रीसाइक्लिंग, आरडीसीआईएस के लिए जैविक रूप से उपचारित किए गए निर्वहन पानी के गुणवत्ता में सुधार पर झिल्ली प्रक्रमों के प्रभाव पर अध्ययन।
- इस्पात, आरडीसीआईएस के डिफॉस्फोरिज़ेशन पर स्लैग की कार्बन मोनो ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड सामग्री के प्रभाव का अध्ययन करना।
- एकीकृत इस्पात संयंत्रों, आरडीसीआईएस के कोक ओवन प्रदूषण में चुने हुए प्रक्रम मानकों के साथ पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) के सहसंबंध की जांच।
- एक एकीकृत इस्पात संयंत्र, आरडीसीआईएस में उत्पन्न कार्बनिक अपशिष्ट जल के बेहतर उपचार और पुनर्चक्रण के लिए एक युग्मित एबायोटिक–जैव प्रक्रम का विकास।
- एनबी माइक्रो एलोयिंग, आरडीसीआईएस द्वारा दुर्घटना प्रतिरोधी सामग्री गुणों के साथ दबाव से सख्त बनाए गए इस्पात का विकास।
- औद्योगिक रोबोटिक्स, आरडीसीआईएस के लिए एक प्रयोगशाला का विकास।
- मानव संसाधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण और वित्त संबंधी सॉफ्टवेयर, आरडीसीआईएस के साथ इसका एकीकरण।
- बैंक गारंटी, बजट नियंत्रण, संपत्ति की बकाया राशि, बाहरी कमाई और पीएफ कार्यों के लिए चालान और वित्त, आरडीसीआईएस के साथ इसके एकीकरण के लिए सॉफ्टवेयर का विकास।

ग) उत्पाद विकास और अनुप्रयोग

आरडीसीआईएस द्वारा निरंतर तकनीकी इनपुट के माध्यम से, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादों के उत्पादन में कंपनी की मदद की जा रही है। कई नए उत्पाद, खास तौर पर विशेष इस्पात, जिसमें बेहतर उत्पाद गुणवत्ता वाले गुण होते हैं, विभिन्न बाजार खंडों की सख्त अनुप्रयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हें विकसित और इनका व्यावसायीकरण किया गया है। लागत प्रभावी मिश्र धातु डिजाइन और प्रक्रम मानकों के अनुकूलन के सिद्धांत नए बाजार उन्मुख उत्पादों के विकास के लिए प्रमुख विचार थे। वर्ष 2017–18 के दौरान, निम्नलिखित 21 उत्पादों का विकास किया गया है। इनमें से 12 उत्पादों को नई कमीशन की गई उत्पादन सुविधाओं जैसे सीआरएम III (बीएसएल), एनपीएम (आरएसपी), एमएसएम (डीएसपी), डब्लूआरएम (आईएसपी), बीआरएम (आईएसपी) और यूएसएम (आईएसपी) का उपयोग करके विकसित किया गया है।

क्र.सं.	उत्पाद के विवरण	संयंत्र	अनुप्रयोग
1.	एएसटीएम ए 572 ग्रेड 50 (टाइप 1)	बीएसएल	संरचनात्मक
2.	ईएन 10130 डीसी 01 सीआर कॉयल	बीएसएल	सामान्य इंजीनियरिंग के लिए कोल्ड फॉर्मिंग
3.	उच्च शक्ति 15914 ग्रेड 2.2 मि.मी. कॉयल	बीएसएल	एलपीजी सिलिन्डर
4.	सेल एचटी –700 एचआर कॉयल्स	बीएसएल	टिपर–बॉडी
5.	एपीआई एक्स–70 पीएसएल–2 ग्रेड प्लेट्स (23.8 मिमी तक)	आरएसपी	गैस पाइपलाइन
6.	अनुकूलित आईएस 2062 ई 250 सी / ई 410 सी प्लेट्स (54 जे एटी–20, एएसटीएम ग्रेन का आकार 8)	आरएसपी	चेनाब ब्रिज
7.	बॉयलर ग्रेड आईएस 2002 ग्रेड3 प्लेट्स	आरएसपी	प्रेशर वेसल और बॉयलर
8.	सेलाराम क्यू एंड टी प्लेट्स (एएसपी–आरएसपी मार्ग)	आरएसपी	रक्षा
9.	आईएस 2062 ई 410 के लिए एआई किल्ड ब्लूम	डीएसपी	टीएलटी सेगमेंट
10.	आईएस 2062 ई 350 बीआर/ बीओ डब्ल्यूपीबी 160 x 4.5 / 6 मि. मी.	डीएसपी	संरचनात्मक
11.	आईएस 2062 ई 410 बीआर / बीओ डब्ल्यूपीबी 160 x 4.5 / 6 मि. मी.	डीएसपी	संरचनात्मक
12.	आईएस 2879 ईडब्ल्यूएनआर वायर रॉड	आईएसपी	इलेक्ट्रोड
13.	एसएई 1008 वायर रॉड	आईएसपी	वायर ड्राइंग
14.	बीएस 4449 टीएमटी बार	आईएसपी	निर्माण
15.	आईएस 2062 ई 350 एनपीबी और एंगल	आईएसपी	संरचनात्मक
16.	आईएस 2062 ई 410 एनपीबी	आईएसपी	संरचनात्मक
17.	आईएसएच 5986 ग्रेड 590 आर 12 मिमी प्लेट्स	बीएसपी	रेलवे वैगन
18.	नॉन माइक्रोएलेयड ई 350 सी ग्रेड प्लेट	बीएसपी	संरचनात्मक
19.	2062 ई 250 बी 0 सी–मारे गए चैनल	बीएसपी	निर्माण
20.	एचएसएफक्यू 450 ग्रेड 10/12 मिमी प्लेट्स	बीएसपी	ऑटो
21.	भूकंपीय प्रतिरोधी (आईएस 15962) चैनल	बीएसपी	निर्माण

(ii) 2017–18 में प्रमुख परियोजनाओं से प्राप्त लाभ :

- **प्रक्रम क्षेत्र**

परियोजना के शीर्षक	प्राप्त लाभ
एसपी # 2 की मशीन # 1 और 3 के निष्पादन में सुधार, बीएसपी अंडर–ग्रेट सक्शन के सुधार का संकेत मिलता है।	• ट्रैक सीलिंग के माध्यम से बगल से रिसाव काफी कम हो गया है जो विन्ड लैग खंड के लिए गेट के तहत चूषण की कमी में कमी भी है, जिसके परिणामस्वरूप वायु निस्पंदन वेग में 0.2 मीटर / सेकंड से 0.263 मीटर / सेकंड तक वृद्धि हुई है। • औसत मुख्य वायु चूषण 382 से बढ़कर 392 एमएमडब्ल्यूसी हो गया • सिंटर के डीटीआई में 84 से 88% तक का सुधार आया है। • सिंटर मशीन –1 और 3 की उत्पादकता में 2% की वृद्धि हुई।
एसपी–3, बीएसपी में गर्म पानी उत्पादन के लिए सिंटर कूलर से अपशिष्ट ताप प्राप्ति।	• गर्म पानी का उपयोग मिश्रण ड्रम में सिंटर–मिश्रण के प्रभावी ग्रेनुलेशन के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। • इसलिए नमी की पुनः संघनन प्रतिक्रिया दबा दी जाती है और परिणामस्वरूप सिंटर मशीन की उत्पादकता में सुधार हुआ है।
रेल और स्ट्रक्चरल मिल, बीएसपी में स्किड पाइप इन्सुलेशन के जीवन काल को बढ़ाकर रीहीटिंग फर्नेस के निष्पादन में सुधार।	• स्किड पाइप इन्सुलेशन का जीवन काल लगभग 3 महीने से 15 महीने से अधिक का (अभी भी प्रचालन में) सुधार हुआ है।
हाई टफनेस संक्षारण प्रतिरोधी (एचटीसीआर) रेल, बीएसपी का विकास। का एक नया ग्रेड विकसित किया।	• उच्च धुरी भार और बढ़े हुए स्थायित्व के लिए उपयुक्त बेहतर यांत्रिक गुणों के साथ रेल
बीएफ # 4, डीएसपी भट्ठी के लिए ब्लोइंग इन भार।	• भार (बर्डन) में नए ब्लोइंग–इन भार (बर्डन) को डोलोमाइट के साथ डिजाइन और चार्ज किया गया था। तीन दिनों (रेटेड क्षमता का 80%) के भीतर स्थिर हो गया और केपिटल मरम्मत के सात दिनों के भीतर सामान्य उत्पादन स्तर हासिल किया गया।
एसएमएस, डीएसपी पर बीओएफ में वैकल्पिक शीतलक (कूलेंट) का उपयोग।	• स्क्रैप के प्रतिस्थापन के रूप में लौह अयस्क (लगभग 18 किलो / टीसीएस) और सिंटर (3 टी/ताप) के उपयोग के लिए स्थापित प्रक्रम प्रौद्योगिकी।
पहिए और धुरी संयंत्र, डीएसपी पर डाइ स्नेहन प्रणाली की शुरूआत	• डाइ के एक समान स्नेहन के माध्यम से डाइ के जीवन काल और व्हील गुणवत्ता में सुधार।
बीएफ # 4, आरएसपी में लेपित ट्यूयर्स की शुरूआत।	• स्थापित लेपित ट्यूयर्स के लिए ठंडे पानी के तापमान अंतर में कमी 1.0 से 2.0 डिग्री से. (आधार मूल्य का लगभग 15%) से भिन्न होती है और ट्यूयर्स के माध्यम से ताप की कमी में कमी लगभग 15,000 किलो कैल/घंटा/ट्यूयर्स (आधार मूल्य का 15%) होता है। ।

परियोजना के शीर्षक	प्राप्त लाभ
एसएमएस–2, आरएसपी के केस्टर 1 और 2 से स्लैब की कास्ट गुणवत्ता में सुधार।	• माध्यमिक शीतलन और मोल्ड ऑसीलेशन में तकनीकी हस्तक्षेप से दरार की घटनाओं की बढ़त में कमी हो सकती है, जो 11.7% (मई 16 से सितंबर '16 तक) से 3.32% (अक्टूबर 16 से फरवरी '18 तक) हो जाती है।
एचएसएम, आरएसपी में कोबल उत्पादन में कमी।	• कोबल उत्पादन में 0.47% (2015–16) से 0.25% (2017–18) तक कमी।
सीआरएम, आरएसपी में सीआर कॉइल्स की सतह की गुणवत्ता में सुधार।	• ब्लैक पैच के कारण मार्ग परिवर्तन में 12% (2015–16) से 7% (2016–17) तक कमी।
प्रचालन मानदंड, बीएसएल के अनुकूलन द्वारा कोक गुणवत्ता में सुधार।	• एम 10 (माइकम इंडिसेस) 9.6 से 9.4 तक बेहतर हो गया।
कम सिलिकॉन के लिए प्रक्रम प्रौद्योगिकी (<0.030%) स्टील्स, बीएसएल।	• सामान्य स्थिति में 0.005% की तुलना में टनडिश में सिलिकॉन रिवर्सल को <0.002% तक टनडिश में नियंत्रित किया गया है।
सीआरएम –3, बीएसएल में सीआर कॉइल्स की सतह की गुणवत्ता में सुधार।	• सतह के दोष (काला पैच, लौह कण, जंग) के कारण 30% (2015–16) से 3% (2017–18) तक में कमी।
एचएसएम–सीआरएम–3 मार्ग, बीएसएल के माध्यम से उत्पादित सीआर कॉइल्स में रिज दोष का अध्ययन।	• रिज दोष के कारण मार्ग परिवर्तन में 50% (2015–16) तक कमी।
कोक ओवन बैटरी#3 और 4 के लिए उन्नत प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली का विकास	• सटीक ताप नियंत्रण के कारण विशिष्ट ताप खपत में 0.7317 से 0.673 गीगा कैल/टीडीसीसी तक कमी, बीएसएल ।
टेंडम मिल # 2, सीआरएम, बीएसएल में इमल्शन फ्लो कंट्रोल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा संरक्षण।	• 16.2 किलोवाट / कॉइल / दिन की विद्युत ऊर्जा की बचत। • यांत्रिक देरी में 66% तक कमी। • मोटर विफलता में 83% की कमी।
बीएफ # 5, आईएसपी के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग लाक्षणीकरण।	• स्लैग नमूने एकत्र किए गए थे और उनकी चिपचिपाहट को विभिन्न तापमान के साथ विभिन्न तापमान स्तरों पर उच्च तापमान विस्कोमीटर के उपयोग द्वारा मापा गया था। बीएफ स्लैग में उच्च एल्युमिना की देखभाल करने के लिए इष्टतम स्लैग व्यवस्था की सिफारिश की गई थी।
विशेष गुणवत्ता स्टील्स, आईएसपी के उत्पादन के लिए प्रक्रम प्रौद्योगिकी।	• बिलेट/ब्लूम कास्टर्स के माध्यम से एल्यूमिनियम किल्ड गए स्टील्स के नजदीक कास्टिंग और कास्टिंग के लिए स्टील बनाने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित की गई।
स्टील लेडल लाइनिंग के जीवन काल, आईएसपी में लेडल तल बिल्ड–अप और सुधार में कमी।	• लेडल के जीवन काल में धीरे–धीरे 44 हीट्स से 35 हीट्स तक मासिक औसत में सुधार हुआ। • लेडल तल निर्माण और विफलता मामलों को लगभग समाप्त कर दिया।
बिलेट कैस्टर, आईएसपी में स्ट्रैंड ब्रेकआउट का नियंत्रण।	• द्वितीयक शीतलन क्षेत्र में उचित रखरखाव प्रथाओं, स्प्रे नोजल्स और मोल्ड से जुड़े नियंत्रण के साथ मिलकर 20 से अधिक महीने प्रति माह 7.8 से अधिक ब्रेकआउट को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है।
कोक क्वालिटी, पर माइक्रोलिथोटाइप वितरण के प्रभाव का अध्ययन करना, आरडीसीआईएस, रांची।	• कोयला माइक्रोलिथोटाइप वितरण और कोक गुणवत्ता के बीच सहसंबंध विकसित हुआ।

• **उत्पाद क्षेत्र**

उत्पाद	प्राप्त लाभ
एएसटीएम ए 572 ग्रेड 50 (टाइप 1), बीएसएल	ग्रेड 50 एक उच्च शक्ति, अल्प मिश्र धातु इस्पात है जहां वजन की प्रति इकाई अधिक ताकत की आवश्यकता होती है वहां इसके उपयुक्त अनुप्रयोग किए जाते हैं। यह आम तौर पर संरचनात्मक अनुप्रयोगों, भारी निर्माण उपकरण, भवन संरचनाओं, हेवी ड्यूटी एंकरिंग सिस्टम, ट्रक फ्रेम, खंभों, लाइनर, कन्वेयर, बूम सेक्शन, संरचनात्मक स्टील आकार, और अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जिनके लिए प्रति वजन अनुपात में उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है।
ईएन 10130 डीसी 01, बीएसएल	यह यूरोपीय मानक कोल्ड रोल्ड अनकोटेड कम कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर कोल्ड फॉर्मिंग के लिए 600 मि मी के बराबर या अधिक घुमावदार चौड़ाई में लागू होता है, जिसमें 0.35 मि मी –3 मि मी की सीमा में मोटाई होती है, इससे शीट, कॉइल, स्लिट कॉइल, कट लंबाई डिलीवर होती है। लगभग 314 टन सामग्री मैसर्स एम 7 मेटल्स जीएमबीएच, स्विट्ज़रलैंड को भेजी गई है।
उच्च शक्ति आईएस 15914 ग्रेड 2.2 मिमी कॉइल्स, बीएसएल	आईएस 15914 एचएस 345 ग्रेड की एक हीट संशोधित रसायन विधि के साथ बनाई गई थी और 2.2x1160 मि मी आकार की कॉइल में सफलतापूर्वक हॉट रोल किया गया था। गर्म रोल्ड कॉइल्स में मैकेनिकल गुण की आवश्यकता पहली बार सफलतापूर्वक हासिल की गई है।
एचटी 700 ग्रेड एचआर कॉइल, बीएसएल	एचटी 700 ग्रेड एचटी 600 ग्रेड से बेहतर होता है, एक उच्च शक्ति वाले उन्नत फेरिटिक स्टील्स जो ऑटोमोबाइल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है (ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के वजन को कम करने के लिए टिपर बॉडी)। हॉट–रोल्ड माइक्रो एलाय युक्त फेरिटिक स्टील पर्याप्त मजबूती (लगभग 780 एमपीए) और अच्छे खिंचाव का लचीलापन प्रदान करता है। बीएसएल में उत्पाद सफलतापूर्वक संसाधित किया गया है।
एपीआई एक्स –70 पीएसएल 2 ग्रेड प्लेट्स, आरएसपी	संसाधित प्लेटों में तन्यता, कारपी वी–नॉच प्रभाव और डीडब्ल्यूटीटी गुणों के संदर्भ में गेल–मेकॉन विनिर्देश को पूरी तरह से पूरा किया है। इस सफल परीक्षण के परिणामस्वरूप, अब आरएसपी गेल की पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए एपीआई एक्स 70 प्लेट्स स्टील के अनुमोदित आपूर्तिकर्ता है।
अनुकूलित आईएस 2062 ई 250 सी / ई 410 प्लेट्स (54 जैट –20°C डिग्री सेल्सियस), आरएसपी	चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट में आईएस 2062 ई 410 सी और आईएस ई 250 सी ग्रेड की 40, 50 और 63 मिमी मोटाई में इस्पात प्लेटों की आवश्यकता है, जिसमें 54 जूल्स की बढ़ी हुई कारपी प्रभाव की मजबूती – 20 डिग्री से. और न्यूनतम एएसटीएम 8 के फेराइट ग्रेन आकार की आवश्यकता है। प्लेटों के मैकेनिकल गुण का उनकी सूक्ष्म संरचनाओं सहित मूल्यांकन किया गया था और यह कठोर कारपी प्रभाव की मजबूती (> 54 जूल्स पर – 20 डिग्री से.) और एएसटीएम नं. 8 के फेराइट ग्रेन आकार सहित सभी गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर आरएसपी प्रतिष्ठित चेनाब ब्रिज परियोजना के लिए एनपीएम से पीएम प्लेटों के आपूर्तिकर्ता के रूप में पैनल के लिए अनुमोदित होने की प्रक्रिया में है।
बॉयलर ग्रेड आईएस 2002 ग्रेड 3 प्लेट्स, आरएसपी	बीओएफ–एलएचएफ–आरएचओबी–सीसी–एनपीएम मार्ग के माध्यम से गैर–माइक्रोएलायड (एनएमए) स्टील रसायन विधि का उपयोग कर आईएस 2002 ग्रेड 3 उच्च तन्यता प्लेटों के लिए प्रक्रम तकनीक की स्थापना की गई है। उपयुक्त स्तर के रसायन शास्त्र को अपनाने और सामान्यीकृत रोलिंग के माध्यम से पहली बार आरएसपी में लगभग 1500 टन उच्च तन्यता प्लेटों को संसाधित किया गया है।

उत्पाद	प्राप्त लाभ
सेलराम क्यू एंड टी प्लेट्स (एएसपी–आरएसपी रूट)	भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रयास के तहत, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमेरिया में आरएसपी पर 150x1000x2000 मि मी के आकार की एमआईएल–ए–12560 एच वर्ग –3 विनिर्देश के अनुरूप 70 टन रोल्ड समांगी आर्मर (आरएचए) स्टील प्लेटों की आपूर्ति करने का आदेश दिया। लगभग 45 टन आरएचए प्लेट खमेरिया को भेजी गई हैं। खमेरिया में यांत्रिक परीक्षण के नतीजे में आपूर्ति की गई सभी प्लेटों के गुणों को ठीक पाया गया है।
आईएसएच 5986 ग्रेड 590 आर प्लेट्स, बीएसपी	भवन के लिए नए उत्पाद विकास के तहत बीएसपी द्वारा 12x2500x11200 मि मी नए ग्रेड आईएस 5986 आईएसएच 590 आर के 300 टन के आदेश को स्वीकार किया गया था। संसाधित प्लेटें आईएस 5986 आईएसएच 590 आर ग्रेड के लिए सफलतापूर्वक योग्यता प्राप्त कर चुकी हैं और इसे रेलवे को भेज दिया गया है।
गैर माइक्रो मिश्रित ई 350 सी ग्रेड प्लेट्स, बीएसपी	सेल आईएस 2062 ई 350 ग्रेड का निर्माण कर रहा है जिसमें सालमा 350 के ब्रांड नाम के तहत माइक्रोएलॉयिंग की गई है जिसमें एनबी या वी या टीआई या उनके संयोजन जैसे सूक्ष्म तत्व हैं। माइक्रोएलॉयिंग जोड़ने की बचत द्वारा लागत में कटौती के माध्यम से एनएसआर को बढ़ाने के लिए, विभिन्न तापमानों पर मजबूती के प्रभाव सहित गुणों को प्राप्त करने के प्रयास जारी थे। मूल्यांकन गुणों में रेखांकित किया गया कि बीएसपी में 20 मिमी मोटाई के लिए गैर–माइक्रोएलायड प्लेट्स के उत्पादन के लिए उत्पाद प्रौद्योगिकी स्थापित की गई है।
आईएस 2062 ई 250 बी 0 एसआई के, बीएसपी	आईएस 2062 बी 02250 (एसके) ग्रेड चैनल आकार 75x40 मि मी का मर्चेंट मिल में रोल किया गया था। आईएस 2062 ई 250 बी 0 के अनुरूप यांत्रिक गुण सहित बीएसपी में विकसित एक नया उत्पाद है।
एचएसएफक्यू 450 ग्रेड 10/12 मि मी प्लेट्स, बीएसपी	उच्च शक्ति बनाने योग्य गुणवत्ता (एचएसएफक्यू) ग्रेड स्टील्स को यांत्रिक और फॉर्मेबिलिटी गुणों के संयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ग्रेड को प्री इंजीनियर बिल्डिंग (पीईबी) सेगमेंट, स्टील कंस्ट्रक्शन, टूल बॉक्स, कैबिनेट और स्टोरेज डिब्बे आदि के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च शक्ति वाले इस्पात में उच्च लोड असर क्षमता को सक्षम बनाया जाता है, जिससे अक्सर उसी अनुप्रयोग के लिए पतले वर्गों के उपयोग की सुविधा मिलती है जिससे सामग्री की लागत कम हो जाती है। एचएसएफक्यू 350 ग्रेड स्टील के एचआर कॉइल्स की बाजार स्वीकार्यता अच्छी रही है। उपर्युक्त के प्रकाश में, बीएसपी से प्लेट फॉर्म में एचएसएफक्यू 450 प्लेटों का विकास किया गया था।
भूकंपीय प्रतिरोधी (आईएस 15962) चैनल, बीएसपी	आईएस 15962 ई 250 एस मि मी के अनुरूप 75x40 मिमी आकार का चैनल मर्चेंट मिल में रोल किया गया था। कुल 331 टन उत्पन्न हुआ था।
आईएस 2879 ईडब्ल्यूएनआर वायर रॉड, आईएसपी है	आईएस 2879: 1998 ग्रेड इलेक्ट्रोड वायर गैर–रिमिंग (ईडब्ल्यूएनआर) स्टील्स में शामिल होने के लिए आर्क–वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह उत्पाद आईएसपी द्वारा विकसित किया गया है। आईएसपी अब कठिनाई के बिना इस ग्रेड को बना रहा है। इस ग्रेड में अब तक 3,500 टन से अधिक का उत्पादन किया गया है।
एसएई 1008 वायर रॉड, आईएसपी	एसएई 1008 (आईएस 7887 ग्रेड 3 / एसडब्ल्यूआर 10) केबल आर्मोरिंग, वायर जाल और अन्य कम कार्बन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली एक विशेष ग्रेड वायर रॉड है। इन बिलेट्स को डब्लूआरएम में 5.5 और 6 मिमी आकार में रोल किया गया था और वांछित गुण प्राप्त हुए थे। अब तक आईएसपी में 32000 टन से अधिक का उत्पादन किया गया है।
बीएस 4449 टीएमटी बार, आईएसपी	बीएचईएल बांग्लादेश बिजली संयंत्र परियोजना के लिए बीएस 4449 ग्रेड बी 500 बी के अनुसार कॉपर और क्रोमियम के साथ संक्षारण प्रतिरोधी टीएमटी बार आईएसपी में सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। कास्ट बिलेट्स को आईएसपी की वायर रॉड मिल पर 10 मि मी टीएमटी कॉइल (बीएस4449 बी500 बी, एचसीआर) में रोल किया गया और वांछित यांत्रिक गुण प्राप्त हुए। बांग्लादेश को करीब 2050 टन निर्यात किया गया है।
आईएस 2062 ई 350 एनपीबी और एंगल, आईएसपी	आईपी 300, आईपी 450, आईपी 600 संकीर्ण समांतर बीम और एंगल 200x200x20 निर्माण खंड में अनुप्रयोग किया जाता है। आईएस 2062 ई 350 बीआर ग्रेड के अनुरूप इन उत्पादों के विकास और स्थिरीकरण के लिए, हीट आईएस 2062 ई 350 के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए थे और लगातार ब्लूम / बीम रिक्त स्थान में डाले गए थे। बाद में यूएसएम, आईएसपी में आईपी 300, आईपी 450, आईपी 600 और एंगल 200x200x20 में रोल किया गया। यूएसएम के संसाधित संरचनाओं में प्राप्त गुण, आईएसपी सभी प्रकार से आईएस 2062 ई 350 बीआर ग्रेड के विनिर्देशन पूरे करते हैं। उपरोक्त ग्रेड विकसित और आईएसपी में यूएसएम में स्थिर है। आईएस 2062 ई350 बीआर ग्रेड संरचनाओं के 2700 से अधिक टन का उत्पादन किया गया है।
आईएस 2062 ई 410 एनपीबी, आईएसपी	आईएस 2062: 2011, निर्माण खंड में संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए ई 410 सी ग्रेड का उपयोग किया जाता है। ये बीम रिक्त स्थान आईपीई 600 (600x200 मिमी) यूनिवर्सल सेक्शन मिल में समानांतर फ्लेंज बीम, आईएसपी आयामी सहनशीलता और आईएस: 12779: 1989 के अनुसार मानक सीमाओं के अंदर सेक्शनल वजन भिन्नता के साथ रोल किए गए थे। मैकेनिकल गुणों से आईएस: 2062: 2011, ई 410 सी ग्रेड की आवश्यकता को पूरा किया गया। प्रभाव गुण विनिर्देशों से ऊपर पाए गए थे (44.46 जूल के प्रति 25 जे – 20 डिग्री से.)
आईएस 2062 ई 410, डीएसपी के लिए एल–किल्ड ब्लूम	आईएस 2062 ई 410 की एक हीट 0.18x कार्बन, 1.43% मैंगनीज़, 0.24% सिलिकॉन, 0.062% वी, 0.020% एस, 0.038% पी और 0.002% एल्युमिनियम के साथ बनाई गई थी और इसे सफलतापूर्वक 300x150 मि मी ब्लूम में डाला गया था। कारपी प्रभाव गुण का मूल्यांकन किया गया था और 200 सी पर 28 जे (औसत) के साथ संतोषजनक पाया गया था। परीक्षण में संसाधित स्टील आईएस 2062 ई 410 बीआर के विनिर्देशन पूरे करता है।
आईएस 2062 ई 350 बीआर और बी 0 डब्ल्यूपीबी 160 x 4.5 / 6 मि मी, डीएसपी	हीट्स को आईएस 2062 ई 350 ग्रेड द्वारा निर्दिष्ट रसायन आवश्यकताओं को पूरा किया गया था और लगातार 350 x 240 मिमी के ब्लूम में डाला गया था। एमएसएम, डीएसपी में इन ब्लूम को वाइड समांतर बीम (डब्ल्यूपीबी) 160 x 4.5 / 6 मिमी में रोल किया गया था। डब्ल्यूपीबी (क) आईएस 2062 ई 350 बीआर ग्रेड के उत्पादन के लिए प्रक्रिया क्षमता, (बी) एमएसएम, डीएसपी में आईएस 2062 ई 350 बी 0 ग्रेड स्थापित किया गया है डब्ल्यूपीबी 160 x 4.5 और 6 मि मी प्रोफाइल में 650 टन ई 350 ग्रेड से अधिक का उत्पादन किया गया है और डीएसपी से भेजा गया।
आईएस 2062 ई 410 बीआर और बी 0 डब्ल्यूपीबी 160 x 4.5 / 6 मि मी, डीएसपी	एक परीक्षण हीट आईएस 2062 ई 410 द्वारा निर्दिष्ट रसायन आवश्यकताओं को पूरा किया गया था और लगातार 350 x 240 मिमी के ब्लूम में डाला गया था। एमएसएम, डीएसपी में इन ब्लूम को वाइड समांतर बीम (डब्ल्यूपीबी) 160 x 4.5 / 6 मिमी में रोल किया गया था। बीएस और बी 0 ग्रेड के लिए निर्दिष्ट परिवेश और 0 डिग्री से. कारपी की मजबूती आवश्यकताओं सहित सभी प्रकार से आईएस 2062 ई 410 के विनिर्देशों के अनुरूप संसाधित डब्ल्यूपीबी गुण। डब्ल्यूपीबी के उत्पादन के लिए प्रक्रम क्षमता (ए) आईएस 2062 ई 410 बीआर ग्रेड और (बी) एमएसएम, डीएसपी में आईएस 2062 ई 410 बी 0 ग्रेड स्थापित किया गया है।

अन्य प्रौद्योगिकी समामेलन, अनुकूलन और नवाचारी उपाय

एक निश्चित प्रौद्योगिकी कार्यनीति के माध्यम से इस्पात संयंत्र प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी में प्रौद्योगिकी विकास, समामेलन अनुकूलन और आगे सुधार लगातार चल रहा है। आधुनिकीकरण / निरंतर सुधार के एक हिस्से के रूप में कई नई प्रौद्योगिकियां स्थापित / स्थापित की जा रही हैं। इन क्षेत्र में वार शामिल हैं:

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
कोक बनाना			
1.	बीएसपी में नया 7 मीटर लंबा पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी नंबर 9	2017	कमीशन किया गया
2.	बीएसएल में पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी नंबर 7 का पुनर्निर्माण	2017	कमीशन किया गया
सिंटर / ढेर बनाना			
1.	बीएसपी में एसपी II (मशीन नंबर –1) में सिंटर कूलर का सुधार	2017	कमीशन किया गया
2.	सिंटर प्लांट II, बीएसएल की स्थापना	2018	कमीशन होने की संभावना
लोहा बनाना			
1.	**आधुनिक सुविधाओं के साथ विस्फोट फर्नेस (बीएफ) जैसे कि:** • कन्वेयर चार्जिंग सिस्टम • एक दक्ष कूलिंग प्रणाली के रूप में मीठे पानी के साथ बंद लूप शीतलन प्रणाली • आधुनिक रिफ्रेक्टरी (अपवर्तक) डिजाइन • रख–रखाव आदि के लिए मोबाइल उपकरणों के उपयोग के लिए रैंप के साथ फ्लैट कास्ट हाउस डिजाइन		
i)	बीएफ # 8 बीएसपी	2018	कमीशन किया गया
i)	बीएफ # 1 आरएसपी	2018	कमीशन होने की संभावना
2.	**बीएफ गैस की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैस सफाई संयंत्र (जीसीपी)**		
प)	बीएफ # 8, बीएसपी में जीसीपी	2018	कमीशन किया गया
3.	**बीएसएल में आईएनबीए कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी**		
प)	बीएफ # 2, कास्ट हाउस 4	2018	कमीशन होने की संभावना
पप)	बीएफ # 3, कास्ट हाउस 5	2018	कमीशन होने की संभावना
पपप)	बीएफ # 1, कास्ट हाउस 1 और 2	2018	कमीशन होने की संभावना
4.	**>1200 डिग्री से. एचबीटी प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट गर्मी प्राप्ति प्रणाली के साथ स्टोव में उच्च गर्म विस्फोट प्रौद्योगिकी**		
प)	बीएफ # 8, बीएसपी में स्टोव सिस्टम	2018	कमीशन किया गया
पप)	बीएफ # 1, आरएसपी में स्टोव सिस्टम	2018	कमीशन होने की संभावना
पपप)	बीएफ # 1, बीएसएल में स्टोव सिस्टम	2018	कमीशन होने की संभावना
5.	**बिजली उत्पादन के लिए विस्फोट फर्नेस में शीर्ष रिकवरी टरबाइन**		
	बीएफ # 8, बीएसपी	2018	कमीशन होने की संभावना
6.	**कोयला डस्ट इंजेक्शन सिस्टम**		
i)	बीएफ # 4, बीएसपी	2018	कमीशन होने की संभावना
ii)	बीएफ # 8, बीएसपी	2018	कमीशन होने की संभावना
स्टील बनाना			
1.	सीएफपी में 45 एमवीए एसएएफ की स्थापना	2018	कमीशन होने की संभावना
2.	बीएसपी पर एसएमएस III	2018	कमीशन होने की संभावना
रोलिंग और फिनिशिंग			
1.	**यूनिवर्सल रेल मिल, बीएसपी**		
i)	वॉकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार की री हीटिंग भट्टियां	2018	कमीशन के अधीन
i)	यूनिवर्सल स्टैंड के आसान स्विच–ओवर के लिए त्वरित रोल कैसेट बदलने की सुविधा के साथ सार्वभौमिक सेक्शंस का उत्पादन जिसमें फैब्रिकेशन में सादगी के निहित फायदे हैं, उच्च वजन अनुपात, उच्च बकलिंग शक्ति, आदि के लिए खंड मॉड्यूलस		

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
2.	**बार और रॉड मिल**		
i)	विशिष्ट ईंधन खपत को कम करने के लिए बिलेट्स की हॉट चार्जिंग	2018	कमीशन होने की संभावना
ii)	वॉकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार री–हीटिंग भट्टियां		
iii)	उच्च स्पीड स्लिट रोलिंग के साथ बार प्राप्त करना, कूलिंग बेड में स्पीड ब्रेकिंग और डिलीवरी सुविधा से उच्च उत्पादन दर, करीबी / नकारात्मक सहनशीलता और कम व्यास टीएमटी रॉड्स / सलाखों की बेहतर सतह		
iv)	साइज मुक्त रोलिंग की सुविधा के लिए मिलों को कम करना और आकार देना तार छड़ के (किसी भी वर्ग को तेजी से बदलना व्यास में 0.5 मिमी की वृद्धि)		
v)	अस्वीकृति कम करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों की स्टॉक निगरानी के लिए स्टॉक के लिए ऑन–लाइन प्रोफाइल गेज करना, और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना		
3.	**मध्यम संरचनात्मक मिल, डीएसपी**		
i)	वॉकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार री–हीटिंग भट्टियां	2018	कमीशन होने की संभावना
ii)	यूनिवर्सल स्टैंड के आसान स्विच–ओवर के लिए त्वरित रोल कैसेट बदलने की सुविधा के साथ सार्वभौमिक सेक्शंस का उत्पादन जिसमें फैब्रिकेशन में सादगी के निहित फायदे हैं, उच्च वजन अनुपात, उच्च बकलिंग शक्ति, आदि के लिए खंड मॉड्यूलस।		
iii)	अस्वीकृति कम करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों की स्टॉक निगरानी के लिए स्टॉक के लिए ऑन–लाइन प्रोफाइल गेज करना, और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।		

अनुसंधान और विकास पर व्यय			**(₹ करोड़)**
(क)	पूंजी	:	20.79
(ख)	राजस्व	:	314.71
	कुल	:	335.50
	कारोबार के कुल के रूप में कुल आर एंड डी व्यय	:	0.58
विदेशी मुद्रा आय और व्यय			**(₹ करोड़)**
i)	निर्यात और अन्य गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा	:	2243.70
ii)	विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है:		
क)	आयात के सीआईएफ मूल्य	:	3771.22
ख)	विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय	:	180.62

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता/–

(सरस्वती प्रसाद)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 अगस्त, 2018

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व/सीएसआर गतिविधियां 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट

1. सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं के अवलोकन और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं के वेब लिंक का संदर्भ शामिल है।

1(क) सेल सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा (उद्देश्य):

- हितधारकों और समाज के लिए मूल्य निर्माण करना जो उनके सतत विकास के लिए अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से मूल रूप से सेल की मुख्य व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन से जुड़े हुए हैं ।
- जिसमें यह संचालित है उस समुदाय के लिए मूल्य निर्माण में वृद्धि करना, कंपनी की परिधि के साथ स्थित गावों तथा कंपनी के प्रति सद्भावना के आधार पर पहचान करके प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना ।
- वंचित लोगों की सहायता करके समुदाय का सहारा बनना।
- अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास संबंधी पहलों को पूरा करना ।
- विभिन्न ग्रामीण खेलों, कला और संस्कृतियों के संरक्षक के रूप में सेल की छवि का निर्माण करके स्थानीय निवासियों की सहायता करना ।
- सामाजिक, पर्यावरणिक और आर्थिक रूप में जिम्मेदार तरीके से संचालन करना, ताकि सामाजिक लाइसेंस / समर्थन प्राप्त करने में सफल हो सके।

1(ख) सेल सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का सिंहावलोकन :

सभी सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप हैं जो राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण विषयों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं:

i निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पीने के पानी तक पहुंच सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।
ii शिक्षा कौशल, रोज़गार / आजीविका, व्यवसाय कौशल को बढ़ावा देना।
iii लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों और सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों वाले व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करना ।
iv पर्यावरण स्थिरता, पशु कल्याण और कृषि वानिकी सुनिश्चित करना।
v राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण।
vi ग्रामीण खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।
vii ग्रामीण विकास।

1 (ग) सेल सीएसआर नीति और परियोजनाओं के लिए वेब–लिंक: https://sail.co.in/sites/default/files/sail-pages/company/csrpolicy.pdf

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु स्वतंत्र और कार्याकारी निदेशकों सहित एक बोर्ड स्तरीय समिति बनाई गई है। 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	सी ए के एस चौहान	स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष
2	श्रीमती अंशु वैश	स्वतंत्र निदेशक
3	प्रोफेसर अशोक गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक
4	डॉ समर सिंह	स्वतंत्र निदेशक
5	श्री अनिल कुमार चौधरी	निदेशक (वित्त)
6	श्री रमन	निदेशक (तकनीकी)
7	श्री अतुल श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक)

3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ : ₹(–) 3278.28 करोड़

4 निर्धारित सीएसआर व्यय : शून्य क्योंकि उपरोक्त मद 3 में 2% राशि ऋणात्मक है।

5 वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर पर खर्च राशि का विवरण :

क) खर्च की जाने वाली कुल राशि : "शून्य" ''

ख) अक्षय राशि, अगर कोई है : "शून्य" ''

''(कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शून्य। तथापि, वर्तमान में चल रही मुख्य सीएसआर गतिविधियों के लिए बोर्ड ने ₹26.00 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है।)

ग) राशि खर्च करने का तरीका : **अनुलग्नक–क** में निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6 यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसके किसी भी हिस्से को खर्च करने में विफल रही है, तो बोर्ड की रिपोर्ट में इस तरह के गैर अनुपालन के कारणों का खुलासा करना होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2014–15 से वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2% "शून्य" है। हालांकि, कंपनी के संयंत्रों और खानों (जिसमें मुख्य रूप से पिछड़े जिले शामिल है) की परिधि में चल रही सीएसआर गतिविधियों को बनाए रखने के लिए निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट का आवंटन किया है।

7 सीएसआर समिति ने एक दायित्व व्यक्तव्य जारी किया है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से सेल लगातार घाटे में चल रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, सेल ने मुख्य रूप से चल रही प्रमुख सीएसआर गतिविधियों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है जो मुख्य रूप से सीएसआर द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए सहायता, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के लिए गोद लिए गए जनजातीय / पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएं, वंचित लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, चिकित्सा शिविरों का आयोजन और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और दिव्यांग जनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता आदि थे। ये सभी सीएसआर प्रयास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–टप्प में निर्दिष्ट प्रावधानों और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसार थे।

इसके अलावा, 845 ग्रामीण युवाओं को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है। भिलाई इस्पात कौशल कुटीर, स्वयंसिद्ध और पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई, शिलांगांगः दुर्गापुर, किशोरीः राउरकेला, झारक्राफ्टः बोकारो, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और महिला मंगल सभाः बर्नपुर, परिधान तकनीशियन प्रशिक्षणः सालेम, किरणः किरीबुरु और मेघाहथबुरु, आशाय हैंडलूम केंद्रः गुआ खान, आदि में 600 से अधिक युवाओं और 1468 महिलाओं ने औद्योगिक व्यापार, सॉफ्ट कौशल, आतिथ्य, हथकरघा, हस्तशिल्प, बेहतर कृषि तकनीक, घरेलू उत्पाद, फार्महाउस उत्पाद इत्यादि में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेल ऐसे केंद्रों में उत्पादित उत्पादों का विपणन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्ष 2017–18 के दौरान सेल द्वारा की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियों को निर्धारित प्रारूप में **अनुलग्नक–क** में विस्तारित किया गया है ।

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(अतुल श्रीवास्तव)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(सीए केएस चौहान)**
निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष, सीएसआर समिति
सेल	सेल	सेल

2017–18 के दौरान सेल की सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियां

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	जिन क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया	परियोजना (राज्य एवं जिले जहां परियोजना चलाई गई)	राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	परियोजना पर खर्चः प्रत्यक्ष खर्च या लागत	रिपोर्टिंग समय (2014–15 से 2017–18) के दौरान का संचयी व्यय	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के माध्यम से
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूख, गरीबी एवं कुपोषण दूर करना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना, एसवीए के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	क्लॉज (1) स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल और स्वच्छता	सेल प्लांट्स एवं यूनिट्स के परिक्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बिलासपुर, बोलाड, कांकेर, नारायणपुर, धमदारी, राजनंदगांव, पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना, नादिया और कोलकाता, ओडिशा के क्योझर, झारखंड के बोकारो, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, रांची एवं कुंटी, तमिलनाडु के सलेम एवं कुड्डालोर, कर्नाटक के चिकमंगलुरु, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, मध्यम प्रदेश के ग्वालियर और आंध्र प्रदेश के गुंटुर आदि जिलों को कवर करता है।	5.58	7.01	49.06	प्रत्यक्ष तौर पर एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन, स्वामी विवेकानंद वानी प्रचार समिति, महिला समिति, रामकृष्ण मिशन, भारती भवन, महिला स्वैच्छिक सेवा, बर्नपुर महिला समाज, दीपान्विता सब पायेछीर असर, समायिता मठ, बर्नपुर अंबागन स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संगठन, कर्तव्य, दुर्गापुर मिश्र इस्पात अबासिक महिला समाज, पीस हाउस वेलफेयर ट्रस्ट, गोपालमठ शिशु कल्याण समिति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीआईपीईटी, गहन खादी ग्रामीण विकास केंद्र, झारक्राफ्ट, स्टेट एजेंसी, भिलाई इस्पात कौशल कुटिर, स्वयंसिद्धा, डीएसपी महिला समाज, जन शिक्षण संस्थान, आरोह फाउंडेशन, श्रीओशी (एसआरआईओएसएचआई), सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेवास्तंभ एवं बालागोडा एसएचजी आशाये, गुआ, दीन दृदिशा केंद्र (एस.ई.सी) मनोहरपुर, ग्रामीण औद्योगिकरण सोसायटी, मिशनरी ऑफ चौरिटी, चेशायर होम आदि कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	विशेष तौर पर बच्चों, महिलाओं, बड़ों एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक शिक्षा सहित शिक्षा को प्रोत्साहन और जीवनयापन सुधार परियोजनाएं	क्लॉज (2) शिक्षा एवं जीवनयापन		14.85	11.19	51.27	
3	लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन, महिलाओं एवं अनाथों के लिए छात्रावास का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम्स, डे–केयर केंद्रों एवं ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए उपाय	क्लॉज (3) महिला सशक्तीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और पीडब्लूडी		1.37	1.08	9.60	
4	विरासत, कला एवं संस्कृति की सुरक्षा एवं ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले खेलों, पैरालंपिक खेलों एवं ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	क्लॉज (5) एवं (7) खेल, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन		1.88	1.92	14.85	
5	पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति एवं जीव–जन्तु, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखना	क्लॉज (4) पर्यावरण स्थिरता		0.99	2.20	22.06	
6	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	क्लॉज (10) आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास		0.92	2.07	15.77	
7	क्षमता निर्माण	सीएसआर नियम, 2014		0.13	0.23	3.34	
8	आपता राहत के लिए प्रावधान एवं अनुसूची–7 के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन	क्लॉज 4(6)		0.28	0.00	0.00	
	कुल			26.00	25.70	165.95	

नोटः 2016–17 के बजट से बचे हुए ₹ 0.29 करोड़ रूपये की राशि सहित ₹ 26 करोड़ का परियोजनावार व्यय राशि।

03.08.2018 की स्थिति के अनुसार प्रधान कार्यपालक अधिकारी

कॉरपोरेट कार्यालय

नई दिल्ली

विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
सरस्वती प्रसाद

निदेशक
वित्त
अनिल कुमार चौधरी
परियोजना एवं व्यापार योजना
डॉ. जी विश्वकर्मा
वाणिज्यिक
श्रीमती सोमा मंडल
कार्मिक
अतुल श्रीवास्तव
तकनीकी
हरिनंद राय

कार्यकारी निदेशक
विद्युत, इलेक्ट्रिक एवं सेलकोन
तेजवीर सिंह
अध्यक्ष का सचिवालय
पी. के. झा
कोयला आयात समूह
एस. सीतापति
विशेष कार्य
कल्याण माइति

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव
एम. सी. जैन

कॉरपोरेट कार्य का प्रमुख
एम. सी. अग्रवाल

सुरक्षा
महाप्रबंधक
के. बी. सुनील

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान
श्रीमती कामाक्षी रमन

इस्पात संयंत्र/इकाईयां

भिलाई इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एम. रवि
कार्यकारी निदेशक
परियोजना
ए. के. माथुर
निर्माण
पी. के. दास
सामग्री प्रबंधन
सुश्री रीता बनर्जी
एम एंड एच एस – प्रभारी निदेशक
डॉ. के. एन. ठाकुर
वित्त एवं लेखा
बी. पी. नायक

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ए. के. रथ
कार्यकारी निदेशक
बी. पी. वर्मा
निर्माण
टी. बी. सिंह
परियोजना
ए. आर. दासगुप्ता

राउरकेला इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अश्विनी कुमार
कार्यकारी निदेशक
कार्मिक एवं प्रशासन
पी. के. प्रधान
परियोजना
आर. अग्रवाल

बोकारो इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पी. के. सिंह
कार्यकारी निदेशक
एम एंड एच एस – प्रभारी निदेशक
डॉ. ए. के. सिंह
सामग्री प्रबंधन
एच. पी. सिंह
निर्माण
एस. के. सिंह
परियोजना
आर. सी. श्रीवास्तव

इस्को इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनिर्बान दासगुप्ता
निर्माण
वकील सिंह
कार्मिक एवं प्रशासन
सी. एस. सिन्हा

अलॉय इस्पात संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
संतोष कुमार मिश्रा

सेलम इस्पात संयंत्र
महा प्रबंधक
ए. चिदम्बरम

विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
वी. गुप्ता

इकाइयां

कच्चा माल प्रभाग
कार्यकारी निदेशक
कार्यकारी निदेशक, कोलियरी के अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रभारी
पी. साइदेव
कार्मिक एवं प्रशासन
अमिताभ भट्टाचार्य
आर पी एंड ई
पी. सी. नायक
परियोजना
आलोक कुमार कबिसत्पथी

अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी केंद्र
कार्यकारी निदेशक
के. दास

केंद्रीय विपणन संगठन
कार्यकारी निदेशक
विपणन – वाणिज्यिक
अलोक सहाय
विपणन – एल पी एंड एफ पी
विश्वजीत चौंगदार
विपणन – आई टी डी
देब कल्याण मोहंती

परिवहन एवं जहाजरानी
कार्यकारी निदेशक
एल. एन. मलिक

सेल ताप सह इकाई
प्रभारी महा प्रबंधक
आर. के. आहूजा

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
एस. के. साहा

पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग
महाप्रबंधक
एस. के. दास

स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

नोटिस

एतद द्वारा नोटिस दिया जाता है कि स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक बैठक बृहस्पतिवार 20 सितम्बर, 2018 को एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में 10:30 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्न कार्यों का लेनदेन किया जाएगाः

सामान्य कार्य

1. निम्न को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करनाः
   (i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, निदेशक बोर्ड और वित्त ऑडिटरों की रिपोर्ट सहित।
   (ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के ऑडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरण, ऑडिटरों की रिपोर्ट सहित।
2. डा. जी. विश्वकर्मा (डीआईएनः 07389419) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति जो इस वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन के द्वारा सेवानिवृत रहे हैं और जो पुनः नियुक्ति के लिए योग्य हैं।
3. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भारत के लेखा नियंत्रक और महा लेखा नियंत्रक द्वारा नियुक्त कम्पनी के लेखापरीक्षकों का मानदेय निर्धारित करना।

विशेष कार्य

4. सीए करतार सिंह चौहान (DIN: 07811175) को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना और यदि उपयुक्त हो तो निम्न प्रस्तावों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन **सामान्य प्रस्तावों** के रूप में पारित करनाः

   "**प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि IV और अन्य लागू प्रावधानों के साथ–साथ धारा 149 और 152 के प्रवधानों के अनुसार, सीए करतार सिंह चौहान (DIN: 07811175), जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और कम्पनी के नियमों के अनुसार अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था जो इस सामान्य बैठक तक अपने पद पर हैं और जिनके संबंध में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में नोटिस प्राप्त हो चुका है, जिसमें उन्हें निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, को एतद द्वारा 21 सितम्बर 2020 तक निरंतर 3 (तीन) वर्षों के लिए कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के पद नियुक्त किया जाता है।"
5. नरेंद्र कुमार तनेजा (DIN: 07938062) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में यदि उपयुक्त हो तो निम्न प्रस्तावों को संशोधनों या बिना संशोधनों पारित करनाः

   "**प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि IV और अन्य लागू प्रावधानों के साथ–साथ धारा 149 और 152 के प्रवधानों के अनुसार, प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा (DIN:07938062), जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और कम्पनी के नियमों के अनुसार अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था जो इस सामान्य बैठक तक अपने पद पर हैं और जिनके संबंध में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में नोटिस प्राप्त हो चुका है, जिसमें उन्हें निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, को एतद द्वारा 21 सितम्बर, 2020 तक निरंतर 3 (तीन) वर्षों के लिए कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के पद नियुक्त किया जाता है।"
6. श्री अतुल श्रीवास्तव (DIN:07957068) को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना और इस सबंध में यदि उचित हो तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के निम्न प्रस्तावों को **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करने पर विचार करना।

   "**प्रस्तावित किया जाता है** कि श्री अतुल श्रीवास्तव (DIN:07957068) जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 और कम्पनी के नियमों के अंतर्गत कम्पनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस सामान्य वार्षिक बैठक की तिथि तक अपने पद पर कार्यरत हैं और जिनके संबंध में कम्पनी को लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक के पद के लिए एतद् द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।"
7. श्री हरिनंद राय (DIN: 08189837) को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने करना और इस संबंध में यदि उचित समझा जाता है तो निम्न प्रस्तावों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करनाः

   "**प्रस्तावित किया जाता है** कि श्री हरिनंद राय (DIN: 08189837) जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कम्पनी के नियमों के अंतर्गत एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था और जो इस सामान्य वार्षिक बैठक की तिथि तक अपने पद पर हैं और जिनके संबंध में कम्पनी को लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक के उम्मीदवार के रूप प्रस्तावित किया गया है, को एतद द्वारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।"
8. कम्पनी के उधार और सम्पत्तियों के परिवर्तन की संमति प्राप्त करना और इस संबंध में यदि उचित हो तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्न प्रस्तावों को **विशेष प्रस्ताव** के रूप में पारित करनाः

   "**प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी (प्रोस्पेक्टस एवं प्रतिभूति आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के दूसरे लागू प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के निदेशक बोर्ड को एतद द्वारा किसी एक या अधिक खण्डों में सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों/बोंण्डों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित करने या पेश करके निजि स्थापन के माध्यम से ₹ 5,000 करोड़ तक के वित्त को इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिनमें घरेलू और/या एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में योग्य निवेशक (चाहे निवासी और/या अनिवास और/या संस्थान/कार्पोरेट निकाय और/या व्यक्ति विशेष और/या ट्रस्टी और/या बैंक या अन्य संस्थान हों), अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कम्पनियां, भविष्य निधियां, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान, निकाय कार्पोरेट, कम्पनियां, निजी या सरकारी, या अन्य उद्यम, प्राधिकार और इस प्रकार व्यक्ति शामिल हैं, जो एक या संयुक्त रूप से कम्पनी के बोण्ड/ऋणपत्र धारक हो भी सकते हैं और नहीं भी, जिनमें ग्रीन–शू विकल्प (₹ 5,000 की सम्पूर्ण सीमा के अंदर, जैसा कि ऊपर बताया गया है) भी शामिल हैं, जैसा कि बोर्ड अपने विवेक पर बोर्ड या इसकी किसी समिति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर निर्णय ले सकता है जिन्हें बोर्ड या कम्पनी के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमोदित और अधिकृत किया जा सकता है जिसे बोर्ड/या इस प्रकार की समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

   "**इसके अतिरिक्त प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (जिसमें इसका संवैद्यानिक संशोधन या पुनःअधिनियम शामिल है जो उस समय लागू है) और कम्पनी के नियमों के दूसरे लागू प्रावधानों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) के संबंध में कम्पनी की सहमति है और एतद द्वारा कम्पनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) या इसकी समिति को कम्पनी की वर्तमान और भावी व सम्पूर्ण या लगभग सम्पूर्ण उपक्रमों की चल और/या अचल सम्पत्तियों, जहां पर भी स्थिति हों, को बैंकों, वित्तीय संस्थानों, हायर परचेज/लीज कम्पनियों, निकाय कार्पोरेट, ऋणपत्रों/बोण्डों/अन्य दस्तावेजों/प्रतिभूतियों या किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसे नियम और शर्तों पर प्रभार, बंधक, उपप्राधीयन, बंधक, गिरवी रखने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, जिन्हें बोर्ड या इसकी कोई समिति अवधि ऋण, बाहरी व्यापारिक उधार, ऋणपत्रों/बॉण्डों आदि को जारी करने के मध्यम से समय–समय पर वित्त उधार लेने के लिए उचित समझता है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के संबंध में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

   "**इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड को एतद द्वारा बोर्ड की समिति को ईश्यू के नियमों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें बोंड/ऋणपत्र आबंटित किए जाने हैं, आबंटित किए जाने वाले बोण्ड/ऋणपत्र की संख्या, इश्यू कीमत, अवधि, ब्याज दर, उस समय पर मार्केट कीमत पर प्रिमियम/छूट, बॉण्ड/ऋणपत्र धारकों की श्रेणी को कीमत पर छूट, लिस्टिंग, कोई भी घोषणा/शपथपत्र आदि जारी करना शामिल है, जिन्हें निजी स्थापन पेशकश पत्र और किसी अन्य लागू विनियामक में शामिल करने की आवश्यकता होती है।

   "**इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड और/या इसके द्वारा अधिकृत किसी समिति, यदि कोई है, को एतद द्वारा इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनिवार्य कार्यवाहियां, कार्य, गतिविधियां, और दूसरे कार्य करने और वे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है जिन्हें अनिवार्य या आकस्मिक समझा जाता है।

   "**इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित किया जाता है** कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड को एतद द्वारा अपनी सभी या किसी भी शक्ति को निदेशकों की किसी भी समिति या कम्पनी के किसी एक या अधिक निदेशकों को प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

9. कम्पनी के लागत लेखापरीक्षकों के मानदेय को मंजूर करना और इस संबंध में, यदि उचित समझा जाता है, संशोधनों के साथ या संशोधन के बिना निम्न प्रस्ताव को एक **सामान्य प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

''प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 या अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, और कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (जिसमें संवैद्यानिक संशोधन या पुनःअधिनियमन, जो उस समय पर लागू होता है) के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कोस्ट ऑडिटर मैसर्स आर.जे. गोयल एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली (भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इसको इस्पात संयंत्र के लिए), मैसर्स शोम एण्ड बनर्जी, कोलकाता (बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए), मैसर्स संजय गुप्ता एवं एसोसिएट्स, नई दिल्ली (मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वर्य लोहा एवं इस्पात संयंत्र के लिए) को निदेशक बोर्ड के अनुमोदन पर 9,75,000/–रुपये मानदेय व लागू कर एवं दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ते और जेब से लगने वाले खर्च का भुगतान किया जाना एतद द्वारा मंजूर किया जाता है।

''प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी का निदेशक बोर्ड एतद द्वारा इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनिवार्य, उचित और उचित कार्यों को करने के लिए अधिकृत है।''

निदेशक बोर्ड के आदेश पर

मुकेश जैन

(एम.सी. जैन)

कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

एवं सचिव

स्थान नई दिल्ली

दिनांक 13 अगस्त, 2018

पंजीकृत कार्यालयः

इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

CIN: L27109DL1973GOI006454

टिप्पणियांः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार प्रासंगिक स्पष्टीकरण वक्तव्य, ऊपर दिए गए व्यवसाय आइटम संख्या 4 से 9 के संबंध में यहां संलग्न है। एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के द्वारा अनिवार्यता के अनुसार निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति की नोटिस के आइटम नंबर 2 के तहत प्रासंगिक विवरण भी संलग्न किए गए हैं।

2. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने के लिए और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार रखता है। इस तरह का प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। प्रभावी बनने के लिए इस प्रकार का प्रतिनिधि बैठक शुरू होने के 48 घण्टे पहले पहूंच जाना चाहिए। प्रतिनिधि पपत्र संलग्न है।

   एक प्रतिनिधि कंपनी के एक ऐसे सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसके पास कम्पनी की कुल शेयर कैपिटल के दस प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नहीं है और जिसके पास मतदान का अधिकार है। कंपनी के कुल शेयर कैपिटल के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य होल्डिंग वोटिंग अधिकारों के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

3. केवल उपस्थिति पर्चियों या कम्पनी से पंजीकृत वैद्य प्रतिनिधित्व के धारकों को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यदि शेयर सांझा नाम से हैं या शेयरों को विभिन्न पंजीकृति फोलियो के अंतर्गत रखा गया जिनमें एकमात्र धारक/प्रथम धारक एक ही व्यक्ति है, तो ऐसे में केवल प्रथम संयुक्त धारक/एकमात्र धारक या इस प्रकार के धारक, जो भी मामला हो, के प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

4. बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि(यों) को बैठक में भेजने की इच्छा रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से निवेदन है कि वे कम्पनी को संबंधित बोर्ड निर्णय की वास्तविक प्रमाणित प्रति के साथ साथ प्रतिनिधि(यों) के नमूना हस्ताक्षर भेजें जिन्हें उनकी तरफ से बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

5. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे प्रदान की गई वार्षिक रिपोर्ट की अपनी अपनी प्रतियां साथ लेकर आएं।

6. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर 21 अगस्त 2018 से 24 अगस्त 2018 तक बंद रहेगा (दोनों दिनों सहित)।

7. मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड कम्पनी की सभी शेयर संबंधित गतिविधियों, जैसे शेयरों का स्थानांतरण/वितरण/प्रतिस्थापन/डीमैटेरियलाइजेशन/पुनः डीमैटेरियलाइजेशन/विभाजन/समेकन करना, पते में बदलाव, बैंक के आदेश, नामांकन भरना, लाभांशों का भुगतान और संबंधी गतिविधियों को करने के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (टीएण्डटीए) के रूप में कार्य कर रहे हैं। शेयरधारकों से निवेदन है कि शेयर स्थानांतरण और संबंधित गतिविधियों से संबंधित सभी भावी पत्राचार केवल निम्न पते पर ही करें:

   मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड,
   एफ–65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1,
   नही दिल्ली–110020
   फोन नम्बर 011–41406149, ईमेलः admin@mcsregisgrars.com

8. **डीमैट रूप में परिवर्तन करना**

i) सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) विनियम प्रावधान करता है कि सेल के शेयरों को व्यापार के उद्देश्य से डीमैट रूप में डिलिवर करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त सेबी ने अपनी अधिसूचना संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 दिनांक 8 जून 2018 के माध्यम से आदेश दिया है कि 5 दिसम्बर 2018 से सूचिबद्ध कम्पनी में शेयरों का स्थानांतरण केवल डीमैट प्रारूप में ही किया जाएगा। यद्यपि अधिकतर शेयरधारकों ने अपने शेयरों को डीमैट प्रारूप में परिवर्तित कर लिया है लेकिन यह देखा गया है कि कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी उनके शेयर पेपर प्रारूप (भौतिक) रूप में हैं। इस संबंध में शेयरधारकों को किसी भी ऐसे जमा भागीदार के पास डीमैट खाता खोलने, जो या तो नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसिज लिमिटेड द्वारा अधिकृत हो और अपने शेयरों को डिमैट रूप में परिवर्तित करने की सलाह दी जाती है ताकि बाद में असुविधा से बचा जा सके।

ii) भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों को अपने पते में हुए किसी भी परितर्वन के बारे में आर एण्ड टीए को सूचित करना चाहिए, जिसमें पूरा पता बड़े अक्षरों में डाकघर के पिन कोड सहित होना चाहिए, जो कि अनिवार्य है। इलेक्ट्रोनिक रूप में (डीमैट) रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों को पते में हुए परिवर्तन की जानकारी अपने डिपोजिटरी भागीदारी को भेजनी चाहिए।

iii) नामांकन करने के लिए भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे कम्पनी के शेयर एण्ड ट्रांसफर एजेंटों से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर करें और इलेक्ट्रोनिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य अपना नामांकन प्रपत्र संबंधित डिपोजिटरी भागीदार से प्राप्त कर सकते हैं।

iv) **ईएफटी का आदेश**

शेयरधारकों, जिनके पास उनके शेयर भौतिक रूप में हैं या डीमैट रूप में, को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में कम्पनी के साथ कोई भी भुगतान करते समय इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर का विकल्प चुनें। सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अपने सर्कुलर नं. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/2018/73 दिनांक 20 अप्रैल 2018 के माध्यम से लाभांश का भुगतान केवल अनुमोदित इलेक्ट्रोनिक रूप में करने और शेयरधारकों का पैन नम्बर प्राप्त करने का आदेश दिया है, यदि पहले से ही कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है। ईएफटी के अंतर्गत बैंकर (भुगतानकर्ता का बैंकर) द्वारा क्लीयरिंग प्राधिकार (आरबीआई या एसबीआई) को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान का निर्देश दिया जाता है। क्लीयरिंग प्राधिकार भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक को क्रेडिट रिपोर्ट भेजता है, जो उनके संबंधित खातों में राशि को क्रेडिट करता है। यह अपरिहार्य हो जाता है कि ईएफटी का विकल्प चुनने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता नंम्बर, खाता प्रकार, शाखा का नाम, 9 अंकों का एमआईसीआर नम्बर अपने नाम और फोलियो नम्बर सहित (डीपी–आईडी/ग्राहक आईडी) का विवरण कम्पनी को प्रदान करना चाहिए यदि उनके शेयर भौतिक रूप में हैं और डिपोजिटरी भागीदार को प्रदान करना चाहिए यदि शेयर डीमैट रूप में हैं। इसलिए जिन शेयरधारकों के पास उनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जो लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट आदि प्राप्त कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि वे सलंग्न फार्म भरने और स्वयं द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की प्रति, एक ओरिजिनल निरस्त चेक पुस्तिका/सत्यापित बैंक पास बुक की प्रति जिस पर खाता धारक का नाम दर्शाया गया हो सहित, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, सेल के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास भेजें ताकि भविष्य में किसी भी लाभांश के भुगतान के लिए रिकार्ड को अपडेट किया जा सके।

9. जिन सदस्यों के पास समान नाम से एक से अधिक फोलियो में शेयर हैं उनसे निवेदन है कि वे कम्पनी के शेयर विभाग/आरएण्डटीए को लिखें और उनके शेयर प्रमाणपत्रों को सलंग्न करें ताकि कम्पनी उनके शेयरों को एक ही फोलियो में समेकित करे।

10. कम्पनी ने इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) को स्थानांतरित कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2010–11 (अंतरिम) दावारहित लाभांश हैं। इसके बाद कम्पनी ने निम्न लाभांशों का भुगतान / घोषणा की:

वर्ष	अंतरिम लाभांश (%)	अंतिम लाभांश (%)
2010–2011	–	12.00
2011–2012	12.00	8.00
2012–2013	16.00	4.00
2013–2014	20.20	.
2014–2015	17.50	2.50
2015–2016	–	–
2016–2017	–	–
2017–2018	–	–

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है उनसे निवदेन है कि वे अपने दावे कम्पनी के पास भेजें।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकार (लेखांकन, ऑडिट, स्थानांतरण और रिफंड) नियमावली, 2016("नियम") सहित कम्पनी अधिनियम, 2013की धारा 124(5) प्रावधान करते हैं कि इस धारा के अनुसार कम्पनी के भुगतान रहित लाभांश खाते में स्थानांतरित कोई भी पैसा जो भुगतान किए बिना रह जाता है या इस प्रकार के स्थानांतरण के सात वर्ष बाद तक जिसके लिए कोई दावा नहीं किया जाता, उसे ब्याज सहित, यदि कोई है, कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उक्त प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष 2010–11 (अंतरिम) तक के सभी भुगतान रहित / दावा रहित लाभांशों को स्थानांतरित कर दिया है। सात वर्ष की अवधि पूरी होने पर, कम्पनी वित्त वर्ष 2010–11 के दावारहित / भुगतान रहित लाभांश (अंतिम) को नवम्बर 2018 में स्थानांतरित कर देगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) सहित नियमावली प्रावधान करते हैं कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्ष या इससे अधिक समय तक कोई दावा नहीं किया है तो वे कम्पनी के द्वारा आईईपीएफ के नाम स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इसलिए कम्पनी ने आईईपीएफ में शेयरों को स्थानांतरित करने की अनुपालना प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों के पास व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है जिनका लाभांश भुगतान किए बिना रहता है या जिनके लिए लगातार सात वर्षों से कोई दावा नहीं किया गया है, और आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों का पूर्ण विवरण भेज दिया गया है। कम्पनी ने अखबारों में नोटिस भी प्रकाशित किया है जिसमें इस प्रकार के शेयरधारकों से उनके दावा रहित लाभांशों को नकद में बदलने की सलाह दी गई है ताकि शेयरों के स्थानांतरण से बचा जा सके। इस प्रकार के शेयरधारकों का विवरण और आईईपीएफ को स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

लाभांश के दावाकर्ताओं / आईईपीएफ में स्थानांतरित शेयरों के पास आईईपीएफ को आवेदन करके वापिस प्राप्त करने का अधिकार है।

11. जो सदस्य खातों के बारे में या इस नोटिस में किसी अन्य विषय पर अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं उनसे निवदेन किया जाता है कि वे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले कम्पनी को लिखें ताकि संबंधित सूचना को बैठक में तैयार रखा जा सके।

12. **कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय का कोर्पोरेट प्रशासन में ग्रीन प्रोत्साहन**

कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय (एमसीए) ने "कोर्पोरेट प्रशासन में ग्रीन प्रोत्साहन" शुरू किया है जिसके लिए कम्पनियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्रारूप के माध्यम से कागज रहित अनुपालन को अनुमति दी गई है। एमसीए द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब कम्पनियां विभिन्न नोटिस / दस्तावेज (जिनमें सामान्य बैठक बुलाना, ओडिट किए गए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ओडिटरों की रिपोर्ट, आदि शामिल हैं) उनके शेयरधारकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर भेज सकते हैं।

सदस्यों को निवेदन किया जाता है कि वे उक्त नोटिस / दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त करने का विकल्प चुनें। उन्हें निवेदन किया जाता है कि वे अपने ई–मेल आईडी इस उद्देश्य के लिए अपने संबंधित डिपोजिटरी भागीदारों के पास कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड के पास ऊपर दिए गए पते पर भेजें या **admin@mcsregistrars.com** पर ईमेल करें।

कृपया नोट करें कि ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध होंगे और इनकी प्रतियों को रजिस्टर्ड कार्यालय से कार्य घण्टों के अंदर प्राप्त किया जा सकता है जिसका पता ऊपर दिया गया है।

13. **ऑडिटोरियम में प्रवेश केवल प्रवेश पर्ची के आधार पर ही दिया जाएगा जो जिसे उसी स्थान पर काउंटरों से उपस्थिति पर्ची के बदले में प्राप्त किया जा सकता है।**

14. **ओडिटोरियम में कोई भी ब्रिफकेस या बैग ले जाने की अनुमति नहीं है।**

15. **ई–वोटिंग के लिए सामान्य जानकारी और निर्देश:**

I. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, संशोधनों सहित, और कम्पनी अधिनियम, 2013 और सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और घोषणा अनिवार्यता), विनियमन, 2015 के उपनियम 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) में विचार विमर्श किए जाने वाले प्रस्तावों पर अपने मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी। सदस्य एजीएम के वेन्यू के अलावा किसी दूसरे स्थान से भी ई–वोटिंग (रिमोट ई–वोटिंग) के द्वारा अपने वोट डाल सकते हैं।

II. मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के वेन्यू पर उपलब्ध कराई जाएगा और एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट ई–वोटिंग प्रणाली से नहीं किया है वे मतपत्र से अपना मतदान करेंगे।

III. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले अपना मतदान ई–वोटिंग से किया है वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबार मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

IV. कम्पनी ने मैसर्स नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाओं को प्राप्त किया है जो रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी है।

V. कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने श्री सचिन अग्रवाल को निरीक्षक नियुक्त किया है जो कम्पनी सचिव फर्म मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट में काम करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट की सूश्री करिश्मा सिंह जांचकर्ता होंगी जो रिमोट ई–वोटिंग की जांच करेंगी और वार्षिक सामान्य बैठक स्थल पर मत्रपत्रों के माध्यम से मतदान की पारदर्शिता के साथ जांच करेंगी और, उन्होंने इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति और उपलब्धता के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

VI. एक व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात 13 सितम्बर 2018 को डिपोजिटरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में या लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, उनके पास रिमोट ई–वोटिंग या मतपत्र के माध्यम से एजीएम स्थल पर वोटिंग करने का अधिकार होगा।

VII. एक व्यक्ति जो एजीएम का नोटिस भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और जिसके पास कट–ऑफ तिथि अर्थात 13 सितम्बर, 2018 को कम्पनी के शेयर हैं वह लोगइन आईडी और पासवर्ड जेनरेट कर सकता है जो एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।

VIII. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 17 सितम्बर, 2018 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) शुरू होगी और 19 सितम्बर, 2018 (सांय 5:00 आईएसटी) खत्म होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी सदस्य जिनके पास कट–ऑफ तिथि अर्थात 13 सितम्बर, 2018 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर हैं, वे अपने वोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाल सकते हैं। रिमोर्ट ई–वोटिंग मोड्यूल को एनएसडीएल को उक्त समय अवधि के समाप्त होने पर बंद कर दिया जाएगा। **एक बार एक सदस्य प्रस्ताव पर मतदान कर देता है तो उस सदस्य को बाद में मत बदलने या दोबारा मत करने की अनुमति नहीं होगी।**

IX. वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर डाले गए मतों (मतपत्र) की जांच करने के बाद जांचकर्ता रिमोर्ट ई–वोटिंग एजीएम के समाप्त होने के बाद 48 घण्टे में एक समेकित जांचकर्ता रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास लिखित में भेजेगा। समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी। परिणामों को उसी समय स्टोक एक्सचेंज के पास भी भेजा जाएगा।

X. आवश्यक संख्या में मतों के प्राप्त होने के आधार पर प्रस्ताव को वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि अर्थात 20 सितम्बर, 2018 को पारित हुआ माना जाएगा।

XI. रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया और ढंग नीचे दिए गए है:

A. एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम में लोगइन करें

चरण 2: अपने मत को इलेक्ट्रोनिक रूप में एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर करें।

चरण 1 का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर लोगइन कैसे करें?

I) एनएसडीएल की वेबसाइट ई–वोटिंग पर विजिट करें। निम्न यूआरएल को टाइप करें: https://www.evoting.nsdl.com/

II) एक बार जब ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लोंच हो जाता है तो "लोग इन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरहोल्डर्स' खण्ड में उपलब्ध है।

III) एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड स्क्रीन पर दिखाए अनुसार भरना है।

वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए रजिस्ट्रड हैं तो आप https://eservices.nsdl.com/ पर अपने आईडीईएएस पर लोगइन कर सकते हैं। एक बार एनएसडीएल सेवाओं के लिए लोगइन करने के बाद ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप में डालें में जाएं।

IV) अपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों का रूप अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपकी यूजर आईडी है:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who holdshares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

(v) आपके पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले ही ई–वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग लोगइन और मतदान के लिए कर सकते हैं।

ख) यदि आप एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रथम पासवर्ड प्राप्त करने के बाद आपको यह पासवर्ड डालना है और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपने प्रथम पासवर्ड को कैसे प्राप्त करें?

i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कम्पनी में रजिस्ट्रड है तो, आपका प्रथम पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। मेलबोक्स में एनएसडीएल की तरफ से भेजी गई मेल को खोजें। ईमेल को खोलें और अटैचमेंट को खोलें जो पीडीएफ में होगी। पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड है एनएसडीएल खाते की आपकी आठ अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते की क्लाइंट आईडी के अंतिम आठ अंक या भौतिक रूप में शेयरों के लिए फोलियो नम्बर। पीडीएफ फाइल में आपकी यूजर आईडी और आपका प्रथम पासवर्ड होता है।

ii) यदि आपकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रड नहीं है तो आपका प्रथम पासवर्ड आपके डाक पते पर आपको भेजा जाएगा।

(vi) यदि आपको प्रथम पासवर्ड प्राप्त नहीं होता या आप इसे भूल गए हैं तो:

क) "Forgot User Details@Password\"पर क्लि करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के डीमैट खाते में हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

ख) "Physical User Reset Password\" (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं) यह विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों से अपने पासवर्ड को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप evoting@nsdl.co.in पर निवेदन कर सकते हैं जिसमें अपना डीमैट खाता नम्बर/फोलियो नम्बर, आपका पैन, आपका नाम और आपका पंजीकृत पता भेजें।

(vii) अपना पासवर्ड डालने के बाद "नियम एवं शर्ते" का चेकबोक्स सेलेक्ट करें।

(viii) अब आपको 'लोगइन' बटन पर क्लिक करना होगा।

(ix) 'लोगइन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 के विवरण को नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर अपना वोट इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कैसे डालें?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लोगइन करने के बाद आपको ई–वोटिंग का होम पेज दिखाई देगा। ई–वोटिंग पर क्लिक करें। इसक बाद एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप कम्पनी "EVEN" को देख पाएंगे जिसमें आपके शेयर हैं और जिसका वोटिंग साइकल सक्रिय स्थिति में है।
3. कम्पनी के उस "EVEN" को चुनें जिसके लिए आप अपना वोट करना चाहते हैं।
4. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल जाता है।
5. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति को सेलेक्ट करके अपना वोट डालें, शेयरों की संख्या की पुष्टि/परिवर्तन करनें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और जब आपको निर्देश दिया जाता है तो "सबमिट" पर क्लिक करें और "कन्फर्म" पर क्लिक करें जब आपको।
6. कन्फर्मेशन करने के बाद 'मतदान सफलतापूर्वक हो चुका है' का संदेश दिखाई देगा।
7. आप आपके द्वारा डाले गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कन्फर्मेशन पेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
8. एक बार अपना वोट कन्फर्म होने के बाद आप अपना वोट परिवर्तित नहीं कर सकते।

ठ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात अन्य व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि) को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव/अधिकृत पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी) को वोट डालने के लिए उचित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जांचकर्ता को ईमेल द्वारा sachinag1981@gmail.com पर भेजना है जिसकी एक प्रति को evoting@nsdl.co.in पर भेजना है।

ग. किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड कभी भी शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें। पांच असफल प्रयास करने के बाद ई–वोटिंग वेबसाइट के लोगइन को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर आपको "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password\" विकल्पों को पासवर्ड बदलने के लिए चुनना होगा जो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

घ. किसी भी पूछताछ के मामले में आप शेयर होल्डरों के लिए प्राय पूछे जाने वाले प्रश्नों (ए.फे) और शेयरधारकों के लिए यूजर मैन्युअल को देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है या टोल फ्री नम्बर 1800–222–990 पर काल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर आग्रह कर सकते हैं।

12. जो व्यक्ति नोटिस भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है लेकिन अंतिम तिथि से पहले सदस्य बन जाता है वह आईडी और पासवर्ड के लिए पर निवेदन भेज सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने पर वोट डालने के लिए ऊपर बताए गए चरण 2 की अनुपालन करें।

13. किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए आप प्राच पूछे जाने वाले प्रश्न खण्ड और एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट के सहायता खण्ड के अंतर्गत उपलब्ध वोटिंग मैन्युअल को देख सकते हैं या श्री मंदर गायकवाड़, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चैथी एवं पांचवी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पारेल, मुम्बई–400013 से टेलीफोन नं. 91 22–24994200/91 22 24994559 के माध्यम से सम्पर्क करें या टोल फ्री नम्बर 1800 222 990 पर काल करें या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेजें।

नोटिस का परिशिष्ट
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1)
के अनुसार व्याख्या कथन

आईटम संख्या 4

सरकार के आदेश संख्या F.No. 1(10)/2015-BLA(Vol-III) दिनांक 6 सितम्बर, 2017 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनित सीए करतार सिंह चौहान (डीआईएनः 07811175) को 22 सितम्बर, 2017 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर–अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 22 सितम्बर 2017 से तीन वर्ष के लिए है या आगामी आदेशों तक है, जो भी पहले हो। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के संबंध में सीए करतार सिंह चौहान सामान्य वार्षिक बैठक के शुरू होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। कम्पनी को इस अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक के पद के लिए सीए करतार सिंह चौहान की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा गया है।

सीए करतार सिंह चौहान ने वाणिज्य संकाय में अपनी स्नातकोत्तर डिग्री चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 1987 में प्राप्त की। उन्होंने सीए अंतिम वर्ष की परीक्षा 1991 में इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से पास की और 1996 में आईसीएआई के फेलो सदस्य बने। उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में ऑडिट, कराधान, वित्त आदि शामिल हैं और वर्तमान में वे चार्टर्ड अकाउंटैंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स में सर्टिफिकेट कोर्स और फोरेक्स एण्ड ट्रेजरी मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स किया है, जो दोनों ही आईसीएआई से किए हैं। उन्होंने प्रसार भारती के राष्ट्रीय चैनल पर वित्त और आयकर से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं।

सीए करतार सिंह चौहान अधिनियम की धारा 164 के संबंध में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अयोग्य नहीं हैं और निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। कम्पनी को सीए करतार सिंह चौहान से एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है जो अधिनियम की धारा 149 की उपधारा 6 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्र निदेशक के मापदण्ड को पूरा करता है। वे भागीदार संबंध समिति के सदस्य हैं।

सीए करतार सिंह चौहान और उनके संबंधियों को छोड़कर, जहां तक कम्पनी में उनके शेयरों के हितों का संबंध है, यदि कोई है, कम्पनी का कोई भी अन्य निदेशक/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके संबंधी किसी भी तरह से इस नोटिस के आईटम नम्बर 4 में निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या किसी अन्य तरह से हित नहीं रखता है या संबंधित नहीं है।

सीए करतार सिंह चौहान की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को देखते हुए बोर्ड विश्वास करता है कि कम्पनी को उनकी सेवाएं निदेशक के रूप में जारी रखनी चाहिए और बोर्ड शेयरधारकों की अनुमति के लिए यह प्रस्ताव रखने की सिफारिस करता है।

आईटम संख्या 5

सरकार के आदेश संख्या F.No. 1(10)/2015-BLA(Vol-III) दिनांक 6 सितम्बर 2017 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा (डीआईएनः 07938062) को 22 सितम्बर, 2017 से कम्पनी का अतिरिक्ति निदेशक नियुक्त किया गया था। गैर–अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 22 सितम्बर 2017 से तीन वर्ष के लिए है या आगामी आदेशों तक है, जो भी पहले हो। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के संबंध में प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा सामान्य वार्षिक बैठक के शुरू होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। कम्पनी को इस अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें कम्पनी के निदेशक के पद के लिए प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और वर्तमान में चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के वाइस–चांसलर हैं। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और पीएचडी हैं। रिसर्च और शिक्षण में उनके पास 35 वर्ष का विशाल अनुभव है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्रिकाओं में कुछ शोधपत्र प्रकाशित करवाए हैं। उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, विकास सिद्धांत एवं नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं एवं नीतियां शामिल हैं।

प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा अधिनियम की धारा 164 के संबंध में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति दी है। कम्पनी को प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा से एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है जो अधिनियम की धारा 149 की उपधारा 6 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्र निदेशक के मापदण्ड को पूरा करता है। वे कम्पनी की मानोनयन एवं मानदेय समिति के सदस्य हैं।

प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा और उनके संबंधियों को छोड़कर, जहां तक कम्पनी के शेयरों में उनके हितों का संबंध है, यदि कोई है, कम्पनी के दूसरे निदेशकों/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों/उनके संबंधियों का इस नोटिस के आइटम नम्बर 5 में निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या हित नहीं है।

प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने विचार किया है कि कम्पनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिस करता है।

आईटम संख्या 6

सरकार के आदेश संख्या 6/3/2016–BLA दिनांक 12 मार्च 2018 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री अतुल श्रीवास्तव (डीआईएनः 07957068) को 12 मार्च 2018 से कम्पनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो कि सामान्य वार्षिक बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनकी पुनःनियुक्ति पर निर्भर है। एक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 12 मार्च, 2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके सेवानिवृत्त होने की तिथि तक या भावी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक है। वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधनों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में वे आने वाली सामान्य वार्षिक बैठक की तिथि तक अपने पद पर रहेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें श्री अतुल श्रीवास्तव को कम्पनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवार प्रस्तावित किया गया है।

श्री अतुल श्रीवास्तव आईआईटी, कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास एचआर में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। एचआर संबंधी मामलों में उनके पास कार्यनिष्पादन प्रबंधन, कर्मचारी अनुबंध प्रोत्साहन और आईआर प्रबंधन में 33 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। सेल के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्ति से पहले श्री श्रीवास्तव कम्पनी के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कार्यकारी निदेशक (पीएण्डए) के पद पर रहे हैं जहां वे मानव संसाधन कार्यों के मुखिया थे। वे कम्पनी के बोकरो इस्पात संयंत्र में और इसके कार्पोरेट कार्यालय में भी कर्मचारी और प्रशासनिक कार्यों को संभाल चुके हैं।

श्री अतुल श्रीवास्तव अधिनियम की धारा 164 के संबंध में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और एक निदेशक के पद पर कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है।

श्री अतुल श्रीवास्तव और उनके संबंधियों को छोड़कर, जहां तक कम्पनी के शेयरों में उनके हितों का संबंध है, यदि कोई है, कम्पनी के दूसरे निदेशकों/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों/उनके संबंधियों का इस नोटिस के आइटम नम्बर 6 में निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या हित नहीं है।

श्री अतुल श्रीवास्तव की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने विचार किया है कि कम्पनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिस करता है।

आइटम संख्या 7

सरकार के आदेश संख्या 6/2/2016-BLA दिनांक 3 जुलाई, 2018 के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन करने पर श्री हरिनंद राय (डीआईएनः 08189837) को 1 अगस्त, 2018 को कम्पनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो सामान्य वार्षिक बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनकी पुनःनियुक्ति पर निर्भर है। एक निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक या आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक है। वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संबंध में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत होंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 और कम्पनी के नियमों के प्रावधानों के अनुसार वे अपने पद आगामी सामान्य वार्षिक बैठक तक रहेंगे। इस अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हो चुका है जिसमें कम्पनी के निदेशक के पद के उम्मीदवार के लिए श्री हरिनंद राय का नाम प्रस्तावित है।

श्री हरिनंद राय आईआईटी, बीएचयू से धातु विज्ञान में इंजीनियर हैं। उनके भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई (बीएसपी) और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (डीएसपी) दोनों में संयंत्र स्तर पर और कार्पोरेट कार्यालय में विभिन्न पदों पर काम करने का 32 वर्ष से भी अधिक का विशाल अनुभव है। संयंत्र परिचालनों, नियोजन और प्रचालन तंत्र सहित संयंत्र में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए समन्वय के विभिन्न कार्यो में उनके पास उन्नत और विविधतापूर्ण अनुभव है।

श्री हरिनंद राय अधिनियम की धारा 164 के संबंध में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं और एक निदेशाक के पद पर कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है।

श्री हरिनंद राय और उनके संबंधियों को छोड़कर, जहां तक कम्पनी के शेयरों में उनके हितों का संबंध है, यदि कोई है, कम्पनी के दूसरे निदेशकों/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों/उनके संबंधियों का इस नोटिस के आइटम नम्बर 7 में निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या हित नहीं है।

श्री हरिनंद राय की विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने विचार किया है कि कम्पनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाएं जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिस करता है।

आइटम संख्या 8

जैसा कि पिछले वर्षों में सूचित किया गया था आपकी कम्पनी ने अपने संयंत्रों के बड़े आधुनिकीकरण और विस्तार व अपनी स्वयं की खदानों से कच्चे माल की आपूर्ति की शुरुआत के कार्यक्रमों का काम शुरू किया है। यह निर्णय किया गया है कि इन कार्यक्रमों को ऋण और इक्विटी के मिश्रण से वित्तपोषित किया जाएगा। कम्पनी 30 अप्रैल 2018 तक अपने विस्तार कार्यक्रम पर ₹ 67,432 करोड़ खर्च कर चुकी है। वित्त को विस्तार कार्यक्रम के लिए आबंटित करन और अल्प अवधि के ऋणों को लम्बी अवधि के ऋणों में परिवर्तित करने के लिए आपकी कम्पनी ने इस सामान्य वार्षिक बैठक की तिथि से एक साल की अवधि के दौरान या कम्पनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू नियमों के अंतर्गत अनुमति के अनुसार लगभग ₹ 5,000 करोड़ उधार लेने की योजना बनाई है।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उधार के माध्यम से वित्त प्राप्त करने के विभिन्न विकल्पों

का विश्लेषण करने के बाद निदेशक बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 5,000 करोड़ तक के अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों/बोंड के माध्यम से वित्त प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। यह प्रस्ताव इस एजीएम से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों/बॉण्ड के नियम एवं शर्तों का निर्धारण निदेशक बोर्ड/उसकी समिति या किसी एक या अधिक निदेशकों द्वारा आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

कम्पनी के उधारों को सामान्यतः बंधक/प्रभारों/उपप्राधीयन या कम्पनी की किसी भी एक या सभी चल या अचल सम्पत्तियों पर ऋणभार के द्वारा सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। कम्पनी को किसी भी वर्तमान और भावी व आंशिक और सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्तियों पर प्रभार, उपप्राधीयन, बंधक, गिरवी रखने के लिए सक्षम बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1) (ए) के अनुसार सदस्यों से सहमति ली जा रही है चाहे वे जहां भी स्थित हों और बोर्ड को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत करने की जरूरत है।

बोर्ड विशेष प्रस्ताव के रूप में आपके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिस करता है। कम्पनी का कोई भी निदेशक और/या मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके संबंधियों का नोटिस के आइटम संख्या 8 में निर्धारित प्रस्ताव में कोई हित नहीं है।

आइटम संख्या 9

कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति की सिफारिस पर मैसर्स आर.जे. गोयल एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को (भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र के लिए), मैसर्स शोम एण्ड बनर्जी, कोलकाता (बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए), मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली (मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र के लिए) को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया है, जिन्हें ₹ 9,75,000/– + कर भत्ता, जो भी लागू होगा, और दैनिक भत्ता, यात्रा खर्च और जेब से लगने वाले खर्च का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स को एक्सबीआरएल कन्वर्जन और कम्पनी की समेकित लागत ऑडिट रिपोर्ट के लिए लीड कॉस्ट ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है जिन्हें ₹ 35,000/– अतिरिक्त फीस और लागू करों का भुगतान किया जाएगा।

कम्पनी (ऑडिट एवं ऑडिटर) नियमावली, 2014 के नियम 14 सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिस पर निदेशक बोर्ड द्वार अनुमोदित मानदेय को बाद में कम्पनी के सदस्यों द्वारा मंजूर करने की जरूरत है। इसलिए इस नोटिस के आइटम संख्या 9 में निर्धारित लागत लेखापरीक्षकों के शुल्को की शेयरधारकों द्वारा मंजूरी के लिए प्रस्ताव दाखिल किया जाता है।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक और/या महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और/या उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव में कोई हित नहीं है।

निदेशक बोर्ड के आदेश पर

मुकेश जैन

(एम.सी. जैन)
कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव

स्थान नई दिल्ली
दिनांक 13 अगस्त, 2018
पंजीकृत कार्यालयः
इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003
CIN: L27109DL1973GOI006454

आगामी सामान्य वार्षिक बैठक में पुनःनियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का विवरण जिसे सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया गया है:

निदेशक का नाम	डा. जी. विश्वकर्मा
जन्म तिथि	18 जनवरी, 1960
नियुक्ति की तिथि	31 दिसम्बर, 2015
विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता	परियोजना, व्यापार नियोजन
योग्यताएं	बीई (मैके.), एमई (पर्यावरण विज्ञान), व्यापार प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, पीएचडी (परियोजना प्रबंधन), पीजीडीएडीआर
उन कम्पनियों की सूची जिनमें बाहरी निदेशक हैं:	इंटरनैशनल कोल वेंचर प्रा.लि. (आईसीवीए)
वे कम्पनियां जिनमें वे निदेशक हैं और जिनके निदेशक बोर्डों की समितियों के अध्यक्ष/सदस्य हैं:	आईसीवीएल में सीएसआर समिति के अध्यक्ष

तालकटोरा स्टेडियम – रास्ते का नक्शा

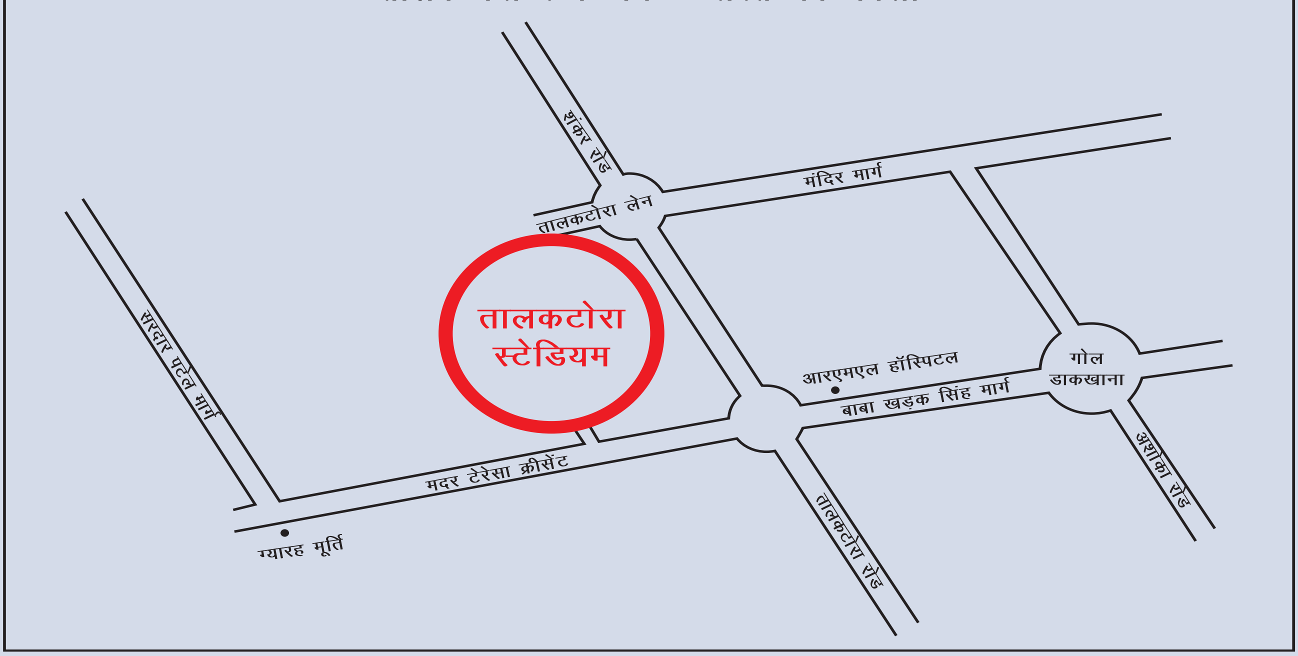

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

सी आइ एन : एल 27109 डी एल1973 जी ओ आई 006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, ई–मेलः investor-relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in

उपस्थिति पर्ची

बृहस्पतिवार 20 सितम्बर, 2018 को 10:30 बजे आयोजित 46वीं सामान्य वार्षिक बैठक

भाग लेने वाले सदस्य का नाम	
*फोलियो नम्बर	
डीपी आईडी नम्बर/क्लाइंट आईडी	
शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (बडे अक्षरों में भरा जाना है, यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा है)	

मैं एतद द्वारा कम्पनी की 46वीं सामान्य वार्षिक बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं जो बृहस्पतिवार, 20 सितम्बर, 2018 को एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में आयोजित है।

*यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो लागू है

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षरः ....

नोटः

1. उपस्थिति पर्ची पर वहीं हस्ताक्षर होने चाहिए जो आर एण्ड टीए/डिपोजिटरी भागीदार (डीपी) के पास रजिस्टर्ड हैं। इस प्रकार से अच्छी तरह पूर्ण और हस्ताक्षर युक्त उपस्थिति पर्ची बैठक स्थल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जमा करनी चाहिए जिसके बदले में आर एण्ड टीए प्रवेश पत्र जारी करेगा।
2. हाल में प्रवेश केवल आर एण्ड टीए द्वारा प्रदान किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर ही होगा।
3. सदस्य/प्रतिनिधि कृपया पहचान/सत्यापन के लिए अपना फोटो आईडी कार्ड साथ लाएं।
4. स्वयं सदस्य या उसके प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति मान्य है।
5. ब्रिफकेस, मोबाइल फोन, खाने पीने की चीजें, हेलमेट और दूसरी चीजों को सुरक्षा कारणों से बैठक स्थल पर लाने की अनुमति नहीं होगी और शेयरधारक/प्रतिनिधियों को अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं रखनी होगी।
6. सामान्य वार्षिक बैठक में कोई उपचार वितरित नहीं किए जाएंगे।

. . . .

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

सी आई एन : एल 27109 डी एल1973 जी ओ आई 006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, ई–मेलः investor.relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in

प्रतिनिधि फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी नियम, 2014 के नियम 19(3) (प्रबंधन और प्रशासन) के तहत]

सदस्य(यों) का नाम	
पंजीकृत पता	
फोलियो संख्या/डी पी आई डी–ग्राहक संख्या	
ई–मेल आई डी	

मैं/हम, ...के सदस्य(यों) होते हुए, उपर्युक्त नामित कंपनी का शेयर, तदनुसार नियुक्त करता हूँः

1. नामः .... पताः ....

ई–मेल आई डीः .... हस्ताक्षरः .... , या इसके न होते हुए

2.नामः .... पताः ....

ई–मेल आई डीः .... हस्ताक्षरः .... , या इसके न होते हुए

3.नामः .... पताः ....

ई–मेल आईडीः .... हस्ताक्षरः ....

को 20 सितम्बर, 2018 को एनडीएमएसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में सुबह 10.30 बजे आयोजित होने वाली कम्पनी की 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी तरफ से, उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं और बैठक का नीचे दिए गए प्रस्तावों के संबंध में इसका कोई स्थगन होने की स्थिति मेंः

क्रम सं. प्रस्ताव

सामान्य कार्य

1. (i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के ओडिट किए गए एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक बोर्ड और लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट सहित
   (ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के ओडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर ओडिटरों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. डॉ. जी. विश्वकर्मा (डीआईएनः 07389419) के स्थान पर एक निदेशक को नियुक्त करना, जो इस सामान्य वार्षिक बैठक में रोटेशन के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वे पुनःनियुक्ति के लिए योग्यता रखते हैं।
3. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भारत के लेखा नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कम्पनी के ओडिटरों का मानदेय निर्धारित करना।

विशेष कार्य

4. सीए करतार सिंह चौहान (डीआईएनः 07811175) को कम्पनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
5. प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा (डीआईएन 07938062) को कम्पनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
6. श्री अतुल श्रीवास्तव (डीआईएनः 07957068) को कम्पनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना।
7. श्री हरिनंद राय (डीआईएनः 08189837) को कम्पनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना।
8. गैर परिवर्तनीय ऋणपत्रों/बॉण्डों के निजी स्थापन के माध्यम से और कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार सृजित करके ₹ 5,000 करोड़ तक के ऋणों के लिए सहमति प्राप्त करना।
9. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी के लागत लेखापरिक्षकों के मानदेय को मंजूरी प्रदान करना।

कृपया ₹ 1 का रेवेन्यू टिकट लगाएं

इसे हस्ताक्षर किया गया ....दिन 2018

सदस्य(यों) का हस्ताक्षर...

प्रतिनिधि(यों) का हस्ताक्षर

टिप्पणीः

यह प्रतिनिधि फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए, पूरी तरह से भर कर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में वार्षिक मीटिंग प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना चाहिए।

बैंक विवरण, पैन, ईमेल आईडी आदि प्रदान करने के लिए प्रारूप

सेवा में
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
युनिटः स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1,
नई दिल्ली–110020

प्रिय महोदय,

मैं/हम, आपके रिकार्ड में निम्न विवरण को अपडेट करने के लिए मेरी/हमारी सहमति देता/देते हैं ताकि स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए सेबी द्वारा जारी सर्कुलर(रों) की अनुपालना में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से लाभांशों का भुगतान किया जा सके या अन्य जानकारी भेजी जा सके।

फोलियो नम्बरः ....

प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नामः ....

बैंक का नामः ....

शाखा का नाम एवं पताः ....

खाता संख्याः ....खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता) ....

आईएफएससी कोडः .... एमआईसीआर कोडः ....

ईमेल आईडीः .... फोन नं. ....

विवरण	शेयरधारक(कों) का नाम	पैन
प्रथम/एकमात्र शेयरधारक		
प्रथम संयुक्त शेयरधारक		
दूसरा संयुक्त शेयरधारक		

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रथम संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर

दूसरे संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर

तिथिः ....

स्थानः ....

सलंग्नकः ओरिजिनल निरस्त चेक पुस्तिका या बैंक पास बुक की सत्यापित प्रति जिस पर खाताधारक का नाम दर्शाया गया हो और पैन कार्ड की सत्यापित प्रति।

सेल SAIL

एक महारत्न कम्पनी

सेल नेटवर्क

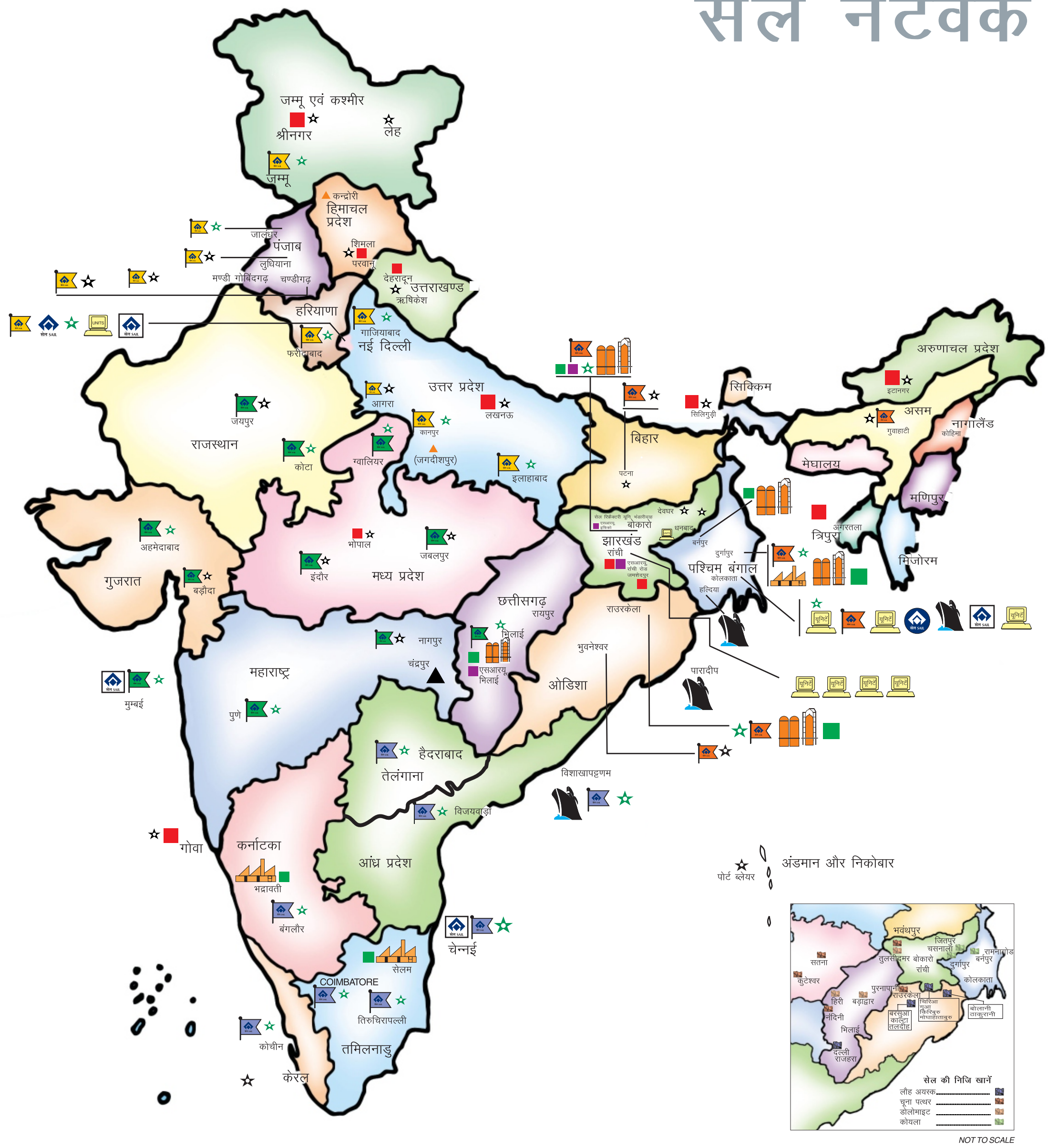

निगमित कार्यालय	यूनिटें	कंसाइन्मेंट एजेंसी यार्ड	शाखा बिक्री कार्यालय
एकीकृत इस्पात संयंत्र	सीमओ मुख्यालय	बिक्री निवास प्रबंधक	1. उत्तरी क्षेत्र
मिश्र एवं विशेष इस्पात कारखाने	क्षेत्रीय कार्यालय	ग्राहक सम्पर्क कार्यालय	2. पूर्वी क्षेत्र
फेरो एलॉय संयंत्र	स्टील प्रोसेसिंग यूनिट	सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट (एसआरयू)	3. पश्चिमी क्षेत्र
	विभागीय भण्डारगृह	परिवहन एवं शिपिंग कार्यालय	4. दक्षिणी क्षेत्र

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

13 अगस्त, 2018

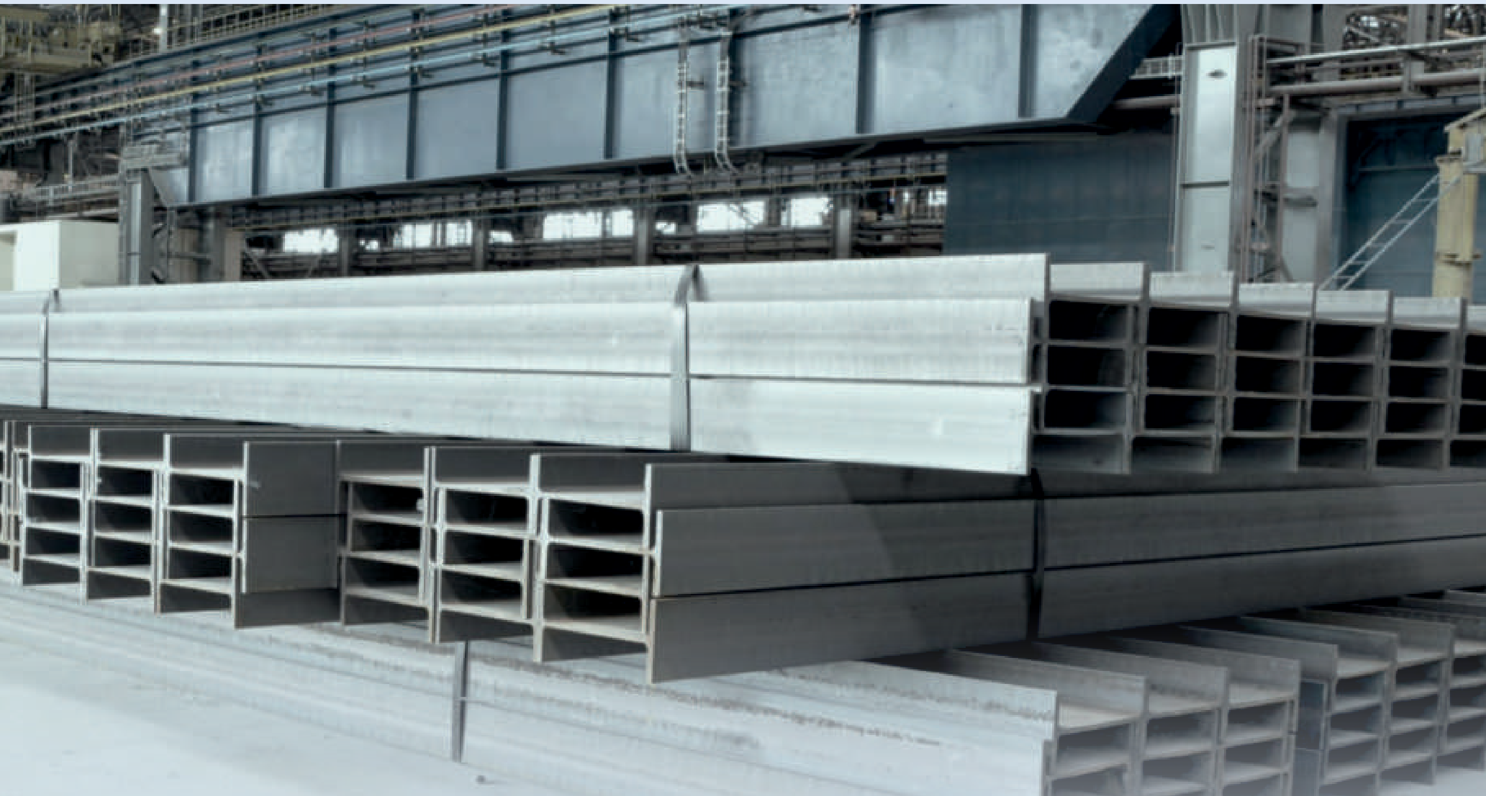

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

वेबसाइटः www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

Contad

www.facebook.com/SAILsteelofficial http://www.twitter.com/SAILsteel http://www.instagram.com/steelauthority